खण्ड-430, अंक-5
सोमवार, 1 चैत्र, शक संवत् 1921
(22 मार्च, 1999 ई0)

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

(तेरहवीं विधान सभा, प्रथम सत्र 1999)

खण्ड 430 में 9 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:

निदेशक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, लखनऊ, उत्तर प्रदेश (भारत)

1999

मूल्य : बिना महसूल रु0 25 पैसे, महसूल सहित रु0 31 पैसे |

वार्षिक चन्दा : बिना महसूल रु0 10 पैसे, महसूल सहित रु0 12 पैसे |

विषय-सूची

विषय	पृष्ठ-संख्या
उपस्थित सदस्य	छ–ज
— विभिन्न सूचनाओं को उठाने का प्रयास	1
प्रश्नोत्तर	1–121
— दिनांक 30 एवं 31 मार्च, 1999 को बकरीद के उपलक्ष्य में सदन की बैठक न कराने की मांग	121
— नियम 301 के अन्तर्गत सूचनाएं	121
— जनपद लखीमपुर खीरी के कस्बा खीरी में बने स्लाटर हाउस का आधुनिकीकरण कराने की मांग के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	122
— जनपद हरदोई के ग्राम महमूदपुर मजरा ऊगपुर में सिंचाई विभाग के कर्मचारियों द्वारा किसानों का आर्थिक शोषण किए जाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	122
— प्रतापगढ़ सदर विधान सभा क्षेत्र में लोक निर्माण विभाग द्वारा नहर की पटरी पक्की न कराये जाने की शिकायत के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	123
— जनपद फिरोजाबाद के जसराना क्षेत्रान्तर्गत क्षतिग्रस्त सम्पर्क मार्गों की मरम्मत कराने की मांग के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	123
— जनपद गोण्डा के मनकापुर क्षेत्रान्तर्गत ग्राम सभा वदरहा और मनिपुरग्रन्ट में चकबन्दी करवाये जाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	123
— जनपद मेरठ में मेरठ बिनौली मार्ग पर ग्राम सरूरपुर के सामने राजवाहे का पुल बनवाने की मांग के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	124
— जनपद बदायूं के बिलसी क्षेत्रान्तर्गत बदायूं बिजनौर राष्ट्रीय राजमार्ग पर अतिक्रमण तथा बिलसी बाई पास पर अवैध निर्माण कार्यों को तत्काल रोके जाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	124
— सत्र के अन्तिम दिनों में मा० सदस्यों द्वारा दी जाने वाली सूचनाओं को अधिक संख्या में स्वीकृत किये जाने की मांग	125
— विशेषाधिकार अवमानना की सूचना के सम्बन्ध में जानकारी	125
— विभागों से सम्बद्ध स्थायी समितियों की रिपोर्ट सदन में प्रस्तुत किये जाने के पश्चात् शासन के दृष्टिकोण के संबंध में औचित्य का प्रश्न	125–129
— औचित्य के प्रश्न की अन्य सूचनाएं	129

विषय सूची

	पृष्ठ-संख्या
— उत्तर प्रदेश आमोद और पणकर (संशोधन) विधेयक, 1999 (विधान परिषद से वापसी की सूचना)	130
— उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 1999 (विधान परिषद् से वापसी की सूचना)	130
— उ० प्र० राजर्षि टण्डन मुक्त विश्वविद्यालय विधेयक, 1999 (विधान परिषद् से वापसी की सूचना	130
— उत्तर प्रदेश स्नातकोत्तर चिकित्सा शिक्षा (अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिये आरक्षण) (संशोधन) विधेयक, 1999 (श्री राज्यपाल महोदय की अनुमति की सूचना)	130
— उत्तर प्रदेश विधान सभा की आश्वासन समिति का 75वां प्रतिवेदन (प्रस्तुत किया गया)	131
— उत्तर प्रदेश विधान सभा की आश्वासन समिति का 76वां प्रतिवेदन (प्रस्तुत किया गया)	131
— कार्य-मंत्रणा समिति द्वारा कार्यक्रम निर्धारण का प्रस्ताव (स्वीकृत)	131–133
— चन्द्रशेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, कानपुर के प्रबन्ध बोर्ड पर कार्य करने के लिए विधान सभा के एक सदस्य के निर्वाचन का प्रस्ताव (स्वीकृत)	133–134
— आचार्य नरेन्द्र देव कृषि एवं प्रोद्योगिक विश्वविद्यालय कुमारगंज, फैजाबाद के प्रबन्ध बोर्ड पर कार्य करने के लिए विधान सभा के दो सदस्यों के निर्वाचन का प्रस्ताव (स्वीकृत)	134
— उत्तर प्रदेश गो-सेवा आयोग विधेयक, 1999 (पुरःस्थापित)	134–135
— नियम 311 की सूचनाओं के सम्बन्ध में जानकारी	135
— कार्य स्थगन प्रस्ताव की सूचनाएं	136–162
— पट्टी (प्रतापगढ़) डिग्री कालेज की छात्रा उर्मिला पाल की गुण्डों द्वारा हत्या किये जाने के सम्बन्ध में सूचना	162–167
— लोक दल के नव नियुक्त प्रदेश अध्यक्ष श्री कैलाश नाथ सिंह यादव का अमरोहा (ज्योतिबा फूलेनगर जनपद में) पुलिस द्वारा उत्पीड़न विषयक नियम 311 के अन्तर्गत सूचना	168–170
— पिछड़ी जातियों के आरक्षण से सम्बन्धित क्रीमीलेयर प्रतिबन्धों की समीक्षा न किये जाने विषयक नियम 311 के अन्तर्गत सूचना	170–174
— वित्तीय वर्ष 1999-2000 के आय-व्ययक में अनुदान की मांग पर चर्चा एवं मतदान अनुदान संख्या-95 उत्तरांचल विकास विभाग	175–208
— वित्तीय वर्ष 1999-2000 के आय-व्ययक में अनुदान की मांग पर चर्चा एवं मतदान अनुदान संख्या–25 गृह विभाग (कारागार) (स्वीकृत)	209–227

विषय सूची

	पृष्ठ-संख्या
— वित्तीय वर्ष 1999-2000 के आय-व्ययक में अनुदानों के लिए मांगों पर चर्चा एवं मतदान अनुदान संख्या–28 गृह विभाग (राजनैतिक पेंशन तथा अन्य व्यय) अनुदान संख्या–27 गृह विभाग (नागरिक सुरक्षा) (स्वीकृत)	227–230
— वित्तीय वर्ष 1999-2000 के आय-व्ययक में अनुदान की मांग पर चर्चा एवं मतदान अनुदान संख्या–22 खेल विभाग (स्वीकृत)	230–240
— वित्तीय वर्ष 1999-2000 के आय-व्ययक में अनुदान की मांग पर चर्चा एवं मतदान अनुदान संख्या–48 मुस्लिम वक्फ विभाग (स्वीकृत)	240–254
— उत्तर प्रदेश जल सम्भरण तथा सीवर व्यवस्था (संशोधन) विधेयक, 1999 (पारित)	254–256
— उत्तर प्रदेश नगर निगम (संशोधन) विधेयक, 1999 (पारित)	256–261
— उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग विधेयक, 1999 (पारित)	261–270
— उत्तर प्रदेश अल्पसंख्यक आयोग (संशोधन) विधेयक, 1999 (पारित)	270–272
— उत्तर प्रदेश भागीरथी नदी घाटी प्राधिकरण अध्यादेश, 1998 के अननुमोदन का संकल्प तथा उत्तर प्रदेश भागीरथी नदी घाटी प्राधिकरण विधेयक, 1999 (अननुमोदन का संकल्प अस्वीकृत तथा विधेयक पारित)	272–280
— नियम-51 के अन्तर्गत सूचनाएं	280–282
— प्रदेश में शत-प्रतिशत विकलांग को राजकीय परिवहन निगम की बसों में सहवर्ती के साथ अनुमन्य यात्रा सुविधा को लागू किये जाने के सम्बन्ध में नियम–51 के अन्तर्गत डा० लक्ष्मीकान्त वाजपेयी द्वारा दी गई सूचना पर संसदीय कार्य मंत्री का वक्तव्य	282–283
— मुख्य विकास अधिकारी जनपद मथुरा द्वारा कथित रूप से की जा रही अनियमितताओं एवं भ्रष्टाचार के संबंध में श्री अजय कुमार पोइया द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर संसदीय कार्य मंत्री का केवल वक्तव्य	283–285
— जनपद गोण्डा के श्री गांधी विद्या मन्दिर इण्टर कालेज को मूल्यांकन केन्द्र बनाकर तथा विद्यालय प्रधानाचार्य श्री सुरेन्द्र दत्त राम पाण्डेय को उप नियंत्रक बनाकर मूल्यांकन कराये जाने के सम्बन्ध में मा० श्री राम पाल सिंह द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर संसदीय कार्य मंत्री का केवल वक्तव्य	285–287
— जनपद आगरा के थाना जगदीशपुरा अन्तर्गत सुभाष नगर निवासी श्री राजेन्द्र की कथित रूप से पुलिस द्वारा दी गई यातनाओं के बाद संदिग्ध परिस्थितियों में हुई मृत्यु से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में डा० राम बाबू हरित द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर संसदीय कार्य मंत्री का केवल वक्तव्य	287–289

विषय सूची

	पृष्ठ-संख्या
— फतेहपुर सीकरी क्षेत्र में किरावली आगरा में ग्रामीण स्टेडियम के निर्माण कार्य को पूर्ण कराने के सम्बन्ध में श्री बाबू लाल द्वारा नियम -51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर संसदीय कार्य मंत्री का केवल वक्तव्य	289–290
— जनपद आगरा की नगर पंचायत फतेहाबाद में पेयजल समस्या के निदान हेतु पानी की टंकी तथा दो नलकूपों का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री विजय पाल सिंह द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर संसदीय कार्य मंत्री का केवल वक्तव्य	291
— बिहार एवं मध्य प्रदेश सरकारों द्वारा उत्तर प्रदेश के अभ्यर्थियों के लिये प्रान्तीय सेवाओं में भाग लेने पर रोक लगाये जाने के फलस्वरूप उत्तर प्रदेश में भी प्रान्तीय सेवाओं में अन्य प्रदेश के अभ्यर्थियों के भाग लेने पर रोक लगाये जाने के सम्बन्ध में डा० सरजीत सिंह डंग द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर संसदीय कार्य मंत्री का वक्तव्य	292–293
— प्रदेश में विशेषतः मेरठ में पेयजल की शुद्धीकरण व्यवस्था सुदृढ़ करने हेतु क्लोरीनेशन तथा नमूनों की जांच विषयक प्रभावी कार्यवाही सुनिश्चित कराये जाने के सम्बन्ध में डा० लक्ष्मी कान्त बाजपेई द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर संसदीय कार्य मंत्री का वक्तव्य	293–294
— जनपद मथुरा के गोवर्धन-फरह तथा मथुरा ब्लाकों के अन्तर्गत विद्युतीकरण तथा विद्युत आपूर्ति की समुचित व्यवस्था सुनिश्चित किये जाने व ताज महल की सुरक्षा हेतु "ताज ट्रेपोजियन" को प्रभावी रूप से अमल में लाये जाने के सम्बन्ध में श्री अंजय कुमार पोइया द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर संसदीय कार्य मंत्री का केवल वक्तव्य	294–296
— 01 जनवरी 1998 से लेकर अब तक प्रदेश में पुलिस व अन्य प्रशासनिक अधिकारियों/कर्मचारियों के ऊपर हुई अपराधिक घटनाओं के बावत पंजीकृत अपराधिक मुकदमा की विवेचना को समाप्त किये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में श्री राम औतार शाक्य द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर संसदीय कार्य मंत्री का केवल वक्तव्य	296–297
— जनपद संत रविदास नगर (भदोही) के ब्लाक सुरियांवा में दुर्गागंज अमोली में स्वीकृत 33/11 के० वी० विद्युत उपकेन्द्र का प्रारम्भ न होने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में श्री पूर्णमासी पंकज द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर संसदीय कार्य मंत्री का केवल वक्तव्य	297

विषय सूची

	पृष्ठ-संख्या
— जनपद गाजियाबाद के सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र सपनावत के परिसर में खाली पड़ी भूमि पर अवैध कब्जेदारी किये जाने के सम्बन्ध में श्री नरेन्द्र सिंह शिशौदिया द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर संसदीय कार्य मंत्री का केवल वक्तव्य	298–299
— मथुरा जिला महिला चिकित्सालय की मुख्य चिकित्सा अधीक्षिका के द्वारा किये जा रहे भ्रष्टाचार तथा समय समाप्ति के उपरान्त इन्जेक्शनों का प्रयोग करने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में श्री अजय कुमार पोइया द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर संसदीय कार्य मंत्री का केवल वक्तव्य	299–300
— प्रदेश की राजधानी में पोलिया रोग के प्रकोप से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में श्री सुरेश कुमार श्रीवास्तव द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर संसदीय कार्य मंत्री का केवल वक्तव्य	300–303
— शासकीय सचिवालय के प्रमुख सचिव/सचिव के पदों को सृजित करने तथा बिना मानकों के सृजित पदों को समाप्त करने विषयक डा० लक्ष्मी कान्त बाजपेयी आदि की सूचना पर नियम-49 के अन्तर्गत चर्चा के स्थगन का प्रस्ताव (स्वीकृत)	304
— औद्योगिक अधिनियम के अन्तर्गत गठित सभी प्राधिकरणों के बोर्डों में जन प्रतिनिधित्व देने की व्यवस्था विषयक श्री नवाब सिंह नागर की सूचना पर नियम-49 के अन्तर्गत चर्चा के स्थगन का प्रस्ताव (स्वीकृत)	304
— नत्थी	305–306

उत्तर प्रदेश विधान सभा

उत्तर प्रदेश विधान सभा

(तेरहवीं विधान सभा)

सोमवार, दिनांक 22 मार्च, 1999

निम्नांकित सदस्यों के अतिरिक्त अन्य सभी सदस्य उपस्थित थे :—

अजय राय, श्री	वाराणसी
अतीक अहमद, श्री	इलाहाबाद
अफरोज अली खां, श्री	रामपुर
अब्दुल कलाम, श्री	बस्ती
अमीर आलम खान, श्री	मुजफ्फरनगर
इलम सिंह, श्री	सहारनपुर
ओइमूवेश, स्वामी	बिजनौर
ओंकार सिंह, श्री	एटा
कल्याण सिंह, श्री	अलीगढ़
कंवर पाल सिंह मास्टर, श्री	सहारनपुर
काजी मोहम्मद मुहिउद्दीन, श्री	हरिद्वार
के० सी० सिंह "बाबा" श्री	उधम सिंह नगर
कैलाश, श्री	गाजीपुर
गोपाल कृष्ण, श्री	पीलीभीत
चन्द्र पाल सिंह यादव, श्री	झांसी
चन्द्रेश पासवान, श्री	गोरखपुर
छोटे सिंह यादव, श्री	फर्रुखाबाद
जगपाल, श्री	सहारनपुर
जगदीश सिंह राणा, श्री	सहारनपुर
जमालुद्दीन सिद्दीकी, श्री	फर्रुखाबाद
जय नारायन तिवारी, श्री	सुल्तानपुर
जितेन्द्र कुमार जायसवाल, श्री उर्फ पप्पू भइया, श्री	गोरखपुर
तौफीक अहमद, श्री	सिद्धार्थनगर
देवेन्द्र सिंह यादव, कुंवर	एटा
धर्मज्ञ मिश्र, डा०	हरदोई
नरेन्द्र सिंह यादव, श्री	फर्रुखाबाद
निर्भय पाल शर्मा, श्री	सहारनपुर
पूरन सिंह, बुन्देला, श्री	ललितपुर
प्रभा द्विवेदी, श्रीमती	फर्रुखाबाद
प्रेम पाल सिंह यादव, श्री	बदायूं
प्रेम प्रकाश सिंह, श्री	देवरिया
प्रेम लता कटियार, श्रीमती	कानपुर नगर
फतेह बहादुर, श्री	महराजगंज
बंश नारायण सिंह, श्री	भदोही
बाबू राम, श्री	जालौन
बाबू राम यादव, श्री	मैनपुरी
बिजेन्द्र आर्य, श्री	मुजफ्फरनगर
ब्रजेन्द्र पाल सिंह, श्री	मुरादाबाद
महाराज सिंह यादव, श्री	इटावा
महेन्द्र अरिदमन सिंह, राजा	आगरा
मानिक चन्द यादव, श्री	मैनपुरी
मारकण्डेय चन्द, श्री	गोरखपुर
मुख्तार अन्सारी, श्री	मऊ
रंगनाथ मिश्र, श्री	भदोही
रतनजीत प्रताप नारायण सिंह कुंवर	पडरौना
राजा राम पाण्डेय, श्री	प्रतापगढ़
राम आसरे सिंह कुशवाहा, डा०	कानपुर नगर
राम कृपाल, श्री	इलाहाबाद
राम शंकर पाल, श्री	उन्नाव
राम सिंह सैनी, श्री	हरिद्वार
राम स्वरूप शर्मा, श्री	मथुरा

राम स्वरूप सिंह, श्री	बिजनौर
राम हर्ष सिंह, श्री	सुल्तानपुर
लक्ष्मी नारायण चौधरी, श्री	मथुरा
लल्लू सिंह, श्री	फैजाबाद
लालजी वर्मा, श्री	अम्बेडकर नगर
विजय प्रकाश, श्री	इलाहाबाद
विजय सिंह, श्री	सोनभद्र
विनय कुमार पाण्डेय "विन्नू", श्री	गोण्डा
विशम्भर सिंह, श्री	मथुरा
वेद प्रकाश सिंह, एम०एस०, डा०	बिजनौर
शिव पूजन राम, श्री	वाराणसी
शिव सिंह चक, श्री	फिरोजाबाद
शेर बहादुर, श्री	अम्बेडकर नगर
संजय सिंह, श्री	मुजफ्फरनगर
सरदार सिंह, श्री	मथुरा
सर्वेश कुमार उर्फ राकेश कुमार, कुंवर	मुरादाबाद
सुखपाल पाण्डेय, श्री	बस्ती
सुरेश चन्द्र तिवारी, श्री	लखनऊ
हरि प्रसाद उर्फ घमड़ी, श्री	सोनभद्र

उत्तर प्रदेश सभा

सोमवार दिनांक 22 मार्च, 1999

(विधान सभा की बैठक सभा मण्डप, लखनऊ में दिन के ।। बजे अध्यक्ष श्री केशरी नाथ त्रिपाठी की अध्यक्षता में प्रारम्भ हुई)

विभिन्न सूचनाओं को उठाने का प्रयास

(विपक्ष के कई सदस्यों द्वारा अपनी क्षेत्रीय समस्याओं को उठाने की अनुमति मांगने पर)

श्री अध्यक्ष-

उचित समय पर सबकी बात सुन ली जायेगी, हर चीज का समय होता है हर चीज कार्य सूची में क्रम बद्ध है जो सूचना स्वीकृत हुई है, तो उस पर कार्यवाही हो जायेगी और जो अस्वीकृत हुई है, उसको भी उसी समय देख लिया जायेगा।

प्रश्नोत्तर

अल्पसूचित तारांकित प्रश्न

पृथक उत्तरांचल राज्य के गठन की जानकारी

****।-श्री गोरखनाथ पाण्डेय-

क्या उत्तरांचल विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि पृथक उत्तरांचल राज्य के गठन और उसकी राजधानी हेतु स्थल चयन तथा अन्य प्रारम्भिक तैयारियां पूरी कर ली गयी हैं? यदि हां, तो उसका विवरण क्या है? यदि नहीं, तो क्यों?

उत्तरांचल विकास मंत्री (डा0 रमेश पोखरियाल "निशंक")

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

उत्तरांचल राज्य का विधेयक संसद से पारित हो जाने तथा तत्संबंधी अधिसूचना जारी होने के उपरान्त इस संबंध में कार्यवाही की जा सकेगी।

श्री गोरखनाथ पाण्डेय-

मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि मैंने पहला प्रश्न किया था कि क्या उत्तरांचल विकास मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि पृथक उत्तरांचल राज्य के गठन हेतु उसके राजधानी हेतु स्थल चयन तथा अन्य प्रारम्भिक तैयारियां पूरी कर ली गयी हैं, तो माननीय मंत्री जी ने इसका उत्तर दिया है कि जी नहीं। तो मान्यवर, दो वर्ष पहले प्रदेश के तत्कालीन महामहिम राज्यपाल श्री मोतीलाल बोरा जी के समय में राज्य सरकार ने उत्तरांचल में कार्य करने के लिए देहरादून और नैनीताल में सचिवालय के लोगों को भेजा गया था। क्या वह लोग अभी तक वहां पर कार्य कर रहे हैं या उनको वापस बुला लिया गया है?

डा0 रमेश पोखरियाल "निशंक"-

श्रीमान्, नैनीताल और देहरादून में जो सचिवालय हैं वह अभी भी दोनों स्थानों पर हैं और विधिवत काम वहां पर हो रहा है। दोनों स्थानों पर सम्बन्धित सचिव बैठते हैं।

श्री गोरखनाथ पाण्डेय-

मेरे अन्तिम प्रश्न के उत्तर में माननीय मंत्री जी ने उत्तर दिया है कि उत्तरांचल राज्य का विधेयक संसद में पारित हो जाने के उपरान्त इस सम्बन्ध में कार्यवाही की जा सकेगी, तो मैं जानना चाहता हूं कि संसद द्वारा उत्तरांचल का विधेयक पारित हो जाने के बाद राज्य सचिवालय की व्यवस्था वहां पर हो जायेगी या कोई अन्य योजना विचाराधीन है जिस पर कार्यवाही चल रही हो?

डा0 रमेश पोखरियाल "निशंक"-

संसद में विधेयक पास हो जाने की एक प्रक्रिया है और जब विधेयक पास हो जायेगा और अधिसूचना जारी हो जायेगी, तभी विधिवत् कोई कार्यवाही सम्भव होगी।

श्री लाखीराम जोशी-

मान्यवर, राज्य सरकार उत्तरांचल राज्य के निर्माण की दिशा में अग्रसर है तो मैं जानना चाहता हूं कि उत्तरांचल राज्य की राजधानी के स्थल के लिए क्या उनके पास कोई प्रस्ताव है और जो विधेयक केन्द्र सरकार में पेश किया गया है उसमें राजधानी के विषय में किसी स्थल का चयन किया गया है?

डा0 रमेश पोखरियल निशंक-

श्रीमान, राजधानी का जहां तक प्रश्न है जो विधेयक आया है उसमें भी यही उल्लेख है कि जब उत्तरांचल की सरकार बनेगी तो सरकार तय करेगी कि राजधानी कहां बनेगी। इससे पूर्व इस सम्बन्ध में जो कमेटी गठित की गई है उसमें जो भौगोलिक विद हैं, जो अर्थविद हैं और जो विशेषज्ञ हैं, वह राजधानी कहां बनेगी, इसके सम्बन्ध में सभी पहलुओं पर विचार करके तय करेगें कि राजधानी कहां बनेगी।

डा0 लक्ष्मी कान्त बाजपेयी-

मान्यवर, माननीय मंत्री जी ने अपने पहले प्रश्न के उत्तर में कहा है कि "जी नहीं" और अभी माननीय मंत्री जी ने श्री जोशी जी के अनुपूरक प्रश्न का उत्तर देते हुए कहा कि कमेटी में विचार होगा कि राजधानी कहां बनेगी तो फिर उत्तर में "जी नहीं" का वया औचित्य है?

श्री जगदम्बिका पाल-

मान्यवर, मंत्री जी ने प्रस्तावित उत्तरांचल राज्य की राजधानी के प्रति उत्तर दिया है। उत्तरांचल राज्य के शीघ्र गठन के लिए राज्य सरकार, केन्द्र सरकार के

समक्ष क्या प्रस्ताव रखेगी। यह मान्यवर इस विधान सभा से उत्तरांचल राज्य के गठन के लिए एक विधेयक पारित किया गया था जो कि अनन्तकाल के लिए केन्द्र सरकार के समक्ष लम्बित पड़ा हुआ है। मान्यवर, उत्तर प्रदेश सरकार अपना दृष्टिकोण प्रस्तुत करे कि वह उत्तरांचल गठन के सम्बन्ध में विधेयक देने के बाद क्या करेगी?

डा0 रमेश पोखरियाल निशंक-

श्रीमान, उत्तर प्रदेश सरकार ने तो लगातार अपना प्रयास जारी रखा है। मान्यवर जो विधेयक गृहमंत्री जी के यहां से आया था उस पर हमने अपनी संस्तुति भेज दी है अब उत्तर प्रदेश शासन के स्तर पर कुछ भी लम्बित नहीं है।

(श्री जगदम्बिका पाल उत्तर से असंतुष्ट होकर सदन त्याग कर चले गये।)

श्री मुन्ना चौहान-

श्रीमान अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि माननीय मंत्री जी ने तो श्री लाखी राम जोशी जी के अतारांकित प्रश्न के उत्तर में कहा कि विशेषज्ञों की एक समिति का गठन किया गया है, उसमें राजधानी के सम्बन्ध में क्या कोई निर्णय अभी लिया गया है? कुछ स्थानों के बारे में विचार तो हुआ ही होगा, ऐसा तो है नहीं कि हजारों स्थानों के बारे में विचार हुआ है, दो-चार ही स्थान के बारे में विचार हुआ होगा। वे कौन-कौन से स्थान है जिनके बारे में विचार किया गया है?

श्री अध्यक्ष-

क्या कमेटी की रिपोर्ट आ गई?

श्री मुन्ना चौहान-

मान्यवर मैं यही तो जानना चाह रहा हूं कि कौन-कौन से स्थानों को राजधानी बनाने पर विचार किया जा रहा है। दूसरी बात मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि जैसा कि अभी पाल साहब ने पूछा कि उत्तरांचल का मामला केन्द्र सरकार के पास विचाराधीन है। क्या उत्तर प्रदेश सरकार इस सम्बन्ध में प्रदेश विधान सभा के स्तर से हरिद्वार और ऊधमसिंह नगर के सम्बन्ध में कोई प्रस्ताव केन्द्र सरकार को प्रस्तुत करने की कृपा करेगी?

डा0 रमेश पोखरियाल निशंक-

जो समिति गठित की गई है उसके द्वारा राजधानी के सम्बन्ध में जो सुझाव दिये हैं उसका प्ररूप भी तैयार किया जायेगा और जहां तक दूसरा प्रश्न है उसके सम्बन्ध में केन्द्र सरकार पुनः इसको लोक सभा में प्रस्तुत करने हेतु भेज देगी।

श्री लाखी राम जोशी-

मान्यवर, मंत्री जी ने बताया कि नैनीताल और देहरादून में मिनी सचिवालय काम कर

रहे हैं। मान्यवर, उत्तरांचल में 12 जिले हैं। माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूं, जैसा कि उसमें कुछ सुझाव आए है? सुझाव यह हैं कि 6 महीने नैनीताल में रखा जाए और 6 महीने देहरादून में रखा जाए। मैं चाहता हूं कि एक-एक महीने के लिए सभी जिलों में राजधानी तय कर दी जाए तो शायद ज्यादा अच्छा हो।

डा0 लक्ष्मी कान्त बाजपेयी-

मान्यवर, मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि उत्तरांचल राज्य के गठन में कितनी पंचवर्षीय योजनाएं लगेंगी?

डा0 रमेश पोखरियाल "निशंक"-

मान्यवर, यह पहली सरकार है जो दृढ़ शक्ति रखती है। उत्तरांचल राज्य के गठन की संस्तुति करके केन्द्र सरकार को भेज चुकी है। इस सरकार में इच्छा शक्ति है, हर दृष्टि से, सक्षम तरीके से यह सरकार उत्तरांचल के गठन के लिए कटिबद्ध है।

लखनऊ महानगर की भांति अन्य महानगरों से टैम्पों हटाये जाने की मांग

**2-डा0 सरजीत सिंह डंग-

क्या परिवहन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि इलाहाबाद उच्च न्यायालय के आदेशानुसार अगले 6 माह में टैम्पो लखनऊ नगर क्षेत्र से बाहर कर दिये जायेंगे? यदि हां, तो क्या उक्त आदेश को अन्य महानगरों में भी लागू किया जायेगा? यदि हां, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?

आबकारी एवं मद्य निषेध मंत्री (श्री सूर्य प्रताप शाही)-

जी हां।

माननीय उच्च न्यायालय के आदेश के अनुपालन के दृष्टिगत सम्बन्धित अधिकारियों द्वारा कार्यवाही की जा रही है।

अन्य महानगरों में वहां की स्थानीय परिस्थितियों के दृष्टिगत रखते हुए यथासमय विचार किया जायेगा।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

डा0 सरजीत सिंह डंग-

मान्यवर, प्रश्न के उत्तर में आया है कि उच्च न्यायालय के आदेश के अनुपालन में सम्बन्धित अधिकारियों द्वारा कार्यवाही की जा रही है। मान्यवर, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि आदेश किस दिनांक का है और अब तक कितना समय बीत चुका है और क्या कार्यवाही हुई है? दूसरा मान्यवर, जो उत्तर आया है कि वहां की स्थानीय परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए

विचार किया जायेगा । मान्यवर, सम्भव है कि माननीय उच्च न्यायालय का जो आदेश है वह पर्यावरण के प्रदूषण के सम्बन्ध में और टैम्पों से जो प्रदूषण फैल रहा है, उसके सम्बन्ध में है । मैं जानना चाहता हूं कि लखनऊ में प्रदूषण के वैज्ञानिक मापदण्ड क्या हैं, आप बतायें तथा कानपुर और गोरखपुर में क्या स्थिति है ?

श्री अध्यक्ष-

प्रदूषण के बारे में माननीय पर्यावरण मंत्री से तो आप प्रश्न पूछ सकते हैं । माननीय मंत्री जी ने बताया कि माननीय उच्च न्यायालय के आदेश के अनुपालन हेतु सम्बन्धित अधिकारियों द्वारा कार्यवाही की जा रही है । दूसरे मामले में यथासमय विचार किया जायेगा और वह टैम्पो के बारे में है । पर्यावरण के बारे में तो दूसरा मंत्रालय है ।

श्री सूर्य प्रताप शाही-

माननीय उच्च न्यायालय के आदेश 21 जनवरी, 1999 को हुए हैं । उन्होंने अपने आदेश में यह निर्देश दिया कि 6 माह के भीतर विक्रम टैम्पो को लखनऊ नगर की सीमा से बाहर कर दिया जाय । मान्यवर, इस सम्बन्ध में शासन स्तर पर विचार किया गया । मुख्य सचिव की अध्यक्षता में 9 फरवरी, 99 को एक बैठक हुई जिसमें दो स्टीयरिंग कमेटियों को बनाया गया है । वह इस बात पर विचार करेगी कि अन्य नगरों और वहां की परिस्थिति के अनुसार क्या व्यवस्था एडाप्ट की जाये ।

डा0 सरजीत सिंह डंग-

मान्यवर, मेरा दूसरा प्रश्न है कि क्या जब माननीय उच्च न्यायाल प्रत्येक नगर के लिये आदेश देगा तभी आप वहां से टैम्पों हटायेंगे ? अगला प्रश्न है कि जब आप टैम्पों हटायेंगे तो टैम्पों चालकों के पुनर्वासन के लिये क्या योजना बना रहे हैं ?

श्री सूर्य प्रताप शाही-

मान्यवर, लखनऊ महानगर के भीतर यातायात की सुविधा बनाये रखने की दृष्टि से और पर्यावरण को सुरक्षित रखते हुये टैम्पों संचालन पर प्रतिबंध लगाया गया है । पहले भी यह प्रयास किया गया था ।

डा0 सरजीत सिंह डंग-

मान्यवर, मैंने पूछा है कि क्या उच्च न्यायालय जब सभी नगरों के लिये एक-एक करके आदेश देगा तभी आप वहां से टैम्पों हटायेगें । दूसरे टैम्पों चालकों के पुनर्वासन के लिये क्या व्यवस्था की जा रही है ?

श्री सूर्य प्रताप शाही-

मान्यवर, पर्यावरण के सम्बन्ध में माननीय उच्च न्यायालय ने आदेश दिया था और उसमें लखनऊ के विभिन्न स्थानों पर परीक्षण करवाया गया था और यह पाया

गया था कि लखनऊ में सस्पेंडेड पार्टिकिल्स मानकों से अधिक शहर के भीतर पाये गये थे और इस नाते टैम्पों के सन्दर्भ में निर्णय दिया गया था। जहां तक अन्य नगरों का सम्बन्ध है, समय-समय पर निरीक्षण किया जाता है कि क्या स्थिति है, तदनुसार कार्यवाही की जायेगी।

डा0 सरजीत सिंह डंग-

मान्यवर, क्या लखनऊ महानगर के निवासियों का स्वास्थ्य ग्रामीण क्षेत्रों के निवासियों से ज्यादा महत्वपूर्ण है जो यह टैम्पों ग्रामीण क्षेत्रों में भेजे जा रहे हैं?

श्री अध्यक्ष-

ग्रामीण क्षेत्र में हरियाली ज्यादा है, खुला क्षेत्र ज्यादा है।

डा0 सरजीत सिंह डंग-

मान्यवर, आपकी कृपा मंत्री जी पर ज्यादा है। मंत्री जी ने बताया कि लखनऊ में सस्पेंडेड पार्टिकिल्स ज्यादा हैं। तो गोरखपुर, बनारस, आगरा, देहरादून में सस्पेंडेड पार्टिकिल्स की क्या स्थिति है? वहां पर क्या व्यवस्था की जायगी?

श्री अध्यक्ष-

इसका उत्तर आ गया कि यथा समय विचार किया जायगा।

श्री समरपाल सिंह-

मान्यवर, मंत्री जी ने बताया कि माननीय इलाहाबाद, उच्च न्यायालय के निर्णय के अनुसार टैम्पों को लखनऊ शहर से बाहर किये जाने पर विचार किया जा रहा है। लखनऊ में यातायात की समस्या को देखते हुये, यहां 90 प्रतिशत टैम्पों के माध्यम से एक जगह से दूसरे जगह पर लोग जाते हैं। मैं जानना चाहता हूं कि टैम्पों को लखनऊ से बाहर किये जाने पर यहां के लोगों को आवागमन की सुविधा देने के लिये क्या व्यवस्था कर रहे हैं?

श्री सूर्य प्रताप शाही-

मान्यवर इस बात की व्यवस्था की जा रही है कि बस मालिकों से प्रयास करके नगर बसें संचालित की जाय, दूसरे 9 फरवरी, 99 को मुख्य सचिव की अध्यक्षता में एक बैठक हुयी जिसमें सरकुलर ट्रेन और मेट्रो ट्रेन संचालित करने के लिए 2 स्टीयरिंग कमेटी बनायी गयी हैं।

एक तो लखनऊ महानगर के लिए दूसरी कानपुर महानगर के लिए, इस संदर्भ में वह कमेटी अध्ययन कर रही है। वह वैकल्पिक व्यवस्थाओं के लिए सुझाव देगी तद्नुरूप कार्यवाही की जाएगी।

डा0 सरजीत सिंह डंग-

सर्कुलर ट्रेन और मेट्रो ट्रेन के लिए कितने धन की आवश्यकता होगी और

कितने वर्षों में पूरी होगी ? आदेश तो 6 महीने में बाहर करने के हैं । इसमें कितने धन की आवश्यकता होगी और कितना समय लगेगा ? जिन योजनाओं के बारे में मंत्री जी ने जानकारी दी ।

श्री अध्यक्ष-

अभी तो यह विचार स्तर पर है । अभी रिपोर्ट ही नहीं आई ।

श्री जगदम्बिका पाल-

मंत्री जी ने अपने उत्तर में स्वीकार किया है कि लखनऊ में बढ़ती हुई जनसंख्या के आवागमन आवश्यकताओं को देखते हुए परिवहन के साथ-साथ मेट्रो रेल चलाने की योजना प्रस्तावित है । इस सम्बन्ध में भारत सरकार द्वारा कोई राइस की सर्वे रिपोर्ट यहां संदर्भित हो चुकी है । इस सर्वे रिर्पोट में डिटेल प्रोजक्ट रिपोर्ट बनाने की समय सीमा निर्धारित की गई थी । इस सम्बन्ध में वह डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट कब तक पूरी हो जाएगी और क्या भारत के जो सबसे ज्यादा प्रदूषित शहर हैं पांच महानगर उनमें लखनऊ और कानपुर भी आता है ? इसलिए कानपुर या अन्य महानगरों के प्रदूषण दूर करने की क्या व्यवस्था करेंगें ?

श्री सूर्य प्रताप शाही-

राइस की रिपोर्ट प्राप्त हुई है । इस सम्बन्ध में स्टियरिंग कमेटी का गठन किया गया है । उसमें रेलवे के दो अधिकारी होंगे, लोक निर्माण विभाग का एक अधिकारी रखा है, नगर विकास का एक अधिकारी रखा है । सम्बन्धित जिला मजिस्ट्रेट को और विकास प्राधिकरणों के उपाध्यक्ष यह सब इस बात का अध्ययन करेंगे कि राइस रिपोर्ट भेजी है उसमें क्या कार्यवाही कर सकते हैं । इसका परीक्षण किया जा रहा है ।

तारांकित प्रश्न

जनपद मैनपुरी में उत्तराधिकार एवं ट्रांसफर के आधार पर आग्नेयास्त्रों के लाइसेंस के लम्बित मामलों की जानकारी

*1. -श्री राम औतार शाक्य-

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि प्रदेश में आग्नेयास्त्रों का लाइसेंस निर्गत करने की कोई नीति निर्धारित की गयी है ? यदि हां, तो वह क्या है ? क्या सरकार उत्तराधिकार अथवा ट्रांस्फर के आधार पर निर्गत किये जाने वाले लाइसेंसों में कोई शिथिलता प्रदान करेगी ? मैंनपुरी जनपद में उत्तराधिकार एवं ट्रांसफर के आधार पर अग्नेयास्त्रों के लाइसेंस प्राप्त करने हेतु कितने प्रार्थना-पत्र जिलाधिकारी कार्यालय में लम्बित हैं ?

संसदीय कार्य, पंजीयन, मनोरंजन कर, स्टाम्प एवं न्यायालय शुल्क तथा खाद्य एवं रसद मंत्री (श्री हुकुम सिंह)-

प्रदेश में लाइसेंस निर्गत किये जाने के संबंध में आयुध अधिनियम 1959 एवं आयुध नियमावली 1962 के सुसंगत प्राविधानों के अन्तर्गत कार्यवाही की जाती है। यह अधिनियम एवं नियमावली केन्द्रीय विधान है जो पूरे देश में लागू है। अग्नेयास्त्रों के लाइसेंसिंग प्राधिकार उक्त नियमावली के अनुसार सीधे जिला मजिस्ट्रेट में निहित हैं। आयुध अधिनियम की धारा-13 के प्राविधानों के अन्तर्गत प्रक्रिया का पालन करते हुए अग्नेयास्त्र लाइसेंस जारी किये जाते हैं।

ऐसे मामलों में राज्य सरकार द्वारा किसी प्रकार की शिथिलता प्रदान किया जाना संभव नहीं है क्योंकि लाइसेंस निर्गत करने की कार्यवाही आयुध अधिनियम एवं नियमावली के अन्तर्गत की जाती है जो कि केन्द्रीय विधान है।

मैनपुरी जनपद में उत्तराधिकार के 57 एवं हस्तान्तरण के 27 मामले लम्बित हैं।

श्री राम औतार शाक्य-

मान्यवर, यह आग्नेयास्त्रों पर लाइसेंस निर्गत करने का प्रस्ताव यह संवेदनशील प्रस्ताव है। लाइसेंस एक तो फ्रेश होते हैं दूसरे ट्रांसफर या सक्सेशन के लाइसेंस होते हैं। उनकी संख्या नहीं बढ़ती फ्रेश लाइसेंस की संख्या बढ़ती है। अभी संसदीय कार्यमंत्री जी ने यहां पर सदन में घोषणा की थी कि लाइसेंस से सम्बन्धित एप्लीकेशन का तीन माह में निस्तारण हो जाएगा। पूरे सदन की इसमें आम राय थी कि इसमें अनावश्यक विलम्ब होता है। थाने स्तर पर, तहसील स्तर पर, एस0एस0पी0 के यहां और जिलाधिकारी के यहां इसी लिए यह घोषणा की गई थी कि निस्तारण तीन महीने में हो जाएगा चाहे निगेटिव या पाजिटिव में, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। एक व्यक्ति ने दरखास्त दी थी एक साल पूर्व और एक व्यक्ति ने दरखास्त दो दिन पूर्व दी तो एक दो दिन पूर्व वाले का तो बन गया लेकिन एक साल पूर्व वाले का नहीं बना।

श्री अध्यक्ष-

सीधा प्रश्न करिए।

श्री राम औतार शाक्य-

तो क्या आपने जो घोषणा की है उस के अनुरूप जिलाधिकारियों को आदेश निर्गत किए हैं? क्या इसका अनुपालन सुनिश्चित कर लिया है? क्या इसकी जानकारी है?

श्री हुकुम सिंह-

मान्यवर, शिकायतें बहुत आ रही थी और बहुत बड़ी संख्या में प्रार्थना-पत्र लम्बित हो रहे थे, वह संख्या न बढ़े और आम नागरिक को कोई शिकायत न हो,

इसी वजह से एक शासनादेश 3 जून, 1998 को जारी किया गया, जिसमें जिले के अधिकारियों को मार्ग-दर्शक के रूप में बताया गया कि वह 3 महीने के अन्दर प्रार्थना-पत्रों का निस्तारण जरूर कर लें। परन्तु कभी-कभी संख्या बहुत बढ़ जाती है, मैं मानता हूं कि कहीं नहीं हो पाया होगा, परन्तु प्रयास हो रहा है कि 3 महीने के अन्दर निस्तारित हो जाने चाहिए।

कुंवर रेवती रमण सिंह-

मान्यवर, शासन ने एक शासनादेश जारी कर दिया कि 3 महीने के अन्दर निस्तारित हो जाना चाहिए परन्तु होता यह है कि 3 महीने के अन्दर प्रार्थना-पत्रों का निस्तारण नहीं हो पाता है। जब 6 महीने बीत जाते हैं तो उस पर जिलाधिकारी फिर से पुलिस से रिपोर्ट मंगवाते हैं। इस प्रकार एक ऐसा चक्कर चलता है कि एक लाइसेन्स लेने के लिए आम आदमी को केवल भाग-दौड़ में ही कम से कम 20 हजार रुपये खर्च करने पड़ते हैं तो क्या माननीय मंत्री जी इसका सरलीकरण करने के लिए कोई ऐसी व्यवस्था करेंगे कि जब एक बार रिपोर्ट आ गयी तो उस पर दुबारा रिपोर्ट न मंगवायी जाय और लाइसेन्स जारी कर दिया जाय?

श्री हुकुम सिंह-

मान्यवर, इसमें एक स्थानीय कठिनाई है। कठिनाई यह है कि 6 महीने के बाद पुलिस से जो रिपोर्ट आती है उसमें यह देखा जाता है कि पुलिस रिकार्ड में कोई उसके खिलाफ कार्यवाही तो नहीं है, कहीं वह कोई अपराधी तो नहीं है या उसने कोई अपराध तो नहीं किया है। 6 महीने की अवधि बीत जाने के बाद रिपोर्ट इसलिए मंगवायी जाती है कि कहीं इस बीच उस व्यक्ति विशेष का कोई अपराधिक कृत्य तो नहीं है या उसके खिलाफ कोई कार्यवाही तो नहीं चल रही है जिसके कारण वह अपनी पात्रता खो चुका हो। इसलिए मान्यवर भेजी जाती है।

श्री अम्बिका चौधरी-

मान्यवर, मूल प्रश्न के प्रथम भाग में माननीय मंत्री जी ने कह दिया कि आर्म्स ऐक्ट के अन्तर्गत यह कार्यवाही होती है और एक शासनादेश जारी कर दिया। मान्यवर, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि जब से यह शासनादेश जारी हुआ है, तीन महीनों के अन्दर निस्तारित होने वाले प्रार्थना-पत्रों का प्रतिशत कितना बढ़ा है?

श्री हुकुम सिंह-

मान्यवर, जहां तक संख्या का प्रतिशत का सवाल है, इस प्रश्न का जो तीसरा भाग है, वह एक जनपद विशेष के बारे में है। उसके बारे में मेरे पास जानकारी है। पूरे प्रदेश में कितने प्रतिशत निस्तारित हुआ है, इसका उत्तर इस समय देना सम्भव नहीं हो पायेगा। यह सही है कि बहुत लम्बी सूची कई जनपदों में थी।

यह संख्या स्थायी भी नहीं होती है घटती और बढ़ती भी रहती है। मैनपुरी जनपद की सूचना मेरे पास है, इसे मैं बता सकता हूं।

श्री अध्यक्ष-

दूसरे जनपदों की सूचना माननीय मंत्री जी के पास नहीं है।

श्री अम्बिका चौधरी-

मान्यवर, माननीय मंत्री जी ने मूल प्रश्न का उत्तर भी स्पष्ट नहीं दिया। मैं माननीय मंत्री जी को यह बताना चाहता हूं कि जो शासनादेश जारी किया गया है, उसके अनुसार जनपदों में प्रार्थना-पत्रों का निस्तारण नहीं हो रहा है, इसकी आप जांच करवा लें दूसरा, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि जो यह गोपनीय आदेश जारी किये गये हैं कि समाजवादी पार्टी के लोगों की जो लाईसेन्स की दरख्वास्तें हैं, उन पर विचार ही न किया जाय यदि इस प्रकार के गोपनीय आदेश जारी कर रखे हैं तो क्या उस आदेश को तत्काल मंत्री जी वापस लेने की कृपा करेंगे और समानता के आधार पर, बाकी शर्तें पूरी होती हों तो उन्हें भी लाईसेन्स निर्गत करने की कृपा करेंगे?

श्री हुकुम सिंह-

मान्यवर, इस प्रकार का कोई भी गोपनीय आदेश नहीं है कि समाजवादी पार्टी के लोगों को लाईसेन्स न दिये जांय। समानता के आधार पर पूरे प्रदेश में लाइसेन्स निर्गत किये जा रहे हैं। माननीय सदस्य का आरोप निर्मूल है और उसका कोई आधार नहीं है।

श्री राम प्यारे सिंह-

बहुत से प्रदेश में ऐसे लोग हैं जिनकी उम्र 80, 85, 90 साल हो गयी है और बहुत से ऐसे हैं जिनकी मृत्यु हो चुकी है। उनके प्रार्थना-पत्र जिन पर पुलिस की भी रिपोर्ट आ चुकी है और तहसील की भी रिपोर्ट जा चुकी है, मैं माननीय मंत्री जी से इस सम्बन्ध में यह जानना चाहता हूं कि ऐसे लोग जिनका विरासत का सवाल है, ऐसे लोगों को विशेष अभियान चलाकर उनको लाइसेंस । सप्ताह, 2 सप्ताह के अन्दर निर्गत करने का कार्य करेंगे?

श्री हुकुम सिंह-

इस बारे में पहले ही आदेश दिये गये हैं कि एक महीने के अन्दर हस्तान्तरण और विरासत वाले मामलों का निस्तारण करने का प्रयास करेंगे।

श्री जगदम्बिका पाल-

मान्यवर, माननीय मंत्री जी ने स्वीकार किया है कि इस तरह के प्रार्थना-पत्रों की सूची लम्बी है। सामान्यतया इस प्रकार की परिस्थितियां उत्पन्न हो रही हैं कि शासनादेश होने के बाद भी उसका अनुपालन नहीं किया जा रहा है। क्या माननीय

मंत्री जी कोई ऐसी समिति बनायेंगे शासन स्तर पर जो इस तरह के कार्य को देखे के शासनादेश होने के बावजूद भी तीन महीने के अन्दर कार्यवाही क्यों नहीं हो रही है? पूरे प्रदेश में इस तरह की कठिनाइयां मंत्री और जन प्रतिनिधियों के सामने आती है। बार-बार कहने के बाद ऐसे लोग जो इनकम टैक्स पेई हैं, डाक्टर हैं, अधिवक्ता हैं उनको लाइसेंस नहीं मिल पाता है और कितने चक्कर काटने पड़ते हैं। इस सम्बन्ध में कोई समिति बनायेंगे?

श्री हुकुम सिंह-

समिति बनाने की कोई आवश्यकता नहीं है। शासन स्तर पर हम समीक्षा करते रहते हैं। समीक्षा करने के बाद जो स्थिति सामने आई है वह सन्तोषजनक है।

श्री राम चन्द्र यादव-

मान्यवर, क्या प्रदेश में जिनके घरों में डकैती पड़ी है या जो लोग डकैतों का मुकाबला करते हुए मारे गये हैं, उनके लिये सरकार अलग से नीति बनाकर प्रोत्साहित करेगी, या मदद करने के तौर पर लाइसेंस की नीति बनायेगी?

श्री अध्यक्ष-

जो नीति है उसमें इस तरह का प्राविधान है।

श्री राम चन्द्र यादव-

मेरे जनपद फैजाबाद में एक दर्जन लोग डकैती में मारे गये हैं। इस सम्बन्ध में लिखकर दिया गया है लेकिन अभी तक कोई प्रभावी कार्यवाही नहीं की गई है। जो डकैतों से मुकाबला करते हुए मारे गये हैं...

श्री अध्यक्ष-

इसको अलग से लिखकर माननीय संसदीय कार्य मंत्री को ध्यान आकृष्ट कराते हुए दे दें।

श्री श्याम देव राय चौधरी-

यह सही है मान्यवर, कि पहले नियम बहुत कठोर थे और वर्तमान सरकार ने उसको काफी सरल कर दिया है और कठिनाई काफी हद तक हल हो गयी है। आपके माध्यम से माननीय संसदीय कार्य मंत्री से यह पूछना चाहता हूं कि यह जो नियम लागू किया गया है कि तीन महीने में निचले स्तर पर जो अनुशंसा है, कर दी जाय। वह कर दी गई लेकिन फिर भी सारी अनुशंसा के साथ अनापत्ति के साथ जिलाधिकारी स्तर पर जाकर वहां रुका रहता है। क्या सरकार ऐसा नियम लागू करने पर विचार करेगी कि निचले स्तर पर सब कार्यवाही हो जाने के बाद वह जिलाधिकारी सतर पर क्यों रुका रहता है?

श्री हुकुम सिंह-

मान्यवर, एक अधिनियम के तहत सारी कार्यवाही चलती है। यह केन्द्र सरकार द्वारा उसमें मार्ग निर्देशन, नीति आदि दिया गया है। डी0 एम0 को उसी के अन्तर्गत अधिकार दिया गया है प्रदेश सरकार ने नहीं दिया है। वह मोनीटरिंग करती है और उसी के आधार पर जिलाधिकारी को कहा जाता है कि इनको शीघ्र निस्तारित करें। आपने जो कहा पुलिस से रिपोर्ट आने के बाद में निचले स्तर से, रिपोर्ट का बाद में क्या औचित्य रह जाता है। मैं इसको मानता हूं जिस गति से प्रार्थना-पत्रों की संख्या बढ़ी है उस गति से निस्तारण नहीं हो रहा है यह शिकायत आई थी। आपको जानकारी होगी कुछ समय पूर्व एक-दो जनपद तक ही इसको सीमित कर दिया गया था, कि कुछ ही जनपदों में दिये जायेंगे लेकिन समता भाव से बनाने के लिए सारे प्रदेश में नीति लागू करने के लिए यह आगाह किया गया अधिकारियों को, कि प्रदेश सरकार समान व्यवहार करके, समता का व्यवहार करके लाइसेंस की निति एक रहेगी पहले जो नीति थी उसमें दुराग्रह पूर्ण इस्तेमाल किया जा रहा था उसको दूर करने की कार्यवाही की गई।

श्री आर0 के0 सिंह पटेल-

क्या सरकार शासनादेश जारी करने पर आरक्षण देने पर विचार करेगी?

श्री अध्यक्ष-

आप सरकार से पूछ रहे हैं पूछवा लेते हैं। वैसे केन्द्रीय अधिनियम है पहले आ गया है।

श्री आर0 के0 सिंह0 पटेल-

पहली बात तो मैंने पूछी आरक्षण पर विचार किया जा रहा है दूसरी बात बाहर के प्रान्तों से लोग उत्तर प्रदेश में आकर के लाइसेंस जारी करा रहे हैं तो आपराधिक इतिहास के लोगों ने जो लाइसेंस जारी कराये हैं उनको निलम्बित किया जाएगा?

श्री हुकुम सिंह-

यह सही है कि बाहर से लोग आपराधिक लोग लाइसेंस बनवा लाए हैं उससे खतरा है इसमें राज्य सरकार ने स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि ऐसे लाइसेंस जो बाहर से बने हैं उसमें जांच कराई जाए उसको देखा जाए इसका परीक्षण करा रहे हैं।

प्रदेश के बड़े शहरों में बढ़ रहे वायु एवं जल प्रदूषण को रोकने हेतु कार्यवाही की मांग

*2-कुं0 रेवती रमण सिंह-

क्या पर्यावरण मंत्री को जानकारी है कि खासतौर से बड़े शहरों में वायु प्रदूषण एवं जल-प्रदूषण में लगातार वृद्धि हो रही है और जहरीली गैसों के कारण

कई तरह की गम्भीर बीमारियों से लोग ग्रसित हो रहे हैं ? क्या उसे रोकने में अभी तक ठीक ढंग से कोई कार्यवाही नहीं हो पा रही है ? यदि हां, तो क्या सरकार नये कारगर कानून बनाने पर विचार करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

पर्यावरण एवं वैकल्पिक उर्जा मंत्री (श्री बच्चा पाठक)-

प्रदेश के बड़े शहरों में वायु एवं जल प्रदूषण की समस्या विद्यमान है ।

जी नहीं ।

बड़े शहरों में वायु प्रदूषण रोकने के लिए औद्योगिक इकाईयों के उत्सर्जन का नियमित रूप से अनुश्रवण किया जा रहा है तथा वाहन जनित प्रदूषण को रोकने के लिए नियमित रूप से चेकिंग की जाती है । जल प्रदूषण को रोकने के लिए भी समुचित कार्यवाही की जा रही है ।

जी नहीं ।

जल एवं वायु प्रदूषण को रोकने के लिए समुचित प्राविधान उपलब्ध है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

कुंवर रेवती रमण सिंह-

माननीय अध्यक्ष जी, माननीय मंत्री जी का जबाव देंखे, यह कहते हैं कि "प्रदेश के बड़े शहरों में वायु एवं जल प्रदूषण की समस्या विद्यमान है ।" मैंने निदान के बारे में पूछा है यह क्या निदान कर रहे हैं ?

इन्होंने कहा है कि "बड़े शहरों में वायु प्रदूषण रोकने के लिए औद्योगिक इकाइयों के उत्सर्जन का नियमित रूप से अनुश्रवण किया जा रहा है तथा वाहन जनित प्रदूषण को रोकने के लिए नियमित रूप से चेकिंग की जाती है ।" मान्यवर, लखनऊ शहर में वायु प्रदूषण है भारत के पांच प्रदूषित शहर में एक शहर लखनऊ है आपके चेकिंग कराने से यह नियमित नहीं हो पा रहा है मैं जानना चाहता हूं गोमती नदी का पानी प्रदूषित है उसका प्रदूषण दूर करने के लिए क्या समुचित कार्यवाही की है जो चेकिंग की अनुश्रवण की बात कही है यह दूर नहीं हो पा रहा है । वायु प्रदूषण और जल प्रदूषण को तत्काल दूर किया जा सके इसके लिए आप क्या कार्यवाही कर रहें हैं ?

श्री बच्चा पाठक-

मान्यवर, जल प्रदूषण को रोकने के लिए प्रत्येक औद्योगिक इकाइयों में संयंत्र लगे हैं जिसके माध्यम से हम उसको रोकते हैं । वायु प्रदूषण के लिए अधिकतर यह टैम्पों के माध्यम से शहरों में होता है, जिसके लिए व्यवस्था की गयी है और

परिवहन विभाग द्वारा चैकिंग की जा रही है। उसी के माध्यम से प्रदूषण को रोकने के लिए यह कर रहे हैं।

कुंवर रेवती रमण सिंह-

(हंसी)

मान्यवर, माननीय मंत्री जी अपने विवेक का इस्तेमाल नहीं कर रहें हैं। जो यह लिखकर लाये हैं उसे ही पढ़कर सुना रहे हैं। मैंने इनसे पूछा था कि वायु प्रदूषण में कौन-कौन सी जहरीली गैसें हैं जो अनुमन्य हैं उससे कितनी ज्यादा गैसे निकल रही है, उसका नाम बता दें और दूसरा जो गोमती नदी में पानी प्रदूषित हो रहा है वह पानी पीने योग्य नहीं रह गया है। आप उत्तर दे रहे हैं कि हम चेकिंग करा रहे हैं?

श्री बच्चा पाठक-

मान्यवर, वायु प्रदूषण शहरों में टैम्पों के माध्यम से होता है। जो औद्योगिक इकाइयां हैं उसके लिए हमने चिमनियों की व्यवस्था की है। लखनऊ में गोमती नगर के माध्यम से हो रहा है। इसके लिए अनुश्रवण किया जा रहा है। जो लखनऊ के अन्दर औद्योगिक इकाइयां हैं उसमें वायु प्रदूषण को रोकने के लिए हम कार्यवाही कर रहे हैं।

(हंसी)

कुंवर रेवती रमण सिंह-

मान्यवर, मैंने इनसे पूछा है कि वायु प्रदूषण में कौन-कौन सी जहरीली गैसें हैं जो अनुमन्य है उससे ज्यादा गैस निकल रही है उससे वायु प्रदूषण हो रहा है? इससे गम्भीर बीमारियां हो रहीं हैं जैसे सांस की बीमारी, ब्लड प्रेशर, अस्थमा, कैन्सर इत्यादि दूसरा हम गोमती नदी के बारे में पूछ रहे हैं और यह गोमती नगर के बारे में बता रहे हैं।

श्री बच्चा पाठक-

मान्यवर, माननीय सदस्य गोमती नगर की बात कर रहे हैं तो यह गोमती नदी के किनारे बसा है। उसमें ज्यादातर जल प्रदूषण का मामला है।

(इस समय 11 बजकर 45 मिनट पर अधिष्ठाता डा0 सरजीत सिंह डंग पीठासीन हुये) इस तरह से गोमती नगर के अन्दर गोमती नदी है उसमें जल पर्यावरण को रोकने के लिये यहां पर जो बी0 ओ0 डी0 है वह तीन की तुलना में 1.8 है। एम0 पी0 ए0 पांच सौ की जगह एक हजार हो गया है। तो इस तरह से गोमती नदी में जो सबसे ज्यादा जल प्रदूषण हो रहा है। आज विकास प्राधिकरण के माध्यम से एक बहुत बड़ी योजना तैयार की जा रही है जो भारत सरकार की अनुमति मिलने के बाद इस योजना के माध्यम से हम रोकने का कार्य करेंगे।

श्री अम्बरीष कुमार-

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से माननीय मंत्री जी से जानकारी चाहता हूं कि जो

शहरों में उत्तर प्रदेश के, खासतौर से राजधानी लखनऊ में जल प्रदूषण हैं जिसके कारण आज यहां पर पीलीया, हैप्पीटाइटिस-बी रोग फैल रहे हैं और इस प्रदूषण को रोकने के लिए प्रदूषण नियंत्रण कानून के अन्तर्गत जो जिम्मेदार लोग हैं उनके विरुद्ध क्या कोई कार्यवाही माननीय मंत्री जी द्वारा की जा रही है ?

श्री बच्चा पाठक-

मान्यवर, जैसा कि मैंने बताया कि जिन लोगों के माध्यम से यह प्रदूषण हमें मिलता है उन पर सख्त से सख्त कार्यवाही की जाए इस पर हमारा ध्यान है।

श्री अधिष्ठाता-

जो प्रश्न है वह है जल प्रदूषण से जो पीलिया रोग फैला है उसमें जांच कराने के लिए कोई नियमित कार्यक्रम है विभाग का ?

श्री बच्चा पाठक-

मान्यवर, प्रत्येक नदियों का अनुश्रवण किया जा रहा है। हमारी गंगा योजना है कई जगहों पर मान्यवर केन्द्र सरकार की योजना है, मान्यवर उसकी स्वीकृति होने के बाद तुरन्त कार्यवाही होगी।

श्री अम्बरीष कुमार-

मान्यवर, मेरा प्रश्न था कि इस जल प्रदूषण के लिए जो अधिकारी जिम्मेदार पाये गये होंगे उनके विरुद्ध प्रदूषण नियन्त्रण कानून के अन्तर्गत क्या कार्यवाही की गई है और दूसरे क्या बड़े शहरों में जल प्रदूषण के परीक्षण की नियमित प्रक्रिया है ?

श्री बच्चा पाठक-

मान्यवर, मैंने बताया कि सभी नदियों का अनुश्रवण किया जा रहा है। लखनऊ में हजरतगंज व्यवसायिक महानगर तथा तालकटोरा में इन जल प्रवाहों के लिए अनुश्रवण किया जा रहा है। कानपुर में किदवई नगर औद्योगिक क्षेत्र तथा गिट्टी पड़ाव में भी परीक्षण किया जा रहा है, वांराणसी में अनुश्रवण कार्य किया जा रहा है जवाहर नगर में। मान्यवर, सभी शहरों में इस प्रदूषण को रोकने के लिए कार्यवाही की जा रही है।

कुंवर रेवती रमण सिंह-

मान्यवर, वायु प्रदूषण में कौन-कौन सी गैसें निकल रही हैं। जिससे लोगों के शरीर पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है। कोई ऐसा कारगर कानून सरकार बनायेगी जिससे उन पर नियन्त्रण किया जा सके और लोगों की स्वास्थ्य रक्षा हो सके ?

श्री बच्चा पाठक-

मान्यवर, वायु प्रदूषण रोकने के लिए हमारे कायदे-कानून बने हुये हैं। 1971 और 1993 में प्रदेश सरकार द्वारा इसमें प्रावधान भी किये गये हैं। उसके अनुसार कोई भी जल प्रवाह करने में असफल रहता है उसके खिलाफ हम कार्यवाही करेगें।

कुंवर रेवती रमण सिंह-

मान्यवर, मंत्री जी ने मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं दिया है। मैं जानना चाहता हूं कि कौन-कौन ऐसी जहरीली गैसें हैं जिनका मानव शरीर पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है?

श्री अधिष्ठाता-

माननीय मंत्री जी, माननीय सदस्य ने जो पूछा है उसमें बता दें कि कौन सी ऐसी गैसें हैं जिनका मानव शरीर पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है?

श्री बच्चा पाठक-

मान्यवर, अधिकांश शहरों में टैम्पों के माध्यम से वायु प्रदूषण होता है। दूसरी बात जो औद्योगिक इकाइयां है उनसे जो धुआं निकलता है और जल प्रदूषण के माध्यम से मानव शरीर पर असर होता है और इसमें नाइट्रोजन गैस आती है।

श्री अधिष्ठाता-

तारांकित प्रश्न संख्या-3, श्री अम्बरीष कुमार।

(व्यवधान)

माननीय सदस्य एक साथ न बोलें और मैं अब आगे बढ़ गया हूं और प्रश्न संख्या-3 पुकार लिया है इस लिए आप लोग बैठ जायं।

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल (ऊर्जा मंत्री)-

मान्यवर, नाइट्रोजन का हवा में होना मुख्य कारण है। शहरों में बसों और टैम्पों से प्रदूषण होता है जिसके लिए सरकार सख्त कदम उठा रही है। माननीय उच्च न्यायालय ने इस सम्बन्ध में आदेश दिया जिसका सरकार पालन कर रही है।

पर्यावरण की समस्या के निराकरण हेतु हरियाणा की भांति अलग न्यायालय स्थापित करने की जानकारी

*3-अम्बरीष कुमार-

क्या पर्यावरण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि पर्यावरण सम्बन्धी अपराधों से निपटने के लिये हरियाणा की भांति अलग न्यायालय स्थापित करने पर सरकार द्वारा विचार किया जा रहा है? यदि हां, तो उसकी स्थापना कब तक कर दी जायेगी? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री बच्चा पाठक-

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

राज्य सरकार द्वारा पूर्व में ही जल अधिनियम, 1974 व वायु अधिनियम, 1981 के अंतर्गत मुकदमों की सुनवाई हेतु लखनऊ में एक विशेष न्यायालय का गठन किया गया है।

श्री अम्बरीष कुमार-

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मंत्री जी ने अपने उत्तर में कहा है कि राज्य सरकार द्वारा पूर्व में ही जल अधिनियम, 1974, वायु अधिनियम, 1981 के अन्तर्गत मुकदमों की सुनवायी हेतु लखनऊ में एक विशेष न्यायालय का गठन किया गया है। मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि पर्यावरण सम्बन्धी अपराधों से निपटने के लिए हरियाणा की भांति सरकार विशेष न्यायालय स्थापित कर रही है, तो मंत्री जी ने उत्तर दिया है जी नहीं। लेकिन सरकार ने कहा है कि जल अधिनियम और वायु अधिनियम के अन्तर्गत मुकदमों की सुनवाई हेतु लखनऊ में एक विशेष न्यायालय का गठन किया गया है। इसलिए क्या मंत्री जी समझते हैं कि पर्यावरण प्रदूषण जो मानव शरीर के लिए सबसे अधिक हानिकारक है। मान्यवर, आप देखें दण्ड संहिता की धारा 302 में एक व्यक्ति के मारने पर इतनी कठोर सजा है किन्तु दूसरी तरफ पर्यावरण प्रदूषण पर नियंत्रण न होने के कारण हजारों लोग मर जाते हैं उनके प्रति सरकार ने चिन्ता करके लखनऊ में विशेष न्यायालय का गठन किया है, मान्यवर, मैं आपके माध्यम से सरकार से जानना चाहता हूं कि क्या इसी प्रकार विशेष न्यायालय उत्तर प्रदेश के हर जिले में स्थापित करने पर सरकार विचार करेगी?

श्री बच्चा पाठक-

मान्यवर, इसके लिए न्यायालय की स्थापना लखनऊ में की गयी है और जितने मुकदमें इस सम्बन्ध में होते हैं उन पर कार्यवाही यहां की जाती है। अब बोर्ड के माध्यम से कार्यवाही करने का अधिकार मिल गया है इसलिए जो कार्यवाही होती है उसके लिए लखनऊ का कार्यालय उपयुक्त है और दूसरे कार्यालय खोलने की मैं आवश्यकता नहीं समझता हूं।

डा0 लक्ष्मी कान्त बाजपेयी-

मान्यवर, मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि लखनऊ में जो विशेष न्यायालय स्थापित किया गया है उसका अधिकार क्षेत्र सम्पूर्ण प्रदेश होगा या लखनऊ ही। यदि सम्पूर्ण प्रदेश है तो विकेन्द्रीकरण प्रणाली क्या लागू करेंगे? यदि नहीं, तो क्या क्षेत्रीय अथवा जिलों में इस प्रकार के कोर्ट की स्थापना करेंगे?

श्री बच्चा पाठक-

मान्यवर, इस सम्बन्ध में इलाहाबाद और लखनऊ में विशेष न्यायालयों का गठन किया गया है लेकिन हर जगह जहां मुकदमें बोर्ड के मिलते हैं वहां कार्य होता है।

श्री अधिष्ठाता-

माननीय सदस्य ने पूछा है कि कोर्ट का अधिकार क्षेत्र क्या है?

श्री बच्चा पाठक-

मान्यवर, लखनऊ में जो विशेष न्यायालय है वह लखनऊ मण्डल के आस-पास के जिलों का कार्य देखता है और इसी प्रकार इलाहाबाद में जो कोर्ट है वह इलाहाबाद के आस-पास के जिलों के कार्य को देखता है।

श्री गौरी शंकर एडवोकेट-

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं जानना चाहता हूं कि वायु और जल प्रदूषण के कितने मामले अभी तक कोर्ट के सामने विचाराधीन है और उनमें कार्यवाही किस स्तर तक की गयी है और क्या इसमें किसी को दण्डित किया गया है?

श्री बच्चा पाठक-

मान्यवर, मैं सदन को और माननीय सदस्य को बताना चाहता हूं कि प्रदूषण-कारी उद्योगों के विरुद्ध बोर्ड द्वारा वर्ष 1988 से लेकर आज तक कुल दायर वादों की संख्या-227 है। इसमें जल अधिनियम, 1974 के अन्तर्गत 216 वाद, वायु अधिनियम, 1981 के अनुसार वादों की संख्या-08 है और पर्यावरण अधिनियम, 1986 के अनुसार वादों की संख्या 03 है।

मान्यवर, मैं यह भी बताना चाहता हूं कि इन वादों में निर्णीत वादों की संख्या कुल 209 है। इसमें जल अधिनियम के अन्तर्गत 202, निर्णीत वादों में 177 पक्ष में और विपक्ष में 25 मामलों में निर्णय हुआ है।

प्रदेश में 20 डिस्मिल से कम भूमि के विक्रय पत्र पर आवासीय रेट पर स्टाम्प शुल्क का प्राविधान की जानकारी

*4-श्री राजधारी-

क्या कर एवं संस्थागत वित्त मंत्री बताने की कृपा करेंगें कि 20 डिस्मिल से कम जमीन के क्रय को आवासीय रेट से मुक्ति दिलाने पर सरकार विचार कर रही है? क्या यह सही है कि 20 डिस्मिल से कम रकबे की जमीन जो भूमि गड्ढा-टीला, नदी के तट की जमीन या जिस पर खेती हो रही है, पर आवासीय रेट लगाने से क्रेता को अधिक शुल्क देने के लिये मजबूर होना पड़ रहा है? यदि हां, तो क्या सरकार जनहित में स्टैप नियमावली में आवासीय भूमि की परिभाषा को सुनिश्चित करेगी? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री हुकुम सिंह-

20 डिस्मिल से कम भूमि के विक्रय पत्र पर केवल आवासीय रेट पर ही स्टाम्प दिये जांय, ऐसा कोई प्राविधान किसी नियम में नहीं है।

भू-प्रयोग तथा स्थानीय स्थिति को देखकर जिलाधिकारी यह निश्चित करते हैं कि कौन सी भूमि को आवासीय माना जाय और कौन सी भूमि को अनावासीय माना

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

जाय। जिलाधिकारी यह भी तय करते हैं कि कितने बड़े भूखण्ड को आवासीय भूमि की श्रेणी में रखा जाय।

ऐसी परिभाषा बनाना व्यवहारिक नहीं हैं, क्योंकि राज्य में विभिन्न मापदण्ड अपनाना होगा।

प्रश्न नहीं, उठता।

श्री राजधारी-

मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि क्या शासन की ओर से जिला प्रशासन को कोई गाइड लाइन्स भेजी गयी है? जिसके द्वारा वहां पर भूमि चिन्हित की जाती है?

(व्यवधान)

श्री अधिष्ठाता-

आप प्रश्न करें।

श्री राजधारी-

मैं प्रश्न ही कर रहा हूं, मैं अपने प्रश्न को दुहरा दे रहा हूं। मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि क्या उत्तर प्रदेश शासन की ओर से जिलाधिकारियों को कोई मानक भेजे गये हैं जिसके द्वारा वहां पर भूमि चिन्हित की जाती है? 20 डिस्मिल से कम रकबे की जमीन जो भूमि, गड्ढा, टीला, नदी के तट की जमीन या जिस पर खेती हो रही हो, पर आवासीय रेट लगाने से खरीदने वाले को अधिक शुल्क देने के लिये मजबूर होना पड़ता है।

श्री हुकुम सिंह-

मान्यवर, नियमों में कोई प्राविधान नहीं है, यह स्थानीय जिलाधिकारियों के विवेक पर छोड़ा गया है, वह स्थान विशेष को देखते हुये तय करें कि आवासीय मानक हो या न हो।

श्री राजधारी-

शासन से कोई गाइड लाइन तो गयी होगी? उसे बता दें।

श्री हुकुम सिंह-

शासन की ओर से कोई गाइड लाइन नहीं गयी है। यह जिलाधिकारियों के विवेक पर है।

श्री राजधारी-

माननीय मंत्री जी ने कहा कि यह जिलाधिकारी के विवेक पर है, लेकिन मैं बलिया जनपद की बात माननीय मंत्री जी को बताना चाहता हूं कि वहां पर छोटे

किसानों के साथ बड़ा अन्याय हो रहा है, उनको अधिक शुल्क देना पड़ रहा है क्या कोई गाइड लाइन भेजेंगे ?

श्री हुकुम सिंह-

जिलाधिकारी यह तय करते हैं कि कितने बड़े भूखण्ड को आवासीय माना जाये और कितने को नहीं ! शासन स्तर से कोई गाइड लाइन भेजने की आवश्यकता नहीं है ।

*5-डा0 धर्मज्ञ मिश्र-

(राज्य सरकार से असम्बद्ध होने के कारण निरस्त) ।

70 वर्ष से अधिक आयु वाले तथा 20 वर्ष की सजा काट चुके कैदियों की रिहाई पर शासन द्वारा विचार की जानकारी

*6-श्री छोटेलाल गंगवार-

क्या कारागार मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि 70 वर्ष की आयु या 20 वर्षों से अधिक की सजा काट रहे कितने कैदी प्रदेश की विभिन्न कारागारों में हैं ? क्या सरकार 70 वर्ष से अधिक आयु व 20 वर्ष की सजा काट लेने वाले कैदियों की रिहाई पर विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

कारागार मंत्री (श्री शिवप्रताप शुक्ल)-

उपलब्ध सूचना के अनुसार प्रदेश की विभिन्न कारागारों में कथित रूप से 70 वर्ष की आयु पूरी करने वाले 70 बन्दी तथा 20 वर्ष की सपरिहार सजा पूरी करने वाले 168 बन्दी निरुद्ध हैं ।

गणतन्त्र दिवस, 1999 के शुभ अवसर पर महामहिम श्री राज्यपाल महोदय ने "भारत के संविधान" के अनुच्छेद-161 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों के अधीन प्रदेश की न्यायालयों द्वारा दण्डित ऐसे सिद्धदोष बन्दी जिन्होंने दिनांक 26-01-99 को 25 वर्ष की सपरिहार सजा भोग ली हो अथवा 65 वर्ष की आयु पूरी करने वाले पुरुष बन्दी व 60 वर्ष की आयु पूरी करने वाली महिला बन्दी जिन्होनें उक्त तिथि को 03 वर्ष की अपरिहार सजा भोग ली हो, की कतिपय शर्तों के अधीन कारागार से मुक्त करने के आदेश प्रदान किये ।

श्री छोटे लाल गंगवार-

मान्यवर मैंने सरकार से यह जानना चाहा था कि 70 वर्ष की आयु के कितने कैदी है और 20 वर्ष से अधिक की सजा काट रहे कितने कैदी प्रदेश के विभिन्न कारागारों में हैं ? क्या सरकार 70 वर्ष से अधिक आयु व 20 वर्ष की सजा काट लेने वाले कैदियों की रिहाई पर विचार करेगी ? इसका कोई स्पष्ट उत्तर नहीं आया । सरकार 58 वर्ष की उम्र पूरी करने के बाद लोगों को रिटायर समझती है । मान्यवर जो 70

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

वर्ष का बुड्ढा है वह 70 वर्ष की उम्र पूरी होने के बाद अपराध नहीं करेगा ऐसा माना जाता है। क्या सरकार 70 वर्ष से अधिक आयु व 20 वर्ष की सजा काट लेने वाले कैदियों को रिहा करेगी या नहीं?

श्री शिव प्रताप शुक्ला-

मैंने जो निवेदन किया है कि 65 वर्ष की आयु पूरी करने वाले पुरुष बन्दी व 60 वर्ष की आयु पूरी करने वाली महिला बन्दी जिन्होंने उक्त तिथि को 3 वर्ष की अपरिहार सजा भोग ली हो की कतिपय शर्तों के अधीन कारागार से मुक्त करने के आदेश प्रदान किये गये हैं।

श्री अवधेश प्रसाद-

मान्यवर मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि जो श्री गंगवार जी का स्पष्ट प्रश्न है उसके उत्तर में माननीय मंत्री जी ने लीपापोती की है।

श्री अधिष्ठाता-

सीधे-सीधे प्रश्न पूंछिये।

श्री अवधेश प्रसाद-

सवाल यह है कि महामहिम ने यह निर्देश दिये कि 65 वर्ष की आयु पूरी करने वाले कैदियों को छोड़ दिया जायेगा और मंत्री जी ने भी अपने उत्तर में कहा कि 70 वर्ष की आयु पूरी करने वाले तथा 20 वर्ष की सपरिहार सजा पूरी करने वाले बन्दी निरुद्ध है तो फिर उनको छोड़ने में उनके सामने कौन सी कठिनाइयां हैं और अगर जैसा कि मंत्री जी ने कहा कि जांच पड़ताल कर रहें हैं उम्र के सम्बन्ध में तो फिर भी उनको छोड़ने में वया कठिनाई है? और माननीय मंत्री जी ऐसे लोगों को कब तक छोड़ देगें? मान्यवर, उत्तर प्रदेश की तमाम जेलों में जो ऐसे अनेक कैदी हैं जो कि विकलांग हो चुके हैं और जो जेलों के लिए भार स्वरूप है तो क्या सरकार ऐसे अक्षम और विकलांग कैदियों को छोड़ने पर विचार करेगें?

श्री अधिष्ठाता-

आपके प्रश्न का उत्तर आ गया है।

श्री शिव प्रताप शुक्ल-

मान्यवर माननीय सदस्य स्वयं भी कारागार मंत्री रह चुके हैं वह स्वयं समझते हैं हर स्थिति को। मान्यवर जो कैदी प्रथम बार जेल में जाते हैं चाहे जिलाकारागार में जाते हो या सेन्ट्रल जेल में, यदि उनकी उम्र में कोई गड़बड़ी पाई जाती है तो उसके लिए उनकी मेडिकल बोर्ड से जांच करा ली जाती है। इस बोर्ड में सी0 एम0 ओ0 तथा अन्य डाक्टर होते हैं। यदि मेडिकल बोर्ड अपनी रिपोर्ट में यह लिखकर दे दें

कि किसी अपराधी की उम्र 70 वर्ष हो गयी है तो हम उसे छोड़ देते हैं। मान्यवर इस सरकार ने पहली बार यह निर्णय लिया है कि 65 वर्ष की उम्र के कैदी को 26 जनवरी को या 15 अगस्त को छोड़ दिया जाये।

श्री छोटे लाल गंगवार-

मान्यवर मंत्री जी ने जब यह कहा है कि 70 वर्ष की आयु पूरी करने वाले या 20 वर्ष की सपरिहार सजा पूरी करने वाले 168 बन्दी निरूद्ध है तो फिर उन्हें छोड़ने में क्या कठिनाई है?

श्री अधिष्ठाता-

आपका उत्तर आ चुका है। कृपया आप बैठ जाये।

श्री अवधेश प्रसाद-

मान्यवर मैं आपका संरक्षण चाहता हूं। यह लीपापोती कर रहे हैं।

नेता विरोधी दल (श्री धनीराम वर्मा)-

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से उनके उत्तर के सम्बन्ध में यह जानना चाहता हूं कि जैसा उन्होंने उत्तर दिया है, मेडिकल परीक्षण के पश्चात् कि अमुक कैदी की आयु 65 वर्ष या 70 वर्ष हो गयी है तो नियमानुसार वह छोड़ दिया जायेगा और अगर उसकी आयु मेडिकल रिपोर्ट में 65 वर्ष से ऊपर नहीं है तो वह नहीं छोड़ा जायेगा। तो श्रीमन् मैं यह जानना चाहूंगा कि मंत्री जी ऐसे कैदी जो शिक्षित हैं और विद्यालयीय प्रमाण-पत्र के आधार पर जिनकी आयु 65 वर्ष से ऊपर है, उनको छोड़ने का कष्ट करेंगे?

श्री शिव प्रताप शुक्ल-

मान्यवर, समस्त कारागारों को जारी किए गए परिपत्र के अनुसार बन्दी के कारागार में प्रथम प्रवेश के समय जो आयु लिखी जाती है, उसे बन्दी की आयु के निर्धारण का आधार माना जाता है। शिक्षित बन्दियों के सम्बन्ध में हाई स्कूल के प्रमाण-पत्र को भी आयु निर्धारण के लिए प्रमाणित अभिलेख माना जाता है।

प्रदेश में बढ़ती अराजकता तथा बिगड़ती कानून व्यवस्था को रोकने के उपाय

*7-श्री राम विशुन आजाद-

क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि प्रदेश में बढ़ती हुई अराजकता तथा बिगड़ती हुई कानून व्यवस्था को रोकने हेतु सरकार द्वारा क्या उपाय किये जा रहे है? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री हुकुम सिंह-

प्रदेश में अपराध नियंत्रण एवं कानून व्यवस्था को सुदृढ़ करने हेतु समस्त पुलिस अधिकारियों को निर्देश निर्गत किये गये है कि पेशेवर अपराधियों का चिन्हीकरण

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

करके उनके विरुद्ध प्रभावी निरोधात्मक कार्यवाही की जाये। गैंगस्टर ऐक्ट में निरुद्ध अपराधियों की सम्पत्ति को कुर्क करने की कार्यवाही भी की जा रही है। नामी-गिरामी अपराधियों को निष्क्रिय करने हेतु स्पेशल टास्क फोर्स का सृजन किया गया है, जिसके अत्यन्त उपयोगी परिणाम सामने आये हैं।

श्री राम विशुन आजाद-

मान्यवर, मेरा स्पष्ट सवाल है कि क्या मुख्यमंत्री जी कृपया बतायेंगे कि प्रदेश में बढ़ती हुई अराजकता तथा बिगड़ती हुई कानून-व्यवस्था को रोकने हेतु सरकार द्वारा क्या-क्या उपाय किए जा रहें हैं? यदि नहीं, तो क्यों? मान्यवर, इसमें जो जवाब आया है, मान्यवर, उसमें माननीय मंत्री जी ने कहा है कि प्रदेश में अपराध नियंत्रण एवं कानून व्यवस्था को सुदृढ़ करने हेतु समस्त पुलिस अधिकारियों को निर्देश दिये गये हैं और पेशेवर अपराधियों का चिन्हीकरण करके उनके विरुद्ध निरोधात्मक कार्यवाही की जायेगी। इस सम्बन्ध में मान्यवर, मैं आपके माध्यम से सरकार से जानना चाहूंगा कि क्या यह चिन्हीकरण प्रदेश स्तर पर हुआ है, यदि हां तो क्या यह सूची सरकार जारी करेगी? दूसरा यह कि नामी-गिरामी अपराधियों को निष्क्रिय करने हेतु जो स्पेशल टास्क फोर्स का गठन किया गया है, उसके सम्बन्ध में मैं सरकार से जानना चाहता हूं कि टास्क फोर्स द्वारा अपराधियों के खिलाफ जो कार्यवाही की गयी, उसमें मंत्रिमण्डल में शामिल व्यक्तियों के सम्बन्ध में क्या सरकार सूची जारी करेगी?

श्री हुकुम सिंह-

मान्यवर, इससे पूर्व भी माननीय सदन को सूचित किया गया है कि चिन्हीकरण जनपद स्तर पर किया गया है, प्रदेश स्तर पर चिन्हीकरण का कार्य नहीं किया गया है। टास्क फोर्स के बनाने और मंत्रिमण्डल के सदस्यों का जिक्र जो माननीय सदस्य ने किया, मैं इसका मतलब नहीं समझ सका।

श्री जगदम्बिका पाल-

मान्यवर, मंत्री जी ने बताया कि अपराधियों के चिन्हीकरण की कार्यवाही जनपद स्तर पर की गयी है। मैं जानना चाहता हूं कि यह जो दुर्दान्त अपराधी हैं, उनके लिये स्पेशल टास्क फोर्स को गठित किया गया है, वह जनपद स्तर पर की गयी है या प्रदेश स्तर पर गठित की गयी है। एस0टी0एफ0 किस आधार पर कार्यवाही कर रही है? क्या शासन उसको संदर्भित करती है ताकि अपराधियों को लिक्वीडेट किया जा सके?

श्री हुकुम सिंह-

जनपद और प्रदेश स्तर पर समन्वय रहता है और जहां से जानकारी प्राप्त होती है वहां कार्यवाही की जाती है। ऐसे भी अपराधी होते हैं जो एक राज्य से राज्य और एक जनपद से दूसरे जनपद में जाते रहते हैं। जनपद स्तर पर ऐसे

अपराधी चिन्हित किये जाते हैं। जो जनपद ऐसे हैं जहां पर अपराधी ज्यादा हैं वहां पर जनपद स्तर पर टास्कफोर्स गठित की गयी और दोनों में समन्वय रहता है।

श्री चन्द्रनाथ सिंह-

मान्यवर, मंत्री जी ने टास्कफोर्स के बारे में बताया। मान्यवर एक प्रीतम सिंह इंस्पेक्टर की हत्या हो गयी और उसमें कई राजनेताओं के नाम प्रकाश में आये। जब टास्कफोर्स के इंस्पेक्टर की हत्या हो जायेगी तो कानून व्यवस्था की स्थिति कैसे रह जायेगी?

श्री अधिष्ठाता-

यह मूल प्रश्न से सम्बन्धित नहीं है।

श्री अवधेश प्रसाद-

मान्यवर, यह प्रदेश की 16 करोड़ जनता से जुड़ा प्रश्न है। जबसे यह सरकार आयी है कानून व्यवस्था चौपट हो गयी है और जंगल राज हो गया है।

श्री अधिष्ठाता-

मैं अनुमति नहीं दे रहा हूं।

श्री रामविशुन आजाद-

कानून व्यवस्था के नाम पर आज जंगल राज हो गया है। मेरे सवाल का उत्तर नहीं आया है। रोज हत्यायें हो रही हैं।

प्रदेश में किराया नियंत्रण अधिनियम में संशोधनों के प्रस्ताव पर मंत्रिपरिषदीय उपसमिति का गठन

*8-डा0 लक्ष्मीकान्त बाजपेई-

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि किराया नियंत्रण अधिनियम के अन्तर्गत विभिन्न न्यायालयों में लम्बित मुकदमों को दृष्टिगत रखते हुये इनके शीघ्र निस्तारण हेतु उक्त अधिनियम में संशोधन करने पर सरकार विचार कर रही है? यदि हां, तो उसकी रूप रेखा क्या है? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री हुकुम सिंह-

किराया नियंत्रण अधिनियम में संशोधनों के प्रस्ताव पर विचार करके संस्तुति देने हेतु मंत्रि परिषद् की एक उप समिति का गठन किया जा चुका है।

प्रकरण उप समिति के विचाराधीन है।
प्रश्न नहीं उठता।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

डा0 लक्ष्मी कान्त बाजपेयी-

मान्यवर, मंत्री जी ने बताया कि उप-समिति का गठन किया गया है। यह उप समिति कब गठित की गयी और इसके कौन-कौन से सदस्य हैं?

श्री हुकुम सिंह-

इस उप समिति का गठन दिसम्बर, 1998 में किया गया है।

प्रदेश में बढ़ रही आई0 एस0 आई0 की गति विधियों से निपटने की योजना

*9-श्री श्याम देव राय चौधरी-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में आई0 एस0 आई0 की बढ़ रही गतिविधियों से निबटने के लिये सरकार ने कोई विशेष कार्यवाही बल गठित किया है? यदि हां, तो प्रदेश के कौन से जिले उक्त गतिविधियों के केन्द्र बिन्दु हैं और सरकार ने उनके मन्सूबों को विफल करने के लिये कौन से सक्रिय कदम उठाये हैं? उसके परिणाम क्या हैं?

श्री हुकुम सिंह-

(क) जी हाँ। प्रदेश में आई0 एस0 आई0 की गतिविधियों से निपटने के लिये स्पेशल टास्क फोर्स तथा उत्तर प्रदेश नेपाल सीमा पुलिस का गठन किया गया है।

(ख) प्रदेश के 23 जिले-मेरठ, गाजियाबाद, बुलन्दशहर, मुजफ्फरनगर, आगरा, श्रावस्ती, अलीगढ़, मथुरा, फिरोजाबाद, बरेली, बहराइच, बलरामपुर, कानपुर, लखनऊ, लखीमपुरखीरी, आजमगढ़, गोरखपुर, महराजगंज, बस्ती, सिद्धार्थनगर, वाराणसी, देहरादून एवं सहारनपुर आई0 एस0 आई0 की गतिविधियों के परिप्रेक्ष्य में प्रभावित/संवेदनशील केन्द्र के रूप में अभिचिन्हित किये गये हैं।

(ग) आई0 एस0 आई0 तत्वों के मंसूबों को विफल करने के उद्देश्य से प्रदेश में उक्त विशेष कार्यवाही बलों के अतिरिक्त प्रभावित जनपदों में आई0 एस0 आई0 की गतिविधियों की सूचनाओं के संकलन हेतु अभिसूचना की विशेष प्रकोष्ठ इकाइयों की स्थापना की गयी है। इसके अतिरिक्त जिला पुलिस एवं अभिसूचना तंत्र को भी इस दिशा में सक्रिय बनाया गया है। जनपद एवं मण्डल स्तर पर भी स्थिति की नियमित रूप से समीक्षा की जाती है। परिणाम स्वरूप वर्ष 1998 में आई0 एस0 आई0 समर्थित कोई आतंवादी घटना घटित नहीं हुयी।

श्री श्याम देव राय चौधरी-

सरकार का यह कहना है कि उत्तर प्रदेश में आई0 एस0 आई0 की गतिविधियाँ बढ़ रही हैं और उससे निपटने के लिए पुलिस का गठन किया गया है तथा कुछ जिलों को चिन्हित किया गया है। मैं माननीय मंत्री जी से यह पूछना चाहता हूं कि जो जिले चिन्हित किये गये हैं उनमें इस प्रकार की कितनी गतिविधियां

सामने आयी हैं । इसके साथ ही क्या अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में आई0 एस0 आई0 की गतिविधियाँ संचालित होने की भी कोई जानकारी है और वहां से इसे समाप्त करने के लिए सरकार कोई कार्यवाही कर रही है ?

श्री हुकुम सिंह-

अलीगढ़ उन जनपदों में शामिल है जिन जनपदों में आई0 एस0 आई0 का जाल फैला हुआ है ।

(इस समय 12 बजकर 18 मिनट पर श्री अध्यक्ष पुनः पीठासीन हुए) दूसरी बात आपने नियंत्रण की पूछी है । जितने जनपद हैं, यह बात सही है कि आई0 एस0 आई0 की गतिविधियां इन जनपदों में भी हैं और बाकी देश में भी काफी जड़े पकड़ चुकी हैं । लगभग 20 हजार व्यक्ति पाकिस्तान में प्रशिक्षण प्राप्त करने के बाद देश में आ चुके हैं, यह इन्टेलीजेंस की जानकारी है। वह स्लीपिंगसिटीजन्स की तरह से रह रहे हैं । वह हमेशा यह प्रयास करते हैं कि वह कैसे लोगों को संगठित करें और सेन्सटिव स्थलों पर धावा बोलें । 23 जनपदों में इनका जाल फैला हुआ है ।

श्री श्याम देव राय चौधरी-

मान्यवर, मैंने पूछा था कि अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय जहां से आई0 एस0 आई0 की गतिविधियां संचालित होती हैं उसे रोकने के लिए सरकार क्या कार्यवाही कर रही है ?

श्री अध्यक्ष-

माननीय संसदीय कार्यमंत्री जी आपके पास इसकी सूचना है (माननीय संसदीय कार्यमंत्री जी के खड़े न होने पर) ।

प्रश्न काल समाप्त हुआ ।

जनपद आजमगढ़ की जनसंख्या वृद्धि के अनुपात में अन्य जिलों की भांति पर्याप्त पुलिस बल के तैनाती की मांग

*10-श्री नरेन्द्र सिंह (आजमगढ़)-

क्या मुख्य मंत्री को जानकारी है कि जनपद आजमगढ़ में 25 थानों में 750 पुलिस कर्मचारी तैनात हैं जबकि इसी मंडल के दो जिलों में क्रमशः बलिया में 22 थानों में 900 पुलिस तथा जनपद मऊ के 11 थानों में लगभग 600 पुलिस तैनात हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार आजमगढ़ जनपद की विशालता को ध्यान में रखते हुये अतिरिक्त पुलिस अधिकारियों/कर्मचारियों के पद सृजित करते हुये उनकी नियुक्ति

नोट :- नत्थी (ग) तारांकित प्रश्न संख्या 9 के उपरान्त प्रश्नों का समय समाप्त हुआ ।

करेगी? यदि नहीं, तो क्यों?

मुख्य मंत्री (श्री कल्याण सिंह)-

जी नहीं।

सम्प्रति जनपद आजमगढ़ मण्डल के जनपदों में नागरिक पुलिस के स्वीकृत नियतन के सापेक्ष्य तैनाती निम्नवत् है:-

	स्वीकृत नियतन				तैनाती				
	इन्स	सब इन्स	हे का	का0	योग	इन्स	सब इन्स	हे का	का0	योग
1-आजमगढ़	4	129	89	799	1021	3	111	68	825	1007
2-बलिया	3	107	103	867	1080	2	100	55	863	1020
3-मऊ	3	60	64	460	587	4	50	65	645	764

प्रश्न नहीं उठता।

आवश्यकता एवं संसाधन की उपलब्धता के अनुसार पुलिस बल समय-समय पर बढ़ाया जाता है। सम्प्रति जनपद आजमगढ़ में पुलिस अधिकारी/कर्मचारियों के नियतन में वृद्धि का कोई प्रस्ताव विचारधीन नहीं है।

प्रदेश में गत वर्ष की तुलना में इस वर्ष हो रही अपराध वृद्धि को रोकने के उपाय

*।।-श्री समरपाल सिंह-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या वर्ष 1998 में पिछले वर्ष की तुलना में प्रदेश में अपराधों में वृद्धि हुई है? यदि हां, तो कितने प्रतिशत? अपराध वृद्धि को रोकने हेतु क्या कोई कार्य योजना बनाई गई है? यदि हां, तो वह क्या है?

श्री कल्याण सिंह-

वर्ष 1998 में पिछले वर्ष की तुलना में भा0 द0 वि0 के सम्पूर्ण अपराधों में 22.27 प्रतिशत की वृद्धि हुई है।

प्रदेश में अपराध नियंत्रण एवं कानून व्यवस्था को सुदृढ़ करने हेतु समस्त पुलिस अधिकारियों को निर्देश निर्गत किये गये है कि पेशेवर अपराधियों का चिन्हीकरण करके उनके विरुद्ध प्रभावी निरोधात्मक कार्यवाही की जाये। गैंगेस्टर ऐक्ट में निरुद्ध अपराधियों की सम्पत्ति को कुर्क करने की कार्यवाही भी की जा रही है। नामी-गिरामी

अपराधियों को निष्क्रिय करने हेतु स्पेशल टास्क फोर्स का सृजन किया गया है, जिसके अत्यन्त उपयोगी परिणाम सामने आये हैं।

प्रदेश में साधन सहकारी समितियों में प्रशासक की नियुक्ति की मांग

*।2-श्री कृष्ण चन्द्र पुनेठा-

क्या सहकारिता मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि साधन सहकारी समितियों में प्रशासक नियुक्त न करने के कारण विकास कार्यों में गिरावट आयी है? यदि हां, तो क्या सरकार शीघ्र चुनाव प्रक्रिया आरम्भ कर इस कार्य को पूर्ण कराने पर विचार करेगी? यदि हां, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?

सहकारिता मंत्री ("पटेल" राम कुमार वर्मा)-

जी नहीं। साधन सहकारी समितियों में प्रशासक प्रबंध कमेटी के निर्वाचन होने तक नियुक्त किये गये।

निबंधक के आदेश सं0सी-38/ विधि-निर्वा0 (98) दिनांक-28 जनवरी, ।999 द्वारा निर्वाचन तिथियां नियत कर चुनाव प्रक्रिया प्रारम्भ कर दी गई है। अधिकांश साधन सहकारी समितियों के निर्वाचन दिनांक-6/7 मार्च, 99 को सम्पन्न हो गये हैं।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में केबिल संचालक के लिये समाधान योजना की जानकारी

*।3-श्री केशो मेहरा-

क्या कर एवं संस्थागत वित्त मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में केबिल संचालकों के लिये कोई समाधान योजना सरकार के विचाराधीन है? यदि हां, तो उसका विवरण क्या है? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री हुकुम सिंह-

जी हां,

वर्तमान में केबिल संचालन हेतु समाधान योजना के अन्तर्गत कतिपय संशोधन उत्तर प्रदेश आमोद एवं पणकर अधिनियम, ।979 में विचाराधीन है।

उक्त अधिनियम में संशोधन के फलस्वरूप समाधान योजना पर विचार किया जाना सम्भव होगा।

जनपद प्रतापगढ़ में शस्त्र लाइसेन्स की स्वीकृति का प्रकरण

*।4-श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह-

क्या मुख्य मंत्री को जानकारी है कि जनपद प्रतापगढ़ में शस्त्र लाइसेंसों की पत्रावली छः माह से अधिक समय तक स्वीकृत न हो पाने के कारण पुनः पुलिस

आख्या के लिये थानों को वापस की जाती है ? यदि हां, तो दिनांक 1-1-97 से दिनांक 12-1-99 तक इस प्रकार के कितने मामले लम्बित हैं ? क्या छः माह की पुलिस आख्या पर शस्त्र लाइसेंस स्वीकृत किये जाने में कोई कठिनाई है ? यदि नहीं, तो क्या सरकार आवेदन प्रस्तुत करने के दिनांक से 15 दिन के अन्दर पुलिस आख्या जिलाधिकारी कार्यालय को प्रस्तुत करने एवं जिलाधिकारी द्वारा 15 दिन के अन्दर निस्तारित करने के निर्देश देगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कल्याण सिंह -

जी हां ।

जनपद प्रतापगढ़ में इस प्रकार के 954 मामले लम्बित हैं ।

छः माह से पुरानी पुलिस आख्या से आवेदक के वर्तमान आचरण के बारे में आश्वस्त नहीं हुआ जा सकता ।

जी, नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

आग्नेयास्त्र लाइसेन्सों के प्रार्थनापत्रों का निस्तारण आयुध अधिनियम/नियमावली के प्राविधानों के अनुसार लाइसेंसिंग प्राधिकारी की संतुष्टि/समाधान हेतु आवश्यक गहन जांच एवं अन्य औपचारिकतायें पूर्ण होने के उपरान्त जनपद की कानून व्यवस्था तथा आवेदक की वास्तविक आवश्यकता को दृष्टिगत रखते हुए भलीभांति विचारोपरान्त ही किया जाता है ।

प्रदेश में समयबद्ध तरीके से शस्त्र लाइसेंस देने के निर्देश

*15-श्री राम ललित चौधरी-

क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि प्रदेश में आग्नेयास्त्रों के लाइसेंस समयबद्ध तरीके से सहजता से आम जनता को देने के लिये क्या सरकार कोई निर्देश जारी करने पर विचार कर रही है ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कल्याण सिंह -

जी, नहीं । आम जनता को सहजता से शस्त्र लाइसेंस देने हेतु पर्याप्त निर्देश विद्यमान हैं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

आयुध अधिनियम एवं आयुध नियमावली के प्राविधानों के अनुसार लाइसेंसिंग प्राधिकारी की संतुष्टि/समाधान हेतु आवश्यक जांच एवं औपचारिकतायें पूर्ण कराने के उपरान्त जनपद की कानून व्यवस्था तथा आवेदक की वास्तविक आवश्यकता को देखते हुए ही शस्त्र लाइसेंसों के प्रार्थना पत्रों पर विचार किया जाता है ।

आई0 ए0 एस0 अधिकारियों एवं मुख्य सचिव द्वारा विधायकों, सांसदों के पत्रों के उत्तर न देने के कारणों की जानकारी

*16-श्री महेन्द्र कुमार बाल्मीकि तथा श्री नरेन्द्र सिंह शिशौदिया-

क्या संसदीय कार्य मंत्री को जानकारी है कि आई0ए0एस0 अधिकारियों एवं मुख्य सचिव द्वारा माननीय विधायकों एवं सांसदों के पत्रों का उत्तर न देकर प्रचलित शासनादेश का उल्लंघन किया जा रहा है ? क्या सरकार माननीय विधायकों एवं सांसदों के पत्रों का उत्तर दिलाना सुनिश्चित करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री हुकुम सिंह-

जी नहीं।
इस सम्बन्ध में शासन द्वारा समय-समय पर निर्देश जारी किये गये हैं।
प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में व्यापार कर के बकायेदारों में प्रथम दस की सूची की जानकारी

*17-श्री गोरखनाथ पाण्डेय-

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि प्रदेश में व्यापार कर के बकायेदारों में सर्वाधिक बकाया की सूची में प्रथम 10 लोग कौन-कौन हैं ? क्या उनसे वसूली हेतु सरकार द्वारा कोई ठोस कार्यवाही की जा रही है ? यदि हां, तो क्या ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कल्याण सिंह-

सूची संलग्न है।
जी हां।
पूरे विवरण संलग्न सूची में अंकित हैं।
प्रश्न नहीं उठता।

(देखिये नत्थी 'क' आगे पृष्ठ 305 पर।)

जनपद चित्रकूट में चमराहा जंगल के पास पुलिस द्वारा मुठभेड़ में मारे गये व्यक्तियों का विवरण

*18-श्री आर0 के0 सिंह पटेल-

क्या मुख्य मंत्री को जानकारी है कि जनपद चित्रकूट में दिनांक । अगस्त, 1998 को चमराहा जंगल के पास पुलिस द्वारा 3 व्यक्तियों को तथाकथित मुठभेड़ में मार दिया गया था ? यदि हां, तो मारे गये व्यक्तियों के नाम व पते क्या हैं ? क्या

मारे गये तीनों व्यक्ति अपराधी थे? यदि हां, तो उनके खिलाफ कितने मुकदमें कहां-कहां दर्ज हैं? क्या मृतकों की पहचान कराई गयी थी? यदि हां, तो कहां और किससे? यदि नहीं, तो क्यों? क्या मारने के पूर्व पुलिस ने इन्हें पकड़ने का प्रयास किया था? यदि हां, तो क्या और कब? यदि नहीं, तो क्यों? क्या उक्त घटना की सी0बी0सी0 आई0डी0 से जांच कराई जायेगी? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री कल्याण सिंह-

दिनांक 01.08.1998 को आई0एस0-112 दस्यु ददुआ गिरोह से तत्कालीन थानाध्यक्ष श्री रामाश्रम भारती आदि पुलिस बल के साथ हुई मुठभेड़ में उक्त गिरोह के तीन बदमाश मारे गये थे।

मारे गये व्यक्तियों (बदमाशों) के नाम व पते निम्नांकित है:-

(1) रविशंकर पाल, निवासी रंगोली, थाना कर्वी, जनपद चित्रकूट।

(2) केदार उर्फ बेलहुआ, निवासी औझर, थाना मऊ, जिला चित्रकूट।

(3) अम्बिका निवासी चमरोहा, थाना मानिकपुर, जिला चित्रकूट।

मृतक रविशंकर पाल का आपराधिक इतिहास निम्नांकित हैं:-

(1) अ0 सं0-556/91 धारा 147/148/149/307 भा0द0वि0 थाना कर्वी।

(2) अ0 सं0-53/91 धारा 364/120 बी भा0 द0 वि0 थाना बहिलपुरवा।

(3) अ0 सं0-67/91 धारा 147/148/149/302 भा0द0वि0 थाना बहिलपुरवा।

(4) अ0 सं0-68/91 धारा 147/148/149/323 भा0द0वि0 थाना बहिलपुरवा।

(5) अ0 सं0-42/98 धारा 147/148/149/307 भा0 द0 वि0 व 12/14 डी0 ए0 एक्ट थाना मानिकपुर।

(6) अ0 सं0-43/98 धारा 25 आर्म्स एक्ट थाना मानिकपुर।

शेष दो मृतकों (केदार व अम्बिका) का आपराधिक इतिहास नहीं है किन्तु दोनों व्यक्ति मुठभेड़ के समय डकैतों के साथ थे।

जी हां।

(1) रविशंकर पाल की पहचान प्रश्नकर्ता (मा0 विधायक जी द्वारा) पोस्टमार्टम के समय की गयी थी।

(2) अम्बिका पुत्र होरीलाल की पहचान विवेचना के समय गिरफ्तार अन्य अभियुक्त लाला उर्फ अहमद अली पुत्र अनवर अली, ग्राम-बूढ़ा सेमखार, थाना-कर्बी ने अपने बयान में उक्त मृतक के मारे जाने की बात स्वीकार की थी।

(ग) मृतक केदार उर्फ बिलहुआ की पहचान भी उक्त गिरफ्तार अभियुक्त लाला उर्फ अहमद अली ने अपने बयान में उक्त मृतक के मारे जाने की बात स्वीकार की थी।

प्रश्न नहीं उठता।

दस्यु गिरोह के विरुद्ध समय-समय पर उनके आवागमन के मार्गों पर जंगल में रैकी, काम्बिंग, गाडाबन्दी की जाती है, इसी कार्यवाही में दस्यु ददुआ गैंग से पुलिस की मुठभेड़ हुई।

प्रश्नगत घटना से सम्बन्धित मु0अ0सं0-42/98 में आरोप-पत्र सं0-42/98, दिनांक 04-11-1998 को न्यायालय प्रेषित किया जा चुका है। अतएव प्रकरण की सी0बी0सी0आई0डी0 से जांच कराये जाने का औचित्य नहीं है।

जिला सहकारी बैंक उन्नाव के सचिव, महाप्रबन्धक द्वारा मार्च, 97 में निबन्धक/आयुक्त द्वारा खरीदे गये इन्दिरा विकास पत्र की जानकारी

*19-श्री कृपा शंकर सिंह-

क्या सहकारिता मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जिला सहकारी बैंक उन्नाव के सचिव महाप्रबन्धक द्वारा मार्च, 97 में निबन्धक/आयुक्त एवं नाबार्ड के निर्देशों के विपरीत अनियमित ढंग से डेढ़ करोड़ रुपये के इन्दिरा विकास पत्र खरीदे गये हैं? यदि हां, तो क्या दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध कोई कार्यवाही की गयी? यदि हां, तो क्या? यदि नहीं, तो क्यों?

"पटेल" राम कुमार वर्मा-

जी नहीं। इन्दिरा विकास पत्र का क्रय नाबार्ड एवं निबंधक के निर्देशों के प्रतिकूल नहीं था।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद जौनपुर में शस्त्र लाइसेन्स स्वीकृति में जांच हेतु समय सीमा के निर्धारण की मांग

*20-श्री अफजाल अहमद-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद जौनपुर के जिला मुख्यालय पर शस्त्र लाइसेन्स हेतु कितने आवेदन पत्र वर्ष 1997 व 1998 में जमा किये गये हैं तथा वर्षवार कितने शस्त्र लाइसेंस जारी किये गये हैं? क्या यह सही है

कि लाइसेंस जारी न होने का मुख्य कारण जांच प्राक्रिया में शीघ्रता लाने हेतु कोई समय सीमा निर्धारित करेगी? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री कल्याण सिंह-

जिला मैजिस्ट्रेट, जौनपुर के कार्यालय में वर्ष 1997 एवं 1998 में शस्त्र लाइसेन्सों हेतु क्रमशः 3644 व 2318 आवेदन पत्र प्राप्त हुये तथा क्रमंशः 565 व 247 शस्त्र लाइसेन्स जारी हुये।

जी, नहीं। लाइसेन्स जारी करने की प्रक्रिया में कई तथ्य सम्मिलित हैं जिनका समाधान होना आवश्यक होता है।

इस सम्बन्ध में शासनादेश दिनांक 3 जून, 1998 द्वारा आवश्यक निर्देश समस्त जिला मैजिस्ट्रेटों को जारी किये गये हैं परन्तु जनपद की कानून व्यवस्था सहित अन्य अधिक महत्वपूर्ण एवं तात्कालिक प्रकृति के कार्यों में व्यस्तता के कारण जांच आदि में समय लगना स्वाभाविक है।

प्रश्न नहीं उठता।

अतारांकित प्रश्न

जनपद हरदोई के थाना अतरौली ग्राम भरावन के प्रदीप कुमार की हत्या के बाद उसकी विधवा को आर्थिक सहायता देने की मांग

1-श्री राम पाल वर्मा-

क्या मुख्य मंत्री को जानकारी है कि जनपद हरदोई के थाना-अतरौली के अन्तर्गत ग्राम भरावन निवासी प्रदीप कुमार उर्फ नन्हके की लुटेरों द्वारा वर्ष 1997 में हत्या कर दी गयी थी? यदि हां, तो क्या मृतक की विधवा श्रीमती मुन्नी देवी को कोई आर्थिक सहायता उपलब्ध करायी गयी? क्या उक्त प्रकरण से सम्बधित प्रश्नकर्ता के पत्र पर मुख्य मंत्री कार्यालय के विधायक कोष्ठक से दिनांक 06-02-98 को जिलाधिकारी, हरदोई को सहायता उपलब्ध कराने हेतु अधिकृत किया गया था? यदि हां, तो उस पत्र पर क्या कार्यवाही की गयी? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री कल्याण सिंह-

जी हां।

जी नहीं।

सहायता उपलब्ध कराने के आदेश नहीं दिये गये थे। प्रकरण की जांचोपरान्त नियमानुसार कार्यवाही करने के निर्देश दिये गये।

जिलाधिकारी, हरदोई द्वारा अपने पत्र दिनांक 29-04-98 द्वारा विवेकाधीन कोष से आर्थिक सहायता देने की संस्तुति की गई। सम्यक विचारोपरान्त मुख्य मंत्री

विवेकाधीन कोष से आर्थिक सहायता दिये जाने का प्रस्ताव स्वीकृत नहीं किया गया।

जनपद लखनऊ स्वराज्य प्रकाश पुत्र श्री गणेश चन्द्र काछी पुलिस इन्सपेक्टर यू0पी0 एस0आर0टी0सी0 मुख्यालय का स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति का प्रकरण

2-श्री राम औतार शाक्य-

क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि श्री स्वराज्य प्रकाश पुत्र श्री गणेश चन्द्र काछी पुलिस इन्सपेक्टर यू0पी0एस0आर0टी0सी0 मुख्यालय लखनऊ का स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति हेतु फरवरी, 1997 में प्रार्थना-पत्र प्राप्त हुआ था? यदि हां, तो उक्त पत्र पर क्या कार्यवाही की गयी? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री कल्याण सिंह-

जी हां।

श्री स्वराज प्रकाश यू0पी0एस0आर0टी0सी0 से दिनांक 11.12.95 को ई0ओ0 डब्लू में स्थानान्तरित होकर आए जहां बीमारी के कारण उन्होंने कार्यभार ग्रहण नहीं किया, अवकाश की अवधि में ही स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति हेतु इनका प्रार्थना-पत्र प्राप्त हुआ। अवकाश पर होने के कारण उनके स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति के प्रार्थना-पत्र पर कार्यवाही सम्भव नहीं हो सकी।

प्रश्न नहीं उठता।

3-डा0 कौशल किशोर-

(6 ठे बुधवार में अता0 प्र0 सं0 180 के अन्तर्गत स्थानान्तरित।)

जनपद हरदोई, थाना टडियांवा, ग्राम खदरी में पड़ी डकैती की रिपोर्ट न लिखने की शिकायत

4-श्री श्याम प्रकाश-

क्या मुख्य मंत्री को जानकारी है कि ग्राम खदरी मजरा भडायल, थाना टडियावां, जनपद हरदोई में दिनांक 13/14-1-99 की रात को सशस्त्र लुटेरों ने पूरे गांव को लूट लिया तथा अनेक लोगों को मार कर घायल कर दिया? क्या यह सही है कि उक्त डकैती घटना की रिपोर्ट थाना टडियावा में नहीं लिखी गयी तथा पुलिस द्वारा कई संदिग्ध लोगों को पकड़ कर थाने से छोड़ दिया गया? क्या रिपोर्ट दर्ज न करने के लिये दोषी को दण्डित किया गया? यदि नहीं, तो क्यों? क्या सरकार उक्त लूटे गये सामान तथा पीड़ितो को आर्थिक सहायता उपलब्ध करायेगी? यदि हां, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री कल्याण सिंह-

प्रश्नगत तिथि को ग्राम खादरी, मजरा भड़ायल, जनपद हरदोई में लूटमार, डकैती एवं मार कर घायल करने की कोई भी घटना घटित नहीं हुई है।

यह कहना सही नहीं है कि डकैती की घटना घटित हुई हो और थाना टड़ियांवा में रिपोर्ट नहीं लिखी गई है अथवा पुलिस द्वारा कई संदिग्ध लोगों को पकड़ कर थाना से छोड़ दिया गया हो। तथ्य यह है कि ऐसी कोई घटना घटित नहीं हुई है। अतः रिपोर्ट भी नहीं लिखी गई है। उक्त स्थिति में किसी को दंडित करने का काई प्रश्न ही नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।
प्रश्न नहीं उठता।
प्रश्न नहीं उठता।
प्रश्न नहीं उठता।

5-श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह-

स्पष्टीकरण हेतु हटाया गया।

जनपद बस्ती परगना मजिस्ट्रेट खलीलाबाद द्वारा धारा 133 में पारित आदेश दिनांक 16.02.95 के सम्बन्ध में प्राप्त पत्र पर कार्यवाही

6-श्री दयाशंकर वर्मा, श्री नरेन्द्र सिंह शिशौदिया तथा श्री हरदेव सिंह-

क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि मा0 न्यायालय द्वारा दण्ड प्रक्रिया संहिता के अन्तर्गत धारा 133 में पारित आदेश दिनांक 16-2-95 व 22-3-96 के क्रियान्वयन में जिलाधिकारी एवं पुलिस अधीक्षक, बस्ती द्वारा मा0 सांसद श्री भानु प्रताप सिंह वर्मा के पत्र दिनांक 19-01-97, जो कि मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ को सम्बोधित था, पर क्या कार्यवाही की गयी? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री कल्याण सिंह,-

परगना मजिस्ट्रेट खलीलाबाद के धारा 133 दण्ड प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत आदेश दिनांक 22-3-96 के विरुद्ध विपक्षी द्वारा जिला एवं सत्र न्यायालय में एक निगरानी बाद सं0 313/96 दाखिल किया गया है जिसमें यथास्थिति बनाये रखने के आदेश हैं। मुंसिफ मजिस्ट्रेट (जोडिशियल) ने वाद सं0-313/96 में 24-5-96 को स्थगनादेश दिया गया है। अतएव प्रश्नगत 133 के न्यायालय के आदेशों का अनुपालन स्थगनादेश के रहते सम्भव नहीं है।

मा0 सांसद का पत्र दिनांक 19-01-97 नहीं बल्कि 09-01-97 प्राप्त हुआ है। थाना सोनहा बस्ती में एन0सी0आर0 संख्या 124/96 धारा 323 भा0द0वि0 पंजीकृत करके विवेचनोपरांत दिनांक 25-07-97 को अभियुक्तों के विरुद्ध आरोप पत्र न्यायालय भेजा गया है। शांति व्यवस्था बनाये रखने हेतु सी0 आर0 पी0 सी0 की धारा 107/116 की कार्यवाही की गई तथा थानाध्यक्ष सोनहा जिला बस्ती को श्री शजीजुर्रहमान व उनके परिवार की सुरक्षा व्यवस्था करने हेतु निर्देशित किया जा चुका है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

श्री दयाशंकर, श्री नरेन्द्र सिंह शिशौदिया व श्री हरदेव सिंह-
(6 वें गुरुवार में उनता0 प्र0 सं0 7 के अन्तर्गत स्थानान्तरित)

श्री राजकिशोर धवन पूर्व सचिव महाप्रबन्धक जिला सहकारी बैंक लखीमपुर खीरी के विरुद्ध स्टेशनरी खरीद का प्रकरण

8-डा0 कौशल किशोर-

क्या सहकारिता मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि श्री राजकिशोर धवन पूर्व सचिव महाप्रबंधक जिला सहकारी बैंक लखीमपुर खीरी के विरुद्ध स्टेशनरी खरीद प्रकरण में धारा 68 की कोई कार्यवाही चल रही है? यदि हां, तो उसमें कोई निर्णय लिया गया? यदि नहीं, तो क्यों?

"पटेल" राम कुमार वर्मा-

जी हां।
जी नहीं।

धारा 68 के अन्तर्गत कार्यवाही अर्धन्यायिक प्रक्रिया होने तथा उसे पूर्ण करने हेतु सुनवाई में समय लगने के कारण अभी अन्तिम निर्णय नहीं लिया जा सका है।

जनपद बस्ती थाना सोनहा में मा0 न्यायालय के आदेशों की अवहेलना तथा प्राण घातक हमले सम्बन्धी प्राप्त पत्र पर दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध कार्यवाही की जानकारी

9-श्री महेन्द्र कुमार बाल्मीकि तथा श्री नरेन्द्र सिंह शिशौदिया-

क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि जनपद बस्ती में थाना सोनहा एवं पुलिस अधीक्षक बस्ती की मिलीभगत से मा0 न्यायालय के आदेशों का अनुपालन न करने तथा प्राणघातक हमले संबंधी माननीय सांसद श्री भानु प्रताप सिंह वर्मा के पत्र दिनांक 22-10-96, 9-1-97, 13-1-97 एवं 29-4-97, जो कि क्रमशः पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0 मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन, मा0 प्रधान मंत्री/गृह मंत्री, भारत सरकार एवं मुख्य मंत्री को एवं श्री ब्रजभूषण सिंह कुशवाहा, एम0एल0सी0 का पत्र दिनांक 22-9-97 जो कि मुख्य मंत्री जी को तथा तत्कालीन पंचायती राज एवं संसदीय कार्य मंत्री श्री हृदय नरायण दीक्षित का पत्र दिनांक 18-9-95 जो कि जिलाधिकारी, बस्ती को सम्बोधित थे, प्राप्त हुए हैं? यदि हां, तो जिलाधिकारी/पुलिस, अधीक्षक, जिला-बस्ती द्वारा दिनांक 26-1-99 तक क्या कार्यवाही की गयी? क्या यह सत्य है कि संबंधित दोषी अधिकारियों को चिन्हित कर लिया गया है? यदि हां, तो उनके विरुद्ध कया कार्यवाही की जायेगी? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री कल्याण सिंह-

मा0 सांसद का पत्र दिनांक 22-10-96 तथा 29-4-97 प्राप्त नहीं हुए हैं बल्कि

पत्र दिनांक 9-1-97 व 13-1-97 प्राप्त हुए हैं। श्री बृज भूषण सिंह कुशवाहा एम0एल0सी0 का पत्र दिनांक 22-9-97 तथा तत्कालीन पंचायती एवं संसदीय कार्य मंत्री जी का पत्र दिनांक 18-9-95 प्राप्त नहीं हुआ है।

थाना सोनहां बस्ती में एन0सी0आर0 संख्या-124/96 अंतर्गत धारा 323 भा0द0वि0 पंजीकृत करके विवेचनोपरातं दिनांक 25-7-97 को अभियुक्तों के विरुद्ध आरोप पत्र न्यायालय भेजा गया तथा शांति व्यवस्था बनाये रखने हेतु सी0आर0पी0 की धारा 107/116 की कार्यवाही की गई। थानाध्यक्ष सोनहा जिला बस्ती को श्री अजीजुर्रहमान व उनके परिवार की सुरक्षा व्यवस्था करने हेतु निर्देशित किया जा चुका है।

दिनांक 22-3-96 से 24-5-96 तक न्यायालय के आदेशों का अनुपालन न करने के लिए तत्कालीन थानाध्यक्ष सोनहा जिला बस्ती के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही करके दण्डित करने के आदेश दिनांक 18-7-97 को निर्गत किये जा चुके हैं।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद चित्रकूट में शस्त्र लाइसेन्स हेतु प्राप्त आवेदन पत्रों पर वर्गों के अनुसार जारी लाइसेन्सों की जानकारी

10-श्री आर0 के0 सिंह पटेल-

क्या सरकार को जानकारी है कि जनपद चित्रकूट में 6 मई, 1997 से 20 जनवरी, 1999 तक कुल कितने शस्त्र लाइसेंस के आवेदन पत्र प्राप्त हुये हैं? उनमें कितने अनुसूचित जाति, पिछड़े वर्ग एवं सामान्य वर्ग के आवेदन-पत्र हैं? वर्तमान में कार्यरत जिला मजिस्ट्रेट चित्रकूट श्री जगन्नाथ सिंह द्वारा अब तक कुल कितने शस्त्र लाइसेंस जारी किये गये हैं? जारी किये गये शस्त्र लाइसेंसों में किस वर्ग का कितने शस्त्र लाइसेन्स जारी किये गये हैं तथा किस वर्ग के कितने शस्त्र लाइसेंस आवेदन पत्र निरस्त किये गये हैं? क्या यह सही है कि जारी किये गये शस्त्र लाइसेंसों में से अधिकांश अपराधी, गुण्डा, दबंग एवं दुश्चरित्र व्यक्तियों को जारी किये गये हैं? यदि हां, तो क्या उक्त प्रकरण की जांच करायी जायेगी? यदि हां, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री कल्याण सिंह-

जनपद चित्रकूट में दिनांक 6 मई, 1997 से 20 जनवरी, 1999 तक कुल 3,386 शस्त्र लाइसेंस के आवेदन पत्र प्राप्त हुए हैं।

प्रार्थना पत्र में जाति का उल्लेख नहीं होता है और तदनुसार जातियों का विवरण नहीं रखा जाता है।

श्री जगन्नाथ सिंह, जिला मजिस्ट्रेट, चित्रकूट द्वारा दिनांक 28-2-99 तक कुल 221 शस्त्र लाइसेंस स्वीकृत किये गये। जाति/वर्ग के आधार पर शस्त्र लाइसेंस आवेदन-पत्र न तो स्वीकृत किए गये हैं और न ही निरस्त किये गये हैं।

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

उत्तर प्रदेश राज्य परिवहन निगम के कार सेक्शन में, शासन के वाहन के पेट्रोल खपत का औसत कम अंकित करने की जानकारी

।।-श्री गोरखनाथ पाण्डेय-

क्या परिवहन मंत्री को जानकारी है कि शासन तथा उत्तर प्रदेश राज्य सम्पत्ति विभाग के वाहन उ0प्र0 राज्य परिवहन निगम के कार सेक्शन में अनुरक्षण हेतु भेजे जाते हैं? क्या यह सही है कि कार सेक्शन के प्रबन्धक द्वारा सभी सरकारी वाहनों की पेट्रोल खपत का औसत क्रम अंकित किया जाता है? यदि हां, तो क्या सरकार इसकी जांच करायेगी और विगत पांच वर्षों में कार सेक्शन में तैनात कर्मचारियों की संपत्ति की जांच भी करायेगी? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री कल्याण सिंह-

जी हाँ।

पेट्रोल खपत का विवरण संबंधित विभाग द्वारा ही रखा जाता है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश की सहकारी समितियों में करोड़ो रुपये के वित्तीय अनियमितता की सी0बी0आई0 से जांच

।2-श्री गोरखनाथ पाण्डेय-

क्या सहकारिता मंत्री को जानकारी है कि प्रदेश के विभिन्न सहकारी समितियों में करोड़ो रुपये की वित्तीय अनियमितता एवं गबन की अनेकों मामलें शासन के संज्ञान में हैं? क्या उक्त मामलों की जांच सी0बी0आई0 से कराये जाने के आदेश दिये गये हैं? यदि हां, तो कब, यदि नहीं, तो क्यों?

"पटेल" राम कुमार वर्मा-

शिकायती पत्र, आडिट एवं जांच से समय-समय पर सहकारी समितियों में अनियमितताओं की सूचना प्राप्त होती रहती है। दस मामलों में सी0बी0आई0 से जांच कराने हेतु भारत सरकार से अनुरोध किया गया था, परन्तु उन्होंने यह प्रस्ताव स्वीकार नहीं किया।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद संत रविदास नगर में राशन वितरण की एक से अधिक दुकान चलाने वालों को प्रतिबंधित करने की मांग

13-श्री गोरखनाथ पाण्डेय-

क्या खाद्य एवं रसद मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद (भदोही) संत रविदास नगर में राशन वितरण की एक से अधिक दुकानें चलाने वालों की संख्या कितनी है ? क्या ऐसे व्यक्तियों द्वारा मनमानी कर ब्लैक मार्केटिंग को बढ़ावा दिया जा रहा है ? यदि हां, तो क्या उन्हें प्रतिबंधित किया जायेगा ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री हुकुम सिंह-

जनपद (भदोही) संत रविदास नगर में राशन वितरण की एक से अधिक दुकाने चलाने वालों की संख्या शून्य है ।

प्रश्न नहीं उठता ।
प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद कानपुर नगर में पुलिस मुठभेड़ में शौर्यपूर्ण कार्य हेतु 15 पुलिस कर्मियों में से केवल 4 को प्रोन्नति देने का प्रकरण

14-श्री कृपा शंकर सिंह-

क्या मुख्य मंत्री को जानकारी है कि दिनांक 31-5-98 को थाना पीलखाना जनपद कानपुर नगर में पुलिस मुठभेड़ के दौरान कुख्यात अपराधी संजय ओझा एवं अमरेन्द्र अवस्थी को मार गिराने की घटना में प्रदर्शित अदम्य साहस एवं शौर्यपूर्ण कार्य हेतु पुलिस दल को एक रैंक आउट आफ टर्न प्रोन्नति देने की घोषणा की गयी थी ? यदि हां, तो क्या यह सही है कि पुलिस दल में शामिल 15 पुलिस कर्मियों में से केवल 4 को ही अब तक प्रोन्नति दी गयी है, शेष को नहीं ? यदि हां, तो क्या शेष पुलिस कर्मियों को भी आउट आफ टर्न प्रोन्नति दी जायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कल्याण सिंह-

जी नहीं ।

पुलिस महानिरीक्षक, कानपुर जोन द्वारा प्रथम चरण में 5 पुलिस कर्मियों को एक रैंक प्रोन्नति का प्रस्ताव प्रेषित किया गया था । पुलिस महानिदेशक स्तर पर गठित/प्राधिकृत समिति द्वारा किये गये परीक्षणोपरान्त पुलिस महानिरीक्षक की संस्तुति के उपरान्त श्री राम शिरोमणि पाण्डे जिनका निरीक्षक से पुलिस उपाधीक्षक के पद पर प्रोन्नति की जानी है, को छोड़कर शेष 4 को एक रैंक प्रोन्नति प्रदान की गयी ।

पुलिस महानिरीक्षक, कानपुर जोन द्वारा द्वितीय चरण में 10 पुलिस कर्मियों

को एक रैंक प्रोन्नति के प्रस्ताव पर प्राधिकृत समिति द्वारा किये गये गहन परीक्षणोपरान्त प्रकरण में उक्त 10 पुलिस कर्मियों द्वारा अदम्य साहस एवं शौर्य प्रदर्शन न पाये जाने के कारण उन्हें एक रैंक प्रोन्नति की संस्तुति नहीं की गयी।

जनपद टिहरी गढ़वाल, थाना मुनी की रेती में गंगा हिमालयन एडवेंचर्स, कैलाश गेट, मुनी की रेती टिहरी गढ़वाल के कर्मचारी श्री रवि थापा द्वारा दर्ज रिपोर्ट पर कार्यवाही की जानकारी

15-श्री लाखी राम जोशी-

क्या मुख्य मंत्री को जानकारी है कि जिला टिहरी गढ़वाल के पुलिस थाना मुनी की रेती में गंगा हिमालयन एडवेंचर्स, कैलाशगेट, मुनि की रेती टिहरी गढ़वाल के कर्मचारी श्री रवि थापा द्वारा दिनांक 15-11-98 को श्री पार्थो शाह एवं अन्यों के खिलाफ आगजनी, लूटपाट एवं मारपीट करने की रिपोर्ट दर्ज कराई थी? यदि हां, तो क्या अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया गया है? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री कल्याण सिंह-

जी हाँ।

जी नहीं। स्थिति इस प्रकार है कि प्रश्नगत घटना के सम्बन्ध में श्री रवि थापा द्वारा थाना मुनि की रेती पर मु0अ0सं0-408/98 धारा 395/435, भा0द0वि0 का अपराध पार्थो शाह, चक्रधर, विनोद तथा अन्य 6-7 व्यक्तियों के विरुद्ध दर्ज कराया गया था। विवेचना से उक्त धाराओं का अपराध होना नहीं पाया गया, फलतः उक्त अपराध को धारा 504 भा0द0वि0 के अहस्तक्षेपीय अपराध अन्तर्गत तरमीम किया गया। जांचोपरान्त आरोप प्रमाणित नहीं पाये गये। अस्तु किसी अन्य कार्यवाही का औचित्य नहीं पाया गया।

जांचोपरान्त आरोप प्रमाणित नहीं पाये गये।

16-श्री तेजभान सिंह-

(दिनांक 11-3-99 को अता0प्र0सं0 104 द्वारा उत्तरित)

केन्द्र सरकार की भांति राज्य सतर्कता आयोग में आयुक्त की नियुक्ति का प्रकरण

17-श्री कृष्ण चन्द्र पुनेठा-

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि राज्य सतर्कता आयोग को वैधानिक दर्जा देकर केन्द्र सरकार की भांति आयुक्त की नियुक्ति एवं उन्हें दायित्व सौंपा जायेगा? यदि हां, तो कब तक? यदि नही, तो क्यों?

श्री कल्याण सिंह-

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता

कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

जिला सुल्तानपुर में नि0 कुड़वारनाका सिविल लाइन के श्री ज्ञानेन्द्र सिंह की दुकान का ताला दरोगा द्वारा तोड़े जाने की जांच हेतु प्राप्त पत्र पर कार्यवाही

18-श्री तेजभान सिंह-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि श्री ज्ञानेन्द्र सिंह, नि0-कुड़वारनाका सिविल लाइन, जिला-सुल्तानपुर की दुकान का ताला कथित दरोगा द्वारा तोड़े जाने की जांच विषयक प्रश्नकर्ता द्वारा संस्तुत विधायक प्रकोष्ठ का पत्र संख्या-सी0एम0/वि0को0/एम-3/16576/सुल्तानपुर/98, दिनांक 25-9-98 पुलिस अधीक्षक, सुल्तानपुर को प्राप्त हुआ है? यदि हां, तो उस पर क्या कोई जांच की गई है? यदि हां, तो जांच परिणाम क्या है? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री कल्याण सिंह-

जी हां।

जांच क्षेत्राधिकारी नगर द्वारा की गई है।

अभियोग पंजीकृत कर विवेचनोपरांत आरोप पत्र संख्या-ए-312/98 दिनांक 30-10-98 न्यायालय प्रेषित किया जा चुका है।

प्रश्न नहीं उठता है।

जिला सुल्तानपुर में ग्राम व थाना शुकुल बाजार के श्री शिव प्रसाद कौशल के पिता की दुर्घटना हेतु पंजीकृत अभियोग पर कार्यवाही की जानकारी

19-श्री तेजभान सिंह-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या श्री शिव प्रसाद कौशल, ग्राम व थाना-शुकुल बाजार, जिला-सुल्तानपुर के पिता की हत्या की जांच विषयक प्रश्नकर्ता द्वारा संस्तुत पत्र विधायक प्रकोष्ठ के पत्र संख्या-सी0एम0/वि0को0/एम-3/16575/सुल्तानपुर/98, दिनांक 25-09-98 पर पुलिस अधीक्षक, सुल्तानपुर द्वारा कोई जांच की गयी है? यदि हां, तो कब और किसके द्वारा तथा जांच परिणाम क्या हैं? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री कल्याण सिंह-

जी हां।

प्रार्थना पत्र प्राप्त होने के बाद श्री पी0 के0 मिश्र अपर पुलिस अधीक्षक सुल्तानपुर द्वारा जांच की गई तथा जांच से हत्या किये जाने का प्रकरण नहीं पाया गया बल्कि अचानक दुर्घटना का अपराध पाया गया जिसके फलस्वरूप समुचित धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर आवश्यक कार्यवाही की गयी।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद मुरादाबाद, शिवरा गन्ना मिल द्वारा छोड़े जा रहे गन्दे पानी से हानि के निवारण की जानकारी

20-मेजर जगतपाल सिंह-

क्या पर्यावरण मंत्री को जानकारी है कि जनपद-मुरादाबाद में गांगन नदी व राम गंगा नदी में शिवरा गन्ना मिल व गन्ना फैक्ट्री भगवानपुर का काला पानी छोड़ा जा रहा है? क्या इससे लगभग 500 गांव की खेती में भारी हानि हो रही है तथा उस क्षेत्र के पशु बीमार होकर मर रहें हैं? यदि हां, तो क्या सरकार इसके निवारण हेतु कोई उपाय करेगी? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री बच्चा पाठक-

स्योहारा शुगर मिल (अपर गंगेज शुगर इण्डस्ट्रीज लि0) द्वारा औद्योगिक प्रक्रिया के दौरान जनित प्रदूषणकारी उत्प्रवाह शुद्धिकरण संयंत्र से शुद्धिकरण के पश्चात् निर्धारित मानकों के अनुरूप नाले द्वारा लगभग 18 किलोमीटर दूर अन्ततः राम गंगा नदी में निस्तारित किया जाता है। निस्तारित उत्प्रवाह काला नहीं पाया गया है। गत्ता फैक्ट्री, भगवानपुर (डी0एम0एम0एग्रो प्रोडक्ट्स) पूर्व में लगभग । वर्ष से बन्द थी। वर्तमान में इसका संचालन दिनांक 04-03-99 से प्रारम्भ हो गया है। उद्योग द्वारा औद्योगिक प्रक्रिया के दौरान जनित उत्प्रवाहके शुद्धिकरण हेतु उत्प्रवाह शुद्धिकरण संयंत्र स्थापित किया गया है, जो अभी स्टेबिलाइजेशन की स्थिति में है। उद्योग का उत्प्रवाह हल्के भूरे रंग का पाया गया है। दोनों इकाइयों का उत्प्रवाह रामगंगा नदी में निस्तारित होता है। गांगन नदी में उक्त दोनों इकाइयों का उत्प्रवाह नहीं मिलता है।

विस्तृत आख्या जिला कृषि अधिकारी मुरादाबाद व मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी मुरादाबाद से प्राप्त कर यथा स्थिति आवश्यक कार्यवाही की जायेगी।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद मैनपुरी से सेवानिवृत्त पुलिस हेड कांस्टेबिल निहाल सिंह के मरणोपरान्त उनके पेंशन के अवशेषों का भुगतान पत्नी को करने की मांग

21-श्री मानिक चन्द यादव तथा श्री अजय कुमार पोइया-

क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि पुलिस हेड कांस्टेबिल निहाल सिंह जनपद मैनपुरी से सेवानिवृत्त होकर कोषागार आगरा से पी0पी0ओ0 संख्या-36698 पर पेंशन प्राप्त कर रहे थे? क्या मरणोपरान्त उनकी विधवा पत्नी श्रीमती प्रयाग देवी को उनकी पेंशन का अवशेष धन भी भुगतान किया जा चुका है? यदि हां, तो क्या नवीन पारिवारिक पेंशन योजना 1965 के तहत बेवा पेंशन स्वीकृत कर भुगतान नहीं किया गया? यदि हां, तो क्यों?

श्री कल्याण सिंह-

जी हां।

जी हां।

प्रस्ताव महालेखाकार उत्तर प्रदेश इलाहाबाद को स्वीकृत हेतु दिनांक 30.11.98 को वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक मैनपुरी द्वारा भेजा गया। महालेखाकार द्वारा लगायी गयी आपत्तियों का निराकरण करके पारिवारिक पेंशन भुगतान आदेश निर्गत करने हेतु भेज दिया गया है।

उपरोक्तानुसार।

जनपद फैजाबाद, थाना पटरंगा धारा 420 में पंजीकृत मुकदमें में क्षेत्राधिकारी के अनुचित रवैये के विरुद्ध कार्यवाही की मांग

22-आचार्य रामदेव वैश्य-

क्या मुख्य मंत्री को जानकारी है कि थाना पटरंगा जनपद फैजाबाद में अपराध संख्या-217/98 धारा 420 भारतीय दंड विधान एवं 3(1)4 एस0सी0, एस0टी0 ऐक्ट के तहत लालबहादुर आदि के विरुद्ध दिनांक 23-8-98 को मुकदमा पंजीकृत है? यदि हां, तो क्या इसके वादी राम लखन पासी पुत्र राम बख्स पासी निवासी, मकनगंज, थाना पटरंगा हैं? यदि हां, तो क्या उक्त अपराध संख्या तथा धाराओं में क्षेत्राधिकारी के आदेश से वादी को ही दिनांक 5-1-99 को बन्द किया गया था? यदि हां, तो क्या अदालत ने इस कार्यवाही को गलत माना है? यदि हां, तो उक्त क्षेत्राधिकारी के विरुद्ध वया कार्यवाही की गयी?

श्री कल्याण सिंह-

जी हां।

जी हां।

जी हां।

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद मुरादाबाद शहर के मध्य स्थित जिला कारागार को सुरक्षा की दृष्टिकोण से स्थानान्तरित करने का प्रस्ताव

23-मेजर जगतपाल सिंह-

क्या कारागार मंत्री को जानकारी है कि जनपद-मुरादाबाद में जिला कारागार सिविल लाइन व कन्या विद्यालय, बाजार के समीप भीड़ वाले क्षेत्र में स्थित

होने के कारण आवागमन व असुरक्षा का वातावरण बना हुआ है ? यदि हां, तो क्या इस कारागार को नगर से हटाने की कोई योजना है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिव प्रताप शुक्ल-

सुरक्षा के दृष्टिकोण से शहर के मध्य आ गयी जिला कारागार मुरादाबाद को आबादी के बाहर स्थानान्तरित कर नवीन कारागार का निर्माण कराने का प्रस्ताव विचाराधीन है ।

जनपद बाराबंकी एल0 के0 मेलबुल स्टील इंडस्ट्रीज से वायु एवं ध्वनि प्रदूषण के विरुद्ध कार्यवाही

24-चौ0 रवीन्द्र प्रताप तथा श्री नरेन्द्र सिंह-

क्या पर्यावरण मंत्री को जानकारी है कि बाराबंकी शहर की आवास विकास और तहसीलदार कालोनी से सटी चड्ढा बिल्डिंग में एक कारखाना एल0के0 मेलबुल स्टील इंडस्ट्रीज के नाम से चल रहा है ? क्या इस फैक्ट्री के वायु और ध्वनि प्रदूषण से क्षेत्रीय आवासीय कालोनियों में बसने वाले लोगों के स्वास्थ्य पर विपरीत असर पड़ रहा है ? क्या धारा-133 जा0फौ0 वाद संख्या-22/94 की सुनवाई के उपरान्त परगना मजिस्ट्रेट द्वारा उक्त कारखाने को स्थानान्तरित किये जाने का आदेश दिया गया है ? यदि हां, तो अभी तक कारखाना स्थानान्तरित न किये जाने का क्या कारण है ? क्या मंत्री जी इसके लिये दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध कार्यवाही करते हुये कारखाना को अन्यत्र स्थानान्तरित करायेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बच्चा पाठक-

जी हां ।

जी हाँ ।

जी हाँ ।

दिनांक 22-4-97 को परगनाधिकारी नवाबगंज, बाराबंकी ने 15 दिन के अंदर प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से संचालन हेतु वांछित प्रमाण-पत्र जमा करने के आदेश दिये अन्यथा उक्त के अभाव में उद्योग को बंद कर दिया जायेगा । दिनांक 25-4-97 के परगनाधिकारी, बाराबंकी के उक्त आदेश को उद्योग द्वारा माननीय जिला एवं सत्र न्यायाधीश, बाराबंकी के न्यायालय में निगरानी दायर करते हुए चुनौती दी गयी जिसमें माननीय न्यायाधीश द्वारा अपने आदेश दिनांक 07-5-97 द्वारा परगनाधिकारी बाराबंकी के आदेश को अग्रिम आदेशों तक स्थगित कर दिया गया जो अभी तक प्रभावी है ।

इस प्रकरण में मा0 न्यायालय के आदेशानुसार कार्यवाही की जायेगी ।

प्रश्न नहीं उठता ।

श्री स्वराज्य प्रकाश पुलिस इंसपेक्टर निवासी हाल कुंवर सिंह नगर नागलोई नई दिल्ली द्वारा जी0पी0एफ0, ग्रेच्युटी एवं पेंशन के सम्बन्ध में दिये गये पत्र पर कार्यवाही

25-श्री राम औतार शाक्य-

क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि स्वराजय प्रकाश इंसपेक्टर पुलिस निवासी-हाल कुंवर सिंह नगर नागलोई, नई दिल्ली का प्रार्थना-पत्र जो जी0पी0एफ0, ग्रेच्युटी एवं पेंशन आदि के सम्बन्ध में था प्रश्नकर्ता के कवरिंग लेटर के साथ दिनांक 13-1-99 को प्रमुख सचिव, गृह को प्राप्त हुआ ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त आवेदक के अंधे हो जाने के कारण मानवीय दृष्टिकोण से शीर्ष प्राथमिकता के आधार पर जी0पी0एफ0 ग्रेच्युटी एवं पेंशन आदि दिलाना सुनिश्चित करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कल्याण सिंह-

जी हाँ।

पुलिस महानिदेशक को दिनांक 4-2-99 को कार्यवाही हेतु निर्देशित कर दिया गया है।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

उत्तर प्रदेश पुलिस महानिदेशक द्वारा जनपद प्रतापगढ़ में इण्टरनेट कम्प्यूटर के उद्घाटन किये जाने पर आपत्ति

26-श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह-

क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि क्या पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश दिनांक 21-1-99 को एक पी0सी0ओ0 एवं गोपनीय कार्यालय में इण्टरनेट सम्बन्धी सुविधा का उद्घाटन करने हेतु प्रतापगढ़ गये थे ? यदि हां, तो पी0सी0ओ0 एवं इण्टरनेट कम्प्यूटर आदि स्वीकृत का विवरण क्या है ? क्या यह सही है कि उक्त कार्यक्रम में मंत्री एवं सांसद भी उपस्थित थे ? यदि हां, तो पुलिस महानिदेशक द्वारा उद्घाटन का क्या औचित्य है ? क्या इस सम्बन्ध में पुलिस महानिदेशक को प्रश्नकर्ता का पत्र ख-2 नं0-483356 दिनांक 18-1-99 दिनांक 20-1-99 को फैक्स नं0-283493 पर 13.00 बजे प्राप्त हुआ था ? यदि हां, तो उक्त पत्र पर क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री कल्याण सिंह-

पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0 दिनांक 21-1-99 को जनपद प्रतापगढ़ गये थे, जहां उन्होंने पुलिस अधीक्षक, प्रतापगढ़ के गोपनीय कार्यालय में विभागीय कम्प्यूटर का उद्घाटन किया था।

उक्त कम्प्यूटर हेतु शासन द्वारा कोई धनराशि स्वीकृत नहीं की गयी है। इसकी व्यवस्था स्थानीय मा0 सांसद द्वारा सांसद विकास योजना के अन्तर्गत भारत सरकार द्वारा उपलब्ध कराये गये धन के ब्याज से की गयी बताई गई है।

उक्त कार्यक्रम की अध्यक्षता स्थानीय मा0 सांसद द्वारा की गयी थी तथा जनपद प्रतापगढ़ के मा0 मंत्री जी इसमें मुख्य अतिथि थे।

पुलिस महानिदेशक द्वारा अवगत कराया गया है कि प्रश्नकर्ता के प्रश्नगत पत्र उन्हें दिनांक 20-1-99 को फैक्स सं0 283493 पर 13.00 बजे प्राप्त होना नहीं प्रतीत होता है।

पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ के विरुद्ध प्राप्त पत्र पर कार्यवाही

27-श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि पुलिस अधीक्षक, प्रतापगढ़ के विरुद्ध प्रश्नकर्ता के पत्र संख्या ख-2, 44219, 483354, 483352, 483351, 44212, 44228, दिनांक 18-1-99 जो उनको दिनांक 20-1-99 को दिये गये थे तथा उक्त पत्रों की प्रतियां प्रमुख सचिव, गृह, पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश, पुलिस उप महानिरीक्षक एवं महानिरीक्षक, इलाहाबाद को भी फैक्स द्वारा भेजी गयी है, प्राप्त हुयी हैं? यदि हां, तो उक्त पत्रों पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी है?

श्री कल्याण सिंह-

प्रश्नकर्ता के प्रश्न में उल्लिखित शिकायती पत्रों पर आवश्यक कार्यवाही के निर्देश दिए गए हैं।

जनपद उन्नाव में प्रारम्भिक कृषि ऋण सहकारी समितियों के सचिवों के वेतन हेतु कैडर फण्ड में अंशदान का प्राविधान तथा वर्ष 1990 से 97 तक के विवरण की जानकारी

28-श्री कृपा शंकर सिंह-

क्या सहकारिता मंत्री को ज्ञात है कि उन्नाव जनपद स्तर पर गठित प्रारम्भिक कृषि ऋण सहकारी समितियों के सचिवों के वेतन हेतु कैडर फण्ड में शीर्ष सहकारी संस्थाओं द्वारा अंशदान देने के प्राविधान है? यदि हां, तो वर्ष 90-91 से 1996-97 तक किन-किन शीर्ष संस्थाओं ने कितना-कितना और कब-कब अंशदान दिया है? यदि नहीं, तो क्यों?

"पटेल" राम कुमार वर्मा-

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

चूंकि उक्त आशय की व्यवस्था नहीं है, इसलिये अंशदान नहीं दिया गया।

जिला सहकारी बैंक लिमिटेड उन्नाव द्वारा वर्ष 1990 से 97 तक बैंक में अंशदान कैडर फण्ड में जमा कराने की जानकारी

29-श्री कृपा शंकर सिंह-

क्या सहकारिता मंत्री को जानकारी है कि जिला सहकारी बैंकों द्वारा सहकारी वर्ष में 0.50 प्रतिशत की दर से और सहकारी समितियों द्वारा सहकारी वर्ष में 1.5 प्रतिशत की दर से अंशदान कैडर फंड में जमा किये जाने का प्राविधान है ? यदि हां, तो क्या जिला सहकारी बैंक लिमिटेड उन्नाव द्वारा वर्ष 1990-91 से वर्ष 1996-97 तक बैंक से उक्त अंशदान कैडर फण्ड में जमा कराया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

"पटेल" रामकुमार वर्मा-

जी हाँ।

वर्ष 1990-91 से 1994-95 तक उक्त अंशदान बैंक द्वारा जमा नहीं किया गया। वर्ष 1995-96 में आंशिक अंशदान मु0रु0 30,824.30 एवं वर्ष 1996-97 में रु0 5,37,777.00 कैडर फंड में जमा किया गया।

कैडर फंड में वर्षवार कमी की धनराशि राज्य केन्द्रीयत सेवा निधि एवं किसी अन्य श्रोत से न मिल पाने तथा खाते में वर्षानुवर्ष बैंक द्वारा किये जा रहे ओवर ड्राफ्ट के कारण बैंक द्वारा अंशदान जमा नहीं किया जा सका।

जनपद उन्नाव, थाना बिहार में मु0अपराध सं0 176/98 एवं 177/98, की निष्पक्ष विवेचना कराने की मांग

30-श्री कृपा शंकर सिंह-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि मु0 अपराध संख्या 176/98 एवं 177/98 थाना बिहार, जनपद उन्नाव की प्रथम सूचना रिपोर्ट में वादी ने मुल्जिमान की चौकी इंजार्च भगवन्तनगर की सांठ-गांठ होने का आरोप लगाया था ? यदि हां, तो क्या यह भी जानकारी में है कि विवेचक चौकी इंचार्ज ने कोई विवेचना न करके मुल्जिमान से मिलकर मामला ही समाप्त कर दिया है ? यदि हां, तो क्या वादी को न्याय दिलाने हेतु फिर से निष्पक्ष विवेचना कराई जायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कल्याण सिंह-

जी हाँ।

इस सम्बन्ध में तथ्य यह है कि मु0अ0सं0-176/98 में वाद विवेचना अंतिम रिपोर्ट सं0-32 दिनांक 14-9-98 को न्यायालय में प्रेषित की गयी। यह अन्तिम रिपोर्ट उस विवेचक द्वारा ही लगायी गयी थी जिसके संबंध में वादी द्वारा शिकायत की गयी थी जिसके संबंध में वादी द्वारा शिकायत की गयी थी। अतः उच्च स्तर पर समीक्षा करके यह उचित पाया गया कि न्यायालय से विधिक प्रक्रियानुसार सम्यक अनुरोध करके इस प्रकरण की पुर्नविवेचना अन्य विवेचक से करायी जाय तद्नुसार कार्यवाही प्रचलित है। मु0अ0सं0 177/98 विवेचक द्वारा प्रेषित की गयी अंतिम

रिपोर्ट क्षेत्राधिकारी द्वारा समीचीन नहीं पायी गयी, तद्नुसार क्षेत्राधिकारी स्तर से प्रकरण में पुनर्विवेचना के आदेश दिये गये, यह विवेचना अब उपनिरीक्षक श्री अर्जुन प्रसाद तिवारी द्वारा दी जा रही है।

उपरोक्तानुसार।

जिला उन्नाव, थाना बिहार मुख्य अपराध संख्या 191/98 धारा 376 की निष्पक्ष विवेचना कराने की मांग

31-श्री कृपा शंकर सिंह-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि मुकदमा अपराध संख्या-191/98 धारा 376 आई0पी0सी0 थाना बिहार, जिला-उन्नाव की वादिनी श्रीमती छेदाना ने अपनी लिखित रिपोर्ट में बलात्कार करने वाले अभियुक्त को नामजद किया था तथा थाना बिहार की पुलिस द्वारा उसकी रिपोर्ट न लिखे जाने के बाबत प्रार्थना-पत्र दिया था? यदि हां, तो क्या यह भी जानकारी में है कि उसी आरोपी पुलिस ने अभियुक्त से मिलकर मामले में अंतिम रिपोर्ट लगा दी है? क्या वादिनी को न्याय दिलाने हेतु निष्पक्ष विवेचना कराई जायेगी तथा निष्पक्ष विवेचना न कराने की जांच कराई जायेगी? यदि हां, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री कल्याण सिंह-

जी हाँ।

अन्तिम रिपोर्ट नहीं लगाई गई बल्कि वादिनी श्रीमती छेदाना की डाक्टरी परीक्षण रिपोर्ट एवं गहन विवेचना के आधार पर विवेचक द्वारा अपराध मात्र धारा 323/504 भा0द0वि0 के हद तक पाया गया फलस्वरूप उक्त धारा के अन्तर्गत आरोप पत्र संख्या-149 दिनांक 6-12-98 को न्यायालय प्रेषित किया जा चुका है।

गुण दोष के आधार पर निष्पक्ष विवेचना पूर्व में ही की जा चुकी है तथा आरोप पत्र मा0 न्यायालय में प्रेषित किये जा चुके हैं।

जनपद लखनऊ में पुलिस अधीक्षक (नगर) के पद को पुनः सृजित करने की मांग

32-श्री कृष्ण चन्द्र पुनेठा-

क्या सरकार को ज्ञात है कि लखनऊ में कानून व्यवस्था को चुस्त-दुरुस्त बनाने हेतु नगर पुलिस अधीक्षक के पद को समाप्त कर तीन अपर पुलिस अधीक्षकों की नियुक्ति की गयी है? क्या नगर को तीन भागों में बांट दिए जाने से ठीक समन्वय व ताल-मेल के आभाव के कारण न सिर्फ जनता की शिकायत को एक स्तर से निपटने में कठिनाई पैदा हो रही है बल्कि तीन अपर पुलिस अधीक्षकों के पद के लिये भारी व्यय भी बढ़ गया है? यदि हां, तो क्या सरकार पुनः नगर पुलिस अधीक्षक का पद सृजित करेगी? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री कल्याण सिंह-

भारत सरकार द्वारा भारतीय पुलिस सेवा (उ0प्र0संवर्ग) के वरिष्ठ वेतनमान के पदों के पुनर्निर्धारण में पुलिस अधीक्षक (नगर) लखनऊ का पद सम्मिलित नहीं किया गया है। जनपद की बढ़ती सामाजिक दायित्व, कानून व्यवस्था की स्थिति को सुदृढ़ बनाने तथा जनता की शिकायतों के त्वरित निस्तारण एवं गहन पर्यवेक्षण हेतु तीन अपर पुलिस अधीक्षकों की नियुक्ति की गयी है।

लखनऊ जनपद की कानून व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने, अपराधों पर नियंत्रण एवं जनता की समस्याओं के त्वरित निस्तारण में गति लाने हेतु तीन अपर पुलिस अधीक्षक की नियुक्ति की गयी है उनके समन्वय एवं तालमेल में कोई कठिनाई पैदा नहीं हो रही है तथा इस पर होने वाला व्यय नगण्य है।

पुलिस अधीक्षक (नगर) लखनऊ के पद को पुनःस्थापित किये जाने के सम्बन्ध में अभी तक कोई निर्णय नहीं लिया गया है।

जनपद देवरिया, विकास खण्ड देसही देवरिया में राष्ट्रीयकृत बैंक की शाखा खुलवाने की मांग

33-श्री जय प्रकाश निषाद-

क्या कर एवं संस्थागत मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि विकास खण्ड-देसही, देवरिया, जिला-देवरिया के अन्तर्गत देवरिया-देसही रोड पर स्थिति देवरिया बुद्धू खां चौराहे पर अगल-बगल के ग्रामों के अरब मुल्कों में काम करने वाले हजारों लोगों के परिवारजनों के आस-पास के दुकानदारों व कृषकों को धन जमा करने व निकालने की कम खर्चीली व जोखिम रहित बेहतर बैंकिग सेवा उपलब्ध कराने के लिए किसी राष्ट्रीकृत बैंक की शाखा खुलवाने हेतु क्या सरकार द्वारा वित्त मंत्रालय भारत सरकार या संबंधित विभाग से अनुरोध किया जायेगा? यदि हां, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री कल्याण सिंह-

बैंकिंग एक केन्द्रीय विषय है एवं समस्त राष्ट्रीयकृत बैंक्स, भारतीय रिजर्व बैंक/भारत सरकार के अधीन है। उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली के अध्याय-7, नियम-26 के अनुसार उक्त प्रकरण पर राज्य सरकार उत्तरदायी नहीं है। किसी स्थान/केन्द्र विशेष पर बैंक शाखा खोलने का निर्णय सम्बन्धित बैंक द्वारा उस स्थान पर उपलब्ध व्यवसाय, शाखा परिपुष्ट होने की सम्भावना इत्यादि का परीक्षण करने के उपरान्त उनके द्वारा स्वयं ही लिया जाता है।

जी हाँ, जनपद के अग्रणी बैंक सैन्ट्रल बैंक आफ इण्डिया को उक्त केन्द्र पर शाखा खोलने के सम्बन्ध में परीक्षण करने तथा लिये गये निर्णय से शीघ्र अवगत कराने का अनुरोध किया गया है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद मुरादाबाद तथा नवसृजित जनपद ज्योतिबा फूले नगर के थानों के पुनर्सीमांकन की मांग

34-मेजर जगत पाल सिंह-

क्या मुख्य मंत्री को जानकारी है कि जनपद-मुरादाबाद में नया जनपद ज्योतिबा फूले नगर का पुलिस थाना मुरादाबाद में तथा तहसील ज्योतिबाफूले नगर जिले में है? क्या इससे जनता को कठिनाई हो रही है? यदि हां, तो क्या सरकार थानों का पुनर्गठन करने का विचार करेगी? यदि हां, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री कल्याण सिंह-

जी हाँ।

पुनर्सीमांकन की कार्यवाही प्रचलित है।

जनपद प्रतापगढ़ की पुलिस कार्य प्रणाली संबंधी शिकायती-पत्र पर कार्यवाही की जानकारी

35-श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह-

क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि जनपद-प्रतापगढ़ की पुलिस कार्य प्रणाली से संबंधित प्रश्नकर्ता के शिकायत पत्र संख्या ग-2 नं0-631884, 631885, 631886 दिनांक 20-1-99 प्राप्त हुये हैं? क्या उक्त की प्रतियां डी0आई0जी0 इलाहाबाद को फैक्स द्वारा दिनांक 20-1-99 को प्राप्त हुई हैं? यदि हां, तो उक्त पत्रों पर क्या कार्यवाही की गयी? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री कल्याण सिंह-

पुलिस उप महानिरीक्षक, इलाहाबाद को पत्र प्राप्त हुए है।

उपरोक्तानुसार।

पत्रों की जांच एवं उस पर आवश्यक कार्यवाही पुलिस उप महानिरीक्षक, इलाहाबाद परिक्षेत्र के स्तर से की जा रही है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद मैनपुरी, थाना-दन्नाहार के श्री राजेन्द्र सिंह पुत्र, भगवान दयाल द्वारा हत्या का मुकदमा पंजीकृत कराने हेतु दिये गये पत्र पर कार्यवाही की मांग

36-श्री राम औतार शाक्य-

क्या मुख्य मंत्री को ज्ञात है कि दिनांक 23-12-98 को श्री राजेन्द्र सिंह पुत्र भगवान दयाल निवासी नगला मानसिंह, मौजा देवामई, थाना-दन्नाहार जनपद-मैनपुरी ने गृह सचिव, उत्तर प्रदेश शासन को श्री कमलेश का मुहल्ला गाढ़ीवान तथा कोतवाली, मैनपुरी, जनपद-मैनपुरी में दिनांक 8-12-98 को हत्या का मुकदमा पंजीकृत कराने हेतु प्रार्थना-पत्र दिया था? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या

कार्यवाही की गयी? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री कल्याण सिंह-

जी हां।

वादी श्री राजेन्द्र सिंह के प्रार्थना-पत्र के आधार पर मु0अ0सं0-1239/98 धारा 306 भा0द0वि0 थाना कोतवाली मैनपुरी में पंजीकृत किया गया। अभियोग से सम्बन्धित अभियुक्त अनुरूद्ध उर्फ अन्नू दिनांक 03-02-99, उदयबीर सिंह, दिनांक 20-01-99 राजेश्वरी दिनांक 22-01-99 न्यायालय में आत्मसमर्पण कर चुके हैं। मा0 सदस्य के अनुरोध पर प्रकरण की विवेचना किसी अन्य जनपद के एस0आई0एस0 से कराये जाने के निर्देश पुलिस उप महानिरीक्षक, आगरा परिक्षेत्र, आगरा को दिनांक 15-03-99 को निर्गत किये जा चुके हैं।

प्रश्न नहीं उठता।

मैनपुरी थाना कोतवाली मैनपुरी में अपराध सं0।239/98 की विवेचना में विलम्ब हेतु दोषी के विरूद्ध कार्यवाही

37-श्री राम औतार शाक्य-

क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि अपराध संख्या-1239/98 थाना कोतवाली मैनपुरी में कब कायम हुआ और उसकी विवेचना किसके द्वारा कब से प्रारम्भ की गई? क्या सरकार अपराध संख्या-कायम कर विवेचना देर से प्रारम्भ करने में किसी अधिकारी एवं पुलिस कर्मी को दोषी मानती है? यदि हां, तो उसके विरुद्ध अब तक क्या कार्यवाही की गई? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री कल्याण सिंह-

अपराध सं0-1239/98 थाना कोतवाली, मैनपुरी में दिनांक 31-12-98 को समय 20-15 बजे पंजीकृत किया गया और उसकी विवेचना उप निरीक्षक, श्री रणविजय सिंह द्वारा दिनांक 02-01-99 से प्रारम्भ की गयी।

जी हां।

विवेचना से संबंधित कागजात दो दिन विलम्ब से उपलब्ध कराने के कारण कान्स0 क्लर्क का स्थानान्तरण कर उसे अन्य थाने में बीट ड्यूटी दी गई तथा डिफाल्टर से दंडित किया गया।

प्रश्न नहीं उठता।

38-श्री तेजभान सिंह-

(स्पष्टीकरण हेतु हटाया गया)

जनपद लखनऊ आलमबाग में श्री श्याम लाल एवं उनकी पत्नी की पुलिस जीप से मृत्यु के लिए उनके आश्रितों को आर्थिक सहायता का भुगतान

39-श्री अक्षयवर लाल-

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि स्व0 श्याम लाल एवं उसकी पत्नी सुशीला देवी आदि निवासीगण भोलाखेड़ा, आलमबाग, लखनऊ की सरकारी पुलिस की जीप से एक्सीडेन्ट में हुई मौत के लिये उनके आश्रितों को आर्थिक सहायता दिये जाने के सम्बन्ध में जिलाधिकारी, लखनऊ की जांच रिपोर्ट पत्र संख्या-198/जे0ए0-2/97, दिनांक 02-12-97 द्वारा विशेष सचिव, मा0 मुख्य मंत्री कार्यालय, उत्तर प्रदेश शासन लखनऊ को प्राप्त हुई है ? यदि हां, तो क्या पीड़ित आश्रितों को आर्थिक सहायता दी गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ? उक्त आर्थिक सहायता का भुगतान कब तक कर दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कल्याण सिंह-

जी हां।

जी हां।

प्रश्न नहीं उठता।

भुगतान हो चुका है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद मैनपुरी के थाना कोतवाली भोगांव में श्री ज्ञानेन्द्र शाक्य की हत्या कर पंजीकृत मुकदमें की विवेचना कराने की मांग

40-श्री राम औतार शाक्य-

क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि दिनांक 13-01-99 को गृह सचिव, उत्तर प्रदेश शासन को श्री राजेश कुमार निवासी तह0 खन्दारी (आलीपुर खेड़ा) थाना-कोतवाली भोगांव जनपद-मैनपुरी का श्री ज्ञानेन्द्र शाक्य पुत्र भूदेव निवासी आलीपुर खेड़ा की हत्या का मुकदमा पंजीकृत होने का प्रार्थना-पत्र प्राप्त हुआ ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या सरकार उक्त केस की विवेचना स्थानीय पुलिस के बजाय अन्य एजेन्सी से करायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कल्याण सिंह-

जी हां।

वादी श्री राजेश कुमार के प्रार्थना-पत्र के आधार पर मु0अ0सं0-23/99 धारा 302/201 भा0द0वि0 थाना भोगांव पर पंजीकृत किया गया है।

प्रश्न नहीं उठता।

जी हां।

जनपद मैनपुरी में एस0आई0एस0 न होने के कारण अन्य जनपद की एस0 आई0एस0 से उक्त केस की विवेचना कराये जाने के निर्देश पुलिस उप महानिरीक्षक, आगरा परिक्षेत्र, आगरा को दिनांक 15-03-99 को निर्गत किये जा चुके हैं।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद देहरादून जिला सहायक निबन्धक, सहकारी समितियां के श्री पी0के0 त्यागी के विरुद्ध गबन सम्बन्धी शिकायती पत्र पर जांच एवं कार्यवाही की जानकारी

41-श्री राजेन्द्र सिंह-

क्या सहकारिता मंत्री कृपया बतायेंगे कि अनिल कुमार कुकरेती, सदस्य, कार्यकारिणी भारतीय जनता पार्टी देहरादून द्वारा दिनांक 11-01-99 को श्री पी0के0 त्यागी, जिला-सहायक निबन्धक, सहकारी समितियां देहरादून के विरुद्ध किये गये गबन संबंध शिकायती-पत्र मा0 मुख्य मंत्री को प्राप्त हुआ है? यदि हां, तो क्या शिकायतों की जांच करायी गयी तथा आरोप सही पाये गये? यदि हां, तो दोषी के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी? यदि नहीं, तो क्यों?

"पटेल" राम कुमार वर्मा-

श्री अनिल कुमार कुकरेती का पत्र दिनांक 11-01-99 मा0 मुख्य मंत्री कार्यालय में प्राप्त होना नहीं पाया जाता, परन्तु प्रश्नगत विषय में श्री कुकरेती के दिनांक 11-01-99 के कतिपय शिकायती पत्र, जो एक ही पत्र की प्रतियां हैं, प्राप्त हुये हैं।

जांच के आदेश दिए जा चुकें हैं।

जांच आख्या प्राप्त होने के उपरान्त ही कार्यवाही सम्भव होगी।

जनपद देहरादून अरबन सहाकरी बैंक में गबन करने वालों के विरुद्ध कार्यवाही

42-श्री राजेन्द्र सिंह-

क्या सहकारिता मंत्री कृपया बतायेंगे कि अरबन सहकारी बैंक, देहरादून का वर्ष 1982-83 में क्या विशेष लेखा परीक्षण किया गया था? यदि हां, तो परीक्षण में कितनी धनराशि का गबन पाया गया तथा यह गबन किस अधिकारी के द्वारा किया गया था? क्या गबन करने वाले के विरुद्ध कोई कार्यवाही की गयी? यदि हां, तो क्या? यदि नहीं, तो क्यों? गबन किये गये धन की क्षतिपूर्ति कहां से की गयी?

"पटेल" राम कुमार वर्मा-

जी हां।

जिला लेखा परीक्षा अधिकारी द्वारा अर्बन सहकारी बैंक देहरादून के वर्ष 1982-83 में मु0 रु0 3,293.25 का आहरण दर्शाया गया था।

यह अपहरण श्री एम0एल0 दीक्षित सहकारी निरीक्षक वर्ग (1), प्रतिनियुक्ति पर सचिव अर्बन कोआपरेटिव बैंक के विरुद्ध दर्शाया गया था।

जी हां, श्री एम0एल0 दीक्षित अर्बन सहकारी बैंक देहरादून के प्रकरण में निलम्बित किये गये थे। वर्तमान में श्री दीक्षित सेवा निवृत्त हो चुके हैं।

प्रश्न नहीं उठता।

अपहरित धनराशि की क्षतिपूर्ति नहीं हुई है। अपहरित धनराशि की वसूली समय से न करने हेतु उत्तरदायित्व निर्धारित कर कार्यवाही के आदेश दिये गये हैं।

43-श्री वीरेन्द्र प्रताप सिंह "मुन्ना"-
(दिनांक 22-02-99 को अता0 प्र0 सं0 62 द्वारा उत्तरित)

जनपद सीतापुर तहसील मुख्यालय तथा कस्बा सिधौली पर अग्निशमन केन्द्र के निर्माण की मांग

44-श्री श्याम लाल रावत-

क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि जनपद-सीतापुर के तहसील मुख्यालय और कस्बा सिधौली पर अग्निशमन केन्द्र का निर्माण किया जाना सरकार द्वारा स्वीकृत है? क्या इस हेतु स्थल का चयन भी किया जा चुका है? यदि हां, तो सरकार उक्त अग्निशमन केन्द्र का निर्माण कब तक करायेगी? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री कल्याण सिंह-

जी नहीं।

भूमि उपलब्ध है परन्तु उक्त के दृष्टिगत प्रश्न नहीं उठता।

जनपद आजमगढ़, थाना कोतवाली जीयनपुर में श्री रजी खां के अपहरण के सम्बन्ध में प्राप्त पत्र पर कृत कार्यवाही की जानकारी

45-श्री श्याम देव राय चौधरी-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि डा0 रईस अहमद खां पुत्र डा0 रियाजुद्दीन खां निवासी बखालिस बाजार थाना कोतवाली जीयनपुर जनपद-आजमगढ़ के भाई मोहम्मद रजी खां का गत दिनांक 02-04-98 को समय लगभग 8.30 बजे प्रातः बखालिस बाजार स्थित उनकी डिस्पेन्सरी से अपहरण हो गया है जिसकी प्रथम सूचना रिपोर्ट उक्त डा0 रईस अहमद द्वारा दिया गया प्रार्थना-पत्र दिनांक 21-4-98 पर पुलिस उप महानिरीक्षक, आजमगढ़ मण्डल के आदेशानुसार मु0अ0सं0 304/98 धारा-364 भारतीय दण्ड विधान के अन्तर्गत थाना कोतवाली जीयनपुर में कायम किया गया है जिसमें तस्लीम अख्तर व नदीम अख्तर उर्फ पप्पू पुत्रगण वसीम निवासी ग्राम बखालिस अभियुक्त बताया गया है? यदि हां, तो उसके सम्बन्ध में अब तक क्या कार्यवाही की गयी? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री कल्याण सिंह-

शिकायत कर्ताओं ने पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ को प्रार्थना पत्र देकर अवगत कराया कि डा0 रईस दो तीन माह से गायब है बहुत ढूंढने पर भी नहीं मिले हैं।

उक्त सूचना के आधार पर जीयनपुर थाने में उपराध सं0 304/98 अंतर्गत धारा 364 भा0द0वि0 पंजीकृत किया गया।

विवेचनोपरांत अपहरण के सम्बन्ध में आरोप सिद्ध न होने के फलस्वरूप मु0अ0सं0 304/93 में अंकित रिपोर्ट दि 7-10-98 को न्यायालय भेजी जा चुकी है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद बलरामपुर तहसील उत्तरौला में शस्त्र लाइसेन्स हेतु प्राप्त पत्तों के निस्तारण की जानकारी

46-श्री उबैदुर्रहमान-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि विधान सभा क्षेत्र 157-उतरौला, जनपद-बलरामपुर से वर्ष 1997-98, 1998-99 में शस्त्र लाइसेन्स के कुल कितने आवेदन-पत्र प्राप्त हुये? कितने आवेदन-पत्रों पर रिपोर्ट लगा दी गयी तथा कितने अभी तक लम्बित हैं? क्या लम्बित आवेदन-पत्रों पर रिपोर्ट लगाकर आवेदकों को शस्त्र लाइसेन्स दिलाया जायेगा? यदि हां, तों कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री कल्याण सिंह-

जनपद बलरामपुर के विधान सभा क्षेत्र 157-उतरौला से वर्ष 1997-98 एवं 1998-99 में शस्त्र लाइसेंस के क्रमशः 57 एवं 123 प्रार्थना-पत्र प्राप्त हुए।

उक्त प्रार्थना-पत्रों में से 53 मामलों में रिपोर्ट प्राप्त हो गयी थी तथा शेष प्रार्थना-पत्र पुलिस तथा राजस्व विभाग की जांच प्रक्रिया के अन्तर्गत लम्बित हैं।

लाइसेंसिंग प्राधिकारी की संतुष्टि के अनुसार समस्त औपचारिकतायें पूर्ण होने के उपरान्त आवेदक की वास्तविक आवश्यकता एवं लाइसेंस के औचित्य को दृष्टिगत रखते हुए लाइसेंस प्रार्थना-पत्रों का निस्तारण किया जाना अपेक्षित है इस संबंध में कोई निश्चित समयावधि निर्धारित करना सम्भव नहीं है।

प्रदेश के अदालतों में लम्बित मुकादमों के निपटारे हेतु कार्य योजना की जानकारी

47-श्री श्याम देव राय चौधरी-

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि प्रदेश के विभिन्न अदालतों में लम्बित मुकदमों की बढ़ती हुई संख्या को देखते हुये वादकारियों को सस्ता, सुलभ और त्वरित न्याय दिलाये जाने हेतु एवं मुकदमों के निपटारे हेतु सरकार कोई कार्य योजना बना रही है? यदि हां, तो क्या? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री कल्याण सिंह-

लोक अदालतों के माध्यम से सस्ता, सुलभ व त्वरित न्याय दिलाए जाने हेतु विधिक सेवा प्राधिकरण का गठन किया गया है।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद मथुरा थाना वृन्दावन में अपराध संख्या 473/96 पंजीकृत पर कार्यवाही की जानकारी

48-श्री अजय कुमार पोइया-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि मथुरा जनपद स्थित वृन्दावन शोध संस्थान के संस्थापक सभापति डा0 राम दास गुप्ता द्वारा अनुसूचित जाति के कर्मचारी रमेश चन्द्र के साथ घटित घटना जो कि थाना वृन्दावन में अपराध संख्या 473/96 पर पंजीकृत है, पर क्या कोई कार्यवाही हुई? यदि हां, तो क्या? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री कल्याण सिंह-

जी हां।

दिनांक 15-11-96 को थाना वृन्दावन पर श्री रमेश चन्द्र नि0 वृन्दावन शोध संस्थान द्वारा दी गई सूचना पर मु0अ0 सं0473/96 धारा 323/504/506 भा0 द0 वि0 व 3(6)8(10) एस0सी0/एस0टी0 ऐक्ट पंजीकृत किया गया जिसकी विवेचना तत्कालीन क्षेत्राधिकारी, नगर मथुरा द्वारा की गयी। विवेचना में बयानात गवाहान से साक्ष्याभाव में अन्तिम रिपोर्ट सं0-70 दिनांक-14-12-96 को न्यायालय में प्रेषित की जा चुकी है।

प्रश्न नहीं उठता।

मा0 उच्च न्यायालय रिट याचिका सं0 18451/98 के अग्रिम आदेश तक प्रभावी स्थगन के पश्चात् निदेशक परिवहन को बैठक में न बुलाने का प्रकरण

49-श्री जगदम्बिका पाल-

क्या परिवहन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि मा0 उच्च न्यायालय की रिट याचिका संख्या-18451/98 दिनांक 28-05-98 राजपाल सिंह, निदेशक, परिवहन निगम बोर्ड बनाम राज्य सरकार व अन्य के मामले में न्यायालय के अग्रिम आदेश तक प्रभावी स्थगन होने के बावजूद भी उन्हें दिनांक 30-01-99 की बोर्ड की बैठक में बुलाया गया? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री कल्याण सिंह-

जी नहीं-

श्री राजपाल सिंह के निदेशक के पद पर नियुक्ति अधिसूचना दिनांक 13-01-98 द्वारा उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम नियमावली-1972 के नियम 3 व 4 के प्राविधानों के नियम 4 के अनुसार निदेशक अपनी नियुक्ति के दिनांक से एक वर्ष तक की अवधि के लिये अथवा जबतक कि उनका उत्तराधिकारी नियुक्त न कर दिये जायें, जो भी पहले हों, पद धारण करेगें। वह पुनः नियुक्ति के लिए पात्र होगें। इस प्रकार नियमावली के नियम 4 के निर्वचन से स्पष्ट है कि श्री राजपाल सिंह को निदेशक के रूप में पद धारण करने की अवधि दिनांक 13-01-99 को समाप्त हो गई है। अतः इस विधिक स्थिति को दृष्टिगत रखते हुये परिवहन निगम निदेशक मण्डल की दिनांक 30-01-99 को आहूत बैठक में श्री राजपाल सिंह को नहीं बुलाया गया।

जनपद बस्ती में मिट्टी के तेल का वितरण विलम्ब से होने पर कार्यवाही की मांग

50-श्री राम ललित चौधरी-

क्या खाद्य एवं रसद मंत्री को जानकारी है कि जनपद बस्ती में माह जनवरी, 1999 में मिट्टी के तेल का वितरण अति विलम्ब से हुआ है? यदि हां, तो विलम्ब से मिट्टी के तेल के वितरण का क्या कारण है? क्या सरकार वितरण में जान बूझकर विलम्ब करने वालों के विरूद्ध कार्यवाही सुनिश्चित करेगी? यदि हां, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री हुकुम सिंह-

बस्ती जनपद के मिट्टी तेल एजेन्टों को आई0ओ0सी0 डिपो, गोण्डा से मिट्टी के तेल की आपूर्ति की जाती है। माह जनवरी, 1999 में दिनांक 08-01-99 से 18-01-99 तक डिपो ड्राई रहने के कारण मिट्टी तेल की आपूर्ति विलम्ब से हुई, जिसके कारण वितरण में विलम्ब हुआ।

मिट्टी तेल के वितरण में जानबूझकर विलम्ब करने का कोई प्रकरण प्रकाश में नहीं आया है। अतः किसी के विरुद्ध कार्यवाही करने का प्रश्न नहीं उठता है।

जनपद-मथुरा के कतिपय मार्गों पर परिवहन निगम की बस चलाने की मांग

51-श्री अजय कुमार पोइया-

क्या परिवहन मंत्री जी को जानकारी है कि जनपद-मथुरा से जतीपुरा तथा मथुरा-फरह-फतेहपुर सीकरी हेतु परिवहन निगम द्वारा संचालित बसें चलायी गयी थीं? यदि हां, तो उन्हें किन कारणों से बन्द कर दिया गया है? क्या सरकार उन्हें पुनः जनहित में चलाने पर विचार करेगी? यदि हां, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री कल्याण सिंह-

जी हां।

मथुरा-जतीपुरा मार्ग पर निगम की एक बस सेवा संचालित है। मथुरा-फरह-अछनेरा-फतेहपुर सीकरी के 62 किमी0 मार्ग में फरह से अछनेरा 21 किलोमीटर का मार्ग अराष्ट्रीयकृत होने व उक्त पर निजी बसों का बहुतायत से संचालन के फलस्वरूप निगम सेवा की आय निम्न स्तरीय प्राप्त होने से उक्त बस सेवा अप्रैल, 94 से बन्द कर दी गयी।

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

शासन की नीति के अनुसार अराष्ट्रीयकृत मार्ग/मार्गांश पर निगम की बसों का संचालन नहीं किया जाना है।

जनपद-मथुरा, थाना-गोवर्धन, निवासी गाँव कौन्हई, के श्री ठकुर लाल पुत्र महेन्द्र सिंह की हत्या के अभियोग में फसायें जाने विषयक प्राप्त पत्र पर जांच

52-श्री अजय कुमार पोइया-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि श्री ठाकुर लाल पुत्र महेन्द्र सिंह, नि0-गांव कौन्हई, थाना गोवर्धन, मथुरा की हत्या के अभियोग में फसाये जाने विषयक विधायक कोष्ठक का पत्रांक: सी0एम/वि0को0/एम-1/19356/मथुरा/99, दिनांक 6-1-99 प्रमुख सचिव, गृह को प्राप्त हुआ है? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी है?

श्री कल्याण सिंह-

जी हाँ।

प्रकरण की जांच कराये जाने पर शिकायतकर्ता श्री ठाकुर लाल को अपराध में स्वयं लिप्त होना पाया गया है तथा दिनांक 28-11-98 को गिरफ्तार कर जेल भी भेजा जा चुका है, आरोप-पत्र भी न्यायालय में प्रेषित किया जा चुका है।

जनपद-शाहजहाँपुर, श्री रामसरन पुत्र नत्थूलाल की दुकान में चोरी की रिपोर्ट पर जांच की मांग

53-श्री वीरेन्द्र प्रताप सिंह "मुन्ना"-

क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि रामसरन पुत्र नत्थूलाल, थाना-परौर, जनपद-फर्रुखाबाद वर्तमान जनपद-शाहजहांपुर ने दिनांक 16-9-98 को थाना परौर में अपनी दुकान पर हुई चोरी दिनांक 28-8-98 की प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराई थी? यदि हां, तो उपरोक्त रिपोर्ट पर थानाध्यक्ष, परौर ने क्या कार्यवाही की? क्या सरकार को जानकारी है कि विवेचना कर रहे सब इन्स्पेक्टर ने उपरोक्त रिपोर्ट पर बिना तफतीश किये ही फाईनल रिपोर्ट लगा दी? यदि हां, तो क्या सरकार दोषी सहायक निरीक्षक के विरुद्ध कार्यवाही कर किसी अन्य उच्च अधिकारी से इसकी जांच करायेगी? यदि हां, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री कल्याण सिंह-

जी हाँ।

प्रार्थी श्री राम सरन की सूचना के आधार पर मु0अ0सं0 55/98 धारा 379 भा0द0वि0 थाना परौर, जनपद शाहजहांपुर में पंजीकृत किया गया। विवेचना के दौरान यह पाया गया कि श्री रामसरन द्वारा बैंक आफ बड़ौदा शाखा परौर से रुपया 15,000/- का लोन परचून की दुकान हेतु लिया गया था, जिसकी किस्त मार्च, 1998 तक अदा की गयी। दुकान का बीमा भी कराया गया था जिसकी मासिक किस्त रु0 105/- थी। बैंक आफ बड़ौदा की किस्त न अदा कर पाने के कारण बीमा की धनराशि प्राप्त करने हेतु झूठा अभियोग पंजीकृत कराया जाना पाया गया। इसी कारण विवेचक द्वारा अंतिम रिपोर्ट सं0-3 दिनांक 30-9-98 को समाप्त करते हुए जुर्म खारिजा रिपोर्ट प्रेषित की गयी। प्रकरण में फाईनल रिपोर्ट विवेचना के उपरान्त ही लगायी गयी थी।

प्रश्न नहीं उठता।

विवेचना पूर्ण हो चुकी है, अतः पुनः जांच कराये जाने का औचित्य नहीं है।

जनपद-अम्बेडकर नगर, थाना गौसाईगंज, के श्री दलसिंगार पुत्र श्री दूधनाथ को ग्राम के लोगों द्वारा प्रताड़ित करने की शिकायत

54-श्री विश्वनाथ तथा डा0 धर्मज्ञ मिश्र-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि दल सिंगार पुत्र श्री दूधनाथ, ग्राम मुकेरीपुर, पो0 व थाना-गोसाईगंज, जनपद-अम्बेडकर नगर द्वारा उसी ग्राम के निवासी सर्वजीत पुत्र भगौती, गया प्रसाद पुत्र सर्वजीत, कृष्ण कुमार पुत्र हौसिला, रामकृष्ण, हरिओम, पुत्रगण गया प्रसाद आदि द्वारा प्रायः पीड़ित व प्रताड़ित किये जाने एवं सुरक्षा व्यवस्था कराये जाने के लिये मा0 6 विधायकों द्वारा हस्ताक्षरित पत्र दिनांक 27-6-95 प्रमुख सचिव, गृह को प्राप्त हुआ है? यदि हां, तो उक्त पत्र पर क्या कार्यवाही की गई? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री कल्याण सिंह-

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश के मुख्य मार्गों पर रोडवेज की बसें चलाये जाने की मांग

55-श्री हरदेव सिंह तथा श्री नरेन्द्र सिंह सिशौदिया-

क्या परिवहन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश के कितने मुख्य मार्गों पर रोडवेज की बसें नहीं चल रही हैं? बसें न चलाने के क्या कारण हैं? क्या यह सही है कि वाराणसी-गाजीपुर, जौनपुर-केराकत, जौनपुर-बादशाहपुर, आजमगढ़ में

फूलपुर-मार्टीनगंज-बरदह, जौनपुर एवं बरदह, भीरा लालगंज आदि मार्गों पर रोडवेज की बसें/अनुबन्धित बसें नहीं चलायी जा रही हैं जिसके कारण इन मार्गों पर प्राइवेट बसों/जीपों द्वारा यात्रियों से मनमाना किराया लिया जा रहा है ? यदि हां, तो क्या इस संबंध में भारतीय मजदूर संघ जौनपुर का पत्रांक 1163/दिनांक 21-11-96 पत्रांक 370/दिनांक 15-3-96 व पत्रांक 1006/दिनांक 2-10-96 और पत्रांक 980/दिनांक 26-6-98 व पत्रांक 979/दिनांक 26-9-98 मा0 मंत्री जी व जिलाधिकारी, जौनपुर को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री कल्याण सिंह-

प्रदेश के मुख्य एवं अन्य मार्ग दो प्रकार के हैं-राष्ट्रीयकृत व अराष्ट्रीयकृत।

परिवहन निगम का दायित्व प्रदेश के केवल राष्ट्रीयकृत मार्गों पर बस सेवाएं संचालित करना है। सभी राष्ट्रीयकृत मार्गों पर परिवहन निगम द्वारा बस सेवाएं संचालित की जा रही है।

अराष्ट्रीयकृत मार्गों पर संचालन का दायित्व परिवहन निगम का नहीं हे, फिर भी परिवहन निगम द्वारा कुछ अराष्ट्रीयकृत मार्गों को राष्ट्रीयकृत मार्गों के साथ जोड़ते हुए जनता/जनप्रतिनिधियों की मांग पर सीधी सेवाएं प्रदान की जा रही है।

वाराणसी-गाजीपुर एवं जौनपुर-केराकत मार्ग अराष्ट्रीयकृत है। वाराणसी से गोरखपुर-सोनौली के लिए संचालित निगम बसें वाराणसी-गाजीपुर अराष्ट्रीयकृत मार्ग से होकर संचालित हो रही हैं। जौनपुर-केराकत अराष्ट्रीयकृत मार्ग पर भी परिवहन निगम द्वारा एक वापसी सेवा जौनपुर-केराकत-सुल्तानपुर संचालित की जा रही है।

जौनपुर-बादशाहपुर राष्ट्रीयकृत मार्ग है। इस मार्ग से होकर परिवहन निगम की बसों के लगभग 162 फेरे प्रतिदिन संचालित है।

आजमगढ़ में फूलपुर-मार्टिनगंज-बरदह अराष्ट्रीयकृत मार्ग है। निगम की सेवा संचालित नहीं है। इस पर निजी बसों का संचालन है। बरदह, जौनपुर-आजमगढ़ राष्ट्रीयकृत मार्ग पर स्थित है। जौनपुर-बरदह-आजमगढ़ राष्ट्रीयकृत मार्ग पर बसों के 136 फेरे का प्रतिदिन संचालन परिवहन निगम कर रहा है।

भीरा-लालगंज अराष्ट्रीयकृत मार्ग है, जिस पर निजी बसों का संचालन है। इन मार्गों पर संचालित प्राइवेट बसों/जीपों द्वारा यात्रियों से नियमानुसार निर्धारित किराया ही लिया जा रहा है। मनमानी किराया लिए जाने की कोई शिकायत नहीं पायी गई है।

केवल एक पत्र दिनांक 26-9-98 सहायक क्षेत्रीय प्रबन्धक, जौनपुर को प्राप्त हुआ है, जो कर्मचारी समस्याओं के सम्बन्ध में है। उक्त पत्र में उठाये गये बिन्दुओं पर संगठन के प्रतिनिधियों के साथ वार्ता कर आपस में बनी सहमति के अनुरूप कार्यवाही गतिशील है।

जिला-मथुरा, विकास खण्ड फरह, ग्राम दौलतपुर के सस्ते गल्ले के विक्रेता द्वारा बरती गई अनियमितता के सम्बन्ध में प्राप्त पत्र पर कार्यवाही

56-श्री अजय कुमार पोइया-

क्या खाद्य तथा रसद मंत्री कृपया बतायेंगे कि प्रश्नकर्ता का पत्र विधायक प्रकोष्ठ का पत्र संख्या-सी0एम0/वि0को0/एम-3/9524/मथुरा/98 जो कि ग्राम दौलतपुर विकास खण्ड फरह, जिला-मथुरा के सस्ते गल्ले के विक्रेता द्वारा की गयी अनियमितता के संबंध में था, पर क्या कार्यवाही हुई? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री कल्याण सिंह-

ग्राम दौलतपुर विकास खण्ड फरह जिला मथुरा के सस्ते गल्ले विक्रेता श्रीमती मुन्नी देवी पत्नी श्री हरी सिंह द्वारा वितरण में की जा रही अनियमितता के संबंध में प्राप्त शिकायत की जांच कराने के उपरान्त संबंधित विक्रेता का अनुबन्ध पत्र दिनांक 21-7-98 को निरस्त कर दिया गया है।

जनपद-शाहजहांपुर, तहसील-पुवांया, बन्डाखुटार एवं सिधौली में सरकारी बस अड्डा निमार्ण की मांग

57-श्री चेतराम-

क्या परिवहन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नकर्ता के विधान सभा क्षेत्र पुवांया अन्तर्गत वन्डाखुटार एवं सिधौली में सरकारी बस अड्डा नहीं बने हैं? क्या इस कारण यात्रियों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ता है? यदि हां, तो क्या सरकार जनहित में उपरोक्त विकास खण्डों में सरकारी बस अड्डों का निर्माण करायेगी? यदि हां, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री कल्याण सिंह-

जी हाँ।

जी नहीं, उक्त स्थानों पर उपलब्ध यात्रियों को बसें रोककर परिवहन सुविधा उपलब्ध करायी जाती है।

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

परिवहन निगम की वित्तीय स्थिति ठीक न होने के कारण वांछित स्थान पर बस अड्डा बनाया जाना सम्भव नहीं है।

58-श्रीमती गौरी देवी-

(आश्वासन समिति के विचाराधीन होने के कारण निरस्त)

जनपद-जौनपुर डिपों के कर्मचारियों की समस्याओं के निराकरण हेतु प्राप्त पत्र पर कार्यवाही

59-श्री हरदेव सिंह तथा श्री नरेन्द्र सिंह शिशौदिया-

क्या परिवहन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जौनपुर डिपों के कर्मचारियों की विभिन्न समस्याओं से संबंधित उ0प्र0 रोडवेज कर्मचारी संघ सम्बद्ध भारतीय मजदूर संघ जौनपुर का पत्र दिनांक 26-9-98 मा0 मंत्री व क्षेत्रीय प्रबन्धक, वाराणसी व जिलाधिकारी जौनपुर को प्राप्त हुये हैं? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गई तथा समस्याओं का निराकरण कब तक करा दिया जायेगा? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री कल्याण सिंह-

उ0प्र0 रोडवेज कर्मचारी संघ सम्बद्ध भारतीय मजदूर संघ जौनपुर का पत्रांक दिनांक 26-9-98 केवल सहायक क्षेत्रीय प्रबन्धक जौनपुर को प्राप्त हुआ है?

उ0प्र0 रोडवेज कर्मचारी संघ सम्बद्ध भारतीय मजदूर संघ जौनपुर के पत्र दिनांक 26-9-98 में उल्लिखित मांगों के सम्बन्ध में संगठन के पदाधिकारियों एवं सहायक क्षेत्रीय प्रबन्धक जौनपुर के मध्य हुई वार्तानुसार बनी सहमति के अनुरूप कार्यवाही गतिशील है। स्थानीय स्तर की मांगों के निराकरण के सम्बन्ध में वार्ता के दौरान बनी सहमति के अनुसार निर्देश निर्गत किये जा चुके हैं। जो मांगें कर्मचारियों के देय भुगतान संबंधी हैं, उन पर परिवहन निगम मुख्यालय स्तर पर अनुश्रवण कर क्रमवार निराकरण किया जाता है। मांग पत्र में जो बिन्दु भुगतान संबंधी हैं, वह अनवरत् चलने की प्रक्रिया है और उनके निराकरण के सम्बन्ध में कोई तिथि निर्धारित किया जाना सम्भव नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता।

विशिष्ट दर्जा प्राप्त एवं अधिकृत व्यक्तियों के अतिरिक्त अन्य लोगों द्वारा वाहनों पर विभिन्न अनाधिकृत रूप से बत्तियों के प्रयोग पर कार्यवाही की मांग

60-श्री श्याम देव राय चौधरी-

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि किस स्तर के अधिकारियों एवं अन्य विशिष्ट दर्जा प्राप्त पदधारक लोगों को अपने वाहनों में लाल एवं नीली बत्ती लगाने का शासनादेशानुसार अधिकार प्राप्त है? क्या सरकार को जानकारी है कि अधिकृत व्यक्तियों के अतिरिक्त अन्य लोगों द्वारा भी लाल-नीली बत्ती का प्रयोग अनाधिकृत रूप से किया जा रहा है? क्या सरकार यह सुनिश्चित करेगी कि प्रत्येक दशा में पात्र व्यक्ति ही उक्त बत्तियों का प्रयोग अपने वाहनों में कर सकें तथा अनाधिकृत व्यक्तियों के खिलाफ वैधानिक कार्यवाही सुनिश्चित की जा सके? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री कल्याण सिंह-

केन्द्रीय मोटर यान नियमावली, 1989 के नियम-108(3) के अन्तर्गत की गयी व्यवस्था के अनुसार शासन के अधिसूचना संख्या: 3535टी/30-4-25पी/77, दिनांक 05-10-94, एवं 579टी/30-4-25पी/77, दिनांक 30-6-95, द्वारा निम्नांकित को गणमान्य के रूप में घोषित किया गया है, जो लाल बत्ती का प्रयोग करने के लिए अधिकृत है :-

1-महामहिम श्री राज्यपाल, उत्तर प्रदेश।

2-उत्तर प्रदेश के मुख्य मंत्री/मंत्री, राज्य मंत्री और उप मंत्री।

3-उत्तर प्रदेश विधान सभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष।

4-उच्च न्यायालय, इलाहाबाद के मुख्य न्यायाधिपति और न्यायाधीशगण।

5-उत्तर प्रदेश विधान परिषद् के सभापति एवं उप सभापति।

6-मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश सरकार।

7-उत्तर प्रदेश के राज्य निर्वाचन आयुक्त।

8-उत्तर प्रदेश की उच्चतर न्यायिक सेवा के जिला जज और उनके समकक्ष अधिकारीगण।

उक्त जारी अधिसूचना के पूर्व उत्तर प्रदेश मोटरगाड़ी नियमावली, 1940 के नियम-112(7) के अन्तर्गत शासनादेश संख्या :3284टी/30-4-87-25पी/87, दिनांक 23-7-87 द्वारा राष्ट्रीय ध्वज संहिता के अनुसार मोटर कारों पर झण्डा फहराने के लिए अधिकृत महानुभावों के अलावा निम्नलिखित को अपने वाहनों पर लाल-नीली बत्ती लगाने हेतु अधिकृत किया गया है :-

1-मुख्य सचिव	लाल बत्ती फ्लेग मास्ट पर।
2-अध्यक्ष एवं सदस्य राजस्व परिषद्	फ्लैग मास्ट पर नीली बत्ती।
3-मण्डलायुक्त/गृह सचिव	फ्लैग मास्ट पर नीली बत्ती।
4-पुलिस महानिरीक्षक	पलैग मास्ट पर नीली बत्ती।
5-अतिरिक्त पुलिस महानिरीक्षक	फ्लैग मास्ट पर नीली बत्ती।
6-समस्त उप पुलिस महानिरीक्षक	पलैग मास्ट पर नीली बत्ती।
7-जिलाधिकारी	नीली फ्लैश बत्ती गाड़ी के छत के बीच में।
8-जिला वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/ जिला पुलिस अधीक्षक (जिस जिले में जैसी स्थिति हो)	नीली फ्लैश बत्ती गाड़ी के छत के बीच में।

जी नहीं। इस प्रकार की कोई शिकायत प्राप्त नहीं है।

प्रदेश के प्रवर्तन अधिकारियों द्वारा उक्त व्यवस्था का उल्लंघन न करने के दृष्टिकोण से नियमित चेकिंग के समय अन्य अभियोगों का उल्लंघन करने वाली वाहनों के साथ-साथ इन वाहनों पर भी विशेष ध्यान दिया जाता है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद लखनऊ उत्तर प्रदेश राज्य परिवहन निगम मुख्यालय में अनुभाग अधिकारी सहायक क्षेत्रीय प्रबन्धक संवर्ग की प्रोन्नति शासनादेश के अनुसार रोस्टर के अन्तर्गत आरक्षण सुनिश्चित करने की जानकारी

61-डा0 धर्मज्ञ मिश्र-

क्या परिवहन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि विगत आठ महीनों में उ0प्र0 राज्य सड़क परिवहन निगम मुख्यालय, लखनऊ में उपलेखक-प्रालेखक संवर्ग से अनुभाग अधिकारी तथा अनुभाग अधिकारी संवर्ग से सहायक क्षेत्रीय प्रबन्धक संवर्ग में की गयी प्रोन्नतियां रोस्टर के अनुसार की गयी है? यदि नहीं, तो क्यों? क्या शासनादेश संख्या: 13/34/90 (2)का-1/1994 के अनुसार दिनांक 10-10-94 से घटित रिक्तियों को रोस्टर के अनुसार भरा जा रहा है? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री कल्याण सिंह-

उ0प्र0 राज्य सड़क परिवहन निगम मुख्यालय लखनऊ में विगत आठ महीनों में उपलेखक-प्रालेखक संवर्ग में कोई प्रोन्नति नहीं की गयी है। अनुभाग अधिकारी संवर्ग से सामान्य वर्ग के एक अधिकारी की प्रोन्नति सहायक क्षेत्रीय प्रबन्धक (संचालन) के पद पर की गयी है। यह प्रोन्नति शासकीय आदेशों के अनुसार अनुसूचित जाति/जनजाति का निर्धारित आरक्षण सुनिश्चित करते हुए रोस्टर के अनुसार की गयी है।

प्रश्न नहीं उठता।

अनुभाग अधिकारी एवं सहायक क्षेत्रीय प्रबन्धक (संचालन) संवर्ग में घटित रिक्तियों को शासनादेश में निहित शर्तों के अनुसार अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति का निर्धारित आरक्षण सुनिश्चित करते हुए रोस्टर के अनुसार भरा जा रहा है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद उन्नाव की तहसील बीघापुर मुख्यालय पर अग्नि शमन केन्द्र स्थापित करने की मांग

62-श्री कृपा शंकर सिंह-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या प्रत्येक तहसील मुख्यालय पर अग्नि-शमन केन्द्र स्थापित करने की शासन की योजना है? यदि हां, तो क्या यह भी जानकारी में है कि उन्नाव जनपद की तहसील बीघापुर मुख्यालय पर कोई

अग्नि-शमन केन्द्र स्थापित नहीं किया गया है ? यदि नहीं, तो वहां अग्नि-शमन केन्द्र कब तक स्थापित किया जायेगा ?

श्री कल्याण सिंह-

जी नहीं।

जी हां।

सम्प्रति बीघापुर में अग्निशमन केन्द्र स्थापित करने की कोई योजना नहीं है।

पुलिस रेडियो मुख्यालय महानगर लखनऊ को भवन मरम्मत हेतु स्वीकृत धनराशि के दुरुपयोग की जांच

63-श्री रामनक्षत्र-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि पुलिस रेडियो मुख्यालय, महानगर लखनऊ में तैनात प्रतिसार निरीक्षक श्री एस0 के0 सिंह द्वारा शासन द्वारा स्वीकृत 20 लाख रुपये में क्षतिग्रस्त भवनों का निर्माण न कराकर फर्जी तरीके से मजदूर व अन्य खर्चों की रसीदें दिखाकर अनियमितता की गयी है ? यदि हां, तो क्या सरकार इसकी जांच किसी जांच एजेन्सी से करायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कल्याण सिंह-

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

पुलिस मुख्यालय इलाहाबाद द्वारा रु0 16,92,863.00 की धनराशि भवन मरम्मत हेतु स्वीकृत हुई जो दिनांक 2-12-98 को शासन द्वारा फ्रीज कर दी गयी और धनराशि का उपयोग नहीं किया गया।

जनपद सिद्धार्थनगर के ग्राम सभा नासिरगंज में अवैध ईंट-भट्ठे बन्द कराने की मांग

64-श्री राम नक्षत्र-

क्या पर्यावरण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि ग्राम सभा नासिरगंज तथा खेसरहा, जनपद-सिद्धार्थनगर में अवैध ईंट भट्ठे को तत्काल बन्द किये जाने हेतु उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा दिनांक 18-4-98 को कोई आदेश निर्गत किया गया था ? यदि हां, तो क्या उक्त आदेश का अनुपालन सुनिश्चित कराया गया ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या सरकार उक्त भट्ठे को बन्द कराये जाने तथा दोषी को दण्डित किये जाने की कार्यवाही करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बच्चा पाठक-

जी हाँ।

जी हाँ।

उद्योग ने अपने पत्र दिनांक 28-4-98 द्वारा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को उत्तर प्रेषित किया। परीक्षणोपरान्त उत्तर सन्तोषजनक न होने एवं वायु प्रदूषण के प्रभावी नियंत्रण के संबंध में कोई स्पष्ट प्रस्ताव प्राप्त न होने के कारण बोर्ड के पत्र दिनांक 26-5-98 के द्वारा वायु अधिनियम की धारा 31-ए के अंतर्गत बन्दी आदेश जारी किया गया था। उद्योग का निरीक्षण क्षेत्रीय कार्यालय स्तर से दिनांक 20-5-98 तथा 05-1-99 को किये जाने पर उद्योग में उत्पादन कार्य बन्द पाया गया। दिनांक 08-3-99 को बोर्ड स्तर से पुनः निरीक्षण करने पर भट्ठा कार्यरत पाया गया। दिनांक 8-3-99 को उक्त बन्दी आदेशों का अनुपालन सुनिश्चित कराने हेतु क्षेत्रीय कार्यालय गोरखपुर के अधिकारियों द्वारा उप जिलाधिकारी से सम्पर्क किया गया तथा जिलाधिकारी सिद्धार्थनगर को दिनांक 9-3-99 को पत्र प्रेषित किया गया। बोर्ड के पत्र दिनांक 11-3-99 द्वारा जिलाधिकारी सिद्धार्थनगर को प्राथमिकता के आधार पर उक्त उद्योग को बोर्ड स्तर से जारी बन्दी आदेश दिनांक 26-5-98 का अनुपालन सुनिश्चत कराये जाने हेतु पुनः अनुरोध किया गया है। बोर्ड के क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा सूचित किया गया है कि उक्त ईट भट्ठा दिनांक 17-3-99 को बन्द करवा दिया गया है।

प्रश्न नहीं उठता।

चूंकि उक्त ईंट भट्ठा दिनांक 17-3-99 को बन्द करवा दिया गया है अतः किसी प्रकार की कार्यवाही किये जाने का प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

एस0एन0 मेडिकल कालेज, आगरा के छात्र द्वारा आत्महत्या की जांच

65-श्री श्याम देव राय चौधरी-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि अगस्त, 1998 में एस0एन0 मेडिकल कालेज आगरा के एक छात्र द्वारा आत्महत्या किये जाने की उन्हें जानकारी है? यदि हां, तो क्या सरकार ने आत्महत्या के कारणों की कोई जांच कराई है और जिम्मेदार व्यक्तियों के खिलाफ कोई कार्यवाही की गयी है? यदि हां, तो क्या? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री कल्याण सिंह-

जी हां।

जी हाँ।

दिनांक 10-8-98 को श्री ए0 के0 चौरसिया वार्डन की सूचना के आधार पर थाना नाई की मण्डी पर रो0 आम सं0-42 समय 22.30 बजे गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज की गयी। दिनांक 8-8-98 को दीनदयाल की सूचना के आधार पर अज्ञात शव बरामद करके पंचायतनामा मुरतिव किया गया। पोस्टमार्टम में मृत्यु का कारण "डेथ डू टू केस हैमरिज एज रिजल्ट आफ ए0एम0आई0 एण्ड डयू टू कामा" ज्ञात हुआ। मृतक

की पहचान उसके भाई दीपक वार्ष्णेय एवं अन्य लोगों ने राजीव वार्ष्णेय के रूप में की। इसके बाद गिरीश चन्द्र वार्ष्णेय ने लिखित सूचना दी कि विभागाध्यक्ष माइक्रो बाईलोजी डा0 बी0एम0 अग्रवाल द्वारा मृतक राजीव वार्ष्णेय को मानसिक रूप से प्रताड़ित किया जाता था। इसी सूचना के आधार पर थाना एम0एम0 गेट पर मु0अ0सं0 निल/98 धारा 306 भा0द0वि0 विरुद्ध डा0 बी0एम0 अग्रवाल पंजीकृत किया गया। अन्त में दिनांक 29-1-99 को अपराध सं0-निल/98 से अ0सं0 27/99 धारा 306 भा0द0वि0 में पंजीकृत होकर विवेचना प्रारम्भ की गयी। साक्ष्य संकलन की कार्यवाही प्रचलित है। आरोप सिद्ध होने पर अग्रेतर कार्यवाही की जायेगी।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद फिरोजाबाद विकास खण्ड टूण्डला में मुंसिफ अदालत स्थापित किये जाने की मांग

66-श्री शिव सिंह चक-

क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि जनपद फिरोजाबाद के टूण्डला में जनहित में मुंसिफ अदालत खोलने पर सरकार विचार करेगी? यदि हां, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री कल्याण सिंह-

मा0 उच्च न्यायालय की संस्तुति एवं सहमति प्राप्त होने पर ही विचार सम्भव होगा।

प्रकरण पर मा0 उच्च न्यायालय का अभिमत प्रतीक्षित है। अभिमत प्राप्त होने पर ही अग्रेतर कार्यवाही किया जाना संभव हो सकेगा।

प्रश्न नहीं उठता।

जिला कारागार शाहजहाँपुर में व्यापक भ्रष्टाचार की जांच

67-श्री वीरेन्द्र प्रताप सिंह "मुन्ना"-

क्या कारागार मंत्री कृपया बतायेंगे कि प्रश्नकर्ता का पत्र दिनांक 25-11-97 या इसके आसपास जो जिला कारागार, शाहजहांपुर में व्यापक भ्रष्टाचार की जांच के संबंध में था, मा0 मुख्य मंत्री को प्राप्त हुआ है? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गयी? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री शिव प्रताप शुक्ल-

जिला कारागार शाहजहाँपुर में व्यापक भ्रष्टाचार की जांच के संबंध में प्रश्नकर्ता का पत्र दिनांक 15-11-97 शासन में प्राप्त हुआ था। उक्त पत्र के साथ संलग्न प्रेषित श्री सुशील कुमार गुप्ता, जेल विजिटर के शिकायती पत्र में उल्लिखित शिकायतों की जांच परिक्षेत्रीय उपमहानिरीक्षक, कारागार बरेली से करायी गयी। जांच में शिकायतों की पुष्टि नहीं हुई।

जनपद शाहजहांपुर थाना तिलहर अपराध संख्या 109/1988 धारा 364/302/201 की केस डायरी गायब होने का प्रकरण

68-श्री राम औतार शाक्य-

क्या मुख्य मंत्री को जानकारी है कि थाना तिलहर जनपद शाहजहांपुर में पंजीकृत अपराध संख्या 109/1988 धारा 364/302/201 आई0पी0सी0 के मुकदमें में प्रेषित आरोप पत्र के सभी कागजात आरोप-पत्र नक्शा नजरी एवं केस डायरी गायब कर दी गई है? यदि हां, तो इसके लिए कौन दोषी है और उसके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी है?

श्री कल्याण सिंह-

जी नहीं।

अभियोग से सम्बन्धित पत्रावली संख्या एसटी-600/92 ए0डी0जे0 द्वितीय जनपद शाहजहांपुर के न्यायालय में उपलब्ध है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद शाहजहांपुर के थाना तिलहर में अपराध संख्या 169/1988 धारा 302/364/201 में निरुद्ध अभियुक्तों के नाम की जानकारी

69-श्री राम औतर शाक्य-

क्या कारागार मंत्री कृपया बतायेंगे कि अपराध संख्या 109/1988 धारा 302/364/201 आई0पी0सी0 थाना-तिलहर जनपद शाहजहांपुर में नामित/वांछित कौन-कौन कारागार में निरुद्ध रहे?

श्री शिव प्रताप शुक्ल-

उपलब्ध सूचना के अनुसार अपराध सं0 109/1988 धारा 364/406/302/201 भा0दं0वि0 थाना तिलहर जनपद शाहजहांपुर में अभियुक्त :-

1-नरेश पुत्र राम प्रकाश गुप्ता

2-धनपाल पुत्र श्री शिवराज सिंह

3-कोतवाल सिंह पुत्र श्री शिवराज सिंह

4-रघुनाथ सिंह पुत्र श्री विश्राम सिंह

5-निसंकू उर्फ रवेन्द्र प्रकाश पुत्र श्री राम सेवक बड़ई

6-कशमीरा नट पुत्र श्री नवाब नट निवासी गण मदनपुर थाना मोहम्मदाबाद जनपद फर्रुखाबाद।

7-शिवराज सिंह पी0टी0आई0 उर्फ खलीफा पुत्र श्री बाबू सिंह निवासी किशनपुर मटिया थाना बेवर जनपद मैनपुरी, कारागार में निरुद्ध रहे हैं।

जनपद उन्नाव डिपों से नयी बसें चलाये जाने की मांग

श्री कृपा शंकर सिंह-

70-क्या परिवहन मंत्री को जानकारी है कि उन्नाव डिपों में बसों की कमी के कारण जनता को आवागमन में कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है? क्या प्रश्नकर्ता द्वारा दिनांक 22-4-98 को उन्नाव डिपो हेतु 10 नई बसें चलाने हेतु उन्हें पत्र दिया गया था? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री कल्याण सिंह-

जी नहीं। डिपों में बसों की संख्या पर्याप्त है तथा जनता को आवागमन में कोई कठिनाई नहीं है।

जी हां।

उन्नाव डिपों को वर्ष 1997-98 में 6 नई बसें एवं वर्ष 98-99 में 3 नई बसें अर्थात कुल 9 बसें उपलब्ध करायी जा चुकी हैं।

प्रश्न नहीं उठता।

क्षेत्रीय प्रबन्धक पी0 सी0 एफ0 फैजाबाद मण्डल के विरुद्ध लम्बित जांच पूर्ण कराने की मांग

श्री जगदम्बिका पाल-

71-क्या सहकारिता मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्षेत्रीय प्रबन्धक, पी0सी0एफ0 फैजाबाद मण्डल श्री सी0बी0 सिंह के विरुद्ध प्रशासनिक एवं वित्तीय अनियमितताओं की शिकायती जांच काफी समय से लम्बित हैं? यदि हां, तो उपरोक्त जांच को कब तक पूर्ण कर लिया जायेगा? यदि नहीं, तो क्यों?

"पटेल" राम कुमार वर्मा-

प्रारम्भिक जांच पूर्ण की जा चुकी है।

-तदैव-

प्रश्न नहीं उठता है।

श्री कृष्ण चन्द्र पुनेठा-

72-(दिनांक 22-2-99 को ता0प्र0सं0 10 द्वारा उत्तरित)

पुलिस उपमहानिरीक्षक दूर संचार द्वारा वायुयान से बंगलौर यात्रा करने का प्रकरण

श्री राम नक्षत्र-

73-क्या मुख्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या पुलिस उपमहानिरीक्षक दूरसंचार वर्ष 1998 में सरकारी कार्य हेतु बंगलौर गये थे? यदि हां, तो क्या यह

सही है कि उक्त यात्रा उनके द्वारा वायुयान से की गयी थी एवं उसका यात्रा भत्ता लिया गया था, जिसके लिये वह पात्र नहीं थे? क्या शासन स्तर पर इसकी जांच चल रही है? यदि हां, तो क्या दोषी के खिलाफ वित्तीय अनियमितता की जांच किसी अन्य एजेन्सी से कराई जायेगी? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री कल्याण सिंह-

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

उप महानिरीक्षक (पुलिस दूर-संचार) द्वारा वर्ष 1998 में सरकारी कार्य हेतु बंगलौर की यात्रा नहीं की गई थी।

पुलिस रेडियो अधिकारी सेवा नियमावली में संशोधन तथा रेडियो संचार के तकनीकी अधिकारी की नियुक्ति का प्रकरण

श्री बिशन सिंह चुफाल-

74-क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि पुलिस रेडियो विभाग की रेडियो अधिकारी सेवा नियमावली में संशोधन तथा निदेशक, रेडियो संचार के पद पर तकनीकी अधिकारी की नियुक्ति का प्रकरण लम्बित है? यदि हां, तो सेवा नियमावली में संशोधन तथा निदेशक, तकनीकी की नियुक्ति के प्रकरण में कब तक निर्णय ले लिया जायेगा? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री कल्याण सिंह-

जी हां।

इस सम्बन्ध में जानकारी की जा रही है कि अन्य राज्यों में क्या प्रक्रिया अपनायी जा रही है।

प्रश्न नहीं उठता।

परिवहन निगम द्वारा कैशियर/लिपिक संवर्ग में प्रशिक्षणार्थियों की नियुक्ति हेतु मा0 उच्च न्यायालय के आदेश का अनुपालन कराने की मांग

श्री अजय कुमार पोइया-

75-विधान सभा के वर्ष 1997 के द्वितीय सत्र के प्रथम शुक्रवार को उत्तरित अ0प्र0 सं0-34 के उत्तर के क्रम में क्या परिवहन मंत्री कृपया बतायेंगे कि 1849 प्रशिक्षणार्थियों में से केवल 673 को नौकरी प्रदान करने का मा0 उच्चतम न्यायालय ने दिनांक 12-01-95 के आदेश हैं? यदि हां, तो मा0 उच्चतम न्यायलय के आदेश का विधिवत अनुपालन कब तक करेंगे? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री कल्याण सिंह-

जी नहीं।

अप्रेन्टिस ऐक्ट के तहत उ0प्र0 परिवहन निगम के प्रशिक्षित पात्र शिशिक्षुओं में से मा0 उच्चतम न्यायालय के निर्णय दिनांक 12-01-95 के दिशा निर्देशों के अनुरूप परिचालक के रिक्त पदों पर वरिष्ठता एवं पात्रता के आधार पर 673 शिशिक्षुओं को नियुक्ति दी गई हैं। वर्तमान में परिवहन निगम में भर्ती पर प्रतिबन्ध है। प्रतिबन्ध हटने पर मा0 उचचतम न्यायालय के दिशा निर्देशों के अनुरूप शिशिक्षुओं की नियुक्ति पर विचार किया जायेगा।

प्रश्न नहीं उठता।

परिवहन निगम द्वारा कैशियर/लिपिक संवर्ग में प्रशिक्षणार्थियों की प्रशिक्षण प्राप्ति वर्ष के अनुसार नियुक्तियां कराने की मांग

76-श्री अजय कुमार पोइया-

विधान सभा के वर्ष 1997 के द्वितीय सत्र के प्रथम शुक्रवार के लिये निर्धारित अतारांकित प्रश्न संख्या 34 के उत्तर के संदर्भ में क्या परिवहन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि 673 नौकरी प्राप्त प्रशिक्षणार्थी किस वर्ष तक के प्रशिक्षणार्थी है? क्या इन सभी की नियुक्तियां प्रशिक्षण प्राप्ति वर्ष के अनुसार की गयी है? यदि हां, तो किस वर्ष तक के प्रशिक्षणार्थी नौकरी प्राप्त कर चुके हैं? शेष किस-किस वर्ष के कितने-कितने प्रशिक्षणार्थी नौकरी में कब तक ले लिये जायेंगे?

श्री कल्याण सिंह-

673 नौकरी प्राप्त प्रशिक्षणार्थी अप्रेन्टिस ऐक्ट के तहत वर्ष 1982 से 1991 तक के प्रशिक्षण प्राप्त प्रशिक्षणार्थी हैं।

प्रशिक्षण प्राप्त प्रशिक्षणार्थियों की नियुक्तियां पात्रता एवं वरिष्ठता के आधार पर माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्णय दिनांक 12-1-95 के दिशा निर्देशों के अनुरूप अन्य बातों के समान रहते हुए परिचालक के रिक्त पदों पर की गयी है। वर्तमान में परिवहन निगम में भर्ती पर प्रतिबन्ध है। भविष्य में भर्ती से रोक हटने पर एवं पदों की उपलब्धता होने पर माननीय उच्चतम न्यायालय के दिशा निर्देशों के अनुरूप शिशिक्षुओं के मामले में विचार किया जायेगा।

जनपद उन्नाव के कतिपय ग्रामों में पड़ी डकैतियों में लूटे गये माल की बरामदगी की जानकारी

श्री कृपा शंकर सिंह-

77-क्या मुख्य मंत्री को जानकारी है कि जनपद उन्नाव के पुलिस सर्किल बीघापुर क्षेत्र में ग्राम पाटन, तकिया एवं रसूलपुर थाना-विहार तथा ग्राम बदरका थाना अचलगंज एवं ग्राम मगरायर थाना बीघापुर तथा पंजाब नेशनल बैंक शाखा इन्देमऊ

थाना बीघापुर में भीषण बैंक डकैंतियां पिछले तीन माह में हुयी हैं? यदि हां, तो क्या उक्त घटनाओं के अपराधियों को पकड़ा गया है तथा लूटे गये माल की बरामदगी की गयी है? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री कल्याण सिंह-

जी हां।

जनपद उन्नाव के पुलिस सर्किल बीघापुर क्षेत्र में ग्राम-पाटन, तकिया एवं रसूलपुर, थाना-बिहार एवं ग्राम मगरायर थाना-बीघापुर में हुई डकैती की घटनाओं में अभियुक्तों की गिरफ्तारी हुई किन्तु माल बरामदगी नहीं की जा सकी है। ग्राम बदरका, थाना-अचलगंज एवं पंजाब नेशनल बैंक शाखा इन्देमऊ थाना-बीघापुर में हुई बैंक डकैती की घटनाओं में अभियुक्तों की तलाश करने एवं माल बरामदगी के प्रयास किए जा रहे हैं।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद उन्नाव, तहसील बीघापुर में अवैध रूप से पेट्रोल की बिक्री की शिकायत

श्री कृपा शंकर सिंह-

78-क्या खाद्य तथा रसद मंत्री को जानकारी है कि तहसील बीघापुर जिला उन्नाव के ऊंचगांव तिराहे पर अवैध रूप से पेट्रोल की खुले आम बिक्री की जा रही है? यदि हां, तो बिक्री करने वालों के विरुद्ध कोई कार्यवाही की गयी? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री हुकुम सिंह-

तहसील बीघापुर, जिला उन्नाव के ऊंचगांव तिराहे पर अवैध रूप से पेट्रोल की खुले आम बिक्री करने का कोई प्रकरण प्रकाश में नहीं आया है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

विभिन्न परिषदों/निगमों के अध्यक्ष/उपाध्यक्ष आदि द्वारा अपने वाहनों पर राष्ट्रीय ध्वज एवं लालबत्ती प्रयोग करने के सम्बन्ध में जानकारी

श्रीं राजेन्द्र प्रताप सिंह-

79-क्या सरकार को जानकारी है कि विभिन्न निगमों, परिषदों के नामित अशासकीय अध्यक्ष/उपाध्यक्ष जिन्हें राज्य मंत्री/मंत्री स्तर का दर्जा प्राप्त नहीं है? क्या उनके द्वारा अपने उपयोग में लाने वाले वाहनों पर राष्ट्रीय ध्वज एवं लाल बत्ती का प्रयोग किया जा रहा है। यदि हां, तो क्यों?

श्री कल्याण सिंह-

जी नहीं। इस प्रकार की कोई शिकायत प्राप्त नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता।

जिला सहकारी बैंक लि0 रामपुर के सचिव/महाप्रबन्धक द्वारा मण्डलों में अपने कार्यकाल के दौरान किये गये वित्तीय अनियमितताओं की जांच

श्री सौलत अली-

80-क्या सहकारिता मंत्री को जानकारी है कि उत्तर प्रदेश संवर्ग प्राधिकारी, सहकारी बैंक केन्द्रीयता सेवा, लखनऊ के अधीन कार्यरत सदस्य श्री कृष्ण कुमार गंगवार सचिव/महाप्रबन्धक जो वर्तमान में जिला सहकारी बैंक लि0, रामपुर में कार्यरत हैं, के विरुद्ध बरेली, गोरखपुर एवं फैजाबाद मण्डलों में इनके कार्यकाल के दौरान गंभीर वित्तीय अनियमितताओं के मामले प्रकाश में आये हैं? क्या यह सही है कि इन आरोपों के लिये इनके विरुद्ध आदेश सं0 3511-14 दिनांक 12-12-90, आदेश सं0 2430-34, दिनांक 11-12-95 व आदेश संख्या 2740-44, दिनांक 6-1-96 के द्वारा अनुशासनात्मक कार्यवाही किये जाने के आदेश दिये गये हैं और सम्बन्धित मण्डल के उप-निबन्धक को जांच अधिकारी नियुक्त किया गया है? यदि हां, तो अब तक इनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी है?

"पटेल" रामकुमार वर्मा-

जी हां।

आदेश संख्या 3511-14, दिनांक 12-2-90 द्वारा जिला सहकारी बैंक लि0, बाराबंकी में की गई अनियमितताओं के आरोपों के सम्बन्ध में श्री गंगवार के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही के आदेश दिए गये थे। आदेश संख्या-2430-34, दि0 11-12-95 द्वारा श्री गंगवार के विरुद्ध जिला सहकारी बैंक लि0, बस्ती में हुई अनियमितताओं के सम्बन्ध में अनुशासनात्मक कार्यवाही प्रारम्भ की गई। आदेश सं0-2170-85 दि0 10-11-95 द्वारा बरेली मण्डल के अन्तर्गत जिला सहकारी बैंक लि0, पीलीभीत में हुई अनियमितताओं के सम्बन्ध में अनुशासनात्मक कार्यवाही प्रारम्भ की गई।

जिला सहकारी बैंक लि0, बाराबंकी एवं जिला सहकारी बैंक लि0, बस्ती में हुई अनियमितताओं के सम्बन्ध में जांच पूर्ण हो गई है। जांच आख्या के आधार पर प्रशासनिक कमेटी के सक्षम प्राधिकारी द्वारा अंतिम निर्णय लिया जाना है। जिला सहकारी बैंक लि0, पीलीभीत के प्रकारण में जांच आख्या अभी प्राप्त नहीं हुई है।

लखनऊ खण्ड पीठ मा0 उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार बढ़ाने के प्रस्ताव की जानकारी

श्री कृष्ण चन्द्र पुनेठा-

8।-क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि लखनऊ खण्ड पीठ उच्च न्यायालय के न्याय क्षेत्राधिकार के अन्तर्गत कितने जिले हैं? क्या सरकार लखनऊ खण्ड पीठ उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार बढ़ाये जाने हेतु अपने स्तर से कार्यवाही करेगी अथवा भारत सरकार को प्रस्ताव भेजेगी? यदि हां, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री कल्याण सिंह-

मा0 उच्च न्यायालय की खण्डपीठ लखनऊ के क्षेत्राधिकार के अन्तर्गत कुल ।5 जिले हैं, जो निम्न हैं:-

(।) लखनऊ (2) उन्नाव (3) हरदोई (4) लखीमपुर (5) सीतापुर (6) बहराइच (7) गोण्डा (8) बाराबंकी (9) फैजाबाद (।0) सुल्तानपुर (।।) रायबरेली (।2) प्रतापगढ़ (।3) बलरामपुर (।4) श्रावस्ती (।5) अम्बेदकर नगर।

भारतीय संविधान की सातवीं अनुसूची की सूची-। (संघ सूची) की प्रविष्टि संख्या-79 के अनुसार उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार के संबंध में कोई भी कार्यवाही करने का अधिकार भारत सरकार में निहित होने के कारण संदर्भित बिन्दु भारत सरकार के विचार का बिन्दु है।

प्रश्न ही नहीं उठता।

प्रश्न ही नहीं उठता।

जनपद प्रतापगढ़ थाना कन्धई के अपराध सं0 463/98 के जांच की कार्यवाही की जानकारी

श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह-

82-क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि थाना कन्धई जनपद प्रतापगढ़ में दिनांक 26-9-98 की घटना से संबंधित अपराध संख्या 463/98 थाना कन्धई प्रतापगढ़ के संबंध में श्री वीरेन्द्र बहादुर सिंह पुत्र श्री इन्द्र बहादुर सिंह ग्राम ढाढर के प्रकरण पर जिलाधीश प्रतापगढ़ ने अपने पत्र 5952/शिविर-98, दिनांक 27-9-98 द्वारा उप जिला मजिस्ट्रेट पट्टी प्रतापगढ़ को जांच के आदेश दिये गये थे? यदि हां, तो जांच के परिणाम क्या हैं और उस पर क्या-क्या कार्यवाही की गयी?

श्री कल्याण सिंह-

जी हां।

उप जिला मजिस्ट्रेट की रिपोर्ट दिनांक 6-11-98 को प्राप्त हुई थी। इसके पूर्व संदर्भित मु0अ0सं0 463/98 में आरोप पत्र 12-10-98 को सक्षम न्यायालय में प्रेषित किया जा चुका था चूंकि प्रकरण आई0 पी0 सी0 के अपराध से सम्बन्धित था और आरोप पत्र सक्षम न्यायालय में प्रेषित किया जा चुका था, इसलिए उप जिलाधिकारी की रिपोर्ट पर विधिक रूप से कोई कार्यवाही सम्भव नहीं थी।

जनपद हरदोई साधन सहकारी समिति लि0, माधोगंज के चौकीदार के वेतन भुगतान का प्रकरण

डा0 धर्मज्ञ मिश्र-

83-क्या सहकारिता मंत्री को जानकारी है कि जनपद हरदोई में कार्यरत साधन सहकारी समिति लि0, माधोगंज के चौकीदार श्री लाल बिहारी को पिछले तीस माहों से वेतन नहीं दिया जा रहा है? यदि हां, तो क्या सरकार उनके वेतन भुगतान के आदेश जारी कर उक्त को वेतन प्रदान करायेगी? यदि हां, तो कब तक? यदि नहीं तो क्यों?

श्री "पटेल" राम कुमार वर्मा-

जी हां।

उक्त चौकीदार समिति का कर्मचारी है, अतएव सरकार द्वारा वेतन भुगतान के आदेश जारी करने का प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

समिति के कर्मचारी को वेतन देने का दायित्व समिति का है।

जनपद सीतापुर की तहसीलों में सस्ते गल्ले के रिक्त, निलम्बित या निरस्त किये गये कोटेदारों के स्थान पर नये कोटेदारों की नियुक्ति की मांग

श्री बुनियाद हुसैन अन्सारी-

84-क्या सरकार को जानकारी है कि जनपद सीतापुर की तहसीलों में सस्ते गल्ले की रिक्त या निलम्बित अथवा निरस्त किये गये कोटेदारों के स्थान पर नये कोटेदार नियुक्त किये जा रहें हैं? यदि नहीं, तो इसका क्या कारण है? कितने कोटेदार तहसीलों में नियुक्त किये जाने हैं और इनकी नियुक्ति कब तक करायी जायेगी?

श्री हुकुम सिंह-

जनपद सीतापुर की तहसीलों में सस्ते गल्ले के नये दुकानदारों की नियुक्ति नहीं की जा रही है। सस्ते गल्ले के दुकानदारों की नियुक्ति संबंधी प्रक्रिया की समीक्षा किए जाने हेतु नई नियुक्तियों पर रोक लगा दी गयी है। जनपद की सभी तहसीलों में कुल 45 उचित दर की नई दुकानें नियुक्त की जानी हैं। नई नीति निर्धारित हो जाने के पश्चात् नये दुकानदारों की नियुक्ति शीघ्र की जायेगी।

पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हाईकोर्ट बेन्च की स्थापना की मांग

डा0 लक्ष्मी कान्त बाजपेयी-

85-क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हाईकोर्ट बेन्च की स्थापना का मामला सरकार के विचाराधीन है? यदि हां, तो उक्त बेन्च की स्थापना कब तक कर दी जायेगी? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री कल्याण सिंह-

संविधान की 7 वीं अनुसूची की सूची-I (संघ सूची) की प्रविष्टि संख्या-78 में उच्च न्यायालय की खण्डपीठ बनाने की विधायी क्षमता संसद में निहित होने के कारण संदर्भित बिन्दु भारत सरकार के विचार का बिन्दु है।

प्रश्न नहीं उठता।

उत्तर प्रदेश मोटरयान कराधान अधिनियम, 1997 के अन्तर्गत भौगोलिक आधार पर मंझली गाडियों पर करारोपण की जानकारी

श्री संजय गर्ग-

86-क्या परिवहन मंत्री बताने की कृपा करेंगें कि उत्तर प्रदेश मोटरयान कराधान अधिनियम, 1997 के अन्तर्गत मंझली गाड़ियों के ऊपर करारोपण करने में कोई भौगोलिक आधार तय किया गया है? यदि हां, तो उसका क्या औचित्य है?

श्री कल्याण सिंह-

जी हां।

उत्तर प्रदेश मोटर यान कराधान अधिनियम, 1997 में मंझली गाड़ियों पर करारोपण हेतु भौगोलिक स्थिति को दृष्टिगत रखते हुए प्रदेश को (1) मेरठ संभाग (2) अन्य मैदानी क्षेत्र (3) पर्वतीय क्षेत्र तथा (4) झांसी संभाग में विभाजित किया गया है।

उक्त क्षेत्रों की भौगोलिक स्थिति, जनसंख्या के घनत्व, यानों द्वारा लगाए जाने वाले फेरे, लिए जा रहे भाड़े एवं मार्गों के लिए लोड फैक्टर आदि को आधार मानकर चारों भागों के लिए अतिरिक्त करों की दरें निर्धारित की गयी हैं।

जनपद बरेली, थाना जैतीपुर, ग्राम टाटराबाद की पुलिस द्वारा ग्रामीणों के उत्पीड़न की शिकायत

श्री वीरेन्द्र प्रताप सिंह "मुन्ना"-

87-क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि प्रश्नकर्ता का पत्र दिनांक 9-4-98 या इसके आसपास जो जनपद बरेली पुलिस द्वारा ग्राम टाटराबाद, थाना-जैतीपुर में ग्रामीणों के उत्पीड़न के सम्बन्ध में था, उन्हें प्राप्त हुआ है? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गयी? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री कल्याण सिंह-

जी हां।

दिनांक 7-3-98 को थाना बारादरी क्षेत्र के गांव हरूनंगला व थाना कैण्ट क्षेत्र के गांव भरतौल में जहरीली शराब का सेवन करने से कई व्यक्तियों की मृत्यु हो जाने के सम्बन्ध में दिनांक 9-3-98 को वादी श्री जगपाल सिंह की सूचना पर थाना बारादरी पर मु0अ0सं0 490/98 धारा 328/304भा0द0वि0 का अभियोग पंजीकृत किया गया। उक्त मु0अ0सं0 में अभियुक्तगण तेजराम पुत्र मक्खन लाल एवं रामस्वरूप पुत्र दलगंजन नि0-गण हरूनंगला, थाना बारादरी जो अवैध शराब बनाने/बेचने का धन्धा करते थे, को नामजद किया गया था। इसी सम्बन्ध में थाना कैण्ट पर मु0अ0सं0 153/98 धारा 328/304 भा0द0वि0 का अभियोग तेजराम आदि के विरुद्ध पंजीकृत हुआ था। क्षेत्राधिकारी, द्वारा करायी गई विवेचना से उक्त अभियुक्तों के अतिरिक्त अभियुक्त पप्पू पुत्र तेजराम, नि0- हरूनंगला थाना बारादरी भोले पुत्र बिहारी लाल, नि0 कंथरिया, थाना बिथरी बैनपुर, शीशपाल उर्फ चौधरी पुत्र श्योदान सिंह, गंगा सिंह यादव पुत्र कोमिल सिंह नि0-बारादरी प्रकाश में आये। इस घटना में लिप्त मुख्य अभियुक्त तेजराम फरार हो गया था जिसने दिनांक 30-4-98 को न्यायालय में आत्मसमर्पण किया, उक्त अभियुक्त पर आरोप-प्रमाणित होने पर आरोप-पत्र सं0-295, दिनांक 9-6-98 को न्यायालय प्रेषित किया गया अभियुक्त तेजराम एवं रामस्वरूप जनपद के शराब माफिया हैं जो वर्तमान में एन0एस0ए0 में निरुद्ध हैं।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद लखनऊ, नरही स्थित फ्री सेल मिट्टी के तेल एवं चीनी की दुकान में अनियमितता की जांच

श्री रामतेज यादव एडवोकेट तथा श्री प्रेमपाल सिंह यादव-

88-क्या खाद्य तथा रसद मंत्री को जानकारी है कि जिला पूर्ति कार्यालय लखनऊ के अधिकारियों/कर्मचारियों द्वारा रामतीरथ मार्ग, नरही, लखनऊ में स्थित फ्री सेल की मिट्टी तेल एवं खाण्डसारी चीनी की दुकान को बन्द कर दिया गया है? क्या उक्त कार्यवाही नियमानुसार की गयी है? क्या इस संबंध में उक्त दुकान के मालिक श्री राजेन्द्र कुमार का प्रार्थना-पत्र श्री शिव सिंह चक स0वि0 सभा के उपरिपत्र दि0 3-2-99 उन्हें तथा श्री हरिशंकर माहौर, स0 वि0सभा के उपरिपत्र सहित दिनांक 4-2-99 खाद्य सचिव को प्राप्त हुआ है? यदि हां, तो क्या मंत्री जी उक्त की जांच कराते हुए अकारण उक्त दुकान को बन्द करने वाले अधिकारियों/कर्मचारियों को दण्डित कर उक्त दुकान को खुलवाने के आदेश देंगे? यदि हां, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री हुकुम सिंह-

जी नहीं।

राम तीरथ मार्ग, नरही, लखनऊ में स्थित फ्री-सेल की मिट्टी के तेल एवं खाण्डसारी चीनी के विक्रेता की दुकान को बन्द नहीं किया गया, बल्कि दिनांक 5.11.98 को जिलापूर्ति कार्यालय के अधिकारियों/कर्मचारियों द्वारा राम तीरथ मार्ग, लखनऊ में स्थित श्री सुरेश चन्द्र अग्रवाल, उचित दर विक्रेता की दुकान की जांच की गयी थी। जांच में पाई गयी अनियमितताओं के कारण विक्रेता का अनुबंध पत्र दिनांक 7.11.98 को निलम्बित कर दिया गया था।

जी हां।

श्री सुरेश चन्द्र अग्रवाल की दुकान के संबंध में श्री राजेन्द्र कुमार का कोई पत्र प्राप्त नहीं हुआ है। श्री शिव सिंह चक व श्री हरि शंकर माहौर, सदस्य विधान सभा के पत्र दिनांक 3.2.99 व 4.2.99 प्राप्त हुए हैं। इनके साथ श्री राजेन्द्र कुमार के शिकायती पत्र संलग्न हैं। इन शिकायती पत्रों में उल्लिखित बिन्दुओं की जांच कराने के आदेश अपर जिलाधिकारी (आपूर्ति) लखनऊ को दे दिये गये हैं।

उदयगंज लखनऊ में थोक विक्रेता किरोसिन के यहां छापे में अवैध माल जब्त करने की कार्यवाही की जानकारी

श्री रामतेज यादव एडवोकेट तथा श्री प्रेम पाल सिंह यादव-

89-क्या खाद्य एवं रसद मंत्री को जानकारी है कि दिनांक 21-01-99 को जिलापूर्ति अधिकारी लखनऊ, क्षेत्रीय अधिकारी, हजरतगंज तथा पूर्ति निरीक्षक मिट्टी के तेल, जिलापूर्ति कार्यालय, लखनऊ द्वारा किरोसिन के थोक विक्रेता श्री शीतला प्रसाद जायसवाल, उदयगंज लखनऊ के यहां छापे के दौरान 5095 लीटर किरोसिन स्टाक में अवैध रूप से रखा पाया गया था? यदि हां, तो क्या अवैध रूम से स्टाक रखने वाले थोक विक्रेता के खिलाफ अब तक एफ0आई0आर0 तथा अवैध माल जब्त करने की कार्यवाही की गयी? यदि नहीं, तो क्यों? क्या मंत्री जी जांच कराकर अवैध किरोसिन तथाएफ0आई0आर0 की कार्यवाही करने तथा उक्त मामले में उचित कार्यवाही न करने वाले दोषी अधिकारियों एवं कर्मचारियों को दण्डित करेंगे? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री हुकुम सिंह-

जी हां।

इस अनियमितता के लिए फर्म का लाइसेंस दिनांक 23.01.99 को निलम्बित कर उसे कारण बताओ नोटिस जारी किया गया। मामले में जांचोपरान्त यह पाया गया कि उसके यहां स्टाक में उपलब्ध अधिक मिट्टी का तेल उचित दर दुकानदारों का था, जिन्हें तेल निकासी की पर्ची काटने के बाद तेल की आपूर्ति नहीं की गयी किन्तु आपूर्ति बाद में सम्बन्धित रिटेलर्स को माह जनवरी, 99 में ही कर दी गई थी। उक्त

अनियमितता के लिए थोक विक्रेता की प्रतिभूति की समस्त धनराशि रूपया 1000/- शासन के पक्ष में जब्त करके लाइसेंस दिनांक 12.02.99को बहाल कर दिया गया। ऐसी स्थिति में प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराने एवं अवैध माल को जब्त करने की कार्यवाही करने का कोई औचित्य नहीं पाया गया। इसलिए प्रकरण में काई अधिकारी/ कर्मचारी दोषी न होने के कारण दण्डित करने का प्रश्न नहीं उठता है।

गोमती ट्रेडर्स, नाका,लखनऊ एवं गोरखपुर आयल कम्पनी ऐशबाग लखनऊ द्वारा अधिक मूल्य पर मिट्टी का तेल बेचने की जांच कराने की मांग

श्री रामतेज यादव एडवोकेट तथा श्री प्रेम पाल सिंह यादव-

90-क्या खाद्य एवं रसद मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि 28 जनवरी, 1999 में जिलापूर्ति अधिकारी, हजरतगंज, लखनऊ एवं पूर्ति निरीक्षक मिट्टी के तेल, जिलापूर्ति कार्यालय, लखनऊ द्वारा गोमती ट्रेडर्स, नाका, लखनऊ तथा गोरखपुर आयल कम्पनी ऐशबाग, लखनऊ के थोक विक्रेता (किरोसिन) के यहां निरीक्षण करने के उपरान्त किरोसिन तेल पर वर्षों से 5 पैसे प्रति लीटर अधिक की दर से वसूला जाना अभिलेखों में दर्ज पाया गया था? यदि हां, तो जिलापूर्ति अधिकारी, लखनऊ द्वारा दोषी थोक विक्रेताओं के खिलाफ अब तक एफ0आई0आर0 दर्ज न करने के क्या कारण हैं? क्या मंत्री जी जांच कराकर दोषी पाये जाने वाले थोक विक्रेताओं के विरुद्ध कोई कार्यवाही न करने वाले अधिकारियों एवं कर्मचारियों को दण्डित करेंगे? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री हुकुम सिंह-

दिनांक 28 जनवरी, 1999 को जिलापूर्ति अधिकारी, लखनऊ व पूर्ति निरीक्षक मिट्टी तेल जिलापूर्ति कार्यालय, लखनऊ द्वारा मैसर्स गोमती ट्रेडर्स नाका व गोरखपुर आंयल कम्पनी, ऐशबाग थोक मिट्टी तेल विक्रेताओं की दुकान व गोदाम का कोई निरीक्षण नहीं किया गया था।

प्रदेश में स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के लम्बित पेंशन प्रकरण के निस्तारण की जानकारी

श्री श्याम देव राय चौधरी-

91-क्या सरकार कृपया बतायेगी कि प्रदेश में कितने स्वतंत्रता संग्राम सेनानी एवं उनके आश्रित हैं जिन्हें स्वतंत्रता संग्राम सेनानी पेंशन प्राप्त हो रही है? क्या ऐसे प्रकरण भी हैं जो पेंशन स्वीकृति हेतु एक वर्ष से अधिक समय से लम्बित हैं? क्या उक्त प्रकरणों के शीघ्र निस्तारण एवं पेंशन स्वीकृत किये जाने हेतु सरकार कोई व्यवस्था करेगी? यदि हां, तो क्या? यदि नहीं, तो क्यों?

होमगार्ड्स, राजनैतिक पेंशन एवं नागरिक सुरक्षा मंत्री (श्री सरस्वती प्रताप सिंह)-

वर्तमान में प्रदेश में लगभग 14,500 स्वतंत्रता संग्राम सेनानी एवं उनके आश्रितों को स्वतंत्रता संग्राम सेनानी पेंशन दी जा रही है।

जी हां।

लम्बित पेंशन प्रकरणों को एक विशिष्ट कार्य योजना के रूप में उच्च प्राथमिकता एवं समयबद्धता के आधार पर निस्तारित किये जाने के उद्देश्य से शासनादेश दिनांक 23-12-1997 द्वारा निर्देश जारी किये गये हैं। फिर भी अलग-अलग प्रकरणों में विभिन्न स्त्रोतों से सूचनाएं प्रमाण-प्राप्त करने में समय लग जाता है जिसे यथासम्भव कम करने का प्रयास किया जाता है।

प्रदेश के खाद्य एवं रसद विभाग (विपणन शाखा) में प्रोन्नति के सम्बन्ध में शासनादेश के प्राविधानों को लागू कराने की मांग

श्री यशपाल सिंह चौहान तथा श्री लाल मणि प्रसाद-

92-क्या खाद्य एवं रसद मंत्री कृपया बतायेंगे कि उत्तर प्रदेश खाद्य तथा रसद विभाग (विपणन शाखा) में उच्चतर वेतनमान में नियुक्त वरिष्ठ सहायकों/वरिष्ठ लिपिकों के उपलब्ध होते हुये उनसे निम्न वेतनमान में नियुक्त कनिष्ठ लिपिकों की प्रोन्नति विपणन निरीक्षक के पद पर की गयी है? यदि हां, तो शासनादेश सं0 2744/29-02-73-504/80 टी0सी0 खाद्य तथं रसद अनुभाग-2 लखनऊ, दिनांक 27-9-93 द्वारा कनिष्ठ वेतनमान पाने वाले व्यक्तियों को प्रोन्नति किये जाने का क्या औचित्य है? क्या सरकार उक्त शासनादेश में उल्लिखित प्राविधानों को कड़ाई से लागू करवायेगी तथा अनियमित रूप से की गयी प्रोन्नति को निरस्त करेगी? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री हुकुम सिंह-

उत्तर प्रदेश खाद्य तथा रसद (हाट शाखा) अधीनस्थ सेवा (प्रथम) संशोधन नियमावली, 1993 में निहित व्यवस्था के अनुसार पात्रता सूची बनाये जाने के संबंध में मा0 उच्चतम न्यायालय में दायर याचिका सं0-1131/91 महमूद हसन व अन्य बनाम राज्य सरकार में मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 7-1-97 के अनुपालन में तैयार की गयी। ज्येष्ठता सूची के आधार पर विपणन निरीक्षक के पदों पर पदोन्नति की गयी है।

उक्त पदोन्नतियां मा0 उच्चतम न्यायालय के आदेशों के अनुपालन में तैयार की गयी। ज्येष्ठता सूची के आधार पर की गयी है। अतः उन्हें निरस्त किये जाने का प्रश्न नहीं उठता।

जनपद मैनपुरी में आग्नेयास्त्रों के लाइसेन्स प्राप्त करने संबंधी पत्र का विवरण एवं कृत कार्यवाही की जानकारी

श्री राम औतार शाक्य-

93-क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि प्रश्नकर्ता द्वारा सचिव मुख्य मंत्री को प्रेषित पत्र बावत आग्नेयास्त्रों के लाइसेंस प्राप्त करने हेतु पत्रांक सी0एम0 वि0को0/एम-एस-1/मैनपुरी/19631, दिनांक 16-1-99 प्राप्त हुआ? यदि हां, तो उसका विवरण क्या है और जिलाधिकारी मैनपुरी को यह कब प्राप्त हुआ तथा उसमें अब तक क्या कार्यवाही हुई? क्या उक्त पत्र में वर्णित लाइसेंस निर्गत कर दिये गये हैं? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री कल्याण सिंह-

जी हां।

जिला मैजिस्ट्रेट, मैनपुरी के कार्यालय में दिनांक 5-2-99 को प्राप्त उक्त पत्र जनपद मैनपुरी के विभिन्न थानों के 15 व्यक्तियों को शस्त्र लाइसेन्स निर्गत किये जाने से सम्बन्धित है।

उक्त पत्र में वर्णित कुल 15 में से 6 व्यक्तियों के आवेदन-पत्रों पर तत्कालीन जिला मैजिस्ट्रेट, मैनपुरी ने सशर्त स्वीकृति प्रदान की थी। अन्य 9 व्यक्तियों के आवेदन पत्र शस्त्र कार्यालय में उपलब्ध नहीं हैं। इसके अतिरिक्त तत्कालीन जिला मैजिस्ट्रेट, मैनपुरी के आदेश दिनांक 10.11.98 द्वारा ऐसे मामलों में लाइसेन्स निर्गत न करने के आदेश दिये गये थे जिनके अनुपालन में उक्त 6 मामलों में भी लाइसेन्स निर्गत नहीं किये गये हैं।

प्रदेश के लोकायुक्त कार्यालय में लम्बित प्रकरण के निस्तारण की कार्य योजना की जानकारी

श्री श्याम देव राय चौधरी-

94-क्या सरकार कृपया बतायेगी कि प्रदेश के लोकायुक्त कार्यालयों में अभी तक कितने प्रकरण न्याय हेतु लम्बित हैं? पिछले तीन वर्षों में कितने प्रकरणों का निस्तारण किया गया? क्या लोगों को त्वरित न्याय दिलाये जाने हेतु सरकार की कोई कार्य योजना है? यदि हां, तो वह क्या है?

श्री कल्याण सिंह-

मा0 लोकायुक्त का कार्यालय केवल लखनऊ में स्थापित है। जिसमें अभी तक 794 परिवाद/प्रकरण लम्बित हैं।

विगत तीन वर्षों में मा0 लोकायुक्त द्वारा 13474 परिवादों/प्रकरणों का निस्तारण किया गया।

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम द्वारा विगत वर्षों में ब्याज के रूप में भुगतान धनराशि की जानकारी

श्री लालजी वर्मा तथा श्री बी0 आर0 वर्मा-

95-क्या परिवहन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उत्तर प्रदेश रा0 सड़क परिवहन निगम द्वारा वर्ष 1996-97 व 1997-98 में कितना-कितना रुपया ब्याज के रूप में भुगतान किया गया है?

श्री कल्याण सिंह-

उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम द्वारा वर्ष 1996-97 में रु0 1173.30 लाख एवं वर्ष 1997-98 में रु0 1448.68 लाख ब्याज के रूप में भुगतान किये गये।

राजस्व पटवारियों को पुलिस कार्य से हटाने एवं रेगुलर पुलिस व्यवस्था पर प्रति वर्ष व्यय धनराशि की जानकारी

श्री लाखीराम जोशी-

96-क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि उत्तरांचल क्षेत्र में राजस्व पटवारियों को पुलिस कार्य से हटाने का प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है? यदि हां, तो रेगुलर पुलिस की व्यवस्था करने पर प्रति वर्ष कितनी धनराशि खर्च होगी?

श्री कल्याण सिंह-
जी नहीं।
प्रश्न नहीं उठता।

पंजाब राज्य में नवम्बर, 1998 में खन्ना में हुई रेल दुर्घटना में प्रदेश के हत/आहत लोगों की संख्या एवं मुआवजे का विवरण।

श्री श्यामदेव राय चौधरी-

97-क्या सरकार कृपया बतायेगी कि नवम्बर, 1998 में खन्ना (पंजाब) में हुई रेल दुर्घटना में प्रदेश के किन जिलों के कितने लोग हत और आहत हुये और उन्हें राज्य सरकार और केन्द्र सरकार द्वारा क्या सहायता और मुआवजा दिया गया?

श्री कल्याण सिंह-

नवम्बर, 1998 में खन्ना (पंजाब) में हुई रेल दुर्घटना में प्रदेश के जो लोग हत/आहत हुए हैं, उनका विवरण निम्नवत् है:-

जनपद	संख्या मृतक	गंभीर घायल	साधारण घायल
1	2	3	4
बागपत	03	1	--
हरिद्वार	12	2	--
सहारनपुर	10	5	1
मु0 नगर	12	--	--

जनपद	संख्या मृतक	गंभीर घायल	साधारण घायल
1	2	3	4
मेरठ	05	6	1
गौतमबुद्धनगर	01	--	--
देहरादून	6	4	--
नैनीताल	05	--	--
गाजियाबाद	01	1	1
हमीरपुर	02	--	--
वाराणसी	09	1	--
आजमगढ़	01	--	1
उन्नाव	--	2	--
फैजाबाद	--	1	--
आगरा	--	1	--
मिर्जापुर	--	--	1
मथुरा	--	--	2
लखनऊ	01	1	1
रायबरेली	--	1	--
योग	68	26	8

मण्डल रेल प्रबन्धक कार्यालय से प्राप्त सूचना के अनुसार दुर्घटना में रेल विभाग द्वारा मृतकों के आश्रितों को रुपये 25000.00 प्रत्येक तथा गंभीर रूप से घायलों को रुपये 5000.00 प्रत्येक तथा साधारण रूप से घायल व्यक्तियों को रु0 2000.00 प्रत्येक क्षति पूर्ति के रूप में भुगतान किया गया है।

पी0सी0एफ0 में व्याप्त भ्रष्टाचार एवं करोड़ों रुपये की घोटाले की जांच

डा0 धर्मज्ञ मिश्र-

98-क्या सहकारिता मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि पी0सी0एफ0 में व्याप्त भ्रष्टाचार के कारण चीनी वितरण का कार्य वापस लेने के विरोध में वहां के कर्मचारी

आन्दोलन कर रहे हैं ? क्या सरकार ने पी0सी0एफ0 द्वारा किये गये करोड़ों रुपयों के घोटाले की जांच किसी वरिष्ठ आई0ए0एस0 अधिकारी से कराने का फैसला लेने के बाद भी चीनी वितरण का कार्य पी0सी0एफ0 द्वारा कराये जाने का निर्णय लिया है ? यदि हां, तो इसका क्या औचित्य है ? क्या इसके विकल्प पर विचार करने तथा उक्त घोटाले की जांच करवाई जायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

"पटेल" राम कुमार वर्मा-

जी नहीं ।

कुछ जनपदों में सितम्बर, अक्टूबर, नवम्बर 1998 में चीनी समय से न पहुंचने के समस्त कारणों की जांच का फैसला लिया गया था, जिसका पुनः पी0सी0एफ0 द्वारा चीनी उठान के कार्य कराये जाने से कोई सम्बन्ध नहीं था ।

प्रश्न नहीं उठता ।
प्रश्न नहीं उठता ।
प्रश्न नहीं उठता ।
प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद इटावा, थाना वैधपुरा कान्सटेबिल विश्वनाथ पाल की आन ड्यूटी मृत्यु होने के पश्चात् उसके परिवार को असाधारण पेंशन स्वीकार किये जाने की मांग

99- श्री कृष्णपाल सिंह-

क्या मुख्य मंत्री को जानकारी है कि थाना वैधपुरा इटावा में दिनांक 15/16-3-97 की रात्रि में कान्सटेबिल विश्वनाथ पाल के रोड गश्त ड्यूटी के दौरान सड़क दुर्घटना में मृत्यु हो गयी थी ? यदि हां, तो क्या उ0प्र0 में राज्य कर्मचारियों के सरकारी ड्यूटी में मृत्यु हो जाने पर उसके परिवार को असाधारण पेंशन देय हैं ? यदि हां, तो क्या उक्त मृतक कान्सटेबिल के परिवार को असाधारण पेंशन दी गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या उक्त मृतक के परिवार को उक्त असाधारण पेंशन दी जायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कल्याण सिंह-

जी हाँ ।

उ0प्र0 पुलिस असाधारण पेंशन नियमावली, 1961 के प्रथम संशोधन 1975 (उपनियम-3) के अंतर्गत कर्तव्य पालन के दौरान मारे गये अथवा मर जाने वाले पुलिस कर्मियों के आश्रित परिवार को असाधारण पेंशन दिये जाने का प्राविधान है ।

इस सम्बन्ध में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, इटावा द्वारा भेजा गया प्रस्ताव पुलिस मुख्यालय, इलाहाबाद में परीक्षणाधीन है । शासन में प्रस्ताव प्राप्त होने तथा उक्त नियमावली के अंतर्गत पात्र होने, औचित्य की दशा में मृतक के आश्रित परिवार को असाधारण पेंशन स्वीकृत किये जाने के सम्बन्ध में निर्णय लिया जायेगा ।

पुलिस विभाग में आउट आफ टर्न प्रमोशन पश्चात् उनकी तैनाती की जानकारी

100-श्री श्यामदेव राय चौधरी-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि पुलिस विभाग में कितने लोगों को आउट आफ टर्न प्रमोशन वर्तमान सरकार द्वारा दिया गया है और उनमें से कितने लोगों की तैनाती कर दी गयी है ? क्या ऐसे भी कर्मचारी हैं जिन्हें प्रमोशन दिये जाने के बावजूद अभी तक उनकी तैनाती नहीं की गयी है ? यदि हां, तो उनकी तैनाती कब तक कर दी जायेगी ?

श्री कल्याण सिंह-

28 उप निरीक्षक, 8 हेड कान्सटेबिल एवं 53 कान्सटेबिल को क्रमश: निरीक्षक, उप निरीक्षक एवं मुख्य आरक्षी के पद पर प्रोन्नति हेतु पुलिस महानिदेशक द्वारा अनुमोदित किया गया है, जिनमें से उपलब्ध रिक्तियों के विरुद्ध 14 उप निरीक्षक को निरीक्षक के पद पर, 8 हेड कान्सटेबिल को उप निरीक्षक के पद पर एवं 53 कान्सटेबिल को हेड कान्सटेबिल के नि:सम्वर्गीय पद पर प्रोन्नति प्रदान की जा चुकी है ।

जी हाँ ।

रिक्तियाँ उपलब्ध होने पर तैनाती सम्भव हो सकेगी ।

जनपद लखनऊ, थाना गाजीपुर के मुकदमा अपराध संख्या-65/98 के मुल्जिमों के सम्बन्ध में प्राप्त आख्यानुसार कार्यवाही की जानकारी

101-श्री अजय कुमार पोइया-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि मुकदमा अपराध सं0-65/98, धारा 302, 307, 323, 504 आई0पी0सी0, थाना गाजीपुर, लखनऊ के मुल्जिमों को रा0सु0का0 में निरुद्ध किये जाने विषयक विधायक कोष्ठक का पत्रांक : सी0एम0/वि0को0/एम-3 /18899/मथुरा/98, दिनांक 19-12-98 प्रमुख सचिव गृह को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी है ?

श्री कल्याण सिंह-

जी हाँ ।

जिला मजिस्ट्रेट, लखनऊ से आख्या प्राप्त करके उस पर विचारोपरान्त प्रश्नगत अभियोग के मुल्जिमों को रा0सु0का0 में निरुद्ध करने का आधार नहीं पाया गया ।

जनपद मथुरा, तहसील सदर के खाद्य निरीक्षक श्री बहोरी लाल द्वारा अर्जित सम्पत्ति की जांच हेतु प्राप्त पत्र पर कार्यवाही

102-श्री अजय कुमार पोइया-

क्या खाद्य एवं रसद मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद मथुरा की सदर तहसील में कार्यरत खाद्य निरीक्षक श्री बहोरी लाल द्वारा अर्जित सम्पत्ति चल व अचल

गोपनीय जांच कराये जाने विषयक विधायक कोष्ठक का पत्रांक : सी0एम0/वि0को0/एम -1/19698/मथुरा/99, दिनांक 17-1-99, सचिव, खाद्य एवं रसद को प्राप्त हुआ है? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गंयी है?

श्री हुकुम सिंह-

जी हाँ।

शिकायत की जांच श्री रमेश कुमार सुधांशु ज्वाइंट मजिस्ट्रेट से करायी जा रही है।

जनपद हरदोई, कस्बा बिलग्राम में राशन की चीनी वितरित न करने की जांच

103-डा0 धर्मज्ञ मिश्र-

क्या खाद्य एवं रसद मंत्री को जानकारी है कि जनपद हरदोई के कस्बा बिलग्राम के नागरिकों को राशन की चीनी वितरित नहीं की जाती है? यदि हां, तो क्या सरकार इसकी जांच कराकर चीनी वितरण सुनिश्चित करायेगी? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री हुकुम सिंह-

जनपद हरदोई के कस्बा बिलग्राम में चीनी का वितरण नियमित रूप से किया जा रहा है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में सहकारी समितियों द्वारा नगद खाद्य की बिक्री की जानकारी

104-डा0 धर्मज्ञ मिश्र-

क्या सहकारिता मंत्री को जानकारी है कि प्रदेश में सहकारी समितियों द्वारा नगद खाद की बिक्री पर प्रतिबन्ध लगा देने के कारण कृषकों के सामने खाद का संकट उत्पन्न हो गया है? यदि हां, तो क्या सरकार कृषकों के हित में नगद खाद की बिक्री पर प्रतिबन्ध हटाने की कार्यवाही करेगी? यदि हां, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री "पटेल" राम कुमार वर्मा-

जी नहीं।

खाद की नकद बिक्री पर प्रतिबन्ध नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद हरदोई, साधन सहकारी समिति के सचिवों के वेतन का प्रकरण

105-डा0 धर्मज्ञ मिश्र-

क्या सहकारिता मंत्री को जानकारी है कि जनपद हरदोई की साधन सहकारी समिति के सचिवों ने वेतन के मसले को लेकर क्रमिक अनशन प्रारम्भ कर दिया है? क्या उसके कारण साधन सहकारी समितियों के कार्यकलाप अवरुद्ध हो जाने के फलस्वरूप कृषकों के सामने अनेक समस्याएं उत्पन्न हो रही है? यदि हां, तो क्या सरकार साधन सहकारी समितियों के कार्यकलापों में उत्पन्न व्यवधान को दूर करके जनता को सुविधा प्रदान करेगी? यदि हां, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री "पटेल" राम कुमार वर्मा-

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में अराष्ट्रीयकृत घोषित मार्गों पर स्थायी परमिट जारी करने की जानकारी

106-श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह-

क्या परिवहन मंत्री को जानकारी है कि प्रदेश के बहुत से राष्ट्रीयकृत मार्गों को अराष्ट्रीयकृत मार्ग घोषित कर दिया गया है? यदि हां, तो क्यों? वह मार्ग कौन-कौन हैं और उन पर स्थायी परमिट जारी करने की कार्यवाही कब से शुरू कर दी जायेगी?

श्री कल्याण सिंह-

जी नहीं। उल्लेखनीय है कि उ0 प्र0 शासन, परिवहन अनुभाग-2 द्वारा सरकारी गजट में प्रकाशित कराई गई कतिपय अधिसूचनाओं द्वारा प्रदेशान्तर्गत कुछ मार्गों को अराष्ट्रीयकृत किए जाने का प्रस्ताव किया गया है जिनके संबंध में उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम और प्रभावित अन्य व्यक्तियों से प्राप्त आपत्तियों की सुनवाई प्रदेश सरकार द्वारा तैनात सुनवाई प्राधिकारी के यहां की जा रही है। इन मार्गों को अराष्ट्रीयकृत किए जाने का प्रस्ताव जनहित में किया गया है।

सुनवाई प्राधिकारी के निर्णय से पूर्व मार्गों के संबंध में विवरण दिये जाने एवं परमिट दिये जाने का प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में कोषागारों के कम्प्यूटरीकरण की जानकारी

107-श्री राम औतार शाक्य-

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि प्रदेश में कितने कोषागार कम्प्यूटरीकृत कर दिये गये हैं और कितने अवशेष हैं ? क्या कोषागार कम्प्यूटरीकरण से आम जनता, पेंशनर तथा वेतन भोगी कर्मचारियों को राहत मिली है ? यदि हां, तो क्या ? यदि नहीं, तो कम्प्यूटरीकरण का औचित्य क्या है ?

श्री कल्याण सिंह-

74 कोषागारों एवं नई दिल्ली स्थित भुगतान एवं लेखाधिकारी कार्यालय को कम्प्यूटरीकृत कर दिया गया है तथा नवसृजित जनपदों में स्थित 15 कोषागार अवशेष है ।

जी हाँ ।

1-कोषागारों को कम्प्यूटरीकृत कर दिये जाने से बजट नियंत्रण, कैशफलो, वित्तीय अभिलेखों तथा लेखा प्रक्रिया पर नियंत्रण रखा जा रहा है एवं शुद्ध आंकड़े प्राप्त किये जा रहे हैं ।

2-पेंशनर्स के विवरण का डाटाबेस कम्प्यूटर पर बनाया जा रहा है तथा पेंशनर्स के खाते में भेजा जाने वाला चेक भी कम्प्यूटर से बनाया जाता है । कम्प्यूटरीकरण होने से पेंशनर को अब न तो पेंशन संबंधी बिल कोषागार में प्रस्तुत करने की आवश्यकता रह गयी है और न ही अनावश्यक रूप से कोषागार में बार-बार आना पड़ता है । अब पेंशनर द्वारा खोले गये बैंक खाते में संबंधित माह के अन्त तक उसके बैंक खाते में धनराशि क्रेडिट करा दी जाती है ।

3-पेटी पेंशनर्स जिन्हें रु0 2500/- प्रतिमाह पेंशन मिलती है को कोषागार से नकद भुगतान भी किया जा रहा है ।

4-सरकारी कर्मियों के वेतनबिल कम्प्यूटर पर शुद्धतापूर्वक तैयार किये जा रहे हैं । सेवा संबंधी अभिलेखों, जी0पी0एफ0 पासबुकों का रख-रखाव तथा उनके लेखों के रख-रखाव आदि का कार्य सुविधा पूर्वक सम्पादित किया जा रहा है । कोषागारों की पूर्ण कार्यपद्धति कम्प्यूटर पर प्रारम्भ हो जाने से आम जनता के समस्त कार्य शीघ्रता एवं शुद्धतापूर्वक सम्पादित किये जाने में सुविधा मिल रही है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

108-श्री राम औतार शाक्य-

(विस्तीर्णता के आधार पर निरस्त ।)

आगरा-मथुरा मार्ग पर हुई दुर्घटना पर भीड़ को हटाने में पुलिस की गोली से मृतक के परिवार को आर्थिक सहायता प्रदान करने की जानकारी

109-श्री स्वामी प्रसाद मौर्य-

क्या मुख्य मंत्री को जानकारी है कि जनपद आगरा के थाना-सिकन्दरा में आगरा-मथुरा मार्ग पर दिनांक 5-7-98 को राजकुमार पुत्र अजीराम जाटव की कार दुर्घटना में मृत्यु के बाद मौके पर इकट्ठी भीड़ पर थानाध्यक्ष सिकन्दरा ने भीड़ को तितर-बितर करने हेतु पहले लाठी चार्ज किया और बाद में गोलियां चलाई जिससे श्रीमती किशन देवी पत्नी रामसरन की मौके पर मृत्यु हो गयी तथा अमर सिंह बुरी तरह से घायल हो गया जिसकी एफ0आई0आर0 अपराध सं0 179-ए/98 धारा 302, 307, 3(2) एस0सी0एस0टी0 ऐक्ट के अन्तर्गत दर्ज करायी गयी? यदि हां, तो उक्त दोषी अधिकारी के विरुद्ध अब तक क्या कार्यवाही की गयी? यदि नहीं, तो क्यों? क्या मृतका को अब तक कोई आर्थिक सहायता दी गयी? यदि नहीं, तो क्यों? क्या मृतका को आर्थिक सहायता दी जायेगी? यदि हां, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री कल्याण सिंह-

दुर्घटना में टेम्पो चालक रामकुमार पुत्र मंगीराम जाटव की मृत्यु हुई। सुरक्षा व्यवस्था हेतु पहुंचे पुलिस कर्मियों पर भीड़ ने पथराव किया तथा फायरिंग की। भीड़ द्वारा चलाई गई गोली से श्रीमती किशन देवी पत्नी रामसरन जाटव को लगी और मौके पर उसकी मृत्यु हो गयी।

इस संबंध में मु0अ0सं0 179/98 थानाध्यक्ष सिकन्दरा द्वारा 24 अभियुक्त एवं अन्य के विरुद्ध पंजीकृत किया गया। विपक्ष द्वारा मु0अ0सं0 179-ए/98 बनाम थानाध्यक्ष व अन्य पुलिस कर्मियों के विरुद्ध पंजीकृत कराया गया। मजिस्ट्रीयल जांच में 179-ए/98 में पुलिस की नामदजगी गलत पायी गई।

दिनांक 23 नवम्बर, 1998 को विवेचना के उपरान्त न्यायालय में आरोप-पत्र प्रस्तुत कर दिया गया है।

मृतका के परिवारजनों को दस हजार रुपये की आर्थिक सहायता दी जा चुकी है।

जनपद लखीमपुर खीरी में मु0अ0सं0 53/99 में गिरफ्तारी की जानकारी

110-श्री समरपाल सिंह-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि लखीमपुर खीरी में वकील संघ द्वारा कोई अनशन किया जाने तथा उन्हें जेलों में भेजने के संबंध में वकील श्री बालेश्वर यादव द्वारा थाना कोतवाली में मु0अ0 सं0-53/99 के अन्तर्गत धारा 307, 332, 504, 506 व 507 भा0द0सं0 की रिपोर्ट लिखाई गई है? यदि हां, तो क्या उसमें कोई गिरफ्तारी की गयी है? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री कल्याण सिंह-

जी नहीं, तथ्य यह है कि श्री बालेश्वर यादव अधिवक्ता ने दिनांक 27-1-99 को इस आशय की रिपोर्ट थाना कोतवाली खीरी में दर्ज कराई कि वह अपने मुवक्किल से मिलने जेल गये थे। जहां गेट पर तैनात दो सन्तरियों द्वारा मारपीट की गई तथा जान से मारने की धमकी दी गई, जिसके अनुसार रिपोर्ट अपराध संख्या-53/99 धारा 307/323/504/506 भा0द0वि0 अभियुक्त दो आरक्षी नाम अज्ञात दर्ज की गयी। अभियुक्तों की गिरफ्तारी के संबंध में बार एसोसियेशन द्वारा हड़ताल की गई थी।

प्रश्नगत अभियोग की विवेचनों के उपरान्त दिनांक 12-2-99 को अभियोग धारा 324/323/504/506 भा0द0वि0 में परिवर्तित करते हुए प्रकाश में आये दोनों अभियुक्त बंदी रक्षक जंगी सिंह एवं बन्दी रक्षक उमेश चन्द्र पाण्डेय को दिनांक 12-2-99 को गिरफ्तार करके न्यायालय के समक्ष पेश किया गया जो जमानत पर है।

प्रश्न नहीं उठता।

परिवहन निगम पर वर्तमान में कुल बकाये यात्री कर एवं वसूली की जानकारी

111-श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह-

क्या परिवहन मंत्री कृपया बतायेंगे कि परिवहन निगम के ऊपर वर्तमान में कुल कितना यात्रीकर बकाया है? उसकी वसूली हेतु शासन की वर्तमान नीति क्या है तथा वसूली कब तक कर दी जायेगी?

श्री कल्याण सिंह-

उ0प्र0 राज्य सड़क परिवहन निगम पर दिनांक 31-1-1999 तक कुल रुपया 178.87 करोड़ रुपया यात्री कर बकाया है।

मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव (वित्त) के यहां बैठक हो चुकी है। वसूली के सम्बन्ध में अग्रेतर आवश्यक कार्यवाही की जा रही है।

जनपद बलरामपुर विकास खण्ड उतरौला में मिट्टी के तेल एवं शक्कर की कालाबाजारी की जांच

112-श्री उबैदुर्रहमान-

क्या खाद्य एवं रसद मंत्री को जानकारी है कि विधान सभा क्षेत्र उतरौला जनपद बलरामपुर के तहसील उतरौला में मिट्टी के तेल एवं शक्कर की कालाबाजारी की जा रही है? क्या सरकार इसकी जांच कराकर दोषी पाये गये लोगों के विरुद्ध कार्यवाही करेगी? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री हुकुम सिंह-

जी नहीं। फिर भी यदि मिट्टी तेल एवं शक्कर की कालाबाजारी करने की कोई शिकायत प्राप्त होती है तो उसकी नियमानुसार सक्षम स्तर से जांच की जाती है एवं कालाबाजारी पर नियन्त्रण रखने के लिए बराबर प्रवर्तन/छापों की कार्यवाही की जाती है।

वर्ष 1973 में पी0ए0सी0 के बगावत करने वाले जवानों के एरियर व अन्य मदों के गबन की जांच

113-श्री श्यामदेव राय चौधरी-

क्या सरकार को जानकारी है कि वर्ष 1973 में बगावत करने वाले पी0ए0सी0 जवानों के एरियर व अन्य मदों से पी0ए0सी0 के कतिपय लिपिकों ने मिलकर एक करोड़ रुपये के लगभग का गबन कर लिया है और पी0ए0सी0 कमान्डेन्ट कानपुर द्वारा विशेष आडिट की मांग की गयी है? यदि हां, तो क्या सरकार द्वारा उक्त गबन की कोई जांच कराई गई है? यदि हां, तो क्या सरकार दोषी पाये गये लोगों के विरुद्ध वसूली की कार्यवाही करेगी? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री कल्याण सिंह-

जी हाँ।

जी हाँ। मामले की जांच भ्रष्टाचार निवारण संगठन द्वारा करायी जा रही है।

जी हाँ।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद उन्नाव, थाना साहेरा, मऊ में अपराध संख्या 7/99 धारा 307 के सम्बन्ध में कृत कार्यवाही की जानकारी

114-श्री राम सिंह सैनी-

क्या मुख्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि जनपद उन्नाव के थाना साहेरा, मऊ में दिनांक 24-1-99 को अपराध सं0 7/99 धारा 307 आई0पी0सी0 पंजीकृत है? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही हुई? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री कल्याण सिंह-

जी हाँ।

प्रश्नगत अपराध की गम्भीरता से विवेचना उपनिरीक्षक श्री बलबीर सिंह यादव द्वारा की जा रही है। प्रश्नगत अभियोग इस पृष्ठभूमि में अत्यन्त महत्वपूर्ण है कि उभय पक्ष के मध्य पूर्व में ही अपराध सं0-194/98 अन्तर्गत धारा 147/323/504 भा0द0वि0 व 3 (1) दस एस0सी0/एस0टी0 एक्ट न्यायालय में विचाराधीन है।

अपराध संख्या-7/99 के वादी राजेन्द्र कुमार दीक्षित अपराध सं0 194/98 में अभियुक्त हैं और उनके विरुद्ध आरोप पत्र न्यायालय में 11-1-99 को दाखिल किया गया है।

अतः इस अभियोग की विवेचना अत्यन्त सूक्ष्मता एवं गहनता से करायी जा रही है।

जनपद अम्बेडकरनगर के महिला प्रकोष्ठ की सब-इन्सपेक्टर द्वारा स्थानान्तरण पश्चात् कार्यभार ग्रहण न करने पर कार्यवाही किये जाने की जानकारी

।।5-श्री अजय भट्ट-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि राज्य कर्मचारियों के स्थानान्तरण के उपरान्त कार्यभार न ग्रहण करने पर उनके विरुद्ध कार्यवाही करने की कोई नीति बनाई गयी है ? यदि हां, तो वह नीति क्या है ? क्या जनपद अम्बेदकर नगर के महिला प्रकोष्ठ में नियुक्त सब-इन्सपेक्टर श्रीमती लालमति का विगत वर्ष में हुए स्थानान्तरण पर कार्यभार न ग्रहण करने के विरुद्ध दफा-7 की कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ? उपरोक्त कार्यवाही कब तक सुनिश्चित की जायेगी ?

श्री कल्याण सिंह-

जी हाँ।

स्थानान्तरण आदेश के अनुपालन में कर्मचारी को कार्यमुक्त की तिथि से 7 दिवस कार्यभार ग्रहण करने के लिए प्रदत्त समय के अन्दर ही स्थानान्तरित स्थान पर कार्यभार ग्रहण कर लेना चाहिए। स्थानान्तरण आदेशों की अवहेलना अथवा कार्यभार ग्रहण करने के प्रदत्त 7 दिन के समय के अन्दर कार्यभार ग्रहण करने में लापरवाही बरतने वाले कर्मचारी के विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाही किये जाने की व्यवस्था विभागीय नियमों में उपलब्ध है।

महिला हे0का0 (प्रोन्नति प्राप्त) श्रीमती लालमति को स्थानान्तरण पर कार्यभार न ग्रहण करने के कारण किए गए निलम्बन के विरुद्ध मा0 उच्च न्यायालय के स्थगन आदेश के अनुपालन में बहाल किया गया है। श्रीमती लालमति स्थानान्तरण पर जनपद इलाहाबाद जा चुकी हैं। पूर्व में स्थानान्तरण पर प्रस्थान न करने, अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित हो जाने के संबंध में क्षेत्राधिकारी नगर के स्तर पर प्रारम्भिक जांच प्रचलित है।

जनपद आगरा सहकारी ग्राम विकास बैंक शाखा एत्मादपुर के शाखा प्रबन्धक के विरुद्ध भ्रष्टाचार की शिकायत

।।6-श्री शिव सिंह चक-

कया सहकारिता मंत्री को जानकारी है कि उ0प्र0 सहकारी ग्राम विकास बैंक लि0 शाखा एत्मादपुर, जनपद आगरा के शाखा प्रबन्धक के अनियमित कार्य एवं भ्रष्टाचार के विरुद्ध प्रश्नकर्ता का पत्र माह फरवरी, 1999 प्राप्त हुआ है, यदि हां तो क्या उस पर जांच कर कोई कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री "पटेल" राम कुमार वर्मा-

अभिलेखों में प्रश्नगत पत्र प्राप्त होने की पुष्टि नहीं हो सकी।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद प्रतापगढ़ के कतिपय ब्लाकों में भूमि विकास बैंक की शाखाओं की स्थापना किये जाने की मांग

117-श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह-

क्या सहकारिता मंत्री कृपया बतायेंगे कि भूमि विकास बैंक की शाखाओं की स्थापना किये जाने हेतु मानक अथवा नीति क्या है? क्या जनपद प्रतापगढ़ के ब्लाक मगरौरा एवं आसपुर देवसरा में शाखायें स्थापित किये जाने पर सरकार विचार करेगी? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री "पटेल" राम कुमार वर्मा-

नीति यह रही है कि बैंक की बड़ी शाखा को विभक्त कर नई शाखा की स्थापना करने पर पैतृक शाखा एवं नई शाखा दोनों स्वाश्रयी हो सकें। इस आधार पर वर्ष 1998-99 हेतु रुपये 6.00 करोड़ से अधिक लगे हुए ऋण की शाखाओं को विभक्त करते हुए नई शाखायें खोला जाना उपयुक्त पाया गया।

जी नहीं।

ब्लाक मगरौरा एवं आसपुर देवसरा की पैतृक शाखा पट्टी का दिनांक 31-3-98 को लगा हुआ ऋण मात्र 2.92 करोड़ रुपये है। अतः उक्त स्थान पर नई शाखायें खोला जाना आर्थिक रूप से अस्वाश्रयी है।

क्षेत्रीय प्रबन्धक पी0सी0एफ0, फैजाबाद श्री सी0बी0 सिंह द्वारा किये गये भ्रष्टाचार की जांच

118-श्री राम प्रसाद चौधरी तथा श्री काशी नाथ-

क्या सहकारिता मंत्री को जानकारी है कि क्षेत्रीय प्रबन्धक पी0सी0एफ0, फैजाबाद श्री सी0बी0 सिंह द्वारा किये गये गम्भीर आर्थिक भ्रष्टाचार की शिकायतों पर उनके विरुद्ध विभागीय जांच करायी जा रही है? यदि हां, तो क्या जांच के दौरान उनको स्थानान्तरित करके अधीनस्थ कर्मियों व शिकायतकर्ताओं से साक्ष्य लिया गया? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री "पटेल" राम कुमार वर्मा-

प्रारम्भिक जांच पूर्ण की जा चुकी है।

प्रारम्भिक जांच के पश्चात् श्री सी0बी0 सिंह को फैजाबाद से स्थानान्तरित किया जा चुका है। प्राप्त जांच आख्या के परीक्षणोपरान्त यदि आवश्यक हुआ तो शिकायत कर्ताओं से साक्ष्य प्राप्त किया जायेगा।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद लखनऊ ग्राम वीरपुर के बाबूलाल पुत्र श्री दुर्जन दास की हत्या करने वालों की गिरफ्तारी की मांग

119-श्री राम नक्षत्र-

क्या सरकार को जानकारी है कि बाबूलाल पुत्र श्री दुर्जन दास, निवासी ग्राम वीरपुर, थाना-गोसाईगंज, जिला लखनऊ की दिनांक 29-10-1997 को हत्या कर दी गयी थी? यदि हां, तो क्या अब तक हत्यारों की गिरफ्तारी की गयी है? यदि नहीं, तो क्यों? क्या उनके पुत्र बाबूलाल को सुरक्षा प्रदान किये जाने हेतु श्री प्रेम स्वरूप पाठक, सदस्य, विधान सभा का कोई पत्र प्राप्त हुआ है? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गई है?

श्री कल्याण सिंह-

जी नहीं। दिनांक 29-10-1997 को श्री बाबू लाल की नहीं अपितु उनके पिता श्री दुर्जन दास की हत्या गोली मारकर कर दी गयी थी।

श्री दुर्जन दास की दिनांक 29-10-97 को हुई हत्या के संबंध में थाना गोसाईगंज पर दर्ज मु0अ0सं0-405/97 धारा 379/302 एवं 3 (2)5 अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति अधिनियम में नन्हा उर्फ राकेश, राम खेलावन, बिल्लू एवं राम नारायन को नामजद किया गया था। उक्त अभियुक्तगणों में से तीन अभियुक्तों द्वारा न्यायालय में आत्मसमपर्ण किया गया एवं एक अभियुक्त को गिरफ्तार कर जेल भेजा जा चुका है। विवेचनोपरान्त सभी अभियुक्तों के विरुद्ध आरोप प0सं0-9, दिनांक 10-12-97 को न्यायालय प्रेषित किया जा चुका है।

प्रश्न ही नहीं उठता।
जी नहीं।
प्रश्न नहीं उठता।

120-श्री बेचन राम-

(दिनांक 18-3-99 को अता0प्र0सं0 140 द्वारा उत्तरित)

जनपद रायबरेली, मैसर्स एल0ई0सी0 कम्पोनेन्ट्स इण्डिया लि0 के फैक्ट्री भवन पर पुलिस कर्मियों द्वारा कब्जा करने की शिकायत

121-श्री नेतराम सिंह-

क्या मुख्य मंत्री को ज्ञात है कि थाना मिल एरिया जनपद रायबरेली के पुलिस कर्मियों ने मेसर्स एल0ई0सी0 कम्पोनेन्ट्स इण्डिया लिमिटेड की डी-7 औद्योगिक क्षेत्र, अमावां रोड, रायबरेली की फैक्ट्री के भवन पर अनाधिकार अवैधानिक तरीके से कब्जा कर लिया है? क्या उक्त कम्पनी के प्रबन्ध निदेशक का इस विषय में माह दिसम्बर, 1998 का शिकायती पत्र माननीय मुख्य मंत्री, पुलिस महानिदेशक तथा पुलिस अधीक्षक, रायबरेली को प्राप्त हुए हैं? यदि हां, तो क्या कब्जा हटाया गया? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री कल्याण सिंह-

जी नहीं। भवन में फैक्टरी का ही विद्यालय चल रहा है।

प्रश्न नहीं उठता।

मुख्य सचिव की अध्यक्षता में राज्य सड़क परिवहन निगम के साथ-साथ निजी बसों को चलाने हेतु गठित समिति की रिपोर्ट के क्रियान्वयन में 5 मार्गों हेतु बसों के संचालन की अधिसूचना जारी करने की मांग

122-श्री संजय गर्ग-

क्या परिवहन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि राज्य सड़क परिवहन निगम की बसों के साथ-साथ निजी बसों को चलाने हेतु मुख्य सचिव की अध्यक्षता में गठित समिति की रिपोर्ट 18-11-96 में जिन पांच मार्गों के लिये संस्तुति की गई थी क्या उस संस्तुति पर सभी मार्गों पर क्रियान्वयन हो चुका है? यदि नहीं, तो शासन कब तक संस्तुति का क्रियान्वयन पूरा करते हुए अधिसूचना जारी कर देगा?

श्री कल्याण सिंह-

उ0प्र0 राज्य सड़क परिवहन निगम की बसों के साथ-साथ निजी बसों को चलाने हेतु मुख्य सचिव की अध्यक्षता में दिनांक 18-11-96 को हुई बैठक में निम्नलिखित सात मार्गों के लिए संस्तुति की गई थी :-

(1) अलीगढ़-अतरौली-रामघाट
(2) अलीगढ़-अतरौली-बिजौली
(3) शेरगढ़घाट-औरैया-दिबियापुर-तिर्वा
(4) दिबियापुर-बाबरपुर
(5) सहारनपुर-लोनी वाया शामली-बड़ौत-बागपत-मार्जिनल बांध रोड-आई0एस0 बी0टी0 दिल्ली।
(6) मेरठ-चंडीगढ़ वाया बड़ौत-शामली-गंगोह-सहारनपुर-सरसावा-यमुनानगर -अम्बाला।
(7) सहारनपुर-करनाल वाया जधेरा-रामपुर-गंगोह-न्यू यमुना ब्रिज।

उपरोक्त क्रमांक-1 व 2 पर अंकित मार्गों की योजना के संशोधन विषयक प्रारम्भिक अधिसूचना संख्या-688/30-2-98-71/95, दिनांक 21-5-98 की सुनवाई श्रवणाधिकारी के यहां गतिशील है। क्रमांक 3 व 4 पर अंकित मार्गों के सम्बन्ध में अंतिम अधिसूचना संख्या-329/30-2-99-374/91, दिनांक 18-2-99 निर्गत हो गई है। क्रमांक 5, 6 व 7 पर अंकित मार्गों के सम्बन्ध में प्रारंभिक अधिसूचना निर्गत होनी शेष है। उक्त तीन मार्गों/मार्गांशों से सम्बन्धित योजना को संशोधित किये जाने हेतु सैद्धान्तिक सहमति हो गई है। इस सम्बन्ध में विधिक औपचारिकताएं पूर्ण कराकर अधिसूचना निर्गत की जायेगी।

राज्य सड़क परिवहन निगम पर यात्री कर बकाया के विवरण व वसूली की जानकारी

123-श्री संजय गर्ग-

क्या परिवहन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि राज्य सड़क परिवहन निगम पर यात्री कर कितना बकाया है तथा कितने वर्षों से है? वर्तमान में इसकी क्या स्थिति है? क्या प्रदेश की बिगड़ती हुई वित्तीय स्थिति को देखते हुए सरकार यात्री कर की वसूली की योजना बना रही है? यदि हां, तो वह योजना क्या है?

श्री कल्याण सिंह-

राज्य सड़क परिवहन निगम पर 31-1-99 तक कुल रुपया 17887.00 लाख यात्रीकर का बकाया है। वर्षवार ब्रेकअप निम्न प्रकार है :-

	लाख रुपये में
1991-92	759.56
1992-93	969.15
1993-94	1,589.06
1994-95	3,916.23
1995-96	7,002.16
1996-97	10,111.59
1997-98	14,936.59
1998-99 (जनवरी तक)	17,887.00

मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव (वित्त) के यहां बैठक हो चुकी है। वसूली के सम्बन्ध में अग्रेतर आवश्यक कार्यवाही की जा रही है।

अवर अभियन्ता, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ के विरुद्ध प्राप्त शिकायती पत्र पर कार्यवाही

124-श्री अक्षयवर लाल-

क्या पर्यावरण मंत्री कृपया बतायेंगे कि श्री कृष्ण मोहन श्रीवास्तव, अवर अभियन्ता, उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, क्षेत्रीय कार्यालय, लखनऊ के विरुद्ध नवम्बर/दिसम्बर, 1998 में मा0 विधायक श्री राम नक्षत्र का कोई शिकायती पत्र विधायक कोष्ठक, मुख्य मंत्री कार्यालय, में प्राप्त हुआ है? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गई? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री बच्चा पाठक-

जी हाँ।

मा0 विधायक श्री राम नक्षत्र के लेटर पैड पर प्रश्नगत शिकायती पत्र प्राप्त हुआ है।

मा0 विधायक के उपर्युक्त पत्र के अतिरिक्त एक अन्य दिनांक रहित पत्र दिनांक 21-12-98 को पर्यावरण विभाग में प्राप्त हुआ जिसमें पूर्व पत्र को उनके फर्जी हस्ताक्षर से जारी किया जाना बताया गया है। इन दोनों पत्रों की पुष्टि हेतु शासन के पत्र दिनांक 28-1-99 द्वारा मा0 विधायक से अनुरोध किया गया जिसके उत्तर में दिनांक 13-2-99 का एक पत्र प्राप्त हुआ, जिसमें पुनः प्रथम पत्र पर अंकित हस्ताक्षर को फर्जी तथा दूसरे पत्र को सही बताया गया है। स्थिति को और स्पष्ट करने हेतु व्यक्तिगत सम्पर्क कर मा0 विधायक से इन पत्रों की पुष्टि कराने के लिए निर्देश दिये गये हैं।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद लखनऊ 32 वीं वाहिनी पी0ए0सी0 में महिला आरक्षी पदों पर भर्ती में अनियमितताओं की जांच

125-श्री स्वामी प्रसाद मौर्य-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनता दर्शन में 1 फरवरी, 1999 को सुश्री निशा देवी पुत्री श्री राम देव मौर्य ग्राम उदपुर पो0 फूलपुर, जनपद आजमगढ़ द्वारा 32वी वाहिनी पी0ए0सी0 लखनऊ के महिला आरक्षी पदों पर भर्ती में अनियमितताओं की जांच हेतु कोई आवेदन-पत्र दिया गया है? यदि हां, तो क्या उक्त शिकायतों की जांच करायी गयी? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री कल्याण सिंह-

जी हाँ।

आवेदन-पत्र में इंगित शिकायतों की जांच हेतु पुलिस महानिदेशक को सन्दर्भित किया गया है।

जनपद लखनऊ थाना, गाजीपुर मुकदमा अपराध संख्या 266/98 से सम्बन्धित श्री अमित कुमार मौर्य की हत्या विषयक प्राप्त पत्र पर कार्यवाही

126-कुं0 रेवती रमण सिंह-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि थाना गाजीपुर, लखनऊ में दर्ज मु0अ0सं0 266/98 दिनांक 8-6-98 जो श्री अमित कुमार मौर्य की हत्या किये जाने के सम्बन्ध में था तथा जो श्री गोमती यादव विधायक के पत्र दि0 3-7-99 पर उनके द्वारा तीन दिवस में जांच आख्या प्रस्तुत करने हेतु आदेशित किया गया था, पर क्या कार्यवही की गयी? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री कल्याण सिंह-

जी हां। उक्त कथित पत्र दिनांक 3-7-99 का न होकर दिनांक 15-6-98 का है। प्रश्नगत प्रकरण के सम्बन्ध में थाना गाजीपुर, जनपद लखनऊ पर दर्ज मु0अ0सं0- 266/98 धारा 304 भा0द0वि0 की विवेचना अपराध शाखा, अपराध अनुसंधान विभाग को सुपुर्द की जा चुकी है।

प्रश्न ही नहीं उठता।

प्रदेश में भ्रष्ट पुलिस कर्मियों को चिन्हित करने एवं ईमानदार कर्मियों को पुरस्कृत किये जाने की जानकारी

1127-श्री रूप चौधरी-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में भ्रष्ट पुलिस कर्मियों को चिन्हित किये जाने की योजना जारी है? यदि हां तो कब तक इस कार्य के पूरा होने की संभावना है? क्या चिन्हित भ्रष्ट कर्मचारियों/अधिकारियों को दण्डित तथा ईमानदार को पुरस्कृत किया जाने की भी शासन की योजना है? यदि हां, तो क्या इस योजना को तेजी से अमल में लाया जायेगा? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री कल्याण सिंह-

जी हां।

यह एक सतत प्रक्रिया है। समय सीमा निर्धारित किया जाना संभव नहीं है।

जी हां।

यह योजना अबाध गति से अमल में है।

प्रश्न नहीं उठता।

पुलिस अधीक्षक, हरदोई द्वारा श्री सिद्धनाथ यादव भूतपूर्व कान्स्टेबिल 449 की सेवा समाप्ति आदेश का अनुपालन किये जाने की जानकारी

1128-श्री स्वामी प्रसाद मौर्य-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि गृह (पुलिस) अनुभाग-2 के आदेश दिनांक 8 जून, 1993 द्वारा पुलिस अधीक्षक, हरदोई को श्री सिद्धनाथ यादव, भू0पू0 कां0 449 की सेवा समाप्ति के आदेश दिये गये थे? यदि हां, तो क्या पुलिस अधीक्षक, हरदोई द्वारा उक्त आदेशों का पालन किया गया? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री कल्याण सिंह-

जी हां। पुलिस अधीक्षक, हरदोई को यह निर्देश दिये गये थे कि वे याची, श्री सिद्धनाथ यादव को सेवा समाप्ति के आदेश की पूर्ण प्रति उपलब्ध करा दें।

जी हां।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद प्रतापगढ़ मिशनरीज के मेडिकल कालेज के उद्घाटन में विरोध स्वरूप हुई गिरफ्तारियों की शिकायत

129-श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह-

क्या मुख्य मंत्री को जानकारी है कि दिनांक 9-1-99 को प्रतापगढ़ नगर में एक मिशनरीज के मेडिकल कालेज के अस्थायी कार्यालय के उद्घाटन में प्रदेश के चिकित्सा शिक्षा मंत्री के विरुद्ध घेराव, नारेबाजी और गिरफ्तारियां हुयी थी? यदि हां, तो गिरफ्तार व्यक्तियों के नाम क्या हैं? उन्हें किन-किन ओरोपों में गिरफ्तार किया गया?

श्री कल्याण सिंह-

दिनांक 9-1-99 को मा0चिकित्सा शिक्षा मंत्री श्री शिवाकान्त ओझा द्वारा मदर टेरेसा मेमोरियल मेडिकल कालेज एवं शोध संस्थान तवंकलपुर के कार्यालय (स्थित भंगवा चुंगी, प्रतापगढ़) के उद्घाटन के अवसर पर कुछ लोगों द्वारा विरोध किया गया, किन्तु इस परिपेक्ष्य में न तो कोई गिरफ्तारी हुई थी और न ही इस सम्बन्ध में कोई अभियोग पंजीकृत हुआ है।

130-श्री विश्वनाथ तथा श्री ज्वाला प्रसाद यादव-

(विस्तीर्णता के आधार पर निरस्त)

परिवहन निगम मुख्यालय के आदेशानुसार जनपदीय मार्गों पर डीलक्स व एक्सप्रेस बसों को रोकने की मांग

131-श्री रूप चौधरी-

क्या परिवहन मंत्री को जानकारी है कि परिवहन निगम मुख्यालय के प्रधान प्रबन्धक (संचा-1) के पत्रांक सं0522(11)/रोपी/98-173 मेरठ/95 के द्वारा दिनांक 31 जनवरी, 1998 को क्षेत्रीय प्रबन्धक, उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम देहरादून, मेरठ एवं गाजियाबाद को यह आदेश दिया गया है कि उक्त पत्र का कड़ाई से अनुपालन कर खेकड़ा (बागपत) में निगम की सभी बसें डीलक्स, सेमी डीलक्स व एक्सप्रेस अनिवार्य रूप से रोकी जाय? यदि हां, तो क्या उक्त आदेश का अनुपालन हो रहा है? यदि नहीं, तो शिथिलता बरतने वाले अधिकारियों को दंडित किया गया? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री कल्याण सिंह-

जी हां।

आदेश का अनुपालन सुनिश्चित किया जा रहा है, परन्तु यदा कदा चालक/परिचालकों द्वारा बसें नहीं रोकी जाती हैं।

इस प्रकार शिथिलता बरतने वाले कर्मचारियों को दण्डित किया गया है। कोई अधिकारी दोषी नहीं पाया गया।

प्रश्न नहीं उठता।

131-श्री रूप चौधरी-

(आश्वासन समिति के विचाराधीन होने के कारण निरस्त।)

मुख्य परियोजना अधिकारी तथा उच्च कर्मचारी विश्व बैंक प्रोजेक्ट डिवीजन उत्तर प्रदेश कोआपरेटिव बैंक लि0 लखनऊ के विरुद्ध सतर्कता विभाग द्वारा जांच पर कृत कार्यवाही की जानकारी

133-श्री विनोद मणि-

क्या सहकारिता मंत्री को जानकारी है कि सतर्कता अनुभाग-2 के आदेश संख्या-724/39 (2) 50 एस(18)/92 दिनांक 24.5.95 द्वारा श्री एस0के0 शर्मा, तत्कालीन मुख्य परियोजना अधिकारी तथा अन्य कर्मचारी विश्व बैंक प्रोजेक्ट डिवीजन उत्तर प्रदेश कोआपरेटिव बैंक लि0 लखनऊ के विरुद्ध सतर्कता विभाग द्वारा जांच करायी गयी थी? यदि हां, तो क्या जांच रिपोर्ट के आधार पर दोषी अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही की गयी? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री "पटेल" राम कुमार वर्मा-

हां।

जांच रिपोर्ट शासन के विचाराधीन है।

जनपद प्रतापगढ़ की पुलिस व्यवस्था के सम्बन्ध में प्राप्त पत्र पर कार्यवाही

134-श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह-

क्या मुख्य मंत्री को जानकारी है कि उनके पत्र संख्या सी0एम0/वि0को0/एम-1/19868, दिनांक 23-1-99 जो जनपद-प्रतापगढ़ की पुलिस व्यवस्था से संबंधित है, प्रमुख सचिव, गृह विभाग को प्राप्त हुआ है? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गई है? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री कल्याण सिंह-

जी हां।

आख्या मांगी गयी है।

प्रश्न नहीं उठता।

जिलाधिकारी मैनपुरी द्वारा अग्नेयास्त्रों के लाइसेन्सों के निर्गत किये जाने की जानकारी

135-श्री राम औतार शाक्य-

क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि तत्कालीन जिलाधिकारी, मैनपुरी श्री अजित कुमार टण्डन ने अग्नेयास्त्रों के लाइसेंसों के प्रार्थना-पत्रों पर पूर्व में ही लाइसेंस स्वीकृत कर तहसील/पुलिस की आख्या आने के पश्चात् लाइसेंस स्वीकृत कर तहसील/पुलिस की आख्या आने के पश्चात् लाइसेंस निर्गत करने के आदेश कर दिये गये थे? यदि हां, तो उक्त आधार पर कितने लाइसेंस अब तक निर्गत किये गये हैं? शेष लाइसेंस कब तक निर्गत कर दिये जायेंगे? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री कल्याण सिंह-

जी हां।

उक्त आधार पर अभी तक कोई लाइसेंस निर्गत नहीं किया गया है। आयुध अधिनियम 1959 एवं आयुध नियमावली 1962 के अनुसार संबंधित लाइसेंसिंग प्राधिकारी की संतुष्टि/समाधान हेतु आवश्यक औपचारिकतायें पूर्ण होने के उपरान्त गहन परीक्षण कर आवेदक की वास्तविक आवश्यकता एवं उपयुक्तता को देखते हुए शस्त्र लाइसेंस प्रार्थना-पत्र का निस्तारण गुण दोष के आधार पर किया जाता है। इस सम्बन्ध में समय सीमा निर्धारित किया जाना संभव नहीं है।

कानपुर देहात के श्री महेश दत्त त्रिपाठी पत्रकार के पुत्र के अपहरण संबंधी पत्र पर कृत कार्यवाही की जानकारी

136-डा0 धर्मज्ञ मिश्र-

क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि प्रश्नकर्ता का पत्र उनके कार्यालय के पत्र संख्या-सी0एम0/वि0को0/एम-1/17298/98 जो कि क्षेत्र अकबरपुर, कानपुर देहात के निवासी श्री महेश दत्त त्रिपाठी पत्रकार का 15 वर्षीय पुत्र रविकान्त उर्फ नीलू त्रिपाठी का उपहरण के सम्बन्ध में था, प्रमुख सचिव, गृह एवं गोपन को दिनांक 17-10-98 को भेजा गया था, प्राप्त हुआ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री कल्याण सिंह-

जी हां।

पुलिस अधीक्षक, कानपुर देहात के माध्यम से उक्त मामले की जांच कराई गयी। जांच में यह पाया गया कि श्री महेश दत्त त्रिपाठी का पुत्र रविकान्त उर्फ नीलू वर्ष 1998 की हाई स्कूल परीक्षा में अनुत्तीर्ण हो जाने के कारण आत्मग्लानि एवं हीन भावना से ग्रसित होकर दिनांक 24-6-98 को घर से स्वयं ही चला गया था। उसका किसी के द्वारा अपहरण किये जाने के आरोप की पुष्टि जांच से नहीं हुई। इस सम्बन्ध में स्थानीय पुलिस द्वारा गुमशुदगी की सूचना के आधार पर नीलू की तलाश के

संबंध में आवश्यक कार्यवाही सम्पादित की गयी है। स्थानीय पुलिस पर लगाये गये आरोप जांच से प्रमाणित नहीं हुये हैं। प्रभारी निरीक्षक अकबरपुर को श्री रविकान्त त्रिपाठी उर्फ नीलू को तलाश किये जाने हेतु सार्थक प्रयास किये जाने के निर्देश दे दिये गये हैं।

पुलिस परिक्षेत्र मेरठ मण्डल के जनपदों में तीन वर्षों से अधिक समय से एक ही थानों/कोतवाली में नियुक्त उप निरीक्षकों/निरीक्षकों के स्थानान्तरण की मांग

137-श्री रूप चौधरी-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि पुलिस परिक्षेत्र मेरठ के जनपद-गाजियाबाद, बागपत, गौतमबुद्ध नगर व मेरठ में गत तीन वर्षों से अधिक समय से एक ही थानों/कोतवाली में नियुक्त उप-निरीक्षकों/निरीक्षकों की संख्या कितनी है? क्या सरकार इन्हें स्थानान्तरित करने पर विचार करेगी? यदि हां, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री कल्याण सिंह-

मेरठ परिक्षेत्र के जनपद गाजियाबाद, बागपत, गौतमबुद्ध नगर व मेरठ में गत तीन वर्षों से अधिक समय से एक ही थाना/कोतवाली में कोई उपनिरीक्षक/निरीक्षक नियुक्त नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद लखनऊ फ्लोट पम्प घोटाले की जांच प्रगति की जानकारी

138-श्री राजधारी-

क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि फ्लोट पम्प खरीद के प्रकरण में जांचोपरान्त कोई घोटाला प्रकाश में आया है? यदि हां, तो सरकार उसमें अग्रिम क्या कोई कार्यवाही कर रही है? यदि हां, तो उसकी प्रगति क्या है? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री कल्याण सिंह-

फ्लोट पम्प खरीद में घोटाले का प्रकरण केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सी0बी0आई0) को संदर्भित है।

सी0बी0आई0 द्वारा जांच प्रचलित है।

जनपद बांदा विकास खण्ड जसपुरा साधन सहकारी समिति गड़रिया की आडिट आपत्तियों पर विभागीय उदासीनता से प्रभावित वसूली का प्रकरण

139-श्री महेन्द्र प्रसाद निषाद-

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि साधन सहकारी समिति लि0 गड़रिया वि0 खं0 जसपुरा, बांदा की आय-व्ययक का आडिट वर्ष 1990-91 में किया गया था? क्या आडिट आपत्ति संख्या-7, 10, 12, 15, 16, 17, 25 पर अब तक कोई कार्यवाही की गयी? क्या यह सही है कि विभागीय अधिकारियों की उदासीनता के कारण अब तक धनराशि की वसूली नहीं की गयी है? यदि हां, तो क्या संबंधित कर्मचारी से धन की वसूली की जायेगी? यदि हां, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?

"पटेल" राम कुमार वर्मा-

जी हां।

जी हां।

वसूली में विलम्ब के लिये जिम्मेदारी निर्धारित करने के लिये आदेश दिये गये हैं।

जिम्मेदारी निर्धारित करने के उपरान्त यदि आवश्यक हुआ तो संबंधित कर्मचारी से वसूली की जायेगी।

समय निर्धारित करना सम्भव नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता।

140-श्री विशन सिंह चुफाल-
(पुनरावृत्ति के आधार पर निरस्त)

जनपद पीलीभीत, थाना बीसलपुर अपराध संख्या 423/98 के अन्तर्गत पंजीकृत विभिन्न धाराओं पर कृत कार्यवाही की जानकारी

141-श्री राम सिंह तथा श्री पीतम राम-

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जनपद-पीलीभीत के थाना बीसलपुर के अन्तर्गत दिनांक 19-8-98 को अपराध सं0-423/98 अन्तर्गत धारा 420/467/468/352/504/506 भा0 द0 वि0 के पंजीकृत हुआ है? यदि हां, तो उसमें अब तक क्या कार्यवाही की गई है? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री कल्याण सिंह-

जी हां।

संदर्भित प्रकरण थाना बीसलपुर व अन्य थानों की भूमि के विवरण से सम्बन्धित है। मामले में बाबा हरि ओम नाथ चेला मौज लाल, नि0 बीसलपुर की सूचना के आधार पर दिनांक 19-8-98 को उक्त मु0अ0सं0 423/98 अवशेष शर्मा, तौले राम, छेदा लाल, केदार नाथ, राम किशोर, राकेश, प्रकाश वीर, निवासीगण मो0 दुर्गा प्रसाद एवं उप निबन्धक तहसील बीसलपुर व मुरलीधर कटिहार के विरुद्ध पंजीकृत किया गया। वादी द्वारा पुनः न्यायालय, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, पीलीभीत में प्रार्थना-पत्र दिये जाने पर बारह और व्यक्तियों के नाम अंकित किये गये। उक्त अभियोग की विवेचना प्रभारी निरीक्षक, बीसलपुर द्वारा की जा रही है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में आई0 एस0 आई0 गतिविधियों के नियंत्रण हेतु एल0आई0यू0 में रिक्त पदों को भरने की मांग

142-श्री अजय कुमार पोइया-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में आई0एस0आई0 की तीव्र गति से अग्रसर हो रही गतिविधियों को नियंत्रित करने के लिये अभिसूचना मुख्यालय विशेष शाखा, लोकल इन्टेलीजेन्स यूनिट में श्रेणीवार कुल कितने पद स्वीकृत एवं कितने पद वर्षों से रिक्त पड़े हैं? क्या सरकार उपर्युक्त शाखाओं में वर्षों से रिक्त पड़े पदों को श्रेणीवार तत्काल भरने एवं पदोन्नति करने पर विचार करेगी? यदि हां, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री कल्याण सिंह-

प्रदेश में आई0एस0आई0 व आतंकवादी गतिविधियों के नियंत्रण के लिए अभिसूचना विभाग के अधीन मुख्यालय विशेष कोष्ठ व लोकल इन्टेलीजेन्स यूनिट हेतु श्रेणीवार स्वीकृत नियतन एवं रिक्त पदों का विवरण निम्नवत् है:-

पद	नियतन	रिक्त
1-निरीक्षक	32	01
2-उपनिरीक्षक	79	30
3-मु0आरक्षी	97	23
4-आरक्षी	170	49

यह पद सेवानिवृत्ति एवं स्थानान्तरण के कारण रिक्त है। सम्प्रति पुलिस बल की कमी के कारण रिक्तियों को नहीं भरा जा सका है। पुलिस बल उपलब्ध होने पर प्रोन्नति की कार्यवाही से रिक्त पद भरे जायेंगे।

जनपद मेरठ, सरधना नगर में रोडवेज बस अड्डा बनाने की जानकारी

143-प्रो0 रवीन्द्र पुण्डीर-

क्या परिवहन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद-मेरठ के सरधना नगर में रोडवेज का बस अड्डा बनाने की कोई कार्य योजना सरकार के विचाराधीन है? यदि हां, तो कब तक इसका कार्यान्वयन हो जायेगा? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री कल्याण सिंह-

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

निगम की वर्तमान नीति के अनुसार केवल डिपो के साथ की स्टेशन बनाया जाना है, अन्यत्र नहीं। असंतोषजनक वित्तीय स्थिति के कारण निर्माण के कार्य स्थगित रखे गये हैं।

जनपद जौनपुर एकीकृत सहकारिता विकास परियोजना के सम्बन्ध में प्राप्त पत्र पर कार्यवाही

144-श्री बांके लाल सोनकर-

क्या सहकारिता मंत्री कृपया बतायेंगे कि जौनपुर जनपद में एकीकृत सहकारिता विकास परियोजना के सम्बन्ध में प्रश्नकर्ता का दिनांक 12 फरवरी, 1999 का पत्र मंत्री जी को प्राप्त हुआ है? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही हुई? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री "पटेल" राम कुमार वर्मा-

जी हां।

जांच कराई गई। जांच में प्रकाश में आये तथ्य तथा की जा रही कार्यवाही निम्नवत् है:-

(क) चयन कमेटी की संस्तुति, तथा एन0सी0डी0सी0, नई दिल्ली के अनुमोदन के उपरान्त ही सेवानिवृत्त अधिकारी की नियुक्ति महाप्रबन्धक के पद पर की गयी। उनके द्वारा किसी भी अनियमित कार्यवाही के प्रकाश में आने पर उनके विरुद्ध विधिक कार्यवाही करने के अधिकार प्रदत्त हैं।

(ख) पूर्व से कार्यरत जिला निषाद, मछुआ मल्लाह मत्स्य जीवी एवं नौकाघाट सहकारी समिति लि0 के पास मानकताल का पट्टा होने के कारण इस समिति को प्रोजेक्ट में स्वीकृत किया गयां, जब कि गूजरताल मत्स्य जीवी सहकारी समिति के पास किसी तालाब का 10 वर्ष का पट्टा नहीं था अतएव तत्समय उसे आर्थिक सहायता दिलाया जाना सम्भव नहीं था।

(ग) बीड़ी औद्योगिक मद में परियोजना में समितियों में वित्त पोषण हेतु धनराशि उपलब्ध नहीं है। इस हेतु धन डाइवर्जन का प्रयास किया जा रहा है।

(घ) पूर्व पत्र दिनांक 24.12.98 की भी जांच कराई गयी थी जिसमें पाया गया कि प्रश्नगत पत्रांक 6987 के साथ समिति का प्रार्थना पत्र तथा संचालक मण्डल की बैठक दिनांक 10.11.93 के प्रस्ताव की छाया प्रति ही प्राप्त हुई थी, जब कि कार्ययोजना अद्यावधिक स्थिति सहित प्रस्तुत की जानी थी।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद जौनपुर में दवा व्यापारियों पर बालू गिट्टी व्यवसाय का कर आरोपित किये जाने की जांच

145-श्री अफजाल अहमद-

क्या कर एवं संस्थागत वित्त मंत्री कृपया बतायेंगे कि जौनपुर जनपद में व्यापार-कर खण्ड-1 श्रेणी-2 के व्यापार कर अधिकारी ने दवा व्यापारियों के ऊपर बालू गिट्टी व्यवसाय का कर आरोपित किया है? यदि हां, तो क्या सरकार इसकी जांच कराकर दोषी के विरुद्ध कार्यवाही करेगी? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री कल्याण सिंह-

केवल एक दवा के व्यापारी सर्वश्री कुमार मेडिकल स्टोर्स, रासमंडल, जौनपुर पर त्रुटिवश दवा के स्थान पर गिट्टी, बालू, मौरंग की आपूर्ति पर कर आरोपित कर दिया गया है।

जी हां।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद प्रतापगढ़, पुलिस कार्यालय/पुलिस लाइन पर राष्ट्रीय ध्वजारोहण अपर पुलिस अधीक्षक द्वारा करने की जानकारी

146-श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह-

क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि पूरे प्रदेश में पुलिस लाइन एवं पुलिस कार्यालय पर राष्ट्रीय ध्वजारोहण किस स्तर के अधिकारी द्वारा किये जाने की व्यवस्था है? क्या यह सही है कि 2 अक्टूबर, 1998 को जनपद प्रतापगढ़ के पुलिस कार्यालय/पुलिस लाइन में ध्वजारोहण अपर पुलिस अधीक्षक द्वारा किया गया? यदि हां, तो क्या यह नियमानुकूल है? यदि नहीं, तो क्या दोषी के विरुद्ध कार्यवाही की जायेगी? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री कल्याण सिंह-

परम्परागत ढंग से उपलब्ध वरिष्ठ अधिकारी द्वारा राष्ट्रीय ध्वजारोहण किया जाता है।

जी हां।

जी हां।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद अम्बेडकर नगर थाना, कोतवाली टाण्डा में दुकान तोड़ कर कब्जा करने विषयक धारा 10/99, 448/380 में दर्ज मुकदमें में कार्यवाही की मांग

147-श्री समर पाल सिंह-

क्या मुख्य मंत्री को जानकारी है कि मेराज अहमद पुत्र श्री हाफिज मोहम्मद इसहाक, नि0-मोहल्ला सकरालव, थाना कोतवाली टाण्डा, अम्बेडकर नगर की दुकान के पीछे की दीवाल तोड़कर कब्जा करने तथा उसमें रखा हुआ सारा सामान कीमत लगभग एक लाख रुपया गायब करने की रिपोर्ट दिनांक 12-1-99 को कोतवाली टाण्डा में धारा 10/99-448/380 भा0द0सं0 में मुकदमा दर्ज हुआ है? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गई? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री कल्याण सिंह-

जी हां।

विवेचनोपरांत अभियुक्तगण के विरुद्ध दिनांक 4-3-99 को आरोप पत्र न्यायालय प्रेषित किया जा चुका है।

प्रश्न नहीं उठता।

जिला सहकारी बैंक, देवरिया का विभाजन कर कुशीनगर जनपद के लिये जिला सहकारी बैंक अलग से स्थापित करने सम्बन्धी पत्र पर कृत कार्यवाही की जानकारी

148-श्री दीप लाल भारती-

क्या सहकारिता मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जिलाधिकारी-कुशीनगर के आ0 शा0 सं0-1153/आ0ले0जि0अ0, दिनांक 5 अगस्त, 1998 का पत्र जो सचिव, सहकारिता, उ0प्र0, लखनऊ व निबन्धक, सहकारिता, उत्तर प्रदेश, लखनऊ को जिला सहकारी बैंक, देवरिया का विभाजन कर कुशीनगर जनपद के लिये पडरौना जिला सहकारी बैंक अलग से स्थापित करने के संबंध में था, प्राप्त हुआ है? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही हुई है? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री "पटेल" सम कुमार वर्मा-

जी हां।

जिला सहकारी बैंक देवरिया का विभाजन कर जनपद कुशीनगर में जिला सहकारी बैंक के गठन हेतु नाबार्ड/रिजर्व बैंक से पूर्व अनुमति मांगी गयी है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद मथुरा, थाना मगौरी अपराध संख्या 77/98 की विवेचना सी0बी0सी0आई0डी0 से कराने की मांग

149-श्री अजय कुमार पोइया-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि अपराध संख्या 77/98 थाना मुगर्रा, जनपद मथुरा की विवेचना सी0बी0सी0आई0डी0 से कराये जाने विषयक विधायक कोष्ठक का पत्रांक : सी0एम/वि0को0/एम-1/17390/मथुरा/98, दिनांक 23-10-98 प्रमुख सचिव, गृह को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी है ?

श्री कल्याण सिंह-

जी हां।

ग्राम सभा की जमीन पर कब्जा किये जाने से संबंधित मामले में थाना मुगर्रा जनपद मथुरा पर वादी शिवशंकर वर्मा द्वारा सर्वश्री भूरी सिंह, जगदीश सिंह, चन्द्रभान, जगवीर, ओम प्रकाश, रामजीत एवं अन्य ।। कुल 17 अभियुक्तों के विरुद्ध मु0अ0सं0 77/98 धारा 147/148/323/308 भा0द0वि0 पंजीकृत किया गया। उक्त अभियोग में 4 अभियुक्त दिनांक 12-8-98 को आत्मसमर्पण कर जेल भेजे गये । उक्त चारों के विरुद्ध अपराध प्रमाणित होने पर आरोप-पत्र सं0 64, दिनांक 21-9-98 को न्यायालय प्रेषित किया गया। प्रकरण में अपराध अनुसंधान विभाग से जांच का औचित्य नहीं पाया गया।

मा0 उच्च न्यायालय के आदेशानुसार श्री रमेश चन्द्र शर्मा एवं पी0 के0 अग्रवाल को वर्ष 1985 से वरिष्ठता निर्धारित कर वेतन भुगतान कराने सम्बन्धी जानकारी

150-श्री अजय भट्ट-

क्या सहकारिता मंत्री को ज्ञात है कि मा0 उच्च न्यायालय ने याचिका संख्या 1149 वर्ष 1985 में दिनांक 4-7-94 को प्रार्थीगण रमेश चन्द्र शर्मा एवं श्री पी0 के0 अग्रवाल को वर्ष 85 से वरिष्ठता निर्धारित कर वेतन भुगतान करने के आदेश प्रदान किये थे ? यदि हां, तो क्या अवशेष वेतन का भुगतान कर दिया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री "पटेल" राम कुमार वर्मा-

श्री रमेश चन्द्र शर्मा तथा श्री पी0 के0 अग्रवाल का पदनाम तथा तैनाती स्थान अंकित न होने के कारण काफी खोज बीन के बाद भी यह ज्ञात नहीं हो सका कि दोनों कर्मचारी किस संगठन के अंतर्गत कार्यरत हैं। इस विषय में छान बीन कर नियमानुसार समुचित कार्यवाही करने के निर्देश निबन्धक सहकारी समितियां को दिये गये हैं

जनपद लखनऊ श्री अमित कुमार मौर्य की हत्या के सम्बन्ध में दर्ज मु0अ0सं -266/98 धारा 304 की विवेचना अपराध अनुसंधान विभाग को सौंपने की जानकारी

151-श्री छोटे लाल गंगवार-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि श्री अमित कुमार मौर्य की साजिशन हत्या किये जाने एवं पुलिस द्वारा मामले में रुचि न लिये जाने सम्बन्धी श्री गोमती यादव, विधायक का पत्र दिनांक 15-6-98 पर उनके द्वारा अपने पत्रांक : सी0एम0/वि0को0/एम-3/12403/लखनऊ/98, दिनांक 27-6-98 पर कार्यवाही करने के आदेश दिये गये थे? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी है? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री कल्याण सिंह-

जी हां।

प्रश्नगत प्रकरण के संबंध में दर्ज मु0अ0सं0-266/98 धारा 304 भा0द0वि0 थाना गाजीपुर, जनपद लखनऊ की विवेचना अपराध अनुसंधान विभाग को सौंप दी गयी है।

प्रश्न ही नहीं उठता।

जनपद मथुरा, थाना कोसी, ग्राम प्रधान ग्राम नवीनपुर का सवर्णों द्वारा उत्पीड़न रोके जाने हेतु प्राप्त पत्र पर कार्यवाही की जानकारी

152-श्री अजय कुमार पोइया-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि श्री राम सरन, प्रधान पुत्र नीले, वर्तमान प्रधान ग्राम नवीनपुर, थाना कोसी, जिला मथुरा का सवर्णों द्वारा कथित उत्पीड़न रोके जाने विषयक विधायक कोष्ठक का पत्रांक : सी0एम0/वि0को0/एम-3/17422/मथुरा/98, दिनांक 23-10-98 महानिदेशक, पुलिस को प्राप्त हुआ है? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी है?

श्री कल्याण सिंह-

जी हां।

पुलिस उप-महानिरीक्षक, आगरा, परिक्षेत्र, आगरा के निर्देशन में उनके शिकायत प्रकोष्ठ द्वारा जांच कराई गयी और उनके निर्देशन पर थाना कोसी कलां, जनपद मथुरा में मु0अ0सं0 303/98 धारा-147/323/352/504/506 भा0द0वि0 व 3(1)10 एससी/एसटी ऐक्ट श्री रामसरन प्रधान, निवासी ग्राम नवीपुर, थाना कोसीकलां, जनपद मथुरा के प्रार्थना-पत्र के आधार पर अभियुक्तगण करन सिंह, औतार, मोहन, अतरा, पप्पू, अजीत तथा दलीप, निवासीगण नवीपुर, थाना कोसीकलां, मथुरा के विरुद्ध दिनांक 21-11-98 को पंजीकृत किया गया है जिसमें विवेचना प्रचलित है।

जिला टिहरी गढ़वाल में अधिवक्ता नोटरी के रिक्त पदों को भरने की मांग

153-श्री लाखीराम जोशी-

क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि जिला टिहरी गढ़वाल में अधिवक्ता नोटरी के कितने पद रिक्त हैं? क्या रिक्त पद भरने की कोई कार्यवाही की जा रही है? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री कल्याण सिंह-

जनपद टिहरी गढ़वाल में नोटरी के 6 पद रिक्त हैं।

जी हां।

प्रश्न नहीं उठता।

जिला टिहरी गढ़वाल में उपभोक्ता फोरम का गठन

154-श्री लाखीराम जोशी-

क्या खाद्य एवं रसद मंत्री कृपया बतायेंगे कि जिला टिहरी गढ़वाल में उपभोक्ता फोरम के दो सदस्यों के पदों पर मनोनयन कर फोरम को गठित कर दिया गया है? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री हुकुम सिंह-

जी हां।

प्रश्न नहीं उठता।

उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम द्वारा बस स्टेशनों पर कैन्टीन के ठेकों के सम्बन्ध में वर्णित सुझावों पर कार्यवाही की जानकारी

155-श्री राम औतार मिश्रा-

क्या परिवहन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रबन्ध निदेशक, उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम का पत्रांक 473 एफए/99/116 एफए/91 दि0 27 जनवरी, 1999 प्रमुख सचिव, परिवहन को जो बस स्टेशनों पर कैन्टीन के ठेकों के संबंध में था, प्राप्त हुआ है? यदि हां, तो पत्र में वर्णित सुझावों पर सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गयी? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री कल्याण सिंह-

जी हां।

शासनादेश दिनांक 18.3.99 द्वारा बस स्टेशनों पर कैण्टीनों को अभी बन्द न किए जाने के तथा बस स्टेशनों पर सफाई सुनिश्चित करने की व्यवस्था का दायित्व सक्षमता से निभाने के आदेश परिवहन निगम को निर्गत किए गए हैं।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में शस्त्र लाइसेन्स की नीति एवं जनपद मथुरा में थानावार कोटे के लोगों को जारी लाइसेन्स की संख्या की जानकारी

156-श्री अजय कुमार पोइया-

क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि प्रदेश में शस्त्र लाइसेन्स जारी किये जाने की नीति क्या है ? मथुरा जनपद में विगत तीन वर्षों में कितने लाइसेन्स जारी किये गये ? उनकी थाना वार संख्या क्या है तथा अनुसूचित जाति के व्यक्तियों को जारी किये गये लाइसेन्स की संख्या क्या है ?

श्री कल्याण सिंह-

आयुध अधिनियम एवं आयुध नियमावली के प्राविधानों के अनुसार लाइसेंसिंग नियमावली के प्राविधानों के अनुसार लाइसेंसिंग प्राधिकारी की संतुष्टि/समाधान हेतु आवश्यक जांच एवं औपचारिकतायें पूर्ण कराने के उपरान्त जनपद की कानून व्यवस्था तथा आवेदक की वास्तविक आवश्यकता को देखते हुये शस्त्र लाइसेन्सों के प्रार्थना-पत्रों पर विचार किया जाता है ।

जनपद मथुरा में विगत तीन वर्षों में कुल 1184 लाइसेंस जारी किये गये जिनमें राज्य कर्मचारियों को निर्गत 100 लाइसेंस भी शामिल हैं । लाइसेन्सों की थानावार संख्या निम्नवत् है:-

(1) बरसाना	34	(11) मगोरा	54
(2) कोसीकला	78	(12) वृन्दावन	58
(3) शेरगढ़	35	(13) फरह	70
(4) छाता	42	(14) गोविन्द नगर	07
(5) बल्देव	93	(15) रिफाइनरी	30
(6) जमुनापार	45	(16) कोतवाली	139
(7) सुरीर	47	(17) गोवर्धन	33
(8) राया	98	(18) सदर बाजार	47
(9) मॉट	60	(19) नौहझील	67
(10) नरहौली	47		

शस्त्र लाइसेन्स प्रार्थनापत्र में जाति का कोई कालम न होने के कारण किसी जाति विशेष के निर्गत लाइसेंसों की संख्या बताना सम्भव नहीं है ।

प्रदेश के सभी तहसील मुख्यालयों पर मुन्सिफ न्यायालय की स्थापना की जानकारी तथा प्रतापगढ़ की तहसील पट्टी में मुन्सिफ कोर्ट की स्थापना की मांग

157-श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह-

क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि क्या प्रदेश के सभी तहसील मुख्यालयों पर मुन्सिफ न्यायालय की स्थापना किये जाने की कोई योजना सरकार के विचाराधीन है? यदि हां, तो उक्त के क्रम में जनपद प्रतापगढ़ की तहसील पट्टी में मुन्सिफ कोर्ट कब तक स्थापित कर दिया जायेगा?

श्री कल्याण सिंह-

जी हां।

इस सम्बन्ध में मा0 उच्च न्यायालय का अभिमत प्रतीक्षित है। अभिमत प्राप्त होने पर अग्रेतर कार्यवाही किया जाना सम्भव हो सकेगा।

जनपद प्रतापगढ़, तहसील पट्टी मुख्यालय पर फायर बिग्रेड की स्थापना की जानकारी

158-श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह-

क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि जनपद प्रतापगढ़ की तहसील पट्टी मुख्यालय पर स्वीकृत फायर बिग्रेड को कब तक स्थापित कर दिया जायेगा? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री कल्याण सिंह-

जनपद प्रतापगढ़ की तहसील मुख्यालय पट्टी हेतु कोई फायर बिग्रेड स्वीकृत नहीं किया गया है।

प्रश्न नहीं उठता है।

जनपद पीलीभीत, नगर बीसलपुर, सरकारी सस्ते गल्ले की दुकान द्वारा की गयी अनियमितताओं की शिकायत

159-श्री पीतम राम तथा डा0 राम सिंह-

क्या खाद्य एवं रसद मंत्री को जानकारी है कि जनपद पीलीभीत के नगर बीसलपुर के अन्तर्गत आदर्श उपभोक्ता भंडार सरकारी सस्ते गल्ले की दुकान बीसलपुर गत वर्षों में अनेक बार निरस्त की जा चुकी है? क्या यह सही है कि वर्ष 1998 में पुनः सरकारी सस्ते गल्ले की दुकान उसको आवंटित कर दी गयी है? यदि हां, तो क्यों?

श्री हुकुम सिंह-

जनपद पीलीभीत के नगर बीसलपुर के अंतर्गत मेसर्स आदर्श उपभोक्ता सहकारी समिति बीसलपुर की सरकारी सस्ते गल्ले की दुकान कभी भी निरस्त नहीं हुई बल्कि समय-समय पर की गई अनियमितताओं के कारण निलम्बित अवश्य हुई है। वर्ष

1998 में उक्त समिति को पुनः दुकान आवंटित नहीं की गई बल्कि उसका अनुबन्ध बहाल किया गया है।

जनपद मथुरा में अनुसूचित जाति को जारी शस्त्र लाइसेंसों की संख्या की जानकारी

160-डा0 रामबाबू हरित-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद मथुरा में वर्ष 1998-99 में कितने शस्त्र लाइसेन्स निर्गत किये गये हैं? इनमें से अनुसूचित जाति को कितने शस्त्र लाइसेन्स दिये गये हैं?

श्री कल्याण सिंह-

जनपद मथुरा में वर्ष 1998-99 में 247 शस्त्र लाइसेन्स जारी किये गये हैं।

शस्त्र लाइसेन्स प्रार्थना-पत्र में जाति का कोई कालम न होने के कारण किसी जाति विशेष के लाइसेन्सों के सम्बन्ध में कोई सूचना देना सम्भव नहीं हैं।

अखिल भारतीय कृषि एक्सपोर्ट कामर्शियल कारपोरेशन लि0, वाराणसी को बन्द किये जाने का प्रकरण

161-श्री चेतराम-

क्या मुख्य मंत्री को जानकारी है कि अखिल भारतीय कृषि एक्सपोर्ट कामर्शियल कारपोरेशन लि0, वाराणसी 600 करोड़ रुपये का कारोबार कर रही थी? क्या उसे रिजर्व बैंक के आदेशानुसार दिनांक 22-9-98 को बन्द कर दिया गया है? यदि हां, तो क्यों? क्या उसमें कार्यरत कर्मचारियों के अवशेष देयों के भुगतान हेतु कम्पनी के खाता पूंजी को जब्त किया गया है? क्या वित्त लेखा परीक्षा उत्तर प्रदेश शासन द्वारा 5-2-99 को श्री मोहन स्वरूप, रजिस्ट्रार फर्म एण्ड सोसायटीज एवं चिट्स फण्ड विकास दीप, लखनऊ को उक्त कम्पनी में रिसीवर नियुक्त किये जाने की अनुमति मांगी गयी है? यदि हां, तो इस पर क्या कार्यवाही हुई? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री कल्याण सिंह-

राज्य सरकार ऐसी सूचना एकत्र नहीं करती है।

जिलाधिकारी, वाराणसी ने सूचित किया है कि जांच में कम्पनी मौके पर बन्द पाई गई।

प्रश्न नहीं उठता।

राज्य सरकार द्वारा जब्ती की कार्यवाही नहीं की गई है।

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

राज्य सड़क परिवहन निगम, पूर्वी क्षेत्र वाराणसी को नियन्त्रणाधीन परिचालकों की नियुक्ति में आवेदक प्रशिक्षित अप्रेन्टिसों की नियुक्ति की जानकारी

162-डा0 छोटेलाल वर्मा-

विधान सभा के द्वितीय सत्र, 1997 के दूसरे शुक्रवार को उत्तरित अतारांकित प्रश्न संख्या 27 के उत्तर के क्रम में क्या परिवहन मंत्री कृपया बतायेंगे कि वर्ष 1995 में 500 परिचालकों की भर्ती हेतु आवेदकों में कितने प्रशिक्षित अप्रेन्टिस थे? उनमें से कितने प्रशिक्षुओं को नियुक्ति प्रदान की गयी? क्या यह सत्य है कि अधिकांश बाहरी आवेदकों को सेवायें प्रदान करके माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेश दिनांक 12-1-1995 की अवहेलना/अवमानना की गयी है? यदि हां, तो क्या सरकार पूरी चयनित सूची को सदन के पटल पर रखेगी? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री कल्याण सिंह-

वर्ष 1995 में 500 परिचालकों को भर्ती हेतु आवेदकों में से 5400 प्रशिक्षित अप्रेन्टिस थे। उनमें से 242 शिशिक्षुओं को नियुक्ति प्रदान की गई।

जी नहीं।

विस्तृत सूची पटल पर रखा जाना व्यवहारिक नहीं है। मा0 सदस्य को सूची उपलब्ध करा दी जायेगी।

प्रश्न नहीं उठता।

परिवहन विभाग में प्रशिक्षित प्रशिक्षुओं की नियुक्ति में मा0 उच्च न्यायालय के निर्देशों का अनुपालन किये जाने की जानकारी

163-डा0 छोटेलाल वर्मा-

क्या परिवहन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा दिये गये निर्णय दिनांक 12-1-1995 में क्या-क्या दिशा निर्देश परिवहन विभाग को प्रशिक्षुओं को नियुक्त किये जाने के संबंध में दिये गये हैं? क्या उक्त निर्देशों के अनुपालन में प्रशिक्षित शिक्षुओं (अप्रेन्टिस) को संविदा के आधार पर नियुक्त किया गया है? यदि हां, तो कब? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री कल्याण सिंह-

मा0 उच्चतम न्यायालय के निर्णय दि0 12-1-1995 में निम्नवत् दिशा निर्देश दिये गये हैं:-

1-अन्य बातों के समान रहते हुये प्रशिक्षण प्राप्त शिशिक्षुओं की सीधी भर्ती के अभ्यर्थियों के ऊपर वरीयता दी जाय।

2-शिशिक्षु को निर्धारित आयु सीमा में प्रशिक्षण अवधि के बराबर छूट दी जाय।

3-शिशिक्षु के लिए किसी रोज़गार कार्यालय से अपना नाम भिजवाया जाना आवश्यक न होगा।

4-पहले प्रशिक्षित शिशिक्षु को बाद में प्रशिक्षित शिशुक्षु से वरिष्ठ माना जायेगा।

5-प्रशिक्षण प्राप्त शिशिक्षुओं को उपर्युक्त पदों पर सेवायोजित करते समय निगम की सेवा नियमावली में निर्धारित नियमों का पालन किया जायेगा किन्तु शिशिक्षुओं के लिए लिखित परीक्षा में बैठने की अनिवार्यता न होगी।

परिवहन निगम में प्रशिक्षित शिशिक्षुओं (अप्रेंटिस) को माह मई, 1998 से संविदा पर रखा जा रहा है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद व थाना कोतवाली मथुरा के अन्तर्गत छगनापुर निवासी श्री केशवदेव की पुत्री के अपहरण सम्बन्धी पत्र पर कृत कार्यवाही की जानकारी

164-श्री अजय कुमार पोइया-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि श्री केशव देव पुत्र बाबू लाल निवासी छगनापुर थाना कोतवाली मथुरा की पुत्री कुमारी शशि को अपहृत किये जाने विषयक विधायक कोष्ठक का पत्रांक : सी0एम0/वि0को0/एम-1/19397/मथुरा/99, दिनांक 7-1-99 पुलिस महानिदेशक को प्राप्त हुआ है? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी है?

श्री कल्याण सिंह-

जी हाँ।

मामले की जांच करायी गयी। जांच से पाया गया कि दिनांक 22-12-98 को श्री केशव देव निवासी छगनापुर की सूचना पर थाना गोविन्दनगर पर अ0सं0 195/98 पंजीकृत हुआ है। अब तक की विवेचना से कु0 शशि को आरिफ द्वारा भगा ले जाने के साक्ष्य उपलब्ध हुए हैं। अपहृता की बरामदगी एवं अभियुक्त की गिरफ्तारी हेतु विवेचक को निर्देशित किया गया है।

प्रदेश में नान बैंकिंग फाइनेन्स कम्पनियों पर नियंत्रण हेतु तमिलनाडु सरकार द्वारा पारित अधिनियम की भाँति भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम में प्रस्तावित संशोधन उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा भेजा जाना

165-श्री श्याम देव राय चौधरी-

विधान सभा के प्रथम सत्र, 1999 के प्रथम मंगलवार के अल्पसूचित प्रश्न सं0-2 के उत्तर के संदर्भ में क्या सरकार कृपया बतायेगी कि अब तक कितनी शिकायतें शासन के संज्ञान में हैं और समस्त जिलाधिकारियों एवं वरिष्ठ अधीक्षकों को कार्यवाही करने हेतु कब निर्देश दिये गये और अब तक कितनों के विरुद्ध क्या

कार्यवाही की गयी ? नान बैंकिग फाइनेन्स कम्पनियों पर नियंत्रण हेतु जो संशोधन के लिए भारतीय रिजर्व बैंक से अनुरोध किये गये हैं उनके बिन्दु क्या हैं ? क्या सरकार फाइनेन्स कम्पनियों पर प्रभावी रोक लगाने हेतु जो अधिनियम तमिलनाडु सरकार द्वारा पारित किये गये हैं उसी प्रकार कोई अधिनियम भी पारित करने पर विचार करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कल्याण सिंह-

25 शिकायतें संज्ञान में हैं ।

दिनांक 4-1-99 को निर्देश दिये गये ।

सूचना एकत्र की जा रही है ।

भारतीय रिजर्व बैंक के अधिनियम 1934 में संशोधन के प्रस्ताव निम्न हैं :-

(1) धारा-45 (आई) (ए0) के अन्तर्गत अनुमति प्राप्त कम्पनियों को संबंधित जनपद में व्यवसाय प्रारम्भ करने के पूर्व राज्य सरकार का अनापत्ति प्रमाण-पत्र प्राप्त करना व संबंधित जिले के जिलाधिकारी को सूचित करना अनिवार्य कर दिया जाय ।

(2) धारा-45 (के) अधीन नान बैंकिग कम्पनी से डिपाजिट से संबंधित विवरण पंजिका, सूचनायें या ब्यौरा मांगने का अधिकार राज्य सरकार या उसके प्राधिकृत अधिकारी को दिया जाना चाहिए ।

(3) धारा-45 (एन) के अन्तर्गत नान बैंकिग कम्पनियों वित्तीय संस्थाओं के निरीक्षण का अधिकार राज्य सरकार या उसके प्राधिकृत अधिकारी को दिया जाये ।

(4) धारा-45 (टी) के अन्तर्गत फाइनेन्शियल कम्पनी के मामले में भी सर्च वारन्ट जारी कराने का अधिकार राज्य सरकार के प्राधिकृत अधिकारी को दिया जाय ।

(5) धारा-45 (ए) के अन्तर्गत राज्य सरकार के प्राधिकृत अधिकारियों को संरक्षण दिये जाने की व्यवस्था की जाये ।

फिलहाल केन्द्र सरकार द्वारा भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 में संशोधन जिनमें उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रस्तावित संशोधन भी है, विचाराधीन है । अतः यह उचित होगा कि केन्द्र सरकार के प्रस्तावित संशोधन की प्रतीक्षा कर ली जाय ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

खाद्य एवं रसद आपूर्ति शाखा लखनऊ मुख्यालय में लिपिकों को पूर्ति निरीक्षकों के पदों पर प्रोन्नति तैनाती का विवरण

166-श्री अकबर हुसैन-

क्या खाद्य एवं रसद मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि आपूर्ति शाखा लखनऊ मुख्यालय के मार्च, 1998 से अब तक कितने लिपिक वर्गीय कर्मचारियों को पूर्ति निरीक्षक के पदों पर प्रोन्नति की गयी है? क्या यह सही है कि कुछ पूर्ति लिपिकों की पूर्व तैनाती जनपदों में ही प्रोन्नति कर, तैनाती कर दी गयी है? उनमें से कितने पूर्ति निरीक्षक अपने गृह जनपद में तैनात हैं? कुल प्रोन्नति किये गये पूर्ति निरीक्षक में से कितने पूर्ति निरीक्षकों को पहाड़ी क्षेत्र में तैनात किया गया है? इनके स्थानान्तरण/नियुक्ति में क्या मापदण्ड अपनाया गया है?

श्री हुकुम सिंह-

मार्च 1998 से अब तक 58 पूर्ति लिपिकों तथा 9 आशुलिपिकों को पूर्ति निरीक्षक के पद पर प्रोन्नति दी गयी है।

जी हाँ, कुछ आपूर्ति लिपिकों को पूर्व तैनाती जनपदों में ही प्रोन्नति कर तैनाती कर दी गयी थी, किन्तु की गयी तैनाती गृह जनपद में होने की जानकारी प्राप्त होने पर उन्हें गृह जनपद से स्थानान्तरित कर दिया गया है। केवल एक पूर्ति निरीक्षक जिन्हें आशुलिपिक पद से पूर्ति निरीक्षक के पद पर प्रोन्नति दी गयी इनकी सेवा निवृत्ति की अवधि दो वर्ष से कम होने के कारण गृह जनपद में तैनात किया गया है, जो नीतिगत है। 14 पूर्ति निरीक्षकों को पहाड़ी क्षेत्र में तैनात किया गया है। प्रोन्नति देने के पश्चात् पूर्ति निरीक्षकों को यथा सम्भव उनके पूर्व तैनाती जनपद जो उनका गृह जनपद नही है, में तैनात किया गया। पूर्व तैनाती जनपद में स्थान रिक्त न होने की दशा में उन्हें उनके गृह जनपद के निकटस्थ जनपदों/मण्डलों में तैनात किया गया है। इसी के साथ ही मैदानी जनपदों की अपेक्षा पहाड़ी जनपदों में पूर्ति निरीक्षकों के पदों की रिक्तता एवं उपयुक्तता को दृष्टिगत रखते हुए तैनाती की गयी है।

श्री राम पूजन पाठक, सचिव, साधन सहकारी समिति अमानीगंज फैजाबाद के बकाये वेतन के भुगतान की जानकारी

167-श्री काशीनाथ-

क्या सहकारिता मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि श्री राम पूरन पाठक, सचिव साधन सहकारी समिति अमानीगंज फैजाबाद का वर्ष 1995 के वेतन का भुगतान नहीं हुआ है? यदि हां, तो उक्त वेतन का भुगतान कब तक कर दिया जायेगा?

श्री "पटेल" राम कुमार वर्मा-

जी हाँ।

श्री पाठक के विरुद्ध चल रहे रु0 37,056.80 के अपहरण के प्रकरण की जांच में जिला प्रशासनिक कमेटी के निर्णय के उपरान्त यथा निर्णय भुगतान किया जायेगा।

जनपद मुजफ्फनगर में विगत वर्षों में जारी शस्त्र लाइसेन्स में अनुसूचित जाति की संख्या की जानकारी

168-श्री अजय कुमार पोइया-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि मुजफ्फरनगर जनपद में कुल कितने हथियारों के लाइसेन्स वर्ष 1997-1998 तथा 1998-1999 जनवरी तक जारी किये गये? उनमें अनुसूचित जाति की संख्या कितनी है? क्या अनुसूचित जाति के प्राथमिकता के आधार पर लाइसेन्स जारी किये जाने की कोई योजना है? यदि हां, तो क्या आवेदन करने वाले सभी को लाइसेन्स जारी कर दिये जायेंगे? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री कल्याण सिंह-

मुजफ्फरनगर जनपद में वर्ष 1997-98 में कुल 219 तथा 1998-99 में 31 जनवरी, 1999 तक कुल 1389 शस्त्र लाइसेन्स जारी किये गये।

शस्त्र लाइसेन्स हेतु निर्धारित आवेदन पत्र में जाति का कोई कालम न होने के कारण किसी जाति विशेष के लोगों को निर्गत लाइसेंन्सों की संख्या बताना सम्भव नहीं है।

जी नहीं। अनुसूचित जाति के व्यक्तियों के शस्त्र लाइसेन्स प्रार्थना-पत्रों पर प्राथमिकता से विचार कर उनका समयबद्ध निस्तारण किया जाना अपेक्षित है।

आवेदन करने वाले सभी व्यक्तियों को लाइसेन्स स्वीकृत किया जाना विधिक एवं व्यवहारिक रूप से सम्भव तथा जनहित में उचित न होगा।

जनपद लखनऊ, 32वीं वाहिनी पी0ए0सी0 लखनऊ में महिला आरक्षियों की भर्ती में लिखित परीक्षा हेतु कु0 निशादेवी को सम्मिलित किये जाने की जानकारी

169-श्री स्वामी प्रसाद मौर्य-

क्या मुख्य मंत्री को जानकारी है कि 32वीं वाहिनी पी0ए0सी0 लखनऊ में दिनांक 15-7-98 महिला आरक्षियों की भर्ती की गयी थी? क्या उसमें शासन के पत्रांक : 1789/छः पु0-10-1200(62)/98, दिनांक 10-08-98 के आदेशों का अनुपालन करते हुए शारीरिक दक्षता परीक्षा उत्तीर्ण अभ्यर्थियों को दिनांक 20-08-98 को लिखित परीक्षा में सम्मिलित किया गया था? यदि हां, तो क्या कु0 निशा देवी पुत्री श्री रामदेव मौर्य को लिखित परीक्षा में सम्मिलित किया गया है? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री कल्याण सिंह-

जी हां।

जी नहीं।

मामले में पुलिस महानिदेशक से तथ्यात्मक आख्या मांगी गयी है।

जनपद हरदोई 'ए' श्रेणी के हिस्ट्री शीटरों के शस्त्र लाइसेन्स निरस्त किये जाने की जानकारी

170-श्री गजेन्द्र कुमार मुन्ना-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि पुलिस अधीक्षक हरदोई का पत्र सं0 एस0टी0सी0 (शासन) 15/97, दिनांक 10-06-97 जो जनपद हरदोई के "ए" श्रेणी के हिस्ट्रीशीटर (एच0एस0-नं0-155) के राइफल व बन्दूक के लाइसेन्स निरस्त किये जाने के सम्बन्ध में था, प्राप्त हुआ है? यदि हां, तो क्या लाइसेन्स निरस्त कर दिया गया है? यदि हां, तो कब? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री कल्याण सिंह-

जी हां।

जी, नहीं।

शस्त्र निलम्बन हेतु निर्गत नोटिस का उत्तर लाइसेन्सी से प्राप्त हो गया है जिस पर कार्यवाही प्रचलित है।

जनपद इलाहाबाद, थाना सराय ममरेज ग्राम हरीपुर पट्टी के श्री जगदीश नरायण पुत्र निरहू के विरुद्ध पंजीकृत अपराध सं0 118/97 की जांच

171-श्री अफजाल अहमद-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद इलाहाबाद के थाना-सराय ममरेज में ग्राम-हरीपुर पट्टी के श्री जगदीश नरायन पुत्र निरहू के विरुद्ध 198/1 ए0 आर0 एल0 जेड0 के तहत अपराध सं0 118/97 का मुकदमा पंजीकृत हैं? यदि हां, तो क्या मुकदमा पंजीकृत होने के बाद पुलिस के बल पर लगाये गये पेड़, हैण्डपम्प, छप्पर, नांद आदि रखकर अवैध कब्जा किया गया है? यदि हां, तो क्या सरकार इसकी जांच कराकर अवैध कब्जे को हटाने तथा दोषी की दण्डित करेगी? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री कल्याण सिंह-

जी हां।

जी नहीं। मौके पर जगदीश यादव का कोई कब्जा नहीं पाया गया। प्रश्न नहीं उठता है।

श्री योगेन्द्र सिंह पुत्र कुंवर बहादुर सिंह ग्राम नवाटेहा थाना बरनाहाल, मैनपुरी द्वारा अवैध बनवाये गये लाइसेन्स को निरस्त कराने की मांग

172-श्री शिशुपाल सिंह यादव-

क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि श्री योगेन्द्र सिंह पुत्र श्री कुंवर बहादुर सिंह निवासी-ग्राम नवाटेड़ा थाना-बरनाहाल जनपद मैनपुरी हाल निवासी-पुराना

भैनपुरी के पास जिलाधिकारी, पटियाला से जारी अनुज्ञापकों पर एक राइफल 306 बोर सेमी एक राइफल 315 बोर व एक 30 माउजर दर्ज है ? क्या उक्त दोनों राइफल तथ्यों को छिपाकर डी0एम0 पटियाला के यहां से लाइसेन्स बनवाये गयें हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार शस्त्र अनुज्ञा-पत्र निरस्त करने की कार्यवाही करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कल्याण सिंह-

जी हां।

इस सम्बन्ध में जिला मैजिस्ट्रेट पटियाला से तथ्यों की जानकारी की जा रही है जिनकी आख्या प्राप्त होने के उपरान्त मामले में नियमानुसार कार्यवाही की जायगी।

जिला सहकारी बैंक, बदायूं के कर्मचारियों की वरिष्ठता सूची बदलने की जानकारी

173-श्री छोटेलाल राजभर-

क्या सहकारिता मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि बदायूं जिला सहकारी बैंक लि0, बदायूं के सभी वर्गों के कर्मचारियों की जो अन्तिम वरिष्ठता सूची वर्ष 1979 में प्रकाशित की गयी थी, क्या वह विनियम 26 के अन्तर्गत विधिवत् है ? यदि हां, तो क्या 17 वर्ष उपरान्त कर्मचारियों की वरिष्ठता सूची को वर्ष 1996 में बदल दिया गया ? यदि हां, तो क्यों ? क्या कर्मचारियों के द्वारा वर्ष 1996 की वरिष्ठता सूची का निस्तारण सेवा मण्डल द्वारा कर दिया गया ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री "पटेल" राम कुमार वर्मा-

जी हां।

वर्ष 1979 में प्रकाशित कर्मचारियों की वरिष्ठता सूची विनियम 26 के अन्तर्गत विधिवत थी।

जी हां।

विनियम संख्या 26 में हुये संशोधन के कारण।

जी नहीं।

कर्मचारियों के प्रत्यावेदन निस्तारण की प्रक्रिया के अन्तर्गत है।

जिला सहाकरी बैंक, बदायूं में पी0सी0यू0 के नव चयनित सहकारी पर्यवेक्षकों की प्रति-नियुक्ति

174-श्री छोटेलाल राजभर-

क्या सहकारिता मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि बदायूं जिला सहकारी बैंक लि0, बदायूं में पी0सी0यू0 के नव-चयनित सहकारी पर्यवेक्षकों को प्रतिनियुक्ति पर लेने हेतु बैंक द्वारा अधियाचन भेजा गया ? यदि हां, तो कब ? क्या इससे बैंक कर्मचारियों की पदोन्नतियां प्रभावित होंगी ? यदि हां, तो क्या वर्ग-4 की पदोन्नतियां की जायेंगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री "पटेल" राम कुमार वर्मा-

ऐसे मामलों में अधियाचन की आवश्यकता नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता।

जी नहीं।

पात्र कर्मचारियों की नियमानुसार पदोन्नति की जायेगी। सहकारी पर्यवेक्षकों को प्रतिनियुक्ति पर लिया जाना पदोन्नतियों में बाधक नहीं है।

175-श्री अम्बरीष कुमार-

(विस्तीर्णता के आधार पर निरस्त)।

जनपद चम्पावत की "घूरचुम" जल विद्युत परियोजना का निर्माण कराने की मांग

176-श्री कृष्ण चन्द्र पुनेठा-

क्या पर्यावरण एवं अतिरिक्त ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि नव-सृजित जनपद-चम्पावत की "घूरचुम" जल विद्युत परियोजना का निर्माण प्रस्तावित है? यदि हां, तो इसका निर्माण कब तक आरम्भ कर दिया जायेगा? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री बच्चा पाठक-

सूचना एकत्र की जा रही है।

दिनांक 30 एवं 31 मार्च, 1999 को बकरीद के उपलक्ष्य में सदन की बैठक न कराने की मांग

श्री कौकब हमीद-

मान्यवर, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। मान्यवर, मैंने जो कार्यसूची देखी है उसमें 30 व 31 मार्च को भी बैठक रखी गयी है। 29-30 मार्च, 1999 को बकरीद है। मान्यवर, अगर 30 व 31 मार्च, 1999 को बैठक न हो तो ज्यादा अच्छा है।

श्री अध्यक्ष-

कार्यमंत्रणा समिति ने जो प्रस्ताव पास किया है वह सदन में रखा जायेगा और आपकी संस्तुति/मतदान के लिए आयेगी। कार्यमंत्रणा समिति की बैठक लगातार होती रहती है। जब बैठक होगी तो विचार कर लेगें। तिथियों का परिवर्तन कार्यमंत्रणा समिति कर लेती है।

नियम 301 के अन्तर्गत सूचनाएं

श्री अध्यक्ष-

आज दिनांक 22 मार्च, 1999 को सदन के संज्ञान में लाने हेतु नियम 301 के अन्तर्गत कुल 26 सूचनायें प्राप्त हुई। प्राप्त सूचनाओं में से शलाका के आधार पर अग्राह्य को छोड़ते हुए निम्नलिखित 7 सूचनाएं स्वीकार की गयी। पहली सूचना डा0 कौशल किशोर, दूसरी सूचना श्री रामपाल वर्मा, तीसरी सूचना श्री चन्द्रनाथ सिंह, चौथी

सूचना श्री रामवीर सिंह, पांचवीं सूचना श्री राम विशुन आजाद, छठीं सूचना श्री समरपाल सिंह की तथा सातवीं सूचना श्री सौकत अली जी व प्रतीक्षा सूची के श्री पूर्णमासी पंकज के अनुपस्थित होने पर प्रतीक्षा सूची के ही श्री भोलाशंकर मौर्य की स्वीकार की गयी। शेष माननीय सदस्यों की सूचनायें अस्वीकार की गयीं।

(सदन की सहमति से स्वीकृत सूचनायें पढ़ी हुई मानी गयीं)

जनपद लखीमपुर के कस्बा खीरी में बने स्लाटर हाउस का आधुनिकीकरण कराने की मांग के सम्बन्ध में नियम 301 के अर्न्तगत सूचना

* डा0 कौशल किशोर-

(मान्यवर, जनपद लखीमपुर के कस्बा खीरी जिसकी आबादी लगभग 50 हजार है, में एक स्लाटर हाउस बहुत पुराने जमाने का बना हुआ है। स्वास्थ्य की दृष्टिकोण से अनुपयुक्त है। जानवरों के काटने के बाद उनके गोश्त को सुरक्षित रखने का कोई स्थान नहीं है। जिससे अकसर बीमारियों फैलने का भंयकर डर लगा रहता है। इसके अलावा जानवरों का काटने का तरीका भी बहुत पुराना है जिससे जानवरों को बहुत कष्ट सहना पड़ता है।

स्वास्थ्य को दृष्टिगत रखते हुए और जानवरों का वध भी कष्टमय न हो, आवश्यक है कि कस्बा खीरी में सरकार एक आधुनिक स्लाटर हाउस का निर्माण कराये।

जनहित की इस अविलम्बनीय समस्या का निराकरण अवश्य कराया जाये)।

जनपद हरदोई के ग्राम महमूदपुर मजरा ऊगपुर में सिंचाई विभाग के कर्मचारियों द्वारा किसानों का आर्थिक शोषण किये जाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अर्न्तगत सूचना

* श्री राम पाल वर्मा-

(महोदय, विनम्र निवेदन के साथ अनुरोध कराना है कि जनपद हरदोई के अन्तर्गत विकास खण्ड कोथावां के ग्राम महमूदपुर मजरा ऊगपुर में जिन किसानों ने अपनी फसल की निजी साधनों से सिंचाई की थी सिंचाई विभाग के कर्मचारियों द्वारा नहर की सिंचाई दिखाकर सैकड़ों किसानों का आर्थिक शोषण किया जा रहा है। सैकड़ों किसान सिंचाई विभाग के कर्मचारियों के इस अनैतिक कृत्य से दुखी हैं तथा आन्दोलन करने के लिए विवश हो रहें हैं।

अतः मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान इस अविलम्बनीय लोक महत्व की सूचना पर आकृष्ट करना चाहता हूं। ताकि सैकड़ों गरीब बेसहारा किसानों को न्याय मिल सकें।)

नोटः-( ) यह अंश पढ़ा हुआ मांना गया।

प्रतापगढ़ सदर विधान सभा क्षेत्र में लोक निर्माण विभाग द्वारा नहर की पट्टी पक्की न कराये जाने की शिकायत के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

* श्री चन्द्र नाथ सिंह-

(महोदय, उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा नहर पटरी को पक्की कराये जाने की योजना पर लोक निर्माण मंत्री भेदभाव तथा पक्षपात पूर्ण कार्यवाही कर रहे हैं वर्ष 1997-98-1998-99 में प्रतापगढ़ सदर विधान सभा क्षेत्र में एक मीटर भी नहर की पट्टी पक्की इस कारण नहीं करायी गयी कि मैं समाजवादी पार्टी का विधायक हूं मेरे क्षेत्र का पैसा अन्य क्षेत्र में दे दिया गया इस भेदभाव पूर्ण तथा पक्षपात पूर्ण रवैया के प्रति विरोध स्वरूप शासन का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं।)

जनपद फिरोजाबाद के जसराना क्षेत्रान्तर्गत क्षतिग्रस्त सम्पर्क मार्गों की मरम्मत कराने की मांग के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

* श्री रामवीर सिंह

(महोदय, मैं आपका ध्यान जनपद फिरोजाबाद के विधान सभा क्षेत्र जसराना के सम्पर्क मार्गों की ओर आकर्षित करना चाहता हूं, ये सड़के लोक निर्माण विभाग से बननी है और ये सड़कें टूटी हुई हैं। गढ़ा मुक्त के नारा देने वाली सरकार का नारा खोखला है। ग्रामीण जनता परेशान है और चलना दूभर हो गया है। जैसे जसराना से वसुन्धरा मार्ग, जसराना, कोड़रा मार्ग, जसराना फरिया मार्ग, जसराना फूफोतों मार्ग आदि टूटी हैं।

अतः आपके माध्यम से सरकार से तत्काल धन देकर उपरोक्त सड़कों की मरम्मत कराने की मांग करता हूं।)

जनपद गोण्डा के मनकापुर क्षेत्रान्तर्गत ग्राम सभा बदरहा और मनिपुर ग्रन्ट में चकबन्दी कराये जाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

* श्री राम विशुन आजाद-

(मान्यवर, आपको अवगत कराना है कि जनपद गोण्डा के अन्तर्गत विधान सभा क्षेत्र मनकापुर में ग्राम वदरहा, ग्राम सभा मनिपुर ग्रन्ट विकास खण्ड छपिया में आज तक चकबन्दी न होने से कृषकों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। कृषकों के खेत काफी दूर पर हैं जिससे कृषि कार्य में बाधा पड़ रही है जबकि शासन की मंशा है कि खातेदारों की भूमि एक चक के रूप में उन्हें सुविधा दी जाये। हरिजन आबादी खलिहान, खद गड्डा की भूमि न होने से और वहां के लोगों को काफी परेशानी हो रही है। चकबन्दी प्रक्रिया को लागू करने के लिए क्षेत्रीय जनता द्वारा कई बार शासन प्रशासन को पत्र के माध्यम से अवगत कराया गया यहां तक कि मेरे द्वारा भी पत्र के माध्यम से और नियमों के माध्यम से भी शासन का ध्यान आकर्षित किया है परन्तु इस सम्बन्ध में सरकार द्वारा अभी तक कोई पहल नहीं की गयी। यदि ग्राम सभा बदरहा मनिपुर ग्रन्ट में चकबन्दी प्रक्रिया शुरू हो जाती है तो किसानों को खेती करने में काफी सुविधा होगी।

नोट :- ( ) यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

अतः इस अविलम्बनीय लोक महत्व के प्रश्न को सदन के संज्ञान में लाते हुए मैं सरकार से मांग करता हूं कि विकास खण्ड छपिया के ग्राम सभा बदरहा और मनिपुर ग्रन्ट में जनहित में चकबन्दी करवाने हेतु आदेश निर्गत करने का कष्ट करें)।

जनपद मेरठ में मेरठ-बिनौली मार्ग पर ग्राम सरूरपुर के सामने राजवाहे का पुल बनवाने की मांग के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

* श्री समरपाल सिंह-

(जनपद मेरठ में मेरठ-बिनौली मार्ग पर ग्राम सरूरपुर के सामने विगत लगभग एक वर्ष से राजवाहे का पुल क्षतिग्रस्त होने के कारण यातायात बाधित हो रहा है। मेरठ-बिनौली मार्ग इस जिले का मुख्य मार्गो में से एक है जिस पर यातायात का अत्यधिक भार रहा है। लगभग एक वर्ष से इस मार्ग पर उपरोक्त पुल क्षतिग्रस्त होने के कारण अक्सर ट्रेफिक बाधित रहता है अनेक बार स्थानीय अधिकारी तथा लोक निर्माण के अधिकारियों का ध्यान इस समस्या से आकर्षित किये जाने के बाबजूद इस समस्या का कोई समाधान नहीं हो सका।

अतः लोक महत्व के इस अविलम्बनीय विषय पर सरकार का ध्यान आकर्षित करते हुए उपरोक्त पुल को तत्काल बनाये जाने की मांग करता हूं)

जनपद बदायूं के बिलसी क्षेत्रान्तर्गत बदायूं-बिजनौर राष्ट्रीय राजमार्ग पर अतिक्रमण तथा बिलसी बाई पास पर अवैध निर्माण कार्यों को तत्काल रोके जाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

* श्री भोला शंकर मौर्य-

(महोदय, बिलसी विधान सभा के जनपद-बदायूं के अन्तर्गत बिलसी बाई पास (अम्बियापुर चौराहा से लेकर आखरी छोर तक) भू-माफियों द्वारा लोक निर्माण की भूमि पर अवैधानिक रूप से सरकारी जमीन पर निर्माण कार्य किया जा रहा है। इस भूमि का सरकार ने सड़क निर्माण किये जाने पर मुआवजा प्रदान किया था और अब प्रशासनिक लापरवाही एवं लोक निर्माण विभाग के निर्माण खण्ड के अधिशासी अभियन्ता की उपेक्षापूर्ण कार्यवाही के कारण उक्त बाई पास के साथ बदायूं-बिजनौर मार्ग के इस्लामनगर बस स्टैण्ड बिलसी एवं बदायूं से लेकर इस्लामनगर तक भट्टे मालिकों ने भी सरकारी जमीन पर कब्जा कर लिया है इससे आये दिन एक्सीडेन्ट होते रहते हैं।

अतएव इस लोक महत्व के अविलम्बनीय प्रश्न को सदन के संज्ञान में लाकर मांग करता हूं कि बदायूं-बिजनौर राष्ट्रीय मार्ग पर किये जा रहे अतिक्रमण तथा बिलसी बाई पास पर किये जा रहे अवैध निर्माण कार्यों को तत्काल रोका जाये तथा लापरवाह एवं मिली भगत के कारण अपने कर्तव्यों का निर्वहन न करने वाले अधिकारियों/कर्मचारियों के विरुद्ध कठोर कार्यवाही की जाय।)

नोटः- ( ) यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

सत्र के अन्तिम दिनों में मा0 सदस्यों द्वारा दी जाने वाली सूचनाओं को अधिक संख्या में स्वीकृत किये जाने की मांग

श्री श्यामदेव राय चौधरी-

मान्यवर, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। सत्र का समय बहुत सीमित रह गया है और जैसा आज कार्यसूची देखने को मिला कि अन्तिम दो दिनों में कोई नियम के अन्तर्गत सूचना नहीं ली जायेगी। मान्यवर, कल और परसों आप इन संख्याओं को बढ़ा दें तो बड़ी कृपा होगी।

श्री अध्यक्ष-

आपको मालूम है कि अन्तिम दिनों में क्या प्रक्रिया बनती है। जो आपने कहा है उस पर हम विचार कर लेंगें।

विशेषाधिकार अवमानना की सूचना के सम्बन्ध में जानकारी

श्री राम विशुन आजाद-

मान्यवर, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। मैंने 30-11-98 को विशेषाधिकार अवमानना की सूचना दी थी लेकिन उस पर क्या हुआ, कोई जानकारी नहीं हुई।

श्री अध्यक्ष-

जो सूचनायें आती हैं विभाग में उसका परीक्षण होता है उस पर माननीय मंत्री जी का स्पष्टीकरण मांगा जाता है और स्पष्टीकरण आने के बाद पुनः उसका परीक्षण होता है उसके बाद कोई निर्णय लिया जाता है। अभी परीक्षण हो रहा है।

श्री राम विशुन आजाद-

मान्यवर, मैंने 30-11-98 को सूचना दी थी काफी समय बीत गया है।

श्री अध्यक्ष-

मैं पत्रावली निकलवाकर देख लूंगा।

विभागों से सम्बद्ध स्थायी समितियों की रिपोर्ट सदन में प्रस्तुत किये जाने के पश्चात् शासन के दृष्टिकोण के सम्बन्ध में औचित्य का प्रश्न

श्री अध्यक्ष-

आज नियम 300 के अन्तर्गत कुछ सूचनायें प्राप्त हुईं। पहली सूचना श्री अम्बरीष कुमार जी की है।

श्री अम्बरीष कुमार-

माननीय अध्यक्ष जी, 6 जुलाई, 1998 के उपवेशन में सदन की सहमति और आपके द्वारा की गयी घोषणा के अनुसार उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया एवं कार्य संचालन नियमावली, 1958 के नियम 200 के अन्तर्गत एक अध्ययन समिति का गठन किया गया था और बजट समितियां, जो विभागों से सम्बन्धित स्थायी समितियां हैं

उनके गठन के सम्बन्ध में उक्त समिति को अध्ययन करके अपनी रिपोर्ट देना था और इसी नियमावली के नियम 216 के अन्तर्गत उस समिति के अध्यक्ष माननीय राम नरेश यादव जी के द्वारा उस समिति का प्रतिवेदन इस सदन में प्रस्तुत किया जा चुका है और आपकी पीठ से यह व्यवस्था भी आयी थी कि इस सदन के समाप्ति के पूर्व ही शासन द्वारा अपनी रिपोर्ट, अभिमत या निर्णय से इस सदन को अवगत करा दिया जाये। मैं आपका ध्यान नियम 216 (3) की ओर आकर्षित करना चाहता हूं "संबंधित मंत्री या कोई मंत्री उसी दिन या किसी भावी दिनांक को जब तक के लिये वह विषय स्थगित किया गया है, सरकारी दृष्टिकोण और शासन द्वारा किये जाने वाले प्रस्तावित कार्य की व्याख्या करते हुए संक्षिप्त उत्तर दे सकेंगे।"

आपका ध्यान आकृष्ट करते हुये आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि आपकी पीठ से सम्भवतः यह व्यवस्था आयी थी कि इस सत्र की समाप्ति के पूर्व ही इस पर शासन के अभिमत से सदन को अवगत करा दिया जायेगा। इस सत्र के समाप्ति में दो दिन शेष रह गये हैं, मैं इस पर आपकी व्यवस्था चाहता हूं। आप शासन को निर्देश देने का कष्ट करें कि वह अपने अभिमत से सदन को अवगत करा दें।

संसदीय कार्य पंजीयन, मनोरंजन कर, स्टाम्प एवं न्यायालय शुल्क तथा खाद्य एवं रसद मंत्री (श्री हुकुम सिंह)-

मान्यवर, जिन समितियों के गठन का उल्लेख किया गया है वह बहुत ही महत्वपूर्ण समितियां हैं। शासन का अभिमत मंत्रि परिषद् द्वारा निर्धारित होता है। समिति ने जो रिपोर्ट प्रस्तुत की है उसका अध्ययन संसदीय विभाग ने किया है और संसदीय कार्य विभाग अपनी रिपोर्ट मंत्रि परिषद् को भेज चुकी है। मंत्रि परिषद् में इस पर विचार होगा। ऐसा तो है नहीं कि एक मिनट में बजटरी कमेटी बन जाये। बजटरी कमेटी बनाने मात्र से काम चलने वाला नहीं है। अगर उस चर्चा का सारा समय काट देंगे तो यह माननीय सदस्यों के अधिकारों का हनन होगा। माननीय सदस्य जो खड़े होकर बात करते रहते हैं समिति के बाद यह नहीं हो पायेगा। इन सारी बातों पर विचार होना चाहिए। अगर इसमें शासन के अभिमत का कोई महत्व है तो शासन को अभिमत देने का अवसर भी दिया जाये। यहां "हां या न" में जवाब नहीं दिया जा सकता। अभी रिपोर्ट आयी है। यह इतनी महत्वपूर्ण रिपोर्ट है, इसमें काफी समय लगेगा। अगर इतनी जल्दी अभिमत दे देंगें तो इस कमेटी की रिपोर्ट के साथ अन्याय होगा। हम जानकारी, मंत्रि परिषद् के सामने ले जा रहे हैं। उस पर चर्चा होगी। इस साल का बजट आ गया है। अगले वर्ष जो कुछ होगा वह आपके सामने आयेगा।

*श्री राम नरेश यादव-

मान्यवर, आपके द्वारा समिति का गठन हुआ, समिति ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी, वह सरकार के समक्ष विचाराधीन है। सरकार कब तक विचार करती

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

रहेगी । इसकी महत्ता को पूरे सदन ने स्वीकार किया था और सदन की भावनाओं को ध्यान में रखते हुये ही गम्भीरतापूर्वक विचार कर इस समिति का गठन भी किया गया था । जो इसके सदस्य थे उन सभी लोगों ने विचार-विमर्श करने के बाद और ऐसे वे लोग जिनकी ऐसी समितियों से सम्बन्ध रहा है, जो जानकारी रखते हैं जिन्हें विशेषज्ञ कह सकते हैं, उन लोगों से विचार-विमर्श किया गया । माननीय संसदीय कार्यमंत्री जी को इस बात की जानकारी है और कई अवसरों पर वह उपलब्ध रहे हैं क्योंकि वह इसके सभापति रहे । बाद में किन्हीं कारणों से मुझे सभापति नियुक्त कर दिया । समिति की जो रिपोर्ट थी वह सदन के समक्ष आयी । सभी सम्मानित सदस्यों की भावना को देखते हुये इसमें विलम्ब करना ठीक नहीं है । मंत्रि परिषद् पास करके सदन के सामने रखे । जो आशंकायें निहित की हैं वह आशंकायें निर्मूल हैं । वहाँ सभी माननीय सदस्य होंगे और वह अपने विचार रखेंगे । उनके विचार के बाद समिति अपनी रिपोर्ट देगी । वह अपने-अपने क्षेत्र के बारे में विचार नहीं रख सकेंगे यह बात जरूर होगी । लेकिन सदन में वह अपनी बात रख सकते हैं । यहां कोई बाधा नहीं है । आप सरकार को निर्देशित करें कि जल्दी से जल्दी वह इस पर निर्णय ले लें । और उससे सदन को अवगत कराएं । यह मेरा निवेदन है ।

श्री हुकुम सिंह-

मान्यवर, शासन का अभिप्राय विलम्ब करने का नहीं है । यह बात जरूर है कि यह इतना महत्वपूर्ण कदम है । इतना महत्वपूर्ण कदम उठाने से पहले पूरा चिन्तन होना चाहिए । जैसा कि दो राज्यों में इस प्रणाली को अपनाया गया और वहां उसके बाद यह समाप्त कर दी गई । कुछ तो कारण रहे होंगे । अगर हम इस पर इतनी जल्दी निर्णय लेंगे तो यह समिति की रिपोर्ट के साथ न्याय नहीं होगा । हमारा आशय इसको लटकाने का नहीं है । इसका परीक्षण करने के बाद उचित कदम उठाया जाएगा ।

डा0 सरजीत सिंह डंग-

माननीय अध्यक्ष महोदय मंत्री जी स्वयं स्वीकार कर रहे हैं कि यह महत्वपूर्ण निर्णय सिद्ध होगा । इन समितियों की महत्ता पर काफी प्रकाश डाला जा चुका है । अगर माननीय सदस्यों को इतनी भी जानकारी मिल जाए कि कितने अवधि तक शासन इस पर निर्णय ले लेगा । उसके बाद सम्भवतः मंत्री जी को अधिक जानकारी देने की आवश्यकता नहीं रहेगी । मंत्री जी इतनी जानकारी दे दें कि कब तक शासन इस पर अपना अभिमत बनाकर सदन के सामने प्रस्तुत कर देगा ।

श्री अम्बरीष कुमार-

अभी संसदीय कार्यमंत्री जी ने कहा कि यदि समितियां बनाई गई तो बजट समितियों में तो सम्मानित सदस्य अपने विचार रख सकेंगे लेकिन सामान्य रूप से इस सदन में जब बजट पर चर्चा होती है तो उस समय वह अपने अधिकार से वंचित हो जाएंगे । मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि 6 जुलाई, 1998

के उपवेशन में सदन की सहमति का अभिप्राय यह है कि पक्ष और विपक्ष दोनों पक्षों की सहमति से यह निर्णय हुआ था कि इस अध्ययन समिति का गठन किया जाए और उसके बाद बजेटरी समितियों का गठन हो। इसलिए मैं माननीय मंत्री जी से अनुरोध करना चाहता हूं कि मंत्री जी की आशंका निराधार है। यह निर्णय सदन के पक्ष और विपक्ष दोनों का है। जैसा कि नियमावली के नियम 216 की ओर ध्यान आकर्षित कराया गया है। उक्त नियम के उप नियम (4) को देखें अध्यक्ष यदि उचित समझें तो उस प्रतिवेदन पर विचार के लिए समय नियत करेंगे। यदि कहीं आशंका है तो बाद में दोनों पक्ष अपने विचार रख सकते हैं।

* कुंवर रेवती रमण सिंह-

अध्यक्ष जी राम नरेश जी ने काफी विस्तार से अपने विचार रखे। संसदीय कार्यमंत्री जी ने कहा कि इस पर सदस्यों को बोलने का समय नहीं मिल पाएगा जब विभिन्न विभागों के बजट पेश होते हैं। मैं रोज देख रहा हूं कि माननीय सदस्यों को दो मिनट, तीन मिनट और पांच मिनट का समय मिलता है। इतने समय में कोई सदस्य कैसे अपने विचार रख सकता है। जो कुछ वह कहना चाहता है वह भी नहीं कह पाता है। इस बजट कमेटी से सबसे ज्यादा फायदा यह है कि जो पिछले साल के बजट का पैसा विभिन्न विभागों को दिया गया है, विभिन्न मदों में कितना खर्च हुआ है, अगले साल उनको कितना बजट दिया जाय इसके प्राविधान के बारे में समिति विचार करेगी। यह कहना कि समय में कटौती हो जायेगी। उचित नहीं है। मैंने देखा है कि एक-एक दिन में पांच-पांच, छह-छह और एक दिन तो 15 विभागों के बजट इसी विधान सभा में प्रस्तुत किए गए इसका क्या औचित्य है। आप सरकार को निर्देशित करें कि वह निश्चित समय में परीक्षण करने के उपरान्त सूचित कर दें। सदन में यह बात आ जाए व इस पर चर्चा हो जाए और कोशिश यह हो कि इसी सदन में पाारित हो जाये।

* श्री राजधारी-

माननीय अध्यक्ष जी,-मैं भी उस बजटरी कमेटी का सम्मानित सदस्य रहा हूं। पिछली बार मैंने ही इस विधान सभा में इस विषय को रखा था और सर्वसम्मति से एक राय बनी थी। दुनिया में तमाम देशों में विशेषकर पार्लियामेन्ट में बजटरी कमेटीज का प्राविधान है। उसकी जो उपलब्धियां हैं उन सारी चीजों पर विचार-विमर्श करने के बाद पूरे सदन की यह राय बनी की उत्तर प्रदेश में भी उस परम्परा का निर्वाह किया जाय। जैसा कि माननीय मंत्री जी ने कहा, कुछ कमियां हो सकती हैं परन्तु इसमें अच्छाइयां ज्यादा हैं। हम नित्य-प्रति इस सदन में देख रहे हैं कि 2 मिनट और 5 मिनट में कोई भी माननीय सदस्य निर्बाध और निर्लिप्त भाव से अपने निर्वाचन क्षेत्र के बारे में नहीं कह पाता है और विभागीय बजट को पालिटिकल रूप में देखा जाता है। यदि बजटरी कमेटीज काम करना शुरू कर दें, जैसा कि श्री कुंवर रेवती रमण सिंह जी ने कहा कि वह कमेटी पिछले बजट की भी समीक्षा करेगी और नये बजट के लिये सुझाव देगी, इसलिये मेरा मंत्री जी से निवेदन है कि यह जनहित में है और प्रदेश के हित में है। इसलिए इसकी समय सीमा माननीय मंत्री जी बता दें। अब इसके औचित्य पर बहस करने की कोई गुंजाइश नहीं है। सदन सहमत है केवल इतना बता दें कि इसमें कितना समय और लगेगा?

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री अध्यक्ष-

इसमें कोई सन्देह नहीं है कि इस सदन का यह एक महत्वपूर्ण निर्णय है। समिति की उपयोगिता पर भी कोई संदेह नहीं है। विधान सभा की प्रक्रिया एवं कार्य संचालन नियमावली 1958 के नियम 216 (4) के अनुसार प्रतिवेदन उपस्थित किये जाने के उपरान्त किन्तु उपस्थिति की तिथि से 15 दिन के भीतर मांग किये जाने पर, अध्यक्ष यदि उचित समझें तो उस प्रतिवेदन पर विचार के लिए समय नियत करेंगे। सदन के समक्ष न कोई औपचारिक प्रस्ताव होगा और न मत लिये जायेंगे। श्री अम्बरीष कुमार जी ने एक सुझाव दिया है। विभाग से सम्बद्ध स्थायी समितियों का प्रतिवेदन दिनांक 12 मार्च, 1999 को सदन में प्रस्तुत किया जा चुका है। समिति की महत्ता को देखते हुए उसमें क्या व्यावहारिक कठिनाइयां होंगी, उसको देखते हुए और साथ ही साथ इस बात को विशेष रूप से देखते हुए कि जो समितियां बनेंगी वह केवल इस सदन की ही नहीं बनेगी बल्कि इसमें विधान परिषद् के सदस्य भी सम्मिलित होंगे, व्यावहारिक कठिनाईयां क्या हो सकती हैं, इसलिए नियम 216 (4) के अन्तर्गत इस पर चर्चा स्वीकार हो चुकी है। इस नियम के उप नियम 4 में सरकार का दृष्टिकोण ही आने वाली बात है। जिस समय इस पर चर्चा होगी उस समय सरकार का दृष्टिकोण आ जायेगा। मैं समझता हूं कि चर्चा बहुत जल्द लग जायेगी। माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी ने कहा कि यह कठिनाई हो सकती है कि जो माननीय सदस्य यहां विचार रख रहे हैं वह कल न रख पायें आदि शंकायें यहां पर रखी। मेरी इच्छा है कि समिति का गठन एक महत्वपूर्ण घटना हो रही है। हम इस सदन में उन समितियों को बनाने जा रहे हैं इसलिए शीघ्रातिशीघ्र यथा सम्भव हर प्रयास करेंगे कि इनका गठन हो जाय तो बहुत अच्छा रहेगा।

औचित्य के प्रश्न की सूचनाएं

श्री अध्यक्ष-

दूसरी सूचना श्री राम औतार शाक्य जी की है-ठीक है इसे जाने दीजिए। अगली सूचना श्री राम ललित चौधरी जी की है, यह नियम 300 के अन्तर्गत नहीं आती है।

(श्री राम ललित चौधरी के खड़े होने पर)

श्री अध्यक्ष-

आप सुसंगत नियमों के अन्तर्गत इसे दीजिए। नीतिगत प्रश्न है, अल्पसूचित तारांकित प्रश्न के रूप में देंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। इस पर आप चर्चा मांग लीजिए, नियम 52 में चर्चा मांग लीजिए। उच्च न्यायिक सेवा के अधिकारियों को सरकार द्वारा उच्च महत्वपूर्ण पदों पर रखे जाने का विषय इस सदन की प्रक्रिया से कहां से सम्बन्धित है। केवल खाली अपनी बात कहना है तो इससे क्या फायदा।

उत्तर प्रदेश आमोद और पणकर (संशोधन) विधेयक, 1999

सचिव, विधान सभा-

श्रीमन् , मैं आपकी अनुमति से उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली, 1958 के नियम 153 के अन्तर्गत सूचित करता हूं कि उत्तर प्रदेश आमोद और पणकर (संशोधन) विधेयक, 1999 जो उत्तर प्रदेश विधान सभा द्वारा दिनांक 12 मार्च, 1999 को पारित किया गया था और दिनांक 15 मार्च, 1999 को विधान परिषद् सचिवालय में प्राप्त हुआ था, उत्तर प्रदेश विधान परिषद् से बिना किसी सिफारिश के दिनांक 20 मार्च, 1999 को वापस प्राप्त हो गया।

उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 1999

सचिव, विधान सभा-

श्रीमन्, मैं आपकी अनुमति से उत्तर प्रदेश, विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली, 1958 के नियम 149 के अन्तर्गत सूचित करता हूं कि-

(1) उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 1999 जो उत्तर प्रदेश विधान सभा द्वारा दिनांक 17 मार्च, 1999 को पारित किया गया था, उत्तर प्रदेश विधान परिषद् से बिना किसी संशोधन के दिनांक 20 मार्च, 1999 को वापस प्राप्त हो गया।

उत्तर प्रदेश राजर्षि टण्डन मुक्त विश्वविद्यालय विधेयक, 1999

सचिव, विधान सभा-

श्रीमन्, मैं आपकी अनुमति से उ0प्र0 विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली, 1958 के नियम 149 के अन्तर्गत सूचित करता हूं।

(2) उत्तर प्रदेश राजर्षि टण्डन मुक्त विश्वविद्यालय विधेयक, 1999, जो उत्तर प्रदेश विधान सभा द्वारा दिनांक 17 मार्च, 1999 को पारित किया गया था, उत्तर प्रदेश विधान परिषद् से बिना किसी संशोधन के दिनांक 20 मार्च, 1999 को वापस प्राप्त हो गया।

उत्तर प्रदेश स्नातकोत्तर चिकित्सा शिक्षा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण) (संशोधन) विधेयक, 1999

सचिव, विधान सभा-

श्रीमन्, मैं आपकी अनुमति से घोषित करता हूं कि उत्तर प्रदेश स्नातकोत्तर चिकित्सा शिक्षा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण) (संशोधन) विधेयक, 1999 पर, जिसे उत्तर प्रदेश विधान परिषद् ने अपनी दिनांक 26 फरवरी, 1999 की बैठक में पारित किया था तथा उत्तर प्रदेश विधान सभा ने अपने दिनांक 11 मार्च, 1999 के उपवेशन में पारित किया था, राज्यपाल महोदय की अनुमति दिनांक 17 मार्च, 1999 को प्राप्त हो गयी और वह सन् 1999 का उत्तर प्रदेश का नवां अधिनियम बन गया।

श्री अध्यक्ष-

मद संख्या 6 में कुछ नहीं है।

उत्तर प्रदेश विधान सभा की आश्वासन समिति का 75 वां प्रतिवेदन +

श्री गौरी शंकर एडवोकेट-

मान्यवर, आपकी अनुमति से सरकारी आश्वासन सम्बन्ध समिति के सभापति की हैसियत से उत्तर प्रदेश विधान सभा की आश्वासन समिति का 75 वां प्रतिवेदन, जो पर्यावरण, आबकारी, पंचायतराज, पशुधन, गृह/गोपन तथा ऊर्जा विभागों (वर्ष 1978 से 1997 तक) के आश्वासनों से संबंधित है, प्रस्तुत करता हूं।

उत्तर प्रदेश विधान सभा की आश्वासन समिति का 76 वां प्रतिवेदन +

श्री गौरी शंकर एडवोकेट-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से सरकारी आश्वासन संबंधी समिति के सभापति की हैसियत से उत्तर प्रदेश विधान सभा की आश्वासन समिति का 76 वाँ प्रतिवेदन, जो आवास, लोक निर्माण, श्रम, नगर विकास, खाद्य एवं रसद, सहकारिता, बाल विकास, गन्ना विकास एवं चीनी उद्योग, दुग्ध विकास तथा समाज कल्याण विभागों (वर्ष 1982 से 1998 तक) के आश्वासनों से सम्बन्धित है, प्रस्तुत करता हूं।

श्री अध्यक्ष-

मद संख्या-9 में कुछ नहीं है।

कार्य-मंत्रणा समिति द्वारा कार्यक्रम निर्धारण का प्रस्ताव

श्री अध्यक्ष-

उत्तर प्रदेश विधान सभा की कार्य-मंत्रणा समिति ने अपनी दिनांक 19 मार्च, 1999 की बैठक में सदन के दिनांक 22 मार्च, 1999 से 31 मार्च, 1999 तक के उपवेशनों के कार्यक्रम के सम्बन्ध में निम्नलिखित सिफारिशें की है :-

1-दिनांक 30 तथा 31 मार्च, 1999 को सदन की बैठक रखी जाय तथा दोनों दिन प्रश्नकाल न रखा जाय और नियम 51,56,300,301 तथा 311 के अन्तर्गत सूचनायें न ली जायें।

2-दिनांक 30 तथा 31 मार्च, 1999 को विभिन्न नियमों के अन्तर्गत स्वीकृत चर्चायें, प्रस्ताव एवं संकल्प लिये जायें।

3-सदन के दिनांक 22 मार्च, 1999 से दिनांक 31 मार्च, 1999 तक के उपवेशनों को निम्नलिखित संशोधित रूप में रखा जाय :-

---

+ छापे नहीं गये।

मार्च, 1999

22 सोमवार

1-वित्तीय वर्ष 1999-2000 के आय-व्ययक के अनुदानों की मांगों पर विचार एवं मतदान।

2-निम्नलिखित विधेयकों पर विचार एवं उनका पारण :-

(क) उत्तर प्रदेश जल सम्भरण तथा सीवर-व्यवस्था (संशोधन) विधेयक, 1999-आधा घण्टा।

(ख) उत्तर प्रदेश नगर निगम (संशोधन) विधेयक, 1999-आधा घण्टा।

(ग) उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग विधेयक, 1999-आधा घण्टा।

(घ) उत्तर प्रदेश अल्पसंख्यक आयोग (संशोधन) विधेयक, 1999- आधा घण्टा।

(ङ) उत्तर प्रदेश भागीरथी नदी घाटी प्राधिकरण विधेयक, 1999- आधा घण्टा।

23 मंगलवार वित्तीय वर्ष 1999-2000 के आय-व्ययक के अनुदानों की मांगों पर विचार एवं मतदान।

24 बुधवार 1- वित्तीय वर्ष 1999-2000 के आय-व्ययक के अनुदानों की मांगों पर विचार एवं मतदान।

(4.00 बजे अपराह्न तक)

2- 4.00 बजे अपराह्न

उत्तर प्रदेश विनियोग, विधेयक, 1999 का सदन की अनुज्ञा से पुरःस्थापन, उस पर विचार एवं उसका पारण

25 गुरुवार (राम नवमी का अवकाश)

26 शुक्रवार बैठक नहीं होगी।

27 शनिवार

28 रविवार

29 सोमवार (ईदज्जुहा (बकरीद) तथा महावीर जयन्ती का अवकाश)

30 मंगलवार

31 बुधवार विभिन्न नियमों के अन्तर्गत स्वीकृत चर्चायें, प्रस्ताव एवं संकल्प।

श्री कौकब हमीद-

मान्यवर, 29-30 को बकरीद ईद का त्यौहार है और 30 तारीख को सदन है। इस बारे में देख लें।

श्री अध्यक्ष-

आज कार्य-मंत्रणा समिति की बैठक है। उस समय हम इस पर विचार कर लेंगे। अभी इसका प्रस्ताव पारित होने दें। आपने जो बात कही है हम उसका संज्ञान ले लेंगे।

श्री राम औतार शाक्य-

मान्यवर, 30-31 को प्रश्न प्रहर नहीं हो पा रहा है।

श्री अध्यक्ष-

आपके सुझावों को अभी हम कार्य मंत्रणा समिति में बैठेगें तो विचार कर लेंगे।

संसदीय कार्य मंत्री (श्री हुकुम सिंह)-

मान्यवर, मैं प्रस्ताव करता हूं कि कार्य-मंत्रणा समिति की सिफारिश से सम्बन्धित जो सूचना श्री अध्यक्ष ने दी है, से यह सदन सहमत है।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि माननीय संसदीय कार्य मंत्री द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव से यह सदन सहमत है?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और सर्वसम्मति से स्वीकृत हुआ)

श्री अध्यक्ष-

मद संख्या-11 में कुछ नहीं है।

चन्द्र शेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, कानपुर के प्रबन्ध बोर्ड पर कार्य करने के लिये विधान सभा के एक सदस्य के निर्वाचन का प्रस्ताव

कृषि मंत्री (श्री दिवाकर विक्रम सिंह)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से यह प्रस्ताव करता हूं कि "यह सदन जिस प्रकार तथा जिस तिथि को अध्यक्ष महोदय आदेश दें, चन्द्रशेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, कानपुर के प्रबन्ध बोर्ड पर कार्य करने के लिए, उत्तर प्रदेश कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय (संशोधन) अध्यादेश 1999 द्वारा यथा संशोधित उत्तर प्रदेश कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय अधिनियम, 1958 की धारा-10 की उपधारा (1) के खण्ड (छ) के अनुसार विधान सभा के एक सदस्य का निर्वाचन करें।"

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि "यह सदन जिस प्रकार तथा जिस तिथि को अध्यक्ष महोदय आदेश दें, चन्द्रशेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिकं विश्वविद्यालय, कानपुर के प्रबन्ध बोर्ड पर कार्य करने के लिए उत्तर प्रदेश कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय (संशोधन) अध्यादेश, 1999 द्वारा यथा संशोधित उत्तर प्रदेश कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय अधिनियम, 1958 की धारा 10 की उपधारा (1) के खण्ड (छ) के अनुसार विधान सभा के एक सदस्य का निर्वाचन करें।"

(प्रश्न उपस्थित किया गया और सर्वसम्मति से स्वीकृत हुआ)

आचार्य नरेन्द्र देव कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, कुमारगंज, फैजाबाद के प्रबन्ध बोर्ड पर कार्य करने के लिये विधान सभा के दो सदस्यों के निर्वाचन का प्रस्ताव

कृषि मंत्री (श्री दिवाकर विक्रम सिंह)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से यह प्रस्ताव करता हूं कि "यह सदन जिस प्रकार तथा जिस तिथि को अध्यक्ष महोदय आदेश दें, आचार्य नरेन्द्र देव कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, कुमारगंज, फैजाबाद के प्रबन्ध बोर्ड पर कार्य करने के लिए, उत्तर प्रदेश कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय (संशोधन) अध्यादेश, 1999 द्वारा यथा संशोधित उत्तर प्रदेश कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय अधिनियम, 1958 की धारा 10 की उपधारा (1) के खण्ड (छ) के अनुसार विधान सभा के दो सदस्यों का निर्वाचन करें।"

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि-" यह सदन जिस प्रकार तथा जिस तिथि को अध्यक्ष महोदय आदेश दें, आचार्य नरेन्द्र देव कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय कुमारगंज, फैजाबाद के प्रबन्ध बोर्ड पर कार्य करने के लिए, उत्तर प्रदेश कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय (संशोधन) अध्यादेश, 1999 द्वारा यथा संशोधित उत्तर प्रदेश कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय अधिनियम, 1958 की धारा 10 की उपधारा (1) के खण्ड (छ) के अनुसार विधान सभा के दो सदस्यों का निर्वाचन करें।"

(प्रश्न उपस्थित किया गया और सर्वसम्मति से स्वीकृत हुआ)

उत्तर प्रदेश गो-सेवा आयोग विधेयक, 1999 +

संसदीय कार्य, पंजीयन, मनोरंजन कर, स्टाम्प एवं न्यायालय शुल्क तथा खाद्य एवं रसद मंत्री (श्री हुकुम सिंह)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से उत्तर प्रदेश गो-सेवा आयोग विधेयक, 1999 को पुरः स्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा मांगता हूं।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश गो-सेवा आयोग विधेयक, 1999 को पुरः स्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा दी जाय?

+ दिनांक 3-4-99 के असाधारण गजट के विधायी परिशिष्ट में छपा है।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

श्री हुकुम सिंह-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से उत्तर प्रदेश गो-सेवा आयोग विधेयक, 1999 को पुर:स्थापित करता हूं।

नियम 31। की सूचनाओं के सम्बन्ध में जानकारी

श्री अध्यक्ष-

अब मैं कार्यस्थगन के प्रस्ताव ले रहा हूं।

श्री समरपाल सिंह-

मैंने नियम-31। में सूचना दी थी।

श्री अध्यक्ष-

नियम-56 के बाद मैं आपको सुन लूंगा।

श्री समरपाल सिंह-

मान्यवर, जो प्रदेश के शिक्षामंत्री रह चुके हैं, नेता विरोधी दल रहे हैं और पार्लियामेंट के सदस्य भी रहे हैं, उनको दफा 323 के अन्तर्गत जेल भेज दिया गया।

श्री अध्यक्ष-

नियम-56 की सूचना लेने के बाद मैं इसको ले लूंगा। उस समय कह दीजियेगा।

माननीय समरपाल जी नियम-56 की सूचना के बाद मैं आपको सुन लूंगा।

श्री अम्बिका चौधरी-

मान्यवर, नियम-31। की सूचना हमने भी दी है। यह क्रीमी लेयर के बारे में है।

श्री अध्यक्ष-

इसे आप किसी दूसरे सुसंगत नियमों में कल दे दीजियेगा।

नेता विरोधी दल (श्री धनीराम वर्मा)-

मान्यवर, इसको सुन लीजियेगा।

श्री अध्यक्ष-

ठीक है, मैं इसे माननीय समरपाल जी के बाद सुन लूंगा।

कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचनाएं

श्री अध्यक्ष-

आज दिनांक 22-3-99 को नियम-56 के अन्तर्गत कुल 24 सूचनाएं प्राप्त हुई जिनमें से शलाका के आधार पर निम्नलिखित माननीय सदस्यों की सूचनायें चयनित की गयी। प्रथम पांच सूचनाओं को ग्राह्यता हेतु सुना जायेगा। शेष सूचनाओं पर शासन का ध्यान आकृष्ट किया जा सकता है। इसमें दो सूचनाएं अलग-अलग एक ही विषय की है। दोनों सूचनाओं को मिलाकर पांच माननीय सदस्यों ने हस्ताक्षर किये हैं। मेरा अनुरोध है कि कृपया संक्षेप में अपनी बात रखें। इसमें श्री सुबाष चन्द्र श्रीवास्तव, जगदम्बिका पाल, श्री समरपाल सिंह की सूचना नियम-311 में प्राप्त हुई थी जो कि नियम-56 में परिवर्तित की गयी है। इसका विषय प्रदेश में विद्युत कटौती के कारण हाईस्कूल एवं इण्टरमीडिएट की परीक्षाओं में भाग ले रहे छात्रों के समक्ष उत्पन्न गंभीर संकट के संबंध में है। दूसरी सूचना कुंवर रेवती रमण सिंह जी की और श्री अम्बरीष कुमार जी की है, तीसरी सूचना श्री नरेन्द्र सिंह भाटी जी की, चौथी सूचना श्री विनोद मणि त्रिपाठी जी की, पांचवी सूचना श्री राम चन्द्र यादव जी की, छठी सूचना श्री राम बिशुन आजाद व श्री राम पाल सिंह जी की, सातवीं सूचना श्री दीपक कुमार की, आठवीं सूचना डा0 अशोक बाजपेयी जी की, नौवीं सूचना श्री मुन्ना चौहान जी की है। मैं पहली सूचना ले रहा हूं। दसवीं सूचना के बारे में बात हो चुकी है क्योंकि श्री राम नक्षत्र जी ने आज मेरे अनुरोध पर अपना अनशन तोड़ दिया है इसलिए उस सूचना पर मैं उनको सुन लूंगा।

* श्री जगदम्बिका पाल-

मान्यवर, हम आपके आभारी है कि आपने अत्यंत लोक महत्व के इस अविलम्बनीय प्रश्न पर, जो तात्कालिक भी है, इसकी ग्राह्यता की चर्चा पर विचार रखने का अवसर दिया। मान्यवर, आज पूरे उत्तर प्रदेश में हाईस्कूल और इण्टरमीडिएट बोर्ड की परीक्षाएं 23 मार्च से प्रारम्भ की जा रही हैं। ऊर्जा मंत्री घोषणा करते हैं कि जिला मुख्यालयों पर बिजली की कटौती समाप्त की जा चुकी है लेकिन आज भी पूरे प्रदेश में विद्युत कटौती जारी है। श्रीमन्, जहां एक तरफ परीक्षाएं हो रही है वहीं दूसरी तरफ पूरे प्रदेश में प्रातः पांच बजे से 10 बजे तक तथा सांयकालीन तमाम जनपदों में आज भी विद्युत कटौती की जा रही है जिसके कारण जो 30 लाख की संख्या में छात्र-छात्राएं हैं उनके सामने गंभीर संकट उत्पन्न हो गया है। मान्यवर, आज गांवों में पिछले कई महीनों से मिट्टी का तेल भी नही मिल रहा है, जो कि गांव के छात्रों के लिए वैकल्पिक व्यवस्था के रूप में सामने था जिससे वह दीया जलाकर, लालटेन जलाकर पढ़ लेते हैं लेकिन वह भी नहीं मिल पा रहा है। आज गेहूँ की मड़ाई का काम शुरू हो गया है।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

मान्यवर, पिछली सरकारों में जब एक महीना रह जाता था तो तमाम उद्योगों से विद्युत कटौती करके निर्बाध रूप से विद्युत आपूर्ति की जाती थी। आज आपने सात-सात दिन का रोस्टर कर दिया है। आपने यह कहा कि सात दिन, दिन में, तथा सात दिन रात में विद्युत आपूर्ति की जायेगी लेकिन यह भी नहीं हो पा रहा है। मान्यवर, जब विद्युत नहीं जायेगी तो गेहूं की मड़ाई नहीं हो पायेगी। आज गेहूं सब खलिहान में पड़ा हुआ है और वही दूसरी तरफ तमाम छात्र-छात्राओं का भविष्य अंधकारमय में पड़ा हुआ है। मान्यवर, आज ग्रामीण क्षेत्रों में दस घंटे बिजली देने का जी0ओ0 किया गया है लेकिन कहीं बिजली नहीं पहुंच पा रही है। हरदोई, अलीगढ़ और माननीय संसदीय कार्यमंत्री जी के क्षेत्रों में पहुंच रही हो तो और बात हैं, लेकिन हमारे जनपदों में नहीं पहुंच पा रही है, हमारे ही नहीं बल्कि और लोगों के जनपदों में नहीं पहुंच पा रही है। मान्यवर, जहां ग्रामीण क्षेत्र में दस घंटे बिजली मिलती थी आज वहां पर दो घंटा, तीन घंटा या चार घंटा बिजली पहुंच रही है। मैं अपने जनपद का उदाहरण दे रहा हूं। वहां पर ऊर्जा राज्य मंत्री गये थे हमने उनका घेराव किया था, श्रीमन्, माननीय ऊर्जा राज्यमंत्री इस बात के गवाह हैं कि कई घण्टों तक उनका घेराव हुआ। ऊर्जा मंत्री जी एक तरफ कहते हैं कि 10 घंटे बिजली देते हैं और जिला मुख्यालयों को बिजली कटौती से मुक्त रखा गया है। मान्यवर, जबकि हमारा मण्डल मुख्यालय है और वह बिजली कटौती से ग्रस्त है। चाहे लखनऊ हो या अन्य कवाल टाउन मान्यवर, आधा शहर शाम को अन्धकार में डूबा रहता है। अभी मंत्री जी आंकडों से बता देंगे कि हमने इतना उत्पादन बढ़ा दिया है और आंकड़ों से वे संतुष्ट हो सकते हैं। मान्यवर, आज उद्योगों में 69 प्रतिशत कटौती हो रही है। चैम्बर आफ कामर्स की रिपोर्ट है। मान्यवर, छात्रों की परीक्षाएं सिर पर हैं कृषि भी प्रभावित हो रही है कृपया इस महत्वपूर्ण प्रश्न पर चर्चा स्वीकार कर लें।

श्री सुबाष चन्द्र श्रीवास्तव-

मान्यवर, कल दिनांक 23 मार्च से पूरे प्रदेश में हाईस्कूल व इण्टर की परीक्षा प्रारम्भ हो रही हैं। श्रीमन् हाईस्कूल की परीक्षा में तकरीबन 23 लाख परीक्षार्थी और इण्टर में 12 लाख परीक्षार्थी बैठ रहे हैं और वे इस समय परीक्षा की तैयारी में लगे हुए हैं। मान्यवर, सरकार द्वारा विद्युत आपूर्ति की जो बातें कही जा रही है, वे सब घोषणा निर्मूल साबित हो रही हैं। मान्यवर, पिछली 10 फरवरी, 99 से ही प्रदेश में विद्युत कटौती हो रही है। प्रदेश में जो जिला मुख्यालय हैं वहां सांयकाल 5 से 6 घंटे की अनवरत विद्युत कटौती हो रही है। मान्यवर, ग्रामीण अंचलों में विद्युत आपूर्ति की स्थिति अत्यन्त चिन्ताजनक है। मान्यवर, विद्युत उत्पादन के क्षेत्र में उत्पादन में वृद्धि संबंधी आंकड़े सरकार द्वारा आये दिन प्रस्तुत किये जाते हैं। मान्यवर, जहां एक तरफ इस लोकमहत्व के प्रश्न पर सरकार को कोई चिन्ता नहीं है वहीं दूसरी तरफ सरकार यह कहती है कि हम परीक्षाओं में नकल नहीं होने देंगे और परीक्षाओं में शुचिता स्थापित करेंगे तो उनकी यह नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि इस समय प्रदेश में विद्युत कटौती न हो जिससे परीक्षा में छात्र परिश्रम और लगन से परीक्षा की तैयारी

कर ले लेकिन सरकार अपने दायित्व से पीछे हट रही है। विद्युत आपूर्ति न होने की वजह से 35 लाख हाईस्कूल और इन्टरमीडिएट के परीक्षार्थियों के समक्ष गंभीर संकट उत्पन्न हो गया है, इसलिये मैं आपसे निवेदन करता हूं कि इस ज्वलंत, अविलम्बनीय और तात्कालिक विषय पर सदन के सारे कार्यों को स्थगित कर चर्चा कराने की कृपा करें।

* श्री राम नरेश यादव-

मान्यवर, श्री जगदम्बिका पाल जी ने जो बात बिजली कटौती के बारे में रखी है, वह अविलम्बनीय प्रश्न है, इस पर गम्भीरता से विचार करें और सरकार को निर्देश दें कि वह कटौती को वापस ले। कल से बोर्ड की परीक्षायें आरम्भ होने जा रहीं हैं और 35 लाख छात्र-छात्रायें इसमें शामिल हो रहे हैं। एक तरफ बिजली की कटौती हो रही है, दूसरी तरफ केरोसीन आयल भी नहीं मिल रहा है, ऐसी स्थिति में परीक्षार्थी किस तरह परीक्षा की तैयारी करेगें और जब तैयारी नहीं करेंगें तो परीक्षा में कैसे सफल हो सकेगें? यह छात्रों के भवष्यि का सवाल है, इसलिये बहुत महत्वपूर्ण है। यह सरकार घोषणा करने के बाद उसे लागू नहीं करती है तो ऐसी घोषणा का औचित्य क्या है? कल मैं सुल्तानपुर गया था, वहां भी बराबर कटौती हो रही है और वहीं नहीं, पूरे प्रदेश की यही स्थिति है। सरकार जो घोषणा करें, उसे लागू भी करें, नहीं तो उसे सत्ता में बने रहने का कोई औचित्य नहीं है। चाहे पूर्वी जिले हों, चाहे पश्चिमी जिले हों, हर जगह यही स्थिति है। किसानों के सामने मड़ाई की भी दिक्कत हो रही है और दूसरी तरफ यह सरकार छात्रों के जीवन के साथ खिलवाड़ करना चाहती है, अतः इस अविलम्बनीय प्रश्न पर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं और यह मांग करता हूं कि यह सरकार विद्युत् कटौती को वापस लें।

* श्री राम जग-

मान्यवर, मैं आपका आभारी हूं कि अत्यन्त अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय पर हमें अपनी बात कहने का मौका दिया। पूरे प्रदेश में बिजली की स्थिति यह है कि करीब 35 लाख हाईस्कूल और इन्टरमीडिएट के परीक्षार्थी परीक्षा में बैठने जा रहें हैं और पूरे प्रदेश की जो रिपोर्ट है, उसके अनुसार प्रदेश के ग्रामीण अंचलों में मात्र 2 से 3 घन्टे बिजली आ रही है। मैं आजमगढ़ जनपद की स्थिति बताना चाहता हूं, वहां कई दिनों से ग्रामीण अंचल में बिजली नहीं जा रही है, यह छात्रों के भविष्य का प्रश्न है। माननीय ऊर्जा मंत्री सदन में बार-बार घोषणा करते हैं लेकिन परिणाम उसका उल्टा होता है। पूरे प्रदेश में विद्युत न मिलने से परीक्षार्थी परीक्षा की तैयारी नहीं कर पर रहें है और सरकार मिट्टी का तेल भी नहीं दे पा रही है। यह समय किसानों की फसल मड़ाई का भी है और ऊर्जा मंत्री छात्रों के साथ भी खिलवाड़ कर रहें हैं, मैं तो यहां तक कहना चाहूंगा कि ऊर्जा मंत्री बार-बार सदन

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

में (× × ×) बोलते हैं और सदन को गुमराह करते हैं, इस गम्भीर विषय पर सदन की कार्यवाही रोककर चर्चा कराई जाय।

श्री अध्यक्ष-

यह (× × ×) बोलने वाला हिस्सा निकाल दूंगा।

श्री समरपाल सिंह-

मान्यवर, यह विद्युत का प्रश्न पूरी जनता से जुड़ा प्रश्न है, मैंने कई मौकों पर और सम्मानित सदस्यों ने इस बात की आशंका व्यक्त की कि प्रदेश के अन्दर विद्युत की बहुत बड़ी कटौती हो रही है जिससे जनता को परेशानी हो रही है। ग्रामीण अंचलों की बात तो दूर, महानगरों में कई-कई घन्टे बिजली गायब रहती है और ग्रामीण अंचलों में मात्र 2-4 घन्टे बिजली आ रही है। जब बिजली विभाग का बजट रखा गया था, उस समय भी मैंने माननीय मंत्री जी का ध्यान इस ओर आकृष्ट कराया था, इससे पहले भी काम रोको प्रस्ताव के माध्यम से आकृष्ट कराया था।

श्री समर पाल सिंह-

23 मार्च से माध्यमिक शिक्षा की परीक्षाएं शुरू हो रही हैं और जिसमें लगभग 35 लाख अभ्यर्थी भाग लेंगे, यदि बिजली नहीं आयेगी तो ये कैसे तैयारी करेंगे? मान्यवर, मंत्री जी ने घोषणा किया था कि विद्युत आपूर्ति में कटौती नहीं की जायेगी लेकिन अफसोस है कि घोषणा के बावजूद मेरे जिले में शहर में और ग्रामीण क्षेत्रों में लगातार पांच-पांच घन्टे की कटौती की जा रही है और जो विद्युत आपूर्ति 10-15 दिन पहले की जा रही थी उतनी भी बिजली की आपूर्ति इस समय नहीं की जा रही है और इस समय केवल 3-4 घन्टे ही बिजली दी जा रही है। मान्यवर, मिट्टी का तेल भी नहीं मिल रहा है इसलिए छात्रों के साथ जो उनके भविष्य का सवाल है और जो हाई स्कूल तथा इण्डटरमीडिएट की परीक्षायें दे रहें हैं वे तैयारी कैसे करेंगे, यह महत्वपूर्ण प्रश्न छात्रों के सामने खड़ा है। मान्यवर, मंत्री जी इसके पहले घोषणा कर चुके हैं और आज भी घोषणा करेंगे कि बिजली आपूर्ति में कटौती नहीं की जायेगी, इसलिए मैं आपका संरक्षण चाहता हूं कि जो भी घोषणायें मंत्री जी यहां करें और जो पहले घोषणा किया था उसका शत-प्रतिशत ऊर्जा मंत्री जी अपने अधिकारियों से पालन करायें। इसलिए इस अविलम्बनीय लोकमहत्व के प्रश्न पर मान्यवर मैं आपसे चर्चा कराने की मांग करता हूं।

* श्री राम औतार शाक्य-

मान्यवर, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे ऐसे महत्वपूर्ण विषय पर बोलने का समय दिया। मान्यवर, ऊर्जा मंत्री जी पावर मंत्री हैं और इसलिए उत्तर प्रदेश की सरकार और केन्द्र सरकार की कुन्जी उनके हाथ में है। मैं कहना चाहता हूं कि वह पावर के मंत्री जरूर हैं अनके पास पावर है लेकिन उनका नियंत्रण अपने

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

नोट :- (× × ×) यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

विभाग पर नहीं हैं। यदि उनके पास पावर है किन्तु विभाग पर नियंत्रण नहीं है जब कि मुलायम सिंह की सरकार जब थी तो उस समय 18 घन्टे बिजली देहातों में दी जाती थी।

मान्यवर, मैं ऊर्जा मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि जैसा कि सभी सदस्यों ने कहा है कि लाखों छात्र कल से परीक्षा देने जा रहें हैं और बाजार में मिट्टी का तेल मिल नहीं रहा है एवं बिजली की आपूर्ति नहीं की जा रही है, मान्यवर, मैं अपने जनपद मैनपुरी में अपनी विधानसभा क्षेत्र के सम्बन्ध में बताना चाहता हूं कि वहां 4 घन्टे भी बिजली नहीं आ रही है जिससे किसान और उद्योगपति तथा छात्र, कोई भी खुश नही हैं और समूचे उत्तर प्रदेश की जनता इससे नाखुश है। इसलिए मान्यवर, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि आप निर्देश दें कि बिजली की उपलब्धता सुनिश्चित की जाय जिससे छात्र अपनी पढ़ाई करके परीक्षायें दे सकें। मान्यवर, ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्न पर मैं चर्चा कराने की मांग करता हूं।

* नेता विरोधी दल-(श्री धनी राम वर्मा)-

श्रीमन्, यह प्रश्न बहुत गम्भीर, चिन्तनीय, लोकमहत्व और अविलम्बनीय है। गम्भीर और चिन्तनीय इसलिए है क्योंकि लगभग 35 लाख छात्रों का भविष्य इससे जुड़ा है। अविलम्बनीय इसलिए है कि परीक्षायें कल से प्रारम्भ हो रही हैं। इसके साथ ही यह प्रश्न यहां कई बार उठ चुका है लेकिन इस सम्बन्ध में माननीय ऊर्जा मंत्री जी ने कोई अपना ध्यान नहीं दिया है। मान्यवर, पिछले दिनों मैंने एक आग्रह किया था कि केवल इस परीक्षा के सम्बन्ध में लगभग एक महीने सायंकाल 7.00 बजे से 10.00 बजे तक और सुबह 3.00 बजे से 6.00 बजे तक ग्रामीण और शहरी, दोनों क्षेत्रों में विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित की जाय जिससे छात्र अपनी पढ़ाई लिखाई पूरी कर सकें और अपने पाठ्यक्रम और परीक्षा की तैयारी भली-भांति कर सकें। इसलिये माननीय मंत्री जी से अनुरोध करता हूं कि वह बिजली की आपूर्ति, जैसा कि उन्होंने कहा हैं, प्रातः 7 बजे से 10 बजे तक और सायं साढ़े तीन बजे से 6 बजे तक सुनिश्चित करायें। यह प्रश्न बहुत ही अविलम्बनीय है और लोक महत्व का है, छात्रों और किसानों के जीवन से जुड़ा हुआ है। आपसे अनुरोध है कि आप इस पर चर्चा करा दें।

* ऊर्जा मंत्री-(श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल)-

श्रीमन्, जिन माननीय सदस्यों ने इस प्रश्न पर चिन्ता व्यक्त की है, सभी माननीय सदस्य सदन के बुद्धिमान सदस्य हैं। मान्यवर, विद्युत की कमी प्रदेश में है, यह मैंने जब विद्युत विभाग का बजट प्रस्तुत किया था, उसी समय कहा था, इसके लिये हम लोगों को दोषी ठहराना किसी भी दशा में उचित नहीं होगा। श्रीमन् सभी सदस्य जानते हैं कि विद्युत की मांग मौसम के अनुसार होती है, जहां पर जैसी जलवायु है उसी के अनुकूल विद्युत की मांग होती है, विद्युत की मांग पीक आवर में

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

सबसे ज्यादा होती है, हमारी 5400 से 5500 मेगवाट बिजली की मांग है और जो हमारा उत्पादन हैं, तापीय 2400 मेगावाट, जलीय 800 मेगाबाट है और जो हम आयात करते हैं वह 1600 मेगावाट है, तो इस प्रकार से हमारे पास 6-7 सौ मेगाबाट बिजली की कमी रहती हैं और इसी कारण बिजली की कटौती करनी पड़ती है।

श्रीमन् यह सही है कि किसानों और छात्रों के सामने समस्या है, हम केन्द्र सरकार से कह रहें हैं कि जो उसका शेयर 2700 मेगावाट है, वह दें, अपना शेयर ड्रा करने के लिये वहां पर परमीशन नहीं मिल रही है। माननीय पाल जी ने कहा कि 59 प्रतिशत उद्योगों में बिजली की कटौती कर रहें हैं, लेकिन चूंकि इस समय किसान और छात्रों को प्राथमिकता के आधार पर बिजली देनी है, इस प्रकार का निर्णय लिया गया है कि पीक आवर्स में शाम को उद्योगों की बिजली में कटौती की जायेगी और किसानों और छात्रों को बिजली की आपूर्ति की जायेगी। श्रीमन् हम बराबर केन्द्र सरकार पर दबाव बनाये हुये हैं। हमारी 500 मेगावाट की इकाई क्षतिग्रस्त हो गयी है, उसके लिये जापान के इन्जीनियर्स ने लिखकर दिया है कि 28 तारीख तक ठीक कर देगें, तो उसका भी उत्पादन शुरू हो जायेगा। केन्द्रीय ऊर्जा मंत्री से बात हो रही है और इस समस्या को दूर करने का हम प्रयास कर रहें हैं और हमारा प्रयास है कि शाम को बिजली की कटौती न हो, जिससे किसानों और छात्रों को सुविधा दी जा सके।.....

लेकिन मौजूदा परिस्थिति में हमारे सामने गम्भीर संकट है। सरकार ने निर्णय लिया है कि शहरों में जिनके पास रसोई गैस है उनके देय मिट्टी के तेल में से कटौती करके गांव में 5 लीटर से 10 लीटर तक मिट्टी का तेल पहुंचाने की घोषणा की है जिससे कि गांव के छात्रों को बिजली की अनुपस्थिति में रोशनी मिलती रहें। हमने जो कहा है उसको किया है। कई माननीय सदस्यों ने हमसे इस्तीफा भी मांगा है, यह उनका अधिकार है। उनको हमारी सरकार की जागरूकता को देखना चाहिए। आपने जितना बर्बाद किया है हम उसको लाइन पर ला रहें है। यह सरकार छात्रों और किसानों के हित में काम कर रही है।

* श्री जगदम्बिका पाल-

मान्यवर, सदन में इससे ज्यादा कोई महत्वूपर्ण विषय नहीं है। माननीय मंत्री जी ने अभी स्वयं स्वीकार किया है कि इस समय सबसे ज्यादा आवश्यकता पीक आवर सुबह और शाम को बिजली की है। इन्होंने शाम को बिजली देने की घोषणा की है यह घोषणा यह इससे पूर्व भी कर चुके है। यह कैसे सुनिश्चित करेंगे कि बिजली के अन्य जगहों से कटौती कर शाम को गांव में बिजली प्रदान करेंगे। मान्यवर बोर्ड की परीक्षायें कल से हो रहीं है। अगर उनको छात्रों के भविष्य की चिन्ता है तो सुबह भी बिजली देने की कोई व्यवस्था क्यों नहीं करते। चाहे वे

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

बिजली आयात करके ही करें लेकिन गांव के छात्रों को बिजली अवश्य प्रदान करें, यह उनके भविष्य का सवाल है। सुबह भी गांव के छात्र-छात्राओं को बिजली दें।

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल-

श्रीमान हमने पूरी बात इनके सामनें रख दी है। हमने एनटीपीसी से बिजली के लिए स्पष्ट कहा है कि वह हमें अतिरिक्त बिजली दे। केन्द्र सरकार ने 40 करोड़ रूपये इसके लिए दिये है। हमने कहा है कि हम 24 घंटे शहर में, 10 घण्टे गांव में और 5 घण्टे तहसील में बिजली देंगे।

श्री धनीराम वर्मा-

श्रीमान मैंने एक स्पष्ट सी मांग रखी है और वह है कि गांवों में केवल शाम को 7-10 बजे तक और सुबह 3-6 बजे तक तब बिजली उपलब्ध करा दी जाये। क्या माननीय मंत्री जी बिजली की इस आपूर्ति को सुनिश्चित करेंगे। मेरा केवल इतना सा ही प्रश्न है।

श्री नरेश चन्द्र अगवाल-

मान्यवर, मैंने माननीय नेता प्रतिपक्ष को बताया है कि पीक आवर में 15 प्रतिशत विद्युत की कमी होती है। इसलिए हमने उद्योगों की बिजली में कटौती की हैं। जिससे छात्र पढ़ सके। जहां तक सुबह की बिजली का प्रश्न है 28 तारीख तक हम उस कटौती को अतिरिक्त कर गांवों में सुबह की बिजली प्रदान कर देंगे।

श्री अध्यक्ष-

माननीय सदस्यों और माननीय ऊर्जा मंत्री को सुनने के पश्चात यह सूचना निरस्त करता हूं।

(शोर)

श्री जगदम्बिका पाल-

मान्यवर यह गम्भीर विषय है इस पर सदन की कार्यवाही रोककर चर्चा कराई जाये।

(शोर)

(श्री जगदम्बिका पाल अपने दल के सदस्यों के साथ सदन त्यागकर बाहर चले गये)।

श्री धनीराम वर्मा-

मान्यवर यह छात्रों के भविष्य का सवाल है। मैं सरकार की इस विरोधी नीति के विरोध में सदन त्यांग करता हूं।

(शोर)

(नेता विरोधी दल अपने दल के सदस्यों के साथ सदन त्यागकर चले गये)

श्री रामजग-

मान्यवर, मैं इस छात्र-किसान विरोधी नीति के विरोध में सदन त्याग करता हूं।

(श्री रामजग अपने दल के सदस्यों सहित सदन त्याग कर चले गये।)

श्री सुभाष चन्द्र श्रीवास्तव-

मान्यवर, यह सरकार छात्र विरोधी है, किसान विरोधी है। यह सरकार अपने दायित्व से मुकर रही है। इसलिए मैं अपने दल के साथ इस सदन का बहिष्कार करता हूं।

(श्री सुभाष चन्द्र श्रीवास्तव अपने दल के सदस्यों के साथ सदन त्याग कर चले गये)।

श्री कौकब हमीद-

मान्यवर, न बिजली आ रही है और न यह सरकार चिन्तित् है। हम इस पर सदन का बहिष्कार करते हैं।

(श्री कौकब हमीद अपने दल के सदस्यों के साथ सदन त्याग कर चले गये।)

* कुंवर रेवती रमण सिंह-

माननीय अध्यक्ष जी, पांचवे वेतन आयोग की सिफारिशें लागू होने के बाद मान्यवर, इस सरकार ने बजाज कमेटी गठित की थी। मान्यवर,बजाज कमेटी ने अपनी रिपोर्ट दे दी। बजाज कमेटी की रिपोर्ट आने के बाद मान्यवर, सरकार ने पांचवे वेतन आयोग को लागू कर दिया। लेकिन मान्यवर, उसी के साथ-साथ केन्द्र सरकार के समान वेतन तो राज्य कर्मचारियों को दे दिया, लेकिन मान्यवर वहीं जो अन्य संस्तुतियां हैं, विभिन्न भत्तों की, सिटी एलाउन्स की, मकान की, रिस्क एलाउन्स की और बहुत तरह की संस्तुतियां थी। मान्यवर, एक विसंगति और कर दी गयी, वह कर्मचारी जो सिक्योरिटी में लगे हुए हैं। जो पुलिस कर्मी मुख्यमंत्री जी के साथ लगे हुए हैं, उन अपने साथ लगे हुए सुरक्षा कर्मियों को वेतन का 1/2 रिस्क एलाउन्स दे दिया, लेकिन सुरक्षा में लगे हुए अन्य सुरक्षा कर्मियों को रिस्क एलाउन्स नहीं दिया गया।

मान्यवर, इसी प्रकार जो बोनस जी0पी0एफ में सरकार ने जमा भी नहीं किया है, इससे कर्मचारियों में घोर असंतोष है, उन्होंने नोटिस दिया हुआ है कि तत्काल कार्यवाही नहीं हुई तो वे हड़ताल पर चले जायेंगे। यह अविलम्बनीय, तत्काल,लोकमहत्व का प्रश्न है, मैं चाहूंगा कि कार्यवाही रोककर इस पर चर्चा करायी जाये।

श्री अम्बरीष कुमार-

माननीय अध्यक्ष जी, जैसा कुंवर साहब ने अभी कहा श्रमिको ने एक लम्बे संघर्ष के बाद मान्यवर, 1969 और 70 में आवश्यकता अनुसार वेतन दिए जाने की अपनी मांग को राष्ट्रीय स्तर पर स्वीकार कराया था और इसके लिए एक व्यवस्था भी निर्धारित हुई थी कि एक निर्धारित समय के बाद वेतन आयोग का गठन होगा जो उस अवधि के दौरान जो मंहगाई और दूसरे सभी कारकों को ध्यान में रखते हुए विचार

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

करेगी और उसी व्यवस्था के अन्तर्गत यह पंचम् वेतन आयोग गठित हुआ। पंचम वेतन आयोग की रिपोर्ट आई। रिपोर्ट पर राज्य सरकार ने बजाज समिति गठित की, बजाज समिति ने भी अपनी रिपोर्ट दी। राज्य सरकार ने जो वेतन सम्बन्धित बजाज समिति की सिफारिशें थी, उनको लागू कर दिया, जैसा कुंवर साहब आपके संज्ञान में ला चुके हैं। जो भत्ते देने थे, उस संस्तुति को राज्य सरकार ने अभी स्वीकार नहीं किया है और जैसा अभी माननीय कुंवर साहब ने आपको बताया कि माननीय मुख्यमंत्री जी की सुरक्षा में जो कर्मचारी लगे हैं, उनके वेतन का 1/2 रिक्स एलाउन्स दे दिया। मान्यवर, यह संविधान के अनुच्छेद-14 का स्पष्ट उल्लंघन है। मान्यवर, एक तरफ मुख्यमंत्री की सुरक्षा में लगे हुए सुरक्षा कर्मियों को उनके वेतन का आधा रिस्क एलाउन्स के रूप में दिया जाये और दूसरी तरफ वे सुरक्षा कर्मी जो मान्यवर, आपकी सुरक्षा में लगे हैं, माननीय मंत्री जी की सुरक्षा में लगे हैं, विधायकों की सुरक्षा में लगे हैं या अधिकारियों की सुरक्षा में लगे हैं, एक ही कार्य कर रहे हैं, जबकि मुख्यमंत्री जी के यहां 8 घण्टे की ड्यूटी होती है और दूसरी जगह 24 घण्टे की है।

श्री अम्बरीष कुमार-

जो स्पष्ट रूप से इस संविधान के अनुच्छेद 14 का उल्लंघन है जिसमें विधि के समक्ष समता का अधिकार हमारे कर्मचारियों को दिया गया है। मैं आप से एक निवेदन और करना चाहता हूं कि जिस प्रकार से सरकार ने प्रतिबन्ध लगाया है अगर वेतन न बढ़ायें गये तो मंहगाई को आधार मानकर जो वेतन मिलेगा जैसा कि सुप्रीम कोर्ट ने विंग वेजेज कहा है उसको सरकार डाइंग वेजेज कर रही है।

मान्यवर मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि सरकार इस पर विचार करे और भत्तों को लागू करने के लिए कार्यवाही करे। इसके साथ ही मैं सदन की कर्यवाही रोक कर चर्चा कराने की मांग करता हूं।

पंजीयन, मनोरंजनकर, स्टाम्प एवं न्यायालय शुल्क तथा खाद्य एवं रसद संसदीय कार्यमंत्री-(श्री हुकुम सिंह)-

मान्यवर, तीन प्रकार के भत्ते एवं वेतन हैं और तीनों की श्रेणियां अलग-अलग हैं। प्रदेश सरकार ने केन्द्र की भांति वेतन का पुनरीक्षण किया और मंहगाई भत्ता भी जोड़ा। जिस प्रकार से बजाज कमेटी की रिपोर्ट आयी थी उसके अनुरूप दिया जा रहा है। दूसरे समयबद्ध वेतनमान और चयन वेतनमान, यह मामला बजाज कमेटी के समक्ष विचाराधीन है। समिति ने अवगत कराया है कि केन्द्र सरकार में भी कोई निर्णय नहीं हुआ। केन्द्र सरकार और प्रदेश सरकार के समयबद्ध वेतनमान और चयन वेतनमान में अन्तर है। जहां तक हाऊस एलाउन्स की बात है, मकान किराया भत्ता, प्रतिनियुक्ति भत्ता, उसके बारे में समिति की रिपोर्ट आयी थी हमने विचार किया और कुछ जानकारी मांगी है और जानकारी आने पर इस सम्बन्ध में निर्णय ले लिया जायेगा। जानबूझकर एक प्रकरण को कि मुख्यमंत्री के यहां कुछ कर्मी लगे हुये हैं

उनको अतिरिक्त वेतन दिया गया है, न बजाज कमेटी से किसी तरह से इसका मतलब है और न यह उसमें विचाराधीन है।

सरकार ने यह देखते हुए कि कोई विशेष प्रकृति की सेवा कर रहा है तो उसको अतिरिक्त फायदा दिया जाता है, हर जगह ऐसी स्थिति है। हमारे विधान सभा सचिवालय में काम करने वाले 10, बजे तक बैठकर काम करते हैं और विशेष प्रकार की सेवा करते हैं इनको अलग से वेतन मिलता है। मैं कहना चाहता हूं मेरे कार्यालय में लोग 7 बजे आ जाते हैं और 11 बजे तक बैठते हैं उनको तो अनुमन्य नहीं है। विशेष प्रकार का काम करने के लिए विशेष प्रकार के वेतन की सुविधा दी गयी है। आपने जो योजनाबद्ध तरीके से प्रकरण में मुख्यमंत्री के सुरक्षा कर्मियों को घसीट कर भ्रमपैदा करने का प्रयास किया है वह ठीक नहीं है। जहां तक बजाज समिति की बात है, उस सम्बन्ध में मैंने बता दिया है। मान्यवर, यह प्रकरण न तो अविलम्बनीय है और यह एक सतत् प्रक्रिया चल रही है, इसलिए कार्य स्थगन के रूप में इसको स्वीकार न करें।

श्री अध्यक्ष-

इस सूचना पर कुंवर रेवती रमण सिंह, श्री अम्बरीष कुमार एवं संसदीय कार्य मंत्री को सुनने के पश्चात् में समझता हूं कि नियम 56 के अन्तर्गत यह स्वीकार करने योग्य नहीं है, इसलिए मैं इसको अस्वीकार करता हूं।

* श्री नरेन्द्र सिंह भाटी-

मान्यवर, आपने इस अविलम्बनीय लोक महत्व के प्रश्न पर बोलने का मौका दिया, इसके लिए मैं आपका आभारी हूं। हमारे यहां ग्रेटर नोएडा, जनपद-गौतमबुद्ध नगर में पर्याप्त इंजीनियर और प्रशासनिक अधिकारी हैं लेकिन वहां पर विभिन्न विभागों से ही नहीं बल्कि विभिन्न प्रान्तों से भी लोगों को आयात किया जा रहा है। ग्रेटर नोएडा में प्रतिनियुक्ति पर एक-एक वर्ष के लिए आते हैं और यहीं पर जम कर रह जाते है इसके लिए बहुत मोटी रकम देकर अधिकारियों और सरकार में बैठे उच्च पदों के लोगों से तालमेल कर यह लोग अपना संविलियन कराने में सफल हो जाते हैं।

जबकि ग्रेटर नोयडा में संविलेयन प्रक्रिया पर माननीय उच्च न्यायालय का आदेश है की अग्रिम आदेशों तक न किया जाये। इसके बावजूद भी कार्यवाही की जा रही है जिससे वहां के कर्मचारियों में भारी रोष है। वहां के यूनियन की सारी चिट्ठियां मेरे पास हैं, आप कहें तो मैं आपके पास भेज दूं। श्रीमन्, ग्रेटर नोयडा के चेयरमैन और वंहां के कर्मचारियों में एक समझौता हुआ, यह तय हुआ कि 31.12.98 तक यह लोग जो हैं उन्हें वापस कर दिया जायेगा। जो प्रबन्धक गोवा, मुम्बई पोर्ट ट्रस्ट के हैं या एम0सी0डी0 और सी0पी0डब्लू0डी0 से आये हुये हैं वह कुचेष्टा यहीं संवलियन कराने की कर रहें हैं, उनकों पूरा होने नहीं दिया जायेगा और वापस अपने-अपने विभागों में भेज दिया जायेगा। लेकिन आज 31 मार्च, 1999 खत्म होने जा रहा है।

मेरी निजी जानकारी है उन्हें वापस भेजे जाने की मन्शा नहीं है। उनकी यहां लखनऊ में पत्रावली चल रही है। उनकी वहां संविलियन करके आजीवन भ्रष्टाचार और लूट करने की इनकी मंशा है। जो लोग प्रतिनियुक्ति पर आये हुये हैं उनका न तो कोई लगाव रोजमर्रा के कार्यो से हैं और न क्षेत्र के विकास से है। अपने रख-रखाव कहीं न कहीं से अच्छे सेक्टर में प्लाट आंवटन करना चाहते हैं, वह चाहते हैं कि उनके बच्चे डी0पी0एस0 व अन्य अच्छे विद्यालयों में उच्च शिक्षा प्राप्त करें और इस क्षेत्र में लूट-पाट करें तथा पैसों को गोवा और मुम्बई भेजते रहें। मान्यवर, वहां के कर्मचारियों और ग्रेटर नोंयडा के चेयरमैन के बीच समझौता हुआ था कि हम जो बाहर से आये हुये हैं उनहें वापस करेंगे। इससे पहले वहां के कर्मचारियों ने हड़ताल कर दी थी, काम बंद कर दिया था। बाहर के लोगों के वहां रहने से यहां के कर्मचारियों की प्रोन्नति प्रभावित हो रही है।

जिन लोगों को प्रोन्नति मिलनी चाहिए उन्हें प्रोन्नति नहीं मिली और गोवा,मुम्बई पोर्ट ट्रस्ट, सी0पी0डब्लू0डी0व एम0सी0डी0 से लाकर लोगों को बैठा दिया। एक वर्ष के लिए आये थे लेकिन इनका समय बढ़ता गया। एम0पी0 मिश्रा, मैनेजर सिविल से 30.8.97 से, आशुतोष गौतम 5.4.94 ए0के0 भटनागर 6.4.93 से वी0के0गोविल 8-7-92 हैं। यह सब गोवा व अन्य जगहों से आये हुये हैं और हमारे यहां के लोगों की प्रोन्नति को प्रभावित कर रहे हैं। यह अविलम्बनीय लोक महत्व का प्रश्न है। आप जब जबाव दें तो स्पष्ट करें कि वहां के लोगों का उत्पीड़न रोका जाये। मान्यवर, एस0सी0 श्रीवास्तव वहीं से रिटायर हुये हैं और वहीं कन्सल्टैंट रख लिया। 3 करोड़ रुपये का फण्ड भी डाल दिया। कोई नियम नहीं है मनमर्जी तरीके से रख लेते हैं, कितना पैसा निकाल लेते हैं या कुछ पता नहीं चलाता है, सरकार को नुकसान भी होता है। अति अविलम्बनीय और लोक महत्व के प्रश्न पर चाहूंगा कि सारे नियमों को शिथिल करते हुये चर्चा करा दी जाये।

श्री हुकुम सिंह-

यह बात सही है कि अधिकारी किसी न किसी नियम का सहारा ले कर के ग्रेटर नोयडा में आये। वर्तमान सरकार ने थोड़ा सा प्रयास किया भी क्योंकि जो सूची दी है, हर एक के बारे में टिप्पणी की। एक अधिकारी का विशेष रूप से आपने उल्लेख किया है। एक अधिकारी रिज़वी हैं, 23.8.98 तक शासनादेश द्वारा रखा गया था।.....

शासन ने आदेश करके इनका आमेलन समाप्त कर दिया यह हाईकोर्ट चले गए और वहां से स्टे ले आए। एक ऐसी स्थिति बन गई कि अगर किसी को हटाना भी चाहें तो नहीं हटा सकते हैं क्योंकि संविधान से ऊपर उठकर तो किसी को हटाया नहीं जा सकता है। वहां पर रहने का इतना अधिक आकर्षण है कि लोग कोर्ट चले जाते हैं लेकिन जो बात कही गई जिस अवधि में यह अधिकारी आये जिसका उल्लेख माननीय सदस्य ने किया है वास्तव में उस अवधि की सरकारों से जनता यह सवाल जरूर करेगी कि आपने गोवा, बम्बई से लाकर क्यों नियुक्त किया? क्या ऐसे योग्य अधिकारी

उत्तर प्रदेश में उपलब्ध नहीं थे। हम तो प्रयासरत हैं कि जिनको वहां रहने का अधिकार नहीं है उनको वहां नहीं रहना चाहिए इसके लिए एक अधिकारी को हटाने का प्रयास भी किया लेकिन वह कोर्ट चले गए और उच्च न्यायालय से स्टै ले आए। मैं पुनः आश्वस्त करता हूं कि इसका परीक्षण कर रहें हैं और परीक्षण के उपरान्त हमारा यह प्रयास होगा और प्रभावी प्रयास होगा कि जिन अधिकारियों को वहां नहीं रहना चाहिए उनको वहां न रखा जाए।

श्री नरेन्द्र सिंह भाटी-

माननीय संसदीय कार्यमंत्री जी ने जो आश्वासन दिया है उससे मैं सहमत हूं। लेकिन मैंने जिन लोगों के नाम लिए हैं उनको यही सरकार मोटी रकम लेकर इनका आमेलन कर देना चाहती है।

श्री अध्यक्ष-

प्रस्तुत सूचना पर माननीय सदस्य और संसदीय कार्यमंत्री को सुनने के उपरान्त इस सूचना को निरस्त करता हूं।

अगली सूचना श्री विनोद मणि की है।

सेल फोन कहीं बज रहा है। यह सेल फोन चाहे सदन में बज रहा हो या दर्शक दीर्घ में इसको लाकर यहां रख दिया जाए जब तक आज सदन की कार्यवाही चले यह यहीं रखा रहे।

श्री विनोद मणि-

माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने इस अविलम्बनीय और लोक महत्व के प्रश्न पर मुझे बोलने का अवसर दिया इसके लिए मैं आपका आभारी हूं। यह अविलम्बनीय लोकमहत्व इसलिए है कि उत्तर प्रदेश के 10 करोड़ किसानों भूमि हीनों से जुड़ा हुआ सवाल है। यह बेरोजगार को दो हाथों में काम देने से जुड़ा हुआ है। आज़ादी के 50 साल बाद भी भूमि सुधार कानून, भूमि हदबन्दी कानून का सही ढंग से उपयोग नहीं हुआ है। जिसके नाते प्रदेश के तमाम भूमिहीन किसानों को खेती के लिए भूमि मिलनी चाहिए थी वह नहीं मिली, उत्तर प्रदेश में 70.5 प्रतिशत खातेदार ऐसे हैं जिनके पास सवा एकड़ से ढाई एकड़ तक कृषि योग्य भूमि है। जो कुल कृषि योग्य भूमि का 25.1 प्रतिशत है। दूसरी तरफ साढ़े बारह एकड़ से ऊपर के खातेदारों की संख्या 4 लाख 5 हजार मात्र है उनके कब्जे में कृषि योग्य भूमि 90 लाख 34 हजार एकड़ है। देश के सीलिंग कानून द्वारा कुछ जमीन भूमिहीन किसानों को दिलाई गई उसके बाद भी 11 लाख हेक्टेएयर भूमि बच गई।

मान्यवर, मैं एक बात और आपके संज्ञान में लाना चाहता हूं कि देश और प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार सीलिंग की सीमा का समाप्त करने जा रही है और शहरी सीमा में भी सीलिंग ऐक्ट को हटाने जा रही है। उत्तर प्रदेश 1 करोड़ 9 लाख 69 हजार एकड़ कृषि योग्य भूमि जो ग्राम सभा, बंजर भूमि है, उस पर सामन्ती लोगों ने कब्जा किया हुआ है और सरकार उस जमीन को गरीबों में बांटना नहीं

चाहती है। यह सरकार किसान विरोधी है। ।। करोड़ भूमिहीन किसानों से जुड़ा हुआ यह सवाल है। यदि सरकार कोई कानून बनाती है तो उसके पालन की जिम्मेदारी भी सरकार की होती है। सीलिंग ऐक्ट को बने हुए इतने वर्ष बीत गये है परन्तु आज भी वह जमीन मठों के नाम पर, मंदिर के नाम पर और बेनामी सम्पत्ति के नाम पर बड़े-बड़े लोग उसे छिपाये हुए हैं। यदि इस बंजर भूमि को और परती भूमि को बेरोजगार नवजवानों को दिया जायेगा तो इससे बाजार की क्रय शक्ति भी बढ़ेगी और औद्योगिक प्रगति भी होगी। इसलिये इस अविलम्बनीय लोक महत्व के प्रश्न पर चर्चा करायी जाय।

श्री हुकुम सिंह-

मान्यवर, प्रयास करने के बाद भी मैं यह नहीं समझ पाया कि माननीय सदस्य की शिकायत क्या है। दो प्रकार की सीलिंग है। एक अरबन एरिया की और दूसरी ग्रामीण क्षेत्र की । साढ़े बारह एकड़ की सीलिंग तो है नहीं। मैक्सिमम 18 एकड़ की है वह भी वहां जहां दो सिंचाई होती है और जहां एक सिंचाई होती है, उसका डेढ़ गुना हो जाता है। जिस प्रतिबन्ध की बात माननीय सदस्य कह रहे हैं, जमींदारी एबोलिशन ऐक्ट में यह है कि साढ़े बारह एकड़ यदि है तो उसके अतिरिक्त क्रय नहीं किया जा सकता है। अब जो वह । करोड़ 2 करोड़ की बात कह रहे हैं, वह मैं नही समझ पाया। केन्द्रीय स्तर पर सारा परीक्षण किया गया और परीक्षण के उपरान्त यह जानकारी में आया कि इस ऐक्ट का कोई प्रभाव गरीबों के ऊपर नहीं हो रहा है और गरीबों को कोई फायदा नहीं हो रहा है बल्कि प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है। गरीबों के मकान बनाने हेतु जो डेवलपमेंट एक्टिविटी होनी चाहिये थी, वह सारी की सारी बाधित हो रही है। (इस समय । बजकर 42 मिनट पर अधिवक्ता डा0 सरजीत सिंह डंग पीठासीन हुए) इसी कारण से यह निर्णय लिया गया। जिन लोगों पर इस कानून को क्रियान्वित करने का भार डाला गया था, वही लोग उससे फायदा लेने लगे और इस ऐक्ट के बनने से पहले ही अपनी जमीन का फर्जी स्थानान्तरण कर चुके थे, जिसके कारण हम उनको नियमों की परिधि में नहीं ला पा रहे थे और अदालत तक नहीं खींच पा रहे थे और विकास कार्य ठप्प हो गये थे। इसलिये केन्द्रीय स्तर पर निर्णय लिया गया और प्रदेश सरकार ने भी उससे सहमति व्यक्त की। जहां तक कृषि भूमि हदबन्दी का सवाल है पूरे हिन्दुस्तान में उत्तर प्रदेश एक ऐसा प्रदेश है जहां पर हदबन्दी को बहुत जिम्मेदारी के साथ लागू किया गया, इतना तो पश्चिम बंगाल में लागू नहीं किया गया।

* श्री विनोद मणि-

मान्यवर, उत्तर प्रदेश में ।। लाख हैक्टेयर कृषि योग्य भूमि है। परती भूमि 10 लाख 94 हजार हैक्टेयर है और अन्य परती भूमि 8 लाख 38 हजार है। कुल मिलाकर 75 लाख 60 हजार जो भूमि है, क्या सरकार ने इसे गरीबों में बांट दिया है। और दूसरी बात संसदीय कार्य मंत्री जी ने कहा कि बंगाल की सरकार ने नहीं किया। मान्यवर, भारत सरकार क्या पूरे देश का रिकार्ड है इस कानून के बनने के बाद जितनी जमीन बची उसका 25 प्रतिशत से ज्यादा हिस्सा बंगाल सरकार ने बांटा है।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

किसी भी अन्य प्रदेश की सरकार ने नहीं किया है। हम कहना चाहते हैं आपके माध्यम से कि 1981 की जनगणना के बाद ऊसर जमीन का रिकार्ड सरकार ने जनता के सामने रखा उसमें से कितनी जमीन सरकार ने भूमिहीनों, किसानों में बांट दी है।

श्री हुकुम सिंह-

मैं नहीं समझ पाता की कोई शब्द ऐसा कहना चाहिए जो असंसदीय हो। आपने कहा कि उत्तर प्रदेश सरकार ने इस कानून को लागू नहीं किया। इनको तो पश्चिम बंगाल नजर आता है या उससे कुछ आगे का नजर आने लगता है।

(श्री विनोद मणि के बोलने के लिये खड़े होने पर)

श्री अधिष्ठाता-

विनोद मणि जी कम से कम संसदीय प्रणाली में सहिष्णुता से सुनने का काम करें। मंत्री जी खड़े हैं उत्तर दे रहे हैं, उनकी बात तो सुन लीजिये।

श्री हुकुम सिंह-

एक व्यक्ति/परिवार को 18 एकड़ से ज्यादा जमीन रखने का अधिकार नहीं है। अगर 6,8,10 लोग मिलकर खेती कर रहे हैं और कानूनी परिस्थिति में कार्यवाही चल रही है तो चाहे मणि जी हों या अन्य कोई भी नाराज हों तो उसका बल नहीं बनता। 1981 में जनगणना भूमि की नहीं हुई थी वह तो सीलिंग एक्ट से या चकबन्दी चलती है या जो बन्दोबस्त होता है उसके अनुसार जानकारी मिलती है। यह 1981 की जनगणना के आधार पर जमीन की बात कह रहे हैं। मैं समझ नहीं पाया यह कह रहे हैं कि पश्चिम बंगाल की सरकार ने किया। मैं बल देते हुए कहता हूं कि उत्तर प्रदेश सरकार ने हदबन्दी कानून को पूरी निष्ठा के साथ में लागू किया है। पूरे भारत में हमने आदर्श व्यवस्था लागू की है आपके समर्थन से जो हालत पड़ोस के प्रदेश की हो रही है। कोई हदबन्दी कानून लागू नहीं हुआ है। कितना खून खराबा वहां हो रहा है। आपको तो उत्तर प्रदेश सरकार को बधाई देनी चाहिए थी।

श्री विनोद मणि-

उत्तर प्रदेश के बाहर की सरकारों ने लागू किया है। संसदीय कार्य मंत्री जी ने बंगाल की सरकार का जिक्र किया है। हम भी मान्यवर, जवाब दे दें।

श्री अधिष्ठाता-

मैंने आपको ग्राह्यता पर सुन लिया है। अब मैं अनुमति नहीं दे रहा हूं। यह चर्चा नहीं हो रही है।

श्री विनोद मणि-

माननीय मंत्री जी तथ्यों से अलग हटकर जवाब दे रहे हैं। इनके उत्तर से भूमिहीनों के विरोधी होने की बू आ रही है। यह पूंजी पतियों को समर्थन देते हैं। हम और हमारा दल इसके विरोध में सदन का बहिष्कार करते हैं।

(श्री विनोद मणि अपने दल के सदस्यों सहित सदन त्यागकर चले गये।)

श्री अधिष्ठाता-

श्री विनोद मणि व संसदीय कार्य मंत्री को सुनने के पश्चात् मैं इस सूचना को निरस्त करता हूं। अगली सूचना श्री राम चन्द्र यादव की है।

श्री रामचन्द्र यादव-

मान्यवर, आपने मुझे इस अविलम्बनीय लोक महत्व के सवाल पर बोलने का अवसर प्रदान किया इसके लिए मैं आपका आभारी हूं। मान्यवर, मेरे विधान सभा क्षेत्र में आचार्य नरेन्द्र देव कृषि एवं प्रोद्योगिक विश्वविद्यालय कुमारगंज फैजाबाद जहां 1975 से लेकर 1999 तक लगातार 1200 दैनिक श्रमिक कार्य कर रहे हैं। जब से इस प्रदेश में भारतीय जनता पाटी की हुकूमत आई है हमारे उस क्षेत्र का, जो देश में और प्रदेश में विश्वविद्यालय अच्छा कार्य कर रहा है जहां के दैनिक श्रमिक रात-दिन पसीना बहाकर वहां के वन को हराभरा किए हैं, वर्तमान हुकूमत ने पूरे 1200 श्रमिकों को भुखमरी के कगार पर खड़ा कर दिया है वहां के श्रमिक जिनकी जमीन लेकर के विश्वविद्यालय की स्थापना की गई दस हजार एकड़ पर स्थापना की गई। वहां के 15-20 गांव थे जिनकी जमीन थी, और उसको अधिग्रहीत करके विश्वविद्यालय की स्थापना की गई है आज वहां के दैनिक श्रमिक भुखमरी के कगार पर हैं वहां के श्रमिकों को केवल 4-5 दिन काम दिया जा रहा है।मैं उस क्षेत्र से चुनकर आया हूं निश्चित तौर पर मेरी जानकारी है कि दैनिक श्रमिक आन्दोलन करने के मूड में हैं आज जिस तरह से शासनादेश होने के बावजूद जिन किसानों की जमीन ली गई है और यूनिवर्सिटी की स्थापना की गई उनको काम नहीं दिया जा रहा है और बाहर के लोगों को भर्ती किया जा रहा है। और वहां कार्यरत लोगों को निकालने की कार्यवाही की जा रही है 200 लोगों को निकालकर घर बैठा दिया है।

मान्यवर, 15 अक्टूबर 1991 को उत्तम चन्द्र उपाध्याय कुलपति ने जो वहां के यूनियन के नेताओं के साथ उनकें और कुलपति के बीच में समझौता हुआ था लेकिन वर्तमान कुलपति और आपका यूनिवर्सिटी प्रशासन जो है उन्होंने उस निर्णय को निष्प्रभावी कर दिया है और फिर से उनको नोटिस दे रहे हैं उनको निकालने की कार्यवाही कर रहे हैं जो 31 अक्टूबर, 1996 को शासनादेश हुआ है उसमें विश्वविद्यालय में काम करने वाले जो लोग हैं पूरे प्रदेश में यूनिवर्सिटी में कृषि नियोजन के संबंध में मजदूरी करते हैं उनको 47 रुपये मजदूरी दी जा रही है। उस विश्वविद्यालय में मान्यवर दो तरह की व्यवस्था की गई है उसमें जो बड़े पदों पर बैठते हैं बड़े अधिकारी हैं विभागाध्यक्ष हैं उनके नाते रिश्तेदार को 50 से 100 रुपये तक मजदूरी दी जाती है और जो फावड़ा चलाते हैं जो वन खोदकर हरा-भरा किए हुए हैं उनको 45-46 रुपये मजदूरी दी जाती है इसमें विभाग का शासनादेश जो हैं उसका पालन नहीं किया जा रहा है। 1996 में विश्वविद्यालय के श्रमिकों और पदाधिकारियों के साथ जो ज्येष्ठता सूची सुनिश्चित हुई जिस तरह से 1200 श्रमिक 1975 से 1999 तक कार्य कर रहे हैं, कितने श्रमिक 1975 में लगे कितने 1978 में कितने 1986 में कितने 1998-99 तक लगे उनकी ज्येष्ठता सूची तैयार की गई है। वहां नियुक्ति की कार्यवाही हो रही है वहां सूची जो 16 जून, 1996 को कौशल किशोर हैं प्रशासनिक अधिकारी ने जारी किया।

श्री अधिष्ठाता-

आप ज्येष्ठता सूची की या श्रेष्ठता सूची किसकी बात कह रहे हैं।

श्री रामचन्द्र यादव-

1200 श्रमिकों के बारे में प्रशासन के साथ तय किया गया था, उस पर कायम नहीं हैं दैनिक श्रमिक लोगों का एक प्रतिशत प्रतिनिधित्व नहीं रह गया है...मेरी आपसे विनती है, सरकार से विनती है जो विश्वविद्यालय में कार्यरत 1200 मजदूर हैं, जिनको 26 दिन काम करने के लिए उस समय के कुलपति महोदय ने आदेश दिये थे, उसका अनुपालन किया जाय और जो निकाल दिये गये हैं उनको पुनः कार्य पर लगाया जाय। जो नियुक्ति हो रही है उसमें 1200 दैनिक वेतनभोगियों का प्रतिशत तय कर दिया जाय, जो नियुक्ति में प्रक्रिया अपनायी गयी है उसमें उनको प्राथमिकता दी जाय। आज वहां पर 386 पद रिक्त पड़े हैं जिसका विश्चविद्यालय प्रशासन ने खुलासा किया है, जो 1200 लोग हैं, उनकी ज्येष्ठता सूची बनी है, उसमें वह समायोजित करने के लिए मांग कर रहे हैं। यह अति-महत्व का है और उस इलाके के लिए अविलम्बनीय है। इसलिए मेरा अनुरोध है कि इसमें सारे सदन की कार्यवाही रोककर चर्चा करायी जाय। और जो मुख्य बिन्दु मैंने बताये हैं उस पर माननीय मंत्री जी विचार करें।

श्री हुकुम सिंह-

मान्यवर, श्रम विभाग की जो नीति है, जो निर्देश हैं उसका कड़ाई के साथ पालन किया जा रहा है। जो ज्येष्ठता सूची की बात कही गयी है, हमें यह भी समझना चाहिए कि हमें संस्थाओं के अधिकारों को समेटकर अपने आप में समाहित नहीं करना चाहिए। विश्वविद्यालय एक स्वायत्तशासी संस्था है। उनका एक्ट बना हुआ है उसके अंतर्गत उनका गठन हुआ है। उनके उस एक्ट के अंतर्गत अधिकार भी निर्धारित है। सरकार और शासन को यह अधिकार नहीं है कि वह उनके अधिकारों का अतिक्रमण करें। वहां पर जो भी पद रिक्त हैं और उसमें पदोन्नति करने का अधिकार उनके कार्य क्षेत्र में हैं। यह अविलम्बनीय प्रश्न नहीं है इसलिए मेरी आग्रह है कि इसको निरस्त किया जाय।

श्री राम चन्द्र यादव-

मान्यवर, इस समय भर्ती होने जा रही है। मेरी जानकारी है कि भर्ती की प्रक्रिया शुरू हो गयी है। उसमें आप की तरफ से निर्देश होंगे। जिस तरह से पिछली नियुक्तियों में शासनादेश गया है और कार्यवाही की गयी है, आज आप इसको टाल रहे हैं यह कहकर के हमारा नियंत्रण नहीं है और यह एक स्वायत्तशासी संस्था है। जिस तरह से जमीन ली गयी है और शासनादेश जारी किया गया है, श्रम विभाग की तरफ से भी शासनादेश जारी किया गया है। जो आपके कुलपति हैं उत्तम चन्द्र उपाध्याय उन्होंने समझौता भी किया है, यह आपके नियंत्रण की मशीनरी है, मेरा निश्चित मत है कि इसमें चर्चा करा ली जाय।

श्री अधिष्ठाता-

इनका यह कहना है कि हमारे पूर्व कुलपति महोदय ने 1991 में निर्णय किया था, जिन किसानों की जमीन अधिग्रहीत की गयी थी उसके बारे में शासनादेश भी है और ज्येष्ठता सूचना के बारे में कहा तो इन सारे बिन्दुओं को दृष्टिगत रखते हुए शासन क्या व्यवस्था करने जा रही है।

श्री हुकुम सिंह-

मान्यवर, अनावश्यक रूप से तो उनके कार्यों में हस्तक्षेप करके कार्यवाही तो नहीं कर सकते हैं मार्गदर्शन करने वाली बात अलग है हस्तक्षेप करने वाली बात अलग है। तो शासनादेश आपने बताया वह पूरे राज्य के लिए है और उसका पालन हो रहा है।

श्री कुंवर रेवती रमण सिंह-

मान्यवर, जब किसान की जमीन ली गई तो 1991 में एक शासनादेश हुआ उसके पालन का दायित्व तो सरकार का ही है।

श्री हुकुम सिंह-

अनुपालन तो विश्वविद्यालय से ही मान्यवर, करायेंगे। वे अपने नियमों के अन्तर्गत कार्यवाही कर रहे हैं तो सरकार तो कहीं बीच में नहीं आती है।

श्री रामचन्द्र यादव-

मान्यवर, मैं इनकी फोटो प्रति आपके पास भेज रहा हूं।

श्री अधिष्ठाता-

माननीय, श्री रामचन्द्र यादव, माननीय कुंवर रेवती रमण सिंह और माननीय संसदीय कार्यमंत्री को सुनने के बाद मैं इस सूचना को अग्राह्य पाते हुए निरस्त करता हूं। छठीं सूचना श्री राम बिशुन आजाद की है।

(श्री आर0 के0 सिंह पटेल के खड़े होने पर)

श्री अधिष्ठाता-

आपकी सूचना निरस्त की सूची में है। कृपया बैठे।

*श्री राम विशुन आजाद-

मान्यवर, पूर्वांचल के पिछड़ेपन को देखते हुए सरयू नहर परियोजना का शुभारम्भ 1980 में कराया गया था यह नहर परियोजना लखीमपुर, बहराईच, बलरामपुर गोण्डा होते हुए बस्ती, देवरिया, गोरखपुर को यह नहर जा रही है। वर्तमान समय में इस नहर का खुदाई का कार्य चल रहा है। लेकिन जो एक मान्यवर, मालियत की भूमि है उसमें मुआवजा देने में सरकार भेद-भाव कर रही है। जो जमीन ली गई है उसमें हरी फसल खड़ी है और सिंचाई विभाग के कर्मचारियों द्वारा मनमाने तरीके से उसे कटवाया जा रहा है। मान्यवर, हमारे जनपद गोण्डा में विधान सभा क्षेत्र मनकापुर और मुजेहना में इस योजना के तहत नहर खुदाई का कार्य बिना समुचित मुआवजा दिये जबरन कार्य कराया जा रहा है खड़ी फसल को बर्बाद कराया जा रहा है। हमारे यहां खाले, खानेपुर आदि गांवों में फसल बर्बाद की जा रही है। मान्यवर, यह अविलम्बनीय लोक महत्व का प्रश्न है जो सोच है सरयू नहर को पूरा करने की वह कैसे सम्भव होगी?

---

* वक्ता ने भाषण का पुनरीक्षण नहीं किया।

वह अधूरा रह जायेगा और जो सड़क के किनारे जमीन है या आबादी के किनारे की जमीन अधिग्रहीत की जा रही है, उसका मुआवजा वर्गफुट के हिसाब से नहीं दिया जा रहा है । मेरा निवेदन है कि ऐसी जमीनों का वर्गफुट के हिसाब से मुआवजा दिलाया जाय ।

सिंचाई राज्य मंत्री (श्री धनराज यादव)-

माननीय अधिष्ठाता महोदय, माननीय सदस्य गोण्डा (जनपद) के रहने वाले हैं, बहुत पुराने सदस्य हैं ! पहली बात तो जो उन्होंने लखीमपुर खीरी का जिक्र किया है, यह नहर उधर जाती ही नहीं । लखीमपुर खीरी घाघरा के दक्षिणी तट पर है । यह नहर बहराइच से शुरू होती है । विभाग की ओर से बिना मुआवजा दिये कहीं खुदाई करने के निर्देश नहीं हैं और न तो मुआवजा देने में कहीं कोई भेदभाव करने की कोई नीति है, न किया गया है । जैसा माननीय सदस्य ने कहा है कि फसल की खुदाई हो रही है, तो उसकी जानकारी कर लेंगे और यदि कहीं ऐसा है तो उसे रोक दिया जायेगा और मेरी समझ से कोई समस्या नहीं है ।

श्री राम विशुन आजाद-

मान्यवर, मसकनवां, धानेपुर को दिखवा लें, वहां पर भेदभाव किया गया है, एक ही मालियत की जमीनें हैं ।

श्री धनराज यादव-

ठीक है, उसकी जांच करवा लेंगे । माननीय सदस्य ने सूचना में केवल विधान सभा क्षेत्र लिखा था, गांव तो लिखा नहीं था । अब जो बात आपने कही है, उसके संबंध में जानकारी मंगवा लेंगे ।

श्री अधिष्ठाता-

माननीय राम विशुन आजाद तथा माननीय मंत्री जी को सुनने के पश्चात् इस सूचना को अग्राह्य पाते हुये निरस्त करता हूं । अगली सूचना श्री दीपक कुमार की है ।

* श्री दीपक कुमार-

माननीय अधिष्ठाता महोदय, जनपद उन्नाव में तमाम कल-कारखाने लगे हुये हैं, इसमें टेनरीज हैं, शराब मिल है, केमिकल बनाने के कारखाने आदि हैं, इन कारखानों से विषैला पानी निकलता है जो सिटी ड्रेन के माध्यम से शहर के बीच से होता हुआ गंगा जी में मिलता है, इस बीच में गंगा जी की तरफ की जो आबादी है, सैकड़ों गांव हैं, हड़हा और उन्नाव विधान सभा क्षेत्र के, वहां के किसानों की सैकड़ों बीघा बल्कि हजारों बीघा जमीन हमेशा इस पानी में डूबी रहती है, उनके सामने रोजी-रोटी की समस्या है । पानी विषैला होने की वजह से भूमिगत जल फ्लोराइडयुक्त

---

* वक्ता के भाषण का पुनरीक्षण नहीं किया ।

हो गया है। स्वास्थ्य विभाग की जांच टीम वहां आई थी, उसने भी अपनी रिपोर्ट में यह कहा है कि इतना ज्यादा फलोराइड युक्त प्रदेश में कहीं नहीं हे। यह विषैला पानी पूरे क्षेत्र को प्रदूषित करते हुये वहां के नागरिकों के जन-जीवन से खिलवाड़ करते हुये आगे बालईघाट में गंगा जी में मिल जाता है, इससे गंगा का पानी भी प्रदूषित हो रहा है, उसकी मछलियां भी नष्ट हो रही हैं, इस समस्या को लेकर वहां के किसानों ग्राम प्रधानों ने कई बार आन्दोलन किया है, लेकिन इस समस्या का कोई हल नहीं हुआ। मैंने पहले भी नियम-56 में सूचना लगाई थी, स्वीकृत भी हुई थी, लेकिन सुना नहीं जा सका। अभी पिछले दिनों 10 कि0मी0 दूर एक नहर है उसका पानी किसी तरह कट गया, इसकी वजह से गेहूं की जो थोड़ी-बहुत फसल बची थी, वह भी पूरी की पूरी डूब चुकी है, वहां किसान आन्दोलित हैं, परेशान हैं और उनके जन-जीवन के साथ खिलवाड़ हो रहा है, लोगों में इस विषैले पानी की वजह से लुंज-पुंज नाम की बीमारी फैल चुकी है।

मान्यवर, आपसे अनुरोध है कि आप इस तरह के निर्देश दें जिससे उस क्षेत्र के हजारों किसानों की जो समस्या है जिनके जीवन और स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है उसको देखते हुए मैं चाहता हूं कि इस लोकमहत्व के प्रश्न पर आप सदन की कार्यवाही रोककर चर्चा करायें।

श्री हुकुम सिंह-

मान्यवर इस सम्बन्ध में मेरे पास जानकारी उपलब्ध नहीं है। इसलिए जानकारी के लिए मैं भेज दूंगा और जो कार्यवाही होगी वह की जायेगी।

श्री अधिष्ठाता-

जिस प्रकार से अभी सदन में बातें कहीं गयी हैं। इसको गम्भीरता से लेते हुए सारी जानकारी एकत्र करके जितने अधिक ढंग से प्रभावी कदम उठायें जा सकते हैं वह उठाये जायें।

श्री हुकुम सिंह-

ठीक है मान्यवर, आपके निर्देश का पालन किया जायेगा।

* डा0 अशोक बाजपेयी-

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं अनुग्रहीत हूं कि आपने ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्न पर मुझे बोलने का समय दिया। मान्यवर, जब से उत्तर प्रदेश में यह सरकार बनी है तब से अल्पसंख्यकों के मन में क्षोभ और निराशा बनी हुई है और आये दिन यहां अल्पसंख्यकों के ऊपर होने वाले अत्याचारों की चर्चा होती रहती है। आज जो अति अल्पसंख्यक हैं, उत्तर प्रदेश की सीमा में बसे हुए हैं उन इसाईयों के कब्रिस्तानों पर निरन्तर भू-माफियाओं द्वारा अतिक्रमण किये जा रहे हैं। मान्यवर, लखनऊ में ऐतिहासिक महत्व के स्थलों पर भू-माफियाओं ने कब्जा कर लिया है लेकिन सरकार द्वारा कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। मान्यवर, मैं सदन को बताना चाहता हूं कि लखनऊ में ऐसे 18 कब्रिस्तान हैं जिनका पुरातत्व विभाग द्वारा लगभग 100 वर्षों से जिनका रजिस्ट्रेशन हो चुका है उन ऐतिहासिक पुरातत्व महत्व के स्थलों पर

---

* वक्ता ने भाषण का पुनरीक्षण नहीं किया।

अतिक्रमण भू-माफियाओं द्वारा किया जा रहा है किन्तु उत्तर प्रदेश सरकार ने इस ओर कोई ध्यान नहीं दिया है। इसलिए भारत सरकार के भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के महानिदेशक श्री अजय शंकर के अर्द्धशासकीय पत्र सं0-25/40/98 दिनांक 15 अक्टूबर, 1998 जो मुख्य सचिव के नाम भेजा गया है जिसे मैं पढ़ना चाहता हूं।

मुझे बताया गया है कि लखनऊ में राष्ट्रीय महत्व के यथाघोषित अट्ठारह ईसाई कब्रिस्तानों में से तेरह में बड़े स्तर पर अनाधिकृत कब्जे किये गये हैं। मुझे यह भी ज्ञात हुआ है कि कुछ मामलों में लखनऊ में सक्रिय भू-माफियाओं द्वारा संरक्षित क्षेत्र तक बेच दिये गये हैं। शायद राजस्व दस्तावेजों की जालसाजी द्वारा संरक्षित क्षेत्रों की अनाधिकृत बिक्री अभी भी हो रही है। अधीक्षण पुरातत्वविद् लखनऊ मण्डल भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण लखनऊ द्वारा सम्बन्धित राजस्व तथा कानून प्रवर्तक प्राधिकरणों से किये गये बार-बार अनुरोधों का कोई परिणाम नहीं निकला है। मुझे विश्वास है स्थानीय प्राधिकरणों से उचित प्रति उत्तर प्राप्त न होने से भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की हो रही गहरी चिन्ता में आप भी शमिल होंगे।

इसलिए क्या मैं आपसे सभी सम्बन्धित प्राधिकरणों को यह सुनिश्चित करने के लिए उचित निर्देश जारी करने का अनुरोध कर सकता हूं कि अनाधिकृत कब्जे का यह बड़ा रैकेट तथा राष्ट्रीय महत्व के घोषित कब्रिस्तानों की सम्बद्ध केन्द्र द्वारा संरक्षित भूमि की गैर-कानूनी बिक्री तुरन्त बन्द की जाय तथा जिम्मेदार व्यक्तियों को देश के कानून के अनुसार सजा दी जाय। मैं श्री आर0 डी0 सिंह, अधीक्षण पुरातत्वविद्, लखनऊ मण्डल, भा0पु0स0 को आपसे मिलने और आपको इसके विवरण से अवगत कराने के लिए कह रहा हूं।

मान्यवर, मैं चाहता हूं कि इस सम्बन्ध में अपराधिक मुकदमें दायर करके प्रभावी कार्यवाही की जाय लेकिन लखनऊ विकास प्राधिकरण ने और उत्तर प्रदेश सरकार ने ईसाई मिशनरियों के कब्रिस्तानों के संरक्षण की कोई योजना नहीं बनायी है, इससे पता चलता है कि यह सरकार अल्पसंख्यकों के प्रति कितनी जागरूक है।

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से सदन को अवगत कराना चाहता हूं कि प्रदेश की राजधानी लखनऊ में 18 ऐसे ऐतिहासिक दृष्टि से महत्वपूर्ण कब्रिस्तान हैं जो लखनऊ क्रिश्चियन बोर्ड के संरक्षण में हैं उनके नाम मैं बताना चाहता हूं-संरक्षित कब्रिस्तान बड़गावां, जो कानपुर रोड पर एल0डी0ए0 कालोनी में स्थित है। चिरैया झील कब्रिस्तान जो सप्रू मार्ग पर स्थित है। गऊ घाट, मच्छी भवन जो चौक में नींबू बाग के सामने स्थित है। राजा इंचासिंह कम्पाउण्ड, लामाटीनियर रोड बिलाइतीबाग कब्रिस्तान जिनका अस्तित्व समाप्त कर दिया गया है। इसी प्रकार 18 कब्रिस्तान हैं जिनकी लिस्ट मैं आपके पास भेज दूंगा। मान्यवर, यह कब्रिस्तान पुरातत्व विभाग की सूची के पृष्ठ संख्या-17 पर क्रमांक-2, 6, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, आदि पर अंकित हैं। मान्यवर, मैं आपके माध्यम से सरकार से चाहता हूं कि यह कब्रिस्तान जो 100-80 वर्षों से पंजीकृत हैं उनके सम्बन्ध में जिस तरह शिया-सुन्नी वक्फ बोर्ड बना है उसी तरह से ईसाई धर्मावलम्बियों के लिए क्रिश्चियन वक्फ़ बोर्ड का गठन किया जाय जो ईसाईयों की सम्पत्ति और उनके जो कब्रिस्तान हैं, उनका भली-भांति

देख-भाल की जा सके और ऐतिहासिक सम्पत्ति को सुरक्षित करने का काम करें। मान्यवर, अल्पसंख्यकों के मन में बहुत बड़ा क्षोभ है और असंतोष है। ईसाई मिशनरियों की सम्पत्ति पर अतिक्रमण हुआ है। आज मान्यवर अल्पसंख्यकों की सम्पत्ति सुरक्षित नहीं है। मान्यवर, संसदीय कार्य मंत्री जी स्पष्ट आश्वासन दें कि उनका एक बोर्ड बना कर उनकी संपत्तियों की रक्षा सुनिश्चित करायी जाय और जो अतिक्रमण किया गया है, उसको हटाया जायेगा।

श्री हुकुम सिंह-

माननीय सदस्य ने शिकायत की है कि सरकार के पास अल्प संख्यकों की सम्पत्ति को सुरक्षित करने की कोई कार्य-योजना नहीं है, मैं कहना चाहता हूं कि सरकार के पास पूरी कार्य-योजना है और उसको अमल कराने के लिये पूरा तंत्र है, पुरातत्व विभाग है, जितनी भी सम्पत्तियां हैं या कब्रिस्तान हैं उनकी सुरक्षा और संरक्षण पुरातत्व विभाग करता है, यह केन्द्र सरकार का विभाग है। मैं कहना चाहता हूं कि कोई भी शिकायत राज्य सरकार के पास नहीं आयी है, ऐसी बात नहीं आयी है कि जिन संपत्तियों की देखभाल उनके द्वारा की जाती है, उन पर नाजायज कब्जा किया गया हो और प्रदेश सरकार ने कोई कार्यवाही न की हो। मान्यवर, जिस पत्र का हवाला माननीय सदस्य ने दिया हे, वह जनरल नेचर का है। हमारे पास अल्पसंख्यक आयोग है, उनके हितों को देखने के लिये है, उनकी जानकारी में नहीं है। अगर इस प्रकार की कोई शिकायत आती है तो मैं कहना चाहता हूं कि यह सरकार सक्षम है कि वह भू-माफियाओं के विरुद्ध प्रभावी कार्यवाही कर सके, लेकिन मान्यवर शिकायत तो आये, कोई कहे तो कि फलां भू-माफिया ने अवैध कब्जा कर लिया हैं, माननीय सदस्य ने आरोप तो लगा दिया है मैं कहना चाहता हूं, डेढ़ साल की अवधि में अगर कोई शिकायत आयी हो तो बता दें, कार्यवाही कराकर दिखा दूंगा। अपनी सूचना में माननीय सदस्य ने न किसी दिन का जिक्र किया है न महीने का जिक्र किया है और न ही किसी वर्ष का जिक्र किया है, कि कब अनाधिकृत कब्जा हुआ है। माननीय सदस्य मंत्री भी रह चुके हैं, मैं जानना चाहूंगा कि वह बता दें कि किस वर्ष से किस वर्ष तक के अवैध कब्जों की बात कर रहे हैं। मैं आभार व्यक्त करना चाहता हूं कि वर्तमान सरकार किसी भू-माफिया द्वारा किसी अल्प संख्यक की जमीन पर किसी प्रकार का अवैध कब्जा नहीं होने देगी।

डा0 अशोक बाजपेयी-

माननीय मंत्री जी ने जो बात कही है, वह सत्य से परे है। मान्यवर 2-12-1998 का पत्र है, मुकदमा अपराध सं0 1108/98 है और इसी प्रकार के तमाम निरंतर पत्र लिखे गये हैं, पूरी पत्रावली मेरे पास है, मैं उसे मंत्री जी के पास भेज दूंगा, भारत सरकार का पत्र 15 अक्टूबर 98 का है और फरवरी तक शिकायतें की गई हैं। मान्यवर सरकार तो कुछ करने वाली नहीं है। श्रीमान अधिष्ठाता महोदय आपके माध्यम से मैं माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी से अनुरोध करता हूं कि जैसे शिया वक्फ बोर्ड है, सुन्नी वक्फ बोर्ड का गठन किया गया है इसी तरह से ईसाई धर्मावलम्बियों के लिए भी एक वक्फ बोर्ड की स्थापना की जाये जिसका संरक्षण सरकार के पास रहे। इसमें सरकार को कोई कठिनाई नहीं होनी चाहिये।

श्री अधिष्ठाता-

संसदीय कार्य मंत्री जी आप इनके दूसरे सवाल के बारे में कुछ कहना चाहेंगे।

श्री हुकुम सिंह-

माननीय बाजपेई जी अभी नये-नये ईसाइयों के हिमायती बने हैं। मान्यवर इस प्रकार की कोई जानकारी हमारे पास नहीं थी और मान्यवर दूसरे सवाल के बारे में मैं कहना चाहता हूं कि अभी सरकार के पास ऐसा कोई प्रकरण विचाराधीन नहीं है।

श्री अधिष्ठाता-

डा0 अशोक बाजपेयी और माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी को सुनने के बाद मैं इस सूचना को निरस्त करता हूं। अगली सूचना श्री मुन्ना चौहान की है।

* श्री मुन्ना चौहान-

मान्यवर, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे बोलने का अवसर दिया। मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से सरकार का ध्यान एक बहुत ही गम्भीर विषय के प्रति आकृष्ट कराना चाहूंगा। मान्यवर, उत्तर प्रदेश में बाल विकास परियोजना जो चलाई जा रही है, जो बाल विकास कार्यक्रम चलाया जा रहा है उसके लिए विश्व खाद्य कार्यक्रम के तहत खाद्यान्न एक केयर द्वारा इम्पोर्ट किया जा रहा है। इसके लिए यह व्यवस्था की गई है कि कलकत्ता में जो खाद्य की डिलेवरी मिलती है उसकी प्रोसेसिंग का काम अपने संसाधनों द्वारा कराया जायेगा। मान्यवर यह जो प्रोसेसिंग का काम है यह जो परिवहन और वितरण का काम है यह मेसर्स मार्डन फूड इण्डस्ट्रीज के द्वारा होता चला आ रहा है। मान्यवर यह कार्य इसी इण्डस्ट्रीज द्वारा ही क्यों कराया जा रहा है, सरकार मार्केट के कम्पटीशन का लाभ क्यों नही उठा रही है। जब इस सरकार से यह पूछा जाता है तो यह कहकर टाल दिया जाता है कि यह मार्डन फूड इण्डस्ट्रीज भारत सरकार का उपक्रम है। मान्यवर मुझे यह जानकर बहुत ही दुख हुआ जब अभी हाल में ही परसों हमारे यहां भारत सरकार के राज्य मंत्री बाबा गौड़ा साहब आये थे तो वहां पर यह शिकायत हुई कि जो पुष्टाहार वितरित किया जाता है वह अत्यन्त ही खराब तरह का होता है। उसकी गुणवत्ता काफी गिरी हुई होती है। जब इस मार्डन फूड इण्डस्ट्रीज के बारे में पूछा जाता है तो बताया जाता है कि इसमें कोई खराबी नहीं हो सकती। यह भारत सरकार का उपक्रम है, इससे अच्छा वितरण ही किया जाता है।

मान्यवर सरकार के पास इस समय प्रतिस्पर्धा का विकल्प है जो वह क्यों नहीं अपना रही है। क्यों नहीं सरकार टेण्डर इनवाइट कर रही है, क्यों नहीं सरकार ठेके आमंत्रित कर रही है। मान्यवर टेण्डर की प्रणाली मात्र उत्तर प्रदेश में ही नहीं है बाकी बंगाल, कर्नाटक, बिहार सभी जगह है जहां कि टेण्डर इनवाइट किये जाते है। मान्यवर उत्तर प्रदेश में तो कई संस्थाओं ने बाल विकास परियोजना

---

* वक्ता ने भाषण का पुनरीक्षण नहीं किया।

अधिकारी, निदेशक और बड़े अधिकारियों को खराब गुणबत्ता के पुष्टाहार वितरण के लिए लिखकर दिया है, कि जो गांवो में बच्चों को पुष्टाहार प्रदान किया जाता है वह अत्यन्त निम्न गुणवत्ता का होता है। यही नहीं इस संस्थाओं ने तो कौन सौया ब्लेड के बारे में भी लिखकर दिया है कि मार्डन फुड इण्डस्ट्रीज के पास जो पलान्ट हैं वह ओल्ड है इसी की वजह से पुष्टाहार की गुणवत्ता खराब होती है।

मान्यवर आज एक रुपये में 50 नये पैसे का घपला किया जाता है, तो पूरे 15 लाख की क्षति उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा उठाई जा रही है। सरकार इस क्षति से बच सकती है यदि वह टेण्डर इनवाइट करें। मान्यवर यह सरकार 15 लाख रुपये वहन करने की स्थिति में नहीं है। प्रदेश सरकार टेण्डर इनवाइट करके कम्पटीटिव दरो पर इस प्रोसेसिंग का कार्य करा सकती है। मेरी समझ में नही आता कि सरकार ऐसा वयों नहीं कर रही है। मान्यवर, आप निर्देश दें कि सरकार इसको कार्यस्थगत प्रस्ताव के रूप में स्वीकार करते हुए प्रदेश के जनमानस से यहां की जनता और जो मदर्स हैं, उनसे सम्बन्धित यह सवाल है, इससे महत्वूपर्ण कोई दूसरा सवाल नहीं हो सकता। इसे आप कार्य स्थगन के रूप में स्वीकार करें।

श्री हुकुम सिंह-

माननीय मुन्ना चौहान बड़े जागरूक सदस्य हैं, इनकी शिकायत केन्द्र सरकार के प्रतिष्ठान से है, दूसरे का नाम बता दें जो अच्छा काम कर सके यह कह देना कि हम जो केन्द्र सरकार का प्रतिष्ठान है, उससे काम करा रहे हैं। काम कराने में भी सरकार ने शासन ने पारदर्शिता बरती है। हम ऐसे प्रतिष्ठान से काम करा रहें हैं जो केवल हमारा ही काम नहीं कर रहा है। पूरे भारतवर्ष में उसकी जो प्रमुख चीजें हैं, बांट रही हैं तो इसमें शिकायत की बात कहां रही है। मान्यवर, मैं यह समझने में असफल रहा कि कोई सैम्पुल खराब हो गया जिससे वह प्रतिष्ठान ही काम कराने योग्य नहीं रहा। जो भी काम होता है बराबर सैम्पुलिंग होती है, अगर सैम्पुल फेल हो गया तो प्रदेश सरकार स्वतंत्र है, इस बारे में निर्णय लेने के लिए। हम इस काम को निजी क्षेत्र से लेकर मल्टी नेशनल कम्पनी को दे दें, किसी करोड़पति को दे दें जो इकाई पब्लिक सेक्टर की है उस पर आरोप लगाकर, उससे काम छीन लें, तो यह उचित नहीं होगा।

श्री मुन्ना चौहान-

मान्यवर, माननीय मंत्री जी की एक बात का मुख्य रूप से सम्भवतः आशय यह है कि मेरी किसी इकाई में रुचि है। लेकिन मैं जिम्मेदारी के साथ यह आरोप लगा रहा हूं, आज की तारीख में, जो भारत सरकार का उपक्रम है, इस प्रदेश सरकार की इच्छा शक्ति नहीं है कि पूरे हिन्दुस्तान से निविदायें आमंत्रित करें और कम्पटेटिव रेट आयें। इस व्यवस्था को प्रदेश सरकार क्यों नहीं लागू करना चाहती।

मान्यवर, पूरे प्रदेश से निविदायें आमंत्रित करने का प्राविधान है। उत्तर प्रदेश सरकार को कौन सी हानि होने जा रही है कि इस प्रकार की इकाई से काम कराने पर आमादा है। जो इकाई सिक. डिक्लेयर हो चुकी है जिसको बी0आई0एफ0 आर0 को भेजा जा चुका है की इसको बंद कर दिया जाये उससे लेने का काम सरकार कर रही है।

(इस समय 2 बजकर 30 मिनट पर श्री अध्यक्ष पुनः पीठासीन हुए)

यह भारत सरकार का उपक्रम है। आपके प्रदेश में ही ऐसी इकाईयां है जो यह सप्लाई कर सकती हैं। फिर भी वहां से यह पुष्टाहार बाल विकास परियोजनाओं के लिये लिया जा रहा है। मान्यवर, इनके द्वारा सप्लाई किये गये पुष्टाहार में अगर सैंपिल में बीमारी के कीटाणु समय से पकड़ न लिये गये होते तो प्रदेश में एक महामारी फैल जाती। इस सम्बन्ध में सरकार को प्रभावी निर्देश देने की कृपा करें।

श्री अध्यक्ष-

माननीय श्री मुन्ना चौहान को सुनने के पश्चात् मैं इस सूचना को निरस्त करता हूं।

अगली सूचना माननीय राम नक्षत्र जी की है। इस पर 12 मार्च को नियम 56 में सुना गया था। चूंकि आप आमरण अनशन पर बैठ गये थे और मैंने आपका अनशन तुड़वाया था। इसलिये मैं अपवादस्वरूप आपको इस सूचना पर सुन रहा हूं। आज 5 विधेयक हैं और 6 विभागों के आय-व्ययक हैं। मैं बहुत आभारी हूं कि मुझे सभी माननीय सदस्यों का सहयोग मिल रहा है।

* श्री राम नक्षत्र-

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से उत्तर प्रदेश सीमेंट कारपोरेशन लिमिटेड की बदहाली की तरफ सरकार का ध्यान दिलाना चाहता हूं, 1972 के पूर्व राजकीय सीमेंट कारपोरेशन ने एक कीर्तिमान स्थापित किया था। डाला, चुर्क, चुनार, गोरमा फैक्टरियों में उत्पादन अच्छी तरह से हो रहा था। लेकिन इस कारखानों में लूट घसोट का प्रादुर्भाव हो गया और 1991 में कारखाने को पूंजीपतियों को दे दिया गया था लेकिन वर्तमान सरकार ने वादा किया था कि किसी सूरत में इनका निजीकरण होने नहीं दिया जायेगा। तब से आज तक कारखाने बंद पड़े हैं। प्रशासनिक अधिकारियों और सरकार की गलत नीतियों के चलते 40-50 रुपये प्रति बोरी की दर से आज जनता और उत्तर प्रदेश सरकार को सीमेंट मंहगा मिल रहा है। 2 वर्षों में 80 लाख मी0टन सीमेंट उत्तर प्रदेश की जनता को और सरकार को जरूरत पड़ती है। 2 वर्षों में 1120 करोड़ रुपये निजी उद्योगपतियों को दिया जा चुका है। इस तरह से निश्चित रूप से सरकारी अधिकारियों और सरकार के मंत्रियों को उसमें हिस्सा मिल रहा है। आज महीनों से सीमेंट कारपोरेशन के कर्मचारी खुले आसमान के नीचे तड़प रहे हैं, आपकी जेलों में सड़ रहे हैं, रोटी के मोहताज हो गये हैं। हमने इनको चालू करने के लिये अनशन किया था। सरकार ने विचार करने के लिये वादा किया था लेकिन सरकार वादा खिलाफी कर रही है। सरकार यह कह कर कि हाईकोर्ट द्वारा बी0आई0एस0 आर0 ए0आई0एस0आर0 हो चुका है इसलिये सरकार इनको चलाने में असमर्थ है। सरकार और प्रशासनिक अधिकारियों की मिली भगत से इनको बंद किया जा रहा है।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनरीक्षण नहीं किया।

ब्यूरोक्रेसी के द्वारा घोटाला किया गया। सरकार के द्वारा कोई रुचि नहीं दिखायी गयी और वह बी0आई0एफ0आर0 में चल रही है। कुछ श्रमिकों ने जनहित में रुचि दिखाते हुए पिटीशन दाखिल की है। यह लिक्वीडेशन करने के लिए बाध्य है। वहां के कर्मचारियों/अधिकारियों द्वारा जो पिटीशन दाखिल किया गया वह स्वीकार नहीं होता, आज उस पर भी विचार चल रहा है। अध्यक्ष जी, हाई कोर्ट लिक्वीडेशन करने के लिए बाध्य नहीं है। मान्यवर, यह बहुत ही अविलम्बनीय लोकमहत्व का सवाल है। मैंने अपनी जिन्दगी भी दांव पर लगा दिया था। मान्यवर, अगर लिक्वीडेशन होगा तो 1250 करोड़ रुपया खो देंगे। यह बहुत ही महत्वपूर्ण मामला है। उन श्रमिकों के बच्चे रो रहे हैं, आज वह रोटी के लिए मोहताज हैं मैं आपका ध्यान उनकी मांगों की तरफ आकर्षित करना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष-

अब आप समाप्त करें।

श्री राम नक्षत्र-

मान्यवर, 13 लोग शहीद हो चुके हैं अभी भी सम्भावनायें हैं कि और भी लोग शहीद हो सकते हैं। एक मजदूर भूख से तड़प रहा था, उनकी दुर्दशा देखी नहीं जा सकती। उनकी जो मांग है वह जायज है, जब लिक्वीडेशन हो जाता है तो उनके दायित्व के आप जिम्मेदार हैं।

श्री अध्यक्ष-

अब आप समाप्त करें।

श्री राम नक्षत्र-

अभी तक निजी और सार्वजनिक क्षेत्र का लिक्वीडेशन नहीं हुआ है। माननीय उच्च न्यायालय लिक्वीडेशन करने के लिए बाध्य नहीं है अगर लिक्वीडेशन होता है तो आप वैसी फैक्ट्री 1500 करोड़ रुपये में लगायेंगे।

श्री अध्यक्ष-

सारे तथ्य सदन की संज्ञान में हैं। अब आप समाप्त करिये।

श्री राम नक्षत्र- (× × ×)

श्री अध्यक्ष-

अब आप समाप्त करिये। आप जो बोल रहें हैं वह लिखा नहीं जा रहा है। अब आप बैठिये। सदस्यता का इतना लाभ मत उठाइये।

श्री राम नक्षत्र (× × ×)

श्री अध्यक्ष-

सारे तथ्य सदन की संज्ञान में हैं इसलिए आप बैठ जाईये। चूंकि यह प्रकरण माननीय उच्च न्यायालय में लम्बित है अतः इसमें किसी प्रकार का निर्देश देने की आवश्यकता नहीं है।

नोट (× × ×) यह अंश माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

श्री अम्बिका चौधरी-

आपने अभी सूचित किया था कि आपने इनका अनशन तुड़वाया । मेरी व्यक्तिगत जानकारी है कि हम लोग नेता विरोधी दल को लेकर हमारे साथ 25 विधायक थे, तमाम दलों के नेतागण थे इनका अनशन नेता विरोधी दल ने तुड़वाया । आपने जो जानकारी दी है यह जानकारी ठीक नहीं है ।

श्री अध्यक्ष-

मैं इस विवाद में नहीं पड़ना चाहता कि अनशन किसने तुड़वाया लेकिन मैंने अपने चेम्बर में एक गिलास जूस जरूर इनको पिलाया था ।

श्री हुकुम सिंह-

अध्यक्ष महोदय, संयोग से उस समय मैं भी मौजूद था । अन्य माननीय सदस्यगण भी मौजूद थे आपने अपने कृपापूर्वक हाथों से श्री राम नक्षत्र को जूस पिलाया ।

श्री जगदम्बिका पाल-

मान्यवर, और लोगों का अनशन एक बार टूटता है लेकिन श्री राम नक्षत्र जी का अनशन दो बार टूटा एक बार नेता प्रतिपक्ष ने और एक बार आपने इनका अनशन तुड़वाया ।

(श्री राम नक्षत्र के खड़े होने पर)

श्री अध्यक्ष-

अब आप बैठ जाए । आपने व्यक्तिगत रूप से अनुरोध किया था इसलिए आपको सुन लिया । यह मामला उच्च न्यायालय में लम्बित है । इस सम्बन्ध में कोई निर्देश नहीं दिया जा सकता है ।

श्री राम नक्षत्र (× × × ×)

श्री अध्यक्ष-

यह बहस आप उच्च न्यायालय में करें । किसी अच्छे वकील को रख लें । यहां इसकी आवश्यकता नहीं है । हमारे जितने अधिकार हैं, मैं उसका ध्यान रखता हूं । आपकी बात लिखी नहीं जा रही है ।

इसके अलावा आप भवष्यि में कोई अनुरोध करेंगे तो सोचना पड़ेगा ।

श्री रामनक्षत्र-

आप संवदेनशील हैं ।

नोट :- (× × ×) यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया ।

श्री अध्यक्ष-

मैंने विशेष परिस्थितियों में आपको सुना वरना नियम के अनुसार इसी आधार पर निरस्त कर सकते थे कि 12 तारीख को इस पर चर्चा हो चुकी है। लेकिन मैंने आपके विशेष अनुरोध पर इसको सुना। यह मामला उच्च न्यायालय में लम्बित है। न्यायालय तय करेगा।

श्री धनीराम वर्मा-

श्रीमन्, 311 के अन्तर्गत जो मामला उठाया गया था, आपने कहा था कार्य स्थगन के बाद.....

श्री अध्यक्ष-

मुझे ध्यान है। श्री पटेल जी की सूचना थी, उसमें 18 तारीख को वक्तव्य मांगा जा चुका है। इसलिये वह सूचना चयन में नहीं आयी है।

श्री आर0 के0 सिंह पटेल-

मेरी सूचना तो थी ही नहीं।

श्री अध्यक्ष-

ठीक हैं, मैं अभिलेख देख लूंगा। 24 तारीख वक्तव्य के लिये निर्धारित है उसमें। श्री स्वामी प्रसाद मौर्या तथा श्री राम ललित चौधरी जी की सूचना प्रतापगढ़ में एक बालिका की हत्या के सम्बन्ध में है। अगर आप लोग विचार कर लेते तो इसे कल दे दें। माननीय मंत्री जी इस पर जनपद से सूचना भी मंगवा लेंगे। क्योंकि अभी वह इस मामले में कुछ कहने की स्थिति में नहीं होंगे। यद्यपि इसका चयन नहीं हुआ है। सूचना के महत्व का आंकलन आप स्वयं कर सकते हैं। यदि आज ही आप अपनी बात कहना चाहते हैं तो एक-दो मिनट में अपनी बात कह दें। इसके बाद में नियम 311 में माननीय नेता प्रतिपक्ष तथा श्री समर पाल जी की सूचना को लूंगा।

पट्टी (प्रतापगढ़) डिग्री कालेज की छात्रा उर्मिला पाल की गुण्डों द्वारा हत्या किये जाने के सम्बन्ध में सूचना

श्री राम ललित चौधरी-

मान्यवर, यह एक हृदय विदारक घटना है। 7-3-1999 को पट्टी डिग्री कालेज की उर्मिला पाल पढ़कर आ रही थी। रास्ते में 5-7 गुण्डों उसे अगुवा करने जा रहे थे और उसे जबरदस्ती जीप में बैठाना चाह रहे थे जब उर्मिला पाल ने उसका प्रतिरोध किया तो इन गुण्डों ने उस लड़की के गले में पड़े हुये दुपट्टे को खींच कर उसे सड़क पर पटक दिया और फिर उसके ऊपर जीप चला दी जिससे उर्मिला पाल की वहीं पर मृत्यु हो गयी। इसके बाद से 9 तारीख और 11 तारीख को बराबर वहां पर आन्दोलन हो रहा है और आज तक कोई गिरफ्तार नहीं हो पाया है, इसलिए माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी से मांग है कि तत्काल 10 लाख रुपये की आर्थिक सहायता कुमारी उर्मिला पाल के परिवार जनों को दिया जाय और जो गुण्डे हैं, अभी तक गिरफतार नहीं हुये हैं, डिग्री कालेज बन्द है और वहां पर हाहाकार मचा हुआ है, इन गुण्डों को तत्काल गिरफ्तार किया जाय।

श्री अध्यक्ष-

माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी, माननीय सदस्य ने जिस घटना का उल्लेख किया है आप कृपया उसे दिखवा लीजिए। प्रतापगढ़ की घटना है, इसमें प्रभावी कार्यवाही करवा दीजिए।

संसदीय कार्य, पंजीयन, मनोरंजन कर, स्टाम्प एवं न्यायालय शुल्क तथा खाद्य एवं रसद मंत्री (श्री हुकुम सिंह)-

मान्यवर, इसमें प्रभावी कार्यवाही हो चुकी है। जीप पकड़ ली गयी है, अभियुक्त भी प्रकाश में आ चुके हैं और एक अभियुक्त ने सरण्डर भी कर दिया है। जो मृतक थी उसके चाचा द्वारा रिपोर्ट दर्ज करायी गयी एक्सीडेन्ट केस की। इसमें शंका हुई कि यह हत्या का मामला है तो मान्यवर, दोनों पक्षों के हिसाब से जांच हो रही है और हत्या का मामला भी सामने रखकर जांच की जा रही है।

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य-

मान्यवर, कु0 उर्मिला पाल, बी0ए0 सेकेण्डियर पट्टी की छात्रा थी। ये लड़के जो उस क्षेत्र के अराजक तत्व के रूप में जाने जाते हैं उससे छेड़खानी की और जबरिया उसे घसीट कर ले जाने का प्रयास किया गया। जब उसने इसका प्रतिरोध किया तो इन गुण्डों ने उसके गले में पड़े हुये दुपट्टे को खींच कर उसे जमीन पर पटक दिया और फिर उसके ऊपर जीप चढ़ा दी जिसके कारण उसकी वहीं पर तत्काल हत्या कर दी गयी। मान्यवर, वह अपने मां-बाप की इकलौती सन्तान थी जैसे ही इस घटना की सूचना मिली तो उसकी मां विक्षिप्त अवस्था में रोने लगी और उसका बाप इस घटना को सुनकर हतप्रभ होकर शून्य हो गया। मान्यवर, वहीं इन छात्रों ने जब जाकर इसकी सूचना दी तो थानाध्यक्ष ने वहीं पर एक दूसरे पाल से कहा कि तुम लिखकर दे दो कि जीप से टक्कर हो गयी। थानाध्यक्ष ने बोलकर भाषा लिखवाई और वही लिखकर दी गयी। उसके बावजूद भी एफ0आई0आर0 जो भी है वह अपनी जगह पर है। थानाध्यक्ष ने तफतीश किया और तफतीश में मान्यवर, उसके साथ-साथ रिपोर्ट आ गई कि थाना पट्टी में यह जो मुकदमा संख्या-56/99 धारा 279, 304 आई0पी0सी0 में पंजीकृत हुई और उसकी विवेचना हुई। विनोद कुमार पाण्डे उर्फ पिन्टू पुत्र श्री राम आश्चर्य पाण्डे पोस्ट पट्टी जनपद प्रतापगढ़ प्रकाश में आया। मान्यवर, यह अपराधी है और वांछित है अतः हिरासत में लेकर जेल भेजने की कार्यवाही की जाय। यह उस थानाध्यक्ष की रिपोर्ट है और वह जीप भी पकड़ी गई जिस जीप से टक्कर हुई थी। थानाध्यक्ष ने उस जीप को पकड़ा उसका नम्बर है यू0पी0-32/1888, यह जीप वहीं पर एक हैं मिस्टर विजय सिंह राणा। यह उस जीप के मालिक है यह खुद उस जीप पर थे ओर साथ में विनोद कुमार पाण्डे उर्फ पिन्टू था। इसके पिता राम आश्चर्य पाण्डेय उस क्षेत्र के हिस्ट्रीशीटर अपराधी हैं जिनके नाम से उस पूरे क्षेत्र में आतंक और भय है।

इस क्षेत्र की घटना को लेकर पूरे पट्टी क्षेत्र में लोगों में घोर असन्तोष हैं। आपके माध्यम से मैं बताना चाहता हूं कि 7 तारीख को घटना हुई जब कोई कार्यवाही नहीं हुई तो 9 तारीख को जाकर वहां कालेज के छात्रों और अध्यापकों ने मिलकर रोड जाम किया। एस0डी0एम0 और सी0ओ0 वहां आये और उन्होंने कहा कि हम इस पूरी घटना की तफतीश करायेंगे। 302 में कन्वर्ट करके जो भी मुजरिम हैं कड़ी से कड़ी कार्यवाही उनके खिलाफ करेंगें और मान्यवर, उसके बाद 7 तारीख को घटना हुई हो, रोड जाम हुआ हो, दो दिन का इन्तजार किया गया लेकिन कोई कार्यवही नहीं हुई तो फिर जाकर वहां कालेज के छात्रों और जनता ने पट्टी टाउन एरिया के सभी व्यापारियों ने बाजार बन्द किया और ।। तारीख को पुनः रोड जाम किया और अभियुक्तों को भी गिरफतार करने की मांग की। मैं आपको बता देना चाहता हूं कि यह छेड़खानी और हत्या का मामला है।

यह सारा धरना प्रदर्शन वहां के छात्र नेता यूनियन के प्रसीडेंट तिवारी ने किया। यह नहीं कि जाति या दुर्भावना से किया जा रहा हो। आपसे निवेदन करना चाहते हैं कि आज उस पूरे पट्टी क्षेत्र के लोग जो उस क्षेत्र में यही एक मात्र डिग्री कालेज होने के नाते अपनी लड़कियों को वहां पढ़ाते थे। मोती सिंह जी यहां आये होंगे यह उनके क्षेत्र का मामला है वे स्वंय बता सकते हैं। वहां पर अभिभावकों ने अपने बच्चों को कालेज भेजना बन्द कर दिया है। इतना ही नहीं अपराधी वहां पर आज भी खुले आम घूम रहें हैं और कहते हैं कि मैंने तो एक को मौत के घाट उतारा है।

श्री अध्यक्ष-

यह तो विवेचना अधिकारी को भी मालूम होगा। इस सदन में जो आपने कहा है वह शासन के संज्ञान में आ गया है। संसदीय कार्य मंत्री ने बताया कि एक अभियुक्त ने सरेन्डर कर दिया है। आपका उद्देश्य यहां सदन के संज्ञान में लाने का यह है कि प्रभावी कार्यवाही हो जाए, शीघ्र कार्यवाही हो जाए तो माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी ने कह दिया है।

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य-

मान्यवर, वह डिग्री कालेज बन्द है, अनिश्चित काल के लिए बन्द है जब तक कार्यवाही नहीं होती है तब तक कोई छात्र वहां पढ़ने नहीं जाएगा। यह उस क्षेत्र के लोगों की पीड़ा है, मेहमान के रूप में सरेन्डर कराकर फिर छोड़ दिया जाता है, वह चुनौती दे रहा है उन लोगों के खिलाफ, जो मांग कर रहें हैं, वह कहता है, कि जुबान बन्द कर दूंगा, अपराधियों को जिस तरह से खुली छूट दी है अपराध करने के लिए, यह कोई अच्छी बात नहीं है, अपराधी, अपराधी होता है, उसकी जाति नहीं होती है! आज उर्मिला पाल के साथ यह कार्य किया है कल किसी दूसरी लड़की के साथ उसी तरह का दुर्व्यवहार करेंगे। कोई अपनी बच्ची को स्कूल भेजने के लिए तैयार नहीं है, अपनी मांगों को लेकर 18 तारीख को जिला मुख्यालय पर।.....

श्री अध्यक्ष-समाप्त करें।

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य-

सात तारीख से लेकर आज 22 तारीख हो गई और अपराधी भय-मुक्त घूम रहें है।

श्री अध्यक्ष-

खत्म करें।

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य-

अगर संसदीय कार्य मंत्री कड़ाई से कार्यवाही करायेंगे तो न्याय मिलेगा। कुछ ऐसे मंत्री सत्ता में हैं जो उनको संरक्षण दे रहें हैं इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि संसदीय कार्यमंत्री जी के कहे बगैर न्याय नहीं मिलने वाला है। संसदीय कार्यमंत्री जी इस बात के लिए आश्वस्त करें कि यह जो मुकदमा दर्ज हुआ है उसको 302 में किया जाए। मान्यवर, उसकी मां विक्षिप्तावस्था में है उसके और कोई संतान नहीं है उसके अलावा लड़का, लड़की कोई नहीं है। आज उस परिवार पर पहाड़ टूटा है इसलिए 302 में मुकदमा दर्ज करते हुए न्याय की व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। वहां दहशत का वातावरण व्याप्त है अतः उन अपराधी मानसिकता वाले लोगों के खिलाफ कार्यवाही की जाए और उस लड़की के मां-बाप को पांच लाख की धनराशि सहायतार्थ दी जाए। मैं सरकार से मांग करता हूं संसदीय कार्य मंत्री सुनिश्चित करें कि उनकी गिरफ्तारी अवश्य होगी।

श्री अध्यक्ष-

संसदीय कार्य मंत्री के संज्ञान में बात आ गई है मुझे विश्वास है कि इस घटना की गम्भीरता को देखते हुए सभी कार्यवाही गम्भीरता से सुनिश्चित की जाएगी।

श्री राम ललित चौधरी-

संसदीय कार्यमंत्री कुछ कह दें।

श्री अध्यक्ष-

संसदीय कार्य मंत्री ने जो सूचना प्राप्त थी उसके आधार पर वक्तव्य दे दिया। मैं ने यथाशीघ्र प्रभावी कार्यवाही के लिए कह दिया।

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य-

पांच लाख सहायतार्थ देने की घोषणा कर दें और मुकदमा 302 में तरमीम करने की घोषणा करें यह आप निर्देश दे दें।

श्री अध्यक्ष-

माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी कुछ कहना चाहेंगे।

श्री हुकुम सिंह-

जो शासन के संज्ञान में बात आई उसके बारें में जानकारी दे दी ।

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य-

मान्यवर, यह भयमुक्त समाज की बात करते हैं वहां तब से धरना प्रदर्शन हो रहा है, ।। तारीख को धरना प्रदर्शन हुआ, ।8 तारीख को धरना प्रदर्शन हुआ ।

(व्यवधान)

यह बहुत ही शर्मनाक बात है और आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि उसको गंभीरता से लेना चाहिए । इस तरह से हत्यारों को, गुण्डों को और अराजक तत्वों को खुली छूट देंगे उनका हौसला बढ़ायेगें तो यह उचित बात नहीं है । इसलिए प्रभावी कार्यवाही करने के लिए आपकी तरफ से निर्देश दिया जाय ।

श्री अध्यक्ष-

इसलिए मैंने कहा है कि शीघ्र और प्रभावी कार्यवाही करें ।

श्री राम ललित चौधरी-

मान्यवर, ।5 दिन बीत गया है और अभी तक कोई कार्यवाही नहीं की गयी है ।

श्री हुकुम सिंह-

मान्यवर, हर चीज की सीमा होती है । हम लोग यहां पर हर सीमाओं का उल्लंघन करते चले जा रहें हैं । मान्यवर, मैं आपके माध्यम से यह कहना चाहता हूं कि यह सदन नियमों से चलेगा या नहीं चलेगा । कार्य स्थगन के रूप में इसे उठाया गया और हमने जानकारी भी दे दी और यह भी बता दिया कि एक आदमी ने सरेन्डर कर दिया है और उस जीप को कब्जे में ले लिया गया है । मान्यवर, जैसे ही जानकारी में यह बात आयी कि यह हत्या है, दुर्घटना नहीं तो हमने तत्काल एस0एस0आई0 श्री राम नरेश यादव को इसमें जांच करने के लिए नियुक्त किया । जैसे ही जांच रिपोर्ट आयेगी तुरन्त ही कार्यवाही की जायेगी । नेता अपनी बात को फिर दोहराते रहें और दस-दस मिनट तक कहते रहें तो यह उचित नहीं है । मान्यवर, मैंने पहले भी कहा था और फिर अनुरोध कर रहा हूं कि आज तीन बजट हैं इसमें विचार रखने हैं और कुछ बिल भी आये हुए है । आखिर कुछ सीमाएं होती हैं और दोनों पक्षों को अपनी बात रखने का अधिकार है । केवल पांच-सात माननीय सदस्यों तक ही यह सदन सीमित नहीं है ।

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य-

मान्यवर, सदन चलाने की जिम्मेदारी पक्ष की ही नहीं विपक्ष की भी होती है । हम यहां पर सदन के माध्यम से समस्याओं को उठाते हैं और उसका निदान कराते हैं । इसलिए जितनी जिम्मेदारी आपकी है उतनी ही हमारी भी है ।

श्री अध्यक्ष-

यह सामूहिक जिम्मेदारी है ।

श्री राम ललित चौधरी-

मान्यवर, तात्कालिक सहायता की घोषणा करवा दें।

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य-

मान्यवर, हम न्याय मांग रहें हैं।

श्री अध्यक्ष-

यह सदन विवेचना अधिकारी वाला काम तो नहीं कर सकता है। आदेश दे दिया कि 302 में मुकदमा तरमीम कर दीजिये।

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य-

मान्यवर, विवेचना तो आ चुकी है और उसका हवाला देकर हीला हवाली करके इसको टाल रहें हैं। यह अभियुक्तों को हत्यारों को खुली छूट दे सकते हैं यह इनकी तो मर्यादा हो सकती है लेकिन हमारी नहीं।

श्री अध्यक्ष-

माननीय मौर्य जी अब आप समाप्त कर दें। आपकी सारी बात आ गयी है। शासन ने जो कहना था यह कह दिया। आप भी मंत्री रह चुके हैं। कोई भी बाध्य नहीं कर सकता है, कि अपनीं मर्जी के अनुसार उत्तर दे।

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य-

क्योंकि हत्यारों की मान्यवर, पहचान हो चुकी है इसलिए मुकदमा 302 में तरमीम किया जाए। हत्यारों की गिरफ्तारी सुनिशिचत हो और प्रभावित परिवार को 5 लाख रुपये का अनुदान दिया जाए।

श्री अध्यक्ष-

अब यह प्रकरण समाप्त हुआ।

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य- (× × × ×)

श्री अध्यक्ष-

लिखा नहीं जायेगा।

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य (× × × ×)-

(श्री स्वामी प्रसाद मौर्य अपने दल के सदस्यों के साथ दिन के शेष समय के लियें सदन त्यागकर चले गये।)।

(व्यवधान)

नोट :-(× × ×) यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

लोक दल के नव नियुक्त प्रदेश अध्यक्ष श्री कैलाश नाथ सिंह यादव का अमरोहा (ज्योतिबा फूले नगर जनपद में) पुलिस द्वारा उत्पीड़न विषयक नियम 311 के अन्तर्गत सूचना

श्री समर पाल सिंह -

मान्यवर, 19 मार्च को लोक दल के प्रदेश अध्यक्ष श्री कैलाश नाथ सिंह यादव अमरोहा गये थे। वे आर्य समाज के प्रदेश अध्यक्ष भी हैं। उनसे दयानन्द बाल मंदिर जूनियर हाईस्कूल में व्याप्त अनियमितताओं की शिकायत की गई थी। उन्होंने और उनके साथ डा0 धीरज सिंह जो आर्य समाज अमरोहा के प्रशासक हैं, ने वहां जाने से पहले वहां के जिलाधिकारी से बात करना उचित समझा। प्रातः 11 बजे उन्होंने इनसे सम्पर्क स्थापित किया। जिलाधिकारी ने पूरी बात सुनने के बाद जो एस0डी0एम0 सम्बन्धित थे उनसे साथ में जाकर समस्या के निराकरण के लिए कहा। प्रशासन का सुनियोजित षडयन्त्र था। एस0डी0एम0 ने कहा कि आप चलें हम तुरन्त पहुंच रहे हैं। कैलाश नाथ जी, धीरज सिंह जी, कुछ अन्य साथियों के साथ वहां पहुचें। वहां पर हरिओम अग्रवाल, विष्णु अग्रवाल और उस स्कूल की बर्खास्त प्रधान अध्यापिका इन्दिरा अग्रवाल तमाम सहयोगियों के साथ वहां उपस्थित थी। धीरज सिंह जी उस स्कूल के प्रशासक भी हैं, उन लोगों ने श्री कैलाश नाथ सिंह और सहयोगियों के साथ बद्तमीजी और मारपीट की घटना की। उनकी सोने की चेन और साढ़े आठ हजार रुपये छीन लिए गये। वहां पर पुलिस आई। श्री कैलाश नाथ सिंह जी के कहने पर पुलिस ने हरिओम् अग्रवाल आदि के विरुद्ध 394-395 का मुकदमा दर्ज किया। उन्होंने कहा कि कप्तान से बात करके इन लोगों को गिरफतार करेंगें। लेकिन थोड़ी देर के बाद एस0ओ0 आते हैं और कैलाशनाथ सिंह जी के खिलाफ और उनके सहयोगियों चन्द्र पाल सिंह, तेजपाल सिंह, धीरज सिंह, श्रीमती आशा और श्रीमती अनीता चौधरी के विरुद्ध 147/148/149/323 का मुकदमा दर्ज कर दिया गया। जब उनसे पूछा गया कि किस बात का मुकदमा दर्ज किया गया तो उल्टे चालान करके उनको जेल भेजने का काम किया गया। मान्यवर, बहुत ही चिन्ताजनक बात है। जिस पीठ पर आप आज आसीन है।, उसी पीठ पर आप 1991 में भी आसीन थे, उस समय माननीय कैलाश नाथ यादव नेता प्रतिपक्ष के रूप में बैठा करते थे, वह इस प्रदेश के शिक्षा मंत्री भी रह चुकें हैं, कई बार इस विधान सभा के सदस्य भी रहे हैं और दो बार पार्लियामेंट के सदस्य भी रह चुके हैं, इस समय वह लोकदल पार्टी के अध्यक्ष हैं, इस सबके बाबजूद एक बहुत ही मामूली दफा 323 के अन्दर गलत रिपोर्ट लगाकर जेल भेज दिया गया। भारतीय जनता पार्टी की सरकार 302 के मुलजिमों को नहीं पकड़ पा रही है, वह सब छुट्टा घूम रहें हैं, उनको पकड़ने में सरकार पूर्णतः विफल है और एक राजनैतिक व्यक्ति जो प्रदेश की राजनीति के शीर्ष स्थान तक पहुंच चुका हो, अपने विरोधियों का दमन करने के लिये 323 जैसी मामूली दफा में जेल भेज दिया।

मान्यवर, उनको जेल भेजने में भी साजिश की गई, यह घटना 12 बजे सुबह की है, यदि समय से चालान प्रस्तुत हो जाता तो उनको न्यायालय से जमानत मिल जाती, लेकिन जानबूझकर शाम 4 बजे तक चालान प्रस्तुत नहीं किया गया जिसकी वजह से वह जेल जाने को मजबूर हुये, इससे ज्यादा महत्वपूर्ण और कोई घटना नहीं हो सकती। इस सरकार का मुखौटा इससे साफ हो चुका है। यह फासीवादी सरकार है। आर0एस0एस0 के लोगों के इशारे पर कैलाश नाथ यादव को अपमानित किया गया। जो लोग भारतीय जनता पार्टी के विरोधी हैं, उनको दंडित करने, अपमानित करने का काम सरकार में बैठे लोग कर रहे हैं। हम लोग रोज इस बात पर अपनी आपत्ति दर्ज कराते हैं, सरकार के संज्ञान में लाते हैं, लेकिन किसी के खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं हो रही है। इस सरकार ने अपने विरोधियों को प्रताड़ित करने के लिये अपने लोगों को खुली छूट दे रखी है, इस पर आप चर्चा कराने की कृपा करें।

श्री अध्यक्ष-

माननीय समरपाल जी को सुनने के पश्चात।

श्री समर पाल सिंह-

संसदीय कार्य मंत्री इस पर कोई जवाब नहीं देगें। जो लोग दोषी हैं, उनके खिलाफ क्या कार्यवाही की जायेगी, हत्यारे खुलेआम घूम रहें हैं, वह पकड़े नहीं जाते।

श्री अध्यक्ष-

मैं नियम 311 की इस सूचना को निरस्त कर रहा हूं। मैं आपको अनुमति नहीं दे रहा हूं। 311 की सूचना पर अध्यक्ष की सहमति से ही प्रस्ताव हो सकता है (कई सदस्यों के खड़े होने पर) आप लोग स्थान ग्रहण करें। आपकी बात सुनने का अनुरोध था, सो मैंने सुन लिया। कल से मुझे और कड़ा रुख अख्तियार करना पड़ेगा। मैंने सोचा था कि 2 बजे के करीब बजट शुरू हो जायेगा, रोज मैं बिना कहे हुये नियम शिथिल करता हूं।

संसदीय कार्य मंत्री (श्री हुकुम सिंह)-

मान्यवर, यह घटना 19-3-99 की है। माननीय कैलाश नाथ यादव, लोकदल पार्टी के अध्यक्ष हैं, वह जिलाधिकारी से मिले, उन्होंने कहा कि मैं एस0डी0एम0 को भेजता हूं, वह जाकर जांच कर लेगें लेकिन इन लोगों ने एस0डी0एम0 की प्रतीक्षा नहीं की और अपने साथियों के साथ विद्यालय में पहुंच गये। वहां महिला प्रिंसिपल हैं, इन्दिरा अग्रवाल, उनको कुर्सी से उठाकर फेंक दिया और दूसरी अध्यापिका को बैठाने की कोशिश की। कोई भी व्यक्ति चाहे एम0पी0 रह चुका हो या कुछ भी हो, उसे कानून अपने हाथ में लेने का अधिकार नहीं है। यह लोग उनको कुर्सी से उठाकर फेंक देते हैं और कानून प्रतीक्षा करता रहे, ऐसा नहीं होगा। इनके खिलाफ 147, 148, 149, 504, 506 का मुकदमा कायम किया गया। आपने कहा वह बहुत शरीफ हैं, हम भी बहुत शरीफ हैं और आप भी बहुत शरीफ हैं, लेकिन सवाल इस बात का है कि घटना क्या हुई। मैं पूरी स्थिति को सदन के सामने रख रहा हूं।

एक महिला जो वहां की प्रिंसिपल थी, उसको उठाकर पंटक दिया और दूसरी महिला को बैठाने की कोशिश की, तब मुक़दमा कायम किया गया। यह 394 की बात कर रहें हैं। किसी दूसरे के स्कूल में जा रहें हैं, प्रधान अध्यापिका को पटक रहें हैं तो मुकदमा तो कायम होगा बाद में इसको 323/504 में संशोधित कर दिया गया। मेरा आग्रह है कि जिन लोगों ने शीर्ष पद पर आसीन होने के बाद भी इस तरह की हरकत की है, उनके प्रति कोई सहानुभूति नहीं होनी चाहिये.....

श्री हुकुम सिंह-

शासन ने वहां भयमुक्त होकर सही काम किया है और उत्तर प्रदेश सरकार इनकी कार्यवाही से सहमत है।

(व्यवधान)

श्री कौकब हमीद-

(व्यवधान) मान्यवर, श्री कैलाश नाथ यादव जैसा आदमी, आप जानते हैं, कि किसी महिला को क्या उठाकर फेंक सकते हैं, मान्यवर, ऐसा नहीं हो सकता है।

श्री अध्यक्ष-

(व्यवधान)

आप लोग बैठ जांए। माननीय सदस्य और मंत्री जी की बात आ गयी है, इसलिए मैं इस सूचना को निरस्त करता हूं।

(व्यवधान)

श्री समरपाल सिंह-

(व्यवधान)

मान्यवर, सरकार की दमनकारी कार्यवाही से व्यथित होकर मैं और मेरा दल सदन का बहिर्गमन करता है।

(श्री समरपाल सिंह अपने दल के सदस्यों के साथ सदन त्यागकर चले गये)

पिछड़ी जातियों के आरक्षण से सम्बन्धित क्रीमीलेयर प्रतिबन्धों की समीक्षा न किये जाने विषयक नियम 311 के अन्तर्गत सूचना

श्री अम्बिका चौधरी-

मान्यवर, मण्डल कमीशन की सिफारिशें लागू करने के समय जो स्थिति उत्पन्न हुई और उसके बाद सर्वोच्च न्यायालय ने फैसला दिया और आरक्षण को जायज मानते हुए क्रीमीलेयर का बन्धन लगा दिया। क्रिमीलेयर में उस समय क्लास-1 और क्लास-2 के अधिकारी जिनकी आय की सीमा एक लाख रुपये होगी वे क्रीमीलेयर में आयेगें और फिर पिछड़ी जाति होने के बावजूद उनके आश्रितों को लाभ नहीं दिया जायेगा।

मान्यवर, आज की स्थिति में मुद्रा-स्फीति और मंहगाई को देखते हुए एक लाख रुपये की आय की सीमा अप्रासंगिक व अव्यवहारिक हो गयी है। उस समय सर्वोच्च न्यायालय ने राय दिया था कि समय-समय पर प्रत्येक वर्ष इस आय की सीमा की समीक्षा होती रहे और आय की सीमा तथा क्रीमीलेयर की परिभाषा दी गयी है और कहा गया था कि इसे बढ़ाया और घटाया जा सकता है। मान्यवर, पांचवे वेतन आयोग की सिफरिशों के अनुसार क्लास-2 अधिकारियों का वेतनमान 2250-4500 जो पहले था इसे बढ़ाकर 6000-10,000 कर दिया है। तृतीय श्रेणी कर्मचारियों, अपर डिवीजन असिस्टेंट का वेतनमान 5000-8000 और 5500-9000 रुपये वेतनमान हो गया है। क्लास-3 के जो सरकारी कर्मचारी है, अवर वर्ग सहायक हैं जिनका वेतन क्रम रु0 4500-6300 है, वह भी आरक्षण की इस श्रेणी में नहीं आ पा रहें हैं, क्योंकि उनकी आय की सीमा एक लाख से अधिक हो रही है। मान्यवर, हमारे सचिवालय में जो टेलीफोन आपरेटर हैं, उनकी आय एक लाख से अधिक हो जाती है ओर उनको आरक्षण का लाभ नहीं मिल पा रहा है और जो मंडल कमीशन की मंशा थी वह पूरी नहीं हो पा रही है, मान्यवर, जो बात सीधे तरीके से नहीं नकारी जा सकती है, उसको इन्होंने इस प्रकार से नकार दिया है। तो मेरा आपसे अनुरोध है कि एक लाख की लिमिट को बढ़ा कर तीन लाख कर दिया जाये। आप इस पर विचार कर लें। उत्तर प्रदेश के अन्दर जो क्रिमीलेयर की परिभाषा दी गयी है, उस पर पुनः विचार करने की आवश्यकता है, तभी पिछड़े वर्ग के लोगों को लाभ मिल सकेगा। इसलिये इस विषय पर सदन में चर्चा करा लें।

नेता विरोधी दल (श्री धनी राम वर्मा)-

मैंने इस विषय को नियम 311 में प्रस्ताव के रुप में इसलिये दिया था कि यह प्रश्न प्रदेश के 10 लाख से ज्यादा लोगों से जुड़ा हुआ है, जिसमें हिन्दू और मुसलमान दोनों लोग आते हैं। मान्यवर, 27 प्रतिशत का आरक्षण पिछड़ी जातियों को दिया गया है, लेकिन उच्चतम न्यायालय ने उसमें एक शर्त लगा दी है कि जिनकी आमदनी एक लाख से अधिक न हो और जिनकी आमदनी एक लाख से अधिक होगी उनको यह सुविधा नहीं उपलब्ध होगी। वहीं पर यह भी निर्देशित किया गया था कि समय-समय पर प्रति वर्ष इसकी समीक्षा की जायेगी, एक समिति बैठाकर इसकी समीक्षा की जायेगी। चूंकि यह सरकार पिछड़ो की घोर विरोधी है इसलिए यह कोई समिति नहीं बैठा रही है। अगर यह पिछड़ों की विरोधी न होती तो एक समिति बैठाकर इस पर विचार कर लिया होता। चतुर्थ श्रेणी के जो कर्मचारी हैं उनकी भी आय एक लाख से ज्यादा हो जाती है। 3-4 एकड़ भूमि का जो मालिक है उसकी भी आमदनी एक लाख से ज्यादा हो जाती है और वह आरक्षण की सुविधा से वंचित हो जाते हैं। अगर इस सरकार को कोई चिन्ता होती तो निश्चित रूप से सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशानुसार कोई समिति गठित कर दी होती लेकिन ऐसा नहीं हुआ है। यहां पर मैं यह भी कह देना चाहता हूं कि माननीय मुलायम सिंह यादव जी ने यह भी निश्चित कर दिया था कि जो लोग सामान्य श्रेणी के होंगे, उनके साथ अगर कोई

पिछड़ी जाति का अभ्यर्थी आता है तो उसे सामान्य वर्ग की श्रेणी में माना जायेगा। उसके अतिरिक्त पिछड़े वर्ग के लोगों को 27 प्रतिशत का आरक्षण होगा लेकिन इस सरकार ने इस नियम को समाप्त कर दिया है। इस सरकार ने पिछड़ों के हक को छीना है इसलिए मैं प्रस्ताव करता हूं कि इस प्रश्न पर आज सदन में चर्चा करा दी जाय।

मैं मांग करता हूं कि यह सरकार तुरन्त एक समिति गठित करें और क्रीमीलेयर पुनः निर्धारित करें। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

संसदीय कार्य, पंजीयन मनोरंजन कर, स्टाम्प एवं न्यायालय शुल्क तथा खाद्य व रसद मंत्री (श्री हुकुम सिंह)-

संभवतः नेता प्रतिपक्ष को यह जानकारी होगी कि क्रीमीलेयर के बारे में उत्तर प्रदेश सरकार ने जो सीमा निर्धारित की थी उसे सर्वोच्च न्यायालय ने निरस्त कर दी और वही सीमा रखी गई जो कि केन्द्र सरकार निर्धारित करेगी। मान्यवर, यह निर्णय सर्वोच्च न्यायालय ने आशोक कुमार ठाकुर के केस में दिया था। मान्यवर, इस केस में एक परिभाषा केन्द्र द्वारा प्रस्तुत की गई थी और एक परिभाषा उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की गई थी जिसमें कि सर्वोच्च न्यायालय ने उत्तर प्रदेश सरकार की परिभाषा को निरस्त कर दिया। मान्यवर, उत्तर प्रदेश की अब अपनी कोई परिभाषा नहीं है। मान्यवर, उत्तर प्रदेश उन्ही मानको के हिसाब से चलता है जो केन्द्र सरकार द्वारा निर्धारित किये जाते हैं। अभी हाल में भी उत्तर प्रदेश सरकार ने केन्द्र सरकार से मार्गदर्शन मांगा है कि आपके यहां रुपये के अवमूल्यन के बारे में कोई संशोधन किया जा रहा है या नहीं। मान्यवर, जो दिशा निर्देश केन्द्र सरकार से आयेंगे उसी दिशा निर्देश पर हम चलेंगे।

श्री धनीराम वर्मा-

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से पूछंना चाहता हूं कि क्या उत्तर प्रदेश सरकार ने कोई सीमा निर्धारित करते हुए केन्द्र सरकार का निर्देशन चाहा था या कोई समिति गठित किये बिना ही, या कोई सीमा बांधे बिना ही केन्द्र सरकार का निर्देश चाहा था।

श्री हुकुम सिंह-

मान्यवर मैंने स्पष्ट कहा है कि वर्ष 1994-95 में दिये गये सुप्रीमकोर्ट के निर्णय के आधार पर हम केन्द्र सरकार द्वारा निर्धारित क्राइटेरिया पर चलने के लिए पाबन्द है।

श्री धनीराम वर्मा-

मान्यवर यह सुप्रीम कोर्ट का ही निर्देश है कि प्रत्येक वर्ष क्रीमीलेयर की समीक्षा की जाये। मान्यवर, यह सरकार बताने की कृपा करेगी कि क्या कोई समिति गठित की गई है, और इस सम्बन्ध में इस समिति की सिफारिशें सरकार को भेजी हैं या नहीं। यदि ऐसी समिति गठित नहीं की गई है तो क्यों और कब तक गठित होगी।

श्री अध्यक्ष-

चूंकि मामला सुप्रीम कोर्ट में गया था और उसके अनुसार उत्तर प्रदेश उन्हीं मानको पर चलेगा जो कि केन्द्र सरकार द्वारा निर्धारित किये जायेंगे।

श्री धनीराम वर्मा-

मान्यवर, मैं सरकार से मात्र इतनी सी बात ही पूंछना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश की जो समस्यायें है, जो सरकमस्सटान्सेज है, जो वेतन वृद्धियों का मामला है, जो महंगाई हो गई है, इन सब समस्याओं के बारे में केन्द्र सरकार के पास कोई सिफारिश भेजेगी।

श्री हुकुम सिंह-

मान्यवर, दिक्कत यह है कि सारी बातें स्पष्ट होते हुए भी यदि कोई न समझना चाहे तो क्या किया जाये। अशोक कुमार ठाकुर वाले केस में निर्देश, इन्ट्रक्शन्स सीधे-सीधे केन्द्र सरकार को दिए गये थे। उत्तर प्रदेश सरकार में जो मानक तैयार किया गया सर्वोच्च न्यायालय ने यह कहकर इन्कार कर दिया है कि केन्द्र सरकार ने जो मानक निर्धारित किए थे, वहीं होने चाहिए। प्रदेश सरकार अपनी स्थिति अलग रखे इससे ज्यादा हास्यास्पद और क्या हो सकता है। सर्वोच्च न्यायालय का 4-9-95 का आदेश है, इसमें यह कहा गया है कि जो 8 सितम्बर, 1993 में निर्धारित क्रीमीलेयर की परिभाषा है, उसको माना जाये। एक बात आई कि रुपये का अवमूल्यन हो गया है, पांचवे वेतन आयोग की सिफारिशें आ गयी, तनख्वाह बढ़ा दी गयी है। क्या रुपये के अवमूल्यन को, पंचम वेतन आयोग की अनुशंसा को ध्यान में रखते हुए आप संशोधन करवा रहे हैं।

श्री अध्यक्ष-

भारत के संविधान की प्रति है क्या, जरा उसका अनुच्छेद-141 पढ़ दीजिये।

श्री हुकुम सिंह-

मान्यवर, पढ़ देता हूं, सम्भवतः नेता विरोधी दल स्वीकार कर लें। "दि ला डिक्लेयर्ड बाई दि सुप्रीम कोर्ट शैल बी बाइडिंग आन आल कोर्टस् विदिन दि टेरीटोरी आफ इण्डिया।

इसका अर्थ यह हुआ कि सर्वोच्च न्यायालय जो कानून की परिभाषा कर देगा वह परिभाषा सब पर लागू होगी, वह कानून होगा, वह परिभाषा नहीं होगी, वह कानून ही होगा।

श्री धनीराम वर्मा-

क्या सर्वोच्च न्यायालय ने यह भी कहा है कि प्रति वर्ष इसकी समीक्षा की जाये। यदि समीक्षा नहीं हुई है तो होनी चाहिए थी। मैं मार्गदर्शन की बात नहीं कर रहा हूं, मैं सिफारिश की बात कर रहा हूं।

श्री अध्यक्ष-

यह तो बात आ गयी।

श्री धनीराम वर्मा-

मान्यवर, कोई मरीज बीमार है और यह समझ लिया जाए कि मर जायेगा, क्या उसकी दवा नहीं कराइयेगा, यह तो कोई बात नहीं हुई। बीमार है तो उसको दवा अवश्य दी जानी चाहिए। पिछड़ी जातियां इस वक्त परेशान हैं और सरकारी नौकरियों में उनके बच्चों को नौकरियां नहीं मिल रही है। श्रीमन्, मैंने जो मांग की है, एक समिति गठित करने के लिए। यह सरकार यहां घोषणा करे कि उस समिति की जो रिपोर्ट हो वह केन्द्रीय सरकार को भेजी जाये। यह घोषणा आज सदन में होनी चाहिए।

श्री हुकुम सिह-

हमारे सामने स्थिति स्पष्ट है। मान्यवर, हमने इसका अध्ययन कर लिया है। सर्वोच्च न्यायालय से केन्द्र सरकार को निर्देश दिए गये हैं और प्रदेश सरकार को निर्देश हैं कि केन्द्रीय सरकार जिस तरह इसको लागू करेगी, प्रदेश सरकार उसी के अनुरूप कार्यवाही करेगी।

श्री अम्बिका चौधरी-

मान्यवर, एक स्पष्टीकरण चाहूंगा। अभी माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी ने जो अवगत कराया कि हमने उनके दिशा-निर्देश चाहे हैं। मुद्रा स्फीति और रुपये के अवमूल्यन के आलोक में हमने उनके दिशा-निर्देश चाहे हैं। इसी सन्दर्भ में माननीय नेता विरोधी दल यह चाहते हैं कि आप कोई कमेटी बनाकर उनके दिशा-निर्देश क्यों नहीं प्राप्त कर लेते?

श्री धनीराम वर्मा-

मान्यवर, यह सरकार दलितों की घोर विरोधी है और उनका शोषण करने पर उतारू है।

श्री अध्यक्ष-

माननीय श्री धनीराम वर्मा जी को सुनने के पश्चात् इस सूचना को मैं नियम 311 में नहीं लेता हूं और इसे अग्राह्य करता हूं।

श्री धनीराम वर्मा-

दलितों के उत्पीड़न और शोषण के खिलाफ मैं और मेरा दल सदन का त्याग करता है।

(नेता विरोधी दल अपने दल के सदस्यों के साथ सदन त्यागकर चले गये)

वित्तीय वर्ष 1999-2000 के आय-व्ययक में अनुदान की मांग पर चर्चा एवं मतदान अनुदान संख्या 95-उत्तरांचल विकास विभाग

* उत्तरांचल विकास मंत्री (श्री रमेश पोखरियाल "निशंक")-

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 2000 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 95 उत्तरांचल विकास विभाग के अंतर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए 7,53,40,77,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

मान्यवर, उत्तरांचल की अपनी एक विषम भौगोलिक और आर्थिक स्थिति रही है, उत्तरांचल का अपना एक विशिष्ट स्थान है। उत्तरांचल ने पूरे देश के लोगों को एक सूत्र में बांधा है। यहां पर चार धाम है। श्री बद्रीनाथ, श्री केदारनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री। उत्तरांचल ने जहां एक ओर देश के लोगों को एक सूत्र में बांधने का काम किया है वहीं पर अपने रमणीक पर्यटन स्थलों बद्रीताल, केदारताल के कारण यह धरती पर स्वर्ग कहलाता है। महाकवि कालिदास की जन्मस्थली कालीमठ, रुद्र प्रयाग में है। उत्तरांचल की धरती पर पवित्र कण्व आश्रम है जहां पर महाराज भरत का जन्म हुआ था। इसके अलावा महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानी श्री चंद्रसिंह गढ़वाली भी यहां की धरती पर जन्में थे जो पेशावर कांड के मुख्य अभियुक्त थे और वहां की धरती पर रहने वाले प्रत्येक परिवार में से कम से एक व्यक्ति सेना में है जो देश की सीमाओं की रक्षा में तत्पर है यही नहीं, मध्य हिमालय दुनिया के अंदर पहला स्थान है जहां से लगी हुई देश की सीमाओं की मां-बहनें तीन-तीन विदेशी सीमाओं की रक्षा में तत्पर हैं। वहां की वीरबाला कीलू का नाम अमर है। मान्यवर, धार्मिक दृष्टि से मध्य हिमालय ने पूरी दुनियां का मार्गदर्शन किया है। जब-जब भौतिकवाद से ऊबकर दुनियां के लोग हिमालय की गोद में आये हैं तो उन्होंने एक नये जीवन की शुरूआत की है। इसीलिये भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने इस महत्वपूर्ण क्षेत्र के महत्व को देखते हुए इस क्षेत्र के सर्वांगीण विकास के लिये 1140 करोड़ रुपये के परिव्यय को सुनिश्चित किया है। यह परिव्यय गत वर्ष 1026 करोड़ रुपये का था जिसमें इस वर्ष 11 प्रतिशत की बढ़ोत्तरी की गयी है। मान्यवर, जिला योजना के लिये 340 करोड़ रुपये का प्राविधान किया गया है। यह पहला अवसर है जब केन्द्र सरकार से 340 करोड़ रुपये की विशेष सहायता उत्तरांचल विकास विभाग को दी गयी है। हमने इस बजट की 70-75 प्रतिशत धनराशि वहां के ग्रामीण अंचलों पर व्यय करने का मन बनाया है। मान्यवर, इसी आधार पर उत्तरांचल की विशेष भौगोलिक स्थिति को देखते हुये, वहां की आर्थिक नियोजन करने की कोशिश की गयी है।

(इस समय 3 बजकर 38 मिनट पर अधिष्ठाता श्री कौकब हमीद पीठासीन हुए।)

---

* वक्ता ने भाषण का पुनरीक्षण नहीं किया।

श्रीमन् औद्यानिक क्षेत्र और कृषि क्षेत्र में जो 50 प्रतिशत से अधिक ढाल वाले क्षेत्र थे वहां सदा बहार वृक्षारोपण की, फल पट्टी और सब्जी पट्टी की विशेष रूप से योजना चला रहे हैं जिस तरीके से हिमांचल प्रदेश की सरकार ने अपने यहां बागवानी, चाय के बागान व पुष्प उत्पादन को वरीयता दी उसी तरीके से फल पट्टी, सब्जी पट्टी, चाय की खेती, मसालों की खेती के लिए हमने विशेष प्रशिक्षण दिया है। चाय की दिशा में दो बड़े प्रोजेक्ट चल रहे हैं। कौशानी और नाटी में चाय का उत्पादन कर रहे हैं। वह दिन दूर नहीं जब उत्तरांचल चाय उत्पादन का एक बहुत ही महत्वपूर्ण केन्द्र हो जायेगा। औद्यानिक विशेषताओं को देखते हुए एक औद्यानिक महाविद्यालय खोलने का निर्णय लिया है।

यह पूरे प्रदेश में पहला औद्यानिक विद्यालय होगा इसके लिए हम भगीरथ प्रयास कर रहे हैं। यहां पर फल पट्टी और सब्जी पट्टी के निर्माण के साथ-साथ इस पर आधारित यूनिट लगाने की कोशिश कर रहे हैं। 1350 लाख रुपये के बजट का परिव्यय इस दिशा में सुनिश्चित किया गया है। जलागम प्रबन्धन के क्षेत्र में जो हिमालय का क्षेत्र है बहुत ही महत्वपूर्ण है, सामरिक दृष्टि से और पर्यावरण की दृष्टि से भी। इसलिए उस क्षेत्र में जलागम प्रबन्ध परियोजना के तहत 26 जलागमों के द्वारा, 100 उपजलागमों, 1120 सूक्ष्म जलागमों का दोहन वहां के सर्वांगीण विकास की दृष्टि से उत्तराचंल विकास विभाग कर रहा है। इस दृष्टि से जलागम का जो अस्थायी निदेशालय था उसे निकट भविष्य में उसे एक स्थायी निदेशालय बनाने का लक्ष्य है। शिवालिक पर्वत श्रृंखला, भारत सरकार की विश्व बैंक सहायतित परियोजना है, इस पर काम हो रहा है।

पिछली बार मालपा और ऊखीमठ में त्रासदी आयी थी तो माननीय मुख्यमंत्री जी का दोनों स्थानों पर प्रवास हुआ था, उन्होंने वहां की स्थिति को देखा तो माननीय मुख्यमंत्री कल्याण सिंह जी ने कहा था कि यह भूस्खलन नहीं पर्वत स्खलन हो रहा है। तभी उनके मन में एक बात आयी थी कि यहां एक महत्वाकांक्षी योजना की आवश्यकता है। इसी दृष्टिकोण से "ईको रिस्टोरेज आफ यू0पी0 हिल्स की 2100 करोड़ रुपये की परियोजना है जिससे जल संसाधन, वहां का पर्यावरण, वहां का विकास, मार्केट सुविधायें और हर दृष्टि से विकास किया जायेगा। 4 चरणों में चलने वाली 2100 करोड़ रुपये की परियोजना विश्व बैंक में प्रस्तावित किया है और बहुत जल्दी ही उसकी स्वीकृति मिल जायेगी। उत्तराचंल में पेयजल का बहुत संकट रहता है। गंगा और यमुना को देनी वाली इस धरती में पानी की कमी नहीं है लेकिन जो भौगोलिक स्थिति है, तमाम प्रकार की परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है। आग लग जाने से, भूस्खलन से जो श्रोत हैं वह खत्म हो जाते हैं। अब तक 30478 बस्तियों में से 27484 बस्तियां संतृप्त हो चुकी हैं, 624 आंशिक रूप से, 368 बस्तियां जिनको स्वच्छ पेयजल की नितान्त आवश्यकता है उनको पेयजल उपलब्ध नहीं है, यह वहां की स्थिति है। हमने पिछली बार 152.08 करोड़ रुपया, इतनी महत्वपूर्ण धनराशि केवल पेयजल की सुविधाओं पर वहां पर दिया है। न्यूनतम कार्यक्रम के अन्तर्गत भारत सरकार से जो मिल रहा है उसमें 836 पेयजल योजनाओं

का पुनर्गठन किया है। 774 डिग्गियों का निर्माण किया है। दशम् वित्त आयोग के द्वारा पिथौरागढ़, नैनीताल, हल्द्वानी, पौड़ी के सुदृढ़ीकरण के लिए 12 करोड़ रुपया स्वीकृत हुआ है। स्वजल परियोजना के माध्यम से 200 करोड़ रुपये की परियोजना से उत्तरांचल के क्षेत्र में एकल ग्राम है जिनको पेयजल की नितान्त आवश्यकता है। उन स्वजल पेयजल योजनाओं से चार चरणों में बनने वाली इस योजना के लिए 1999-2000 के लिए 58.43 करोड़ का प्राविधान किया गया है। 650 गांवों को स्वजल पेयजल के माध्यम से हम पेयजल की सुविधा उपलबध करायेंगे। जो महत्वपूर्ण सेक्टर यातायात का है आज भी 80-80, 90-90 कि0मी0 दूर से लोग पैदल चलकर आते हैं। यहां चिकित्सालय भी नहीं होते हैं, अन्य सुविधाएं नहीं होती इसलिए सरकार ने दृढ़ता से यह तय किया है कि यातायात की सुविधा को शीर्ष प्राथमिकता पर रखकर कार्य करेंगे। पिछली बार यातायात की सुविधा के लिए 108 करोड़ का प्राविधान किया गया था इस वर्ष इसे बढ़ाकर 185 करोड़ कर दिया गया है। अभी तक 144 मोटर मार्गों को 853 कि0मी0 का बनाया गया एवं हल्के मार्गो को 367 कि0मी0 बनाया गया। जब से यह सरकार आई है तब से डेढ़ हजार कि0मी0 मोटर मार्गो को बनाने की स्वीकृति इसने दी है। जिसके तहत 50-50 कि0मी0 प्रत्येक विधान सभा क्षेत्र में इसका निर्माण कराया जाय।

इसके अलावा प्रत्येक विधान सभा क्षेत्र में पांच-पांच मिसिंग पुलों का निर्माण का प्राविधान किया गया है। पिछले 30-30 वर्षों से मिसिंग सड़क न बनने के कारण करोड़ो रुपये का सड़कों का उपयोग नहीं हो रहा था इस सरकार ने मिसिंग सड़कों के लिए 124 करोड़ 27 लाख रुपये की स्वीकृति दी है। प्रत्येक विधान सभा क्षेत्र में 40 कि0मी0 के नये मोटर मार्ग प्रस्तावित है। इसके अलावा एक हजार से अधिक आबादी वाले गांवों को आगामी वर्ष तक पूरी तरह से यातायात से जोड़ दिया जायेगा। इसके अलावा 500 से अधिक आबादी वाले गांवो को दीनदयाल सम्पर्क मार्ग से जोड़े जाने का सरकार का संकल्प है। अभी गढ़वाल में 5,000 कि0मी0 और कुमायूं में 3,000 कि0मी0 कच्चे मार्ग हैं। विगत 30-30, 40-40 वर्षों से यह कच्चे मार्ग हैं इसलिए एक महत्वाकांक्षी परियोजना के माध्यम से जिसमें विश्व बैंक के माध्यम से इन सड़कों के पक्कीकरण की योजना बनाई गई है। इसका प्रस्ताव विश्व बैंक को शीघ्र ही प्रस्तुत करने जा रहे हैं। अधूरे जो काम है उनको शीघ्र पूरा करने के लिए यह सरकार कटिबद्ध है। दशम् वित्त आयोग से 405.3 करोड़ की अधिमुक्ति हुई है।

शिक्षा के क्षेत्र में पहाड़ ने हमेशा से प्रतिभाओं का निर्यात किया है। शिक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए, उत्तरांचल की शिक्षा को सुदृढ़ करने के लिए इस सरकार ने संकल्प लिया है। इसी संकल्प के साथ पिछली बार जो 100 राजकीय हाईस्कूल और 99 जूनियर हाईस्कूल में पदो का सृजन किया गया था उन पदों का सृजन हो गया है। बेसिंक शिक्षा में यह पहला अवसर था जब 1087 प्राथमिक जूनियर हाईस्कूल के 2,341 पदों का एक साथ सृजन किया गया। माध्यमिक शिक्षा में 658 पदों का सृजन किया गया। प्रवक्ताओं के 900 पद, हाईस्कूल प्रधानाचार्यों के 54, पद इण्टर कालेज के प्रधानाचार्यों के 100 पद एक साथ सृजित किये गये।

निजी क्षेत्र के 50 विद्यालयों को 50 लाख रुपये भवन निर्माण के लिए दिये गये। प्रत्येक विधान सभा क्षेत्र में पांच हाईस्कूल और पांच इण्टर कालेज जिसमें भवनों की आवश्यकता हो उनकी पांच कक्षाओं के लिए 50-50 लाख रुपये की व्यवस्था की गई है। भवन हीन 123 विद्यालयों के लिए 4-4 लाख रुपये चार कक्षाओं के लिए दिए गए हैं। प्रत्येक विधान सभा में चार-चार भवनहीन विद्यालयों को भवन देने का लक्ष्य भी पूरा कर दिया गया है। 16 राजकीय हाईस्कूलों को इण्टर हेतु 413.69 लाख रुपये का प्राविधान किया गया है, जिन स्कूलों के भवन ध्वस्त हो गये थे, उनके लिये भी धनराशि स्वीकृति की गई है। 4 महाविद्यालयों के लिये भी 120 लाख रुपये का प्राविधान किया गया है और उनके भवनों का निर्माण किया जा रहा है। उत्तरांचल विभाग की एक महत्वपूर्ण उपलब्धि यह भी है कि हम 21वीं सदी की तरफ जा रहे हैं, जब तक हम छात्रों को तकनीकी दृष्टि से ज्ञान नहीं देंगे तो उनका समग्र विकास नहीं हो पायेगा, इसलिये निर्णय लिया गया था कि उत्तरांचल के प्रत्येक तहसील में राजकीय बालिका/बालिका इण्टर कालेजों में हम कम्प्यूटर का प्रशिक्षण देंगे इसलिए इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए हमने 2327 लाख रुपये की स्वीकृतियां जारी कर दी है और 40 स्थानों पर हम कम्प्यूटर का प्रशिक्षण देंगे और 10 महाविद्यालयों में हम अतिरिक्त प्रशिक्षण देंगे।

कम्प्यूटर की दिशा में साफ्टवेयर पार्क का होना उत्तरांचल में एक बहुत बड़ी उपलब्धि होगी और उस दिशा में कार्यवाही चल रही है। इंजीनियरिंग कालेजों में उपकरण उपलब्ध कराने और उनके भवन निर्माण हेतु 315 लाख रुपये स्वीकृत किये गये हैं। असेवित महाविद्यालयों में विशेषकर महिला विद्यालयों की स्थापना करने का भी प्रस्ताव है। निजी पूंजी निवेश को प्रोत्साहन देने की दिशा में भी इस सरकार ने निर्णय लिया है कि यदि कोई महाविद्यालय खोलता है तो एक संकाय के लिए 30 लाख रुपये और एक से अधिक संकाय के लिए 50 लाख रुपये दिये जायेंगे और इसके लिए 129.32 करोड़ रुपये का प्राविधान किया गया है। चिकित्सा सुविधा की दिशा में भी हमारी बहुत महत्वपूर्ण उपलब्धि रही है। हमारे प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, एस0ए0डी0 केन्द्र थे जो छोटे-छोटे घरों में चलते थे, एक-एक कक्ष में चलते थे उनका वह स्वरूप नहीं आ पाता था। यह पहली सरकार है जिसने पूरे मनोयोग से 1998-99 में 4 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, 12 सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र और 22 एस0ए0डी0 केन्द्रों का निर्माण किया और 23 उपकेन्द्रों की स्वीकृति जारी की। वहीं 1999-2000 में हमारा लक्ष्य है कि हम 10 सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, 12 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, 12 एस0ए0डी0 और 24 उपकेन्द्र के भवनों का निर्माण करायेंगे। मान्यवर, आयुर्वेद के क्षेत्र में हिमालय में दुर्लभ जड़ी-बूटियों की संभावनाओं को देखते हुए जहां जड़ी-बूटी संस्थान कार्य कर रहा है वहीं उत्तराचंल में 95 आयुर्वेदिक चिकित्सालय हर विधान सभा क्षेत्र में पांच-पांच चिकित्सालय खोलने का प्रस्ताव है और इस तरफ सरकार पूरा प्रयास कर रही है। 1997-98 में 1175.14 लाख रुपये का परिव्यय था 1998-99 में यह दुगना हो गया और इस समय 1999-2000 में इस हेतु 2833 लाख रुपये का परिव्यय रखा गया है। मान्यवर, पर्यटन की दिशा में उत्तरांचल को धरती का स्वर्ग कहा जाता है।

मेरी यह मान्यता है कि उत्तरांचल की धरती में सैकड़ो स्वीटजरलैण्ड हैं केवल आवश्यकता इस बात की है कि नियोजन ठीक से हो और ऐसे स्थान जो प्राकृतिक सौंदर्य को बिखेरते हों उनको विकसित किया जाय, इस क्षेत्र में सरकार ने बहुत महत्वपूर्ण कार्य किया है। पिछली बार हमने कुछ ऐसे स्थानों को चिन्हित किया है। मान्यवर, पर्यटक के लिए सबसे पहली बात आवास की होती है, इसके लिए हमने 1528 शैय्यायें अभी तक तैयार कर दी हैं और 1190 इस मार्च में पूरी तैयार हो जायेंगी और जो आगामी लक्ष्य है 916 शैय्या का इसको पूरी तहर से तैयार कर लेगें ताकि पूरी दुनिया के आने वाले पर्यटक को कोई भी असुविधा न हो। बद्रीनाथ में 500 शैय्याओं का एक बंगला तैयार किया है वहीं केदारनाथ में 14 कि0मी0 के यात्रा मार्ग का विद्युतीकरण किये जाने का महत्वूपर्ण निर्णय लिया है। इसी तरह से चिकित्सा के लिये मार्ग में 5-6 स्थानों पर चिकित्सालय खोले हैं और भवनों का निर्माण भी कराया जा रहा है। पेयजल की दृष्टि से यात्रा मार्ग पर पेयजल की भी व्यवस्था कराई है। बस अड्डे भी श्रीनगर, ऋषिकेश, बद्रीनाथ, गंगोत्री के रास्तों पर निर्माण कराया जा रहा है। पर्यटन की दृष्टि से उत्तराखंड के विकास के लिये एक योजना के रूप में लेकर वहां के बेरोजगार नवयुवकों को रोजगार देने की दिशा में महत्वपूर्ण पहल की है। इसके लिये 10 लाख ऋण का उपादान किया है, जिसमें 20 प्रतिशत की सब्सीडी होगी। जो वहां के जो प्रशिक्षित नौजवान हैं उनको छोटे-छोटे स्थानों पर अपना होटल चलाने और होटल के व्यवसाय से पयर्टन के क्षेत्र को बढ़ावा देने का अवसर मिलेगा।

इसी दृष्टि से कुमाऊं में काला, विनसर, थल्ली सैंण आदि स्थानों को चयनित किया है। झीलें और ताल उत्तराखंड की महत्वपूर्ण उपलब्धि हैं। झीलों के निर्माण के लिये नैनीताल और उससे लगे और तालों भुग्याल आदि जो हैं उसके लिये 252 करोड़ रुपये की योजना भारत सरकार को भेजी हैं। जिसमें से भारत सरकार ने विशेष अनुदान की दिशा में 80 लाख रुपये उत्तर प्रदेश सरकार को उपलब्ध करा दिया है। जो पर्यटन के स्थल अपेक्षित हैं उनका भी जल्दी से जल्दी विकास करने की दिशा में लगे हैं ताकि वे किसी तरह से प्रकाश में लाये जा सकें। औली का अपना महत्व है यह शीतकालीन क्रीड़ा का अपना महत्व रखेगा। हम सन् 2000 में वहां नेशनल खेल कराना चाहते हैं और 2008 में वहां पर हमने एशियाड करवाने का मन बनाया है। इसी दृष्टि से वहां पर हम सुविधाएं उपलब्ध करा रहे हैं। औली और जो अन्य स्थल इस तरह के हैं उनके समुचित विकास का हम प्रयास कर रहें हैं। रानीखेत, कौसानी, मुन्स्यारी, फूलों की घाटी विन्सर आदि स्थानों को पर्यटन की दृष्टि से और अधिक विकास हो सके इसके लिये हम प्रयास कर रहें हैं। श्रीमन् होटल मैनेजमेंट के लिये अल्मोड़ा और देहरादून में तो जगह बना रहें हैं और दोनों जगह के यह इन्स्टीट्यूट बनकर तैयार होने वाले हैं। अभी इसमें 75 छात्रों को प्रशिक्षण दिया जायेगा। आगामी समय में इनकी संख्या बढ़कर 150 हो जायेगी। जो भी छात्र यहां प्रशिक्षित होगा वह बेकार नहीं रहेगा उसको फाइव स्टार होटल में नौकरी मिलेगी।

इसके लिये 26.50 करोड़ रुपये का प्राविधान इस सरकार ने किया है। ग्राम्य विकास की दिशा में पहले से धारणा है कि जब तक गांव मजबूत नहीं होगा वह क्षेत्र मजबूत नहीं हो सकता और जब तक वह क्षेत्र मजबूत नहीं होगा, वह प्रदेश मजबूत नहीं हो सकता और जब तक प्रदेश मजबूत नहीं होगा वह देश मजबूत नहीं हो सकता। हमने ग्राम्य विकास की दिशा में सशक्ता से पहल की है 90.07 करोड़ रुपये का प्राविधान विशेषकर ग्राम्य विकास और पंचायत राज के लिये किया है। ग्रामीण अवस्थापना के लिये आई0आर0डी0पी0 के तहत 23 हजार परिवारों को लाभान्वित किया है। जे0आर0वाई0 के अन्तर्गत 96.33 लाख रुपये की योजना है। इसमें हम मानव दिवस सृजित कर रहें हैं। सुनिश्चित रोजगार योजना के अन्तर्गत बेरोजगारों को रोजगार के लिये ।।8.8 लाख मानव दिवस को सृजन करने का लक्ष्य है। गरीबी एक अभिशाप है और हम उत्तराखंड की धरती से इसकों सदा के लिये मिटाना चाहते हैं।

ग्राम्य विकास की दिशा में आई0आर0डी0पी0 की योजना है उसे पशु-पालन से जोड़ा है, फल उत्पादन से जोड़ा है। पुष्पों के उत्पादन की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। गढ़वाल और कुमाऊँ में हम 300 परिवार पुष्पों की खेती से जोड़ना चाहते हैं। 50 हजार की योजना में 32 हजार की छूट देकर इसको शुरू करवा रहें हैं ढाई-तीन सौ परिवार इससे जुड़ेगे। निकट भविष्य में इसको हम और बढ़ाना चाहते हैं। इसी तरह से वानिकी के उत्पादन में उत्तरांचल ऐसा क्षेत्र हैं जहां 63 प्रतिशत वन क्षेत्र है पूरे देश के जो राष्ट्रीय पार्क हैं, वन पार्क हैं उत्तरांचल की धरती पर हैं कई बार कठिनाईयों का सामना भी करना पड़ता है वन क्षेत्र है मोटर मार्ग नहीं बन पाते हैं, वहां पेयजल की महत्वपूर्ण सुविधा उपलब्ध नहीं करा पाते हैं इस संबंध में हम विचार कर रहें हैं। वन मंत्री जी के साथ बैठक भी हुई भारत सरकार को इस दिशा में प्रस्ताव भेज रहें हैं। उत्तर प्रदेश सरकार वन विभाग की ओर से प्रयासरत हैं पर्यावरण संरक्षण उत्तरांचल से जुड़ा है उसको हम संरक्षित करना चाहते हैं। वनों की सुरक्षा पर सरकार द्वारा 47 करोड़ का परिव्यय निर्धारित किया गया है। निकट भविष्य में सरकार एक परिषद का गठन करना चाहती है।

"उत्तरांचल वानिकी परिषद्" जो वन कैसे सुरक्षित हों, वनों के साथ वहां विकास कार्यों का नियोजन कैसे हो इसके लिए "उत्तरांचल वानिकी परिषद्" के गठन पर विचार किया जा रहा है। वन व्यवस्था के साथ-साथ वन विभाग की व्यवस्था पर भी ध्यान दिया जाएगा। मान्यवर, 48 किलो मीटर सड़कों का पुनर्निमाण किया गया है। 200 कि0मी0 सड़कों का जीर्णाद्वार किया गया है। दीन दयाल उपाध्याय योजना के तहत हमने कार्य किया है। वन क्षेत्र में काम की कमी नहीं की गई है। वैस्ट लैण्ड का प्रोजक्ट आया है उसमें भी काम हो रहा है। श्रीमन् हमने सोचा है कि हम महिलाओं को रोजगार से जोड़ेगे। उत्तरांचल में 80 प्रतिशत महिलाओं की सहभागिता हो। पुरुष वर्ग रोजी-रोटी के लिए मैदानी इलाकों में या अन्य स्थानों पर निवेश कर रहें हैं। महिलाओं की सहभागिता विकास से कैसे जोड़ी जाए इसके लिए हमने

महिला वन पंचायत का गठन किया है। चारे की प्रजातियों के माध्यम से उनको काट देने का हमने मन बनाया है वह चारा प्रजातियों का उत्पादन करें। महिलायें पूरी तरह से सुदृढ़ता से सशक्त रुप से मजबूत हो सकें इसलिए उनको वानिकी से जोड़ने का प्रयास किया है। उद्योग की दिशा में बताना चाहूंगा उत्तरांचल के क्षेत्र में भारी उद्योग नहीं लग सकते हैं। इसलिए हमने वन जड़ी-बुटियां हैं, फल उत्पादन है उसके आधार पर छोटे-छोटे यूनिट लगाने का निर्णय लिया है। कुटीर उद्योग को हम प्राथमिकता देंगे खादी, रेशम, ऊन के संबंध में प्रशासन ने निर्णय लिया है। विकास आयुक्त के साथ निदेशक उद्योग को भी पूरे अधिकार दिये हैं। निदेशक को रेशम का अधिकार दिया है, मुख्य कार्यपालक खादी के अधिकार समाहित किए हैं। यह उत्तरांचल के विकास युक्त के नाम से होंगें रेशम, खादी, चाय और इससे संबंधित कपड़ा उद्योग का विकास किया जा सकेगा।

मान्यवर, इसमें जो सबसे बड़ी समस्या है, उत्पादन तो हो जायेगा।

श्री अधिष्ठाता-

माननीय मंत्री जी संक्षेप में करें।

डा0 रमेश पोखरियाल "निशंक"-

मान्यवर, मैं संक्षेप में कर रहा हूं। मान्यवर, उत्पादन तो हो जायेगा लेकिन विपणन नहीं हो पायेगा। तो इसके लिए हम दिल्ली में उत्तरांचल निवेश केन्द्र स्थापित करना चाहते हैं और इसके लिए हमने दिल्ली, नैनीताल, मंसूरी में विपणन क्रय केन्द्र स्थापित करने का निर्णय लिया है। हमने निर्णय लिया है जो निजी क्षेत्र में पूंजी निवेश है इसके लिये औद्योगिक गलियारा की स्थापना करेंगे ताकि निजी क्षेत्र में लोग पूंजी निवेश कर सकें। मान्यवर, उत्तरांचल औद्योगिक नीति की स्थापना के लिए मंत्री परिषद् ने एक उप समिति बनायी हैं जिसमें यह मामला विचाराधीन है जल्द ही इसकी घोषणा की जायेगी। मान्यवर, हमारे यहां खनिज सम्पदा की कमी नहीं है लेकिन उसका सही दोहन हो। इसके लिए हमने 17.76 करोड़ का उसमें प्राविधान किया है। ऊर्जा एक महत्वपूर्ण सेक्टर है। अभी बहुत सारे गांव उत्तरांचल में विद्युतीकृत नहीं हो पाये हैं इसके लिए सरकार ने नौंवी पंचवर्षीय योजना में प्राविधान किया है। हमने उत्तरांचल में पारेषण और वितरण की लाईनों का विकास किया है और तीन हजार पांच सौ क्षतिग्रस्त पोलों को ठीक करने का लक्ष्य रखा है।

1999-2000 में 252 गांवों को विद्युतीकरण करने का लक्ष्य रखा है और 252 अनुसूचित जाति तथा जनजाति के गांवों को विद्युतीकरण कर रहें हैं, 160 कि0 मी0, 32 के0वी0 की लाईन पहली बार हम वहां पर देने जा रहें हैं तथा 7 उप केन्द्र की स्थापना हुई है। 175 छोटे उप केन्द्रों की स्थापना का लक्ष्य पहली बार लिया है। वैकल्पिक ऊर्जा क्योंकि जहां पर विद्युत की लाईनें नही हैं, नहीं ले जायी जा सकती हैं, वैकल्पिक ऊर्जा करने की दिशा में उनको ही पैसा देकर अलग-अलग करके

विद्युतीकरण करायेगें । जल विद्युत परियोजना की दिशा में 12 करोड़ रुपये का प्राविधान किया है । हम वहां पर 4 हजार 550 किलोवाट का विद्युत उत्पादन कर रहें हैं । 42 गांव ऐसे हैं जहां वहीं से बिजली का उत्पादन होता है, उनको बिजली दे रहें हैं । लघु जल विद्युत परियोजनाओं के 49 स्थान चयनित किये गये हैं । सामाजिक सुरक्षा और कल्याण की दिशा में जो असहाय और निर्बल वर्ग के लोग हैं उनकी आजीविका और विकास की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण कदम उठाये हैं । 13.15 करोड़ रुपये का इसमें प्राविधान किया गया है । इसमें निराश्रित, विधवा, वृद्ध लोगों को पेंशन दी जायेगी और इससे करीब 6350 व्यक्तियों को इससे लाभान्वित किया जायेगा । मान्यधर, पशुपालन और दुग्ध उत्पादन की दृष्टि से यह रिकार्ड होगा, पहली बार सरकार ने दुग्ध उत्पादन की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाया है । चालू वर्ष मे 10437 दुग्ध समितियों के माध्यम से चौवन हजार तीस लीटर का दुग्ध उत्पादन कर रहें हैं । इसमें हम 78 हजार 280 लोगों को सीधा-सीधा लाभ दे रहें हैं । हमने महिला डेरी की स्थापना की हैं । महिला डेरी समितियों की विशेष योजना के माध्यम से 5 हजार 147 लीटर दुग्ध का उत्पादन प्रतिदिन हो रहा है । महिला कल्याण और बाल विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत भी हमने समुचित प्राविधान किया है । सैनिक कल्याण एंव पुनर्वासन हेतु सैनिकों की विधवाओं एवं आश्रितों हेतु हास्टल छात्रावासों का निर्माण की योजना है ।

मान्यवर, जो एक वीभत्स दृश्य उखीमठ और मालपा में देखने को मिला उसमें हमारी सरकार ने बड़ी ही सक्रियता से काम किया । मान्यवर, उसके लिए भी 25 करोड़ रुपये का प्राविधान किया गया है । मान्यवर, इसमें 371 व्यक्तियों और 930 पशुओं की जाने गयीं थीं । 612 ग्राम उसमें प्रभावित हुए थे उनको स्थायित्व देने की दिशा में काम किया जा रहा है । मान्यवर, हमने वित्त आयोग को प्रोजेक्ट भेजा है 210 करोड़ रुपये की क्षति हुई है, वह उत्तरांचल में सहायता करें । मान्यवर, प्रशासनिक आधार पर उत्तरांचल के संदर्भ में देहरादून और नैनीताल में सचिवालयों को सुदृढ़ किया गया है । नैनीताल में एक सचिव बैठते हैं और पूरा स्टाफ है । देहरादून में भी था लेकिन सही काम नहीं हो पा रहा था अब दो सचिव हैं और पूरा स्टाफ हैं । कुछ अनुभाग देहरादून में और कुछ अनुभाग नैनीताल में हैं । मान्यवर, दोनों सचिवालय सुदृढ़ हो सके इसमें अपेक्षित सफलता है ।

मान्यवर, उत्तरांचल की उपलब्धि है, इस सरकार द्वारा उत्तरांचल प्रदेश के निर्माण की । उसकी जमीन से लेकर उसके शीर्ष तक बनाने के लिए सरकार कटिबद्ध है । तीन बार यहां से प्रस्ताव पारित करके केन्द्र को भेजा हैं । केन्द्र सरकार के हम आभारी हैं कि जिन्होनें पहाड़ की पीड़ा को समझा और उसके निर्माण के लिए अपनी प्रतिबद्धता दुहराई । पुनः राष्ट्रपति जी के माध्यम से इस सदन को विधेयक भेजा और इस सदन में उस पर उपकार किया और विधेयक पारित करके केन्द्र में भेजा है उस पर अपने कुछ सुझाव भी दिए हैं केन्द्र सरकार को, जो बिल है वह लोक सभा में प्रस्तुत

है निकट भविष्य में जो उत्तरांचल का निर्माण होगा इसकी हम आशा करते हैं। जो उत्तरांचल बहुत वर्षों तक पिछड़ा अंचल और असहाय जैसा महसूस करता था उसके नियोजन की दिशा में कमी रह गई थी, इस देश के अन्दर महत्वूपर्ण योगदान देने वाले मणिपुर, मिजोरम, हिमांचल प्रदेश आदि राज्य बने हैं उत्तराचंल के लिए भली सरकार की मंशा पूरी होगी और हिन्दुस्तान का वह समर्द्ध प्रदेश साबित होगा। मैं सदन के माननीय सदस्यों से आग्रह करता हूं कि उनके सुझाव हमारा मार्ग दर्शन बनेगें।

श्री मुन्ना चौहान-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या-95 उत्तरांचल विकास विभाग अन्तर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाए। कमी करने का उद्देश्य विभागीय नीति की आलेचना करना तथा सुझाव देना है।

मान्यवर, मैंने अभी उत्तरांचल विकास मंत्री माननीय रमेश पोखरियाल निशंक जी का बजट भाषण बहुत मनोयोग के साथ सुना। श्रीमन् इसलिये भी बहुत ज्यादा जिज्ञासा थी कि उत्तरांचल राज्य निर्माण की जो प्रक्रिया है, वह काफी एडवांस स्टेज पर है। इस सम्मानित सदन के माध्यम से कई मर्तबा उसके प्रस्ताव पारित हुये हैं और अब जो संवैधानिक प्रक्रिया है, वह संवैधानिक प्रक्रिया के मुताबिक राज्य निर्माण की दिशा में कार्यवाही चल रही है। मैं यह मानकर चल रहा था कि माननीय मंत्री जी सदन के अन्दर जो बजट प्रस्ताव लेकर आयेंगे, वह किसी विभाग का बजट प्रस्ताव नहीं होगा, किसी योजना विशेष की चर्चा तक सीमित न होकर, वह भविष्य के प्रदेश का एक नक्शा होगा, एक ब्लू प्रिंट होगा कि जिस राज्य की हम परिकल्पना करते हैं, उस राज्य का स्वरूप क्या होगा, विकास का ढांचा किस तरह से तैयार किया जायेगा, आधार भूत जरूरतें क्या होगीं, किस दिशा में हम वहां के प्राकृतिक साधनों को मोबलाइज करेंगे जिससे एक समृद्ध राज्य का निर्माण कर सकें।

माननीय मंत्री जी वैसे तो हमारे मित्र हैं। मैं नहीं समझ सकता कि उधर रहकर उनकी कौन सी मजबूरियां रही होंगी क्योंकि जब कभी भी हम निजी बैठक में बातचीत करते है तो इस बात पर पूर्णतः सहमत होते हैं कि जो ढर्रा हैं, उससे हटकर कोई चीज हो उत्तराचंल राज्य निर्माण की जो मांग हैं, उसकी पृष्ठभूमि में झांक कर देखे तो तथ्य निखर कर आता है, उसकी बुनियाद में, उसके विकास की जो छटपटाहट है, भौगोलिक, सामजिक, आर्थिक दृष्टि से जो अलग तरह का क्षेत्र था या जो उसका विकास नहीं हो पाया, तभी उत्तराचंल राज्य के निर्माण की मांग उठी। कुल मिलाकर हम यह मानकर चल रहे थे कि इस तरह की कोई बात होगी, लेकिन माननीय मंत्री जी दकियानूसी हिसाब बता गये, मैं सोच रहा था कि वह उससे ऊपर उठने की कोशिश करेगे। यदि माननीय मंत्री जी से लीक से हटने का जरा भी काम किया होता तो मैं किसी भी राजनीतिक दल का हूं, लेकिन उसकी प्रंशसा अवश्य करता। आपकी जो भी मजबूरी रही हो, लेकिन मुझे ऐसा लगा कि आप कही न कहीं भय और आपके ऊपर

जो लगाम लगी थी, उससे हटकर आप अपने बजट को अन्जाम नहीं दे पाये। आज हालत यह है कि आपने कहा कि 1140 करोड़ का बजट प्राविधान इस वर्ष करने जा रहें हैं, लेकिन जिस हिसाब से यहां पर सदन में बजट प्रस्तुत किया गया, उसमें 793 करोड़ की मांग केवल प्रस्तुत की और संभवतः 340 करोड़ जो केन्द्र सरकार से विशेष सहायता मिलने वाली हैं, उसका भी जिक्र कर दिया। जहां तक मुझे याद पड़ता है, मुझे इस सदन के अन्दर तीसरी बार उत्तरांचल के बजट पर कटौती प्रस्तुत करने का अवसर मिला है।

गत वर्ष आप द्वारा प्रस्तुत बजट के ऊपर भी विचार व्यक्त करने का अवसर मुझे मिला था। वर्ष 1997-98 का जो बजट था, वह 667 करोड़ का था और आपने 850 करोड़ की मांगें सदन में रखी थीं। मैं नहीं समझ सका कि आपने किस तरह आज 793 करोड़ की मांगे रखी हैं क्योंकि जो बाजार भाव है, जो कास्ट इस्कालेशन है, उन चीजों को देखते हुए इसे कहीं से जस्टीफाई नहीं किया जा सकता। आपने अपने भाषण में उत्तराचंल के वृहद विकास का तो जिक्र किया, लेकिन इस धनराशि में आप किस तरह इसको करेंगे? मान्यवर, मैं यह कहना चाहता हूं, मैंने आपके गत वर्ष के बजट भाषण का भी अवलोकन करने का काम किया, उसमें आपने कहा था कि उत्तराचंल के नौजवानों की जवानी और वहां के पानी पर बड़ा नाज है, चूंकि आप संशय के वातावरण में थे, इसलिये आज वहां की जवानी और पानी का जिक्र नहीं किया। आज आप इसका साहस नहीं जुटा पाये कि इन बातों का जिक्र करते क्योंकि उत्तराचंल राज्य निर्माण के नाम पर विधेयक पैश करना मजबूरी हो सकती थी लेकिन जिस तरह आपकी सरकार ने सदन के अन्दर संशोधन प्रस्ताव लाकर, वहां की जल विद्युत परियोजनायें, जो वहां के विकास के लिये मेरुदंड बन सकते थे, जिस तरह से रखने का काम किया, उससे आप अनभिज्ञ नहीं हैं और आप इस बात को जानते हैं, आज हम यहां पर उत्तरांचल क्षेत्र का प्रतिनिधित्व यहां बैठकर कर रहे हैं, लेकिन हम अपनी बात को कह नहीं सकते हैं, जो काम गलत हुये हैं, उनको ठीक करें, देर आये दुरूस्त आये।

मान्यवर, मैं कहना चाहता हूं कि उत्तरांचल राज्य के निर्माण का सवाल कोई व्यक्तिगत सवाल नहीं है। आपके ऊपर राजनीतिक दलों के अनुशासन का प्रश्न तो सामने हो सकता है, लेकिन हम उनके जर खरीद नहीं हो सकते हैं, हमें अपनी बात दृढ़ता के साथ रखने का साहस होना चाहिये, आपका ज्ञान बहुत है, आपके ज्ञान पर मुझे शक नहीं है, लेकिन जिन दायित्वों का निर्वहन आपको करना चाहिये, उनको निर्वहन करने में आप चूक गये। मान्यवर, बहुत लम्बी चर्चा हो जायेगी, अगर मैं अपनी एक-एक बात को यहां पर रखना शुरू कर दूं। मान्यवर, मैं कहना चाहता हूं कि दिल्ली में जो सरकार है वह आपकी ही सरकार है, लेकिन आप के द्वारा किये हुये तमाम संशोधनों को अस्वीकार करते हुये जो मूल विधेयक था, उसी को उन्होंने माना और उसको पारित करने का काम किया है। मैं कहना चाहता हूं कि उत्तराखंड ने ईंट से ईंट बजाने का काम किया है।

उत्तराखंड के लोग देश की आबरू बचाने और हिफाजत के लिये सदैव तैयार रहते हैं, और जब उत्तराखंड राज्य के निर्माण पर कुठाराघात होगा तो वहां के लोगों में लड़ने की क्षमता है । आज भी जो वहां पर जहाँ संसाधन हैं, वह और कहीं पर नहीं है, उनके लिये लड़ने की जरूरत है । मैं कहना चाहता हूं कि उत्तरांचल क्षेत्र से आये प्रत्येक विधायक को कन्धे से कन्धा मिलाकर चलना चाहिये और काम करना चाहिये । जो हमारे प्राकृतिक संसाधन हैं उन पर किसी को कब्जा नहीं करने देंगे । माननीय मंत्री जी ने बहुत सी बाते कहीं हैं । आज उत्तरांचल में जितने वन हैं वह और कहीं पर नहीं हैं, जो जरूरत प्रदेश के लिये ही नहीं बल्कि देश के लिये है । हमारा उत्तरांचल प्रदेश वनों से आच्छादित है, हमारे यहां पर 60 प्रतिशत वन हैं । उत्तरांचल जो पर्यावरण संवर्धन कर रहा है, उसका लाभ पूरी दुनिया को मिलेगा । तमाम पार्क हैं, राजा जी नेशननल पार्क है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं, यह सब राष्ट्रीय महत्व की चीजें हैं, उत्तरांचल के लोगों ने सेक्रीफाइस किया है, लेकिन उनकी मेहनत के लिए क्या मिला है, जो हम चिल्ला-चिल्ला कर कहते हैं और पर्यावरण की बात करते हैं तो केवल देहरादून और नैनीताल के लिये ही नहीं करते हैं, बल्कि पूरी दुनिया के लिये करते हैं तथा जीवन का जो आधारभूत केन्द्र है जिसे हम टर्म प्लाज्मा कहते है । इसे हम किसी एक क्षेत्र विशेष के लिए नहीं कर रहे है, पूरी दुनिया के लिए नहीं कर रहे है । मैं कहना चाहता हूं कि यदि किसी क्षेत्र का किसी चीज का संरक्षण हम दुनिया के लिए कर रहे है तो हमारा यह हक बनता है कि हम केन्द्र सरकार से यह मांग करे कि वह उत्तराखण्ड के विकास के लिए हमें कम्पन्सेशन दे, मुआवजा दे । मुआवजे का अर्थ किसी व्यक्ति विशेष के लिए नहीं लगा रहा हूं मैं मुआवजे का अर्थ, मुआवजे का आशय हम पूरे उत्तराखण्ड वासियों के लिए लगा रहें है । मान्यवर हमारे वन मंत्री जी यहां नहीं बैठे है, मैं उनकी सराहना करता हूं कि उन्होंने हमारे उत्तराखण्ड में वनों के विकास के लिए महत्वपूर्ण योगदान दिया है, लेकिन मान्यवर जो राजाजी नेशनल पार्क है, जो वन पशु बिहार बनाया गया है जो जिम कारबेट पार्क बनाया गया है तो इससे क्या हुआ, इससे वहां की जनता को अनेक समस्याओं का सामना करना पड़ा । हमारे पशुओं को वहां से चारा लेना बन्द कर दिया गया, रसोई के लिए लकड़ी लेना बन्द कर दिया गया, वहां जो एक झोपड़ी में रहते थे उनके घर छीन लिये गये । यदि सरकार उत्तराखण्ड के निवासियों की सच्ची हितैशी है तो उन्हें रसोई गैस उपलबध कराती, जानवरों के लिए चारे का इंतजाम करती, बेघरो को घर देती तो हम मानते कि इस सरकार ने हमे कम्यूनिटी कम्पन्सेशन दिया है । मान्यवर हम चाहते है कि देश के कोने-कोने से यही नहीं विदेशों से जो पर्यटक हमारे उत्तराखण्ड में आते है उन्हें पूरी सुख-सुविधा उपलब्ध कराई जाये । जो पर्यटक गंगोत्री जाते है, जमुनोत्री जाते है, हरिद्वार जाते है, मसूरी जाते है ऋषिकेश जाते है, हेमकुण्ड जाते है, रीठाताल जाते है उन्हें पूरी सुविधा नहीं मिल पाती है । वहां का निवासी इतनी अचल सम्पदा होते हुए भी भूखा मर रहा है । मान्यवर हम चाहते है कि जब पर्यटक यहां से वापस जाते तो वह आध्यात्म का खजाना लेकर जाये । वह जाने की आध्यात्म क्या है, वहां की संस्कृति क्या है । मान्यवर, पिछले दिनों इसी सदन में वन मंत्री द्वारा

पर्यटन मंत्री द्वारा जो बजट पेश किया उसमें उत्तराखण्ड के विकास के लिए कोई योजना तैयार नहीं की गई।

मान्यवर जो नेशनल पर्यटक ग्रेड योजना है उसके अंतर्गत यदि ऋषिकेश हरिद्वार से होकर जो गंगोत्री, उत्तरकाशी वाला जो रूट है उसे यात्रा रूट घोषित कर दिया जाता तो कई मूलभूत सुविधाये यात्रियों को मिल जाती। मान्यवर जो यात्री पावन धामों में, गंगोत्री में, यमुनोत्री में, हरपटपुर, विकासनगर या मसूरी या ऋषिकेश होते हुए जाता है उसे वहां की ग्राम पंचायतों से कोई मूलभूत सुविधा उपलब्ध नही हो पाती है। मान्यवर इस रूट की यात्रा रूट घोषित किया जाना चाहिए। इसे यात्रा रूट घोषित न किये जाने से ही यहां का जो निवासी है, यहां जो पर्यटक आते है उन पर हमारे इस क्षेत्र का कितना बुरा प्रभाव पड़ता है इसका आप अंदाजा नहीं लगा सकते। मान्यवर, इसके इंतजामात किये जाने चाहिए। मान्यवर, अभी आपने अपने बजट भाषण में इस बात को कहा कि पौड़ी के अन्दर और एक आध जिलों के अन्दर औद्योगिक गलियारे बनाये जाने की बात की। मान्यवर, यह बात मेरी समझ में नही आयी यह किस बात का प्रमाण है। उत्तराखण्ड वह क्षेत्र हैं जहां से प्रतिभाओं का निर्यात किया जा रहा है। हम केवल यह कहकर इतिश्री नहीं कह सकते कि वहां पर कितने हाईस्कूल खोले गये हैं और कितने इण्टरमीडिएट कालेज खोले गये हैं, जितने भी टेक्निकल इन्स्टीट्यूशन्स हैं, सभी में अध्यापकों का घोर अभाव है, वहां इमारतों का अभाव है इन्फ्रास्ट्रक्चर का घोर अभाव है। हम क्वान्टिटी डिफाइन करते चले जायें, मैं नहीं समझता कि इससे कोई फायदा होगा, इस सदन के अन्दर मैं अपनी व्यथा व्यक्त कर रहा हूं।

विद्यालयों में टीचर्स के बहुत से पद खाली पड़े हैं। लगभग ।। सौ रिक्त पदों को भरने की प्रक्रिया प्रारम्भ हुई, उसमें भी यह शुरू हो गया कि किस प्रकार से उत्तराखण्ड से बाहर के लोगों को वहां नियुक्त किया जाय और कुछ समय बाद उनको ट्रान्सफर कराकर फिर कैसे यहां लाया जा सके। अभी कुछ महीने पहले जिन अधिकारियों ने प्रयास किया कि वहां खाली पड़े पदों को शासन के आदेशों के मुताबिक भरा जाये, उन्हीं लोगों का उत्पीड़न किया गया। यह शासन का आदेश था, यह आदेश विपक्ष में किसी ने जारी नहीं किया था। यह आदेश था कि वहां के नौजवानों को नौकरी मिलेगी, यह शासन का आदेश था तो उस समय किसकी सरकार शासन में थी और किस दल की सरकार अब शासन में है। उत्तरांचल के लोगों से तृतीय और चतुर्थ श्रेणी के पदों पर नियुक्ति की जानी थी, एल0टी0 ग्रेड में भी वहां के स्थानीय लोगों की नियुक्ति नहीं की जा सकी है, उनकी व्याख्या में कहा जा रहा है वे समूह-"ग" के कर्मचारी नहीं हैं। बिजली विभाग की भर्तियां शुरू हुई, उसमें भी उत्तरांचल के लोगों के लिए अलग से कोई व्यवस्था नहीं की गयी है कि उन पदों को केवल उत्तरांचल के लोगों से ही कन्सीडर किया जायेगा। अगर इसी प्रकार से काम किया जाता रहेगा तो कोई फायदा होने वाला नहीं है। आपकी सरकार की बहुत सारी मजबूरियां हो सकती हैं। जम्बोजेट मंत्रिमण्डल है, नक्कार खाने में तूती की आवाज नहीं सुनायी देती। आप तो कैबिनट मंत्री है, लेकिन उत्तरांचल विभाग के जब राज्यमंत्री हुआ करते थे श्री चन्द्र मोहन सिंह नेगी जी, उन्होंने आदेश करके यह कहा

था कि उत्तरांचल क्षेत्र के अन्दर किसी भी कर्मचारी की नियुक्ति नहीं हो सकेगी जबकि उत्तरांचल विभाग की उसके अन्दर सहमति न हो।

श्री अधिष्ठाता-

मुन्ना चौहान जी, आप थोड़ा संक्षेप कर लें, आपको दुबारा भी बोलना है।

श्री मुन्ना चौहान-

इस पर बोलने वाले बहुत से लोग नहीं है इसलिए विपक्ष के लोगों का समय मेरे खाते में कर दें। मैं कहना चाहता हूं कि आज उत्तरांचल की जो सबसे बड़ी विडम्बना है वह यह है कि वहां पर जो योजनाओं को कार्यान्वित करने वाले कर्मचारी हैं आप चाह कर भी उनके खिलाफ कार्यवाही नहीं कर सकते हैं। यह जो 800-1000 करोड़ रुपये का बजट है आप इससे कहीं और ज्यादा काम कर सकते हैं। मैं अन्य लोगों से भिन्न राय रखता हूं। बजट ज्यादा से ज्यादा हो और योजनाओं को सही ढंग से लागू न किया जाये तो उसका परिणाम अच्छा नहीं आयेगा। मैं नहीं कहता कि इस बजट को दो-गुना कर देना चाहिए। यह जो 800-1000 करोड़ रुपये का बजट है यह पर्याप्त है। आज उत्तरांचल में जो लोग काम करते हैं उनके ऊपर आपका नियंत्रण न होकर उनके पैरेन्ट डिपार्टमेन्ट का नियंत्रण होता है, अगर कोई अधिकारी या कर्मचारी पी0डब्लू0डी0 का है। एग्रीकल्चर का है, हाल्टीकल्चर का है तो उन पर उत्तरांचल विकास विभाग का नियंत्रण नहीं है। आप उनके खिलाफ प्रशासनिक कार्यवाही नहीं कर सकते हैं।

आज आप सदन में घोषणा करें कि उत्तरांचल में किसी कर्मचारी/अधिकारी की आपके विभाग की सहमति के बगैर तैनाती नहीं की जायेगी। यदि आपके पास प्रशासनिक अधिकार आ जायें तो निश्चित रूप से जितनी धनराशि का इंतजाम किया गया है उससे कम धनराशि में भी बेहतर रिजल्ट आपके सामने आ सकते हैं। हम उत्तरांचल के जन प्रतिनिधि आपके साथ हैं। बुजदिल बनकर भय के वातावरण में काम होने वाला नहीं हे। श्रीमन्, अभी माननीय मंत्री जी ने स्वास्थ्य विभाग के सम्बन्ध में कहा कि वहां पर अस्पताल और हेल्थ सेन्टर खोले गये हैं लेकिन वहां की जो विषम परिस्थिति है, वहां पर दैवी आपदायें आ जाती हैं, गत वर्ष तो आपदाओं का वर्ष रहा और अनेकों दुर्घटनायें होती रहीं। जो आपकी स्वास्थ्य सेवायें हैं, जो प्रभावित व्यक्ति होते हैं उनको समय पर उपचार की सुविधा नहीं मिल पाती है। इसलिए मैं सुझाव देना चाहता हूं कि वहां की हेल्थ सर्विसेज को मोबिलाइज करने का काम करें वहां पर मोबाइल आपरेशन थियेटर, एम्बूलेन्स मुहैया कराइये। हमारे पड़ोस के राज्य हिमाचल प्रदेश में यदि कोई दुर्घटना हो जाती है और कोई केजूएल्टी हो जाती है तो वहां पर त्वरित चिकित्सा सुविधा उपलब्ध करायी जाती है। हमारे यहां यदि कोई व्यक्ति दूर्घटनाग्रस्त होता है और यदि दुर्भाग्य से उसकी मृत्यु हो जाये तो डिस्ट्रिक हास्पिटल में पोस्टमार्टम आदि होने में 2-3 दिन का समय लग जाता है, जिससे मृत व्यक्ति के परिवार वाले परेशान होते हैं और उनको गम्भीर समस्याओं का सामना करना पड़ता है। जबकि हिमाचल प्रदेश में मिनी आपरेशन थियेटर बनाये गये हैं जहां कहीं ऐसी घटना होती है वह वहां पर जाकर उपचार वगैरह करते हैं और यदि

कोई केजुएल्टी हो जाती है तो मृत व्यक्ति का पोस्टमार्टम कर देते हैं जिससे परिवार के लोगों को कम वेदना सहन करनी पड़ती है।

उत्तरांचल के अन्दर यदि पर्वतीय क्षेत्रों के अस्तित्व की थोड़ी सी भी संवेदनशीलता किसी व्यक्ति के अन्दर है तो आप इस बात को समझ सकते हैं कि पर्वतीय क्षेत्रों के अन्दर जो पेयजल संकट हैं, यदि मैंदानों की स्थिति में तुलना करने की कोशिश करेगें तो पर्वतीय क्षेत्रों की स्थिति को नहीं समझ सकते। उदाहरण के लिए हम कहते हैं कि लखनऊ में पेयजल की कमी हो जाये या अन्य जगहों पर हो जाये तो आप एक नया ट्यूबवेल लगाकर उसे दूर कर सकते हैं। लेकिन यदि पहाड़ों में ऊंची-ऊंची घाटियों के अन्दर पानी की कमी हो जाती है तो ग्रेवटी से पानी उपलब्ध कराने के अलावा कोई दूसरा इन्तजाम नहीं होता। आज भूमि के कटाव और वनों के क्षरण के कारण जल श्रोत सूखते चले जा रहे हैं। मैंने वन विभाग के बजट भाषण में प्रमुखता से कहा था कि किसी भी जल श्रोत का जो वाटर जोन है, सघन वनस्पति हैं, सर्वस हैं उनको बचाया जाये क्योंकि यह सघन वनस्पति हैं, क्योंकि यह सघन वनस्पतियों, सर्वस ही सालभर हमारे श्रोत को जिन्दा रखने का काम करेगी। अगर वहां इस तरह की व्यवस्था नहीं की गयी तो जो पानी है वह सीधे नदी-नाले में चला जायेगा।

जब आप पेयजल येाजना का निर्माण करेंगें तो आप यह आदेश जारी करने की कृपा करेंगे कि इस तरह की वनस्पतियों ग्रासेस का रोपण करने का काम करेगें ताकि उस श्रोत को चिरस्थायी बना सके इन वनस्पतियों, ग्रासेस के रोपण में लाख-डेढ़ लाख का खर्चा आयेगा। हमारे भगत जी इस समय बहुत विचलित हो रहे हैं। प्रदेश के अन्दर जहां उत्तरांचल को समझने में लोगों को परेशानी होती है। उसी तरह से उत्तरांचल विकास विभाग को समझने में भी परेशानी होती है। अभी जब निशंक जी बोल रहे थे तो यह कहा जा रहा था कि यह सिंचाई, पर्यावरण व अन्य विभागों पर्यटन का जिक्र कर रहें हैं। लोग यह नहीं समझ पा रहें हैं कि यह कोई एक विभाग का बजट नहीं है यह तो सारे विभागों का बजट है। सही मायने में उत्तरांचल विकास विभाग के बजट पर पूरे दिन चर्चा होनी चाहिए थी और माननीय सदस्यों के इस पर महत्वपूर्ण सुझाव आते लेकिन वही "ढाक के तीन पात"। यह सरकार के 48 विभागों का बजट है और 48 विभागों के बजट में अपेक्षा करेंगें कि 15-20 मिनट के समय में अपनी बात कह देंगें तो यह असम्भव बात है, यह सम्भव नहीं हो सकता इसलिए मैं आग्रह करूंगा कि मंत्री जी तथा अन्य माननीय सदस्यों के विचार जानने के बाद तमाम जो बातें छूट गयी हैं उसको कहने के लिए समय देंगे। जो भविष्य का उत्तराखण्ड है जिसका राजनैतिक दर्जा अपने तरीके से मानकर चलते हैं उसे एक दिशा दे सकें और हम लोगों के कारगर सुझाव आ सके। धन्यवाद।

* श्री इन्द्रदेव-

माननीय अधिष्ठाता महोदय, उत्तरांचल विकास विभाग के बजट पर मुझे बोलने का अवसर दिया, मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं। उत्तराचंल हरे-भरे वृक्षों, पर्वतों और नदियों से भरा हुआ क्षेत्र हैं। अगर एक शब्द में इसकी कल्पना करनी हो तो "देवलोक" शब्द बड़ा उत्तम बैठता है। जो लोग घूमने जाते हैं, वहां

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

के नैसर्गिक सौन्दर्य को देख करके यह कल्पना करते हैं कि यहीं ऊंचे पहाड़ पर एक छोटा सा मकान बनाकर रहें। लेकिन कल्पना और व्यवहार में बहुत अन्तर है। उत्तरांचल के लोगों का जीवन अत्यन्त कठिन है वह वास्तव में कल्पना से बहुत दूर है। चिकित्सा, शिक्षा, पेयजल, रोजगार। बहुत सारी कठिनाइयां वहां के जीवन में हैं। वहां के लोगों को सुविधाएं प्राप्त नहीं हैं। पिछले 50 वर्षों से जो योजनाएं बनती रहीं वह वहां की भौगोलिक स्थिति को, उत्तरांचल की परिस्थितियों को वहां की जलवायु को बिल्कुल ध्यान में नहीं रखा गया। भूमि प्रबन्धन में वहां अवैज्ञानिक तरीके को लागू किया गया। जो उपयुक्त तकनीकी हो सकती थी उसका ध्यान नहीं रखा गया। इसी कारण इतने समय बाद भी वहां यह स्थिति रही आज भी उत्तरांचल के निवासी दयनीय स्थिति में हैं। वहां पर मनीआर्डर इकोनामी है। इसी के ऊपर निर्भरता है। मैं धन्यवाद देना चाहूंगा हमारी सरकार के उत्तरांचल मंत्री को कि उन्होंने शोध कराया, वहां की सामाजिक स्थितियों का ध्यान रखकर बजट बनाया। वहां के लिए दीर्घकालीन, अल्पकालीन नीतियों को बनाकर उसके अनुरूप कार्य योजना बनाई इसके लिए मंत्री जी बधाई के पात्र हैं। हमारे चौहान साहब जब बोलते हैं मैं उनको ध्यान से सुनता हूं वह बहुत ज्ञानवान हैं, हम लोग उनसे सीखना चाहते हैं लेकिन उन्होंने आज जो कटौती के प्रस्ताव पर अपना भाषण दिया उससे ऐसा लगा कि वह पहले से ही यह सोचकर आए थे कि हमें विरोध करना है, और मुझे बजट की आलोचना करनी है। मैं यह कह सकता हूं कि यह बजट उत्तरांचल की बहुत सारी समस्याओं को हल करने वाला बजट है।

श्री अधिष्ठाता-

अब आप समाप्त करें।

श्री इन्द्र देव-

इस बजट के अन्दर हार्टीकल्चर कालेज खोलने की बात कही गई है। चिकित्सा के ऊपर पिछले वर्षों 11.66 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है इसको इस बार बढ़ाकर 46.6 करोड़ रुपये कर दिया गया है। इसी प्रकार अन्य बहुत सारी मदों पर पैसा बढ़ाया गया है। उत्तरांचल के अन्दर पर्यटन बहुत बड़ा उद्योग है और यह और बड़ा उद्योग का रूप धारण कर सकता है। इस सरकार ने इसके लिए योजना बनाई है। वहां के चार धाम जो दर्शकों के लिए दर्शनीय चीजें हैं यह बहुत दूर-दूर हैं, रास्ते लम्बे हैं, उनके ऊपर सुविधाओं का अभाव है मेरा सुझाव है कि उन रास्तों के ऊपर मनोरंजन पार्क, जन-सुविधाओं को उपलब्ध कराया जाए। उत्तरांचल के अन्दर पोलीथीन वहां के इकों को खराब कर रही है, वहां के सौंदर्य को नष्ट कर रही है इसके हल के सम्बन्ध में सुझाव देना चाहता हूं कि इसको तारकोल के साथ मिलाकर सड़क बनाने में प्रयोग किया जाए इससे पर्यावरण को हानि नहीं होगी उत्तरांचल के अन्दर जो इनफार्मेशन टैकनीक है इसको विकसित करें, इसके विकसित करने से लोगों को सुविधा मिलेगी, वहां के नौजवानों को रोजगार मिलेगा, इन्हीं शब्दों के साथ मैं मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत बजट का समर्थन करता हूं।

श्री अम्बरीष कुमार-

माननीय अधिष्ठाता महोदय, माननीय श्री मुन्ना चौहान जी द्वारा उत्तरांचल विकास विभाग पर जो कटौती का प्रस्ताव रखा गया है उसका समर्थन करने के लिए तथा उस पर बल देने के लिए मैं खड़ा हुआ हूं। मैं संक्षेप में अपनी बात कहूंगा। माननीय मंत्री जी ने उत्तरांचल विकास का जो बजट प्रस्तुत किया है, पिछले वर्ष भी इन्हीं माननीय मंत्री जी ने बजट प्रस्तुत किया था और उसके पूर्व जब मंत्री जी इस सदन में एक सदस्य के रूप में थे तो उनके बहुत से सुझाव थे जो उन्होंने तत्कालीन राज्य मंत्री उत्तरांचल विकास को दिये थे उन्हीं सुझावों की ओर मैं मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। उस समय गढ़वाल में स्थान-स्थान पर बैरियर लगा दिया गये थे और जो वहां स्थानीय निकाय थे वहां पर प्रवेश शुल्क की वसूली कर रहे थे जितने भी यात्री वहां जाते थे हमने और आज के मंत्री तथा तत्कालीन विधान सभा सदस्य ने सत्ता के माध्यम से प्रश्न उठाया थां और यह भी निर्णय हुआ था कि वह बैरियर्स हटा दिये जायेंगे ताकि यात्रियों को असुविधा न होने पाये लेकिन उसके बदले माननीय मंत्री जी जो उस समय सदस्य थे ने यह भी कहा था कि जो वहां के स्थानीय निकाय हैं, जिला पंचायत हैं, नगर पंचायत और परिषदें हैं उनको जो हानि होगी शासन उसकी पूर्ति करें। मैं आशा करूंगा कि जब माननीय मंत्री जी अपना उत्तर भाषण दें तो वह इस बात का भी समावेश करें कि माननीय मंत्री होने के बाद उन्होंनें इस सम्बन्ध में क्या काम किया है।

मान्यवर, गंगा प्रदूषण नियंत्रण एवं यमुना प्रदूषण नियंत्रण के कार्यक्रम पर भारी भरकम पैसा केन्द्र सरकार का खर्च हो रहा है लेकिन पर्वतीय क्षेत्रों में जो नगर इन नदियों के किनारे बसे हैं उनका सारा कूडा और कचरा इन नदियों में आ रहा है और जहां पर सीवर नहीं है वहां का मलमूत्र भी इन नदियों में पहुंच रहा है। गंगा और यमुना जो भारत की एक जीवन रेखा है उत्तरांचल से लेकर गंगा सागर तक प्रदूषित हो रही है। इसलिए इसके किनारे बसे हुये नगरों का जो कूड़ा और कचरा मलमूत्र इन नदियों में आ रहा है उसे रोकने के लिए माननीय मंत्री जी ने क्या प्राविधान किया है। इसे भी बताने का कष्ट करेंगे। माननीय मंत्री ने वहां के राजस्व आय स्रोतो के बारे में भी चर्चा की और यह भी कहा कि आयुर्वेद के लिए पर्वतीय क्षेत्र जड़ी-बूटियों से भरा पड़ा है और इन्हीं जड़ी-बूटियों के माध्यम से हम तमाम विश्व की स्वास्थ्य सेवा करते हैं। मैं माननींय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि जहां पर्वतीय क्षेत्र में जड़ी-बूटियों की बहुत बड़ी सम्पदा है और जिस पर पेटेन्ट बिल का काला साया मडरा रहा है क्या मंत्री जी उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से केन्द्र सरकार से यह अनुरोध करने का काम करेंगे कि जब अन्तर्राष्ट्रीय संस्थाओं से इस पेटेन्ट के बारे में आयुर्वेद पर कोई चर्चा हो तो उसमें उत्तरांचल विकास मंत्री के माध्यम से या स्वास्थय मंत्री जी के माध्यम से आयुर्वेद की जड़ी-बूटियों के बारे में भारत का क्या अधिकार हो, अवश्य राय ले ली जाय। मान्यवर, अंभी हाल के वर्षो में उत्तरकाशी में भूकम्प आया था वह बहुत भयंकर त्रासदी पर्वतीय क्षेत्र की थी इसके बाद रूड़की विश्वविद्यालय के विशेषज्ञ भी वहां पर गये थे और केन्द्रीय भवन अनुसंधान के विशेषज्ञ भी वहां गये थे उन्होंने कुछ संस्तुतियां की थी कि पर्वतीय क्षेत्र में मकान किस चीज के बनाये जाने चाहिए और किस प्रकार से बनाये जाने चाहिए।

और किस प्रकार से मकान बनाये जाने चाहिए कि जब ऐसी आपदा हो भूस्खलन हो या भूकंप हो वहां के लोगों को हानि धन और जन की अधिक न हो। इन संस्तुतियों पर इनके विभाग ने क्या कार्यवाही की, यह भी हम जानना चाहतें हैं। मैं एक बात और कहना चाहता हूं कि मैं लगातार 3 साल से इनके बजट को देख रहा हूं उसमें भूतपूर्व सैनिको की संख्या 2 लाख 95 हजार है और उन पर किया जाने वाला खर्च 30 लाख रुपये है। यह न तो इनके भूतपूर्व सैनिकों की संख्या घटी बढ़ी है और न ही उन पर किए जाने वाले व्यय की धनराशि ही घटी बढ़ी है। 3 लाख सैनिकों के लिये 3 लाख रुपये 10 रुपये में यह इन भूतपूर्व सैनिकों का क्या कल्याण करने जा रहे हैं। माननीय मंत्री जी इस पर भी दृष्टिपात करके अपना उत्तर देंगें। इसी तरह से कहना चाहता हूं कि जब उत्तरांचल के लिये सभी सम्वर्ग अलग बना दिये गये हैं। एक अतिरिक्त मुख्य सचिव बनाये गये हैं। वहां पर चिकित्सको का भारी अभाव है। किसी न किसी सिफारिश से वहां पर लोग पर्वतीय सम्वर्ग में नियुक्त हो जाते है लेकिन पर्वतीय क्षेत्र में नौकरी नहीं करना चाहते हैं।

इसके बारे में भी मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं कि माननीय मंत्री जी ने कहा कि हम पर्वतीय क्षेत्र में वनीकरण कर रहे हैं। मैन ईटर्स जो मान्यवर, जो वहां पर नरभक्षी बाघ हैं जिनको जंगल में अपने खाने की खुराक नहीं मिलती क्योंकि वनों के कटान के कारण छोटे जानवर वहां नहीं रह पाते यह परिणाम होता है कि वह नरभक्षी बाघ नगरों की तरफ भागते हैं और रोज पर्वतीय क्षेत्र में नरभक्षी बाघों के आंतक के बारे में चर्चा सुनने को मिलती है। बाघ किसी को मार देता है तो उसको कितना मुआवजा आप देते हैं और यदि कोई आदमी बाघ को मारता है तो कितना जुर्माना उसे देना पड़ता है। इन विषमताओं को दूर करने के लिये आप क्या कर रहे हैं, कृपया अपने उत्तर भाषण में इस बारे में अवश्य बतायें। इन्हीं शब्दों के साथ मैं उत्तराखण्ड के बजट पर माननीय मुन्ना चौहान जी नें जो कटौती का प्रस्ताव रखा है, का समर्थन करता हूं।

* श्री लाखी राम जोशी-

माननीय अधिष्ठाता जी, आपने उत्तरांचल के बजट के समर्थन पर मुंझे बोलने का अवसर दिया, इसके लिये मैं आपको धन्यवाद देता हूं। उत्तरांचल विकास के बजट में माननीय मंत्री जी ने बहुत सारी योजनाओं का वर्णन किया है और उत्तरांचल के विकास के लिये यह एक मील का पत्थर साबित होगा, ऐसी हमारी अपेक्षा है। इस साल जो अब तक का सबसे बड़ा बजट उत्तरांचल विकास के लिये 1140 करोड़ रुपये का इस समय प्राविधान किया गया है उसके लिये मैं माननीय मंत्री जी को धन्यवाद व्यक्त करता हूं और माननीय कल्याण सिंह जी को भी इसके लिये धन्यवाद देता हूं। मान्यवर, उत्तरांचल के विकास के बारे में अभी माननीय अम्बरीष जी ने जो हरिद्वार से विधायक हैं, अपनी बात रखी और मुझे खुशी हुई इस बात की कि भाई अम्बरीष जी उत्तरांचल से जुड़ने का प्रयास कर रहे हैं, इसके लिए मैं उनको धन्यवाद देना चाहता हूं।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री अम्बरीष कुमार-

मान्यवर, जोशी जी के अन्दर क्षेत्रीय भावना कितनी है यह उन्होंने साबित कर दिया। क्या उत्तराखण्ड के बारे में कोई गैर उत्तराखंड नहीं बोल सकता है। यह हम सबका अधिकार है, यह हमारे प्रदेश का हिस्सा है। मैं उनकी धारणा स्पष्ट करना चाहता हूं।

श्री लाखी राम जोशी-

मान्यवर, जहां तक उत्तरांचल के विकास की बात है। उत्तरांचल के विकास के बारे में पहली बार जिस गम्भीरता के साथ में इस सरकार ने उत्तरांचल के विकास के लिये जो योजनाएं प्रस्तावित की हैं वह एक सराहनीय कदम है। मान्यवर, उत्तरांचल की जो अर्थ-व्यवस्था है, मैं आपसे अनुरोध करना चाहता हूं उसके लिए अभी बहुत चिन्तन की आवश्यकता है। जो वर्तमान में नीतियां हैं इसमें काफी परिवर्तन की आवश्यकता है हमारे जो उत्तरांचल विकास के कार्यक्रम रहे हैं एक नीति रही है वह मैदानीमुखी रही है चाहे पहाड़ों का पैसा हो चाहे पहाड़ों की जवानी हो मैदानों में भागती रही है। हिमाचल प्रदेश में मैं भ्रमण पर गया था मैंने वहां की सारी व्यवस्था को देखा वहां आर्थिक संतुलन है ठीक इसके बगल में उत्तरांचल का प्रदेश क्षेत्र है वहां जितनी आर्थिक विसंगतियां हैं इस पर विचार करने की आवश्यकता है। मान्यवर वहां जो विकास हुआ बागवानी से फल उत्पादन से, नकली फसल के उत्पादन से जो काया बदली है मेरा मानना है कि वही स्थिति उत्तरांचल में भी होनी चाहिए लेकिन उत्तरांचल में क्या है उत्तरांचल का पैसा वन पर्यावरण की सारी व्यवस्था पर चला जाता है। जितना पैसा पहाड़ में जाता है वही पैसा खरीददारी के माध्यम से मैदान में आ जाता है।

हिमांचल प्रदेश में चंडीगढ़, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली राजस्थान और दूसरे प्रदेशों से व्यापारी जाते हैं, दूर-दराज के स्थानों में जाते हैं वह सब्जी खरीदने जाते हैं सेब खरीदने जाते हैं और वहां जाकर वहां के किसानों की जो फसल है उनके उत्पादन को खरीदते हैं इस प्रकार जो स्थिति बनती है इससे सीधा किसानों के घर पैसा जाता है हमारे यहां स्थिति दूसरी है अब तक इस स्थिति पर विचार नहीं किया गया वहां कोई उद्योग धन्धा कोई लघु उद्योग की कल्पना नहीं की गई। चम्बा क्षेत्र में आफ सीजन में सब्जी पैदा होती है जिस समय टमाटर का सीजन नहीं होता है वहां टमाटर पैदा होता है जिस समय मैदान में गोभी का सीजन नहीं होता है वहां गोभी पैदा होता है, जब मैदान में मटर का सीजन नहीं होता है तो वहां मटर पैदा होती है इस तरह कृषि के क्षेत्र में काफी परिवर्तन आया है। इसलिए हमारी सबकी आवश्यकता है कि वही परिवर्तन उत्तरांचल में हो जाए तो उत्तरांचल का विकास सार्थक हो सकता है। तब आप उत्तरांचल के विकास की बात कर सकते हैं। मान्यवर पहले राम औतार दीक्षित मंत्री वहां के थे, मंत्री बनने के बाद जब वह पहली बार वहां गए तो एक स्रोत के पास रुककर उसको देख रहे थे, उसको देखकर कहने लगे कैसे पहाड़ से पानी निकलता है, जिसको यह पता नहीं पहाड़ से पानी कैसे निकलता है वह पांच साल तक मंत्री रहे। इस समय कल्याण सिंह जी को धन्यवाद दूंगा उत्तरांचल विकास में चार-चार मंत्री दिए हैं और जो उत्तरांचल विकास के लिए जिस प्रकार से सरकार गम्भीर है उसके लिए अपनी तरफ से धन्यवाद देना चाहता हूं।

श्री अधिष्ठाता-

संक्षेप में कहें।

श्री लाखीराम जोशी-

उत्तरांचल विकास के बजट के बारे में मुन्ना चौहान जी ने निवेदन किया। मान्यवर, आप संक्षेप की बात कह रहे हैं यह हाउस 12.00 बजे 2.00 बजे तक चला है आप न्याय करेंगे। पर्वतीय क्षेत्रों में जो विकास की स्थिति है उसमें चिन्तन करने की आवश्यकता है। हमारे पर्वतीय क्षेत्र में बहुत सारे उद्योग हैं जिनकी तरफ सरकार का ध्यान नहीं गया है। जो परम्परागत लघु उद्योग हैं उनकी तरफ ध्यान दिया जाना चाहिए। पानी से चलने वाली हमारे उत्तरांचल में पांच हजार की संख्या में पनचक्कियां हैं और इसमें बिजली की आवश्यकता नहीं पड़ती है और न ही श्रम की जरूरत पड़ती है। वह पानी के वेग से आटा पीसने की चक्की को चलाती है लेकिन अभी तक उसके विकास के लिए कोई योजना नहीं बनायी गयी है। मैं माननीय मंत्री जी से अनुरोध करना चाहता हूं यह हमारी आर्थिक रीढ़ हैं। उसके विकास की योजना बनायी जानी चाहिए। आज तो वैज्ञानिक युग हैं। हम उस पनचक्की से बिजली पैदा कर सकते हैं आधुनिक रूप देकर उससे हम धान और तेल पेरने की मशीन लगा सकते हैं इस तरह से बहुत सारा उपयोग हो सकता है। यह पर्वतीय क्षेत्र की बहुत महत्वपूर्ण समस्या है इसकी तरफ सरकार ध्यान आकृष्ट नहीं कर रही है। इस पनचक्की के विकास के लिए कोई नीति स्पष्ट रूप से बनाने की कृपा करें।

मान्यवर, मछली पालन के बारे में कहना चाहूंगा हमारे यहां छोटी-छोटी नदियां हैं उनमें छोटे-छोटे तालाब बनाकर मछली का उत्पादन हो सकता है उससे बहुत लाभ मिलेगा। जो मछली की प्रजातियां वहां पर पायी जाती है दिल्ली में ढाई सौ रुपये किलो पर बिकती हैं। उनके विकास की योजना बनानी चाहिए। जो हमारी छोटी-छोटी नदियां हैं जिनका बहाव नहीं होता है उनमें मछली पालन की योजना बनानी चाहिए और मछली पालन घाटी के रूप में उसका विकास किया जाना चाहिए। जो ठंडे और ऊंचाई वाले क्षेत्र हैं वहां पर जहां नारंगी लग सकते हैं वहां पर नारंगी, जहां पर सब्जी हो सकती है वहां पर सब्जी, जहां पर फल हो सकते हैं, वहां पर फलों का उत्पादन किया जाना चाहिए। यह हमको नियोजन करना पड़ेगा।

श्री अधिष्ठाता-

अब आप समाप्त करें।

श्री लाखी राम जोशी-

मान्यवर, समाप्त कर रहा हूं। मान्यवर, जहां तक पर्यटन का प्रश्न है तो यह मुख्य आधार हो सकता है। पर्यटन के बारे में आज जो नीति रही है, गढ़वाल के लिए गढ़वाल विकास निगम और कुमाऊं के लिए कुमाऊं विकास निगम पर्यटन व्यवस्था को देखते हैं। लेकिन अब तक जो जानकारी में आया है उसमें बहुत सुधार

की आवश्यकता है । ऐसे-ऐसे क्षेत्र हैं जिनमें पर्यटन विकास की बहुत सारी सम्भावनाएं हैं । हमारे टिहरी क्षेत्र में धणशाली से घुन्टी तथा घुन्टी से कल्याणी यह बहुत ही महत्वपूर्ण पर्यटन स्थल है और जिसका सौन्दर्य दूसरे स्थानों पर नहीं मिल सकता है उसका विकास किया जाना चाहिए । मान्यवर, शहस्त्रताल, जहां विष्णु भगवान निवास करते थे, उसके विकास की योजना बनायी गयी है । महर्षिताल, ज्योतिताल और प्रतापनगर ।

श्री अधिष्ठाता-

लिखकर दे दीजिए ।

श्री लाखीराम जोशी-

मान्यवर, प्रतापनगर पर्यटन की दृष्टि से बहुत सुन्दर स्थान है । उसके विकास की योजना बनायी जानी चाहिए । टेहरी बांध एशिया का सबसे बड़ा बांध है उसमें काम द्रुत गति से चल रहा है जो वहां आस-पास का डूब का क्षेत्र है उनके लिए पुनर्वास के लिए कार्यवाही करें प्रभावित क्षेत्र की योजना बननी चाहिए कि वहां नियोजित विकास कैसे हो सकता है क्योंकि जब वहां झील बन जायेगी तो दूसरी तरफ के क्षेत्र के लोगों को जिला मुख्यालय आने के लिए कम से कम 200 कि0मी0 आना होगा । आपने 40-40 कि0मी0 की सड़कें प्रत्येक विधान सभा क्षेत्र के लिए 5-5 चिकित्सालय, आयुर्वेदिक हास्पिटल, 3-3 इण्टर कालेज और 5-5 हाईस्कूल देने की बात रखी है मैं आग्रह करना चाहता हूं कि इस मामले में गम्भीरता से कार्य करते हुए जो वांछित शासनादेश हैं उनको शीघ्रातिशीघ्र जारी करायेंगे । मान्यवर, उत्तरांचल क्षेत्र में बहुत सी विदेशी संस्थायें बहुत अधिक मात्रा में धर्म परिवर्तन में लगी हुई हैं यह जो सांस्कृतिक हमला उत्तरांचल में हो रहा है, इस पर भी विचार किया जाना चाहिये । धन्यवाद ।

* श्री मोहन सिंह रावत "गांववासी"-

मान्यवर, उत्तरांचल विकास का यह बजट का जिस तरह से वाचन किया गया है यह बहुमुखी विकास का बजट है इस बजट से वहां की जनता में विकास की आशायें निश्चित रूप से जागेंगी । परन्तु, इसमें कुछ बिन्दु और जोड़ा जाना अति-आवश्यक था । अगर बजट प्रस्तुतीकरण से 3 महीने पहले वहां के जनप्रतिनिधियों से एक चर्चा हो जाती, तो जिस तरीके से आज उत्तरांचल प्रदेश बनाने की दिशा में हमारी सरकार पहल कर रही है लोक सभा में उसका प्रस्ताव पड़ा हुआ है, अगर हम लोगों के साथ एक चर्चा हो जाती तो वहां के विकास में हम इस बजट को बहुत अच्छा बना सकते थे । वहां की इकोनोमिकल, सोशल और टोपोग्राफिकल प्वाइंट आफ वियू से हमको वहां की योजनायें बनानी चाहिए । श्रीमन्, वहां की जवानी और वहां के पैसे का उपयोग पहाड़ों के विकास में नहीं हो रहा है उसकी ओर ध्यान देना चाहिए । वहां की मिट्टी जो है, वहां वैज्ञानिक अनेक वर्षों से लगे हुए हैं, जो जड़ी-बूटी वहां है उसकी व्यावसायिक खेती वहां शुरू होती तो लोगों को रोजगार प्राप्त होता । मैं यह भी कहना चाहता हूं कि वहां की समस्यायें बहुत

---

* वक्ता ने भाषण का पुनरीक्षण नहीं किया ।

हैं परन्तु हमारी सरकार ने उनको हल करने का बहुत अच्छा प्रयास किया है और सबसे अच्छा कदम उत्तरांचल प्रदेश के निर्माण करने का संकल्प है, उस दिशा में हम यह कहना चाहते हैं कि पौड़ी विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत अनेक पुल और सड़कें थी, उनके बनाने की दिशा में कोई कार्य नहीं हुआ। बहुत सी सड़कें आधी बनी थी, वह पूरी हो जातीं। पथरौला खाल, रानीढाक पर पुल स्वीकृत हो जाता, राजघाट, देवप्रयाग, उपरासु पुल बनना आवश्यक था, इसके अलावा अनेक मिसिंग रोड हैं, वह बन जातीं। मान्यवर, वहां पेयजल की समस्या अत्यन्त गम्भीर है, पौड़ी जिला मुख्यालय और मंडल मुख्यालय दोनों है। नानघाट पेयजल योजना, मुंडेश्वर ढपरूगढ़, मस्तकल, कस्नारा पंपिग योजनायें स्वीकृत होने से रह गई हैं। जब मायावती जी मुख्यमंत्री थी, उस समय उन्होंने बड़ी कृपा की थी और पौड़ी के विकास के लिये अपनी घोषणा पूरी की थी लेकिन कुछ काम अधूरे रह गये हैं, जिसमें राजनैतिक दृष्टिकोण नहीं होना चाहिये। पौड़ी में यातायात का दबाव काफी बढ़ रहा है, इसके लिये बाईपास बनना चाहिये।

इसके अलावा वहां बैजकाल इन्टर कालेज का उच्चीकरण होना था, वह नहीं हुआ। पौड़ी नगर में हाटमिक्स की 6 कि0मी0 सड़क बन चुकी है, लेकिन 10 कि0मी0 आगे की स्वीकृति नहीं हुई है। इसी प्रकार श्रीनगर, मेरठ राज्य मार्ग है, उस दिशा में काम नहीं हुआ है। इसके अलावा सरकार ने टीचर्स स्कूलों में भर्ती करने की घोषणा की थी, उसके संबंध में सरकार ने कदम तो उठाया है लेकिन अभी भी तमाम विद्यालय ऐसे हैं, जहां एक ही टीचर से काम चल रहा है। दुर्भाग्य यह है कि हमारे माननीय मंत्री जी ने उसमें कहर ढा दिया है, जो नियुक्तियां होनी थीं, जिन्हें करना था, ऐसे अधिकारी को एन0एस0ए0 में बंद करने की साजिश की। नियुक्तियों को रोक दिया गया, इस दिशा में हमारी सरकार को सतर्क होने की आवश्यकता है वैसे माननीय कल्याण सिंह की सरकार ने बहुत अच्छा काम किया है और उससे पहाड़ का मस्तक ऊंचा हुआ है, परन्तु कुछ कदम ऐसे उठाये जा रहे हैं, जिनको रोका जाना अति-आवश्यक है।

मान्यवर, आज सरकार द्वारा वहां के विकास के लिये अनेक पर्यटन की योजनायें बनाई जा रही हैं, उसमें बहुत सारी कमियां हैं, उसमें सुधार करने की आवश्यकता है। पिथौरागढ़ में छोटा कैलाश है, जहां पर्यटन की असीम संभावनायें विद्यमान हैं, उसके लिए ध्यान दिया जाना चाहिए। इसी प्रकार ग्लेशियर भिलंग से जोशीमठ आते हैं, उसके बीच में एक स्थान है, पान्डुसेरा, वहां 6 महीने बर्फ रहती है, वहां एक वनस्पति होती है, जिसके पौधे 6 महीने खड़े रहते हैं, 6 महीने दब जाते हैं, ऐसी वनस्पति का संरक्षण करना चाहिए।

मान्यवर, आज हम लोग वहां के बाघो से परेशान हैं और पिछले 10 वर्षों के अन्दर चार-पांच सौ लोगों को बाघ खा गये हैं।

मान्यवर, उत्तरांचल क्षेत्र के लोग वहां की अतिवृष्टि से और दैवी आपदा से परेशान रहते हैं और उत्तरांचल का क्षेत्र अतिवृष्टि से घिरा हुआ है जिसके कारण वहां की सड़के, पेयजल योजनायें और सिंचाई की नहरें अतिवृष्टि से तथा दैवी आपदा से ध्वस्त हो जाती हैं लेकिन राहत आयुक्त ने वहां इनके मरम्मत की मद में जो धन दिया जाना चाहिए वह नहीं दिया है । इसलिए सरकार से मेरा अनुरोध है कि उत्तरांचल में जो कमियां रह गई हैं उनको ठीक किया जाय । मान्यवर, उत्तरांचल के विकास के लिए जो यह बजट प्रस्तुत किया गया है उससे हमारी बड़ी आशायें और आकांक्षायें हैं ।

श्री अधिष्ठाता-

अब आप समाप्त करें, आपका समय समाप्त हो गया है, आप बैठ जायं ।

श्री मोहन सिंह रावत गांववासी-

(व्यवधान) अन्त में मान्यवर मैं उत्तरांचल विकास मंत्री जी ने जो बजट प्रस्तुत किया है उससे उत्तरांचल का बहुमुखी विकास होगा । इसके साथ ही मैं प्रस्तुत बजट का समर्थन करता हूं ।

* श्री अजय भट्ट-

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे उत्तरांचल विकास बजट के समर्थन में बोलने का समय दिया । मान्यवर, मैं इस पूरे सदन का भी आभारी हूं कि पूरे सदन ने जो प्रेम देकर उत्तरांचल का जो प्रस्ताव यहां सदन में आया था उसको यहां से पास करके केन्द्र सरकार को भिजवाने में सहायता किया, उसके लिए हम तमाम उत्तरांचलवासियों की तरफ से पूरे सदन के प्रति आभार प्रकट करते हैं ।

मान्यवर, आप पहाड़ों से प्रेम रखते हैं तथा पहाड़ी के चप्पे-चप्पे से आप परिचित हैं । मान्यवर, श्री रूप चोधरी और श्री अतुल जी तमाम लोगों ने हमसे कहा है कि मेरठ, सहारनपुर, मुरादाबाद मण्डल को मिलाकर गंगा प्रदेश का गठन किया जाय । जहां एक तरफ हरिद्वार एवं ऊधमसिंह नगर के सम्बन्ध में यह कहा कि उत्तरांचल से हम अलग रहना चाहते हैं वहीं आपने उत्तरांचल में मिलने की बात कह कर इतना प्रेम दिया कि शायद हम इसे कभी नहीं भुला पायेंगे, इसके लिए हम आभार प्रकट करते हैं । (श्री रूप चौधरी और अतुल जी ने मेजे थपथपायी)

मान्यवर, उत्तरांचल विकास के सम्बन्ध में मंत्री जी ने ।।40 करोड़ रुपये का बजट रखकर उत्तरांचल के प्रति माननीय मुख्यमंत्री जी ने अपना स्नेह प्रकट किया है जिसके लिए मैं उनके प्रति आभार प्रकट करता हूं । मान्यवर, जिस समय पर्वतीय क्षेत्र में दैवी आपदा आयी थी उस समय मुख्यमंत्री जी वहां गये थे और उन्होंने कहा था कि वहां भू-स्खलन नहीं बल्कि पर्वत स्खलन हुआ है उनका यह उत्तरांचल के प्रति जबरदस्त प्रेम है जिसको उत्तरांचलवासी कभी भुला नहीं सकते हैं ।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनरीक्षण नहीं किया ।

मान्यवर, आज जो संतुलित बजट उत्तरांचल विकास के सम्बन्ध में माननीय मंत्री ज़ी, डा0 रमेश पोखरियाल जी, ने यहां प्रस्तुत किया है वह विकासोपरख बजट है जिसके लिए मैं उनके प्रति आभार प्रकट करना चाहता हूं।

मान्यवर, मैं एक और निवेदन करना चाहता हूं यद्यपि इस बीच उत्तरांचल में विकास की गंगा बह रही है और जो सड़के 20 वर्षों से डामरीकृत नहीं हुई थीं वे सड़के डामरीकृत हो रही हैं तथा नई-नई सड़के बनवायी जा रही हैं। इसके अतिरिक्त अस्पतालों और विद्यालयों के भवन भी बनाये जा रहे हैं। मान्यवर, मैं यह भी कहना चाहता हूं कि कुछ बाते ऐसी हैं जिनके बारे में कहना चाहता हूं कि जब भी पूर्व में विकास सम्बन्धी बैठकें होती हैं उनमें विधायकगणों की सहभागिता अवश्य होनी चाहिए और विधायकगणों के बीच में बैठकर योजनायें तैयार की जानी चाहिए। मान्यवर, मैं एक सुझाव आगामी बजट के लिए और मंत्री जी को देना चाहता हूं कि यदि हम प्रदेश में रहे, यद्यपि उत्तरांचल शीघ्र बनने वाला है, तो विधायकों को भी अधिकारियों के साथ बैठकर योजनायें तैयार करवानी चाहिए और पर्वतीय विकास परिषद् का गठन माननीय मुख्यमंत्री जी अध्यक्षता में हुआ है, लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि उसकी एक भी बैठक नहीं हुई है। मेरा अनुरोध है कि इसकी एक बैठक शीघ्र ही बुलायी जाये। मान्यवर, 1140 करोड़ रुपये का परिव्यय है, तो ऐसा लगता है कि तमाम बजट उत्तरांचल को दे दिया गया है। सुबाष चन्द्र श्रीवास्तव इस समय नहीं है, वह बारबार कहते हैं कि उत्तरांचल विकास निधि दी गयी है, लेकिन ऐसा नहीं है, यह बजट का प्राविधान है। मान्यवर, मैं कहना चाहता हूं कि हमें नान-प्लान का पैसा नहीं मिला है, पैसा न मिलने के कारण वहां पर बहुत से कार्य रूके हुए हैं। गनिया धाली-अम्मारी-सिंगौली सड़क 37 जगहों पर टूटी है, दो साल हो गये हैं, लेकिन आज तक पैसा नहीं मिला है, जिसके कारण उसकी मरम्मत नहीं हो पा रही है, मेरा अनुरोध है कि पैसा रिलीज कराया जाये जिससे इस सड़क की मरम्मत हो सके और लोगों को आवागमन की सुविधा मिल सके। दूसरी बात यह है कि विकास के लिये पैसा दिया जाता है, सड़कों के निर्माण के लिये पैसा दिया जाता है, लेकिन उनकी मरम्मत और रख-रखाव के लिये पैसा नहीं दिया जाता है और इसी कारण सड़कें बह जाती हैं।

मेरा माननीय मंत्री जी से अनुरोध है कि इस ओर विशेष ध्यान दिया जाये। मान्यवर, मैं एक और निवेदन करना चाहता हूं उत्तरांचल विकास, वार्षिक प्रगति 1998-99 छपी है। इसके पृष्ठ 3 पर भूमि उपयोग के आंकड़े दिये गये हैं, जिनमें कुल प्रतिवेदित क्षेत्रफल 5362433 हेक्टेयर है, वन भूमि 242010 हेक्टेयर है, ऊसर तथा कृषि के अयोग्य भूमि 297497 हेक्टेयर है, कृषि के अतिरिक्त अन्य उपयोग में लायी गयी भूमि 137578 हेक्टेयर है, कृषि बेकार भूमि 317786 हेक्टेयर है, स्थायी चरागाह तथा अन्य चराई की भूमि 227305 हेक्टेयर है, अन्य वृक्षों झाड़ियां बागों आदि का क्षेत्र जो वास्तविक बोये गये क्षेत्र में सम्मिलित नहीं हैं 218084 हेक्टेयर है, वर्तमान परती 7491 हेक्टेयर है, अन्य परती 64407 हेक्टेयर है, बोया गया वास्तविक क्षेत्रफल 663475 हेक्टेयर है, जो कुल मिलाकर 22,76,433 हेक्टेयर होता है, लेकिन

कुल प्रतिवेदित क्षेत्रफल 5262433 हेक्टेयर होना चाहिये, संभवतः या तो मेरी समझ में नहीं आया है, या गलती हो गयी है। जो यह किताब दी गयी है, यह तो एक ऐतिहासिक डाकूमेंट है, इसलिए इसको देखकर संशोधित कर लिया जाये। इसी प्रकार मान्यवर अगर आप तालिका-। को देखे तो स्पष्ट होगा कि परिव्यय के अनुरूप पैसा खर्च नहीं हो पाया है।

उदाहरण के लिये मैं कहना चाहता हूं कि भूमि एवं जल संरक्षण पर प्रस्तावित परिव्यय 2081.9 लाख रुपये हैं और संशोधित परिव्यय ।3844 लाख रुपये है और उसमें जो व्यय हुआ है वह ।674 लाख रुपये है। मान्यवर, इसी प्रकार से पशुपालन में संशोधित परिव्यय 558 लाख है और वास्तविक खर्च ।68 लाख है, यह बड़ी दयनीय स्थिति है। इसी प्रकार से ।900 करोड़ से भी अधिक की धनराशि अवमुक्त नहीं हो पायी है, मेरा अनुरोध है कि इसको अवमुक्त किया जाये। मान्यवर, मेरा एक और निवेदन है कि उत्तरांचल के लिये अलग से वित्त सचिव होना चाहिये, जिससे ग्रान्टस् के रिलीज होने में समय अधिक न लगे। मान्यवर छिताड़ और अगनेरी जो राम गंगा पर हैं वहां पर पुल स्वीकृत होना चाहिये, यह भी मेरे क्षेत्र में है। 500 लोग एक साथ आमरण अनशन पर बैठे थे, यह विश्व का रिकार्ड है, यह पेयजल के लिये हुआ है, यह भी मेरे क्षेत्र में है, इसलिए बरकिंगा मानिला पम्पिंग पेय जल योजना स्वीकृत की जाये मेरा निवेदन है कि जालली ब्लाक की अधिसूचना जारी की जाये, यह अभी तक जारी नहीं हुई है और मान्यवर मानिला और जैरासी को नये पर्यटन केन्द्रों के रूप में विकसित किया जाये

मान्यवर, मेरा निवेदन है कि रानीखेत छावनी परिषद् को नगरपालिका बनाने की स्वीकृति दे दी जाये। आपने मुझे बोलने का अवसर दिया इसके लिए मैं आपका आभारी हूं। धन्यवाद।

श्री हरवंश कपूर-

माननीय अधिष्ठाता जी मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं कि आपने मुझे बोलने का अवसर दिया। मान्यवर, इस बजट के माध्यम से जो ।।40 करोड़ रुपये का परिव्यय निर्धारित किया गया है निश्चित रूप से उत्तरांचल विकास विभाग तथा उत्तर प्रदेश सरकार इसके लिए बधाई के पात्र है और हम उसका आभार व्यक्त करते हैं। मान्यवर जैसा कि आप अवगत हैं कि वर्तमान में उत्तरांचल राज्य संक्रमणकाल में है और कभी भी पृथक राज्य की घोषणा हो सकती है। वर्तमान बजट में इस बात का दिशा-निर्देश होना चाहिए कि पृथक राज्य बनने के पश्चात् उस नये राज्य की अर्थव्यवस्था का आधार क्या होगा और जिस आधार पर राज्य की मांग की गई थी कि इस क्षेत्र का नियोजन स्थानीय जड़ी-बूटियों पर आधारित यहां की वन सम्पदा, यहां की खनिज सम्पदा और यहां पर उपलब्ध जल सम्पदा पर आधारित है। मान्यवर इस बजट

के माध्यम से जहां तक हम विकास की बात करते है तो मैं समझता हूं कि कहीं न कहीं सुधार की गुजांइश अवश्य है। मान्यवर मैं ज्यादा समय न लेते हुए मैं आपका ध्यान उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा नलकूपों के रख-रखाव के लिए की गई घोषणा की ओर आकृष्ट करता हूं। प्रदेश में नलकूपों के रख-रखाव हेतु प्रति नलकूप हेतु 5 हजार से बढ़ाकर 12000 की धनराशि निर्धारित की गई है।

श्री अधिष्ठाता-

कृपया समाप्त करें।

श्री हरवंश कपूर-

मान्यवर विभाग ने तथा क्षेत्र के जल प्रतिनिधियों ने भाभइ क्षेत्र हेतु 35 हजारे रुपये की अपनी संस्तुति दी है जहां पर पानी 700 फिट गहराई पर मिलता है मान्यवर इसी प्रकार से पर्वतीय क्षेत्र के विकास के अंतर्गत उत्तरांचल के नगरीय क्षेत्र के विकास की ओर भी ध्यान देना उचित होगा। आज इस बजट भाषण में मंत्री जी ने उत्तरांचल में 9 स्टेडियम की बात कही है। मान्यवर नगर देहरादून मेरा विधानसभा क्षेत्र है जहां कि समय-समय पर फुटबाल के क्षेत्र में, टेबिल टेनिस के क्षेत्र में और अन्य खेलों में यहां की प्रतिभाओं ने अपनी पहचान बनायी है। मान्यवर, अभी तक स्टेडियम न होने के कारण। मान्यवर, दो मिनट आपका संरक्षण चाहूंगा। मान्यवर, अब प्रमुख समस्या की ओर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। मान्यवर, खेल स्टेडियम न होना अपने आप में बहुत भारी विसंगति है। मान्यवर, इसी तरह से पेयजल का नियोजन जो है, उस क्षेत्र में भी बहुत विचार करना होगा। देहरादून विधान सभा क्षेत्र ऐसा क्षेत्र है जहां पेयजल व्यवस्था नलकूपों के माध्यम पर आधारित है और दिन प्रतिदिन जिस प्रकार से भूगर्भ जल का स्तर नीचे जा रहा है, आने वाले समय में यहां पर पीने का पानी उपलब्ध होना सम्भव नहीं होगा।

मान्यवर, मैं चाहूंगा कि जिस प्रकार से नलकूपों के लिए जमीन तक उपलब्ध नहीं हो पा रही है, इसके लिए यह उचित होगा कि कोई बड़ी योजना जो नेचुरल रिसोर्सेज पर आधारित हो, ऐसी पेयजल योजना यहां पर नियत करनी पड़ेगी। मान्यवर, इसी प्रकार से जैसा कि माननीय मंत्री जी ने अभी अवगत कराया था कि गत वर्ष 50-50 कि0मी0 क्षेत्र की सड़क प्रत्येक विधान सभा क्षेत्र में दी गयी थी और इस वक्त भी 40-40 कि0मी0 सड़क प्रत्येक विधान सभा क्षेत्र में दे रहे हैं। मान्यवर, मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि जहां देहरादून विधान सभा क्षेत्र में नई सड़कों का फैलाव सम्भव नहीं है। जहां अन्य विधान सभा क्षेत्रों में स्कूलों के उच्चीकरण के लिए और नए स्कूल खोलने की बात कही जाती है। मान्यवर, मेरे विधान सभा क्षेत्र में राजकीय क्षेत्र में नए स्कूल नहीं खुल सकते तो ऐसी स्थिति में जो मेरे क्षेत्र की समस्या है, उस पर ध्यान दिया जाये। तथा क्षेत्रीय समस्याओं और आवश्यकताओं के अनुरूप निर्णय लिया जाये।

श्री अधिष्ठाता-

श्री कपूर जी अब समाप्त करें, लिखा नहीं जायेगा।

श्री हरवंश कपूर-

(* * *)

श्री भारत सिंह रावत-

मान्यवर, मैं आपका आभारी हूं कि आपने उत्तरांचल के बजट पर मुझे बोलने का अवसर दिया। मान्यवर, माननीय मंत्री जी ने विस्तार से, बहुत अच्छे ढंग से बजट को यहां पर प्रस्तुत किया और उसका जो बहुआयामी स्वरूप है, उसको प्रस्तुत किया है, इसके लिए हम बधाई देना चाहते हैं। उन्होंने बहुत सी बातों, बहुत सी चीजों का बजट में प्राविधान किया है जिससे वहां का जो विकास था, वह रूका हुआ था, दल-दल में फंसा हुआ था और अब वह पटरी पर आ गया है। मैं कहना चाहता हूं कि उत्तराचंल का जो बजट बना है भारत में ऐसी व्यवस्था और कहीं नहीं है कि एक स्टेट में दो स्टेट जैसे बजट हों। उस समय के योजनाकारों ने हमारी विशिष्टता को, भौगोलिक स्थिति को आर्थिक पिछड़ेपन को और बेरोजगारी, विपन्नता को समझा था और इन सारी परिस्थितियों को देखकर हमारे लिये बजट बनाया और हमारे लिये विकास की बात की लेकिन जो विकास हमारी पूर्ववर्ती सरकारों में हुआ वह अधूरा हुआ। अगर कहीं पेयजल योजना बनी तो पानी नहीं, कहीं बिज़ली के खंभे लगे तो तार नहीं, स्कूल बने तो अध्यापक नहीं, अस्पताल बने तो डाक्टर और दवायें नहीं। वहां का विकास लूला लंगड़ा हुआ। हमारे यहां विश्व बैंक और दूसरी जगहों से विकास के लिये पैसा मिला लेकिन यह दुर्भाग्य की बात है कि जो हमारी वन संपदा है, जो हमारी जल संपदा है, जो हमारा नैसर्गिक सौंदर्य है उसका विकास ठीक से नहीं हो पाया। हमारे यहां 20 हजार मेगावाट हाइड्रो विद्युत उत्पन्न करने की क्षमता है जिससे पूरे उत्तर प्रदेश ही नहीं बाहरी प्रदेशों को बिजली दी जा सकती है।

पूरे देश की हाइड्रो जनरेशन की 50 प्रतिशत क्षमता हमारे यहां उपलब्ध है लेकिन उसका भली प्रकार से नियोजन नहीं किया गया है। इसी तरह से हमारे यहां 85 प्रतिशत वन हैं लेकिन हमारे ऊपर रोक लगी है। देश के पर्यावरण और अन्तर्राष्ट्रीय पर्यावरण को बचाने के लिये पर्यावरण की योजना हमारे यहां लागू की गयी है। हमारे यहां वन अधिनियम, 1980 को लागू किया गया है जिसके कारण हमारा जीना दूभर हो गया है। हमारे यहां वनों का क्षेत्रफल अधिक है। 10 हजार वर्ग किलोमीटर का जो क्षेत्र है उसमें तमाम सेंचुरीज और पार्क बनाये गये हैं जिससे हमारा जीना दूभर हो गया है। इसके लिये हमारे मंत्री जी को और हमारे साथियों को सरकार से मांग करनी चाहिये कि इसके लिये उत्तरांचल को कम्पंसेशन दिया जाये। हमारे यहां अनेक नदियां हैं जिससे सारे प्रदेश और देश को पानी मिलता है लेकिन हमारे यहां के लिये उनके जल के नियोजन की कोई उचित व्यवस्था नहीं की गयी है। हमारे ऊपर सारे प्रतिबंध लगाये गये हैं। हमारे यहां तैनात अधिकारियों को वित्तीय

नोट :-(× × ×)यह अंश श्री अधिष्ठता के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

अधिकार नहीं है। हमारे यहां के प्रमुख सचिव हैं उनको कोई अधिकार नहीं दिया गया है। हमारे लिये जो बजट दिया गया है वह हमारे लिये अनुकूल नहीं है। उत्तर प्रदेश के अन्य भागों के लिये निधियों की स्थापना की गयी है पूर्वांचल विकास निधि, बुंदेलखण्ड विकास निधि प्रदेश में अनेक बड़े-बड़े कारखाने लगते हैं, बड़ी-बड़ी नहरें बनती है। हमारे यहां जो बजट बनता है उसका फायदा हमको नहीं मिलता है। हमारे यहां ग्रामीण क्षेत्रों में जो विद्यालय हैं उनको एड देने की व्यवस्था होनी चाहिये।

श्री अधिष्ठाता-

अब आप समाप्त करें।

श्री भारत सिंह रावत-

हमारे यहां हाईस्कूल और इण्टरमीडिएट विद्यालय खोलने की व्यवस्था करें। हमारे यहां की जो पुरानी सड़कें हैं उनके स्थान पर नयी सड़कें बनाने की व्यवस्था की जाय। इसके अलावा नये अस्पताल और नये स्कूल खोलने की व्यवस्था की जाय। इन शब्दों के साथ मैं इस बजट का समर्थन करता हूं।

श्री अम्बिका चौधरी-

माननीय अधिष्ठाता जी, जैन साहब अपने विचार व्यक्त करना चाहते हैं, निशंक जी उनको रोक रहे हैं, यह उचित बात नहीं है।

(श्री मुन्ना चौहान को उत्तर भाषण के लिए बुलाये जाने पर)

श्री कृष्ण चन्द्र पुनेठा-

मान्यवर, हम लोगों को भी दो-दो मिनट का समय दे दें उसके बाद मुन्ना जी को बुलवायें।

(उत्तरांचल के कई माननीय विधायकों द्वारा बोलने के लिए समय देने का आग्रह करने पर)

श्री अधिष्ठाता-

अभी 4 बजट और हैं बहुत देर हो जायेगी। आप लोग अपने सुझाव मंत्री जी को लिखकर दे दीजिए।

श्री मुन्ना चौहान-

मान्यवर, अम्बरीष कुमार जी जिन्होंने मेरे कटौती के प्रस्ताव के समर्थन में विचार व्यक्त किये और सत्तापक्ष के तमाम माननीय सदस्यों ने प्रत्यक्ष नहीं तो अप्रत्यक्ष रूप से मेरे कटौती के प्रस्ताव का समर्थन अपने विचारों के माध्यम से किया। मैं समझ रहा था कि एक शिष्टाचार का भी तकाजा था और सरकार पक्ष की जो मजबूरी है उस नाते भी मैंने समझा, ब्राड लाईन उत्तरांचल सबप्लान की कुछ बातें मजबूरी हो सकती हैं लेकिन बहुत जिम्मेदारीपूर्वक आरोप लगाने के लिए नहीं लेकिन बहुत ताकत के साथ इस बात को कहना चाहता हूं कि चूंकि इस सरकार की जेहन उत्तरांचल को लेकर के साफ नहीं है, लिहाजा कोई न कोई बहाना ढूंढ करके, कोई न

कोई साजिश करके ऐसे इन्तजाम करने की बात करते हैं जहां से लोगों को नुकसान हो, दिक्कतें बढ़े । मैं सत्तापक्ष के अपने सदस्यों से अनुरोध करना चाहता हूं और माननीय मंत्री जी से आग्रह करना चाहता हूं कि आप हमारी भावनाओं को नहीं समझ सकते । पंडित दीन दयाल उपाध्याय की भावनाओं का समर्थन करने की रोज वकालत माननीय सदन के अन्दर करते हैं । मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि 1954 के अन्दर पंडित दीन दयाल उपाध्याय ने स्टेट रिऑगनाईज़ेशन कमेटी को रिप्रजेन्टेशन दिया कि जातीय और भाषा के आधार पर प्रान्तों के निर्माण का जो तर्क है वह गलत है और उन्होंने कहा कि भौगोलिक परिस्थितियों उसका एक मुख्य कारण है तो श्रीमन्, मैं यह जानना चाहता हूं कि कौन से कारण है कि आज भी भाजपा की सरकार जो भानुमती के कुनबे वाली सरकार है हरिद्वार और ऊधमसिंह नगर के बारे में स्पष्ट नहीं कर पा रही है । हम कहना चाहते हैं कि हरिद्वार और ऊधम सिंह नगर के बिना उत्तरांचल राज्य उत्तरांचलवासियों को स्वीकार नहीं है ।

आपने साहस जुटाया है थोड़ा और साहस जुटाईये और परवाह इस बात की कीजिए कि हरिद्वार और ऊधम सिंह नगर के बिना उत्तरांचल राज्य अधूरा है । लम्बी बहस में न जा करके उस प्रस्ताव का जिक्र कर रहा हूं जो आपने इस सदन के माध्यम से पारित करके भिजवाया । कैसा उत्तरांचल राज्य बनवाना चाहते हैं । इस सरकार की मानसिकता में है कि उत्तरांचल राज्य के लोगों के अन्दर कोई कूबत और काबिलियत नहीं है, काम करने की क्षमतायें नहीं है । आपने प्रस्ताव पास करके भिजवाया था । अभी भारत सिंह रावत जी ने कहा कि उत्तरांचल वह क्षेत्र है जो 15-20 हजार मेगावाट विद्युत उत्पादन की क्षमता रखता है लेकिन जो इस सरकार का दृष्टिकोण है, जो उत्तरांचल राज्य विषयक प्रस्ताव संख्या 20 पारित किया गया था उसे मैं पढ़ रहा हूं, उत्तरांचल में विद्यमान और निर्माणाधीन जल स्रोत परियोजनाओं की बाबत सब अधिकार (स्वामित्व, निर्माण, संचालन, अनुरक्षण और नियंत्रण) तथा दायित्व उत्तरवर्ती उत्तर प्रदेश सरकार में निहित बने रहें और विद्यमान तथा निर्माणाधीन परियोजनाओं का लाभ दोनों पूर्ववर्ती राज्यों को उसी तरह मिलता रहेगा जिस तरह से विभाजन से पूर्व । किस लिए आप उत्तरांचल राज्य बनाना चाहते हैं । केवल झुनझुना पकड़ाने के लिए । आप उनको स्वावलम्बी नहीं रखना चाहते हैं । इसी सदन में पिछले वर्ष जब उत्तरांचल का बजट प्रस्तुत किया गया था तो लखवार ब्यासी परियोजना के लिए 80 करोड़ रुपये 1998-99 के बजट में प्राविधानित किए गए थे । यह प्राविधान ना काफी था फिर भी हमने संतोष कर लिया कि कुछ तो सही वेल बिगेन इज आफ डन । चलो शुरूआत तो हुई लेकिन 1999-2000 के बजट में कल्याण सिंह ने 80 करोड़ रुपये में एक पैसा भी खर्च नहीं किया । मनेरी भाली और लखवार ब्यासी परियोजनाओं को तो यह एन0टी0पी0सी0 को उधार के एवज में देने जा रहे थे लेकिन उत्तरांचल की जनता के विरोध के कारण यह नहीं हो सका ।

उत्तरांचल के अन्दर तमाम वृहद् योजनाएं हैं लेकिन सरकार ने तय कर लिया है कि उसके अन्दर एक पैसा नहीं दिया जायेगा । मेरी प्रार्थना है कि ऐसी सरकार में आपको भी नहीं रहना चाहिए । इस सरकार के मंत्रिमण्डल से ठोकर मारकर आपको

अलग हो जाना चाहिए । आपकी सरकार पर आरोप लगता रहता है कि आप अल्पसंख्यक विरोधी हैं मैं बताना चाहता हूं कि इस पूरे बजट में अल्पसंख्यकों के विकास के लिए कोई भी जिक्र नहीं किया गया । क्या उत्तरांचल क्षेत्र में अल्पसंख्यक नहीं रहते हैं उत्तरांचल क्षेत्र में भी मुस्लिम, सिक्ख ईसाई रहते हैं । यही वजह है कि उस ऊधम सिंह नगर में जहां सिक्ख मात्र 10 प्रतिशत रहते हैं और जहां दूसरे अल्पसंख्यक मुस्लिम 20 प्रतिशत रहते हैं वहां अल्पसंख्यकों के मन में यह हीन भावना बैठ गई कि तुम्हारे उत्तरांचल से अलग रहने पर तुम्हारे साथ दोयम दर्जे का व्यवहार होगा । उत्तरांचल राज्य के निर्माण के पीछे जातिवाद क्षेत्र वाद और सम्प्रदाय वाद की कोई भावना नहीं है । उत्तरांचल राज्य के गठन के पीठ एक मात्र मकसद वहां के लोगों के जीवन स्तर को ऊंचा उठाना है, उनके लिए रोजी-रोटी का इन्तजाम करना । आज उत्तरांचल क्षेत्र में औद्योगीकरण के नाम पर सरकार क्या करने जा रही है । मैंने पिछली बार ही कहा था कि उत्तरांचल क्षेत्र इकोलाजिकल क्षेत्र में संवेदनशील क्षेत्र है वहां पर सरकार ऐसे उद्योग धन्धों को लगाने की इजाजत नहीं देती है जिनसे प्रदूषण फैलता है मुझे प्रसन्नता होती अगर सरकार यह घोषणा करती कि वहां ऐसे उद्योग धंधों को लगाया जायेगा जिनसे प्रदूषण नहीं फैलेगा । पूरे यूरोप में जो माउण्ट और सब माउण्ट जोन हैं वहां पर इलेक्ट्रानिक इण्डस्ट्री ने इतनी तेजी से प्रगति की है कि आप कल्पना नहीं कर सकते । यदि आप इच्छा शक्ति का परिचय देते तो उत्तरांचल क्षेत्रों में इलेक्ट्रानिक उद्योग को बाकायदा रिजर्व करके उत्तरांचल क्षेत्र में बकायदा जबरदस्त आंदोलन इस क्षेत्र के लिए चलाया जाता । वहां के औद्योगीकरण के लिए लाइट वेट इण्टस्ट्री है उसको स्थापित किया जाता क्योंकि भारी मशीन वहां नहीं ले जा सकते हैं । लेकिन इस तरह का कार्यक्रम नहीं किया गया ।

मान्यवर, इस सरकार ने एक महत्वाकांक्षी योजना की घोषणा इस सदन में की है और कहा कि सारे दुनिया जहां से पैसा लेकर हम यहां पर पैसा लगाने जा रहे हैं और पर्यटक नीति की घोषणा की और उसे उद्योग का दर्जा दे दिया । केवल कहने से कुछ नहीं होता । पर्यटन को उद्योग का दर्जा देते वक्त यह भी देखना चाहिये कि पर्यटन से जो आमदनी होती है, उसका 80 प्रतिशत आमदनी उत्तरांचल से होती है । परन्तु आपने दिया क्या । बौद्ध सर्किट की बात आप करते हैं और पांच धामों का काम कैसे चलेगा । इसे आपने देखा नहीं गढवाल और कुमांयू मण्डल के विकास के लिये कुमांयू मण्डल तथा गढ़वाल मण्डल विकास निगम का गठन किया गया था । मैं कुमांयू मण्डल से शुरू करना चाहता हूं । यदि आपके मस्तिष्क में उत्तरांचल का यही नक्शा है तो फिर मुझे वहां के दुर्दिन ही नजर आ रहे हैं । जब कोई व्यक्ति एल0पी0जी0 की एजेन्सी लेता है तो उसे मुनाफा होता है परन्तु इसे आप अपने निगम द्वारा वितरित करवा रहे हैं, उसमें आपको घाटा है । रेजिन का काम आप सरकारी रेट पर करवा रहें हैं, उसमें भी आपके 14 लाख का घाटा है, हल्के रेजिन में आपको 29 लाख का घाटा हो रहा है । यह सी0 ए0 जी0 की रिपोर्ट हैं । जड़ी बूटी के खेती की बात कही गई, इसमें भी कमांयू मण्डल विकास निगम ने 14 लाख का घाटा दिया और 6।

लाख रुपए का घाटा मार्जिन मनी के रुप में जो दिया गया था, उसमें हुआ। पर्यटन आवास गृहों के बारे में कहना चाहता हूं। कुमांयू मण्डल में पर्यटन आवास गृहों में अन्दर एअकूपेन्सी के कारण 96 लाख रुपए का घाटा हुआ है। यदि यही हाल है और घाटा ही घाटा होने वाला है तो इससे साफ जाहिर होता है कि इस सरकार के दिमाग में उस क्षेत्र की आर्थिक तरक्की व वहां के लोगों को जीवन स्तर को ऊंचा उठाने का नहीं है।

मान्यवर, एक खतरे की घण्टी की तरफ ईशारा करना चाहता हूं। आज जो लैण्ड यूज पैटर्न है, फारेस्ट कवर्ड हैं, वह निरन्तर घटता जा रहा है, दूसरा पैटर्न आफ अन कल्टीवेटेड लैण्ड का परसेन्टेज बढ़ता जा रहा है और तीसरा परती भूमि का परसेन्टेज बढ़ता जा रहा है। यदि इसे रोकने के लिये कोई तत्काल बृहद योजना नहीं बनाई गई तो वहां का जीवन अंधकारमय हो जायेगा। माननीय सदस्य अशोक बाजपेयी जी ने एक सवाल उठाया था कि जो गंगोत्री ग्लेसियर है, जो पैरेनियल सोर्स है यदि उसे नहीं रोका गया तो हिन्दुस्तान के सामने एक खतरा उत्पन्न हो जायेगा क्योंकि आज ग्लेसियर रिसीट होता जा रहा है। मैंने इससे पहले भी यह सुझाव दिया था कि जो पालीथीन है इसपर रोक लगा दी जाय क्योंकि यह वहां के पर्यावरण को खराब कर रहा है और इसके लिए कोई अतिरिक्त धन की जरूरत भी नहीं है इसलिए मैं पुनः सुझाव के तौर पर कहना चाहता हूं कि बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री-यमुनोत्री, मंसूरी और देहरादून जैसे पर्यटक मार्गो पर पालीथीन पर रोक लगायी जाय। मान्यवर, पूरे प्रदेश में रेशम का उत्पादन 80 प्रतिशत मेरे जिले देहरादून और विशेषकर मेरे निर्वाचन क्षेत्र में होता है। मेरे क्षेत्र में वर्ल्ड क्लास का रेशम उत्पादित होता है परन्तु इस बजट में उसे बढ़ाने के लिए कोई कार्य योजना न होने की वजह से मुझे बहुत निराशा हुई। मेरे क्षेत्र के बोकसा जनजाति तथा पिछड़ी जाति के लोग जो छोटी जोत के लोग है वह रेशम का कीड़ा पालकर और मालावर प्लान, लगाकर रेशम का उत्पादन करते हैं और अपना जीवन यापन करते हैं।

लेकिन श्रीमन् कोई अरेंजमेंट आपके बजट में उनके लिये नहीं किया गया है मुझे यह जानकर बेहद अफसोस हुआ। माननीय मंत्री जी ने पूरा जोर देकर नैनीताल और देहरादून में मिनी सचिवालय को पुर्नजीवित करने की बात कही है। आपको तो उन कामों को करना अच्छा लगता हैं जिसमें लोग ताली बजा सकें। शासन में बैठकर निर्णय जब लिये जाते हैं तो उन कामों पर भी निर्णय लें जिन पर लोग पानी न बजाये। आप अपनी इच्छा शक्ति का परिचय दें। नैनीताल और देहरादून में जो मिनी सचिवालय आप पुनर्जीवित करने की बात कर रहे हैं उनहें एक कलम से एक आदेश से बन्द कर दें क्योंकि यही सचिवालय हमारे काम में रास्ते का रोड़ा बने हुए हैं। पहले जो फाइल 10 दिन में होती थी वह तीस-तीस दिन में नहीं हो रही है। जिस दिन प्रदेश बन जायेगा हम आलोचना नहीं करेंगे कि क्यों बन्द कर दिये गये।

श्री अधिष्ठाता-

मुन्ना जी अब समाप्त करिये। सारी बात आ गई हैं।

श्री मुन्ना चौहान-

श्रीमन् मैं एक अंतिम बात कह कर समाप्त कर दूंगा । विकास की दृष्टि से देहरादून एक ऐसा जनपद है जहां दुनिया की सबसे बेहतरीन क्वालिटी की चाय का उत्पादन होता है उसके बाद कुमाऊं का स्थान है जिसका जिक्र अजय भट्ट जी अक्सर करते रहते हैं । लेकिन मान्यवर, क्या हो रहा है धीरे-धीरे देहरादून के अन्दर चाय बागानों के लिये जो ग्रीन एरिया मार्क था उसका लैंड यूज चेंज करके वहां कालोनियां बसाते चले जा रहें हैं और चाय बागान का क्षेत्रफल घटता जा रहा है । मैं माननीय मंत्री जी से आपके माध्यम से आग्रह करना चाहता हूं । राजस्व मंत्री जी से भी मैंने आग्रह किया था कि इस तरीके से वहां पर जो चाय उद्योग का कारण जो उसका अपना स्थान है उसका महत्व कम होगा आपके राजस्व में कमी होगी और चाय उद्योग में जो सैंकड़ो श्रमिक परिवार हैं वह भुखमरी की कगार पर पहुंच जायेगें ।

श्री अधिष्ठाता-

अब आप समाप्त करें ।

श्री मुन्ना चौहान-

मेरा माननीय मंत्री जी से निवेदन है कि इन चाय बागानों के जीर्णोद्धार के लिये, सम्वर्धन के लिये विशेष योजना की घोषणा करें और यह प्रतिबन्ध लागू करें कि किसी भी चाय बागान के क्षेत्र का लैंड यूज चेंज नहीं होने देंगें ।

श्री अधिष्ठाता-

अब समाप्त करें अभी और भी बजट बाकी हैं ।

श्री मुन्ना चौहान-

मान्यवर, अंतिम बात कह कर समाप्त करना चाहता हूं । आपने पर्वतीय क्षेत्र के अन्दर, रेत बालू, पत्थर के खनन के बारे में नियमावली बनाई हैं । कुमाऊं के कुछ क्षेत्रों और देहरादून में यह कार्य होता है । देहरादून के अन्दर नीलामी करके रेत, बालू, पत्थर के खनन का ठेका देते हैं । धीरे-धीरे एक साजिश चल रही है कि वहां पर जिस तरीके से पहले माफियाओं के साथ में यह काम रहा करता था 5-10 साल के पट्टों पर उनको फिर से दे दिया जाय । मैं माननीय मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि यदि इस तरीके से कार्य किया गया तो सरकार को भारी राजस्व की हानि होगी और गरीब लोगों के हाथ कुछ नहीं लगेगा । इसके लिये एक नीति बनाने की आवश्यकता है । अंत में एक बात कह कर समाप्त करुंगा । पहाड़ की सर जमीन पर पैदा होने वाले तीन शहीदों के बारे में कहना चाहता हूं । एक हैं श्री वीर केसरी, चन्दन सिंह गढवाली और श्रीदेव सुमन । मैं समझता हूं कि अभी हमने आजादी के पचास वर्ष मनाये हैं । मैं चाहता हूं कि इन तीनों शहीदों की जो जन्मस्थली हैं वहां पर शहीद स्मारक बनाया जाय, आदम कद मूर्तियां लगाई जायं और उन स्थलों को पर्यटन स्थल के रुप में विकसित किया जाय ताकि आने वाली पीढ़ी को हम

बता सकें कि देश की एकता और अखण्डता के लिये अपना सर्वस्व न्यौछावर करने वालों को समाज क्या दे सकता है। किस तरीके से हम उनको याद कर सकते हैं। मैंने अपनी पीड़ा और व्यथा आपके सामने व्यक्त की है। इस सरकार से मुझे नहीं लग रहा है कि यह कुछ करेगी। वृहत विद्युत परियोजनाएं हैं जो ऐसे ही पड़ी हैं जिन पर कोई कार्य नहीं किया जा रहा है। अगर यही हालत रहेंगी तो उत्तरांचल का विकास कैसे हो सकता है इसीलिये मुझे मजबूर होकर कटौती के प्रस्ताव पर बल देना पड़ रहा है। निशंक जी आपने अपनी दोस्ती दूर रखकर मांग कर रहा हूं कि आपके प्रयास की तारीफ कर सकते हैं लेकिन कल्याण सिंह की सरकार ने उत्तरांचल पर पट्टा लगाने का जो काम किया है, अगर आपमें स्वाभिमान है तो आप मंत्री पद से इस्तीफा दे दें, मंत्री पद को ठोकर लगा दें, इसी के साथ मैं अपने कटौती के प्रस्ताव पर बल देता हूं।

डा0 रमेश पोखरियाल "निशंक"-

मुन्ना सिंह चौहान, अम्बरीष कुमार जी लाखी राम जोशी, अजय भट्ट, भरत सिंह रावत एवं अन्य जो माननीय सदस्यों ने महत्वपूर्ण सुझाव दिए हैं उनके प्रति मैं बहुत आभारी हूं। मुन्ना चौहान जी हमारे काबिल मित्र हैं कभी-कभी ऐसा लगता है मुन्ना सिंह जी लेन पर रहते लेकिन झट से कुछ याद आ जाता है फिर वे लेन से हट जाते हैं। उन्होंने महत्वपूर्ण सुझाव दिए हैं मैं उनका आभारी हूं। हिमांचल प्रदेश की तरह चिकित्सा की सुविधा मोबाइल टीम से हो सरकार इस पर गम्भीरता से विचार कर रही है। उत्तरांचल में चिकित्सा की मोबाइल टीम हो तो हर स्थान पर हम चिकित्सालय तो खोल नहीं सकते हैं ऐसी स्थिति में जरूरत हैं सभी स्थानों पर चिकित्सा उपलब्ध कराने हेतु सरकार पहले से इस विचार कर रही है। श्रीमन् मुन्ना जी ने कहा कि पर्यटन के विषय में विशेष योजना और पर्यटन का कुछ विकास हो रहा है, पहले हम यमुनोत्री, गंगोत्री, बद्रीनाथ केदारनाथ के बारे में पहले सुनते थे। कौसानी से लेकर, ओली से लेकर, हर्षिल, चोपड़ा आदि के बारे में पहली बार लोगों को जानकारी मिल रही है। हमने कई महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। गोचर की पट्टी को तेजी से पूरा कर रहें हैं पिथौरागढ़ को पूरी तरह से पट्टी से जोड़ रहे हैं। आठ करोड़ उत्तर काशी चिनाटौर को दिए हैं 10 करोड़ की ऋण उपाशन योजना शुरू की है। कार्यवाही हो रही है। सरकार दृढ़ इच्छा शक्ति की सरकार है चौमुखी विकास इस सरकार द्वारा होगा।

श्री अधिष्ठाता-

मंत्री जी संक्षिप्त कर लें आपकी सारी बात आ गई है।

डा0 रमेश पोखरियाल "निशंक"-

यू0पी0 हिल्स योजना से सारी समस्याओं का समाधान होगा। चाहे ग्लेशियर हो चाहें सूखे स्रोत हों, चाहें नयी इंडस्ट्रीज की बात हो। पहाड़ों पर दो स्थानों पर चाय के बागान शुरू कर दिए हैं टी बोर्ड ने पैसा देना स्वीकार किया है। देहरादून

के बारे में चौहान जी ने कहा हमारी सरकार की चिन्ता है सरकार की पहल है चाय के बागान पर पूरा ध्यान दिया जाएगा। शिक्षा की गुणवत्ता, और सुधार के बारे में इस सरकार ने सुधार किया है। पहले की सरकारें क्या करती थी नकल का प्रचार करती थीं। हमारी सरकार ने नकल अध्यादेश इसलिए लाया कि योग्य छात्रों को बनाना चाहती है। मुझे ज्यादा नहीं कहना हैं। हमने शुरूआत की हैं और इसमें कोई समझौता नहीं किया है। हम नकल अध्यादेश में समझौता नहीं करेंगे। हम नकल अध्यादेश लगायेंगे तो छात्र खिलाफ हो जाएगें जिस तरह से इसको राजनीतिक बनाने की कोशिश की गई यह सही नहीं है। हमारा प्रयास हैं रोजगार परक विषय होने चाहिए कृषि उद्यानिक विषय हमने खोले अभी वाणिज्य विषय खोले हैं कम्प्यूटर प्रशिक्षण इसका महत्वपूर्ण अंश है।

श्रीमन् जहां तक अल्पसंख्यक विरोधी होने की बात है तो यह साबित हो गया है कि यह सरकार अल्पसंख्यक विरोधी है या कौन लोग विरोधी हैं। आज यदि अल्पसंख्यकों के मन में आस्था जगी है तो इस सरकार के प्रति जगी है। आज तक सभी इसका शोषण करते रहें राजनीतिक रूप में वोट के लिए डराते रहें। इसलिए मैं यह बल देकर कहना चाहता हूं कि यह सरकार अल्पसंख्यक हितैषी सरकार है। मान्यवर, मनेरीभाली परियोजना की बात कही गयी उस पर कार्यवाही हो रही है यह सरकार उत्तरांचल की हितैषी सरकार है। संशोधन की बात आयी तो जो मूल विधेयक प्रस्तुत हो गया है उस पर ज्यादा चर्चा नहीं करना चाहूंगा। संशोधन की बात का पूरी तरह से खण्डन करना चाहता हूं। वहां पर जल संसाधनों पर पूरी तरह से कब्जा रहेगा जो परियोजनाएं वहां पर चल रहीं हैं और यह प्राविधान किया गया है जो सुविधाएं उत्तर प्रदेश में ली जा रही हैं और जो उत्तर प्रदेश दे रहा है यह दोनों सुविधाएं देते रहेंगे।

श्रीमन्, अध्यापकों की बात आयी कि वहां पर अध्यापकों के पदों पर रिक्तियां हैं तो यह सही है और हम इस दिशा में प्रयास कर रहे हैं। यहीं पर मैं यह भी बता देना चाहता हूं कि 190 हाईस्कूल इण्टरमीडिएट हमने खोले हैं जो पिछले 20 वर्षों में नहीं खुलें होंगे। इसलिए इनके पदों में रिक्तियां आयी हैं और हम प्रयास कर रहे हैं कि जल्दी से जल्दी इन रिक्तियों को भरा जाय। मान्यवर, जड़ी-बूटी की बात कही गयी तो हम जड़ी-बूटी उत्पादन करने की दिशा में काम कर रहे हैं। लखवाड़ ब्यासी यह उत्तरांचल विभाग से संबंधित नहीं है लेकिन हम प्रयास करेंगे कि इसका काम जल्दी से जल्दी कराया जाय। भाई अम्बरीष जी ने चिन्ता व्यक्त की थी। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि हमने गंगा एक्शन प्लान के अंतर्गत 300 करोड़ की परियोजनाएं बनायी है। जड़ी-बूटी के बारे में महत्वपूर्ण सुझाव दिये। यह सही है कि दुलर्भ जड़ी-बूटियां पहाड़ों में हैं। मैं केन्द्र सरकार से आग्रह करूंगा कि इसको पेटेन्ट किया जाय। चीन में भी एक जड़ी-बूटी का पेटेन्ट था उसे खत्म कराया गया था। कैलाश मानसरोवर यात्रा का प्रश्न है, या गंगोत्री-यमुनोत्री की सुविधाओं का प्रश्न है सभी सुविधाएं प्रदान करने का, ।।"वित्त वेतन आयोग ने 'आश्वासन दिया है और उसमें

हम तेजी से काम कर रहे हैं। मान्यवर, नगर विकास की भी बात कही गयी तो यह पहली सरकार है जिसने चार करोड़ रुपया नगरपालिकाओं को और न्याय पंचायतों को दिया है। ग्रान्टों की बात कही गयी। इसमें 40 लाख रुपये की व्यवस्था की गयी है। सैनिक कल्याण की बात कही गयी तो सैनिक कल्याण का जो बजट है वह नान-प्लान में चला जाता है इसलिए पर्याप्त धन नहीं दिया है। मान्यवर, उत्तरांचल वासियों पर डंडे नहीं बरसेंगे यह कहा गया तो मैं यह कहना चाहता हूं कि हमारी सरकार उत्तरांचल की पक्षधर है मैं सभी सम्मानित साथियों से जो बोलें हैं उनका आभार व्यक्त करता हूं। माननीय अजय भट्ट जी ने भी बात कही तो उसमें मुद्रण की त्रुटि हो गयी है 242810 हुआ है। जो कालम-5 है...1998-99 का जो संशोधित परिव्यय है, वही बजट परिव्यय है, वहीं संशोधित परिव्यय है। कालम 6 में दिसम्बर 98 तक के वास्तविक अंश हैं जो अनुमानित व्यय दिखाया गया है इसमें कहीं मान्यवर कोई गल्ती नहीं है, यह अनुमानित व्यय दिखाया गया है। मान्यवर, मैंने मुन्ना सिंह चौहान जी के पिछले बजट के अवसर पर भाषण के एक-एक शब्द को पढ़ा है और उसी के अनुरूप कार्यवाही की बात कही गयी है। हमें आशा है कि वे अपना कटौती का प्रस्ताव वापस लेंगे।

श्री अधिष्ठाता-

माननीय मुन्ना सिंह जी आप अपना कटौती का प्रस्ताव वापस ले रहे हैं?

श्री मुन्ना चौहान-

मान्यवर, बरसात के दौरान जो क्षति हुई थी पी0डब्लू0डी0 और इरीगेशन के कार्यों में जो डेमेज हुआ था, उसमें पैसा रिलीज नहीं हुआ है, जितने रोड़ लिंक हैं उनको रिस्टोर करने में दिक्कत आ रही है। आपका जो प्लान साईज है आप कम से कम उसका 10 प्रतिशत मेंटीनेंस के लिए रखें। यह व्यवस्था आप कराते तो मैं इसे सहर्ष वापस ले लेता। मैं इस पर बल देता हूं।

श्री अधिष्ठाता-

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या-95 उत्तरांचल विकास विभाग के अन्तर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाये।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ)

श्री अधिष्ठाता-

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 2000 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या-95 उत्तरांचल विकास विभाग के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए 7,93,40,77,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

वित्तीय वर्ष 1999-2000 के आय-व्ययक में अनुदान की माग पर चर्चा एवं मतदान
अनुदान संख्या-25 गृह विभाग (कारागार)

श्री शिव प्रताप शुक्ल (कारागार मंत्री)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 2000 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या-25 गृह विभाग (कारागार) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए 1,11,20,41,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये।

मान्यवर, कारागार विभाग पहले तो जो भी रहा हो इस समय यह जरूर है कि उसका उद्देश्य बन्दियों में सुधार का भाव उत्पन्न करना है ताकि वहां बंदी जो कैदी के रूप में होते हैं, जो अन्डर ट्रायल होते हैं।

कैदी दो प्रकार हैं, एक सिद्ध दोष बंदी, दूसरे विचाराधीन कैदी। अभी भाई अम्बरीष जी कह रहें थे, दोनों में अन्तर क्या है। सजा प्राप्त सिद्ध दोष बंदी हो जाता है और जो सजा नहीं पाया रहता है वह विचाराधीन बंदी के रूप में जाना जाता है। आज स्थिति यह है कि उत्तर प्रदेश में 83 जिले बन चुके हैं और इन 83 जिलों को सापेक्ष मात्र 53 जिलों में जिला कारागार हैं, 5 केन्द्रीय कारागार है, लखनऊ में एक आदर्श कारागार है, 2 खुली हुई हैं, 5 उप-कारागार हैं, एक महिला सदन है, 18 अल्प वर्ष वाली कारागार हैं, एक नारी बन्दी निकेतन और 3 अन्य महिला कारागार हैं। (इस समय 6 बजकर 20 मिनट पर अधिष्ठाता श्री मुन्ना चौहान पीठासीन हुए)।

हम कोशिश कर रहें हैं कि जल्दी से जल्दी और जिलों में कारागार स्थापित कर सकें। इसी क्रम में हमने अभी हरिद्वार का उद्घाटन किया है, मऊ और फिरोजाबाद जिलों के कारागारों के उद्घाटन के क्रम की तरफ बढ़ रहे हैं। 30 ऐसे जिले हैं, जहां जिला कारागार नहीं हैं, उनको सम्प्रत करना पड़ेगा, इस नाते कि वहां जब अलग जिला हो गया और मांग बराबर उठ रही है, अनेक ऐसे स्थान हैं जैसे मिर्जापुर और उससे जो जिला अलग हुआ है, उन दोनों के बीच दूरी इतनी हो जाती है कि उसको मेन्टेन करने के लिये कारागारों की आवश्यकता निश्चित रूप से होगी। इसी तरह से महाराजगंज, सिद्धार्थनगर में जल्दी ही काम शुरू कराया है, मुझे लगता है कि इन कारागारों का काम 3 साल में पूरा होगा। पहले जो स्थिति रही है, उसके अनुसार फिरोजाबाद में कारागार बनते 8 वर्ष बीत चुके हैं और काम पूरा नहीं हुआ, अब जाकर उसके पूरा करने की स्थिति में हम पहुंच पाये हैं।

मान्यवर, इस समय बन्दियों की जो स्थिति है, उसके अनुसार हमारे कारागारों में कुल बन्दियों की क्षमता 35,857 है, उसके सापेक्ष हमारे यहां इस समय 48,243 बन्दी हैं, जिसमें सिद्ध दोष और विचाराधीन बन्दी दोनों हैं। इसमें 5,883 सिद्ध दोष तथा 42,360 विचाराधीन बन्दी हैं, जिनके मुकदमें अदालतों में अभी विचाराधीन हैं। अधिकांश जेलें अधिक क्षमता न होने के बाबजूद चूंकि विचाराधीन बन्दियों की संख्या

अधिक हैं, इस नाते से उसकों झेल रही हैं। अधिकांश ऐसी कारागारें हैं जो 100 वर्ष से ऊपर की हैं, सिर्फ हरिद्वार और गाजियाबाद दो ऐसी जेलें हैं जो अभी बनकर तैयार हुई हैं, शेष जितनी कारागारें हैं, वह सभी 100 वर्ष के आसपास या उससे ऊपर की हैं। जिस तरह से जिलें बढ़े हैं, उसके हिसाब से संसाधन को देखते हुये नई जेलों का निर्माण करना होगा। दशम वित्त आयोग से जो हमको पैसा प्राप्त हुआ है, उसमें लगभग 40 बैरकें बन रही हैं, इनमें 14 पूर्ण हो चुकी हैं और इनके बन जाने पर लगभग 23-2400 बन्दियों की क्षमता और बढ़ जायेगी, यह बैरकें विभिन्न जेलों में बन रही हैं। कई और काम हमने शुरू किया हैं.....

मान्यवर, इस सरकार के आने के बाद हमने जेलों में युग निर्माण योजना के अन्तर्गत योगशिक्षा के प्रशिक्षण का कार्य बन्दियों को देना शुरू किया है। इसके अतिरिक्त जो बन्दी अशिक्षित हैं उन्हें शिक्षा देने का कार्य भी शुरू किया है।

मान्यवर, जो महिला बन्दी हैं उनके लिए हमने रोजगार देने की व्यवस्था किया है। महिला बन्दियों को सिलाई कार्य सिखाने का कार्य शुरू किया है। नारी बन्दी निकेतन हैं जिसके द्वारा महिला बन्दियों को रोजगार के अवसर शुलभ कराये गये हैं और उनके द्वारा बनाये गये सामान को बाहर बेचा जाता है और अमीनाबाद में एक जेल डिपों हैं जिससे हम सामान को बेचवातें हैं। और सामान को बेंचवाने से जो आय होती है वह महिला बंदियों के खाते में जमा होती रहती है और जब वह जेल से छोड़ी जाती हैं तो वह अपनी आय लेकर अपने परिवार के भरण-पोषण के लिए कोई अपना कार्य शुरू कर सकती हैं।

मान्यवर, युग निर्माण योजना के अन्तर्गत शिक्षा, नैतिक शिक्षा देने का कार्य, उत्तर प्रदेश में दो-चार जेलों को छोड़कर, अधिकांश जेलों में यह कार्य शुरू करा दिया है जिससे जब बन्दी जेलों से बाहर जायं तो वे अपना कार्य कर सकें जिससे समाज के अन्य व्यक्ति उन पर कोई अंगुली न उठा सके।

मान्यवर, पहले इन बन्दियों को दो-चार रुपये के हिसाब से मजदूरी मिलती थी लेकिन अब हमने इनकी मजदूरी को दूना किया है। यह मजदूरी इसलिए बढ़ाई गयी हैं जिससे धीरे-धीरे उनका पैसा जमा होता रहेगा और रिहा होने पर वे अपने परिवार के लिए तथा स्वयं के लिए कार्य कर सकेंगी।

मान्यवर, हम पहले भी निवेदन कर चुके हैं कि हम मानव परेशानियों से अपने को अलग नहीं कर पाये हैं, हमें ध्यान हैं कि एक बार मैं पीलीभीत जेल में गया था तो गर्मी में देखा था कि एक-एक बैरक में यदि क्षमता 60 कैदियों की होती है तो 100 कैदियों से ऊपर लोग एक बैरक में रखे जाते थे। गर्मी में वे कैसे रहते होंगे उसे ध्यान में रखते हुए हमने उत्तर प्रदेश के प्रत्येक जेलों में पंखा लगवाने का कार्य शुरू किया है। मान्यवर, मैं सदन को बताना चाहता हूं कि हम अधिकांश जेलों में पंखा लगवाने में सफल रहें हैं, कुछ जेलों में स्वयं सेवी संस्थाओं ने और कुछ में प्रशासन ने यह कार्य करने का काम किया है। मान्यवर, इस बार एक हजार पंखे शासन की तरफ से उत्तर प्रदेश जेलों में भेज रहे हैं जिससे वहां के कैदी कम

से कम हवा खा सके। मान्यवर, इसी क्रम में हमने यह भी तय किया है कि उत्तर प्रदेश की प्रत्येक जेलों मे ब्लैक एण्ड व्हाइट टी0वी0 हम उपलब्ध करवायेंगे जिससे योग की शिक्षा के कार्यक्रमों को और विभिन्न सन्तों की वाणी को हम बंदियों को सुनवा सकें।

इसी के साथ-साथ मान्यवर प्रत्येक दिन पर्यावरण की बात यहां पर होती है और जेलों में भोजन पकाने के लिये लकड़ी की बहुत अधिक मात्रा में आवश्यकता होती हैं, तो कहीं न कहीं पेड़ काटने ही होगें और उससे पर्यावरण की क्षति होगी तो हमने तय किया है कि जेलों में एल0पी0जी0 सिस्टम डेवलप किया जाये। हम जगह-जगह पर गोदाम बनवा रहें हैं और उससे पर्यावरण को हम बचा सकेंगे। हमने एक और काम किया है, मानवता के आधार पर एक काम किया है, नेडा से बातचीत करके बायोगैस लगा रहें हैं। जेलों में जो गन्दगियां रहती हैं, वह दूर हो जायेगी और इस वर्ष इसके लिये हम 14 जेलों को ले रहें हैं। मान्यवर, हमने बन्दियों की चिकित्सा के लिये ध्यान दिया है और 18 अस्पतालों के भवनों का नवीनीकरण करने का काम कर रहे हैं। हमने एक और काम किया है, आमतौर पर एक बात की शिकायत आती थी कि बन्दियों के खाने पीने का जो सामान जाता था, उसमें कमीशनबाजी हो जाती थी, उसको हमने समाप्त करने का प्रयास किया है और प्रत्येक जेल में एक कैन्टीन खोलने की व्यवस्था की है, जो बंदियों के लिये अनुमन्य सामान है वह वहां पर मिल सकेगा और एक बंदी को 600 रुपया जमा करना होगा उसके बदले में कूपन दिया जायेगा और उस कूपन से वहां कैन्टीन से जो चाहे सामान ले सकेगा।

मान्यवर, एक बात और कहना चाहता हूं कि आदर्श कारागार लखनऊ में, जिसकी चर्चा मैंने की है, वहां पर शुरूवात की हैं, कम्प्यूटर की। इससे जो बन्दी हैं उसको धीरे-धीरे सीख लेगे और मान्यवर यह युग ही कम्प्यूटर का है और जब वह बाहर आयेगे तो वह अपना रोजगार खोज लेगे, उनको रोजी रोटी का सहारा हो जायेगा। पहली बार हम 47 बन्दियों को प्रशिक्षण देने का कार्य कर रहें हैं।

मान्यवर, सरकार ने बन्दियों के लिए काफी कुछ सुविधा देने का काम किया है। आज स्थिति यह है कि सम्पूर्ण भारत में उत्तर प्रदेश एक ऐसा राज्य है जहां इस सरकार ने 65 वर्ष के पुरूष और 60 वर्ष की महिला जो बन्दी है अगर उसने आजीवन कारावास के 3 वर्ष पूरे कर लिये है या जो विकलांग है उन्होंने 2 वर्ष पूरे कर लिये हैं उन्हें जेल से रिहा करने का निर्णय लिया है। मान्यवर यह प्रश्न सुबह उठाया गया था। माननीय सदस्य के प्रश्न के उत्तर में मैंने कहा था कि जिला कारागार में प्रवेश के समय जो उम्र दर्ज की जाती हैं और उसमें जो भ्रम होता है, इस समस्या के निदान के लिए हमारी सरकार ने यह निर्णय लिया कि ऐसे व्यक्ति को मेडिकल बोर्ड के पास भेजा जाये कि उसकी आयु का पता लगा सकें और मेडिकल बोर्ड की रिपोर्ट के आधार पर ही हम उसे रिहा करते हैं।

मान्यवर कभी-कभी मुझे भी लगता है अमुक व्यक्ति 70 वर्ष से अधिक का है लेकिन इस विभाग का मंत्री होने के बाबजूद भी मैं उसे रिहा नहीं कर पाता। ऐसी स्थिति में उसे हम मेडिकल बोर्ड के पास भेज देते हैं। अभी अलीगढ़ में एक महिला बन्दी को हमने रिहा भी किया जो कि 70 वर्ष से अधिक की थी। और मान्यवर बिना मेडिकल बोर्ड की रिपोर्ट के इस समस्या का निदान संभव भी नहीं है। मान्यवर हमने चिकित्सा के सम्बन्ध में भी विचार किया है। 57 स्थानों पर एम्बुलेंस की व्यवस्था है और 30 एम्बुलेंस की व्यवस्था हम और कर रहें हैं। लेकिन हम अभी इसे घोषित नहीं कर पा रहें है क्योंकि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने पूरे स्तर पर एक कमेटी बनाकर उसको घोषित करने का निर्णय लिया है। हमारे यहां बन्दी रक्षकों की कुछ कमी रही है। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने तुरन्त यह निर्णय लिया है कि 218 बन्दी रक्षकों के पड़े रिक्त पदों को भरा जायेगा। मान्यवर चूंकि बन्दी रक्षकों के स्थानान्तरण हेतु क्षेत्र कुछ कम है जो कि हम बढ़ा रहे हैं। इसके लिए हम एक नीति बना रहें हैं। जिसके अन्तर्गत बन्दी रक्षकों को व्यापक क्षेत्र में स्थानान्तरित किया जा सके। मान्यवर अब मैं सुरक्षा के संदर्भ में आना चाहता हूं।

श्री जगदम्बिका पाल-

मान्यवर, मंत्री जी बैरिक की बात कर रहें है। प्रमोद जी और माननीय मंत्री जी को एक साथ बंद कर दिया जाये और कुंजी फेंक दी जाये तो क्या होगा।

श्री प्रमोद कुमार-

तो जेल तोड़कर मंत्रीजी को बाहर करवा दिया जायेगा।

श्री अधिष्ठाता-

यह उस समय की बात कर रहें हैं जब आप गृह मंत्री में तब्दील हो जायेगे।

श्री प्रमोद कुमार-

मान्यवर यह इसी हसरत में थे लेकिन क्या करें कारागार पकड़ा दिया कल्याण सिंह जी ने।

श्री शिव प्रताप शुक्ला-

मान्यवर एक आधा स्थानों पर कुछ अपराधी प्रवृत्ति के लोगों ने जेलों की सुरक्षा के संदर्भ में अपनी दादागीरी चला रखी है।

मान्यवर, अब चाहे जो भी परिस्थितियां रही हों, कहीं पर सेलुलर फोन का प्रयोग हुआ है, लेकिन अभी तक यह स्थिति रही है कि सेलुलर फोन पर प्रतिबन्ध नहीं था। जो पहले का जेल मैनुअल बना हुआ है, लेकिन अब तुरन्त हम उसको प्रतिबन्धित श्रेणी में लाने जा रहे हैं। उसके साथ ही साथ अधिकारियों और कर्मचारियों की भी सुरक्षा का प्रबन्ध कर रहें हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ बैठक

हुई थी । विभाग के तौर पर भी विभाग के प्रमुख सचिव और मुख्य सचिव की अध्यक्षता में लोग हमेशा बैठ रहे हैं और जेलों की सुरक्षा का प्रबन्ध कर रहे हैं । उत्तर प्रदेश की 10 जेलों को हमने अति संवेदनशील छांटा है और अति संवेदनशील जेलों के बाहर पुलिस और पी0ए0सी0 की व्यवस्था करेगें जो आने-जाने वाले लोगों की तलाशी भी ले सकेगें, वहां पर रहने वाले लोगों की सुरक्षा की भी चिन्ता करेंगे ।

इसके साथ ही साथ उत्तर प्रदेश में पहली बार सुपरिन्टेन्डेन्ट और डिप्टी जेलर के बीच के जो अधिकारी हैं, उनको हम सर्विस रिवाल्बर देने जा रहें हैं, कुछ जेलों में दे दिया है और कुछ जगहों पर अभी और हम पुलिस विभाग से इन्डेन्ट कर रहें हैं, उसको हम देने का काम करेगें । इस बजट में भी हमने उसके लिए 50 लाख की व्यवस्था की है क्योंकि मान्यवर, जिस प्रकार से अपराध की प्रवृत्ति बढ़ी है, जेलों की संवेदनशीलता भी बढ़ी हैं यह हम सब लोगों को स्वीकार करना पड़ेगा । जेलों की संवेदनशीलता बढ़ी हैं तो उस प्रकार से हमें व्यवस्था करनी पड़ेगी । हम ए0के0 47 तो वहां नहीं दे सकतें हैं, लेकिन फिर भी ऐसी व्यवस्था करेंगे जिससे वह पूर्ण रूप से चुस्त दुरूस्त रह सकें । इसी प्रकार से मान्यवर, हमने सुरक्षा की दृष्टि से जिला मजिस्ट्रेट, पुलिस अधीक्षक और जेल के अधीक्षकों की भी एक कमेटी बनायी है, जो समय-समय पर महीने में एक बार बैठकर जेलों की सुरक्षा की व्यवस्था करते रहेंगे आवश्यकता पड़ने पर जिला मजिस्ट्रेट और पुलिस अधीक्षक कभी भी जेलों का आकस्मिक मुआयना कर सकते हैं ताकि कोई कमी न रहें । जेलों के विकास के लिए, माननीय विकास के लिए, उसकी सुरक्षा के लिए पहली बार कोई सरकार चिन्तित है अन्यथा इसके पहले तो चिन्ता इस नाते भी नहीं रहती थी क्योंकि उन्हीं के लोग जेलों में रहा करते थे । लेकिन हमारी मजबूरी है कि हम चिन्ता कर रहें हैं ।

श्री जगदम्बिका पाल-

मान्यवर, पहले जो लोग जेल में रहते थे, वह अब मंत्रि मण्डल में रहते हैं ।

श्री शिव प्रताप शुक्ल-

वैसे पाल जी ने प्रयत्न तो बहुत किया अधिष्ठाता जी, आप तो परिचित होंगें कि बहुत प्रयत्न किया, लेकिन कोई कोर्ट ने उस पर मुहर नहीं लगायी मान्यवर, आज पर्यावरण की बात की जाती है हमने उत्तर प्रदेश की जेलों में 67 हजार से ऊपर पौधों का वृक्षारोपण कराया है यह वृक्षारोपण लगभग 5 सौ एकड़ में हुआ है । मान्यवर, जेल में छोटा-मोटा उद्योग भी चलता है । हमने इधर 345.61 लाख का औद्योगिक उत्पादन किया है । वाराणसी में बरतन बनाने के लिये स्टील प्लांट और रेशम उद्योग चलाया जा रहा है । मान्यवर, पहली बार सितारगंज में अधिक गन्ना पैदा करने के लिये हम लोगों ने नये बीजों को बोने का काम किया है जिससे उत्पादन बढ़ेगा । मान्यवर, कई ऐसी जेलें हैं जो शहरों के बीच में आ गयी है, हमारे जे0पी0 सिंह साहब बैठे हुये हैं, प्रयत्न कर रहें हैं कि जेलों को शहर के बीच से हटाकर दूसरी जगह बनाया जाय । मान्यवर, ऐसी जेले जो शहरों के बीच आ गयी हैं उनके लिये प्रयास कर रहें हैं कि उनको शहर से बाहर ले जाया जाय । इससे हमको विभागीय लाभ भी होगा । इस सम्बन्ध में हमको जल्दी ही सफलता मिलेगी ।

इसी प्रकार से मान्यवर, उत्तर प्रदेश की जेलों में एक नया वातावरण बनाने का प्रयास किया जा रहा है। हमने जेलों में सुधारात्मक दृष्टिकोण को अपनाया है। मैं समझता हूं कि अम्बरीष जी जब अपना प्रस्ताव रखेगें तो समालोचनात्मक दृष्टि से निश्चित रूप से यह कहेंगें कि हम एक तरफ तो सुधारात्मक स्थिति उत्पन्न करना चाहते हैं और दूसरी तरफ कुछ ऐसे तत्व हैं जो जेलों को दूषित करने का प्रयत्न कर रहें थे।

हम उनको भी सुधार की स्थिति में लाना चाहेगें जेलों में यज्ञ हमने नहीं शुरू कराया है। राम राज्य की संकल्पना की तरफ हम बढ़ रहें हैं जिसमें कहा गया था कि "दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज्य काहू नहिं ब्यापा" मैं यहीं निवेदित करते हुये अपनी बात समाप्त करता हूं।

श्री अम्बरीष कुमार-

मान्यवर, आपकी अनुमति से मैं प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 25 गृह विभाग (कारागार) के अन्तर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय। कमी करने का उद्देश्य-विभागीय नीति की आलोचना करना तथा सुझाव देना।

माननीय अधिष्ठाता जी, आज मेरे सामने यह एक विषम परिस्थिति पैदा हुई है कि जिन माननीय मंत्री जी ने करागार विभाग का बजट इस सदन में प्रस्तुत किया, स्वयं उन्होंनें अपने मुख से स्वीकर किया कि वह 18 महीने एक बार जेल रहें। यह अवधि तो उन्होंने छोटी बतायी, इनके बारे में तो कहा जाता है कि पता नहीं कितनी बार और कितनी अवधि तक रहें। इन्हें जेल का बहुत व्यापक अनुभव हैं, मेरे जैसे अनुभव हीन आदमी का कटौती प्रस्ताव करना वास्तव में एक विडम्बना है। लेकिन फिर भी मेरा कर्तव्य हैं, प्रयास करूंगा कि बहुत संक्षेप में निर्वाह उस कर्तव्य का कर सकूं।

जब हम कारागारों के इतिहास पर चर्चा करते हैं तो 1844 से कारागार का यह इतिहास शुरू होता हैं और इस सरकार ने एक बात कही जिसके लिए बधाई देना चाहता हूं माननीय मंत्री जी को, अपने बजट साहित्य में कही हैं और वह ऐसी ही सरकार कह सकती है जिस सरकार के मंत्रिमंण्डल में जेल के बहुत अनुभवी लोग शामिल रहें हो। मैं पढ़ करके सुनाना चाहता हूं "केन्द्रीय करागारों की स्थापना में उत्तर प्रदेश का गौरवशाली इतिहास रहा हैं।" मान्यवर, जिस साम्राज्यवादी ताकत का राज्य भारत पर रहा उसके लिए तो गौरव की बात हो सकती थी कि वह अपने गुलाम देश के जो लोग थे उनको जेल में बन्द करके, अच्छी जेलें बनाकर और प्रताड़ना का प्रबन्ध करके गौरव का अनुभव करती लेकिन इस आजादी के 50 साल पूरे करने के बाद जब हम अपनी आजादी का स्वर्ण जयन्ती मना चुके हैं, उस स्वतन्त्र भारत के एक प्रदेश की चुनी हुई सरकार अगर जेल स्थापना को गौरव का विषय समझती है तो में

कह सकता हूं कि बी0जे0पी0 के नेतृत्व वाली सरकार ही कह सकती है। जेल को गौरव का विषय बनाने वाली कोई दूसरी सरकार नहीं हैं। जेलों का जो उद्देश्य ब्रिटिश शासन में रहा वह अपने अधीन रहने वाले जो देश थे उनके लोगों को यातना देना, यातना देकर स्वतन्त्रता की लड़ाई से विमुख करना और स्वतन्त्रता संग्राम में बाधा डालने का काम उन जेलों के माध्यम से सरकारें किया करती थी और मान्यवर, आपको स्मरण होगा, आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी को भी स्मरण कराना चाहता हूं कि उस भारत की आजादी की लड़ाई में बहुत से हमारे योद्धा, क्रांतिकारी और स्वतंत्रता सेनानी ऐसे हुये हैं जिन्होंने ब्रिटिश साम्राज्यवादी अत्याचारियों के सामने अपना सीना खोलकर कोड़े, डण्डे, लाठी और सारी यातनायें सहकर अव्यवस्थाओं का विरोध किया था। भगत सिंह का प्रकरण न भूलें जब उनके साथियों ने लाहौर जेल में इस बात के लिए भूख हड़ताल कर दी कि उनकी रोटी में कंकड़, पत्थर और मिट्टी मिलते थे और एक साथी की शहादत लाहौर जेल में दे दी।

ऐसे ही असंख्य उदाहरण प्रदेश के इतिहास में भरे पड़े हैं। इस उत्तर प्रदेश की गद्दी पर जब ऐसे मुख्यमंत्री आए थे जिन्होंने अपनी जेल की उन यातनाओं को जेल की स्थितियों को स्मरण रखा था उस महान विभूति का नाम सम्पूर्णानन्द था जिन्होंने उन यातनाओं को स्मरण रखते हुए, जेल के उस वातावरण को स्मरण रखते हुए जो व्यवहार जेल में उनके साथ हुआ था उसको सुधारने की दृष्टि से ठोस कदम उठाने की बात कही थी। आज सरकार के मंत्री दावा करते हैं कि हम 18 महीने जेल में रहकर जेल के जीवन से भली भाँति परिचित हैं। मैं आपके माध्यम से सरकार से कहना चाहता हूं कि जिस केन्द्रीय कारागार और जिस ओपन कारागार की बात आप करना चाहते हैं, जिस शिविर जेल की बात आप करना चाहतें हैं वह सब इसी महापुरूष की देन है। जब मंत्री जी अपना बजट भाषण कर रहें थे उस समय मुझे बड़ा अफशोस हुआ कि उन्होंने एक बार भी उस महापुरुष का नाम अपनी जुबान से नहीं लिया उन्होंने अपितु कहा कि इसके पहले कोई सरकार और कोई मुख्यमंत्री नहीं आये जिन्होंने जेल में सुधार करने का काम किया।

मैं मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि वह स्वयं पुस्तकालय जाकर देख लें कि सम्पूर्णानन्द जी ने सबसे पहले जेल में सुधार का काम किया था। जिनके प्रयास के फलस्वरूप ही शिविर जेल इनकी चल रही हैं। जिसकी बजट भाषण में चर्चा की वह इस महान विभूति की देन थी जो जेलों की आज हालत हैं उससे हर आदमी विज्ञ हैं। मंत्री जी ने साफ सुथरी, शानदार तस्वीर पेश करने की कोशिश की मैं मंत्री जी को इस बात के लिए बधाई देना चाहता हूं कि उन्होंने प्रकारान्तर से परोक्ष रूप से इस बात को स्वीकर कर लिया कि जेल मैनुअल में सेल फोन, मोबाइल फोन पर प्रतिबन्ध की व्यवस्था नहीं थी, प्राविधान नहीं था इसलिए सेल फोन घर जेल में जाने से प्रतिबन्ध नहीं लगा सके। इसका तात्पर्य यह है कि जेल में सेल फोन के जरिए जितनी फिरौतियां, जितने उत्पीड़न पैसा वसूलने के लिए किया गया है मंत्री जी की इस बात से इनको यह स्वीकार करना चाहिए कि उन तमाम फिरौतियों, तमाम उत्पीड़न के

लिए जिसके माध्यम से पैसा वसूल किया गया है यह सरकार उसके लिए जिम्मेदार है। इस सरकार ने यह कहा है कि सेल फोन पर प्रतिबन्ध लगाने का कोई प्राविधान जेल मैनुअल में नहीं था। अगर यह प्राविधान नहीं था तो जिन लोगों के पास मोबाइल फोन मिला है उनके खिलाफ कार्यवाही की बात क्यों करते हैं। (×××) आज उत्तर प्रदेश की जनता इस बात को जानती है कि राजधानी लखनऊ के जेल अधीक्षक की विधान सभा मार्ग पर हत्या हुई लेकिन आज तक सरकार उनके हत्यारों का पता नहीं लगा सकी। यह भी इनके भारतीय जनता पार्टी के राज्य में हुआ। जेल के बड़े-बड़े अधिकारी गुहार करते हैं प्रदेश के शासन से गुहार करते हैं कि हमें सुरक्षा नहीं है। हमको सुरक्षा दी जाए। बदमाश हमारी हत्या कर देना चाहते हैं। आज जो उत्तर प्रदेश में बड़े-बड़े अपराध होते हैा उसके लिए जेलें जिम्मेदार हैं। मंत्री जी भी इस बात से विज्ञ होगें कि आज किसी अपराध का पर्दाफास नहीं होता तो हमारे पुलिस अधिकारी अपने मुखबिरों को जेल में भेजकर सूचना प्राप्त करते हैं। जेल से सूचना प्राप्त करने का काम पुलिस अधिकारी करते हैं। जब पुलिस के हाथ पैर थक जाते हैं जब कहीं रास्ता नहीं मिलता है तब जेल से जानकारी प्राप्त करते हैं। मंत्री जी ने अभी शानदार तस्वीर जेलों के बारे में पेश की वास्तव में यह स्थिति नहीं हैं आज जेल तमाम संगीन किश्म के अपराधियों के लिए स्वर्ग बन गई हैं। जिसको अगर खत्म नहीं किया गया तो यह पूरे उत्तर प्रदेश कानून व्यवस्था के लिए एक चुनौती ही नहीं होगा इस पूरी व्यवस्था को धूल-धूसरित करने का काम करेगा।

यह भी मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं। मान्यवर, माननीय मंत्री जी कह रहे थे, आजाद हिन्दुस्तान में हम कल्पना करते थे कि जेल उन पथ से भटके हुए लोगों को सुधारने का साधन बनेंगें। ऐसे अपराधी जिनके सुधरने का अब कोई रास्ता नहीं हैं और जो उस सीमा तक जा चुके हैं और उनकी वापसी सम्भव नहीं हैं, उन्हें हम एक तरफ रखने का काम करते और ऐसे लोग, जिनके बारे में सोचा जा सकता है कि उन्हें मनोवैज्ञानिक ढंग से ट्रीट किया जा सकता है, हिन्दुस्तान में सन्तों की एक परम्परा रही है, उन संतों और धर्म गुरुओं और समाज के अच्छे लोगों का उपयोग हम इन भटके हुए लोगों को सुधारने में लगाते तो एक बहुत बड़ी उपलब्धि होती। मान्यवर, आज जिस व्यवस्था में हम जी रहें हैं, मैं क्षमा मांगते हुए कहना चाहता हूं कि जिस व्यक्ति के पास धन है वह उसके बल पर सच को झूठ और झूठ को सच में बदलकर कोर्ट से मुक्त हो जाता है। अगर माननीय मंत्री जी एक अध्ययन दल नियुक्त करते और इस बात को देखते कि जो गरीब बिना किसी अपराध के आज जेलों में है, आखिर हमारी सामाजिक संरचना में कौन से कमी है कि गरीब ही को जेल जाना पड़ता हैं, सामाजिक विकृतियां हैं जिनके कारण बहुत आवेश में आकर व्यक्ति अपराध कर देता है, अगर वह अध्ययन दल उस समस्या को सुलझाने का सुझाव देने का काम करता तो एक बहुत बड़ा काम होता।

नोट :- (× × ×) यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

यह सरकार की सामूहिक जिम्मेदारी भी है सामाजिक विकृतियों को दूर करके हम यह प्रयास करते कि गरीब आदमी अपनी मेहनत करके इस प्रदेश के विकास में योगदान कर सकें और वह जेल की सीखचों में न रहें। मान्यवर, आनन्द नारायण मुल्ला साहेब की रिपोर्ट आयी थी कि जो जेल के अधिकारी/कर्मचारी हैं उनको पुलिस के समान वेतन, भत्ते आदि की सुविधायें दी जानी चाहिए परन्तु माननीय मंत्री जी ने अपने भाषण में इसका जिक्र नहीं किया इसलिए माननीय मंत्री जी जब अपना उत्तर भाषण देंगें तो उस समय ए0एन0 मुल्ला साहेब द्वारा की गयी संस्तुतियों पर सरकार ने अब तक क्या कार्यवाही की इसे बताने की कृपा करेंगे। माननीय मंत्री जी ने एक चिन्ता प्रकट की कि विचाराधीन कैदियों की संख्या निरन्तर बढ़ती जा रही है और दोष सिद्ध बंदियों की सख्या घटती जा रही है सरकार की संयुक्त जिम्मेदारी हैं क्या यह हमारी न्याय व्यवस्था या हमारे गृह मंत्रालय के प्रोसीक्यूशन विंग पर एक रिफलेक्शन नहीं है और क्या यह साबित नहीं करता कि जो हमारा प्रोसीक्यूशन विंग है वह केसेज की पैरवी सही और प्रभावी ढंग से नहीं कर पा रहा है जिसके कारण यह जानते हुये भी कि हमारे समाज और प्रदेश के अपराधी जो आज अपहरण कर रहे हैं, फिरौतियाँ ले रहें हैं वह दोष मुक्त हो रहें हैं। इसलिए जो इस प्रकार के लू-पोल्स हैं उनको दूर करने का काम किया जाये और जो यह अनुपात गड़बड़ा रहा है कि दोष सिद्ध लोग कम और विचाराधीन कैदी बढ़ रहें हैं उस अनुपात को ठीक किया जा सके और दोष सिद्ध अपराधी ज्यादा हो सकें इस बारे में माननीय मंत्री जी ने क्या विचार किया है उसे वह बता देगें तो मैं उनके प्रति आभारी रहूंगा। और मान्यवर, हमारे जेल मैनुअल में व्यवस्था है 'ए', 'बी', 'सी' क्लासों की जेल की। लेकिन आज पूरे उत्तर प्रदेश में आजादी के 50 वर्ष के बाद भी आप जानते हैं जिस राजनैतिक व्यवस्था में हम रह रहे हैं। मंत्री जी ने खुद कहा आप लोगों को भी जाना पड़ता है, हम लोगों को भी जाना पड़ता है। विपक्ष के लोग हैं आन्दोलन करते हैं, जेल भरो आन्दोलन करते हैं, जन प्रदर्शन भी करते हैं और जेल जाना पड़ता है। आजादी के 50 वर्ष बाद भी ब्रिटिश साम्राज्यवाद की जो जेलें थीं आज भी वही कायम हैं कोई 'बी' क्लास की भी नहीं बनी है। रामपुर में जरूर एक 'बी' क्लास की बनी है। उसके अलावा कहीं नहीं बनी है। 'ए' क्लास की भी नहीं बनी हैं। जो हमारे मैनुअल में प्राविधान है जो स्नातक हैं राजनीतिक आन्दोलन में जेल गया है क्या हम उसको उस प्राविधान के अनुसार सुविधा दे पा रहे हैं। हमें उन्हें उन्हीं चोर उचक्कों के साथ रखना पड़ता है। क्या इस व्यवस्था पर भी माननीय मंत्री जी गौर करेंगे। दूसरी बात जो इन्होंने अभी कहीं कि हम 18 से 21 वर्ष की आयु वर्ग के लोगों के लिए चमड़ा उद्योग आदि के बारे में। लेकिन मैं यहां पर यह सुझाव देना चाहता हूं कि इसमें ऐसी व्यवस्था का भी समावेश करें...

खेलकूद, युवा कल्याण प्रान्तीय विकास दल मंत्री- (श्री श्याम सुन्दर शर्मा)-

मान्यवर, मैं एक प्रश्न पूछना चाहता हूं अम्बरीष जी से। अभी अम्बरीष जी ने कहा कि जेल का मंत्री जी को बड़ा अनुभव है। मुझे बिल्कुल नहीं है। अभी अपने भाषण में कह रहे हैं कि आपको भी जाना पड़ता है, हमको भी जाना पड़ता है। सत्य कौन सी बात है, यह बता दें।

श्री अम्बरीष कुमार-

माननीय अधिष्ठाता जी, मैं तो माननीय मंत्री जी का भी अनुज हूं और प्रमोद जी का भी। यह आपस में सुलझा लेंगे मैं इससे बाहर हट जाता हूं। मान्यवर, मैं कह रहा था कि ऐसे व्यवसायिक प्रशिक्षण का समावेश कर लें जैसे इलैक्ट्रानिक, कम्प्यूटर आदि का क्योंकि हमारे जो नवजवान हैं उनका बहुत लम्बा जीवन जीने के लिए है इसलिए इस तरह के उद्योगों को बढ़ावा दें।

श्री अधिष्ठाता-

अम्बरीष जी, जरा संक्षेप कर दें। आगे फिर आपको अवसर मिलेगा।

श्री अम्बरीष कुमार-

जहां तक आपने अपने स्टाफ की पोजीशन बताई है। 89 जिलों में आपके पास 8820 का स्टाफ है। सुरक्षा की दृष्टि से यह कितना पर्याप्त है, कितना अपर्याप्त है, इस पर भी विचार कर लें। आपके जेलों के अस्पतालों की क्या स्थिति है, इस पर भी विचार करें। एक बार इस पर आत्मलोचन कर लें। किस तरह से आपके जेलों से अपराधों को आज अंजाम दिया जा रहा है। इसके अलावा मैं आपसे कहूंगा कि ह्यूमन राइट्स की बात माननीय मंत्री जी अपने बजट साहित्य में लिखी है बंदियों के मानवाधिकार की रक्षा। जेलों के अन्दर ऐसे 300 केसेज हैं जो अभी लम्बित हैं। एक साल में स्वाभाविक मृत्यु और आत्महत्या से जो मौतें हुई वह इस प्रकार हैं। 1996 में 128 स्वाभाविक मौत हुई और आत्महत्या के 6 प्रकरण हुए कुल मिलाकर 134 मृत्यु हुई। 1997 में 159 स्वाभाविक मौत हुई और 31 आत्महत्या के मामले हुए कुल मिलाकर 190 मौते हुई। यह भी चिन्ताजनक है। जिस तरह से इस कार्य में प्रगति हो रही है इसको भी संज्ञान में लें। दूसरी बात जो आपने कही कि मानवाधिकारों को कारागार के अन्दर अक्षुण बनाये रखने के लिए कारागार में एक प्रकोष्ठ गठित किया गया है। मैं माननीय मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि जब वे अपना उत्तर भाषण दें तो इस बारे में भी अवश्य बतायें कि किस प्रकार से आप मानवाधिकार की बात कर रहे हैं और किस तरह से आपके यह प्रकोष्ठ उसमें सहायता कर रहे हैं। इसके अलावा अभी माननीय मंत्री जी ने अपने बजट भाषण में कहा कि शायद ही कोई ऐसी जेल हो जहां कैन्टीन न खोली गई हो। 53 जेले हैं और उनमें से 20 में कैन्टीन खुली है। आप अपने भाषण साहित्य को देख लें तो बता दें कौन सी बात सही है मंत्री जी पूछ रहे थे कि कौन सी बात सही है।

श्री अधिष्ठाता-

समाप्त करें।

श्री अम्बरीष कुमार-

यह सारी स्थितियां है माननीय मंत्री जी उत्तर दें तो बता दें। इसी के साथ मैं कटौती के प्रस्ताव पर बल देता हूं।

श्री राजधारी-

माननीय अधिष्ठाता महोदय, आपने कारागार के बजट पर बोलने का अवसर दिया इसके लिए मैं आपका आभारी हूं। मान्यवर, जब से राज्य की स्थापना हुई उसके साथ-साथ जेलों का प्रादुर्भाव हुआ। जेल महापुरुष संतो राजनेताओं के प्रताड़ना का केन्द्र रही हैं। वहीं दूसरी तरफ ऐसे अपराधी और असमाजिक तत्व को भय के माध्यम से जेल में भेजने, भय का अहसास कराने का महत्वपूर्ण कार्य जेलों का है। जिला कारागारों का बहुत महत्व है आपराधिक प्रवृत्ति के लोगों से समाज की रक्षा हो सके और उनमें सुधार हो आगे आने वाले समय में वह आपराधी प्रवृत्ति से वंचित हों यह प्रमुख उद्देश्य इसका है। मंत्री जी ने जो संकल्प और इच्छाशक्ति जाहिर की है उससे सरकार की मंशा साफ है। सारी अव्यवस्थाओं को ध्यान में रखते हुए मानवीय संवेदना के साथ सुधार बिन्दुओं के साथ, सुधार भावना के साथ इस बजट को रखा है। कारागार समाज और देश की मजबूत कड़ी है, रक्षा की मजबूत कड़ी है, जैसा कि अम्बरीष जी ने बताया।894 में जेल मैनुअल बना। ।998-99 तक परिस्थितियों में बहुत परिवर्तन हुआ है। जिन परिस्थितियों में जेल मैनुअल का निर्माण हुआ वह परिस्थितियां भिन्न होगी। जब जिला मैनुअल में सुधार की आवश्यकता है पक्ष और विपक्ष के लोग आन्दोलनों के माध्यम से जेलों में जाते हैं, तो बहुत कठिनाईयां आती हैं। जो लकड़ी की मात्रा निर्धारित है उसमें भोजन नहीं पक सकता है। जनहित में आवश्यकता है जेल मैनुअल की नये सिरे से समीक्षा हो, उसमें सुधार किया जाए। मान्यवर, ।983 में जस्टिस मौला की कमेटी बनी थी उनके सुझावों पर अब तक विशेषकर जो जेल के कर्मचारी हैं जो हीन भावना से ग्रस्त समझते हैं उनको पुलिस कर्मियों के बराबर नहीं समझा जाता है उनको पुलिस कर्मियों के समान सुविधा प्राप्त नहीं है। उस कमेटी ने अनुशंसा की थी कि जेल कर्मचारियों को पुलिस कर्मचारियों की भांति सुविधा उपलब्ध कराई जाए। उनको उसी तरह सम्मान दिया जाए। यह उपयोगी सुझाव था। माननीय मंत्री जी जेल कर्मियों के सम्मान को बढ़ाने के लिए उस अनुशंसा को स्वीकार करें। श्रीमन् जेलों में जो शौचालय बने हुए हैं वह पुरानी तरह के हैं उसमें तमाम बीमारियां होती हैं। तो सुलभ शौचालयों का निर्माण कराया जाए। मंत्री जी ने कहा है कि तमाम जेलों में ऐसा किया है, लेकिन सभी जेलों में प्राथमिकता के आधार पर सुलभ शौचालय का इंतजाम हो। किशोरावस्था के बच्चे जो जेलों में जाते हैं उनके लिए अलग से बैरक का इंतजाम होना चाहिए। पुराने कैदियों के साथ रहकर उनमें जो संस्कार पड़ते हैं वह उनके हित में नहीं है इसलिए किशोरावस्था के बच्चों के लिए अलग बैरक का इंतजाम होना चाहिए।

मान्यवर, माननीय मंत्री जी ने स्वीकार किया है कि जो भी जेल हैं वह सौ वर्ष पुरानी बनी हैं। जब यह सौ वर्ष पूराने भवन होंगे तो वह कितनी जीर्ण-शीर्ण अवस्था में होंगे। उन्होंने स्वीकार किया है कि 358000 इसकी कैपिसीटी है और वर्तमान में 48243 बैरक हैं। तो मैं यह चाहूंगा कि उसमें क्षमता में वृद्धि न होने के नाते जो परेशानी होती है गर्मी के दिनों में तो सरकार प्राथमिकता के आधार पर

बैरकों में वृद्धि करें जिससे आम आदमी जीवन गुजर-बसर कर सके। मान्यवर, टी0वी0 के लिए घोषणा की गयी, बिजली के पंखें के लिए कहा गया तो यह निश्चित रूप से सराहनीय काम है। मान्यवर, आज जेलों की व्यवस्था की पुर्नमूल्यांकन करने की आवश्यकता है। सैल्यूलर फोन जो नियमावली के विरुद्ध हैं इसको नहीं रहना चाहिए। इस प्रकार की घटनायें आये दिन होती हैं जिससे जेल कर्मचारियों में असुरक्षा की भावना पैदा हो रही है। मैं चाहूंगा कि इसको प्राथमिकता के आधार पर हल किया जाय। उनको असलहा सुलभ किया जाय जिससे जो असुरक्षा का माहौल जो उन्हें लग रहा है, वह खत्म हो सके। मान्यवर, जितनी भी जेल हैं वह शहर से काफी दूर है तो जेल कर्मियों के बच्चों को पढ़ने में असुविधा होती है। तो मैं चाहूंगा कि उन्हें स्कूल ले जाने के लिए व लाने के लिए वाहन उपलब्ध कराया जाय। इन्हीं शब्दों के साथ मैं बजट का समर्थन करता हूं।

मेजर जगतपाल सिंह-

मान्यवर, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे जेल विभाग के बजट पर बोलने का अवसर दिया। माननीय जेल मंत्री जी ने काफी सुविधाएं दी हैं। पंखे की सुविधा, कैन्टीन की सुविधा तथा सुलभ शौचालय की सुविधा दी है इसको देखते हुए हमारे सामने बैठे हुए सहयोगी और विधायक प्रसन्न हो रहे हैं। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से अपने जिले की समस्याओं के बारे में अवगत कराना चाहता हूं। मान्यवर, हमारे क्षेत्र की जेल 50-60 साल पुरानी जेल है और वह 18 एकड़ में बनी हुई है। 10 एकड़ में उसका फार्म है 7 एकड में बिल्डिंग बनी है और एक एकड़ में स्टाफ के लिए है। मान्यवर, मैं 1991 से यह प्रयास कर रहा हूं कि यह जेल वहां से दूसरी जगह शिफ्ट कर दी जाय। मान्यवर, वहां पर कन्याओं का स्कूल है, कमिश्नरी है और वह शहर के बीच में होने के कारण आवागमन का रास्ता बाधित होता है। इनके अधिकारी भी वहां पर गये थे लेकिन अभी तक कुछ हो नहीं पाया है। मेरी प्रार्थना है कि वह वहां से हटाकर राम गंगा के आस-पास 150 एकड़ जमीन वहां पर है उस जमीन में जेल बना दें। और जो 18 एकड़ की जमीन है उसको बेचकर एक नयी जेल बना दें।

श्री प्रमोद कुमार-

मान्यवर, जब माननीय जेल मंत्री जी विभाग का बजट प्रस्तुत कर रहे थे तो यह नहीं समझ में आ रहा था कि यह 1999 वर्ष में मंत्री हैं या 1947 वर्ष के पहले के मंत्री हैं। मान्यवर "शोले" पिक्चर में जब जेलर को कोई बात कहनी होती थी तो वह कहते थे कि मैं अग्रेजों के टाइम वाला जेलर हूं। तो मान्यवर यह अंग्रेजों के टाइम वाले मंत्री हैं बजट भाषण आज प्रस्तुत कर रहें हैं। मान्यवर, तो असरानी वाला इनका हाव-भाव है कुछ ऊपर वाले ने भी व्यक्तित्व वैसा ही दिया है। माननीय मंत्री जी पहले यह स्पष्ट कर दें कि यह जेल यातनागृह हैं या सुधारगृह हैं। अगर यातनागृह हैं तो फिर कोई सुधार करने की जरूरत नहीं हैं लेकिन अगर सुधार गृह हैं और आप सुधार करना चाहते हैं तो आप एक नया आयोग गठित कर

दीजिये। हिन्दुस्तान में एक आई0पी0एस0 अफसर, जिसे अवार्ड भी मिला हुआ है, किरन बेदी जिसने तिहाड़ जेल में सुधार किया। तो आप तीन महीने के लिए एक आयोग बना दें तो उसमें आज की परिस्थितियों के अनुसार सारे सुझाव आ जायें। इंडियन पेनल कोड में कुछ दफाए हैं जिसमें पेशेवर मुलजिम भी जाते हैं और फर्स्ट आफेंडर भी जाते हैं और बच्चे भी जाते हैं वे राष्ट्र के नागरिक हैं उनमें भी प्रतिभायें हैं, आप जेल मंत्री के रूप में बहुत अच्छा कार्य करेंगे यदि आप इन्हें सुधार गृह में बदल करके प्रतिभाओं को जो जेलों के सीखचे में गयी हुयी हैं, उनका लाभ लेने का कार्य करेंगे।

एक चिकित्सक ने जेल में दिल्ली में आंख के जितने आपरेशन किये वह शायद उत्तर प्रदेश में उतने नहीं हुए होंगे। दूसरी, जो जेलों में आपके जेल कर्मी तैनात हैं उनकी कार्य प्रणाली पुलिस कर्मियों से कम नहीं हैं। पुलिस को तो कभी-कभी शरीफ लोगों से भी मुलाकात करने का मौका मिल जाता है लेकिन इनको तो हमेशा अपराधिक इतिहास के लोगों से मिलना पड़ता है, अगर राजनीतिक बंदियों को छोड़ दें। जब से लखनऊ के जेल अधीक्षक तिवारी जी की हत्या हुई हैं इनका मनोबल काफी गिरा हुआ है इनकों और इनके परिवार वालों को आप सुरक्षा दें। जेल कर्मियों को बेहतर वेतन का अधिकार मिलने चाहिए। मान्यवर, जेल अवधि को लेकर विवाद है, आजन्म कारावास के बंदी 24-25 साल से भी बन्द हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी की अध्यक्षता में बैठक करके यह तय करा लें कि इसकी कितनी अवधि होगी। जो मिलाई का समय होता है दबंग लोगों को तो कठिनाई नहीं होती है लेकिन जो गरीब घराने के लोग होते हैं उन्हें बहुत असुविधा होती है। मान्यवर, जैसे रेल मंत्री को कठिनाई समझनी होती है तो वह रेल में यात्रा करते हैं इसी तरह से परिवहन मंत्री बस में लटककर यात्रा कर परेशानियों को समझते है। उसी तरह से मेरा अनुरोध है कि आज इस बजट को आप स्थगित कर दें और मार्शल के साथ इन्हें मंत्री जी को 3 दिन के लिए किसी जेल में भेज दें वे वहां साधारण कैदी के रूप में रहें मैं विश्वास दिलाता हूं कि इनके बजट को बिना कटौती के हम लोग पारित करा देंगे। वहां की दिक्कतों को जाकर समझें।

मान्यवर, यह मेरा सौभाग्य है कि राजनैतिक बंदी के रूप में कभी नहीं गया हूं, वकील के रूप में जरूर गया हूं। आप मेरे पुराने साथी हैं। कल्याण सिंह जी के मंत्रिमंडल में ऐसे-ऐसे नवरत्न हैं, जिनहें बड़ी-बड़ी जेलों का बड़ा-बड़ा अनुभव हैं, अपने सहयोगियों से अनुभव ले लें, आपको कोई न कोई मिल जायेगा। मैं अनुरोध करूंगा कि साधारण कैदी के रूप में 2-3 दिन के लिये किसी जेल में रह के आयें तो अच्छे अनुभव प्राप्त होंगे। दूसरी बात मैं यह कहना चाहता हूं कि अभी श्याम सुन्दर शर्मा, श्री अम्बरीष जी से पूछ रहें थे कि कभी जेल में रहे हो। मैं कहना चाहता हूं कि इधर के लोग तो आन्दोलन में जेल में रहे हों लेकिन उधर के लोग किस-किस दफा में रहें हैं, इसके लिये गृहसचिव से रिपोर्ट मंगाकर देख लीजियेगा। भाई अम्बरीष जी जो कटौती का प्रस्ताव रख रहे थे, वह विद्वतापूर्ण रख रहे थे, इसलिये मेरी समझ में नहीं आ रहा था कि मंत्री कौन हैं, मंत्री जी अपना भाषण अन्दाज से रख रहे थे। मैं भाई अम्बरीष जी के कटौती प्रस्ताव पर पुनः बल देता हूं और

आपसे फिर अपील करता हूं कि यदि सचमुच में जेल को आप ठीक-ठाक रखना चाहते हैं और यह सदन शान्तिपूर्वक चलें तो इसके लिये आप माननीय मंत्री जी को साधारण कैदी के रूप में 3 दिन के लिये किसी जेल में भेज दें, वहां से लौटकर यह जो भी सुझाव देगें, उसे हम लोग स्वीकार कर लेगें और कटौती भी नहीं रखेंगें। मुझे विश्वास है कि आप इस पर अवश्य विचार करेगें।

श्री अवधेश प्रसाद-

माननीय अधिष्ठाता महोदय, कारागार विभाग के बजट पर मुझे अपने विचार रखने का मौका दिया, मैं आभारी हूं। मै मानीनय मंत्री जी को बधाई देता हूं कि उन्हें कारागार विभाग का बजट रखने का मौका मिला। मैंने इनके बजट भाषण को गंभीरता पूर्वक सुना लेकिन अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि आज जेल के चाहे बड़े अधिकारी हों, चाहें छोटे अधिकारी हो या चाहें कर्मचारी हों, अगर भय कहीं हैं तो सबसे ज्यादा भय जेल के अधिकारियों और कर्मचारियों में हैं। अभी हाल ही में जेल विभाग के सुपरिटेन्डेन्ट स्वर्गीय श्री तिवारी, जो इस प्रदेश के बड़े ही होनहार और ईमानदार अधिकारी थे, की हत्या कर दी गई, अच्छा होता, माननीय मंत्री जी अपने बजट भाषण की शुरुआत उनको श्रद्धांजलि देकर शुरू करते। लेकिन यह सरकार कितना संवेदनहीन है कि उनके बारे में, उनके परिवार के बारे में दो शब्द भी नहीं कहे। यदि वह ऐसा करते तो प्रदेश में एक अच्छा मैसेज जाता और उनके परिवार को भी संवेदना व्यक्त होती। इसी प्रकार कुछ दिन पहले लखनऊ में एक जेलर गौतम की हत्या हुई थी, लेकिन अपने बजट भाषण में माननीय मंत्री जी ने इन हत्याओं को रोकने के लिये, भय के वातावरण को समाप्त करने के लिये कोई भी कारगर उपाय नहीं बताया। इनकी न कोई नीति है, न नीयत हैं। आज समूचे उत्तर प्रदेश में जेल के जितने भी कर्मचारी हैं, वह आन्दोलन की राह पर हैं, उनके लिये इस बजट में कोई बात नहीं कही गई हैं। यह सरकार और सरकार के मंत्री उनके लिये कितने चिन्तित हैं, यह इससे पता चल जाता है कि आज 30 जिलों में जेल नहीं हैं। यही नहीं, पूरे प्रदेश में 3 महिला जेल हैं, जिसमें एक लखनऊ में है, एक अलीगढ़ और एक फैजाबाद में हैं, लेकिन अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि आज तक इन महिला जेलों में सुपरिन्टेन्डेन्ट नहीं हैं।

आज लखनऊ की जेल में सुपरिन्टेंडेन्ट नहीं हैं और कोई आने के लिए तैयार नहीं है।

मान्यवर, आपको जानकारी होगी कि एक समय था जब पी0ए0सी0 और पुलिस में जो वर्दियां मिलती थीं वह जेल विभाग से बनी रहती थीं लेकिन शासन की अक्रमण्यता से जेलों का उद्योग ठप पड़ा हैं। मान्यवर, जेलों में जो वस्तुयें निर्मित हुई हैं वे बिक नहीं रही हैं इसलिए मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि जब वह अपना उत्तर भाषण देंगें तो बतायेंगे कि इन चीजों के बनाने में कितनी लागत लगी हैं। मान्यवर, सुझाव के रूप में कहना चाहता हूं कि जेलों का जो उद्योग है उसको सुधारने के लिए मंत्री जी ने न तो कोई योजना बनाई हैं और न कोई कार्यक्रम ही बनाया है एवं न धन ही उपलब्ध कराने की बात की गयी हैं इसलिए मंत्री जी इस ओर ध्यान दें।

मान्यवर, जेलों में आज आत्महत्यायें और हत्यायें हो रही हैं। मैं सदन को बताना चाहता हूं कि इनके शासनकाल में जितनी आत्महत्यायें हुई हैं उसमें सारे पिछले रिकार्ड टूट गये हैं। मान्यवर, अन्त में मैं श्री अम्बरीष जी द्वारा रखें गये कटौती के प्रस्ताव पर बल देते हुए सुझाव देना चाहता हूं कि जेलों को कानून व्यवस्था में सुधार के लिए जो बनाया गया है उसमें नये सिरे से जेलों को बनाने का कार्य करना चाहिए। इसके साथ ही अधिकारियों और कर्मचारियों में जो असुरक्षा की भावना व्याप्त उसमें ऐसा वातावरण बनाया जाय जिससे कि कर्मचारियों में असुरक्षा की भावना समाप्त हो सके।

श्री हरबंश कपूर-

मान्यवर, कारागार मंत्री जी ने जो बजट प्रस्ताव रखा है उसका मैं समर्थन करता हूं। मान्यवर, मंत्री जी ने जो सुझाव दिये हैं वे इस बात का प्रतीक है कि वर्तमान सरकार जेलों को सुधारगृह बनाना चाहती हैं न कि यातना गृह। मान्यवर, पूर्ववर्ती सरकारों का हमेशा यह कार्य रहा है कि कैदियों को सुविधायें न उपलब्ध करायी जायं और जिस प्रकार से कैदियों को अलग-अलग विभिन्न प्रकार के अपराधों के लिए जो कैदी जेलों में जाते हैं उनको इकट्ठा रखा जाता है लेकिन मंत्री जी ने जो विचार रखें हैं वे इस बात की ओर इंगित करते हैं कि जो 1844 का मैनुअल सुधार की आवश्यकता है और उसके लिए आवश्यक कदम उठाये जायेंगे, ऐसा हम विचार करते हैं। मान्यवर, आज जो अधिकारी और कर्मचारियों के मन में जो असुरक्षा की भावना व्याप्त हो रही है तथा जो दुखद प्रकरण अभी हाल में घटित हुआ है उसके परिप्रेक्ष्य में आवश्यक कदम उठाया जाना नितान्त आवश्यक है।

मैं माननीय कारागार मंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूं कि जिस प्रकार से उन्होंने मुरादाबाद जनपद की जेल को संज्ञान लिया है, उसी प्रकार से देहरादून की जेल को संज्ञान में लेने की कृपा करें। देहरादून की जेल शहर के बीचोबीच स्थित हैं उसको अन्य किसी स्थान पर स्थानान्तरित किया जा सकता है। इस स्थानान्तरण से विभाग का पैसा बहुत कम खर्च होगा, क्योंकि जहां पर इस समय जेल है उसकी कीमत बहुत है और दूसरी जगह पर ऐसी जेल का निर्माण कराया जा सकता है, जो सभी सुविधाओं से युक्त हो।

इन शब्दों के साथ मैं माननीय मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत बजट का समर्थन करता हूं।

* श्री भरत सिंह-

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे कारागार विभाग के बजट पर अपने विचार प्रकट करने का अवसर प्रदान किया। माननीय मंत्री जी ने जेल व्यवस्था में सुधार के लिये व्यापक कदम उठाये हैं, उसके लिये मैं उनको धन्यवाद देता हूं। उन्होंने जेलों में जो बंदियों के लिये टी0 वी0, बिजली के पंखे और इसी प्रकार की अन्य तमाम सुविधायें उपलब्ध करायी हैं, उससे जेलों का बहुत सुधार होगा, यह एक कान्तिकारी कदम है, इसलिये मैं बजट का समर्थन करता हूं।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

मान्यवर, मैं कुछ सुझाव देकर अपनी बात को समाप्त करना चाहता हूं बंदियों से मिलने के लिये जो लोग जाते हैं, उनसे पैसा लिया जाता है, उसमें बड़ा भ्रष्टाचार है, इस पर कन्ट्रोल करने की आवश्यकता है। मिलाई में कितना पैसा पड़ेगा, उसका पैसा फिक्स है। दूसरी बात यह है कि विचाराधीन बंदियों को ब्लैक मेल किया जाता है, जो अच्छे घर के लोग होते हैं, उनको निम्न स्तर का काम कराये जाने की धमकी देकर उनके घर वालों से पैसा वसूल किया जाता है, 5-6 हजार रुपये की डिमान्ड की जाती है। मान्यवर, इसमें सुधार किया जाना चाहिये। दूसरी बात यह है कि नयी जेल मैनुअल बनायी जाये। और मैं कहना चाहता हूं कि जेल में कोई ऐसी चीज नहीं है जो उपलब्ध न हो सके। अपराधी प्रशासन को मुट्ठी में कर लेते है, इस पर कड़ाई से कदम उठाया जाये। मान्यवर, बलिया में जेल छोटी जेल है और शहर के बीच में, उसको स्थानान्तरित करके अगर बाहर बना दी जाये जो बहुत अच्छा होगा। वहां पर एक घटना हुई कि एक बन्दी रक्षक ने डिप्टी जेलर का मुह तोड़ दिया लेकिन उसके खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं हुई। मेरा आपसे कहना है कि इस पर आप कड़ाई से कार्यवाही करें।

श्री अम्बरीष कुमार-

माननीय अधिष्ठाता जी अभी माननीय सदस्य श्री राजधारी जी, श्री जे0 पी0 सिंह जी, श्री प्रमोद कुमार जी, भारत सिंह जी ने बजट चर्चा में भाग लिया इसके लिए मैं सभी सदस्यों का आभार व्यक्त करता हूं। माननीय मंत्री जी ने बात कही थी मानवाधिकार की सुरक्षा के लिए प्रकोष्ठ का गठन किया गया है। मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहूंगा कि कितने मामले इस प्रकोष्ठ के अन्तर्गत आये और कितनों का निस्तारण किया गया। क्या ऐसे किसी प्रकोष्ठ का गठन हुआ भी हैं या नहीं, कृपया माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करें। मैं एक बात यह भी कहना चाहूंगा कि माननीय मंत्री जी से कि इन्हीं कारागारों में आजादी के नेता, हमारे क्रन्तिकारी, हमारे नायक बन्द रहे हैं। क्या माननीय मंत्री जी विचार करेंगे कि जिन स्थानों पर ऐसी विभूतियां बन्द रही हैं उनको स्मारक का रूप दे दिया जाना चाहिए। दूसरी बात यह है कि इस बजट के साहित्य में उल्लेख किया गया है कि जेलों पर इतना खर्चा होगा, उतना खर्चा होगा। माननीय मंत्री जी ने यह नहीं बताया कि प्रत्येक व्यक्ति के खाने पर, कपड़ो पर व अन्य खर्चों पर कितना खर्चा हो रहा है। यदि मंत्री जी इसकी जानकारी दे दें तो मैं उनका बड़ा आभारी होऊगां। अभी मान्यवर मैन्युअल पे सुधार की बात उठी थी तो यह कहा गया कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग इस दिशा में प्रयत्नशील है। माननीय मंत्री जी ने इस सम्बन्ध में जो कमेटी बनाई है यदि उसके माध्यम से इन सुधारों का एक चित्र बना ले तो अच्छा होगा। इसी के साथ मैं अपने कटौती के प्रस्ताव को बल देते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं।

श्री शिव प्रताप शुक्ल-

मान्यवर मैं आभारी हूं माननीय अम्बरीष जी का जिन्होंने अभी कटौती का प्रस्ताव रखा। माननीय अम्बरीष जी शायद इस बात को भूल गये कि इस देश में दो बार स्वतंत्रता आन्दोलन हुआ, अनेकों लोगों ने शहादत दी, बलिदान दी, जेलों में बन्द रहे, यातनायें सहीं। यह इस बात को कैसे कह सकते हैं कि दूसरी स्वतंत्रता की लड़ाई में एक नहीं, हजार नहीं लाखों लोग जेल गये जिनको इस देश के तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने आपातकाल के दौरान जेलों में बन्द रखा। हमने जेलों को सुधार गृह का रूप देने का संकल्प किया है यातनागृह का नहीं और इस सन्दर्भ में सरकार प्रयत्नशील है। हम सुधार गृहों की तरफ चल रहें हैं। हमारे मुख्यमंत्री कल्याण सिंह जी का कथन है कि अपराधी या तो उत्तर प्रदेश की सीमा से बाहर रहेंगे या जेलों में रहेंगे, नहीं तो उनको ऊपर जाने का रास्ता साफ है।

मान्यवर, उत्तर प्रदेश की जेलों में हमारे अपराधी बन्द हैं, अपराधियों की कुछ करतूतें ऐसी आई हैं, जिनके कारण हमारे जेल भी बदनाम हुए हैं। जैसा आपने कहा कि बहुत पहले ही सुधार की बात को तय किया जाना चाहिए था, लेकिन जब हमारे सामने भी जब कठिनाई आई तो निश्चित रूप से उसमें प्रबन्ध करना है। हम इस दिशा में काम कर रहें हैं और प्रबन्ध करके ऐसा करने जा रहे हैं कि उत्तर प्रदेश की किसी भी जेल से सेलुलर की बात नहीं आयेगी। एक बहुत ही अच्छा आफिसर मारा गया, उसकी विवेचना हो रही है, वह सामने आयेगी। ऐसा नहीं है कि हमने उसके परिवार को कुछ नहीं दिया। उसी दिन 5 लाख रूपये उसकी विधवा को स्वीकार किया गया। वह जहां भी रहना चाहेगीं, माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी कहा है कि उत्तर प्रदेश के जिस भी स्थान पर वह रहना चाहेंगी, उसको हम मकान देगें, सरकारी मकान देंगे। उसकी आवश्यकता और उसकी योग्यता में यदि कमी होगी तो भी उसको सर्विस दी जायेगी, यह माननीय मुख्यमंत्री जी ने घोषणा कर दिया है। अपने अधिकारियों से साफ शब्दों में कहा है कि चाहे जैसे हो आर0 के0 तिवारी के हत्यारों की पहचान करनी है और उनको जेलों में लाना हैं।

हम अपने अधिकारियों को पूरी तरह से सुरक्षा देने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन आज हम किसी भी जेल अधिकारी का मनोबल गिरने नहीं देगें। आर0 के0 तिवारी को जब हम लोग विदा करने के लिए गये तो वहां के अधिकारियों ने यह कहा था कि हम इसके लिए संघर्ष करेंगे। श्री अम्बरीष जी जिसे संज्ञान में लाना चाहते थे, मुल्ला कमेटी की जब रिपोर्ट आई तो उस समय भी उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी। उस मुल्ला कमेटी को लागू करने का काम भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया था और आज भी उत्तर प्रदेश में भारतीय जानता पार्टी की सरकार है।

माननीय प्रमोद कुमार जी ने अच्छे विचार व्यक्त किए। मान्यवर, जो उन्होंने सुधार की बात कही है, उसका हम स्वागत करते हैं। उन्होंने एक शब्द और कहा कि मैं अवश्य सौभाग्यशाली हूं जो जेल में नहीं गया। सही है जो जेल में नहीं गये, लेकिन लोगों को जबरदस्ती जेलों में पहुंचाने का काम उन्होंने जरूर किया है। इमरजेन्सी के समय, आपातकाल के समय ये लोग एक तानाशाह को अपना नेता के रूप में मानते थे। वह लड़ाई हम लोगों ने जय प्रकाश जी के नेतृत्व में लड़ी थी। हो सकता है श्री अम्बरीष जी भी रहे होंगें जो लड़ाई हम लोगों ने लड़ी थी, माननीय अधिष्ठाता जी, आपको भी उसका संज्ञान है कि किन परिस्थितियों में हम लोगों ने वह लड़ाई लड़ी थी। वास्तव में उस लड़ाई को चने के फांके लगाकर इस देश के नौजवानों ने कियां था। देश की सभी राजनीतिक पार्टियों को मजबूर कर दिया था, श्री जय प्रकाश जी के झंडे के तले आने को, और सभी ने उसका समर्थन किया था और एक बार जनता पार्टी के रूप में ऐसा शासन आया था जो इस देश में बढ़ी हुई मंहगाई को कम करने का काम किया था।

श्री राम औतार शाक्य-

मान्यवर, एक व्यवस्था का प्रश्न है। मान्यवर, माननीय मंत्री जी चुनावी भाषण दे रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी की यह चुनावी सभा नहीं है, यह सदन है। कारागार पर बोल रहे हैं या कानून व्यवस्था पर बोल रहें हैं।

श्री शिव प्रताप शुक्ल-

मान्यवर, मैं शाक्य जी की बात का बुरा नहीं मानता, मैं जानता हूं कि शाक्य जी भोगांव से आते हैं।

मान्यवर, वास्तव में हम कारागार में एक सुधारात्मक रूप लाना चाहते हैं। हम अपराधी को अपराधी मानकर नहीं चलते हैं हम जेलों में उनको आवश्यक सुविधायें देंगे और सुधारात्मक रूप अपनायेंगे ताकि जब अपराधी जेलों से छूटकर आयें तो समाज के निर्माण में जुट सकें। मान्यवर, जहां तक मानवाधिकार आयोग की बात अम्बरीष जी द्वारा कही गयी तो मैं निवेदन करना चाहता हूं कि जेल में एक प्रकोष्ठ इसकी खोली है उसके द्वारा हम मानवाधिकार के जितने भी केसेज हैं उनका जल्दी से जल्दी पुनरीक्षण करके उनको पूरा करने का काम कर रहें हैं। मैं समझता हूं कि जो कटौती के प्रस्ताव हैं वह कटौती के प्रस्ताव को समालोचना करने की दृष्टि से रखते हैं, मैं अम्बरीष जी से निवेदन करना चाहता हूं कि वह कटौती के प्रस्ताव को वापस ले लें।

श्री अधिष्ठाता-

क्या आप कटौती के प्रस्ताव को वापस लेते हैं।

श्री अम्बरीष कुमार-

माननीय अधिष्ठाता जी, जिस प्रदेश के प्रमुख सचिव गृह ने यह कहा हो कि जेल बड़े अपराधियों के लिये क्लब बन गयी हैं उस बजट पर कटौती के अपने प्रस्ताव को वापस लेने का मैं कोई कारण नहीं समझता, इसलिये मैं अपने कटौती के प्रस्ताव पर बल देता हूं।

श्री अधिष्ठाता-

मैं प्रश्न उपस्थित कर रहा हूं। प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या-25 गृह विभाग (कारागार) के अन्तर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ)।

श्री अधिष्ठाता-

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 2000 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 25-गृह विभाग (कारागार) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए 1,11,20,41,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

वित्तीय वर्ष 1999-2000 के आय-व्ययक में अनुदानों के लिये मागों पर चर्चा एवं मतदान अनुदान संख्या 28 गृह विभाग (राजनैतिक पेंशन तथा अन्य व्यय) अनुदान संख्या -27 गृह विभाग (नागरिक सुरक्षा)

होम गार्ड्स राजनैतिक पेंशन एवं नागरिक सुरक्षा (श्री सरस्वती प्रताप सिंह)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से तथा श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च 2000 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 28-गृह विभाग (राजनैतिक पेंशन तथा अन्य व्यय) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये 57,40,69,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये।

श्री अधिष्ठाता-

माननीय अधिष्ठाता जी दूसरा भी आप इसी समय रख दें।

श्री सरस्वती प्रताप सिंह-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से तथा श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 2000 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या-27 गृह विभाग (नागरिक सुरक्षा) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये 84,24,72,000 रुपये से अधिक धरराशि स्वीकृत की जाये।

माननीय अधिष्ठाता जी, होमगार्ड एवं नागरिक सुरक्षा एक स्वयंसेवी संगठन है। 1962 में इसका गठन किया गया। इसकी उपलब्धियाँ बहुत ही सराहनीय रही हैं। यह स्वयं सेवी संगठन पुलिस बल के साथ मिलकर काम करता हैं। जहां तक नागरिक सुरक्षा का प्रश्न हैं इसका भी आपात काल के दौरान 1962 में गठन किया गया। मैं आपके संज्ञान में लाना चाहता हूं कि आज 16 शहरों में नागरिक सुरक्षा के प्रतिष्ठान हैं और अभी हाल ही में मुगलसराय जनपद को भी जोड़ा गया है।

मान्यवर, यह संगठन केन्द्रीय सहायता और उत्तर प्रदेश सरकार के सहयोग से चलाया जाता है। इसके जितने विधि-विधान हैं वह सब केन्द्रीय सरकार के हैं। हमारे होमगार्ड स्वयं सेवकों की संख्या 1,23,000 है। यह दिन रात शासन प्रशासन में पुलिस बल के साथ सहयोग करते हैं। इनकी अनेक उपलब्धियां हैं, इनका निष्काम भाव, जनता के प्रति इनकी सेवा सराहनीय है। ऐसे भी कई समय आये जबकि उन्होंने अपने प्राणों की आहुति दे दी। ऐसे हमारे 4 स्वयं सेवक हैं जिन्हें मरणोपरान्त राष्ट्रपति पदक प्राप्त हुआ।

श्री राम औतार शाक्य-

माननीय अधिष्ठाता जी, कुछ समझ में नहीं आ रहा है।

श्री अधिष्ठाता-

मंत्री जी क्या आप अपनी बात समाप्त कर रहें हैं।

श्री सरस्वती प्रताप सिंह-

अगर सभी माननीय सदस्यों की यही राय है तो मैं अपनी बात यही समाप्त कर रहा हूं।

श्री अधिष्ठाता-

माननीय सदस्य कटौती का प्रस्ताव प्रस्तुत करें।

श्री अम्बरीष कुमार-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या-28 गृह विभाग (राजनैतिक पेंशन तथा अन्य व्यय) के अर्न्तगत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाए। कमी करने का उद्देश्य विभागीय नीति की आलोचना करना तथा सुझाव देना।

मान्यवर मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या-27 गृह विभाग (नागरिक सुरक्षा) के अन्तर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जायें। कमी करने का उददेश्य विभागयी नीति की आलोचना करना तथा सुझाव देना।

मैं पांच मिनट में अपनी बात समाप्त कर दूंगा। सर्वप्रथम राजनैतिक पेंशन जिसके अर्न्तगत वार्षिक प्रतिवेदन है मंत्री जी ने अपनी बात भी रखी उसमें दो तीन सुझाव देना चाहता हूं यह अधिकांश जो हमारे सवतंत्रता संग्राम सेनानी हैं देश की आजादी को 51 वर्ष हो गए हैं उनकी आयु बहुत अधिक हो चुकी है लेकिन उसके बावजूद भी वह पेंशन लाने के लिए राजकीय कोषागार उनको जाना पड़ता हैं। मैं मंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि यदि यह व्यवस्था कर दें कि डाक के जरिये या पत्रवाहक के जरिए उनकी पेंशन चेक उनके निवास पर पहुंच सके तो उनका जो ऋण हमारे ऊपर है उस ऋण में कुछ हद तक कमी हो सके। दूसरी बात जिस दिन से कोई स्वतंत्रता संग्राम सेनानी पेंशन के लिए आवेदन करता है वह पेंशन उसको उसी दिन से अनुमन्य हो सके लेकिन प्रदेश सरकार के नियमों के मुताबिक होता यह है कि जिस दिन से पेंशन स्वीकृत होती है उसी दिन से पेंशन दी जाती है। तीसरी बात इन्होंने अपने बजट साहित्य में लिखा है कि स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के परिवारेजनों पुत्र/पुत्रियों, विधवा पुत्री की चिकित्सा आदि के लिए पहले 250 रुपए प्रतिमाह अनुमन्य थे अब 350 रुपए प्रतिमाह अनुमन्य कर दिए गये है। मैं सुझाव देना चाहता हूं कि अगर लिविंग फ्रीडम फाइटर हैं सरकार उनका इलाज का व्यय भार वहन करने के लिए तैयार हो तो यह समझा जाएगा कि यह रचनात्मक काम होगा और तीसरी बात मैं यह कहना चाहता हूं कि जितने सरकारी कार्यक्रम हैं उनमें भी उनको आदरपूर्वक आमंत्रित अवश्य किया जाए हमारे प्रदेश सरकार के मंत्री जहां जाते हैं अपने कार्यक्रम में सभी राजनैतिक दलों के नेताओं को निमंत्रण भेजते हैं अगर इसी प्रकार इन स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के संगठनों को निमंत्रण भेजने का काम करें तो यह महत्वूपर्ण काम होगा। अगर उनकी कोई समस्या हैं और वह किसी समस्या पर बात करना चाहते हैं। तो वह मंत्री जी से अपनी बात रख सकें। जहां तक होमगार्ड की बात है। कटौती प्रस्ताव मैंने प्रस्तुत कर दिया है। अवधेश जी अपने विचार रखेगें।

श्री सरस्वती प्रताप सिंह-

मान्यवर, श्री अम्बरीष कुमार जी ने सुझाव दिये और यह भी कहा कि वृद्ध स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को राजकोष तक जाना पड़ता है, इस सम्बन्ध में मैं कहना चाहता हूं कि जब तक डाकिया या डाक से चेक भेजा जायेगा तो वह मौके पर किसी व्यक्ति को दे सकता है। उनका राजकोष तक आना जरूरी नहीं हैं बल्कि वह किसी को एथोराइज कर सकते हैं। भौतिकरूप से उनका होना आवश्यक है।

श्री अधिष्ठाता-

आप अपना कटौती का प्रस्ताव वापस ले रहें है?

श्री अम्बरीष कुमार-

मैं बल देता हूं।

श्री अधिष्ठाता-

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या-28 गृह विभाग (राजनैतिक पैंशन तथा अन्य व्यय) के अन्तर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ)।

श्री अधिष्ठाता-

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 2000 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या-28 गृह विभाग (राजनैतिक पेंशन तथा अन्य व्यय) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये 57,40,69,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

श्री अधिष्ठाता-

आप अपना कटौती का प्रस्ताव वापस ले रहें हैं।

श्री अम्बरीष कुमार-

जी नहीं।

श्री अधिष्ठाता-

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 27-गृह विभाग (नागरिक सुरक्षा) के अन्तर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ)

श्री अधिष्ठाता-

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 2000 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 27-गृह विभाग (नागरिक सुरक्षा) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये 84,24,72,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

वित्तीय वर्ष 1999-2000 के आय-व्ययक में अनुदान की मांग पर चर्चा एवं मतदान-अनुदान संख्या-22 खेल विभाग

खेल कूद युवा कल्याण प्रान्तीय विकास दल (श्री श्याम सुन्दर शर्मा)-

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से एवम् श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 2000 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 22-खेल विभाग के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये 16,52,16,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये।

मान्यवर, जहां तक इस धनराशि को स्वीकृत करने की बात है खेल निश्चित रूप से किसी भी राष्ट्र की सम्प्रभुता की निशानी हैं, उसकी रचना की निशानी हैं, उसके निमार्ण की निशानी हैं, उसके विकास की निशानी हैं और निश्चित रूप से खेल शिष्टाचार और सदाचार की भी निशानी होती है।.....

आज हम निश्चित रूप से अगर सरकार की प्रतिबद्धता और वचनबद्धता को दोहराना चाहते हैं तो जब से यह सरकार बनी हैं उससे अगर पिछले खेल विभाग के इतिहास को हम देखे तो मात्र सिर्फ चोदह खेल-खेल की सूची में थे और आज हम गर्व के साथ कहते हैं कि जब से यह माननीय कल्याण सिंह जी की सरकार आई हैं हमने 14 खेलों को बढ़ाकर 27 खेल-खेल सूची में कर दिया हैं। यह पहली सरकार हैं जिसने इस तरह का काम आपके सामने किया हैं। आज हम डेढ़ साल पहले का इतिहास देखना चाहें तो किसी भी राष्ट्रीय टीम में उत्तर प्रदेश का नाम और निशान तक नहीं था। डेढ़ वर्षो में हमने असीमित संसाधनों और लक्ष्य की चुनौतियों को स्वीकार करते हुए ओरिएन्टेड रिजल्ट की कल्पना में नेशनल स्तर की कोई टीम ऐसी नहीं है जिसमें उत्तर प्रदेश का खिलाड़ी न हो। आज उत्तर प्रदेश का खिलाड़ी प्रदेश को गौरवान्वित कर रहा है। क्रिकेट की नेशनल टीम को देखे आज बहुत लम्बें अन्तराल के बाद हमारे प्रदेश के तीन लड़के उसमें हैं जिसमें ज्ञानेन्द्र पाण्डेय ने हमारे प्रदेश का नाम रौशन कर दिया।

(सत्ता पक्ष ने मेजें थपथपाईं)

इस बात पर तो सभी को मेजें थपथपानी चाहिए थीं। और भी लड़कें है जो हिन्दुस्तान की टीम में प्रदेश का नाम रौशन कर रहें हैं आज जिमनास्टिक 80% से लेकर खेल में अन्य राष्ट्रीय टीमों में उत्तर प्रदेश का प्रतिनिधित्व हो आज हम यह भी कहना चाहते हैं कि चाहे तीर अन्दाजी हो, महिला फुटबाल हो या और कोई खेल हो सारी राष्ट्रीय टीम में उत्तर प्रदेश का नाम सबसे ऊपर हैं। मैं यह विश्वास दिलाना चाहता हूं। यह सही बात हैं कि हमने कभी खेल नहीं खेले हैं। चुनाव का खेल खेला था और उसमें कभी आउट नहीं हुए हैं। आज हम गर्व के साथ कहते हैं कि एशियाड में खेलने के लिये हिन्दुस्तान के खिलाड़ी गये और आज बहुत लम्बे अंतराल के बाद उत्तर प्रदेश के खिलाड़ियों ने 7 मैडल भारत मां की गोद में दिये। इसलिये हम इस माध्यम से उनकी भूरि-भूरि प्रशंसा करना चाहते हैं। आज हम बड़े गर्व के साथ कहते हैं कि इंटरनेशनल मैचेज में उत्तर प्रदेश की भागीदारी देखना चाहें तो विगत सभी वर्षों में देखने को मिलेगी। अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर हमने उत्तर प्रदेश की जो स्थिति बनाई है वह तुलनात्मक दृष्टि से अच्छी बनी हैं। अनतर्राष्ट्रीय मैडेल देखना चाहें तो एक रिकार्ड उत्तर प्रदेश के खिलाड़ियों ने तोड़ा है उनकी भूरि-भूरि प्रशंसा करनी चाहिए जिसमें आलोचना नहीं समालोचना होनी चाहिए सभी के खिलाडियों का सम्मान करना चाहिए। अनतर्राष्ट्रीय स्तर पर उत्तर प्रदेश के खिलाडियों का हम सम्मान करते हैं। मैं गर्व के साथ कहना चाहता हूं कि 59 मैडेल उत्तर प्रदेश के खिलाड़ियों ने दिए।

(मेजें थपथपाई गई)

इस सरकार से पहले खेल के इतिहास को देखें खेल से कोई लेना-देना नहीं था लेकिन इस सरकार के बनने के पहले माननीय कल्याण सिंह जी के नेतृत्व के पहले का इतिहास का पन्ना पलटें तो 200 मैडेल नहीं थे कुल मिलाकर पिछले साल जब बजट पास किया तो 200 मेडेल से बढ़कर ओरिएन्टल रजत की कल्पना के साथ हमने पहली बार 378 मेडेल प्रदेश को दिए थे। एक वर्ष के बाद बढ़कर 200 से 378 हुए। अब 378 से बढ़कर हम खिलाड़ियों की प्रशंसा करना चाहते हैं आज इस साल इसकी संख्या बढ़कर 463 हो गई हैं। खिलाड़ियों ने प्रदेश में रिकार्ड कायम किया है।

(भेजें थपथपाई गई)

हमने रुचि अभिरुचि को बढ़ाया है आज प्रदेश और देश संकीर्णता की बेड़ियों के बन्धन में बंधा हैं, उसकों अगर कोई तोड़ सकता है तो उसका नाम खेल है, दूसरा नहीं हैं। अगर कोई भाईचारे के संदेश को बढ़ावा दे सकता है तो उसका नाम खेल है दूसरा नहीं, सारे देश में प्रेम स्नेह में अगर कोई सुधार ला सकता है तो वह दूसरा नहीं है खेल है। सर्वधर्म सम्भाव अगर कोई बढ़ा सकता है ईमानदारी से इसको देखें तो इसका नाम खेल है दूसरा नहीं है हमने जो ओरियन्टल रजत की कल्पना की है आज हमने इस प्रदेश में उसको कायम किया है। हमने एक सवा साल के अन्दर इंटरनेशनल टूर्नामेंट आयोजित किए वह चाहें क्रिकेट के हों, चाहें जिमनास्टिक के हों, हर खेल उत्तर प्रदेश की धरती पर राम की धरती पर किए हैं। इससे एक भाव पैदा होगा एक स्प्रिट पैदा होगी। खेल की भावना से प्रेरित होकर, यह भावना अगर राजनीतिक लोगों में आ जाए तो निश्चित रूप से समाज का कल्याण हो सकता है। हमने पहली बार खिलाड़ियों को न्योता, निमंत्रण दिया पहली बार हमने ग्रीन पार्क में, मंच पर सभी खिलाड़ियों को एकत्रित किया और उसके बाद बधाई दी, उनको प्रोत्साहन दिया, उनका मौरल बढ़ाया।

और मौरेल बढ़ाने के बाद उनको प्रोत्साहित किया और उन्होंने एक मिसाल पैदा कर दी पूरे प्रदेश में। हमने लक्ष्मण पुरस्कार जो वर्षों से बन्द पड़ा है उसको देने का प्राविधान किया है इस बार हम लक्ष्मण पुरस्कार देकर सम्मानित करेंगे जहां तक खिलाड़ी की बात है, नेशनल टूर्नामेंट हुए, नेशनल गेम्स हुए मणिपुर में इम्फाल में, बहुत लम्बें अंतराल के बाद हमें गर्व करना चाहिए उन खिलाड़ियों के ऊपर, हमारे सीमित संसाधनों के बावजूद असीमित लक्ष्य को मानते हुए, पहले कभी दसवां, कभी बारहवां तो कभी सौलहवां स्थान प्राप्त होता था, आज पहली बार उत्तर प्रदेश के खिलाड़ियों ने 47 मैडल उत्तर प्रदेश की झोली में डाले हैं, और यह सरकार कटिबद्ध हैं, प्रतिबद्ध हैं कि उन्हें राजधानी लखनऊ में उसका सम्मान करेगी। आज जो सम्मान की धनराशि हैं वह कम हैं। यह कम होने के बाबजूद विरोध पक्ष की तरफ से यह आयेगा कि धनराशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय। हम उनके सम्मान की राशि को बढ़ाना चाहते हैं और विरोध पक्ष चाहता है कि उसे घटाकर एक रुपया कर दी जाये तो उनका सम्मान कैसे हो पायेगा। जो धनराशि कम हैं उसको बढ़ाने की बात कर रहें हैं और यह सरकार कटिबद्ध और प्रतिबद्ध है कि उसकी राशि को बढ़ाया जाये और बढ़ायेगी ताकि खिलाड़ियों को प्रोत्साहन मिल सकें।

यह पचास वर्ष में पहली बार हुआ हैं। किसी भी सरकार ने यह नहीं सोचा है। आज मान्यवर, यदि छोटे से क्लब का रजिस्ट्रेशन कराने जाते थे, खिलाड़ियों को तकलीफ होती थी, हलांकि फीस बहुत मामूली होती थी, दस रुपया थी लेकिन उसकों चक्कर काटने पड़ते थे। माननीय मुख्य मंत्री जी को बधाई दें कि उन्होंने पहली बार यह घोषणा की हैं, चाहे वह युवक मंगल दल हो, चाहे महिला दल हो, छोटा खेल क्लब हो उसको रजिस्ट्रेशन फीस नहीं देनी होगी। प्रदेश में स्पोर्टस को बढ़ाने के लिए भारत सरकार से हम लोग सम्पर्क रखे हुए है। लखनऊ में स्पोर्ट्स कालेज पटियाला के पैटर्नस पर नेशनल एकेडोमिक बनाने की योजना बनायी है। हमने कैव कमेटी की रिकमन्डेशन को स्वीकार किया है। इसको स्वीकार करने का मतलब यह है कि जिन स्कूलों में नौजवान खेल खेलें, जब क्वांटिटी ज्यादा होगी तो क्वालिटी अपने आप निकलकर आयेगी और प्रदेश का नाम होगा।

यह सरकार खेल उपकरणों के माध्यम से छात्रावास और स्पोर्ट्स स्टेडियमों के माध्यम से, खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने के लिए पुराने खिलाड़ियों को प्रोत्साहन देने के लिए कृत संकल्प है। इसमें आप माननीय सदस्यों के सुझावों का हम स्वागत करेंगे। आइये इस महायज्ञ में हम सब आहुति दे और इस प्रदेश को खेल की दिशा में आगे ले जाने का संकल्प लें।

श्री वसीम अहमद-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 22 खेल विभाग के अन्तर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाये। कमी करने का उद्देश्य विभागीय नीति की आलोचना करना तथा सुझाव देना है।

मान्यवर, पिछलें साल भी मुझे खेल विभाग के बजट पर कटौती रखने का सौभाग्य प्राप्त हुआ था आज भी मुझे मिला है। आप खेल को बढ़ावा देने की बात करते हैं इस बार का बजट जबकि कम रखा गया है। पिछली बार आपका बजट 2057.98 लाख था इस बार 1727.98 लाख रु0 है। माननीय मंत्री जी कई आपने अच्छे काम किये हैं उसके लिए मैं आपको बधाई देना चाहता हूं जो पुराने खिलाड़ी हैं उनको प्रोत्साहन देने की बात आपने की है। रणवीर सिंह जो बालीबाल के खिलाड़ी हैं उनको आपने 5 लाख रु0 देने की बात कही है। आपने 1975 में खेल को बढ़ावा देने के लिए स्पोर्ट्स कालेज/हास्टल की स्थापना की थी। आपका उद्देश्य था कि जो ग्रामीण या शहरी क्षेत्र के अनुभवी छात्र हैं उनको लाकर के खेल को बढ़ावा दिया जाये लेकिन उस उद्देश्य से आप भटकते जा रहें हैं। जब आपके यह स्पोर्ट्स कालेज हास्टल नहीं थे खेल निदेशालय नहीं था तो विभिन्न खेलों में कितनी प्रतिभायें इस प्रदेश से निकली। के0डी0 सिंह बाबू जी, जमन लाल शर्मा जी, ध्यान चन्द्र जी, रूप सिंह जी अशोक सिंह जी यह कोई स्पोर्ट्स हास्टल से पैदा नहीं हुए और चाहे बालीबाल में रणवीर सिंह जी हों या इलियास अहमद जी हों यह भी वहां से निकले नहीं।

एथलेटिक्स में विजय सिंह चौहान हुये, जो एशियन गेम्स में लौहपुरूष कहलाये थे, वैसे एथलीट हम आज क्यों नहीं पैदा कर पा रहे हैं, आखिर क्या बात है, कहीं न कहीं गिरावट आई है, जिसकी बजह से हम खेलों में पैसा लगाने के बाद भी अच्छे खिलाड़ी नहीं दे पा रहें हैं। हमारे ग्रामीण अंचलों में प्रतिभावान खिलाड़ी है, लेकिन उन्हें खेलने का मौका नहीं मिलता। हमारे यहां जो खिलाड़ी पैदा होगा, उसे हम नौकरी से कैसे जोड़ेगे, इस बारे में माननीय मंत्री जी ने कुछ नहीं कहा। वर्ष 1975-76 में मैं भी एक खिलाड़ी था, उस समय चाहे ऊर्जा विभाग हो, चाहे रोडवेज हो, खिलाड़ी को रखा जाता था। आज खिलाड़ी मारे-मारे फिर रहे हैं, केवल रेलवे या सेन्ट्रल के एक-दो डिपार्टमेन्ट हैं, जो खिलाड़ी को रख लें, वरना हमारे स्टेट में उनको नौकरी में रखने की कोई व्यवस्था नहीं हैं। मैं कहना चाहता हूं कि आप खेल विभाग को और व्यापक बनावें, इसके लिये खेल विभाग को स्कूलों, कालेजों, डिग्री कालेजों से जोड़ना पड़ेगा। पहले जो बी0पी0एड0 करके, सी0पी0एड0 करके लड़का निकलता था, उसे डिग्री कालेज में रखा जाता था, अब आप उसे इण्टर कालेज में रख रहे हैं, वर्ष 1982 से इसमें संशोधन कर दिया गया और लेक्चरर कर दिया गया। मैं आपकी आलोचना नहीं कर रहा हूं, लेकिन पूर्व सरकार और इस सरकार के बीच की बात कह रहा हूं। मैं कहना चाहता हूं आज तक इस संबंध में कोई मानक तय नहीं हो पाया जिसकी बजह से एम0पी0एड किये हुये लड़के दर-दर भटक रहें हैं, उनको नौकरी नहीं मिल रही है। मैं एक बात और कहना चाहता हूं कि आप 12 से 14 साल के लड़कों का जो ट्रायल लेते हैं, लड़का जब जिले से रीजन में जाता था तो उसे आप टी0ए0, डी0ए0 देते थे, लेकिन अब उस व्यवस्था को समाप्त कर दिया गया है, उसको चालू करवाने की आप व्यवस्था करें यही नहीं जब उनके ट्रायल होते हैं तो देहरादून में रख दिये जाते हैं लेकिन उनको कोई टी0ए0डी0ए0 नहीं दिया जाता है जिससे उनका खर्च बढ़ता है इसलिए इस ओर मंत्री जी ध्यान दें और उन्हें टी0 ए0 डी0 ए0 दिलाया जाय। इन शब्दों के साथ मैं अपने कटौती के प्रस्ताव पर बल देता हूं।

डा0 राम बाबू हरित-

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे प्रस्तुत बजट के समर्थन में बोलने के लिए समय दिया। मान्यवर, मंत्री जी जिस खेल भावना से बोल रहे थे इसलिए मैं सभी माननीय विपक्षी सदस्यों से आशा करता हूं कि वह मंत्री जी की खेल भावना का आदर करते हुए भविष्य में जो खेल भावना की तरह प्रत्येक क्षेत्र में इस प्रदेश को ऊपर उठाने में वे अपना सहयोग देंगे।

मान्यवर, आगरा जिले में जो स्टेडियम हैं उसे आप अर्न्तराष्ट्रीय स्तर का स्टेडियम बनाने का कष्ट करें। मान्यवर, मेरा दूसरा सुझाव यह है कि चौधरी चरण सिंह स्टेडियम को भी अन्तर्राष्ट्रीय स्तर का स्टैडियम बनाने का मंत्री जी कष्ट करें। इसके साथ ही किरावली में भी स्टेडियम शीघ्र से शीघ्र बनाया जाय। इन शब्दों के साथ मैं प्रस्तुत बजट का समर्थन करता हूं।

श्री कौकब हमीद-

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं प्रस्तुत बजट पर जो कटौती का प्रस्ताव रखा गया है उसके समर्थन में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं। मान्यवर, मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि आपने यहां प्रदेश में कितने खिलाड़ी पैदा किये हैं? मैं उत्तर प्रदेश में खिलाड़ियों को प्रोत्साहन देने के सम्बन्ध में उत्तर प्रदेश सरकार का क्या योगदान रहा है इसको भी जानना चाहता हूं। आपका खिलाड़ी पैदा करने में सहयोग तब समझता जब स्पोर्ट्स कालेज से निकला व्यक्ति अर्न्तराष्ट्रीय खेलों में चैम्पियन बनता मान्यवर, मैं बताना चाहता हूं कि अन्तर्राष्ट्रीय खेलों में रायफल फायरिंग में अथवा पिस्टल सूटिंग में बन्दूक का लाइसेन्स देने में कठिनाई पैदा की जाती है और नई बन्दूक तक खिलाड़ियों को नहीं दी जाती है तो मैं सरकार का खेल में क्या योगदान समझूं। इसी तरह क्रिकेट खेल में प्रदेश सरकार के सहयोग से एक भी व्यक्ति नहीं निकला है, बल्कि जो आये हैं वे अपने योगदान से आये हैं। मान्यवर, मैं बताना चाहता हूं आपने स्वीमिंग पूल बनाये किन्तु उसमें जहां-जहां स्टेडियम बनाये हैं उनमें मैं जानना चाहता हूं कि कितने स्वीमिंग में निकल रहे हैं। मैं बताना चाहता हूं कि उन स्वीमिंग पूल में अधिकारी और उनके लड़के ही स्वीमिंग कर रहें है और कोई व्यक्ति चैम्पियन नहीं बना है। के0डी0सिंह बाबू स्टैडियम के स्वीमिंग पूल से कोई व्यक्ति नहीं चैम्पियन निकला है, इसी तरह कोई राइडर नहीं बना है। मान्यवर, मैं सदन को बताना चाहता हूं कि आपकी सबसे ज्यादा सफलता शूटिंग में हुई है। रायफल शूटिंग और पिस्टल शूटिंग में जो मैडल लाये हैं वे कम हैं। मान्यवर, पिस्टल और रायफल शूटिंग में जो व्यक्ति आये हैं वे अपने आप आये हैं उन्होंने अपने क्लब बनाये हैं और स्वंय ऊंची सफलता पर पंहुचे हैं, इसमें सरकार का कोई योगदान नहीं रहा है। मान्यवर, जहां तक खेल की बात है तो मैं आपको चुनौती देना चाहता हूं कि 31 मार्च, 1999 को सत्र समाप्त हो जायेगा तो आपका और विपक्ष के माननीय सदस्यों का एक मैच हो जाये, चूंकि पहले मैच हुआ करते थे। धन्यवाद।

श्री बाबू लाल-

मान्यवर मैं अनुरोध करूंगा कि जनपद आगरा में किरावली में एक स्टेडियम का उद्घाटन 1991 में किया गया था, लेकिन वह आज तक अधूरा पड़ा है, उसको पूरा कराया जाये। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

श्री हरपाल सिंह-

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे खेल बजट पर अपने विचार प्रकट करने का अवसर प्रदान किया। मान्यवर, मैं कहना चाहता हूं कि खेलों की समीक्षा कोई नहीं कर पाता है। आज हम हजारों विद्यार्थी पैदा करते हैं, उनमें से बहुत से विद्यार्थी प्रथम श्रेणी में आते हैं, द्वितीय श्रेणी में आते हैं और तृतीय श्रेणी में आते हैं और उन्हीं में से आई0ए0एस0 और आई0पी0एस0 बनते हैं, हजारों डाक्टर बनते हैं, रीडर बनतें हैं और प्रोफेसर बनते हैं, लेकिन खेल में एक ही

व्यक्ति प्रथम स्थान प्राप्त कर सकता है। स्पोर्ट में गोल्ड मेडल प्राप्त करना बड़ा ही दुष्कर है और मुश्किल है। मैं कहना चाहता हूं कि हाकी को छोड़कर ओलम्पिक में कोई भी गोल्डमेडल नहीं प्राप्त हो सका है। हर वयक्ति राज्यपाल बन सकता है, राष्ट्रपति बन सकता है और बड़े से बड़े पद पर पहुंच सकता है, लेकिन गोल्ड मेडल नहीं ला सकता हैं में कहना चाहता हूं कि पी0टी0 ऊषा सेकन्ड के 100 वे हिस्से से ओलम्पिक दौड़ में पीछे रह गयी। परन्तु कोई व्यक्ति अधिवक्ता, महाधिवक्ता प्रोफेसर, इजीनियर, डाक्टर बन सकता है परन्तु खेलों में जैसे ओलम्पिक में गोल्ड मैडल लाना अत्याधिक कठिन है अगर वे प्रोसेफर, अधिवक्ता, आई0ए0एस0 वर्ल्ड (ओलम्पिक) की परीक्षा में बैठे तो सबसे पीछे रह जायेगे। मैं कहना चाहता हूं कि आप खिलाड़ियों को सम्मान दें, पूरे देश की समीक्षा करें, इस बजट की भी समीक्षा करें तो आप पायेंगे कि खेल का बजट सबसे कम होगा। खिलाड़ी खेलों से हटने के बाद रोजी रोटी के लिये मोहताज हो जाता है, उसको अपना जीवन गुजर बसर करने के लिये दिक्कतों का सामना करना पड़ता हैं, उनके लिये आप उसके जीवन यापन व रोजी-रोटी की समुचित व्यवस्था करें। एशिया में कुल खिलाडी जो गोल्ड मेडल लाये हैं, सिल्वर मेडल लाये हैं, उनमें से कुछ खिलाड़ी अपनी जीविका चलाते है और मजबूर होकर ट्रक चलाता है, तो खेलों की यह स्थिति है। सरकार को इस ओर ध्यान देना चाहिये।

इन शब्दों के साथ मैं माननीय मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत बजट का समर्थन करता हूं।

श्री इकबाल महमूद-

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं इस खेल के बजट के कटौती के प्रस्ताव पर बल देने के लिए खड़ा हुआ हूं। खेल के सम्बन्ध में माननीय मंत्री जी ने जो बात कही कि खेल ही एक देश से दूसरे देश के सम्बन्धो को बढ़ाने का काम करता है, एक स्टेट से दूसरे स्टेट के सम्बन्ध बढ़ाने का काम करता है, आपसी भाईचारा बढ़ाने का काम करता है। मगर अफसोस की बात है कि इस बजट पर माननीय मंत्री जी अपने मुख्यमंत्री जी से कुछ न ले पाये। मान्यवर हमारे प्रदेश के कितने ही खिलाड़ी ऐसे है जो बहुत अच्छा खेलते है। हमारे भाई कौकब साहब की बच्ची जो अभी बच्ची ही है उसने गोल्ड मेडल हासिल किया है। हमारे खेल की यह हालत है कि ओलम्पिक में जीतकर जब हमारे खिलाड़ी विदेश से अपने देश भारत में वापस आते है तो पूरे देश को वाह वाही करनी चाहिए लेकिन होता यह है कि हवाई अड्डे पर उनको कोई रिसीव करने तक नहीं आता है। हम प्रदेश की बात कर रहें है तो मैं माननीय मंत्री जी से कहूंगा कि वह अपना बजट बढ़वाये। मान्यवर मेरे क्षेत्र में कोई स्टेडियम नहीं है, वहां पर एक स्टेडियम बनवाने की कृपा करे ताकि वहां के जो खिलाड़ी है वह भी अपने प्रदेश का नाम रोशन कर सकें।

श्री जगदम्बिका पाल-

मान्यवर, आपके माध्यम से मैं सिर्फ एक बात मंत्री जी से कहना चाहूंगा कि आज भारत और श्रीलंका के मैच में हमारे उत्तर प्रदेश के एक खिलाड़ी को रिजर्व में रखा गया है। उसे भी प्लेइंग प्लेयर बनाना चाहिए था।

(शोर)

श्री बाल चन्द्र मिश्र-

माननीय अधिष्ठाता महोदय मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे बोलने के लिए समय दिया। मैं अपनी बात बिल्कुल एक मिनट में समाप्त कर दूंगा। मैं माननीय मंत्री जी से गंभीरता से कहूंगा कि खेल, खिलाड़ियों की संख्या, उभरते हुए नौजवानों को दृष्टि में रखते हुए इन्फ्रास्ट्रक्चर पर ध्यान देना कितना आवश्यक है कानपुर नगर की 3-4 लाख की आबादी थी तब वहां ग्रीन पार्क स्टेडियम बना था। आज वहां की आबादी लगभग 40 लाख से ज्यादा है पर वहां एक ही स्टेडियम है और यह स्टेडियम भी निर्वाचन का अस्थाई कर्यालय होता जा रहा है मान्यवर कानपुर वर्तमान समय में दो जनपदों का स्वरूप लेता जा रहा है वहां की प्रशासनिक इकाई (यां) बढ़ रही है बदल गई, विभाजित हो रही है, भोगोलिक क्षेत्र बदलता जा रहा है, आबादी बढ़ती जा रही है ऐसी स्थिति में मैं माननीय मंत्री जी से चाहूंगा कि वह जब अपना उत्तर भाषण दे तो कानपुर दक्षिण में बहुत सी जमीन खाली पड़ी है वहां एक और स्टेडियम बनवाने की घोषण करें। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं।

श्री वसीम अहमद-

मान्यवर, मैं माननीय मंत्री जी से अनुरोध करना चाहता हूं कि आजमगढ़ में हाकी, रेसलिंग और बालीबाल के और हर हास्टल में आजमगढ़ के छात्र हैं तो वहां भी एक हास्टल और कालेज खोला जाए। मान्यवर, पिछली बार भी माननीय मंत्री जी ने कहा था कि हम खेल नीति बनाने जा रहें हैं, लेकिन आज तक वह खेल नीति नहीं बनी है। मान्यवर, आप नान रेजीडेन्ट हास्टल की व्यवस्था करायें, जिससे जो बच्चे कोचिंग लें उन्हें 5-10 रुपये ही मिलेगा, इससे इनको प्रोत्साहन मिलेगा। दूसरी बात यह है कि माननीय मंत्री जी आपका खेल निदेशक रिटायर हो गया है लेकिन आज तक कोई परमानेन्ट निदेशक नहीं है, कोई पी0सी0एस0 निदेशक आफिसेट कर रहें हैं और माननीय मंत्री जी बहुत पारदर्शी हैं, एक बात मैं कह कर अपनी बात समाप्त करूंगा कि अपने भाई को उत्तर प्रदेश खेल विभाग का उन्होंने प्रवेक्षक बना दिया, यही इनकी पारदर्शिता है। इसी के साथ मैं अपनी कटौती के प्रस्ताव पर बल देता हूं।

श्री श्याम सुन्दर शर्मा-

मेरे भाई को, बाप रे बाप माननीय अधिठाता महोदय, मैंने बार-बार विनम्रता से और पुरजोर कहा था कि आलोचना कम, समालोचना ज्यादा करनी है और समालोचना का न्योता दिया भी। या तो आप लोगों ने पढ़ा नहीं या जानने की कोशिश

नहीं की इसलिए मैं जानना चाहता हूं कि आपने जो प्रश्न उठाये हैं और मैंने जो बजट रखा है, यह तो मैं बार-बार कह रहा था, बजट रखा गया है सीमित संसाधन हैं और असीमित लक्ष्य हैं, बार-बार मैंने यह कहा है और उसे मैंने स्वीकार करके दिखाया और अपनी सिन्सियरिटी से करके दिखाया और जितने लोग थे, अधिकारी, खिलाड़ी, कोचेज जो अच्छे थे उन्हें प्रोत्साहित करके दिखाया और ख़राब जितने हैं, सब को हमने निरूत्साहित करके दिखाया। इसलिए मैं आज कहना चाहता हूं कि आज आपने कहा कि जितने अच्छे खिलाड़ी पैदा हुए, लेकिन आज हमारे पास अच्छे खिलाड़ी नहीं हैं। मान्यवर, आप 50 साल के पन्ने उलट कर देखें। हमने नौकरियों में इसके लिए 5 नम्बर रखे हैं, पलायन को रोकने के लिए ही मान्यवर हमारी सरकार ने 5 नम्बर खिलाड़ियों को देने का निर्णय लिया है।

पहली बार इस सरकार ने कंट्रोल किया और यह सरकार कटिबद्ध है पलायन रोकने के लिये। माननीय कल्याण सिंह जी को इस बात के लिये धन्यवाद दें, जिस प्रकार से आजादी के पहले नेताजी सुभाष चन्द्र बोस ने कहा था तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा, उसी प्रकार माननीय मुख्य मंत्री जी ने कहा है कि तुम मुझे मेडल दो, मैं तुमको नौकरी दूंगा। पहली जनवरी, 1999 को सरकारी नियमों में शिथिलीकरण करके, शासनादेश निर्गत किया गया, लंबाई में छूट, वेट में छूट, सीने की माप में छूट, शिक्षा में छूट देकर हमने तमाम देश के खिलाड़ियों को न्योता दिया। जो खिलाड़ी प्रदेश के बाहर हैं और जिनके पास मेडल हैं, मेडल के आधार पर उनका पलायन रोकने के लिये सरकार कटिबद्ध हो चुकी हैं। आपने इन्फ्रास्ट्रक्चर की बात कही। इस प्रदेश की सरकार ने पहली बार, देश में 7 टेनिस कोर्ट हैं, जिनमें से दो उत्तर प्रदेश में बनाये गये हैं, पिछले तीन महीनों के अंदर वहां खेल लेना शाम को जाकर। इसी तरह से तरण ताल और इन्डोर हाल जितने हमने दिये उतने किसी सरकार ने नहीं दिये हैं।

आदरणीय मिश्र जी ने एस्ट्रोटर्फ की बात कही। बनारस ओर रामपुर में एस्ट्रोटर्फ लगाने की व्यवस्था की गयी और लखनऊ में जो एसट्रोटर्फ था उसके बारे में भारत सरकार ने अपना शेयर जारी कर दिया है वहां एस्ट्रोटफ बदलकर लगाया जा रहा है। मिश्रा जी ने कानपुर की बात कही। कानपुर ने हमेशा अगुवाई की है। पिछलें साल इस सरकार के मुख्य मंत्री माननीय कल्याण सिंह ने 4 करोड़ रुपया स्टेडियम को डेवलप करने के लिये दिया है। अभी रात और दिन में हमारे यहां खेल खेलने की सुविधा नहीं थी। माननीय मुख्य मंत्री जी ने फ्लड लाइट लगाने की घोषणा वहां की है। किसी प्रदेश में सरकारी तौर पर यह पहली बार घोषणा की गयी है। कौकब जी कह रहें थे इसमें आपका क्या सहयोग है, सहयोग हमारा नहीं तो क्या आपका है। आज ज्ञानेन्द्र पाण्डेय क्रिकेट टीम में सेलेक्ट हुआ है वह इसी कानपुर का लड़का है। जसपाल राणा दिल्ली से खेला उसका मेडल हमने लगाया है। हमने अपने मुखार विंदु से जो कहा है।

निश्चित रूप से उसके जो पिता हैं, हमारे सत्ता रूढ़ दल में सदस्य हो की सरकार में हमारे साथ एम0एल0सी0 भी हैं। हमने उसको न्यौता, निमंत्रण भी सरकार की तरफ से अनेकों बार दिया वह दिल्ली की तरफसे खेलता हैं। (व्यवधान) अभी माननीय कपूर. जी ने एक बात कही, मैं कहना चाहता हूं कि मैं उन्हें मेडल की सूची दे रहा हूं जो खिलाड़ी इण्टरनेशनल मेडल लेंकर आये हैं उसमें हमारे दो प्लेयर हैं जिनमें से एक निहाल सिंह है। आप यह बता दीजिए कि उत्तर प्रदेश की सरकार के बिना कोई सहायता के या जो हमारे हास्टल का प्लेयर न रहा हो। हम खेलों के विकास की दिशा में कार्य कर रहें हैं। हम 4 कदम नहीं 40 कदम नहीं, बल्कि 400 कदम चलाना चाहते हैं। अभी रामबाबू हरित जी ने एक बात कही, वह हमारे आगरा मण्डल के रहने वाले हैं। हरितजी को इस सरकार को धन्यवाद देना चाहिए कि सरकार ने 60 लाख रूपया आगरा में जिम्नेजियम हाल के लिए दिया है। जो आप कहते हैं कि इसे अपग्रेड किया जाये, कल्याण सिंह जी की सरकार ने पिछले एक वर्ष में अपग्रेड करने के लिए। करोड़ 20 लाख रुपया आगरा के स्टेडियम को दिया गया आपके जो इतने अच्छे सुझाव आये हैं, हम उस पर गम्भीरता से विचार करेंगें। यह सरकार निश्चित रूप से इन्फ्रास्ट्रक्चर बढ़ाने के लिए कटिबद्ध है, प्रतिबद्ध है। मान्यवर, इस महायज्ञ में सबके आहुति की आवश्यकता है चाहे वह सत्ता पक्ष हो या विपक्ष हो, सभी का सहयोग जरूरी है। (व्यवधान)

श्री बाबू लाल-

मान्यवर, हमारे स्टेडियम के बारे में क्या हुआ।

श्री श्याम सुन्दर शर्मा-

आपके स्टेडियम का युवा कल्याण विभाग से कोई मतलब नहीं है। मान्यवर, इस कार्य में सभी के सहयोग की आवश्यकता है। धन्यवाद।

श्री अधिष्ठाता-

वसीम अहमद जी, आप अपना कटौती का प्रस्ताव वापस ले रहे हैं?

श्री वसीम अहमद-

मान्यवर, मैं कटौती के प्रस्ताव पर बल देता हूं।

श्री अधिष्ठाता-

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या-22 खेल विभाग के अन्तर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाये?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ)

श्री अधिष्ठाता-

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 2000 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 22 खेल विभाग के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये 16,52,16,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

वित्तीय वर्ष 1999-2000 के आय-व्ययक में अनुदान की मांग पर चर्चा एवं मतदान अनुदान संख्या-48 मुस्लिम वक्फ विभाग

अल्प संख्यक कल्याण, मुस्लिम वक्फ एवं हज मंत्री (राजा गजनफर अली खां)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च 2000 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 48-मुस्लिम वक्फ विभाग के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए 1,59,43,98,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये।

हमारी सरकार इस वर्ष के आर्थिक एवं शैक्षणिक उत्थान के लिए पूरी तरह से कठिबद्ध है। इस सम्बन्ध में सरकार ने अनेक महत्वपूर्ण निर्णय लिए हैं 1 इन निर्णयों की जानकारी मैं सदन के सम्मुख प्रस्तुत करता हूं। पहला शिया वक्फ बोर्ड के 30 वर्ष बाद चुनाव कराकर बोर्ड का गठन तथा सुन्नी वक्फ बोर्ड के 18 वर्ष बाद चुनाव कराकर वर्तमान सरकार द्वारा कीर्तिमान स्थापित किया गया हैं। शीघ्र ही सुन्नी वक्फ बोर्ड का गठन भी कर दिया जाएगा। ताकि मुस्लिम समाज के लागों द्वारा स्थापित वक्फ बोर्ड की सम्पत्तियां उनसे जुड़े हुए लोगों के हितों के लिए की जा सके।

अल्पसंख्यक समुदाय के छात्रों एवं छात्राओं के पलायन ड्राप आउट रोकने के लिए कक्षा एक से कक्षा दस तक के छात्रों को जिनके अभिभावकों की आय गरीबी रेखा के दोगुने से कम है छात्र वृत्ति वितरण योजना लागू की गई तथा अगले वित्तीय वर्ष छात्र वृत्ति की धनराशि को दो गुना कर दिया गया। विद्यालयों में छात्रवृत्ति देने हेतु नई दरें निर्धारित होंगी कक्षा एक से कक्षा पांच तक के बच्चों को 12 रुपए के बजाय 25 रुपए प्रतिमाह कर दिया गया है।कक्षा 6 से कक्षा 8 तक के बच्चों को प्रतिमाह 20 रुपए के बजाय 40 रुपए कर दिया गया है। कक्षा 9 से कक्षा 10 तक के बच्चों को छात्रवृत्ति 30रुपए के बजाय 60 रुपए प्रतिमाह कर दिया गया है। इस योजना के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 1997-98 में 34 लाख छात्रों को लाभान्वित करने के लिए 47 करोड़ 99 हजार रुपए वितरित किया गया। अगले वित्तीय वर्ष 98-99 में 734 लाख की स्वीकृतियाँ निर्गत की गई हैं। मदरसों मकतबों में शिक्षा प्राप्त कर उनकी पारम्परिक शिक्षा के साथ-साथ आधुनिक शिक्षा प्रदान करने तथा उन्हें राष्ट्र की मुख्य धारा से जोड़ने और उन्हें स्वावलम्बी बनाने के लिए मदरसों का

आधुनिकीकरण किया जाएगा। यह योजना केन्द्र द्वारा लागू की गई है। इस योजना के अन्तर्गत गत वर्ष 1997-98 में रुपए एक करोड़ 31 लाख का आवंटन केन्द्र सरकार से प्राप्त हुआ तथा वर्ष 1998-99 में केन्द्र सरकार से 690 मदरसों में प्रत्येक मदरसे के लिए एक अध्यापक को तीन हजार प्रति महा वेतन के रूप में दिए जाने के हेतु दो करोड़ 48 लाख 40 हज़ार की वित्तीय स्वीकृतियां प्राप्त हो चुकी हैं।

श्री जगदम्बिका पाल-

मान्यवर मंत्रीजी ने अपने विचार तो रखा नहीं अभी तो यह पढ़ रहें हैं।

(कई माननीय सदस्यों के एक साथ बोलने पर व्यवधान)

श्री अधिष्ठाता-

मंत्री जी अब आप अपनी बात समाप्त करें।

श्री सौलत अली (एडवोकेट)-

मान्यवर, कटौती का प्रस्ताव रखने से पहले मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है। सभी माननीय सदस्य यहां पर अपने क्षेत्रों से चुनकर आये हैं परन्तु आज यहां पर मच्छरों का प्रकोप ज्यादा है, कहीं यह सरकार की कोई साजिश तो नहीं है, इस पर आप अपनी व्यवस्था देने का कष्ट करें।

श्री अधिष्ठाता-

यह कोई व्यवस्था का प्रश्न नहीं हैं। आप अपना कटौती का प्रस्ताव रखें।

श्री सौलत अली (एडवोकेट)-

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से अनुदान संख्या 48-मुस्लिम वक्फ विभाग के अंतर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय-कमी करने का उद्देश्य विभागीय नीति की आलोचना करना और सुझाव देना।

मान्यवर, यह एक महत्वपूर्ण विभाग है इसमें बहुत गम्भीर समस्यायें हैं। अलग-अलग तरीकों से सम्पत्तियों को वक्फ किया गया। कुछ ऐसे लोग थे जिनकी औलादें नहीं थी उन्होंने अपनी सम्पत्ति को जन कल्याण में वक्फ कर दिया जिससे आमदनी बढ़े और लोगों को रोजगार मिल सके तथा गरीब बच्चों को शिक्षा मिल सके और कुछ लोग ऐसे भी थे जिन्होंने अपनी औलादों का हक काटकर अपनी सम्पत्ति को जन-कल्याण के लिए दिया। आज अरबों और खरबों रुपयों की वक्फ की सम्पत्ति बोर्ड के पास है और इस पर नियंत्रण के लिए वक्फ आयोग का गठन किया गया। इसके बहुत सारे उद्देश्य थे इस पुस्तिका में आपने 9 उद्देश्य दर्शाये भी हैं हम भी उससे सहमत हैं और वक्फ की उन्नति के लिए इन उद्देश्यों की पूर्ति होनी चाहिए परन्तु अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि इस सरकार ने 9 में से एक भी उद्देश्य की एक

प्रतिशत भी प्रतिपूर्ति नहीं हुई क्या अलपसंख्यक छात्रों को छात्रवृत्ति दी गयी। आपकी कथनी और करनी में काफी अन्तर है। आपका उद्देश्य था कि लड़कियों के लिए उच्चतर माध्यमिक विद्यालय होंगे और उनमें हास्टल बनाये जायेंगे और इन संस्थानों को वित्तीय सहायता भी दी जायेगी परन्तु आप इसे दूर तक स्पर्श भी नहीं कर पाये। माननीय मंत्री जी मेरे करीब के हैं उनका निवास भी मेरे करीब ही है, माननीय कल्याण सिंह जी की सरकार में जब यह विभाग मंत्री जी को जो एक राजा कहलाये जाते हैं वह इस गरीब विभाग पर ध्यान देंगे और इसमें जो कमियां हैं उन्हें दूर करने का प्रयास करेंगे लेकिन इसका बिल्कुल उल्टा हुआ आपकी सरकार में सारे नियमों और कानूनों को ताक पर रख दिया गया और माननीय उच्च न्यायालय के आदेश तथा प्रशासनिक आदेशों को भी ताक पर रख दिया गया और इसमें चंद सलाहकार अधिकारियों को मशविरे हेतु रखा गया गिने-चुने नाम हैं।

यह विभाग अब मुस्लिम वक्फ बोर्ड या अल्पसंख्यक विभाग नहीं रह गया यह सिर्फ मंत्री रह गया। यह सिर्फ मंत्री परिवार कल्याण विभाग बनकर रह गया है। उदाहरण स्वरूप कुछ कहना चाहूंगा और माननीय मंत्री जी से अनुरोध करुंगा कि जब वे अपना उत्तर भाषण दें तो उनको स्पष्ट अवश्य कर दें। मंत्री जी के यहां से इस विभाग के साथ खिलवाड़ किया गया। मंत्री जी के स्टाफ के लोग दरगाहों पर पहुचें और दरगाहों की पेटियों के ताले तोड़े और वहां से खजाना भर कर चले आये। कलिया शरीफ जिसका उदाहरण है। वहां के एडमिनिस्ट्रेटर ने महीने का कमीशन नहीं दिया तो अगले महीने उसे बदल दिया गया। बहराइच इसका जीता-जागता उदाहरण है। माननीय मंत्री जी की सोच दो अधिकारियों तक सीमित होकर रह गई। एक तो कन्ट्रोलर हैं समीउल्लाह अन्सारी, उन्हीं को हज कमेटी का भी सचिव बना दिया गया। जब उन्होंने वक्फ की सम्पत्ति को स्थानान्तरण करने का काम शुरू किया तो जो चीफ एग्जीक्यूटिव आफीसर डा0 शौकत अली त्यागी ने उनको पत्र लिखा कि कुछ नियम हैं जो स्थानान्तरित करने की अनुमति नहीं देते हैं।

मान्यवर, 1983 में एक शासनादेश पारित किया गया था कि हर वक्फ की सम्पत्ति का स्थानान्तरण नहीं होगा लेकिन उसके बाद भी हेरा-फेरी होती रही। बाद में 1994 में फिर दोबारा सरकार ने वहीं जी0 ओ0जारी किया कि वक्फ सम्पत्ति के स्थानान्तरण पर पूरी तरह से रोक है। आपने पहला काम यह किया कि, सारे पावर उस ईमानदार चीफ एग्जीक्यूटिव आफिसर से विड्रा कर दिये और उनको एक तरफ बैठा दिया। एक सेकेन्ड ग्रेड के सहायक को जावेद हसन को पैसे के निकालने, रखने, हर स्वीकृति की पावर उसको दे दी। आप इन दो अधिकारियों के सहारे रह गये। आप यदि इन दोनों अधिकारियों के कारनामों के ऊपर गौर कर लें तो शायद इस विभाग की हालत सुधर सके और यदि सरकार की नीयत ठीक रहें तो जो अनियमितता हो रही हैं उस पर अंकुश लग सकता हैं। वक्फ की करोड़ों रूपये की सम्पत्ति देहरादून में है 426 नम्बर है मसूरी में भी है। तीन आदमियों की फर्जी कमेटी बनाई गई और

उसको रजिस्टर्ड कराकर 6 फरवरी 99 को उसको रजिस्टर्ड कराकर उस समिति से उस सम्पत्ति पर कब्जा करा दिया गया। कौन सदस्य हैं इसके? प्रबन्धक उस समिति के हैं शहनवाज खां, जो इस सरकार के बहुत पढ़े लिखे काबिल वक्फ बोर्ड के मंत्री राजा साहब के दामाद हैं। उस समिति के दो और सदस्य बनाये गये। नाजमा खां और शाहीद खां जो कि मंत्री जी के भांजे हैं। मान्यवर, इस तरह से तीन लोगों की समिति बनाकर सम्पत्ति पर कब्जा कर लिया गया। मान्यवर, गौतम बुद्ध नगर नोएडा में 3169 नम्बर है।

श्री जगदम्बिका पाल-

मान्यवर, गम्भीर आरोप है। मंत्री जी प्रतिवाद करें अन्यथा इस्तीफा दे दें।

(मंत्री जी के बोलने के लिये खड़े होने पर)

श्री अधिष्ठाता-

मंत्री जी, आपको मौका मिलेगा तब अपना स्पष्टीकरण दीजियेगा। माननीय सदस्य को अपनी बात कहने दें। माननीय सदस्य जरा संक्षेप में अपना कटौती का प्रस्ताव रखें।

श्री सौलत अली (एडवोकेट)-

माननीय अधिष्ठाता महोदय, एक उदाहरण देना चाहता हूं गौतम बुद्ध नगर नोएडा में स्थित हैं।

दिल्ली के करीब है सेक्टर 15 में नरूला होटल के बराबर में, एक दरख्वास्त लगाई गई अमीर पासा से, 24 फरवरी 1999 को कि उस प्लाट को कब्रिस्तान कर दिया जाए, इसमें कोई रिपोर्ट नहीं थी वक्फ ने सर्किल इन्सपेक्टर ने रिपोर्ट दी की।

श्री अधिष्ठाता-

जल्दी समाप्त करें।

श्री सौलत अली (एडवोकेट)-

इसमें जांच करा ली जाए न तो इसमें प्रमाणित डाक्यूमेंट किये गये और यह कहा गया, चौहद्दी फर्जी दिखाई गई थी, आपने कुछ समझने की जरूरत नहीं समझी और न ही जांच कराने की आवश्यकता समझी गई और दूसरे दिन 25 तारीख को आदेश कर दिए, उसकों कब्जा उस कमेटी को दिला दिया गया, जो कमेटी है उसके जो प्रबन्ध अध्यक्ष हैं वह शाहनवाज खान हैं जो दिल्ली में रहते हैं इस कमेटी के दो सदस्य हैं अमीर पासा की दरख्वास्त है वह मेरठ में रहते हैं एक तो वह सदस्य हैं, सूफिया खान, दूसरे सदस्य, आपके भान्जे हैं। (कुछ माननीय सदस्यों के बोलने पर व्यवधान हो रहा था) अब आप बुलन्दशहर की सम्पत्ति पर आ जाएं मस्जिद की सम्पत्ति है कन्ट्रोलर के आदेश से यह ट्रांसफर की गई हैं। 1983-84 का जो शासनादेश है वह इस बात की पाबन्दी लगाता है कि वक्फ की कोई सम्पत्ति ट्रांस्फर नहीं की जाएगी। इसी तरह का अन्य जी0ओ0 1994 का भी है।

श्री अधिष्ठाता-

समाप्त करें।

श्री सौलत अली (एडवोकेट)-

फिर भी उस सम्पत्ति को ट्रांस्फर कर दिया गया। आजमगढ़ वक्फ-62 है इसको 25-10-99 को ट्रांस्फर कर दिया गया। मंत्री जी आपने विभाग के वक्फ चुनाव करा दिए और शिया बोर्ड का गठन कर दिया। सुन्नी बोर्ड के चुनाव कराये लेकिन बोर्ड का गठन नहीं कराया चुनाव हुए दो महीने हो गए हैं लेकिन नोटिफिकेशन नहीं किया।

हम कमेटी आपकी है उसमें केन्द्रीय हज समिति की नियमावली बनी है। यह इसलिए बनी है कि जो हाजी साहिबान जाते हैं उनको सहूलियत दे उनकों मार्गदर्शन कराये, उनकों सेवायें उपलब्ध कराये सीधे-साधे लोगों को इसकी जरूरत है। उत्तर प्रदेश की सरकार ने एक रवैया अपनाया उत्तर प्रदेश हज कमेटी ने चन्दा वसूली का रवैया अपनाया। हज यात्रियों से 5500 रुपया विदेशी मुद्रा में जमा करवाया, उनको फार्म भेजा। सेन्ट्रल हज कमेटी ने स्पष्ट निर्देश दिया है कि कितनी राशि किस मद में जाएगी, इन्होंने सेन्ट्रल हज कमेटी का जो फार्म था उसको दबा दिया और उत्तर प्रदेश की कमेटी ने नये फार्म छपवाये जिसमें 5500 की जगह 5600 रुपया छपवाया इस तरह से 100 रुपया प्रति हज यात्री जमा करवाया। किराए के रुप में सेन्ट्रल हज कमेटी ने 12 हजार रुपया जमा करवायें।

इन्होंने 12 हजार 600 रुपया जमा करवाया इस प्रकार कुल 700 रुपया इन्होंने फालतू लिया है। जब धरने ओर प्रदर्शन हुए तो आपने यह बयानबाजी की कि हज हाउस बनाने के लिए लिया है। जबकि पूरे फार्म में एक शब्द भी यह इंडीकेट नहीं करता कि 100 रुपया हज हाउस के लिए चन्दे के रूप में लिया है। इस तरह से हज हाउस के नाम पर घोटाला किया गया।

मान्यवर, अब आप आगे देखें, आपने जद्दा की कम्पनी ओमास कम्पनी के मालिक को बुलाया और 650 रियाल प्रति हज यात्री से जमा कराये जाने का निर्णय लिया, यह कहा गया कि हज यात्रियों को खाने की सुविधा हज कमेटी करायेगी।

मान्यवर, अखबारों में फोटो भी छपी थी आपकी और बयान भी आया और बाद में एतराज हुआ कि यह नियम के विरुद्ध किया गया है आपको कोई अधिकार नहीं हैं। तो विदेश मंत्रालय ने आपत्ति जतायी तो उसको रद्द कर दिया गया और जो पैसा जमा किया वह हज यात्रियों को वापस नहीं किया गया है। मान्यवर, इस विभाग के इतने कारनामे इनकी सरकार के हैं। 1995 में दिल्ली में हज हाऊस बनाने के लिए हज यात्रियों को सुविधा देने के लिये तत्कालीन माननीय मुख्य मंत्री श्री मुलायम सिंह यादव जी ने पांच एकड़ भूमि दी वह भूमि दी वह भूमि आपके पास है वह ओखला में है। 96 में पांच करोड़ रुपये दिये, 2 करोड़ 6 लाख पी0एल0ए0 में जमा है। आपने साजिश रचकर ( ) के कि किसी तरह से यह रुपया हज हाऊस के नाम से निकाला जाय आपने हज हाऊस दिल्ली में न बनाकर लखनऊ में बना रहे हैं। इसका कोई औचित्य नहीं है।

श्री अधिष्ठाता-

अब आप कृपया समाप्त करें आपकी बात आ गयी है।

श्री सौलत अली (एडवोकेट)-

मान्यवर, यदि आप नहीं कहेंगे तो मैं नहीं बोलूंगा। मान्यवर, मैं माननीय मंत्री जी से अपेक्षा करता हूं कि आपने परिवार कल्याण विभाग बना दिया होता तो ठीक होता। इससे अलग हटकर के आप आर्थिक सामाजिक दृष्टि से चिन्तन करायें। इस विभाग के उद्देश्यों को गंभीरता से दिखायें। इन्हीं शब्दों के साथ मैं कटौती के प्रस्ताव पर बल देता हूं।

श्री केशो मेहरा-

मान्यवर, आपने मुझे बजट के समर्थन में बालने का अवसर दिया इसके लिए मैं हृदय से आपका आभार व्यक्त करता हूं। माननीय सौलत अली जी विद्वान सदस्य हैं और आज उन्होंने काफी कमियां बतायी हैं प्रश्न यह है कि हमारी सरकार कुछ समय पहले बनी। मैं आपके संज्ञान में लाना चाहता हूं कि वर्ष 1912 को आगरा में गऊशाला की भूमि खरीदी गयी थी और सुन्नी सेन्ट्रल वक्फ बोर्ड ने 25 मई, 1988 को बिना वास्तविक भू-अभिलेख को देखते हुए इस गौशला की भूमि को वक्फ बोर्ड ने इन्दराज संख्या-356 कर दिया जिसको कि हमारी सरकार ने पुनर्विचार का काम किया है।

मान्यवर, इस सरकार के समय में पहले जो निर्णय दिया गया था वह वापस लेकर उस पर पुनर्विचार किया जा रहा है। इसी तरह से आगरा कालेज की भूमि का जो मामला था जिसमें फर्जी कागजात दिखा कर कार्यवाही हुई थी उसे कब्रिस्तान टेलिपन बताकर बक्फ सम्पत्ति घोषित किया वह भी इस सरकार के समय में आदेश रद्द होकर पुनः सुनवाई का काम हुआ है मैं इसके लिए पुनः सरकार को बधाई देना चाहता हूं। आप अपने समय की बुराइयों के लिए अपनी गिरेबान में तो झांककर देखें हम तो बुराईयों को ठीक करने का काम कर रहें हैं। इसी के साथ बजट का समर्थन करता हूं।

श्री अफजाल अहमद-

मान्यवर, यह जो वक्फ का बजट रखा गया है और उस पर जो माननीय सौलत अली ने कटौती का प्रस्ताव रखा है मैं उस पर बल देने के लिए खड़ा हुआ हूं। मान्यवर, प्रदेश के अंदर जब से भाजपा की सरकार आयी है सुन्नी सेन्ट्रल वक्फ बोर्ड की जो सम्पत्तियां हैं, उनको नष्ट किया गया है उनमें मनमानियां की गयी हैं। मान्यवर, जो हमारी दरगाहें हैं उनमें हिन्दू समाज के लोग भी जाते हैं उस दरगाहों के लूटने के लिए कार्य हुआ है। हमारी पीरान-ए-पीर/कलियर की दरगाह है उसको लूटने का काम किया गया है जब अखबारों में हम लोग पढ़ते हैं तो खून के आंसू निकलते हैं। जो कब्रिस्तान है मसजिद हैं उनसे हम सब का धार्मिक लगाव हैं।

आप तो सुन्नी सम्प्रदाय के हैं मंत्री जी आपको तो इस्तीफा दे देना चाहिए। भाजपा की सरकार चमत्कार की बात करती है, इनके मंत्री ने तो पूरी सम्पत्ति को लूट लिया है अपने परिवार के साथ और अपने अधिकारियों के साथ मिलकर के पूरे साल छात्रवृत्तियां नहीं बट रही हैं छात्र वंचित हैं जांच नहीं हो रही हैं और जांच के नाम पर पैसा खाया जा रहा है। 117 मदरसों की तरफ आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं 67 मदरसों को अनुदान सूची पर लेने की बात की गयी एक महीने की टोकन राशि दी गयी लेकिन अनुदाय सूची में इस बार नहीं लिया गया है कहा जाता है कि फाइनेंस डिर्पाटमेंट में कमाई नहीं पहुची है जब पहुंची तो फाइल क्लियर होगी। मंत्री जी के बार्क्स एक-एक दरवाजे पर हैं रेट तय किये हुए हैं। हम उनसे इस्तीफे की मांग करते हैं। धन्यवाद

डा0 सरजीत सिंह डंग-

मान्यवर, वक्फों की सम्पत्ति वर्षों से खुर्दबुर्द हो रही थी यह जो लोग पहले उसमें बैठे हुए थे उन लोगों ने वक्फ की सम्पत्ति को बपौती और विरासत की सम्पत्ति मान लिया था। इन लोगों के सीने पर सांप सूंघ गया जब इंतजामिया कमेटी में मुतवली हम लोगों ने बिठाने का काम किया। मान्यवर एक भी प्रशंसा के शब्द आप लोगों ने बजट की चर्चा में नहीं कहे जो इनकी कमियां थीं इनकी सरकारें थीं चाहें कांग्रेस की सरकार रही हो, सपा की रही हो या बसपा की रही हो यह अल्पसंख्यकों को दुगना वजीफा दिलाने का काम नहीं कर पाये वह काम पहली बार भाजपा की सरकार ने किया है।

मान्यवर, इनका पेट दर्द कहां से शुरू होता है, यह कुछ वोटों की ठेकेदारी वाली पार्टियां है, जिस दिन 20 सालों से चला आ रहा शिया-सुन्नी का मदहेसहाबा जुलूस का झगड़ा भारतीय जनता पार्टी ने हल कर दिया, इनको मालूम चल गया कि इनके अल्पसंख्यक वोट खिसक रहें हैं, इसलिये इनके पेट में दर्द हो रहा है। बड़ा अच्छा होता यदि इनके श्रीमुख से यह बात सुनी जाती कि हम अल्पसंख्यक हैं और अल्पसंख्यकों में भी अल्पसंख्यक हैं। मैं तो ऐसा मानता हूं कि अगर अनुसूचित जाति, जनजाति को आरक्षण किया गया तो उनके लिये किया गया जो सीढ़ी के सबसे नीचे पायदान पर खड़े थे। पिछड़े वर्ग में जो सबसे गरीब और पिछड़े थे, उनके लिये होना चाहिये था, ये तो अल्पसंख्यक में बहुसंख्यक हैं, यह अपने हित के लिये रो रहें हैं। आज इस प्रदेश में सबसे कम संख्या में पारसी हैं, उनके लिये क्या कर रहे हैं, उनसे थोड़े ज्यादा बौद्ध हैं, उनसे थोड़े ज्यादा इसाई हैं और उनसे थोड़े ज्यादा 2.48 प्रतिशत सिक्ख हैं, उनके लिये क्या कर रहें हो?

मान्यवर, यह वह सरकार है जिसने बिजनौर जिले में शिया धर्म स्वरूप जोगी राम का पुरा दरगाह पर लगने वाले मेले को देखते हुये, वहां सड़क बनवाई, बिजली दी, पेयजल का प्रबन्ध किया और जनरेटर का प्रबन्ध किया, इनकी सरकारें तो शिया और सुन्नी में बंटी हुई थीं जैसे शिया होना कोई अपराध था, कभी एक रोड़ा इनकी सरकार के जमाने में वहां नहीं रखा गया, इसलिये भाजपा की यह सरकार बधाई की पात्र है। यह आक्षेप लगाते हैं कि अपने रिश्तेदारों को रख दिया, मैं इनसे कहना

चाहता हूं कि शीशे के घरों में रहने वाले लोगों को दूसरों के घर पर पत्थर फेकने का नैतिक अधिकार नहीं हैं। माननीय कल्याण सिंह जी. सरकार बनायेंगे तो अपने साथियों को मंत्री बनायेगें। बहुजन समाज पार्टी, समाजवादी पार्टी और वह लोग जिनके ऊपर भरोसा नहीं है, उनको तो मंत्री नहीं बनायेंगे। जिसके ऊपर भरोसा होता है, जो भ्रष्टाचार नहीं करेगा जो ठीक से काम करेगा, जो दान. में दी हुई सम्पत्ति को समाज के लिये उपयोग करेगा, उसी को मंत्री बनाया जायेगा, इसीलिये इनके सीने पर क्यों सांप लोट रहा है।

मान्यवर, मैं पाल जी को बहुत विद्वान और हयादार मानता था लेकिन आज मैं अपनी गलती स्वीकार कर रहा हूं। पाल जी जो हैं, वह मैंने आज जान लिया। पिछलें वर्षों में अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थानों पर एक भी पैसा नहीं बढ़ाया गया था, बढ़ाने वाली सरकार भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, यही नहीं आज अरबी मदरसों का रोना इस सदन में लोग रो रहें थे, बजट उठाकर देख लें, आपके जमाने में तो एक भी पैसा नहीं बढ़ा, रकम हमारी सरकार ने बढ़ाई है। मान्यवर, आज से डेढ़ महीना पहले, बजट सत्र शुरू होने से पहले, मैं नाम बता रहा हूं आदर्श भारतीय बालिका निकेतन, मिर्जापुर में अपने हाथ से 386 अल्पसंख्यक बच्चों को वजीफा देकर आया हूं और अंब चेक से पैसा दिया जाता है। पहले नकद दिया जाता था, अब चेक से दिया जा रहा है, उसमें खुर्दबुर्द होने की कहां गुंजाइश है। कक्षा एक से कक्षा पांच तक नकद, क्योंकि वह बच्चे बैंक नहीं जा सकते और बड़े बच्चों को चेक से पैसा दिया जा रहा है। मान्यवर, इनको ऐसा लग रहा है कि आगे हमारी सरकार आने वाली नहीं है और व्यवस्था में परिवर्तन हो जायेगा। इनकी चिन्ता यह है कि हम किस मुंह से इस व्यवस्था को बदलेंगे, हमारे खाने के सारे दरवाजे तो अब बन्द हो रहें हैं। मैं चंद बाते माननीय मंत्री जी के संज्ञान में लाना चाहता हूं।

मान्यवर, हमारे निर्वाचन क्षेत्र में अजमेर वाले ख्वाजा के भांजे की दरगाह के सम्बन्ध में वर्षों से कोर्ट-कचहरी का झगड़ा चलता रहा लेकिन हमारी सरकार के समय में अब वह झगड़ा समाप्त हो चुका है। मैं निवेदन करूंगा कि इसमें प्रबन्ध कमेटी को घोषित किया जाय चूंकि वह मुसलमानों के लिए ही नहीं बल्कि हिन्दू और सिक्खों के लिए भी पवित्र स्थान है। मान्यवर, इस प्रकार यह सरकार राष्ट्रीय विचारधारा वाली सरकार है इसलिए उन लोगों को लग रहा है कि सभी को सम्मान मिलने लगेगा तो उनकी ठेकेदारी समाप्त हो जायेगी, इसलिए उन्हें तकलीफ हो रही है। मान्यवर, वक्फ की सम्पत्तियों को उनके शासनकाल में हड़पा गया था इसलिए पहली बार वक्फ बोर्ड का गठन इस सरकार ने किया है जिसकी उन लोगों को प्रशंसा करनी चाहिए लेकिन वह प्रशंसा नहीं करेंगे।

मान्यवर, अब मैं सदन को बताना चाहता हूं कि इसाईयों, पारसी और सिक्खों को कितनी वित्तीय सहायता मिली है, मैं चाहूंगा कि आप अल्पसंख्यकों की भी चिन्ता करें। इन शब्दों के साथ में बजट का समर्थन करता हूं। धन्यवाद।

डा0 अशोक बाजपेयी-

माननीय अधिष्ठाता महोदय, डा0 सरजीत सिंह डंग साहेब अभी जिस ढंग से हमदर्दी के आंसू बहा रहे थे और जिनको वह स्वयं जानते हैं कि उनकी बातें सत्य से परे हैं लेकिन वह बड़ी मजबूती से अपनी बातों को सदन में रख रहे थे। वह वकील होते तो विश्वास हो जाता कि वकील का पेशा है गलत बात को भी उतने ही मजबूती से कहता है लेकिन श्री डंग साहब एक चिकित्सक हैं और जब उन्होंने अपनी बातें यहां रखी तो मुझे बड़ी चिन्ता हुई।

डा0 सरजीत सिंह डंग-

मान्यवर, मैं श्री अशोक बाजपेयी जी को बताना चाहता हूं कि मैं विधि स्नातक हूं जिसे जानकर इनको आश्चर्य नहीं होना चाहिए।

श्री अशोक बाजपेयी-

मैं कहना चाहता हूं कि इधर के बैठे हुए लोगों का दर्द दिल का दर्द है।

(व्यवधान)

माननीय डंग साहेब ने कहा कि पूर्ववर्ती सरकारों ने वक्फ बोर्ड के लिये कुछ नहीं किया, अगर उन्होंने कुछ तथ्यों को देख लिया होता, तो उन्हें मालूम हो गया होता कि पूर्ववर्ती सरकारों ने वक्फ की संपत्तियों की सुरक्षा की है, उन पर जो अवैध कब्जे थे उनको हटाने का काम किया है, और उन सम्पत्तियों को वक्फ से जोड़ने का काम किया है, उसके लिये आपके दिल में दर्द नहीं है, चाहे वह चली जाये, आपके सामने एक मजबूरी है, अभी डाक्टर डंग ने ईमानदारी का ढिंढोरा पीटा है, अभी हज हाउस की बात आयी, मैं कहना चाहता हूं कि माइनारिटी फाइनेंस कमीशन में मंत्री जी के सगे रिश्तेदारों को रखा गया है और आप ईमानदारी का ढिंढोरा पीट रहे हैं। जो हज यात्री जाते हैं, उनका इन्तजाम करने के लिए वह व्यक्ति रखे जाते हैं जो हज कर चुके होते हैं, जिससे उनको अनुभव हो, लेकिन आपने ऐसे आदमियों को रख दिया है, जिन्होंने एक बार भी हज नहीं किया है, वह आपके रिश्तेदार थे, इसलिए वहां पर भेज दिये गये और मैं यह भी कहना चाहता हूं कि हज यात्रियों के खाने के लिये एक सेठ से मसविदा किया गया, और जब हज यात्रियों ने खाना नहीं खाया तो उनको जुर्माना देना पड़ा और उसमें एक शर्त रखी गयी थी कि मुकदमा वहीं पर चलाया जायेगा।

श्री अधिष्ठाता-

अब आप समाप्त करें।

डा0 अशोक बाजपेयी-

मैं कहना चाहता हूं कि हाजियों की सुविधा के लिये ओखला में जमीन आवंटित की गयी, जिससे वहां पर हज हाउस बनाया जा सके, लेकिन माननीय मंत्री जी

उस हज हाउस को लखनऊ में लाना चाहते हैं, मैं जानना चाहता हूं कि लखनऊ में उससे क्या लाभ होगा, जो भी व्यक्ति हज करने के लिये जाता है, उसको कई रोज अपनी कार्यवाही पूरी करने के लिये दिल्ली में रहना पड़ता है। मैं कहना चाहता हूं कि शिया वक्फ बोर्ड का गठन किया गया है, उसमें भी माननीय मंत्री जी ने अपने आदमियों को बैठा दिया है, जिनकी छवि साफ सुथरी नहीं है और ईमानदारी का ढ़िढोरा पीटते हैं।

श्री कौकब हमीद-

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से एक चिन्ता व्यक्त करता हूं। वैसे मैं कटौती के प्रस्ताव पर बल देने के लिए खड़ा हुआ हूं। मान्यवर, चिन्ता की बात है कि वक्फ जिसका बजट पास करने का जो तरीका है वह मजाक बन गया है। यह मुस्लिम वक्फ का बजट बहस का मुद्दा था नहीं। मान्यवर यह इत्तफाक की बात है कि वक्फ से हम लोगों के जज्बात जुड़े हैं। मस्जिदे इसी वक्फ के अन्तर्गत आती हैं, वक्फ अल्लाह और वक्फ अलल औलाद व कब्रिस्तान इसी वक्फ के अन्तर्गत आता है, हज इसी वक्फ के अन्तर्गत आता है। यह कब्रिस्तान जहां हम को मर कर दफन होना है। यह मदरसे भी इसी वक्फ के अन्तर्गत आते हैं जहां से हमारे इमाम निकलते हैं। यह वक्फ को मखौल बना दिया गया जैसे वक्फ न हो कोई दिल्लगी का सामान हो। मान्यवर मैं किसी की आलोचना नहीं कर रहा हूं। हमारे कुछ कब्रिस्तान हैं जिनका जिक्र यहां हुआ। कुछ कब्रिस्तान लखनऊ शहर में ऐसे हैं जिनका दायरा सिकुड़ता जा रहा है। जिन पर कब्जा किया जा रहा है नियम 56 के अनुसार।

मान्यवर मैं मंत्री जी से पूंछना चाहता हूं कि इन कब्रिस्तानों का दायरा छोटा कैसे हो गया इसका जिम्मेदार कौन है, जाहिर सी बात है कि आप इस विभाग के मंत्री है तो यह आपकी जिम्मेदारी है कि आप इस कब्रिस्तानों को बचायें। क्योंकि हमें मरकर इन्हीं कब्रिस्तानों में दफन होना है। आज बजट पास हो रहा है। 15 साल पहले जो कुछ हुआ इससे हमें मतलब नहीं है आज की बात आज ही हो जानी चाहिए हज भी इसी विभाग के अन्तर्गत आता है। हमारे हिन्दू भाई हैं बद्रीनाथ जाते हैं, गंगोत्री जाते हैं उसी प्रकार हम हज पर जाते हैं। हमारे जज्बात इस हज से जुड़ते हैं। हम सभी अपना-अपना फर्ज अपनी-अपनी तरह से अदा करते हैं। इसमें कोई तमाशे की बात नहीं है। यह मसला सिर्फ इसी सदन तक नहीं है यह मसला अल्लाह तक जायेगा। इसीलिए हम इस सदन में खड़े हुए हैं इस पर बोलने के लिए।

मान्यवर, मुझे इस लिए चिन्ता हुई, इसको मजाक बनाकर रखा गया। मान्यवर, मैं अपनी बात समाप्त कर रहा हूं। मैं माननीय मंत्री जी को याद दिलाने के लिए और जो मलायात पूछे हैं मान्यवर, कर्नाटक में सिर्फ 737 वक्फ हैं और इन वक्फों के पैसे से कर्नाटक में यही वक्फ बोर्ड मेडिकल कालेज और इंजीनियरिंग कालेज चला रहा है। मान्यवर, आपके यहां 1 लाख 25 हजार वक्फ हैं, रजिस्टर्ड उत्तर

प्रदेश के अन्दर, मेडिकल और इंजीनियरिंग कालेज तो ख्वाब की बातें हैं, हम लोग तो मदर्से भी नहीं चला पा रहे हैं। सवाल यह नहीं है कि गवनमिन्ट चलाये अगर ये चीजें हैं तो यह महफूज रहनी चाहिए, इसकी हिफाजत करना इस डिपार्टमेंट का काम है। मैं याद दिलाना चाहता हूं कि मंसूरी में हेमकुंडा होटल आपका वक्फ है। मान्यवर, इसका मजाक न बने। इसके साथ ही मैं अपने कटौती के प्रस्ताव पर बल देता हूं।

श्री कैलाश नाथ सिंह राजपूत-

मान्यवर मैं एक बात सदन के संज्ञान में लाना चाहता हूं। मान्यवर, मैं मरदा से विधायक हूं। मान्यवर, जिस प्रार्टी के लोग कटौती पर बोले हैं, माननीय सदस्यों ने यह कहा कि भातीय जनता पार्टी सरकार के लोग वक्फ की जमीन पर कब्जा कर रहे हैं, मान्यवर, इसकी जांच करा ली जाए तो जिन लोगों ने कटौती के प्रस्ताव रखे हैं उन्हें एहसास हो जायेगा कि उनकी पार्टी के लोगों ने इटावा में मा0 पूर्व मुख्य मंत्री जी के परिवार एवं समर्थकों ने वक्फ की जमीन पर कब्जा करके मकानों के निर्माण कराये हैं। आप जांच कराकर देख लीजिए।

डा0 अशोक बाजपेई-

मान्यवर, माननीय सदस्य ने जो आक्षेप लगाया है, मैं चुनौती देता हूं, एक सदन की समिति बनाकर उसकी जांच करा ली जाए सत्य से परे कहने का कोई मतलब नहीं है।

श्री बाल चन्द्र मिश्र-

मैं प्रशंसा करुंगा, कौकब साहब का, उनके सामने तो मजबूरी थी, कटौती के प्रस्ताव पर बोलने की। मैं उनकी मजबूरी समझता हूं। मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि श्री कौकब साहब ने प्रकारान्तर से इस सरकार से पहले की सरकारों की कलई खोली है उनके द्वारा कब्रिस्तान की जमीनों पर कैसे कब्जा कराया गया है। इसके माध्यम से कौकब साहब ने मंत्री जी का ध्यान आकर्षित किया है कि मंत्री जी इसकी जांच कराये खाली करावें।

श्री सौलत अली (एडवोकेट)-

मान्यवर, इससे बड़ी मजबूरी इस सरकार की क्या हो सकती है कि नवरात्रि के दिनों में मुस्लिम वक्फ पर माननीय बाल चन्द्र मिश्र जी को बोलना पड़ रहा है कोई और बोलने वाला नहीं है।

श्री बाल चन्द्र मिश्र-

मान्यवर, मैं तो अल्पसंख्यकों के विषय में सरकार की नीति बता रहा था।

श्री सौलत अली (एडवोकेट)-

मान्यवर, मुझे यह देखकर बड़ा दुख हुआ कि मुस्लिम वक्फ जैसे गम्भीर विषय को गम्भीरता से नहीं लिया गया मुझे मंत्री जी से व्यक्तिगंत द्वेष नहीं है, मैं मंत्री जी को एक शरीफ इंसान मानता हूं। मुझे कष्ट इसलिए हुआ कि इनके मंत्री होते हुए चन्द अधिकारी वक्फ की सम्पत्ति को बरबाद कर रहे हैं। यह सरकार की जिम्मेदारी है अकेले मंत्री जी की जिम्मेदारी नहीं बनती है इसीलिये मान्यवर मैंने कुछ उदाहरण दिये थे जिनको सत्तापक्ष के माननीय विधायकों ने दूसरे रूप में लिया और दूसरी सरकारों से तुलना करने लगे जैसा कि बाजपेयी जी ने कहा मानीय मुलायम सिंह जी की सरकार में मुस्लिम वक्फ के लिए इतना किया जितना अभी तक सारी सरकारों ने नहीं किया है। यह एक अहम मुद्दा है और वक्फ की सम्पत्तियों को बचाने की जिम्मेदारी हमारी और आप सब की है। कल क्या हुआ था बहस का मुद्दा यह नहीं होना चाहिए आज क्या हो रहा है और इसमें क्या सुधार किया जा सकता है इस पर विचार होना चाहिए। आपके पास अल्पसंख्यक वित्त एवं विकास निगम है और उत्तर प्रदेश वक्फ विकास निगम है दोनों आपके विभाग हैं दोनों से आप पैसा लेकर वक्फ सम्पत्तियों को डेवलप करने में लगायें। और उसको किराये पर उठाईये। उसी से उस कर्ज और खर्च को भी पूरा कीजिए। इस तरह से वक्फ की आमदनी बढ़ेगी। आप इस पर विचर करें। आज आपके वक्फ के मदरसे और वक्फ के माध्यम से जिन संस्थाओं को चला रहें हैं उसमें टेक्निकल एजुकेशन जैसे-टाईप राइटिंग, बुक बाईन्डिंग जैसे अन्य ट्रेनिंग है, इनको आप कम्पलसरी करें और जो व्यक्ति वहां से निकले एक प्रेक्टिकल ट्रेनिंग लेकर निकले। अभी डंग साहब ने उपलब्धियां गिनाई की वहां छात्रवृत्ति बांटी गयी। अंधा जब रेवड़ी बांटता है तो वह अपनों को ही देता है।

डा0 सरजीत सिंह डंग-

मान्यवर, इसका मतलब है मैं अन्धा हूं।

श्री सौलत अली (एडवोकेट)-

मान्यवर, आप अन्धे नहीं हैं। अन्धे तो रेवड़ी बाटने वाले हैं, पाने वाले नहीं आप तो पाने वाले हैं। मान्यवर, मेरे क्षेत्र में कहीं कोई छात्रवृत्ति नहीं बांटी गयी। मैं यह अर्ज करना चाहता हूं कि आपने यह घोषणा की है कि हमने छात्र-वृत्ति को दुगना कर दिया, जरा हिसाब लगाईये आपकी सरकार में 25 प्रतिशत छात्रों को छात्रवृत्ति मिली है, ज्यादा से ज्यादा आप 25 प्रतिशत को और दे तो 50 प्रतिशत हो जायेगी। आपने उस पैसे को भी बचा लिया आपने घोषणा कर दी, वक्फ बोर्ड का गठन कर दिया। दो महीने हुये चुनाव हुये, नोटीफिकेशन नहीं बना पाये।

श्री अधिष्ठाता-

अब समाप्त करें।

श्री सौलत अली (एडवोकेट)-

अब मैं सुझाव देकर अपनी बात खत्म कर रहा हूं। मदरसों की हालत यह है कि 4 दिन धरना चला, 787 मदरसे आपकी रिकार्ड के अनुसार हैं उनमें 317 को ग्राण्ट मिल रही है जो कि पिछली सरकारों ने दिया है। आप उन मदरसों को ग्राण्ट दें। अन्तिम सुझाव व्यक्तिगत तौर पर माननीय मंत्री जी को देकर खत्म करूंगा। माननीय मंत्री जी आपके नाम में राजा लगा हुआ है। वक्फ में इस समय जो भिखमंगापन हो रहा है, वक्फ के अधिकारी और कर्मचारी लूट रहे हैं या तो इस पर पाबन्दी लगाईये या आप अपने नाम भें राजा लिखना छोड़ दीजिए अगर यह दोनों काम न हों सकें तो इस्तीफा देकर बैठ जाईये।

श्री राजा गजनफर अली खां-

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं आपके माध्यम से सदस्यगण को बताना चाहता हूं कि वक्फ का नियंत्रक होता है, बोर्ड नहीं बनता। चीफ एक्जीक्यूटिव आफीसर होते हैं उन्हीं के हाथ में कमेटी बनाना और हटाना है। मेरा कोई इससे वास्ता नहीं है, अगर है तो आप दिखा दीजिए। (व्यवधान) दूसरा कलियर शरीफ की बात आयी। मैंने डी0एम0, एस0डी0एम0 व कण्ट्रोलर के जरिये से कमेटी का गठन कराया है। उसमें डी0एम0 एस0पी0 व सी0ओ0 को बनाया हुआ है। रिजवानुल हक भी उसमें थे, उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया था। उनके स्थान पर नियंत्रक दूसरा बनाया गया है। रिजवानुल हक द्वारा अपने त्याग-पत्र को फर्जी बताया और मुकदमा दायर कर दिया। उसमें डी0एम0, एस0डी0एम0 कोई दखल नहीं कर सके। मैंने वहां ताला लगवा दिया और उसे अपनी कस्टडी में ले लिया। उसकी चाबी मैं खुद ले आया। मेरे पास रोजाना टेलीफोन तार आते रहें हैं।

(व्यवधान के मध्य)

एक तरफ तो यह कह रहें हैं कि वक्फ के माध्यम से स्कूल चलाए जाएं, डिग्री कालेज चलाएं जाएं, अस्पताल चलाएं जाएं दूसरी तरफ यह कह रहें हैं कि इनको सही न किया जाए। हज कमेटी में जो हज्जाज भेजे गए हैं उनमें कोई भी रिस्तेदार नहीं है। इनको ट्रेनिंग देकर हाजियों की खिदमत के लिए भेजा है। जो 100 रुपये चन्दे की बात है यह कमेटी में पास कराया है। उसकी फोटोग्राफी हो चुकी है उसको आप देख सकते हैं।

(व्यवधान जारी)

श्री अधिष्ठाता-

मंत्री जी आप अपनी बात समाप्त करें। क्योंकि एजेण्डा में अभी बहुत सारी मदें हैं।

श्री सौलत अली जी क्या आप अपना कटौती का प्रस्ताव वापस ले रहें हैं।

श्री जगदम्बिका पाल-

मान्यवर, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है।

डा0 अशोक बाजपेयी-

मान्यवर, मेरा भी व्यवस्था का प्रश्न है।

श्री जगदम्बिका पाल-

मान्यवर, आपने मुझे अनुमति दी। आप संसदीय कार्यमंत्री जी से कहें कि वह अपने दल के सदस्यों को चुप करायें। मैं वर्षों से इस सदन में साक्षी हूं। आज जिस तरह से मंत्री जी के बजट भाषण पर तालियां बजी कदाचित उतनी तालियां बजती मैंने कभी नहीं देखी। आज उनके हर वाक्य पर ताली बज रही थी।

अगर सर्वसम्मति से तालियां इतनी बज रहीं है तो फिर कदाचित् हमारे मंत्री जी जो हैं.....

(व्यवधान)

श्री अधिष्ठाता-

मैं बहुत ही विनम्रतापूर्वक अनुरोध करना चाहता हूं कि एजेन्डा में अभी काफी कार्य सूची हैं, इस प्रकार टोका-टाकी करने से अनावश्यक रूप से विलम्ब होगा।

डा0 अशोक बाजपेयी-

मान्यवर, व्यवस्था का प्रश्न है। माननीय मंत्री जी जब अपना उत्तर भाषण दे रहे थे तो उन्हें हमारे सामने बैठे माननीय सदस्यों ने जबरन बैठा दिया, जो अच्छी बात नहीं है।

श्री अधिष्ठाता-

यह कोई व्यवस्था का प्रश्न नहीं है। श्री सौलत अली जी आप अपना कटौती का प्रस्ताव वापस ले रहे हैं।

श्री सौलत अली-

मान्यवर, मेरे सुझावों पर माननीय मंत्री जी ने कोई आश्वासन नहीं दिया, भ्रष्टाचार को मिटाने के लिये कुछ नहीं कहा और मीना में मरे हज यात्रियों को मुआवजा देने के बारे में कुछ कहा नहीं, इसलिये मैं अपने कटौती के प्रस्ताव पर बल देता हूं।

श्री अधिष्ठाता-

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 48-मुस्लिम वक्फ विभाग के अन्तर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

श्री अधिष्ठाता-

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 2000 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 48-मुस्लिम वक्फ विभाग के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए 1,59,43,98,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

उत्तर प्रदेश जल सम्भरण तथा सीवर व्यवस्था (संशोधन) विधेयक, 1999

आवास नगर विकास मंत्री (श्री लालजी टण्डन)-

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश जल सम्भरण तथा सीवर व्यवस्था (संशोधन) विधेयक, 1999 पर विचार किया जाय।

श्री अधिष्ठाता-

माननीय मंत्री जी विचार प्रस्तुत करें।

श्री लालजी टण्डन-

ठीक है मान्यवर। यही काफी है।

श्री अधिष्ठाता-

माननीय श्री शाक्य जी आप अपना संशोधन का प्रस्ताव रखें।

श्री राम औतार शाक्य-

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से संशोधन रख रहा हूं उत्तर प्रदेश जल सम्भरण तथा सीवर व्यवस्था (संशोधन) विधेयक, 1999 को इस सदन की एक प्रवर समिति के सुपुर्द कर दिया जाय, जो अपना प्रतिवेदन एक माह के अन्दर सदन में प्रस्तुत करें (समिति के सदस्यों के नाम बाद में दिये जायेगें)।

श्री अधिष्ठाता-

कोई माननीय सदस्य विचार रखना चाहता है।

(किसी माननीय सदस्य द्वारा विचार न रखने पर)

श्री अधिष्ठाता-

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश जल सम्भरण तथा सीवर व्यवस्था (संशोधन) विधेयक, 1999 को इस सदन की एक प्रवर समिति के सुपुर्द कर दिया जाय, जो अपना प्रतिवेदन एक माह के अन्दर सदन में प्रस्तुत करें?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ)।

श्री अधिष्ठाता-

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश जल सम्भरण तथा सीवर व्यवस्था (संशोधन) विधेयक, 1999 पर विचार किया जाय?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

खण्ड–2 से खण्ड–3 तक, खण्ड–1, प्रस्तावना तथा शीर्षक

उत्तर प्रदेश जल सम्भरण तथा सीवर-व्यवस्था (संशोधन) विधेयक, 1999

उत्तर प्रदेश जल सम्भरण तथा सीवर-व्यवस्था अधिनियम, 1975 का अग्रतर संशोधन करने के लिये

विधेयक

भारत गणराज्य के पचासवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :–

संक्षिप्त नाम

1—यह अधिनियम उत्तर प्रदेश जल सम्भरण तथा सीवर-व्यवस्था (संशोधन) अधिनियम, 1999 कहा जायेगा।

उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 43 सन् 1975 की धारा 52 का संशोधन

2—उत्तर प्रदेश जल सम्भरण तथा सीवर-व्यवस्था अधिनियम, 1975 की, जिसे आगे मूल अधिनियम कहा गया है, धारा 52 में,—

(क) उपधारा (2) में, शब्द "ऐसी दर पर उद्गृहीत किये जायेंगे," के स्थान पर शब्द "नगर से भिन्न किसी स्थानीय क्षेत्र में ऐसी दर पर उद्गृहीत किये जायेंगे," रख दिया जायेगा।

(ख) उपधारा (2) के पश्चात् निम्नलिखित उपधारा बढ़ा दी जायेगी, अर्थात् :–

"(3) उपधारा (1) में उल्लिखित कर, किसी नगर में ऐसी दर पर उद्गृहीत किये जायेंगे जो भू-गृहादि के, उत्तर प्रदेश नगर निगम अधिनियम, 1959 के अधीन अवधारित वार्षिक मूल्य के, जलकर की दशा में साढ़े सात प्रतिशत से कम और साढ़े बारह प्रतिशत से अधिक नहीं होगी और सीवर-व्यवस्था संबंधी कर की दशा में ढाई प्रतिशत से कम तथा पांच प्रतिशत से अधिक नहीं होगी, जैसा राज्य सरकार निगम की सिफारिशों पर विचार करने के पश्चात् समय-समय पर गजट में अधिसूचना द्वारा घोषित करे।"

(ग) इस प्रकार बढ़ाई गई उपधारा (3) के पश्चातए निम्नलिखित स्पष्टीकरण बढ़ा दिया जायेगा, अर्थात् :–

"स्पष्टीकरण :—इस धारा के प्रयोजन के लिये,—

(एक) पद "नगर" का अर्थ वही होगा जो उत्तर प्रदेश नगर निगम अधिनियम, 1959 में उसके लिये समनुदेशित है; और

(दो) पद "सीवर-व्यवस्था सम्बन्धी कर" का अर्थ वही होगा जो उत्तर प्रदेश नगर निगम अधिनियम, 1959 में "जल-निस्सारण कर" के लिये समनुदेशित है।"

धारा 53 में संशोधन

3—मूल अधिनियम की धारा 53 में,—

"(क) उपधारा (1) में, शब्द और अंक "धारा 52" के स्थान पर शब्द और अंक "धारा 52 की उपधारा (2)" रख दिये जायेंगे;

(ख) उपधारा (2) में, शब्द और अंक "धारा 52 में उल्लिखित करों" के स्थान पर शब्द और अंक "धारा 52 की उपधारा (2) के अधीन करों" रख दिये जायेंगे।

श्री अधिष्ठाता–

प्रश्न यह है कि खण्ड–2 से खण्ड–3 तक, खण्ड–1 प्रस्तावना और शीर्षक इस विधेयक के अंग माने जायं ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

श्री लालजी टंडन–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश जल सम्भरण तथा सीवर व्यवस्था (संशोधन) विधेयक, 1999 पारित किया जाय।

श्री अधिष्ठाता–

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश जल सम्भरण तथा सीवर व्यवस्था (संशोधन) विधेयक, 1999 पारित किया जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

उत्तर प्रदेश नगर निगम (संशोधन) विधेयक, 1999

आवास, नगर विकास मंत्री (श्री लाल जी टंडन)–

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश नगर निगम (संशोधन) विधेयक, 1999 पर विचार किया जाय।

श्री अधिष्ठाता–

माननीय मंत्री जी आप कुछ विचार रखेंगे।

(मंत्री जी द्वारा विचार न रखने पर)

श्री राम औतार शाक्य –

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से संशोधन रख रहा हूं। उत्तर प्रदेश नगर निगम (संशोधन) विधेयक, 1999 को इस सदन की एक प्रवर समिति के सुपुर्द कर दिया जाय, जो अपना प्रतिवेदन एक माह के अन्दर सदन में प्रस्तुत करे।

मान्यवर, यह विधेयक बड़े आदमियों को फायदा पहुंचाने के लिये लाया गया है।

श्री लाल जी टण्डन–

इस पर माननीय सदस्य की जिज्ञासा शान्त करने के लिये स्पष्टीकरण देना चाहता हूं कि इस विधेयक के आने से जो गरीब वर्ग के लोग हैं उन्हें कर से मुक्त कर दिया गया है। 25 स्क्वायर मीटर और 50 स्क्वायर मीटर के भूखंड को कर से मुक्त कर दिया गया है। आप कह रहे हैं कि इससे बड़े लोगों को फायदा पहुंचाया जा रहा है। इसमें बड़े नहीं छोटे गरीब लोगों को फायदा पहुंचाया जा रहा है।

श्री अधिष्ठाता–

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश नगर निगम (संशोधन) विधेयक, 1999 को इस सदन की एक प्रवर समिति के सुपुर्द कर दिया जाए, जो अपना प्रतिवेदन एक माह के अन्दर सदन में प्रस्तुत करे ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ)

श्री अधिष्ठाता–

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश नगर निगम (संशोधन) विधेयक, 1999 पर विचार किया जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खण्ड–2 से खण्ड–11 तक, खण्ड–1 प्रस्तावना तथा शीर्षक

उत्तर प्रदेश नगर निगम (संशोधन) विधेयक, 1999

उत्तर प्रदेश नगर निगम अधिनियम, 1959 का अग्रतर संशोधन करने और उत्तर प्रदेश शहरी भवन (किराये पर देने, किराये तथा बेदखली का विनियमन) अधिनियम, 1972 में पारिणामिक संशोधन करने के लिए

विधेयक

भारत गणराज्य के पचासवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :–

अध्याय–एक

प्रारम्भिक

संक्षिप्त नाम

1—यह अधिनियम उत्तर प्रदेश नगर निगम (संशोधन) अधिनियम, 1999 कहा जायेगा।

अध्याय–दो

उत्तर प्रदेश नगर निगम अधिनियम, 1959 का संशोधन

उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 2 सन्, 1959 की धारा 173 का संशोधन

2—उत्तर प्रदेश नगर निगम अधिनियम, 1959 की, जिसे आगे इस अध्याय में मूल अधिनियम कहा गया है, धारा 173 में,—

(क) उपधारा (1) में, खण्ड (ख) के स्थान पर निम्नलिखित खण्ड रख दिया जायेगा, अर्थात् :—

"(ख) जलकर जो उन क्षेत्रों में लगाया जा सकेगा जहां निगम द्वारा जल की आपूर्ति की जाती हो;"

(ख) उपधारा (2) में, वर्तमान प्रतिबन्धात्मक खण्ड के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिबन्धात्मक खण्ड रख दिया जायेगा, अर्थात् :—

"किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि सम्पत्ति करों का योग, किसी भी दशा में भवन या भूमि या दोनों ही, जिस पर उक्त कर निर्धारित किये गये हों, के वार्षिक मूल्य के बाइस प्रतिशत से कम और बत्तीस प्रतिशत से अधिक न होगा, किन्तु इस प्रकार कि सामान्य कर, वार्षिक मूल्य के दस प्रतिशत से कम और पन्द्रह प्रतिशत से अधिक न होगा, जल-कर, वार्षिक मूल्य के साढ़े सात प्रतिशत से कम और साढ़े बारह प्रतिशत से अधिक न होगा, जल निस्सारण-कर, वार्षिक मूल्य के ढाई प्रतिशत से कम और पांच प्रतिशत से अधिक न होगा और स्वच्छता-कर, वार्षिक मूल्य के दो प्रतिशत से अधिक न होगा।"

धारा 174 का संशोधन

3—मूल अधिनियम की धारा 174 को उसकी उपधारा (1) के रूप में, पुनः संख्यांकित किया जायेगा, और—

(क) इस प्रकार पुनः संख्यांकित की गई उपधारा (1) में खण्ड (ख) के स्थान पर निम्नलिखित खण्ड रख दिया जायेगा, अर्थात् :–

"(ख) ऐसे भवन यां भूमि की दशा में, जो खण्ड (क) के उपबन्धों के अन्तर्गत न आती हो, भवन के कारपेट एरिया या भूमि के क्षेत्र पर; यथास्थिति, भवन के मामले में कारपेट एरिया का प्रति वर्ग फुट पर किराये की प्रयोज्य न्यूनतम मासिक दर से या भूमि के मामले में क्षेत्र का प्रतिवर्ग फुट पर किराये की प्रयोज्य न्यूनतम मासिक दर से गुणा करने पर प्राप्त मूल्य का बारह गुना, और इस प्रयोजन के लिए प्रति वर्ग फुट किराये की न्यूनतम मासिक दर ऐसी होगी जैसी मुख्य नगर अधिकारी द्वारा प्रत्येक दो वर्ष में एक बार भवन या भूमि की अवस्थिति, भवन के निर्माण की प्रकृति, भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 के प्रयोजन के लिये कलेक्टर द्वारा निर्धारित सर्किल रेट और ऐसे भवन या भूमि के लिये उस क्षेत्र में किराये की वर्तमान न्यूनतम दर और ऐसे अन्य कारणों के आधार पर, और ऐसी रीति से, जो विहित की जाय, निर्धारित की जा सकती है :

किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि यदि उपर्युक्त रीति से हिसाब लगाने पर निगम की राय में, किसी असाधारण परिस्थिति के कारण किसी भवन का वार्षिक मूल्य अत्यधिक होता हो तो निगम वार्षिक मूल्य के रूप में कोई ऐसी कम धनराशि भी निश्चित कर सकती है जो उसे न्याय संगत प्रतीत हो।

स्पष्टीकरण–एक :—वार्षिक मूल्य की गणना के प्रयोजन के लिए कारपेट एरिया की गणना निम्न प्रकार से की जायेगी :—

(एक) कमरे—आन्तरिक आयाम की पूर्ण माप;

(दो) आच्छादित बरामदा—आन्तरिक आयाम की पूर्ण माप;

(तीन) बालकनी, कारीडर—आन्तरिक आयाम की पचास प्रतिशत माप; रसोई और भण्डार गृह

(चार) गैराज—आन्तरिक आयाम की एक चौथाई माप;

(पांच) स्नानगृह, शौचालय, पोर्टिको और जीने से आच्छादित क्षेत्र कारपेट एरिया का भाग नहीं होगा।

स्पष्टीकरण–दो :—किसी भवन के मानक किराया, सम्मत किराया या रीजनेबुल एनुअल रेन्ट की, जो उत्तर प्रदेश शहरी भवन (किराये पर देने, किराये तथा बेदखली का विनियमन) अधिनियम, 1972 के प्रयोजन के लिए है, गणना उस भवन के वार्षिक मूल्य की गणना करते समय, नहीं की जायेगी।"

(ख) उपधारा (1) के पश्चात् निम्नलिखित उपधारा बढ़ा दी जायेगी, अर्थात् :–

(2) यदि निगम ऐसा संकल्प करे तो वार्षिक मूल्य, सम्पत्ति कर के निर्धारण के प्रयोजनार्थ, निम्न प्रकार होगा :–

(क) भूमि और स्वामी द्वारा अध्यासित आवासिक भवन के मामले में उपधारा (1) के खण्ड (ख) के अधीन अवधारित वार्षिक मूल्य से, यदि भवन दस वर्ष से अधिक पुराना नहीं है तो 25 प्रतिशत कम, और यदि वह दस वर्ष से अधिक किन्तु बीस वर्ष से कम पुराना है तो 32.5 प्रतिशत कम और यदि वह बीस वर्ष से अधिक पुराना है तो चालीस प्रतिशत कम, समझा जायेगा; और

(ख) किराये पर उठाये गये आवासिक भवन के मामले में उपधारा (1) के खण्ड (ख) के अधीन अवधारित वार्षिक मूल्य से, यदि भवन दस वर्ष से अधिक पुराना है तो 25 प्रतिशत और यदि वह दस वर्ष से अधिक किन्तु बीस वर्ष से कम पुराना है तो 12.5 प्रतिशत, अधिक समझा जायेगा और यदि वह बीस वर्ष से अधिक पुराना है तो उसका वार्षिक मूल्य उपधारा (1) के खण्ड (ख) के अधीन अवधारित वार्षिक मूल्य के बराबर समझा जायेगा।

धारा 177 का संशोधन

4—मूल अधिनियम की धारा 177 में,—

(क) खण्ड (ग) के स्थान पर निम्नलिखित खण्ड रख दिया जायेगा, अर्थात् :—

"(ग) भवन जो एक मात्र जेलों, न्यायालय गृहों, कोषागार, स्कूल और कालेजों के रूप में प्रयुक्त होते हों, किन्तु ऐसे वृत्तिक, व्यावसायिक, प्राविधिक और चिकित्सीय संस्थानों को छोड़कर जिन्हें सरकार द्वारा न तो चलाया जाता है और न प्रबन्ध किया जाता है।"

(ख) खण्ड (ङ) में, शब्द "और" जो अन्त में है, निकाल दिया जायेगा;

(ग) खण्ड (च) के पश्चात् निम्नलिखित खण्ड बढ़ा दिये जायेंगे; अर्थात् :—

"(छ) स्वामी द्वारा अध्यासित ऐसा कोई आवासिक भवन जो तीस वर्ग मीटर के भू-खण्ड पर निर्मित किया गया हो या जिसका कारपेट एरिया 15 वर्ग मीटर तक हो; प्रतिबन्ध यह है कि उसके स्वामित्व में नगर में कोई अन्य भवन न हो;

(ज) स्वामी द्वारा अध्यासित आवासिक भवन जो किसी ऐसे क्षेत्र में हो जिसे पिछले दस वर्ष के भीतर नगर में सम्मिलित किया गया हो।"

धारा 179 का संशोधन

5—मूल अधिनियम की धारा 179 में, उपधारा (2) में, खण्ड (ग) के पश्चात् निम्नलिखित खण्ड बढ़ा दिया जायेगा, अर्थात् :—

"(घ) यदि सम्पत्ति, उत्तर प्रदेश शहरी भवन (किराये पर देने, किराये तथा बेदखली का विनियमन) अधिनियम, 1972 के अधीन किसी आदेश के अनुसरण में किराये पर उठाई गई हो, तो किरायेदार से।"

नई धारा 207-क का बढ़ाया जाना

6—मूल अधिनियम की धारा 207 के पश्चात् निम्नलिखित धारा बढ़ा दी जायेगी, अर्थात् :—

"207-क—इस अधिनियम में किसी अन्य उपबन्ध के होते हुए भी, किसी आवासिक भवन का स्वामी, या अध्यासी जो ऐसे भवन के संबंध में कर का भुगतान करने के लिये मुख्यतः दायी हो, अपने द्वारा देय सम्पत्ति कर की धनराशि से संबंधित अपने दायित्व का निर्धारण प्रत्येक वर्ष स्वयं कर सकता है और ऐसा करने में वह धारा 174 के खण्ड (ख) के उपबन्धों के अनुसार भवन का वार्षिक मूल्य स्वयं अवधारित कर सकता है और अपने द्वारा इस प्रकार निर्धारित सम्पत्ति कर को ऐसी रीति से ऐसे प्रपत्र में, ऐसे स्व-निर्धारण विवरण के साथ, जैसा विहित किया जाय, जमा कर सकता है।"

स्व-निर्धारित सम्पत्ति कर जमा करने का विकल्प

धारा 211 का संशोधन

7—मूल अधिनियम की धारा 211 में, उपधारा (1) में, शब्द "पांच वर्ष" के स्थान पर शब्द "दो वर्ष" रख दिये जायेंगे।

धारा 221 का संशोधन

8—मूल अधिनियम की धारा 221 में, उपधारा (3) में, शब्द "आज्ञा द्वारा" के पश्चात् शब्द "ऐसी अवधि के लिए जैसा आज्ञा में विनिर्दिष्ट किया जाय, बढ़ा दिये जायेंगे।"

नई धारा 221-क और 221-ख का बढ़ाया जाना

9—मूल अधिनियम की धारा 221 के पश्चात् निम्नलिखित धारायें बढ़ा दी जायेंगी, अर्थात्:-

"221-क (1) जहां किसी भू-गृहादि के संबंध में कर के भुगतान के लिए मुख्यतः दायी स्वामी या अध्यासी ने निगम द्वारा इस निमित्त निर्धारित दिनांक तक इस अधिनियम के अधीन अपने द्वारा देय कर या उसके किसी अंश का भुगतान न किया हो वहां उसके द्वारा उस धनराशि पर जो असंदत्त रह गयी हो, 12 प्रतिशत वार्षिक की दर से साधारण ब्याज कर के भुगतान के लिए निर्धारित दिनांक से भुगतान के दिनांक तक देय होगा।

स्वामी या अध्यासी द्वारा देय ब्याज

(2) उपधारा (1) के उपबन्धों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना जहां किसी भू-गृहादि के स्वामी या अध्यासी ने अपने स्वयं के कर निर्धारण के आधार पर धारा 207-क के अधीन कर का भुगतान कर दिया है और इस प्रकार भुगतान किया गया कर उसके द्वारा देय कर की धनराशि से निगम द्वारा कम पाया जाता है तो उसके द्वारा कर को ऐसी धनराशि पर जितनी देय कर से कम भुगतान की गई हो बारह प्रतिशत वार्षिक की दर से साधारण ब्याज कर के भुगतान के लिए निगम द्वारा निर्धारित दिनांक से ऐसे अन्तर की धनराशि के भुगतान के दिनांक तक देय होगा।

221-ख (1) किसी भू-गृहादि के संबंध में कर के भुगतान के लिए मुख्यतः दायी प्रत्येक स्वामी या अध्यासी, यथास्थिति, भवन के कारपेट एरिया के संबंध में या भूमि के क्षेत्रफल के संबंध में एक विवरण ऐसे प्ररूप में और ऐसे समय पर जो इस निमित्त विहित किया जाय, निगम को प्रस्तुत करेगा।

कारपेट एरिया और क्षेत्रफल का विवरण

(2) यदि इस निमित्त, ऐसी रीति से, जो विहित की जाय, की गई जांच से निगम का यह समाधान हो जाय कि उपधारा (1) के अधीन प्रस्तुत किया गया विवरण, तथ्यात्मक रूप से असत्य है क्योंकि यथास्थिति भवन के कारपेट एरिया के किसी भाग या भूमि के क्षेत्रफल के किसी भाग को छिपाया गया है, तो निगम व्यतिक्रमी पर, ऐसी रीति से, जो इस निमित्त विहित की जाय, एक हजार रुपये से अनाधिक की शास्ति आरोपित कर सकता है।"

धारा 503 का संशोधन

10—मूल अधिनियम की धारा 503 में, खण्ड (6) में, शब्द "कुर्क करने" के पश्चात् शब्द, "यदि ऐसे किराये के हकदार किसी व्यक्ति द्वारा ऐसा कर देय हो," रख दिये जायेंगे।

अध्याय–तीन

उत्तर प्रदेश शहरी भवन (किराये पर देने, किराये तथा बेदखली का विनियमन) अधिनियम, 1972 का संशोधन

उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 13 सन् 1972 की धारा 7 का संशोधन

11—उत्तर प्रदेश शहरी भवन (किराये पर देने, किराये तथा बेदखली का विनियमन) अधिनियम, 1972 की धारा 7 में शब्द और अंश "उत्तर प्रदेश नगरमहापालिका अधिनियम, 1959 की धारा 179 या यूनाइटेड प्राविन्सेज म्युनिसिपैलिटीज ऐक्ट, 1916 की धारा 149, या उसकी धारा 338 के अधीन बनाये गये किसी नियम अथवा निर्गत किसी अधिसूचना या यूनाइटेड प्राविन्सेज टाउन एरियाज ऐक्ट, 1914 की धारा 14 (1) (ई) में" के स्थान पर शब्द और अंक "उत्तर प्रदेश नगर पालिका अधिनियम, 1916 की धारा 149 में" रख दिये जायेंगे।

श्री अधिष्ठाता–

प्रश्न यह है कि खण्ड–2 से खण्ड–11 तक, खण्ड-1, प्रस्तावना और शीर्षक इस विधेयक के अंग माने जायं?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

आवास एवं नगर विकास मंत्री (श्री लाल जी टण्डन)–

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से यह प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश नगर निगम (संशोधन) विधेयक, 1999 पारित किया जाए?

श्री अधिष्ठाता–

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश नगर निगम (संशोधन) विधेयक, 1999 पारित किया जाए।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग विधेयक, 1999

संसदीय कार्य पंजीयन, मनोरंजन कर, स्टाम्प एवं न्यायालय शुल्क तथा खाद्य एवं रसद मंत्री (श्री हुकुम सिंह)–

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग, विधेयक, 1999 पर विचार किया जाए?

मान्यवर, यह छोटा सा विधेयक है इसमें केवल इस बात की व्यवस्था की गई है कि राज्य सरकार को सलाह देने के लिए एक महिला आयोग का गठन किया गया है जो राज्य सरकार को सलाह दे सके। 50 प्रतिशत की संख्या महिलाओं की है उनके प्रति चिन्तित होना चाहिए।

श्री राम औतार शाक्य–

मान्यवर, उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग विधेयक, 1999 को इस सदन की एक प्रवर समिति के सुपुर्द कर दिया जाय, जो अपना प्रतिवेदन एक माह के अन्दर सदन में प्रस्तुत करे। समिति के सदस्यों के नाम बाद में दिये जायेंगे।

मान्यवर यह महिला विधेयक देश में और प्रदेश में भ्रम पैदा करने के लिए लाए हैं। महिलाओं के साथ रेप होता है तो 376 की दफा, दफा 354 के मामले हैं। संविधान के अनुसार इसमें संशोधन नहीं हो सकता है। जब तक संविधान में संशोधन न हो तब तक चुनाव में रिजर्वेशन नहीं कर सकते हैं; सर्विस में आरक्षण नहीं कर सकते हैं। यह विधेयक ढपोरशंखी है।

श्री हुकुम सिंह–

राज्य स्तर पर महिला आयोग गठित है। महिलाओं की शिक्षा कैसे हो, रोजगार कैसे हों उसके लिए आयोग का गठन किया गया है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने 20 प्रतिशत नौकरियों में आरक्षण दिया है इसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते हैं।

श्री अधिष्ठाता–

शाक्य जी प्रस्ताव वापस लेंगे।

श्री राम औतार शाक्य–

नहीं।

श्री अधिष्ठाता–

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग विधेयक, 1999 को इस सदन की एक प्रवर समिति के सुपुर्द कर दिया जाए, जो अपना प्रतिवेदन एक माह के अन्दर प्रस्तुत करे?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ)

श्री अधिष्ठाता–

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग विधेयक, 1999 पर विचार किया जाय?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

खण्ड–2 से खण्ड–20 तक, खण्ड–1, प्रस्तावना तथा शीर्षक

उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग विधेयक, 1999

राज्य महिला आयोग की स्थापना करने और उससे संबंधित या आनुषंगिक विषयों की व्यवस्था करने के लिए

विधेयक

भारत गणराज्य के पचासवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है:–

अध्याय–एक

प्रारम्भिक

संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारम्भ

1—(1) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग अधिनियम, 1999 कहा जायगा।

(2) इसका विस्तार सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश में होगा।

(3) यह ऐसे दिनांक को प्रवृत्त होगा जिसे राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा इस निमित्त नियत करे।

परिभाषायें

2—इस अधिनियम में,—

(क) "आयोग" का तात्पर्य धारा 3 के अधीन गठित उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग से है;

(ख) "सदस्य" का तात्पर्य आयोग के सदस्य से है;

(ग) "नागरिकों के अन्य पिछड़े वर्गों" का तात्पर्य नागरिकों के ऐसे वर्गों से है जो उत्तर प्रदेश लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण) अधिनियम, 1994 की धारा 2 के खण्ड (ख) में परिभाषित है;

(घ) "महिला" में बालिका या किशोरी सम्मिलित है।

अध्याय–दो

राज्य महिला आयोग

आयोग का गठन

3—(1) राज्य सरकार, इस अधिनियम के अधीन उसे प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग और समनुदेशित कृत्यों का पालन करने के लिए, अधिसूचना द्वारा, एक निकाय का गठन करेगी जिसे उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग कहा जाएगा।

(2) आयोग में निम्नलिखित होंगे,–

(क) राज्य सरकार द्वारा नाम निर्दिष्ट एक अध्यक्ष जो महिलाओं के हित के लिए समर्पित कोई महिला होगी;

(ख) राज्य सरकार द्वारा ऐसी महिलाओं में से नाम निर्दिष्ट छः सदस्य जिन्होंने महिलाओं के उत्थान और कल्याण के लिए कार्य किया हो :

परन्तु निम्नलिखित में से क्रमशः प्रत्येक का कम से कम एक सदस्य होगा :—

(एक) अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों;

(दो) नागरिकों के अन्य पिछड़े वर्गों;

(तीन) अल्प संख्यकों;

(चार) अधिवक्ताओं;

(पांच) पुलिस अधिकारियों, जो पुलिस उप- अधीक्षक से निम्न श्रेणी के न हों;

(ग) राज्य सरकार द्वारा नाम निर्दिष्ट एक सदस्य-सचिव जो राज्य सरकार के विशेष सचिव से अनिम्न पंक्ति की महिला अधिकारी और राज्य की किसी सिविल सेवा या अखिल भारतीय सेवा की सदस्य हो या राज्य के अधीन कोई सिविल पद समुचित अनुभव के साथ धारण करती हो।

पदावधि और सेवा की शर्तें

4—(1) अध्यक्ष या प्रत्येक सदस्य पद ग्रहण करने के दिनांक से तीन वर्ष की अवधि के लिए पद धारण करेगा :

परन्तु सदस्य-सचिव या सदस्य जो पुलिस अधिकारी हो, राज्य सरकार के प्रसाद पर्यन्त पद धारण करेगा।

(2) अध्यक्ष या कोई सदस्य राज्य सरकार को सम्बोधित स्वहस्ताक्षरित लेख द्वारा, किसी समय, यथास्थिति, अध्यक्ष या सदस्य का पद त्याग सकेगा।

(3) राज्य सरकार किसी व्यक्ति को अध्यक्ष या सदस्य के पद से हटा देगी, यदि वह व्यक्ति—

(क) अनुन्मोचित दिवालिया हो जाता है;

(ख) ऐसे किसी अपराध के लिए सिद्ध दोष ठहराया और कारावास से दण्डित किया जाता है जिसमें राज्य सरकार की राय में नैतिक अधमता अन्तर्ग्रस्त है;

(ग) विकृत्त चित्त का हो जाता है और किसी सक्षम न्यायालय द्वारा ऐसा घोषित कर दिया जाता है;

(घ) कार्य करने से इन्कार करता है या कार्य करने में अक्षम हो जाता है;

(ङ) आयोग से अनुपस्थित रहने की इजाजत लिए बिना, आयोग की तीन लगातार बैठकों से अनुपस्थित रहता है; या

(च) राज्य सरकार की राय में, अध्यक्ष या सदस्य के पद का इस प्रकार दुरूपयोग किया है कि ऐसे व्यक्ति का पद पर बने रहना लोक हित के लिए हानिकर हो गया है, या ऐसे अध्यक्ष या सदस्य के रूप में बने रहना, अन्यथा अनुपयुक्त या असंगत है:

परन्तु किसी भी व्यक्ति को इस खण्ड के अधीन हटाया नहीं जायेगा जब तक कि उसे इस मामले में सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर न दे दिया गया हो।

(4) उपधारा (2) के अधीन या अन्यथा हुई किसी रिक्ति को नये नाम निर्देशन द्वारा भरा जाएगा।

(5) अध्यक्ष और सदस्यों के देय वेतन और भत्ते और उनकी सेवा के अन्य निबंधन और शर्तें ऐसी होंगी जैसी विहित की जाए।

आयोग के अधिकारी और अन्य कर्मचारी

5—(1) राज्य सरकार आयोग के लिए ऐसे अधिकारियों और कर्मचारियों की व्यवस्था करेगी जो इस अधिनियम के अधीन आयोग के कृत्यों का दक्षतापूर्वक पालन करने के लिए आवश्यक हों।

(2) आयोग के प्रयोजनार्थ नियुक्त सदस्य सचिव, अधिकारियों और अन्य कर्मचारियों को देय वेतन और भत्ते और उनकी सेवा के अन्य निबंधन और शर्तें ऐसी होंगी जैसी विहित की जाएं।

वेतन और भत्तों का अनुदान से दिया जाना

6—अध्यक्ष और सदस्यों को देय वेतन और भत्ते और प्रशासनिक व्यय, जिसमें धारा 5 में निर्दिष्ट सदस्य सचिव, अधिकारियों और अन्य कर्मचारियों को देय वेतन, भत्ते और पेंशन सम्मिलित है, का भुगतान धारा 11 की उपधारा (1) में निर्दिष्ट अनुदानों से किया जाएगा।

रिक्तियां आदि आयोग की कार्यवाहियों को अविधिमान्य नहीं करेगी

7—आयोग का कोई कार्य या कार्यवाही केवल किसी रिक्ति के विद्यमान होने या आयोग के गठन में त्रुटि के आधार पर विवादग्रस्त या अविधिमान्य नहीं होगी।

आयोग द्वारा विनियमित की जाने वाली प्रक्रिया

8—(1) आयोग जब भी आवश्यक हो ऐसे समय और स्थान पर जैसा अध्यक्ष उचित समझे, बैठक करेगा।

(2) आयोग अपनी प्रक्रिया स्वयं विनियमित करेगा।

(3) आयोग के समस्त आदेश और विनिश्चय सदस्य-सचिव द्वारा या इस निमित्त सदस्य सचिव द्वारा सम्यक् रूप से प्राधिकृत आयोग के किसी अन्य अधिकारी द्वारा अधिप्रमाणित किये जायेंगे।

अध्याय–तीन

आयोग के कृत्य

आयोग के कृत्य

9—(1) आयोग समस्त या किसी निम्नलिखित कृत्य का पालन करेगा, अर्थात्:–

(क) संविधान और अन्य विधियों के अधीन महिलाओं के लिए उपबंधित रक्षोपायों से संबंधित सभी मामलों का अन्वेषण और परीक्षण करना;

(ख) राज्य सरकार को उन रक्षोपायों की कार्य प्रणाली पर वार्षिक और ऐसे अन्य समयों पर जैसा आयोग उचित समझे, रिपोर्ट प्रस्तुत करना;

(ग) महिलाओं की दशा सुधारने के लिए उन रक्षोपायों के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए ऐसे रिपोर्ट में राज्य सरकार को सिफारिश करना;

(घ) महिलाओं को प्रभावित करने वाले संविधान और अन्य विधियों के विद्यमान उपबंधों का समय-समय पर पुनर्विलोकन करना और उनके संशोधनों की सिफारिश करना जिससे कि ऐसे विधानों में किसी कमी, अपर्याप्तता या त्रुटियों को दूर करने के लिए उपचारी विधायी उपायों का सुझाव दिया जा सके;

(ङ) महिलाओं से संबंधित संविधान और अन्य विधियों के उपबंधों के अतिक्रमण के मामलों को समुचित प्राधिकारियों के समक्ष उठाना;

(च) निम्नलिखित मामलों से संबंधित विशिष्ट शिकायतों पर विचार करना और स्वप्रेरणा से उनका संज्ञान लेना :—

(एक) महिलाओं के अधिकारों का वंचन;

(दो) महिलाओं को संरक्षण प्रदान करने के लिए और समता तथा विकास या उद्देश्य प्राप्त करने के लिए अधिनियमित विधियों का अक्रियान्वयन;

(तीन) महिलाओं की कठिनाइयों को कम करने और उनका कल्याण सुनिश्चित करने तथा उनको अनुतोष उपलब्ध कराने के प्रयोजनार्थ, नीतिगत विनिश्चयों, दिशा निर्देशों या अनुदेशों का अनुपालन और ऐसे मामलों से उद्भूत विवाद्यकों को समुचित प्राधिकारियों के समक्ष उठाना;

(छ) महिलाओं के विरूद्ध विभेद और अत्याचारों से उद्भूत विशिष्ट समस्याओं या स्थितियों का विशेष अध्ययन या अन्वेषण कराना और बाधाओं का पता लगाना जिससे कि उनको दूर करने के लिए कार्य योजनाओं की सिफारिश की जा सके;

(ज) संवर्धन और शिक्षा संबंधी अनुसंधान करना जिससे कि महिलाओं का सभी क्षेत्रों में सम्यक् प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने के उपायों का सुझाव दिया जा सके और उनकी उन्नति में अड़चन डालने के लिए उत्तरदायी कारणों का पता लगाया जा सके जैसे कि आवास और मूलभूत सेवाओं की प्राप्ति में कमी, उबाऊपन और उपजीविकाजन्य स्वास्थ्य परिसंकटों को कम करने और महिलाओं की उत्पादकता की वृद्धि के लिए सहायक सेवाओं और प्रौद्योगिकी की अपर्याप्तता;

(झ) महिलाओं के सामाजिक-आर्थिक विकास की योजना प्रक्रिया में भाग लेना और उन पर सलाह देना;

(ञ) राज्य के अधीन महिलाओं के विकास की प्रगति का मूल्यांकन करना;

(ट) किसी जेल, सुधार गृह, महिलाओं की संस्था या अभिरक्षा के अन्य स्थान का जहां महिलाओं को बन्दी के रूप में या अन्यथा रखा जाता है, निरीक्षण करना या करवाना और यदि आवश्यक हो, उपचारी कार्यवाही के लिए संबंधित प्राधिकारियों से बातचीत करना;

(ठ) बहुसंख्यक महिलाओं को प्रभावित करने वाले प्रश्नों से संबंधित मुकदमों के लिए धन उपलब्ध कराना;

(ड) महिलाओं से संबंधित किसी विषय पर और विशेषकर उन विभिन्न कठिनाइयों के बारे में जिनके अधीन महिलायें कार्य करती हैं, राज्य सरकार को सामाजिक या विशिष्ट रिपोर्ट देना;

(ढ) ऐसी परिस्थितियों की, जिनमें महिलाएं फैक्ट्रियों, प्रतिष्ठानों, निर्माण स्थलों या किन्हीं अन्य स्थानों में काम करती हों, जाँच करना और उनके काम की दशाओं में सुधार के लिए राज्य सरकार को संस्तुति देना;

(ण) सम्पूर्ण राज्य में या राज्य के किसी विशिष्ट क्षेत्र में महिलाओं के विरूद्ध अपराधों से, जिसमें विवाह, दहेज, बलात्संग, व्यपहरण, अपहरण, छेड़छाड़ और महिलाओं के अनैतिक व्यापार से संबंधित अपराध भी सम्मिलित हैं, और प्रसव कराने या नसबंदी या प्रसव या शिशुजन्म में चिकित्सीय उपेक्षा के मामलों से, संबंधित सूचनाओं का संकलन करना;

(त) महिलाओं के विरूद्ध अत्याचार से संबंधित मामलों से निपटने के लिए सृजित राज्य पुलिस प्रकोष्ठ या सम्भागीय पुलिस प्रकोष्ठों से समन्वय करना और सम्पूर्ण राज्य में या राज्य के किसी विशिष्ट क्षेत्र में जनमत तैयार करना जिससे ऐसे अत्याचारों के अपराधों की तेजी से खबर देने और उनका पता लगाने और अपराधी के विरूद्ध वातावरण तैयार करने में सहायता दी जा सके;

(थ) अपने कृत्यों के पालन में धारा 17 के अधीन रजिस्ट्रीकृत किसी स्वैच्छिक संगठन की सहायता लेना;

(द) कोई अन्य विषय जिसे राज्य सरकार उसे निर्दिष्ट करे।

(2) राज्य सरकार, राज्य विधान मण्डल के प्रत्येक सदन के समक्ष, आयोग की रिपोर्ट और उसके साथ उसकी सिफारिशों पर की गयी या किये जाने के लिए प्रस्तावित कार्यवाही और ऐसी किसी सिफारिश को अस्वीकार किये जाने के कारण, यदि कोई हो, का स्पष्टीकरण देते हुए ज्ञापन रखवायेगी।

आयोग की शक्तियां

10—किसी वाद का विचारण करने में सिविल न्यायालय को प्राप्त सभी शक्तियां आयोग को धारा 9 की उपधारा (1) के खण्ड (क) या खण्ड (च) के उपखण्ड (एक) और (दो) में निर्दिष्ट किसी मामले का अन्वेषण करते समय और विशेषतः निम्नलिखित मामलों के संबंध में प्राप्त होगी, अर्थात् :–

(क) किसी व्यक्ति को समन करना और हाजिर कराना और शपथ पर उसकी परीक्षा करना;

(ख) किसी दस्तावेज को प्रकट और पेश करने की अपेक्षा करना;

(ग) शपथ-पत्रों पर साक्ष्य प्राप्त करना;

(घ) किसी न्यायालय या कार्यालय से किसी लोक अभिलेख या उसकी प्रति की अपेक्षा करना;

(ङ) साक्षियों और दस्तावेजों के परीक्षण के लिए कमीशन जारी करना, और

(च) कोई अन्य विषय जो विहित किया जाए।

अध्याय–चार

वित्त, लेखा और लेखा परीक्षा

राज्य सरकार द्वारा अनुदान

11—(1) राज्य सरकार, राज्य विधान मण्डल द्वारा इस निमित्त विधि द्वारा किये गये सम्यक् विनियोग के पश्चात् आयोग को अनुदान के रूप में ऐसी धनराशि का भुगतान करेगी जो राज्य सरकार इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए उपयोग किये जाने के लिए उचित समझे।

(2) आयोग इस अधिनियम के अधीन कृत्यों का पालन करने के लिए ऐसी राशि, जैसी वह उचित समझे व्यय कर सकता है, और ऐसी राशि को उपधारा (1) में निर्दिष्ट अनुदान से देय व्यय के रूप में समझा जाएगा।

लेखा और लेखा परीक्षा

12—(1) आयोग समुचित लेखा और अन्य सुसंगत अभिलेखों को रखेगा और लेखे का एक वार्षिक विवरण ऐसे प्रपत्र में, जैसा विहित किया जाए, तैयार करेगा।

(2) लेखे के वार्षिक विवरण की एक प्रति राज्य सरकार को प्रस्तुत की जाएगी जो उसका लेखा परीक्षा करायेगी।

वार्षिक रिपोर्ट

13—आयोग प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिए ऐसे प्रपत्र में और ऐसे समय पर जैसा विहित किया जाए, पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष के दौरान अपने क्रिया-कलापों का पूरा विवरण देते हुए अपनी वार्षिक रिपोर्ट तैयार करेगा और उसकी एक प्रति सरकार को अग्रसारित करेगा।

राज्य विधान मण्डल के समक्ष रखी जाने वाली वार्षिक और अन्य रिपोर्ट और लेखा परीक्षा रिपोर्ट

14—राज्य सरकार रिपोर्ट प्राप्त होने के पश्चात् यथाशक्य शीघ्र उनमें दी गई सिफारिशों पर की गई कार्यवाही और ऐसी किसी सिफारिश को अस्वीकार किये जाने के कारणों, यदि कोई हों, के ज्ञापन के साथ वार्षिक रिपोर्ट और लेखा परीक्षा रिपोर्ट राज्य विधान मण्डल के प्रत्येक सदन के समक्ष रखवायेगी।

अध्याय–पांच

प्रकीर्ण

आयोग के अध्यक्ष, सदस्य और कर्मचारी वर्ग लोक सेवक होंगे

15—आयोग के अध्यक्ष, सदस्य, सदस्य-सचिव, अधिकारी और अन्य कर्मचारियों को भारतीय दण्ड संहिता, 1860 की धारा 21 के अर्थान्तर्गत लोक सेवक समझा जाएगा।

16—राज्य सरकार महिलाओं को प्रभावित करने वाले सभी प्रमुख नीतिगत मामलों पर आयोग से परामर्श करेगी । राज्य सरकार आयोग से परामर्श करेगी

17—(1) महिलाओं के कल्याण कार्य में लगा हुआ ऐसा कोई स्वैच्छिक संगठन, जो आयोग को उसके कृत्यों के पालन में सहायता करने का इच्छुक हो, रजिस्ट्रीकरण के लिए आयोग को विहित रीति से आवेदन कर सकेगा । स्वैच्छिक संगठनों का रजिस्ट्रीकरण

(2) आयोग, समाज में ऐसे संगठन के महत्व, भूमिका और उपयोगिता के संबंध में स्वयं को संतुष्ट करने के पश्चात् ऐसे संगठन को ऐसे प्रारूप में और ऐसी रीति से, जैसी विहित की जाए, रजिस्टर कर सकेगा ।

(3) आयोग, इस धारा के अधीन रजिस्ट्रीकृत संगठनों की सूची किसी न्यायालय, प्राधिकारी या व्यक्ति को उपलब्ध करायेगा, यदि ऐसे न्यायालय, प्राधिकारी या व्यक्ति द्वारा ऐसा अपेक्षित हो ।

(4) आयोग, किसी संगठन का रजिस्ट्रीकरण, संगठन को सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर देने के पश्चात् लिखित रूप में अभिलिखित कारणों से निरस्त कर सकेगा ।

(5) उपधारा (4) के अधीन आयोग का विनिश्चय अंतिम होगा ।

18—किसी व्यक्ति के विरूद्ध किसी ऐसे कार्य के लिए जो इस अधिनियम या इसके अधीन बनाये गये नियमों के उपबन्धों के अनुसरण में सद्भावना से किया गया हो या किये जाने के लिए आशयित हो, कोई वाद, अभियोजन या अन्य विधिक कार्यवाही नहीं की जा सकेगी । सद्भाव पूर्वक की गई कार्यवाही का संरक्षण

19—(1) राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा, इस अधिनियम के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिए नियम बना सकती है । ऐसे नियमों में इस अधिनियम के किन्हीं प्रयोजनों के लिए फीस लेने की व्यवस्था की जा सकती है । नियम बनाने की शक्ति

(2) विशेष रूप से और पूर्ववर्ती शक्तियों की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना ऐसे नियमों में निम्नलिखित समस्त या किन्हीं विषयों की व्यवस्था की जा सकती है, अर्थात्—

(क) धारा 4 की उपधारा (5) के अधीन अध्यक्ष और सदस्यों को और धारा 5 की उपधारा (2) के अधीन सदस्य-सचिव, अधिकारियों और अन्य कर्मचारियों को देय वेतन और भत्ते और उनकी सेवा के अन्य निबंधन और शर्तें;

(ख) धारा 10 के खण्ड (च) के अधीन कोई अन्य विषय;

(ग) प्रपत्र जिसमें धारा 12 की उपधारा (1) के अधीन लेखे का वार्षिक विवरण तैयार किया जायेगा;

(घ) प्रपत्र जिसमें और समय जब धारा 13 के अधीन वार्षिक रिपोर्ट तैयार की जाएगी;

(ङ) कोई अन्य विषय जिसे किये जाने की अपेक्षा की जाए या विहित किया जाए ।

कठिनाइयों को दूर करने की शक्ति

20—(1) यदि इस अधिनियम के उपबन्धों के कार्यान्वयन में कोई कठिनाई उत्पन्न हो तो राज्य सरकार, अधिसूचित आदेश द्वारा ऐसे उपबन्ध, जो इस अधिनियम के उपबन्धों से असंगत न हों, कर सकती है, जो कठिनाइयों को दूर करने के लिए उसे आवश्यक या समीचीन प्रतीत हो।

(2) उपधारा (1) के अधीन कोई आदेश इस अधिनियम के प्रारम्भ के दिनांक से दो वर्ष की अवधि की समाप्ति के पश्चात् नहीं किया जाएगा।

(3) उपधारा (1) के अधीन किया गया प्रत्येक आदेश, उसके किए जाने के पश्चात्, यथाशक्यशीघ्र, राज्य विधान मण्डल के दोनों सदनों के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा और उत्तर प्रदेश साधारण खण्ड अधिनियम, 1904 की धारा 23-क की उपधारा (1) के उपबन्ध उसी प्रकार प्रवृत्त होंगे जैसे वे किसी उत्तर प्रदेश अधिनियम के अधीन राज्य सरकार द्वारा बनाये गये नियमों के संबंध में प्रवृत्त होते हैं।

श्री अधिष्ठाता–

प्रश्न यह है कि खण्ड-2 से खण्ड 20 तक, खण्ड-1, प्रस्तावना और शीर्षक इस विधेयक के अंग माने जाय?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

संसदीय कार्य, पंजीयन, मनोरजंन कर, स्टाम्प एवं न्यायालय शुल्क तथा खाद्य एवं रसद मंत्री (श्री हुकुम सिंह)–

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग, विधेयक, 1999 पारित किया जाय?

श्री अधिष्ठाता–

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग विधेयक, 1999 पारित किया जाय?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

उत्तर प्रदेश अल्प संख्यक आयोग (संशोधन) विधेयक, 1999

संसदीय कार्य, पंजीयन, मनोरंजन कर, स्टाम्प एवं न्यायालय शुल्क तथा खाद्य एवं रसद मंत्री (श्री हुकुम सिंह)–

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश अल्पसंख्यक आयोग (संशोधन) विधेयक, 1999 पर विचार किया जाय?

श्री राम औतार शाक्य–

मान्यवर, आपकी अनुज्ञा से संशोधन प्रस्तुत करता हूं कि उत्तर प्रदेश अल्पसंख्यक आयोग (संशोधन) विधेयक, 1999 को इस सदन की एक प्रवर समिति के सुपुर्द कर दिया जाय, जो अपना प्रतिवेदन एक माह के अन्दर सदन में प्रस्तुत करे?

मान्यवर, इस आयोग का कार्यकाल, जो इसके अध्यक्ष सदस्य होते हैं उनका कार्यकाल एक वर्ष का दिया है। महिला विधेयक में तीन वर्ष का है। पिछड़ा वर्ग में तीन वर्ष का है। जनजाति में तीन वर्ष है, आप अल्पसंख्यक विरोधी हैं इसलिए इनका कार्यकाल एक वर्ष कर दिया है। आपकी इस आयोग को समाप्त करने की साजिश है।

श्री जगदम्बिका पाल–

मान्यवर, जो हमारे राम औतार शाक्य जी ने प्रंवर समिति को सुपुर्द करने को कहा है तो यह पूरे प्रदेश की चिन्ता का विषय है। उत्तर प्रदेश में मौजूदा स्थिति में चाहे महिला आयोग की बात हो या और किसी की, इसमें जो मौजूदा सदस्य है उनका एक साल का कार्यकाल पूरा हो गया है तो उसको हटाने के लिए यह लाया गया है। इसमें अल्पसंख्यक कल्याण की बात नहीं कही गयी है। केवल जो मौजूदा स्वरूप है उनमें मौजूदा सदस्यों को कैसे हटाया जा सकता है उनके तीन साल के कार्यकाल को घटाकर एक साल कर दिया है। तो मेरा अनुरोध है कि इसे प्रवर समिति को सुपुर्द कर दें और इस पर सभी लोग सम्यक रूप से विचार कर लेंगे।

श्री हुकुम सिंह–

मान्यवर, कुछ लोग आशंकाओं से घिरे होते हैं। उनके दिमाग में नकारात्मक सोच की बात होती है। अभी बजट के माध्यम से माननीय मंत्री जी ने अपनी पारदर्शिता का परिचय दिया है। बड़े चिन्ता से कल्याणकारी योजनाएं बतायी हैं। मान्यवर, सलाह देने के लिए एक आयोग की आवश्यकता है और उसमें कुछ लोग ऐसे बैठें है जिनकी काम करने की क्षमता नहीं रह गयी है तो उनको हटाने के लिए यह संशोधन लाया गया है। सरकार की जो नीति है कि सकारात्मक होना चाहिए और एक अच्छा मार्गदर्शन के लिए यह आयोग गठन करने की बात है। हम उनकी सलाह से नहीं चलेंगे जो सलाह न दे सकें। हम उनकी सलाह से चलेंगे जो सही सलाह देने वाले हों। माननीय मंत्री जी की क्षमता पर पूरा विश्वास होना चाहिए और हम इसके लिए उन्हें बधाई देते हैं।

श्री अधिष्ठाता–

माननीय शाक्य जी आप अपना प्रस्ताव वापस ले रहे हैं?

श्री राम औतार शाक्य–

मान्यवर, चूंकि इन्होंने तीन साल के कार्यकाल को एक वर्ष कर दिया है इसलिए मैं इस पर बल दे रहा हूं।

श्री अधिष्ठाता–

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश अल्पसंख्यक आयोग (संशोधन) विधेयक, 1999 को इस सदन की एक प्रवर समिति के सुपुर्द कर दिया जाय, जो अपना प्रतिवेदन एक माह के अन्दर सदन में प्रस्तुत करें?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ)

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश अल्पसंख्यक आयोग (संशोधन) विधेयक, 1999 पर विचार किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

खण्ड–2, खण्ड–1, प्रस्तावना तथा शीर्षक

उत्तर प्रदेश अल्पसंख्यक आयोग (संशोधन) विधेयक, 1999

उत्तर प्रदेश अल्पसंख्यक आयोग अधिनियम, 1994 का अग्रतर संशोधन करने के लिए

विधेयक

भारत गणराज्य के पचासवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :–

संक्षिप्त नाम

1—यह अधियिनम उत्तर प्रदेश अल्पसंख्यक आयोग (संशोधन) अधिनियम, 1999 कहा जायेगा।

उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 22 सन् 1994 की धारा 4 का संशोधन

2—उत्तर प्रदेश अल्पसंख्यक आयोग अधिनियम, 1994 की धारा 4 में, उपधारा (1) के स्थान पर निम्नलिखित उपधारा रख दी जायेगी, अर्थात् :–

"(1) (क) अध्यक्ष और प्रत्येक सदस्य, अपने पद धारण करनें के दिनांक से, एक वर्ष की अवधि के लिए पद धारण करेगा।

(ख) खण्ड (क) के उपबंध, ऐसे अध्यक्ष और प्रत्येक सदस्य पर भी जिसने उत्तर प्रदेश अल्पसंख्यक आयोग (संशोधन) अधिनियम, 1999 के प्रारम्भ के पूर्व अपना पद धारण किया हो, लागू होंगे।

(ग) ऐसे अध्यक्ष और प्रत्येक सदस्य की, जिसने अपने पद धारण करने के दिनांक से एक वर्ष की अवधि खण्ड (ख) में निर्दिष्ट अधिनियम के प्रारम्भ पर या उसके पूर्व पूरी कर ली हो, पदावधि ऐसे प्रारम्भ पर समाप्त हो जायेगी।

प्रश्न यह है कि खण्ड–2 तथा खण्ड–1 प्रस्तावना और शीर्षक इस विधेयक के अंग माने जायें ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

संसदीय कार्य, पंजीयन, मनोरंजन कर, स्टाम्प एवं न्यायालय शुल्क तथा खाद्य एवं रसद मंत्री (श्री हुकुम सिंह)–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश अल्पसंख्यक आयोग (संशोधन) विधेयक, 1999 पारित किया जाय ?

श्री अधिष्ठाता–

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश अल्पसंख्यक आयोग (संशोधन) विधेयक, 1999 पारित किया जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

उत्तर प्रदेश भागीरथी नदी घाटी प्राधिकरण अध्यादेश, 1998 के अननुमोदन का संकल्प तथा उत्तर प्रदेश भागीरथी नदी घाटी प्राधिकरण विधेयक, 1999

श्री राम औतार शाक्य–

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से यह प्रस्ताव करता हूं कि यह सदन उत्तर प्रदेश भागीरथी नदी घाटी प्राधिकरण अध्यादेश, 1998 का अननुमोदन करता है।

उत्तराचंल विकास मंत्री (डा० रमेश पोखरियाल "निशंक")–

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से यह प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश भागीरथी नदी घाटी प्राधिकरण विधेयक, 1999 पर विचार किया जाय।

श्री राम औतार शाक्य–

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से यह प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश भागीरथी नदी घाटी प्राधिकरण विधेयक, 1999 को इस सदन की एक प्रवर समिति के सुपुर्द कर दिया जाय, जो अपना प्रतिवेदन एक माह के अन्दर सदन में प्रस्तुत करे।

श्री अधिष्ठाता–

माननीय मंत्री जी आपको कुछ कहना है। ठीक है, नहीं कहना है।

माननीय शाक्य जी आप अपना प्रस्ताव वापस ले रहे हैं?

श्री राम औतार शाक्य–

मान्यवर, मैं बल दे रहा हूं।

श्री अधिष्ठाता–

प्रश्न यह है कि यह सदन उत्तर प्रदेश भागीरथी नदी घाटी प्राधिकरण अध्यादेश, 1998 का अननुमोदन करता है।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ)

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश भागीरथी नदी घाटी प्राधिकरण विधेयक, 1999 को इस सदन की एक प्रवर समिति के सुपुर्द कर दिया जाय, जो अपना प्रतिवेदन एक माह के अन्दर सदन में प्रस्तुत करें। समिति के सदस्यों के नाम बाद में दिये जायेंगे।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ)

श्री अधिष्ठाता–

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश भगीरथी नदी घाटी प्राधिकरण विधेयक, 1999 पर, विचार किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

खण्ड–2 से खण्ड-22 तक, खण्ड-1, प्रस्तावना तथा शीर्षक

उत्तर प्रदेश भागीरथी नदी घाटी प्राधिकरण विधेयक, 1999

भागीरथी नदी घाटी के एकीकृत और सतत् विकास के पर्यवेक्षण और समन्वयन के लिए प्राधिकरण की स्थापना की, और उससे संबंधित या आनुषंगिक विषयों की व्यवस्था करने के लिए

विधेयक

भारत गणराज्य के पचासवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :–

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ

1—(1) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश्य भागीरथी नदी घाटी प्राधिकरण अधिनियम, 1999 कहा जायेगा।

(2) यह ऐसे दिनांक को प्रवृत्त होगा जिसे राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा, इस निमित्त नियत करे।

परिभाषायें

2—इस अधिनियम में,—

(क) 'प्राधिकरण' का तात्पर्य धारा 3 के अधीन स्थापित भागीरथी नदी घाटी प्राधिकरण से है;

(ख) 'भागीरथी नदी घाटी' या 'घाटी' का तात्पर्य देवप्रयाग तक भागीरथी-भिलंगना नदी और उनकी सहायक नदियों की द्रोणी से है, और उसमें उसके पार्श्वस्थ ऐसे अन्य क्षेत्र भी सम्मिलित होंगे जिसे राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा, विनिर्दिष्ट करे;

(ग) 'द्रोणी' का तात्पर्य घाटी के सम्पूर्ण जलागम क्षेत्र से है;

(घ) 'विकास अभिकरण' का तात्पर्य घाटी के विकास कार्य में लगे हुए किसी सरकारी विभाग, या संस्था या अन्य अभिकरण से है;

(ङ) 'सदस्य' का तात्पर्य प्राधिकरण के किसी सदस्य से है और इसमें उसका अध्यक्ष भी सम्मिलित है;

(च) 'सेक्टर' का तात्पर्य विकास की किसी मद से है और इसमें कृषि, सड़क, सेतु, उद्योग, सिंचाई, परिवहन, संचार, आवास, पर्यटन और स्वास्थ्य और उससे संबंधित विषय भी है।

प्राधिकरण की स्थापना और गठन

3—(1) राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा, इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए एक प्राधिकरण की स्थापना करेगी जिसे भागीरथी नदी घाटी प्राधिकरण कहा जायेगा जो एक निगमित निकाय होगा।

(2) प्राधिकरण में निम्नलिखित सदस्य होंगे, अर्थात् :–

(क) मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश सरकार	अध्यक्ष
(ख) सचिव, ऊर्जा मन्त्रालय, भारत सरकार	सदस्य
(ग) सचिव, वन एवं पर्यावरण मन्त्रालय, भारत सरकार	सदस्य
(घ) सलाहकार, योजना आयोग, भारत सरकार पर्वतीय क्षेत्रों के प्रभारी	सदस्य
(ङ) कृषि उत्पादन आयुक्त, उत्तर प्रदेश सरकार	सदस्य
(च) प्रमुख सचिव, उत्तर प्रदेश सरकार, औद्योगिक विकास विभाग	सदस्य
(छ) प्रमुख सचिव, उत्तर प्रदेश सरकार, सिंचाई विभाग	सदस्य
(ज) प्रमुख सचिव, उत्तर प्रदेश सरकार, वित्त विभाग	सदस्य
(झ) प्रमुख सचिव, उत्तर प्रदेश सरकार, नियोजन विभाग	सदस्य
(ञ) प्रमुख सचिव या यथास्थिति सचिव, उत्तर प्रदेश सरकार, पर्यावरण विभाग	सदस्य
(ट) प्रमुख सचिव एवं विधि परामर्शी, उत्तर प्रदेश सरकार, न्याय विभाग	सदस्य
(ठ) मुख्य नगर और ग्राम योजनाकार, उत्तर प्रदेश सरकार	सदस्य
(ड) आयुक्त कुमायूं मण्डल	सदस्य
(ढ) आयुक्त, गढ़वाल मण्डल	सदस्य
(ण) प्रमुख सचिव, उत्तर प्रदेश सरकार उत्तरांचल विकास विभाग	सदस्य सचिव

(3) प्राधिकरण अपने साथ, ऐसी रीति से और ऐसे प्रयोजनों के लिए, जो उसके द्वारा, अवधारित किये जायें, ऐसे अन्य व्यक्तियों को, जिनकी सहायता या सलाह उसे इस अधिनियम के किसी उपबन्ध के अनुपालन के लिए वांछित हो, सहयुक्त कर सकता है और इस प्रकार सहयुक्त व्यक्ति को प्राधिकरण के उस विचार-विमर्श में जो उन प्रयोजनों से सुसंगत हों, जिनके लिए उन्हें इस प्रकार सहयुक्त किया गया है, भाग लेने का अधिकार होगा लेकिन वह मत देने का हकदार नहीं होगा।

(4) प्राधिकरण का कोई कार्य या कार्यवाही केवल इस कारण से अविधिमान्य नहीं होगी कि—

(क) प्राधिकरण के गठन में कोई रिक्ति या त्रुटि है, या

(ख) प्राधिकरण के सदस्य के रूप में कार्य करने वाले किसी व्यक्ति की नियुक्ति में कोई त्रुटि है; या

(ग) प्राधिकरण की प्रक्रिया में ऐसी कोई अनियमितता है जिसका मामले के गुणावगुण पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है।

अध्यक्ष और सदस्य सचिव की शक्तियां व कर्तव्य

4—(1) प्राधिकरण के अध्यक्ष और सचिव ऐसी शक्तियों का प्रयोग और ऐसे कर्तव्यों का निर्वहन करेंगे जो उन्हें इस अधिनियम या तद्धीन बनाए गए नियमों द्वारा सौंपे जायें।

(2) सदस्य सचिव प्राधिकरण का मुख्य कार्यपालक अधिकारी होगा। उसकी सहायता अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी द्वारा की जा सकेगी जिसकी नियुक्ति राज्य सरकार द्वारा ऐसे निबन्धनों और शर्तों पर की जायेगी जैसी विहित की जायें।

प्राधिकरण का कर्मचारी वर्ग

5—(1) ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुए, जो विहित की जायं प्राधिकरण ऐसे अन्य अधिकारियों और कर्मचारियों को नियुक्त कर सकता है जिन्हें वह अपने कृत्यों का दक्षतापूर्वक पालन करने के लिए आवश्यक समझे।

(2) उपधारा (1) में निर्दिष्ट अधिकारियों और कर्मचारियों की सेवा के निबन्धन और शर्तें ऐसी होंगी जैसी विनियमों द्वारा अवधारित की जाये।

तकनीकी परामर्शदाता

6—(1) अपने कृत्यों का दक्षतापूर्वक पालन करने के लिए प्राधिकरण केन्द्र सरकार के वन और पर्यावरण मंत्रालय से परामर्श करके निम्नलिखित क्षेत्रों के विशेषज्ञों में से तकनीकी परामर्शदाताओं को नियुक्त कर सकता है :–

(क) पर्यावरण प्रबन्ध;
(ख) पर्यावरण भू-विज्ञान;
(ग) पारिस्थितिकी नियोजन;
(घ) एकीकृत ऊर्जा नियोजन;
(ङ) समाज विज्ञान;
(च) वन पारिस्थितिकी विज्ञान।

(2) तकनीकी परामर्शदाताओं की शक्तियां, कर्तव्य और कृत्य और उनकी नियुक्ति के निबन्धन और शर्तें ऐसी होंगी जैसी विनियमों द्वारा अवधारित की जायं।

बैठकें

7—(1) जब तक कि अध्यक्ष सदस्यों को कार्यसूची परिचालित करके कामकाज करने के निदेश न दे प्राधिकरण के काम-काज बैठक में किये जायेंगे।

(2) प्राधिकरण की बैठक सामान्यतः प्रत्येक तीन मास में एक बार ऐसे दिनांक को, ऐसे समय पर और ऐसे स्थान पर होगी जैसा अध्यक्ष निदेश दे।

(3) प्राधिकरण की प्रत्येक बैठक में अध्यक्ष या उसकी अनुपस्थिति में ऐसा सदस्य जिसके सम्बन्ध में उपस्थित सदस्य सहमत हों, अध्यक्षता करेगा।

(4) जब तक कि धारा 3 की उपधारा (2) के खण्ड (क) से (घ) तक उल्लिखित सदस्यों में से एक और उक्त उपधारा के खण्ड (ङ) से (छ) तक में उल्लिखित सदस्यों में से एक सदस्य सहित कम से कम चार सदस्य उपस्थित न हों तब तक बैठक में कोई कार्य नहीं किया जायेगा :

परन्तु गणपूर्ति के अभाव में स्थगित की गई बैठक के लिए किसी गणपूर्ति की अपेक्षा न होगी।

(5) किसी बैठक में उठाए गए सभी प्रश्नों का विनिश्चय उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के बहुमत से किया जायेगा, और मतों के बराबर होने की स्थिति में, अध्यक्ष या बैठक की अध्यक्षता करने वाले सदस्य का मत निर्णायक होगा।

प्राधिकरण के कृत्य

8—प्राधिकरण के निम्नलिखित कृत्य होंगे :–

(क) द्रोणी के एकीकृत और अविरत विकास हेतु प्राकृतिक संसाधानों के वैकल्पिक उपयोग के उपार्जन के लिए, विकास योजना की विनिर्मित और उसके निष्पादन की देखभाल करना। विकास योजना में जल-ससांधन, भूमि उपयोग और कृषि, ऊर्जा उद्योग, परिवहन, संचार, आवास, पर्यटन, स्वास्थ्य सेवाओं का विकास और उनसे सम्बन्धित विषय भी सम्मिलित है;

(ख) द्रोणी में पारिस्थितिकीय सन्तुलन के अनुरक्षण के लिए प्रभावी और समयानुकूल कार्यवाही को, जिसमें क्षतिग्रस्त पारिस्थितिकीय तंत्र का पुनर्रुद्धार भी सम्मिलित है, सुनिश्चित करना।

महायोजना का तैयार किया जाना

9—(1) प्राधिकरण, यथाशीघ्र घाटी के एकीकृत विकास के लिए महायोजना तैयार करेगा या तैयार करवायेगा।

(2) महायोजना में–

(क) द्रोणी की वहन क्षमता परिनिश्चित की जायेगी;

(ख) विभिन्न सेक्टर परिनिश्चित होंगे जिनमें विकास योजनाओं को विभाजित किया जा सके और वह रीति इंगित होगी जिसमें प्रत्येक सेक्टर का विकास किया जाना प्रस्तावित है और वे प्रक्रम इंगित होंगे जिनमें ऐसी विकास योजनाओं को चलाया जायेगा;

(ग) द्रोणी के विकास के लिए विकास योजनाओं के साथ वैकल्पिक योजनाओं की रूप-रेखा होगी;

(घ) विभिन्न उपयोग और प्रयोजनों के लिए भूमि सीमांकित होगी, और;

(ङ) उस ढांचे की बुनियादी प्रतिकृति होगी जिसके अंतर्गत विकास योजनाएं तैयार की जा सकेगी।

(3) महायोजना में ऐसे अन्य विषयों की व्यवस्था होगी जिन्हें घाटी के सतत् विकास के लिए आवश्यक समझा जाय।

राज्य सेक्टर योजना

10—(1) धारा 9 के अधीन महायोजना तैयार हो जाने के पश्चात् यथाशीघ्र विकास अभिकरण महायोजना के अनुसार सेक्टर के लिए योजना की तैयारी का कार्य प्रारम्भ करेंगे।

(2) उपधारा (1) के अधीन तैयार की गई सेक्टर के लिए योजना राज्य सरकार और केन्द्र सरकार द्वारा दिये गये अनुबन्धों और मापदंडों के अनुरूप होगी।

प्राधिकरण की शक्तियां

11—(1) इस अधिनियम के और तद्धीन बनाए गए नियमों के उपबन्धों के अधीन रहते हुए, प्राधिकरण ऐसी शक्तियों का प्रयोग करेगा जो इस अधिनियम के अधीन उसके कृत्यों के पालन और कर्तव्यों के निर्वहन के लिए आवश्यक या उसके आनुषंगिक हों।

(2) उपधारा (1) के उपबंधों की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, ऐसी शक्ति में निम्नलिखित शक्तियां भी सम्मिलित होंगी :–

(क) किसी विकास योजना के बारे में उसका निष्पादन करने वाले विकास अभिकरण में सूचना मांगना;

(ख) घाटी में किसी विकास योजना को अनुमोदित या अननुमोदित करना जिसकी रूपरेखा महायोजना में दी गई हो और जो विकास अभिकरण द्वारा तैयार की गई हो;

(ग) किसी सेक्टर के सम्बन्ध में प्राधिकरण द्वारा स्वीकृत नीतियों के अनुरूप कार्य करने के लिए किसी विकास अभिकरण को निदेश देना;

(घ) अपनी नीतियों और कार्यक्रमों को लागू करने में केन्द्र सरकार या राज्य सरकार के किसी संगठन या किसी अन्य अभिकरण की सहायता लेना;

(ङ) अपने उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए अपने सदस्यों की उप-समितियां बनाना;

(च) प्राधिकरण के किसी सदस्य या अधिकारी को अपने किन्हीं कृत्यों को प्रत्यायोजित करना।

(3) प्राधिकरण के पूर्वानुमोदन के बिना घाटी में किसी विकास योजना पर, जिसकी रूप रेखा महायोजना में दी गई हो, प्रारम्भिक या अन्यथा, कोई भी कार्य प्रारम्भ नहीं किया जायेगा।

प्राधिकरण की निधि

12—(1) प्राधिकरण की अपनी निधि होगी जिसका वह अनुरक्षण करेगा और उसमें प्राधिकरण की सभी प्राप्तियों को, जिसमें राज्य सरकार या केन्द्र सरकार से अनुदान के रूप में या अन्यथा प्राप्त कोई धन सम्मिलित है, जमा किया जायेगा और प्राधिकरण द्वारा सभी भुगतान उससे किए जायेंगे।

(2) प्राधिकरण को राज्य सरकार द्वारा इतना वित्त पोषित किया जायेगा जितना इस अधिनियम के प्रयोजन को पूरा करने के लिए आवश्यक हो।

(3) निधि का उपयोग इस अधिनियम के प्रयोजनों को पूरा करने के लिए प्राधिकरण द्वारा उपगत व्ययों को वहन करने के लिए किया जायेगा न कि किसी अन्य प्रयोजन के लिए।

निधि का अनुरक्षण

13—निधि की धनराशि सरकारी कोषागार में लोक लेखा खाते में जमा की जायेगी जिसका संचालन सदस्य-सचिव द्वारा या तो अकेले या किसी ऐसे अन्य सदस्य या अधिकारी के साथ संयुक्त रूप से किया जायेगा, जिसे प्राधिकरण प्राधिकृत करे :

परन्तु इस धारा की किसी बात से यह नहीं समझा जायेगा कि यह प्राधिकरण को चालू भुगतानों के लिए आवश्यक नकद रोकड़ रखने से निवारित करती है।

आय-व्ययक

14—प्राधिकरण ऐसे प्ररूप में और ऐसे समय पर जैसा विहित किया जाय अगले वित्तीय वर्ष के लिए अपना आय-व्ययक, तैयार करेगा जिसमें अनुमानित आय और व्यय दिखाया जायेगा और उसकी एक प्रति प्रत्येक वर्ष 15 अक्टूबर के पूर्व राज्य सरकार को भेजेगा।

वार्षिक रिपोर्ट

15—प्राधिकरण प्रत्येक वर्ष के लिए उस वर्ष के दौरान अपने कार्य-कलापों की रिपोर्ट तैयार करेगा और राज्य सरकार को प्रस्तुत करेगा और उसकी एक प्रति ऐसे प्ररूप में और ऐसे दिनांक के पूर्व जैसा राज्य सरकार निर्दिष्ट करे, केन्द्र सरकार को प्रस्तुत करेगा।

लेखा और लेखा परीक्षा

16—(1) प्राधिकरण का सदस्य-सचिव प्राधिकरण का समुचित लेखा और अन्य सुसंगत अभिलेख रखेगा और प्रत्येक वित्तीय वर्ष की समाप्ति पर वार्षिक विवरण पत्र तैयार करेगा और उसे प्राधिकरण के समक्ष रखेगा जिसकी एक प्रति राज्य सरकार को भेजी जायेगी।

(2) प्राधिकरण के लेखा की लेखा-परीक्षा प्रतिवर्ष निदेशक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग द्वारा की जायेगी और ऐसी लेखा-परीक्षा के सम्बन्ध में उसके द्वारा किया गया कोई व्यय प्राधिकरण द्वारा देय होगा।

(3) ऐसी लेखा-परीक्षा के सम्बन्ध में निदेशक, स्थानीय निधि लेखा-परीक्षा विभाग या उसके द्वारा नियुक्त किसी व्यक्ति को वही अधिकार, विशेषाधिकार और प्राधिकार होंगे, जो उक्त निदेशक को किसी स्थानीय प्राधिकरण के लेखा-परीक्षा के सम्बन्ध में हैं और विशेष रूप से उसे बहियां, लेखा, वाउचर और अन्य दस्तावेजों और कागजातों को प्रस्तुत करने की मांग करने और प्राधिकरण के कार्यालय का निरीक्षण करने का अधिकार होगा।

(4) प्राधिकरण का परीक्षित लेखा प्रत्येक वर्ष प्राधिकरण के समक्ष ऐसे दिनांक को या ऐसे दिनांक के पूर्व, जैसा प्राधिकरण निदेश दे, अनुमोदन के लिये रखा जायेगा।

प्रवेश करने की शक्ति

17—प्राधिकरण का कोई अधिकारी या कर्मचारी जो सामान्य या विशेष रूप से प्राधिकरण द्वारा प्राधिकृत हो, सभी युक्तियुक्त समय पर किसी भूमि या परिसर में प्रवेश कर सकता है और ऐसे कार्य कर सकता है जो अपने किसी कार्य को विधिपूर्वक करने, या इस अधिनियम के अधीन प्राधिकरण की शक्तियों का प्रयोग या कृत्यों का पालन करने के लिए प्राथमिक या आनुषंगिक कोई सर्वेक्षण खोज और पूर्वेक्षण करने के प्रयोजनार्थ युक्तियुक्त रूप से आवश्यक हों।

निदेश देने की शक्ति

18—राज्य सरकार और केन्द्र सरकार समय-समय पर प्राधिकरण को ऐसे निदेश दे सकती है जो उसकी राय में इस अधिनियम के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिए आवश्यक या समीचीन हों और ऐसे निदेशों का पालन करना प्राधिकरण का कर्तव्य होगा।

विनियम बनाने की शक्ति

19—(1) प्राधिकरण, राज्य सरकार के पूर्व अनुमोदन से प्राधिकरण के कार्यकलापों के प्रबन्ध के लिये ऐसे विनियम बना सकता है जो इस अधिनियम या तद्धीन बनाये गये नियमों के उपबन्धों से असंगत न हो।

(2) विशेष रूप से और पूर्वगामी शक्ति की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, प्राधिकरण ऐसे विनियम में निम्नलिखित की व्यवस्था कर सकता है :–

(क) प्राधिकरण या उसकी समितियों के कार्य के संव्यवहार के संबंध में प्रक्रिया :

(ख) प्राधिकरण के अधिकारियों और कर्मचारियों के कृत्य और कर्तव्य;

(ग) प्राधिकरण की समितियों का गठन; शक्ति, कर्तव्य और कृत्य;

(घ) प्राविधिक विशेषज्ञों की शक्तियाँ और कृत्य;

(च) कोई अन्य विषय जिसके लिये विनियम में उपलब्ध किया जाना हो या किया जा सकता हो।

नियम बनाने की शक्ति

20—राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा इस अधिनियम के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिये नियम बना सकती है।

सद्भावना से किये गये कार्य का संरक्षण

21—प्राधिकरण या उसके किसी सदस्य या अधिकारी के विरूद्ध ऐसे किसी कार्य के सम्बन्ध में जो इस अधिनियम या तद्धीन बनाये गये नियमों या विनियमों के अनुसरण में सद्भावना से किया गया हो या किये जाने के लिये अभिप्रेत हो, न तो कोई वाद या अभियोजन प्रस्तुत किया जायेगा और न कोई अन्य विधिक कार्यवाही की जायेगी।

निरसन और अपवाद

उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या 19 सन् 1998

22—(1) उत्तर प्रदेश भागीरथी नदी घाटी प्राधिकरण अध्यादेश, 1998 एतद्द्वारा निरसित किया जाता है।

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी उपधारा (1) में विनिर्दिष्ट अध्यादेश के अधीन कृत कोई कार्य या कार्यवाही इस अधिनियम के अधीन कृत कार्य या कार्यवाही समझी जायेगी मानो इस अधिनियम के उपबन्ध सभी सारवान समय पर प्रवृत्त थे।

श्री अधिष्ठाता-

प्रश्न यह है कि खण्ड-2 से खण्ड-22 तक, खण्ड-1, प्रस्तावना और शीर्षक इस विधेयक के अंग माने जायें।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

उत्तरांचल विकास मंत्री (डा0 रमेश पोखरियाल "निशंक")-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से यह प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश भागीरथी नदी घाटी प्राधिकरण विधेयक, 1999, पारित किया जाय।

श्री अधिष्ठाता-

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश भागीरथी नदी घाटी प्राधिकरण विधेयक, 1999, पारित किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

नियम-51 के अन्तर्गत सूचनाएं

श्री अधिष्ठाता-

आज नियम-51 के अन्तर्गत कुल 23 सूचनायें प्राप्त हुई :-

(1) डा0 लक्ष्मीकान्त बाजपेयी — सम्पूर्ण प्रदेश में विशेषत: नगरीय क्षेत्रों में बेसिक शिक्षा परिषद् के स्कूलों में छात्रों की संख्या में कमी तथा अध्यापकों की संख्या पूरी होने व मध्याह्न भोजन एवं छात्रवृत्ति के घपलों की जांच के सम्बन्ध में तथा

(2) श्री धनीराम वर्मा
श्री रामतेज यादव एडवोकेट
श्री दीपक कुमार
श्री मुश्ताक सोलंकी
(3) श्री नवाब सिंह नागर

प्रदेश में वस्त्र-व्यवसाय पर प्रस्तावित प्रवेश-कर लगाये जाने से उत्तर प्रदेश वस्त्र उद्योग पर पड़ने वाले दुष्प्रभावों के सम्बन्ध में सूचनाएं वक्तव्य हेतु स्वीकृत हुईं।

(4) श्री अजय कुमार पोइया

जनपद गौतमबुद्धनगर में यमुना नदी के किनारे के ग्रामों रायपुर खांदर, असमरपुर जागीर व चकबसंतपुर में किसानों की जमीनों पर जबरन कब्जा कर अवैध बालू-खनन कराये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में एवं

(5) श्री मुन्ना चौहान

जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, मथुरा द्वारा कथित रूप से शासकीय आदेशों की अवहेलना कर अनियमिततायें व भ्रष्टाचार किये जाने के सम्बन्ध में तथा

जिला सहकारी बैंक, अल्मोड़ा द्वारा वर्ग-3 के कर्मचारियों की वरिष्ठता निर्धारण में बरती जा रही अनियमितताओं के सम्बन्ध में सूचनाएं केवल वक्तव्य हेतु स्वीकृत हुईं।

निम्नांकित मा0 सदस्यों की उनके नाम के सम्मुख अंकित सूचनाओं पर शासन का ध्यान आकृष्ट किया गया:-

(1) श्री तेजभान सिंह

सहकारी चीनी मिल, सुल्तानपुर में व्याप्त भ्रष्टाचार व किसानों के गन्ना मूल्य का भुगतान न किये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

(2) डा0 अशोक बाजपेयी

सी0डी0एस0एन0 हायर सेकेन्ड्री हाईस्कूल, सी-3955, राजाजीपुरम् लखनऊ की इण्टरमीडिएट परीक्षा के लिए मान्यता के सम्बन्ध में।

(3) श्री कमलेश कुमार सिंह

जनपद बलरामपुर में एस0आर0वाई0 के धन का विभागीय अधिकारियों द्वारा दुरुपयोग किये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

(4) श्री राम औतार शाक्य

प्रदेश में विधायकों की उपेक्षा करके मनमाने ढंग से सुनिश्चित रोजगार योजना व अन्य विकास योजनाओं में मनमाने ढंग से धन खर्च किये जाने के सम्बन्ध में।

(5) श्री इन्द्रजीत सरोज

जनपद कौशाम्बी के मंझनपुर क्षेत्रान्तर्गत मंझनपुर सरसवां तथा कौशाम्बी विकास खण्डों में इन्दिरा आवासों के आवंटन में कथित रूप से की गयी धांधली व भ्रष्टाचार के सम्बन्ध में।

(6) श्री श्याम सुन्दर

जनपद रायबरेली के बछरांवा क्षेत्रान्तर्गत तिलेडा से हलोर मार्ग पर असहन-जगतपुर के पास पुल निर्माण के सम्बन्ध में।

(7) डा0 रामबाबू हरित	जनपद आगरा में बृद्धावस्था/किसान पेंशन योजना के प्रभावी क्रियान्वयन न किये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।
(8) श्री गजेन्द्र कुमार मुन्ना	समाज कल्याण निदेशालय से महिला कल्याण निदेशालय में स्थानान्तरित किये गये अधिकारियों द्वारा उत्तर प्रदेश अपराधी परिवीक्षा नियमावली तथा उत्तर प्रदेश किशोर न्याय नियमावली में उल्लिखित कृत्यों का निर्वहन न किये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।
(9) श्री दद्दू प्रसाद	जनपद लखनऊ के थाना गुडम्बा अन्तर्गत ग्राम सभा सिकन्दरपुर इनायत अली मजरे छूहियापुरवा, निवासी श्री छत्रपाल गौतम के आवास को जबरन गिराये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।
(10) श्री अकबर हुसैन	मुरादाबाद नगर में क्लोरिन रहित पेयजल आपूर्ति किये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

शेष सूचनाएं अस्वीकृत हुईं।

प्रदेश में शत-प्रतिशत विकलांग को राजकीय परिवहन निगम की बसों में सहवर्ती के साथ अनुमन्य यात्रा सुविधा को लागू किये जाने के सम्बन्ध में नियम-5। के अन्तर्गत डा0 लक्ष्मी कान्त बाजपेयी, द्वारा दी गई सूचना पर संसदीय कार्य मंत्री का वक्तव्य

(सदन की सहमति से वक्तव्य पढ़ा हुआ माना गया)

संसदीय कार्य मंत्री (श्री हुकुम सिंह)-

("उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम की बसों में विकलांगों की यात्रा नियमावली-1998" के अन्तर्गत प्रदेश के विकलांगों को नियमावली में विहित शर्तों के अधीन जो विकलांग पूर्ण रूप से अन्धे हों, अल्प दृष्टि के हों, जिनके एक हाथ व एक पैर या जिनके दोनों हाथ या दोनों पैर पूर्ण रूप से कटे हों, एक हाथ व एक पैर या दोनों हाथ या दोनों पैर अपंग (पैरालाइज्ड) हो, मानसिक रूप से मन्द अथवा रूग्ण हों, को सहवर्ती के साथ उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम की बसों में निःशुल्क यात्रा अनुमन्य है। ऐसे विकलांग जो पूर्ण रूप से मूक हों, बधिर हों, या दोनों हों तथा लेप्प्रोसी मुक्त हों, को परिवहन निगम की बसों में सहवर्ती हेतु निःशुल्क यात्रा अनुमन्य नहीं है। अनुमन्य श्रेणी के विकलांगों की केवल मुख्य चिकित्साधिकारी के प्रमाण-पत्र पर ही यात्रा अनुमन्य होगी। निगम की ओर से किसी पास अथवा प्रमाण-पत्र या प्रति हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है। यह यात्रा केवल साधारण श्रेणी के निगम की बसों एवं अनुबन्धित बसों में उपलब्ध कराई जाती है।

नोट :- ( ) यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

मा0 समाज कल्याण मंत्री जी की अध्यक्षता में दिनांक 16-9-98 को एक बैठक आयोजित की गई थी जिसमें बैठक में लिए गए निर्णयानुसार नियमावली की प्रतियां परिचालकों में वितरित करने हेतु निदेशक, विकलांग कल्याण द्वारा परिवहन निगम को उपलब्ध करा दी गई थी। परिवहन निगम द्वारा सहायक क्षेत्रीय प्रबन्धकों को नियमावली की प्रति परिचालकों के अनुपालनार्थ उपलब्ध कराई गई है। उ0 प्र0 राज्य सड़क परिवहन निगम के पत्रांक 1815 सी0ए0सी0/98-19सी0ए0सी0/79, दिनांक 18 सितम्बर, 1998 के द्वारा भी समस्त क्षेत्रीय प्रबन्धक/सहायक क्षेत्रीय प्रबन्धकों को नियमावली के प्राविधानों को लागू कराये जाने के निर्देश जारी किये गये हैं। इस सम्बन्ध में यदाकदा जो शिकायतें प्राप्त होती हैं, उनकी जांच कराकर कार्यवाही की जाती है।)

मुख्य विकास अधिकारी, जनपद मथुरा द्वारा कथित रूप से की जा रही अनियमितताओं एवं भ्रष्टाचार के सम्बन्ध में श्री अजय कुमार पोइया नियम 51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर संसदीय कार्य मंत्री का केवल वक्तव्य

(सदन की सहमति से वक्तव्य पढ़ा हुआ माना गया)।

संसदीय कार्यमंत्री (श्री हुकुम सिंह)-

(श्री अजय कुमार पोइया, मा0 सदस्य-विधान सभा ने मथुरा जनपद के मुख्य विकास अधिकारी द्वारा जानबूझकर जातीय भावना, भ्रष्ट आचरण, संविधान एवं नियमों के विरुद्ध कार्य किये जाने की सूचना दी गयी है, जिसमें आधारहीन एवं तथ्यों से हटकर रिपोर्ट दर्ज कराने, ग्राम प्रधान नन्दग्राम के विरुद्ध अनियमित कार्यवाही किये जाने, श्री किशन सिंह पुत्र श्री पन्ना लाल, सफाई कर्मचारी को अनियमित रूप से निलम्बित किये जाने, विकास कार्यों में भारी घोटाला किये जाने, धन प्राप्त करके बिलों का भुगतान करने, पंचायत की जिप्सी गाड़ी कम बोली पर नीलामी में देने आदि का उल्लेख किया गया है, के सम्बन्ध में बिन्दुवार स्थिति निम्नवत् है:-

इस सम्बन्ध में उल्लेखनीय है कि श्रीमती सुधा सिंह, अध्यक्ष, जिला पंचायत द्वारा मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद में दायर याचिका संख्या-23376/98 श्रीमती सुधा सिंह बनाम उ0प्र0 शासन में पारित आदेश दिनांक 3-11-98 के अनुपालन में शासन के आदेश दिनांक 6-7-98 द्वारा अध्यक्ष, जिला पंचायत की शक्तियों और कृत्यों का प्रयोग एवं सम्पादन किये जाने हेतु गठित समिति को निरस्त कर दिया गया, जिसके फलस्वरूप श्रीमती सुधा सिंह, अध्यक्ष के पद पर पुनः पदारूढ़ हो गयी। श्रीमती सुधा सिंह, जिला पंचायत में अपने पत्र दिनांक 31-12-98 द्वारा प्रशासनिक अधिकारी, जिला पंचायत को निर्देश दिये गये कि कार्यालय का फर्नीचर आदि अनधिकृत तौर पर किसी अन्य व्यक्ति के यहां रखे हुये हैं जिन्हें तीन दिन के अन्दर जिला पंचायत में मंगाना सुनिश्चित करें अन्यथा की स्थिति में पुलिस में एफ0आई0आर0 दर्ज कर दें। उक्त पत्र की प्रति मुख्य विकास अधिकारी को पृष्ठांकित की गई थी, जिस पर मुख्य विकास अधिकारी द्वारा अपने अधीनस्थ अधिकारी को निर्देश दिये कि "कृपया तत्काल अनुपालन करें।" उक्त आदेश में मुख्य विकास अधिकारी द्वारा यह इंगित नहीं किया गया कि निर्धारित समयावधि में सामान मंगाये बिना एफ0आई0आर0 दर्ज करा दी जाय।

नोट:- ( ) यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

श्री राम सरन पुत्र श्री लीले प्रधांन, ग्राम नवीपुर विकास खण्ड नन्दगांव के विरुद्ध आरोपों/शिकायत की तकनीकी जांच जिला ग्राम्य विकास अभिकरण के अवर अभियंता द्वारा कराई गई। उक्त जांच में ग्राम पंचायत ने जवाहर रोजगार योजना/ अन्य योजनाओं के अन्तर्गत वर्ष 95-96 से 97-98 के मध्य कुल रु0 38,904.75 का कार्य कम पाया गया। तकनीकी जांच दिनांक 20-1-99 के अनुसार कम पाये गये कार्य के सम्बन्ध में नियमानुसार कार्यवाही प्रस्तावित है। माC विधायक द्वारा इंगित किया गया है कि दिनांक 30-07-98 तथा 14-10-98 को की गई जांच में उक्त ग्राम प्रधान निर्दोष पाया गया। इस सम्बन्ध में स्थिति यह है कि दिनांक 30-07-98 तथा 14-10-98 को की गई जांच में उक्त ग्राम प्रधान निर्दोष पाया गया। इस सम्बन्ध में स्थिति यह है कि दिनांक 30-7-98 को किस अधिकारी द्वारा जांच की गयी, इसका कोई उल्लेख नहीं मिला है। दिनांक 14-10-98 को जिला पंचायत राज अधिकारी, मथुरा द्वारा ग्राम पंचायत नवीपुर के अभिलेखों का निरीक्षण किया गया था। मुख्य विकास अधिकारी द्वारा उक्त प्रधान के विरुद्ध किसी प्रकार की कार्यवाही के लिए कोई निर्देश नहीं दिये।

श्री किशन सिंह पुत्र श्री पन्ना लाल, सफाई कर्मचारी, जिसे जिला विकास अधिकारी, मथुरा के कार्यालय से ब्लाक-फरह में चौकीदार/सफाई कर्मचारी के पद पर स्थानान्तरित किया गया था, के सम्बन्ध में उल्लेख करना है कि उसके द्वारा अपने कार्यों का सम्पादन न करने, कार्यालय अवधि से पूर्व ही कार्यालय छोड़ देने, उच्चादेशों का अनुपालन न करने, शासकीय आदेशों की अवहेलना करने, इत्यादि आरोपों के सम्बन्ध में जिला विकास अधिकारी, मथुरा के आदेश दिनांक 21-9-98 द्वारा निलम्बित कर आरोप पत्र दिया गया था। ज्ञातव्य है कि उक्त निलम्बन आदेश के पूर्व ही श्री किशन सिंह को विकास खण्ड फरह में स्थानान्तरित किया गया था। रिट याचिका संख्या-30628/98 किशन सिंह बनाम जिला विकास अधिकारी, मथुरा में पारित आदेश दिनांक 21-9-98 जो जिला विकास अधिकारी, मथुरा को दिनांक 8-10-98 को प्राप्त हुआ था, उसके अनुपालन में जिला विकास अधिकारी, मथुरा के आदेश दिनांक 12-10-98 द्वारा पूर्व में किया गया श्री किशन सिंह का स्थानान्तरण आगामी आदेशों तक स्थागित कर दिया गया।

विकास कार्यों में भारी घोटाला के सम्बन्ध में कोई विशिष्ट उल्लेखत न होने के कारण कोई कार्यवाही किया जाना सम्भव नहीं। अशोक फोटो स्टेट, पुलिस लाइन, मथुरा का भुगतान न किये जाने के सम्बन्ध में उल्लेखनीय है कि अशोक फोटो स्टेट द्वारा त्रिस्तरीय पंचायतों के निर्वाचन, 1995 को सम्पन्न कराने के लिए निर्वाचक नियमावलियों की फोटो प्रतियां की गई थी। निर्वाचन नियमावलियों की छपाई फोटो प्रति के भुगतान हेतु वर्ष 95 में रु0 6,60,000/- की धनराशि उक्त जनपद को प्राप्त हुई, जिसके विपरीत रु0 6,59,550/- का भुगतान विभिन्न फर्मों को किये जाने के उपरान्त रु0 2,96,226/- के बिल विभिन्न फर्मों/प्रेसों के लम्बित चल रहे हैं जिसके भुगतान हेतु आवश्यक कार्यवाही की जा रही है। वर्तमान वित्तीय वर्ष में इस मद से सम्बन्धित किसी फर्म को कोई भी भुगतान नहीं किया गया है। यह भी

अवगत कराना है कि उक्त भुगतान जिला पंचायत राज अधिकारी, मथुरा द्वारा किया जाना है न कि मुख्य विकास अधिकारी, मथुरा द्वारा जिला पंचायत की जिप्सी की नीलामी हेतु अध्यक्ष, जिला पंचायत को स्वीकृत दिनांक 27-11-98 के अनुसार श्री मनोज कुमार शर्मा, कर अधिकारी, श्री सतीश चन्द्र शर्मा, प्रभारी अभियंता एवं वित्तीय परामर्शदाता की एक समिति गठित की गयी। नीलामी हेतु निर्धारित तिथि 09-12-98 का विज्ञापन दैनिक जागरण दिनांक 2-12-98 में प्रकाशित कराया गया। मुख्य विकास अधिकारी, मथुरा उक्त समिति के सदस्य नामित नहीं थे। निर्धारित तिथि दिनांक 09-12-98 को उपस्थित लोगों में से सर्वाधिक बोली बोलने वाले व्यक्ति को नीलामी समिति द्वारा स्वीकृत की गयी।

जनपद गोण्डा के श्री गांधी विद्या मन्दिर इण्टर कालेज को मूल्यांकन केन्द्र बनाकर तथा विद्यालय प्रधानाचार्य श्री सुरेन्द्र दत्त राम पाण्डेय को उप नियंत्रक बनाकर मूल्यांकन कराये जाने के संबंध में मा0 श्री राम पाल सिंह द्वारा नियम-5। के अन्तर्गत दी गई सूचना पर संसदीय कार्य मंत्री का केवल वक्तव्य

(सदन की सहमति से वक्तव्य पढ़ा हुआ माना गया।)

संसदीय कार्य मंत्री (श्री हुकुम सिंह)-

(इस सम्बन्ध में अवगत कराना है कि माध्यमिक शिक्षा परिषद् द्वारा आयोजित वर्ष 1996 (1966 नहीं) हाईस्कूल तथा इण्टरमीडिएट परीक्षाओं में श्री गांधी विद्या मंदिर इण्टर कालेज, गोण्डा को मात्र इण्टरमीडिएट परीक्षा का मूल्यांकन केन्द्र बनाया गया था जिसके उप-नियंत्रक नियमानुसार विद्यालय के प्रधानाचार्य श्री सुरेन्द्र दत्त राम पाण्डेय थे। इस सम्बन्ध में श्री वृजेश कुमार द्विवेदी जिलाध्यक्ष, माध्यमिक शिक्षक संघ ने अपने पत्र दिनांक 16-01-97 द्वारा श्री सुरेन्द्र दत्त राम पाण्डेय के विरुद्ध कतिपय अनियमितताओं की शिकायतें करते हुए दोषी व्यक्तियों को दण्डित किये जाने एवं मूल्यांकन केन्द्र के हटाने की मांग की। शिकायती-पत्र में निम्नलिखित अनियमितताओं का उल्लेख किया गया था:-

(1) कक्ष सहायक किसी भी टोली में नहीं रखे जाते जबकि फर्जी बिल बनाकर भुगतान कर लिया जाता है।
(2) परिषद् द्वारा नियुक्त परीक्षकों को कम कापियों मूल्यांकन हेतु देना तथा शेष कापियां कमीशन पर अयोग्य अध्यापकों से मूल्यांकित कराकर योग्य अध्यापकों के हस्ताक्षर करा देना।
(3) एवार्ड ब्लैक में अंक पहले तथा उत्तर पुस्तिकाओं में तद्नुसार बाद में चढ़ाना।
(4) जूनियर हाईस्कूल तथा प्राइमरी स्तर तक पढ़ाने वाले अध्यापकों से कापियां जंचवाना।
(5) व्यावसायिक शिक्षा की अस्थायी अध्यापिका से सीमा से अधिक धनराशि की कापियां जंचवाना।

इन अनियमितताओं की जांच माध्यमिक शिक्षा परिषद् के अपर सचिव, (प्र0) से करायी गयी प्राप्त जांच आख्यानुसार उपर्युक्त बिन्दुओं में से क्रम-1 से 3 तक की जांच उत्तर पुस्तिकाओं पर आधारित थी और शिकायती-पत्र प्राप्त होने के पूर्व ही उत्तर पुस्तिकायें विनष्ट करायी जा चुकी थीं अतः इनकी जांच नहीं की जा सकी। शेष बिन्दु 4 तथा 5 की जांच में निम्न तथ्य प्रकाश में आये:-

---

नोट:- ( ) यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

(1) श्रीमती सुनैना 'पाण्डेय जो कक्षा-8 तक की मान्यता प्राप्त विद्यालय की शिक्षिका है को तथा श्रीमती आशा पाण्डेय को जो श्री गांधी विद्या मंदिर इण्टर कालेज गोण्डा में व्यावसायिक शिक्षा योजना के अन्तर्गत अंश कालिक रूप में कार्यरत है को मूल्यांकन कार्य प्रदान किया गया है जो अनियमित एवं अवैधानिक है।

(2) श्रीमती आशा पाण्डेय को निर्धारित सीमा से अधिक 4012.50 पैसे का पारिश्रमिक कार्य प्रदान किया गया है।

इस सम्बन्ध में सन्दर्भगत मूल्यांकन केन्द्र के उप नियंत्रक का स्पष्टीकरण प्राप्त किया गया उनका कथन है कि उनके द्वारा अपने विवेक का प्रयोग करते हुए अपने दायित्वों का निर्वहन किया है जिससे उत्तर पुस्तिकायें समयान्तर्गत मूल्यांकित हो सकें।

जांच अधिकारी की उपर्युक्त आख्या के आलोक में प्रकरण परीक्षा समिति के समक्ष दिनांक 03-05-97 को विचारार्थ प्रस्तुत किया गया। समिति ने विचारोपरान्त श्री सुरेन्द्र दत्त राम पाण्डेय को परिषद् के समस्त पारिश्रमिक कार्यों से केन्द्र व्यवस्थापक उप नियंत्रक एवं अग्रसारण कार्य सहित (पांच वर्षों के लिए व्यवधान वर्ष छोड़कर वंचित करने तथा विद्यालय को भविष्य में मूल्यांकन केन्द्र न बनाने का निर्णय लिया।

इस निर्णय के आलोक में प्रधानाचार्य श्री पाण्डेय ने तत्कालीन शिक्षा निदेशक (मा0) एवं सभापति माध्यमिक शिक्षा परिषद् को प्रत्यावेदन प्रेषित कर पुनर्विचार का अनुरोध किया। शिक्षा निदेशक (मा0) एवं सभापति माध्यमिक शिक्षा परिषद् के आदेशानुसार इनके प्रत्यावेदन में दिये गये तथ्यों के आधार पर प्रकरण पुनः विचार हेतु दिनांक 17-11-97 को परीक्षा समिति के समक्ष प्रस्तुत किया गया जिस पर परीक्षा समिति ने निर्णय लिया कि श्री सुरेन्द्र दत्त राम पाण्डेय उप-नियंत्रक के सम्बन्ध में अपर सचिव (प्र0) द्वारा की गयी जांच की संस्तुतियां तथा श्री पाण्डेय द्वारा प्रस्तुत प्रत्यावेदन में उल्लिखित बिन्दुओं पर जिला विद्यालय निरीक्षक गोण्डा की अद्यतन आख्या प्राप्त कर प्रकरण पुनः समिति के विचारार्थ प्रस्तुत किया जाय। परीक्षा समिति के निर्णयानुसार जिला विद्यालय निरीक्षक, गोण्डा की आख्या प्राप्त की गई प्राप्त आख्या के साथ प्रकरण पुनः 9 मार्च, 1998 को परीक्षा समिति के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत किया गया। जिला विद्यालय निरीक्षक, गोण्डा की आख्या के आलोक में समिति ने श्री पाण्डेय को उप नियंत्रक के कार्य से वंचित रखने तथा परिषद् के अग्रसारण तथा केन्द्र व्यवस्थापक के कार्यों के सम्पादन हेतु अर्ह माने जाने का निर्णय लिया।

जहां तक मा0 सदस्य द्वारा दी गई सूचनानुसार उप शिक्षा निदेशक (मा0) नवम् मण्डल फैजाबाद द्वारा जांचोपरान्त विद्यालय को मूल्यांकन केन्द्र एवं अन्य परिषदीय परीक्षा कार्य कराये जाने की संस्तुति किये जाने का सम्बन्ध है, इस सन्दर्भ में अवगत कराना है कि उप-शिक्षा निदेशक (मा0) नवम् मण्डल फैजाबाद द्वारा प्रश्नगत विद्यालय को परिषदीय परीक्षा में मूल्यांकन केन्द्र बनाये जाने की संस्तुति की गई है जबकि प्रश्नगत प्रकरण इस विद्यालय के प्रधानाचार्य श्री सुरेन्द्र दत्त राम पाण्डेय द्वारा वर्ष 1996 के मूल्यांकन के समय जब वह उप नियंत्रक थे, मूल्यांकन केन्द्र पर की गई अनियमितताओं से सम्बन्धित है जिस पर सम्यक् जाचों परान्त परिषद् के परीक्षा समिति के निर्णयानुसार मूल्यांकन कार्य से वंचित रखे जाने का निर्णय लिया गया है। इस प्रकार मण्डलीय उप शिक्षा निदेशक (मा0) द्वारा की गई संस्तुति वर्ष 1996 के मूल्यांकन के समय की गई अनियमितताओं का प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से कोई सम्बन्ध नहीं है। इस सम्बन्ध में यह भी अवगत कराना समीचीन होगा कि कोई भी विद्यालय एवं उसके प्रधानाचार्य द्वारा अधिकार स्वरूप परिषद् परीक्षा का मूल्यांकन केन्द्र बनाये जाने का दावा नहीं कर सकता। परिषद् परीक्षा की सुचिता को बनाये रखने हेतु या पूर्णरूपेण परिषद् का दायित्व है कि जिस विद्यालय को उनके द्वारा उचित उपर्युक्त समझा जाये उसे मूल्यांकन केन्द्र बनायें, जिससे मूल्यांकन की पवित्रता, गोपनीयता एवं विश्वसनीयता बनी रहे।

इस प्रकार उपरोक्त से स्पष्ट है कि परिषद् की वर्ष 1996 की परीक्षाओं में सन्दर्भगत विद्यालय को मूल्यांकन केन्द्र बनाये जाने पर विद्यालय प्रधानाचार्य द्वारा कतिपय अनियमिततायें की गई हैं। अतः परिषद् परीक्षाओं की गरिमा, गुणवत्ता एवं विश्वसनीयता को दृष्टिगत रखते हुए संदर्भगत विद्यालय को परिषद् की वर्ष 1999 की परीक्षाओं हेतु मूल्यांकन केन्द्र बनाया जाना सम्भव नहीं है।)

जनपद आगरा के थाना जगदीशपुरा अन्तर्गत सुभाषनगर निवासी श्री राजेन्द्र की कथित रूप से पुलिस द्वारा दी गई यातनाओं के बाद संदिग्ध परिस्थितियों में हुई मृत्यु से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में डा0 राम बाबू हरित द्वारा नियम-5। के अन्तर्गत दी गई सूचना पर संसदीय कार्य मंत्री का केवल वक्तव्य।

(सदन की सहमति से वक्तव्य पढ़ा हुआ माना गया।)

संसदीय कार्य मंत्री (श्री हुकुम सिंह)-

(दिनांक 20-2-99 को वादी श्री नवीन कुमार जैन, पुत्र स्व0 श्री जीवन लाल जैन, निवासी नवजीवन न्यू प्रेमपुरी, थाना रेलवे रोड, मेरठ द्वारा लिखित तहरीर दर्ज कराई गई कि सोने की चैन बनाने की फैक्टरी में गत रात्रि 19/20-2-99 को चोरों ने मकान के ऊपर चढ़कर फैक्ट्री के आफिस का गैस बैल्डिंग कटर से किवाड़ जलाकर ताला खोल कर मेज के दराजो में रखा हुआ ठोस चैनों के रूप में तथा तार के रूप में कुल लगभग 6 किलोग्राम सोना चुरा कर ले गये हैं। जिसकी कीमत लगभग 26 लाख रुपये है।

नोटः- ( ) यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

उक्त सूचना पर थाना रेलवे रोड, मेरठ पर मु0अ0सं0-26/99 अन्तर्गत धारा 457, 380 भा0द0वि0 बनाम अज्ञात पंजीकृत किया गया था। इस अभियोग की विवेचना के दौरान वादी श्री नवीन कुमार जैन द्वारा अपने ही वर्करों पर संदेह व्यक्त किया गया, इस पर स्थानीय पुलिस द्वारा दिनांक 20-02-99 को वादी की फैक्ट्री में ही वर्करों से पूछताछ की गई। इसी क्रम में मृतक राजेन्द्र से भी फैक्ट्री में ही पूछताछ कर उसे वहीं छोड़ दिया गया। यह कथन असत्य है कि मृतक राजेन्द्र उसके पिता श्री चन्द्रभान अथवा उसकी पत्नी श्रीमती सीमा को थाना लाया गया, बल्कि वह स्वयं थाने आये थे।

यह कथन असत्य है कि स्थानीय पुलिस द्वारा मृतक राजेन्द्र को यातनायें दी गई हैं, क्योंकि दिनांक 27-02-99 को मृतक राजेन्द्र द्वारा श्री नवीन चन्द्र जैन की कोठी में बनी लैट्रीन में आत्महत्या कर लेने के सम्बन्ध में मृतक के पिता श्री चन्द्रभान द्वारा स्वयं हस्तलिखित तहरीर थाना रेलवे रोड, मेरठ पर दाखिल की गई थी। इस तहरीर का उल्लेख रोजनामचा आम रपट नं0-29 समय 12.05 बजे दिनांक 27-2-99 को किया गया। सूचना पर तत्कालीन थाना प्रभारी रेलवे रोड मय फोर्स के मौके पर पहुंचे और शव का पंचायतनामा भरकर पोस्टमार्टम कराया गया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मृत्यु का कारण लटकने से गला दबने पर सांस रुकने के कारण होना पाया गया। इसके उपरान्त मृतक राजेन्द्र का शव उसके पिता श्री चन्द्रभान की सुपुर्दगी में दे दिया गया, जो उसे लेकर आगरा चला गया।

जनपद आगरा पहुंचकर श्री चन्द्रभान द्वारा दिनांक 28-2-99 को थाना जगदीशपुरा, आगरा पर टाइप शुदा तहरीर दी, जिसमें उसके द्वारा आरोपित किया गया कि उसके पुत्र राजेन्द्र को अतुल जैन व नवीन जैन आदि ने यातनायें देकर मार डाला। इस सूचना पर थाना जगदीशपुरा आगरा पर चिक संख्या 39/99 धारा 302 भा0दं0वि0 अपराध सं0-शून्य सम्बन्धित थाना रेलवे रोड़, मेरठ पंजीकृत पर जनपद आगरा से ही मृतक राजेन्द्र के शव का पुनः पोस्टमार्टम कराया गया, जिससे भी मृत्यु का कारण उपरोक्त ही पाया गया तथा थाना जगदीशपुरा, आगरा पर पंजीकृत प्रथम सूचना रिपोर्ट पंचायतनामा एवं पोस्टमार्टम रिपोर्ट जनपद रेलवेरोड मेरठ को भेजी गयी जिसके आधार पर दिनांक 15-3-99 को थाना मेरठ पर मु0अ0सं0-36/99 धारा 302 भा0दं0वि0 पंजीकृत किया गया। पंजीकृत मु0अ0सं0-36/99 धारा 302 भ0दं0वि0 की विवेचना के दौरान वादी श्री चन्द्रभान ने बताया कि उसके पुत्र राजेन्द्र ने आत्मग्लानि के कारण ही स्वयं आत्महत्या की है, इसके लिए कोई व्यक्ति जिम्मेदार नहीं है, इसी क्रम में प्रथम सूचना के गवाहान श्री राजकुमार प्रजापति, श्री छीतरमल, श्री इस्लामखां द्वारा भी वादी श्री चन्द्रभान के कथन का समर्थन करते हुए अपने-अपने शपथ-पत्र प्रेषित किये हैं।

वादी, श्री चन्द्रभान द्वारा अपने शपथ पत्र में यह भी उल्लेख किया है कि जब परिवार व बिरादरी के लोगों ने अन्तिम संस्कार करने के लिये तैयारी शुरू कर दी तभी वहां अनेकों राजनैतिक दल के लोग आ गये और उन्होने कहा कि अभी

शव का अन्तिम संस्कार न करों, हम तुम्हें भारी रकम सरकार व सेठ जी से दिलायेंगे उन्हें घटना के बारे में सच्ची बात बताने की कोशिश की तो उनकी बात नहीं सुनी और बेटे के शव को लेकर हंगामा व रास्ता जाम किया और अपने निजी स्वार्थों में टाइप किये हुए व कोरे कागजों पर दस्तखत करा लिये व अधिकारियों से अपने तरीके से बातचीत करते रहे और मुझे भी अधिकारियों के पास ले गये और मैं भी मुआवजे के लालच में उनके कहे अनुसार करता रहा।

स्थानीय पुलिस की विवेचना, पोस्टमार्टम रिपोर्टों तथा वादी (मृतक के पिता) श्री चन्द्रभान तथा प्रथम सूचना रिपोर्ट के गवाहीन राजकुमार प्रजापति, छीतरमल व इस्लामखां के शपथ पत्र से स्पष्ट है कि मृतक राजेन्द्र ने आत्महत्या की थी। अतएव नियम-5। की सूचना में कथित मृतक राजेन्द्र को पुलिस द्वारा यातना दिये जाने के कथन की पुष्टि नहीं हुई।)

फतेहपुर सीकरी क्षेत्र में किरावली आगरा में ग्रामीण स्टेडियम के निर्माण कार्य को पूर्ण कराने के सम्बन्ध में, श्री बाबू लाल द्वारा नियम-5। के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर संसदीय कार्य मंत्री का केवल वक्तव्य

(सदन की सहमति से वक्तव्य पढ़ा हुआ माना गया।)

संसदीय कार्य मंत्री (श्री हुकुम सिंह)-

(किरावली जनपद आगरा में ग्रामीण स्टेडियम का शिलान्यास मा0 मुख्यमंत्री (श्री कल्याण सिंह) द्वारा दिनांक 22-12-91 को किया गया था। स्टेडियम के निर्माण हेतु शासनादेश संख्या-5105/पचास-यु0क0-90-105/90, दिनांक 31-01-91 द्वारा रु0 10.00 लाख की धनराशि स्वीकृत की गयी थी। उक्त धनराशि को पी0एल0ए0 में रखा गया था, क्योंकि उक्त स्थल पर उपयुक्त भूमि की व्यवस्था नहीं हो पायी थी। स्टेडियम के निर्माण के लिए निर्माण संस्था का भी निर्धारण नहीं हुआ था। रु0 10.00 लाख की धनराशि जिलाधिकारी, आगरा को बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से दिनांक 25-3-92 को उपलब्ध करा दी गयी थी। इस बीच निर्माण से सम्बन्धित गुणवत्ता की शिकायत जनप्रतिनिधियों से प्राप्त हुई। शासनादेश संख्या-575/पचास-यु0क0-92-105/90 दिनांक 4-4-92 द्वारा यह निर्णय लिया गया कि उक्त स्टेडियम का निर्माण कान्स्ट्रक्सन डिजाइन सर्विसेज जल निगम उत्तर प्रदेश से कराया जायेगा। इसके अतिरिक्त शासनादेश संख्या-331/पचास-यु0क0-95-34/94, दिनांक 31 मार्च, 1995 द्वारा अधूरे कार्य को पूरा करने के लिए रु0 7.55 लाख (रु0 सात लाख पचपन हजार) की धनराशि और स्वीकृत की गयी परन्तु यह शर्त थी कि उक्त धनराशि का व्यय निर्माण कार्य और आगणनों का विस्तृत परीक्षण/कार्य का अनुमोदन सक्षम स्तर से प्राप्त कर वित्त विभाग की सहमति से किया जायेगा। यह धनराशि भी पी0एल0ए0 में रखी गयी।

नोटः- ( ) यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

(2)-निर्माण कार्य प्रारम्भ होने पर मा0 विधायक द्वारा यह शिकायत प्राप्त हुई कि निर्माण कार्य ठीक से नहीं किया जा रहा है। फलस्वरूप लोक निर्माण विभाग से जांच कराने के लिए निदेश शासन के पत्र संख्या-958/पचास-यु0क0-94-105/94, दिनांक 15-6-94 द्वारा दिये गये, परन्तु कतिपय कारणों से यह जांच नही हो पायी। इसी बीच सचिव, युवा कल्याण की अध्यक्षता में बैठक हुई और यह निर्णय लिया गया कि अपर निदेशक युवा कल्याण एवं निर्माण संस्था के वरिष्ठ सक्षम अधिकारी द्वारा संयुक्त निरीक्षण कर आख्या भेजी जाय। संयुक्त निरीक्षण रिपोर्ट निदेशालय के पत्र संख्या-1068/छः-333/प्राविद/91, दिनांक 9 सितम्बर, 1997 द्वारा शासन को प्रेषित की गयी। शासन द्वारा रिपोर्ट पर विचार कर यह निर्णय लिया गया कि संशोधित आगणन शासन को उपलब्ध कराया जाय निदेशालय के पत्र संख्या-450/छः 333/प्राविद0/91, दिनांक 21 अगस्त, 1998 द्वारा रु0 12.00 लाख का स्टीमेट शा[illegible] को उपलब्ध कराया गया।

(3)-तत्पश्चात् शासनादेश संख्या-2118/पचास-यु0क0-98-105/90, दिनांक 7 सितम्बर, 1998 द्वारा रु0 7.45 लाख की अतिरिक्त धनराशि अधूरे निर्माण कार्य को पूर्ण कराये जाने हेतु स्वीकृत की गयी जिसे निर्माण संस्था को उपलब्ध करा दिया गया। इस प्रकार पुराने मानक के आधार पर प्रश्नगत ग्रामीण स्टेडियम की कुल रु0 25.00 लाख की धनराशि स्वीकृत की जा चुकी है।

(4)-दिनांक 18-11-98 को महानिदेशक, युवा कल्याण की अध्यक्षता में बैठक कर निर्माण कार्य की समीक्षा गयी थी, जिसमें यह निर्णय लिया गया था कि निर्माण संस्था द्वारा 28 फरवरी, 1999 तक कार्य पूर्ण कर लिया जाय। बैठक का कार्यवृत्त अन्य के अतिरिक्त निर्माण एजेन्सी अर्थात जल निगम को भी निदेशालय के पत्र संख्या-3340/छः-30/प्रा0वि0द0/98, दिनांक 25-11-98 द्वारा प्रेषित किया गया था। कान्स्ट्रक्सन डिजाइन सर्विसेज उत्तर प्रदेश जल निगम ने अपने पत्र दिनांक 20-2-99 द्वारा मासिक प्रगति माह जनवरी, 1999 तक भेजी गयी थी, जिसमें रु0 11.15 लाख की धनराशि व्यय करने का उल्लेख किया गया है।

(5)-महानिदेशक, युवा कल्याण ने दिनांक 24-2-99 को निदेशक कान्स्ट्रक्सन डिजाइन सर्विसेज जल निगम से नवीनतम वित्तीय एवं भौतिक रिपोर्ट मांगी थी। महाप्रबन्धक कान्स्ट्रक्सन डिजाइन सर्विसेज जल निगम ने अपने पत्र दिनांक 19-3-99 द्वारा यह अवगत कराया है कि जिस स्थान पर स्टेडियम का निर्माण किया जा रहा है वहां पर जल भराव की स्थिति बनी रहती है, जिससे निर्माण कार्य नहीं किया जा सका। यह भी अवगत कराया है कि जल भराव की स्थिति प्रत्येक वर्ष होगी। इसलिए इसे दूर करने के लिए इसका एक पुनरीक्षित मानचित्र तैयार किया जा रहा है। महानिदेशक, युवा कल्याण द्वारा दिनांक 19-3-99 को श्री एन0के0 शुक्ल, महाप्रबन्धक, कान्स्ट्रक्सन डिजाइन सर्विसेज जल निगम को पत्र भेजकर निर्माण कार्य की अद्यतन स्थिति की सूचना उपलब्ध कराने के लिए कहा है जो अभी तक प्राप्त नहीं हो सकी है।)

नोटः-( ) यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

जनपद आगरा की नगर पंचायत फतेहाबाद में पेयजल समस्या के निदान हेतु पानी की टंकी तथा दो नल कूपों का निर्माण कराये जाने के सम्बन्धो में श्री विजय पाल सिंह, द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर संसदीय कार्य, मंत्री का केवल वक्तव्य

(सदन की सहमति से वक्तव्य पढ़ा हुआ माना गया)।

श्री हुकुम सिंह-

माननीय सदस्य श्री विजय पाल सिंह ने जनपद-आगरा की नगर पंचायत, फतेहाबाद में कभी-कभी हफ्तों विद्युत आपूर्ति न होने के कारण पानी की त्राहि-त्राहि मच जाने से जनता में भारी आक्रोश व्याप्त होने का उल्लेख करते हुए उक्त नगर पंचायत की पेयजल समस्या के समाधान हेतु एक पानी की टंकी, दो नलकूप तथा पुरानी टंकी पर एक अन्य नलकूप लगाये जाने की संस्तुति की है।

इस सम्बन्ध में निवेदन है कि आगरा जनपद की नगर पंचायत, फतेहाबाद की आबादी वर्ष 1991 की जनगणना के अनुसार 13624 है और वर्तमान में लगभग 25,000 आबादी है। इस नगर पंचायत में पेयजल व्यवस्था हेतु 05 नलकूप तथा दो अवर जलाशय हैं जिनमें से वर्तमान में दो नलकूप कार्यरत हैं जिनकी क्षमता 7.5 एवं 15 एच0पी0 है। उक्त नलकूपों से क्रमशः लगभग 100 एवं 400 लीटर प्रति मिनट पेयजल आपूर्ति होती है। उक्त के अतिरिक्त 77 कार्यरत हैण्डपम्पों से पेयजल उपलब्ध कराया जा रहा है। नगर पंचायत, फतेहाबाद में कभी-कभी विद्युत आपूर्ति बांधित हो जाने एवं नलकूपों में कोई विशेष तकनीकी खराबी आ जाने के कारण पेयजल आपूर्ति बाधित होती हैं। वर्तमान में नगर पंचायत क्षेत्र के अन्तर्गत नई कालोनियों के निर्माण के कारण, जनसंख्या एवं आबादी क्षेत्र में वृद्धि हो जाने के कारण मानक के अनुसार पेयजल की आपूर्ति नहीं हो पा रही है किन्तु पेयजल आपूर्ति का घोर संकट नहीं है और न ही पानी की त्राहि-त्राहि मची है।

उक्त क्षेत्र में पानी की एक अतिरिक्त टंकी, दो नलकूप तथा पुरानी टंकी पर एक अन्य नलकूप अधिष्ठापित किये जाने के प्रश्न के सम्बन्ध में यह निवेदन है कि स्थलीय निरीक्षण कर आगणन/प्रस्ताव तैयार किये जाने हेतु निर्देश प्रसारित कर दिये गये हैं जो हैण्डपम्प कार्यरत नहीं है, उन्हें ठीक कराये जाने की भी कार्यवाही की जा रही है ताकि पेयजल का संकट न रहे।)

बिहार एवं मध्य प्रदेश सरकारों द्वारा उत्तर प्रदेश के अभ्यर्थियों के लिये प्रान्तीय सेवाओं में भाग लेने पर रोक लगाये जाने के फलस्वरूप उत्तर प्रदेश में भी प्रान्तीय सेवाओं में अन्य प्रदेश के अभ्यर्थियों के भाग लेने पर रोक लगाये जाने के सम्बन्ध में डा0 सरजीत सिंह डंग द्वारा नियम-5। के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर संसदीय कार्य मंत्री का वक्तव्य।

(सदन की सहमति से वक्तव्य पढ़ा हुआ माना गया)

संसदीय कार्य मंत्री (श्री हुकुम सिंह)-

(मा0 विधान सभा सदस्य द्वारा नियम-5। के अन्तर्गत दी गयी सूचना में यह अवगत कराया गया है कि मध्य प्रदेश एवं बिहार की राज्य सरकारों द्वारा प्रान्तीय सिविल सेवा सहित अन्य स्थानीय सेवाओं में अन्य प्रदेशों के प्रतियोंगी परीक्षार्थियों के भाग लेने पर रोक लगा दी गयी है । मा0 विधान सभा सदस्य द्वारा उक्त के आधार पर यह मांग की गयी है, कि उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा भी अन्य प्रदेशों के अभ्यर्थियों के सेवायोजन को प्रतिबन्धित कर दिया जाय ।

2. उपर्युक्त के सम्बन्ध में मध्य प्रदेश एवं बिहार सरकार के अधिकारियों से दूरभाष पर वार्ता की गयी, जिससे यह स्पष्ट हुआ कि यद्यपि मध्य प्रदेश शासन द्वारा अपने आदेश दिनांक 02 अगस्त, 1997 द्वारा यह प्राविधान कर दिये गये थे, कि मध्य प्रदेश शासन के अन्तर्गत सेवायोजन के लिए अभ्यर्थी का हायर सेकेन्ड्री या स्नातक परीक्षा में से एक परीक्षा मध्य प्रदेश में स्थित किसी विद्यालय या महाविद्यालय से उत्तीर्ण होना आवश्यक है, किन्तु उक्त शासनादेश के प्राविधानों को कुछ अभ्यर्थियों द्वारा मा0 न्यायालय में चुनौती दी गयी है, जो अभी अनिर्णीत है । बिहार सरकार द्वारा यह अवगत कराया गया कि उनके द्वारा अन्य प्रदेशों के अभ्यथियों के सेवायोजन पर किसी प्रकार की कोई रोक नहीं लगायी गयी है ।

3. मध्य प्रदेश एवं बिहार सरकार द्वारा दूरभाष पर स्पष्ट की गयी स्थिति तथा उत्तर प्रदेश सरकार के कार्मिक विभाग द्वारा दिनांक 14 अगस्त, 1976 को जारी कार्यालय ज्ञाप, जिसमें यह प्राविधानित है कि राज्य सरकार के अधीन किसी पद या सेवा में भर्ती होने के लिए अभ्यर्थी को भारत का नागरिक होना आवश्यक है, को दृष्टि में रखते हुये अन्य प्रदेशों के अभ्यर्थियों को प्रतियोगी परीक्षाओं से विरत करना अथवा उनके सेवा योजन को प्रतिबन्धित करना उचित प्रतीत नहीं होता है ।)

डा0 सरजीत सिंह डंग-

मान्यवर, मुझे एक स्पष्टीकरण पूछना है । उत्तर में कहा गया कि मध्य प्रदेश शासन के अन्तर्गत सेवायोजन के लिये अभ्यर्थी का हायरसेकेन्ड्री या स्नातक परीक्षा में से एक परीक्षा मध्य प्रदेश में स्थित किसी विद्यालय या महाविद्यालय से उत्तीर्ण होना आवश्यक है, किन्तु उक्त शासनादेश के प्राविधानों को कुछ अभ्यर्थियों

नोट:- ( ) यह अंश पढ़ा हुआ माना गया ।

द्वारा माननीय न्यायालय में चुनौती दी गई है, जो अभी अनिर्णीत है लेकिन मान्यवर, इसमें यह कहीं नहीं कहा गया है कि माननीय न्यायालय ने स्थगन का आदेश दिया है। मैं जानना यह चाहता हूं कि क्या इसी प्रकार उत्तर प्रदेश में मध्य प्रदेश की भांति जो परीक्षा में बैठना चाहते हैं, उनके लिये हायर सेकेन्ड्री या स्नातक परीक्षा उत्तीर्ण करना अनिवार्य सरकार करेगी?

श्री हुकुम सिंह-

मान्यवर, यह मामला न्यायालय में लम्बित है। वहां से निर्णय हो जाये, तद्नुसार कार्यवाही की जायेगी।

डा0 सरजीत सिंह डंग-

मान्यवर, इस सरकार के ऊपर कोई रोक नहीं है। यहां के लोगों के साथ अन्याय हो रहा है। मैं जानना यह चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश में सरकार इस बात पर विचार करेगी कि मध्य प्रदेश की तरह यहां भी हायर सेकेन्ड्री या स्नातक में से एक परीक्षा किसी विद्यालय से होना अनिवार्य कर दिया जायेगा।

श्री हुकुम सिंह-

यह बात सही है कि कोई स्थगनादेश नहीं है, लेकिन मामला अभी विचाराधीन है और इसके दूरगामी परिणाम होगें। अन्तिम रूप से तय हो जाय फिर अन्तिम रूप से कार्यवाही की जायेगी।

प्रदेश में विशेषतः मेरठ में पेयजल की शुद्धीकरण व्यवस्था सुदृढ़ करने हेतु क्लोरीनेशन तथा नमूनों की जांच विषयक प्रभावी कार्यवाही सुनिश्चित कराये जाने के सम्बन्ध में डा0 लक्ष्मीकान्त बाजपेई द्वारा नियम-5। के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर संसदीय कार्य मंत्री का वक्तव्य

सदन की सहमति से वक्तव्य पढ़ा हुआ माना गया

संसदीय कार्य मंत्री (श्री हुकुम सिंह)-

(माननीय सदस्य डा0 लक्ष्मीकान्त बाजपेई ने नियम-5। के अर्न्तगत सूचना देते हुए सम्पूर्ण प्रदेश में पेयजल के नमूनों की जांच तथा क्लोरीनेशन की प्रभावी व्यवस्था करने की मांग की है। साथ ही यह भी कहा है कि (।) मेरठ महानगर के ट्यूब बेलों पर भी क्लोरीनेशन बार-बार आग्रह करने के बाबजूद नहीं हो रहा है जिसके कारण पीलिया या अन्य घातक बीमारी महामारी का रूप ले सकती है।

डा0 लक्ष्मीकान्त बाजपेई, मा0 सदस्य, विधान सभा द्वारा दी गई उपरोक्त सूचना के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि। मेरठ महानगर में अभी तक पीलिया रोग से किसी के ग्रसित होने की सूचना न तो जिला स्तर पर और न ही शासन स्तर पर प्राप्त हुई है। चूंकि लखनऊ में पीलिया के कुछ रोगी पाये गये है इस लिये शासन ने पहले से ही सतर्कता बरतते हुए शासनादेश दिनांक 04 मार्च, ।999 द्वारा समस्त मण्डलायुक्त/समस्त जिलाधिकारी/समस्त मुख्य नगर अधिकारी तथा महाप्रबन्धक, जल संस्थान, उत्तर प्रदेश को निर्देश प्रसारित किये गये हैं जिसके मुख्य बिन्दु निम्नवत् है:-

(क) पाइप लाइनों के लीकेज अभियान चलाकर बन्द करायें जायें।

(ख) पेयजल की शुद्धता सुनिश्चित करने के लिये पानी में क्लोरीनेशन अवश्य किया जाये तथा जहां पर पीलिया की शिकायत प्राप्त हो उस क्षेत्र विशेष में सुपर क्लोरीनेशन की व्यवस्था करायी जाये।

(ग) संक्रामक रोगों की दृष्टि से संवेदनशील जनपदों/स्थानों में संयुक्त जांच दल गठित किया जाये जिसमें जल संस्थान/जलकल विभाग तथा चिकित्सा विभाग के अधिकारी सम्मिलित हो।

(घ) स्थानीय निकायों में कार्यरत सभी सफाई कर्मचारियों/निरीक्षकों के माध्यम से यह जांच करा ली जाये कि कहीं पर सीवर लाइने, जलापूर्ति की लाइनों से जुड़ी हुई तो नहीं हैं। यदि ऐसा है तो उसे अविलम्ब ठीक करा दिया जाये।

(ड.) अवर जलाशयों को निर्धारित समयों के अन्दर सफाई कराया जाना सुनिश्चित किया जाये।

(च) नगरों के कटे-सड़े फलों, गन्ने के रस की ब्रिक्री आदि पर तत्काल रोक लगायी जाये।

(छ) आयुक्त/जिलाधिकारी द्वारा इस सम्बन्ध में नियमित समीक्षा बैठक करने तथा किसी भी स्थिति में प्रदेश में पीलिया के प्रकोप की सम्भावना को अविलम्ब समाप्त करने के भी निर्देश दिये गये हैं।

(2) मेरठ नगर के सभी जलाशयों की सफाई प्रारम्भ कर दी गयी है और यह कार्य अप्रैल के प्रथम सप्ताह में पूर्ण कर लिया जायेगा।

(3) मेरठ नगर के ट्यूबवेलों पर क्लोरीनेशन किये जाने तथा पेयजल के नमूनों की जांच करने के लिये जिलाधिकारी, मेरठ को अलग से भी निर्देश प्रसारित कर दिये गये हैं।)

जनपद मथुरा के गोवर्धन-फरह तथा मथुरा ब्लाकों के अन्तर्गत विद्युतीकरण तथा विद्युत आपूर्ति की समुचित व्यवस्था सुनिश्चित किये जाने व ताज महल की सुरक्षा हेतु ताज ट्रेपोजियम को प्रभावी रूप से अमल में लाये जाने के सम्बन्ध में श्री अजय कुमार पोइया द्वारा नियम 51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर संसदीय कार्य मंत्री का केवल वक्तव्य

(सदन की सहमति से वक्तव्य पढ़ा हुआ माना गया।)

संसदीय कार्य मंत्री (श्री हुकुम सिंह)-

(माननीय श्री अजय कुमार पोइया, विधायक गोवर्धन ने माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेश के अनुरूप गोवर्धन विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत ब्लाक फरह गोवर्धन तथा मथुरा के ग्रामों एवं मजरों के विद्युतीकरण के सम्बन्ध में मांग की है। इस विषय में सूच्य है कि माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेशों के अनुसार ताज ट्रेपोजियम के अन्तर्गत निम्न योजनायें स्वीकृत की गई हैं:-

---

नोट:- ( ) यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

(1)-आगरा क्षेत्र में विद्युत व्यवस्था के सुदृढ़ीकरण करने के लिये योजना-रुपया 90 करोड़। इस योजना के अन्तर्गत ग्रामों के विद्युतीकरण का प्राविधान नहीं हैं।

(2)-आगरा नगर 400/220 के0वी0 उपकेन्द्र पर क्षमता वृद्धि की योजना रुपया 9.11 करोड़। इस योजना में ग्रामों के विद्युतीकरण का प्राविधान नहीं है।

(3)-ताज ट्रेपोजियम क्षेत्र में पर्यावरण सुधार हेतु विद्युत कार्यों सम्बन्धी प्रायोजना रुपया 39.09 करोड़। इस योजना के अन्तर्गत 757 नं0 ग्रामों के विद्युतीकरण का प्राविधान है। क्रम संख्या 2 व 3 पर योजनायें स्वीकृत हो चुकी है। इस योजना के अन्तर्गत कार्यो हेतु धन अभी प्राप्त नहीं हुआ है, परन्तु शीघ्र मिलने की संभावना है। माननीय श्री अजय कुमार पोइया, विधायक जी के पत्र संख्या क-42161। दिनांक 3-7-98 में उल्लेखित 32 नं0 ग्रामों के विद्युतीकरण के निर्देश निर्गत कर दिये गये हैं। परन्तु उन पर कार्यवाही इस योजना में धन उपलब्ध न होने के कारण प्रारम्भ नहीं हो पायी। जैसा की सूचित है कि इस योजना में शीघ्र धन मिलने की संभावना है। इन ग्रामों का विद्युतीकरण शीघ्र कराने की व्यवस्था की जायेगी।

जनपद मथुरा में ग्रामीण विद्युतीकरण के वर्ष 1998-99 की योजना के अन्तर्गत ग्रामों के विद्युतीकरण का कार्य किया जा रहा है तथा इस वर्ष 45 नं0 ग्रामों के विद्युतीकरण का लक्ष्य है जिसमें से 25 नं0 ग्राम माननीय विधायकों के संस्तुतित ग्रामों के लिये आरक्षित है। इन ग्रामों का विद्युतीकरण जनपद मथुरा के ताज ट्रेपोजियम क्षेत्र तथा उससे बाहर के क्षेत्र को मिला कर किया जा रहा है।

मा0श्री अजय कुमार पोइया, विधायक द्वारा संस्तुतित 5 ग्रामों में से 3 नं0 ग्रामों का विद्युतीकरण पूर्ण किया जा चुका है तथा 2 संख्या ग्रामों पर सामग्री पहुंचायी जा चुकी है।

इसके अतिरिक्त गोबर्धन विधान सभा क्षेत्र में 19 नं0 मजरों के विद्युतीकरण का कार्य चल रहा है जिसमें से 12 नं0 मजरों के विद्युतीकरण का कार्य पूर्ण हो चुका है।

पत्र में वर्णित ओल क्षेत्र की विद्युत आपूर्ति, फरह उपस्थान से ओल को पोषित वाले 11 के0 वी0 लाइन के बार-बार चोरी होने के कारण बाधित हुई थी जिसकी प्रथम सूचना रिपोर्ट सम्बन्धित थाने में नियमित रूप से की गई थी परन्तु पुलिस प्रशासन द्वारा इस विषय में प्रभावी कार्यवाही अभी अपेक्षित है। इस सम्बन्ध में मा0 विधायक जी द्वारा विभागीय कर्मचारी श्री विजेन्द्र सिंह, पिट्रेलमैन के विरूद्ध लगाये गये आरोप की जांच हेतु अधिशाषी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड, प्रथम, मथुरा का जांच अधिकारी नियुक्त किया गया है। जांच निष्पक्ष हो इस आशय से सम्बन्धित कर्मचारी का स्थानान्तरण विद्युत वितरण खण्ड प्रथम से विद्युत वितरण खण्ड, तृतीय मथुरा में किया जा चुका है।

यहां यह भी उल्लेखनीय है कि सन्दर्भित क्षेत्र क्षेत्र में मीटर रीडिंग, मीटर रीडरों के द्वारा की जा रही है। इसके अतिरिक्त यह कार्य भूतपूर्व सैनिकों द्वारा भी कराये जाने का प्रयास किया जा रहा है। विद्युत बिल निजी संस्थाओं से पिछले चार माह से बटवाये जा रहें है।(

0। जनवरी, 1998 से लेकर अब तक प्रदेश में पुलि व अन्य प्रशासनि अधिकारियों/कर्मचारियों के ऊपर हुई अपराधिक घटनाओं के वावत पंजीकृत अपराधिक मुकदमा की विवेचना में समाप्त किये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में श्री राम औतार शाक्य द्वारा नियम-5। के अन्तर्गत दी गई सूचना पर संसदीय कार्य मंत्री का केवल वक्तव्य (सदन की सहमति से वक्तव्य पढ़ा हुआ माना गया)

संसदीय कार्य मंत्री (श्री हुकुम सिंह)-

(मा0 सदस्य द्वारा दिनांक 15-3-99 को नियम-5। के अन्तर्गत सूचना दी गई कि उत्तर प्रदेश में 0। जनवरी, 1998 से लेकर अबतक पुलिस/अन्य प्रशासनिक अधिकारियों/कर्मचारियों के ऊपर हुई अपराधिक घटनाओं के बावत हुए पंजीकृत केसो को विवेचना में समाप्त किया जा रहा है तथा कुछ को तो समाप्त भी कर दिया है। मा0 सदस्य द्वारा इस सम्बन्ध में उक्त अवधि में असामाजिक/अपराधिक तत्वों द्वारा अधिकारियों/कर्मचारियों पर घटित आपराधिक घटनाएं की संख्या तथा उनमें से कितने मामलों में मुकदमा पंजीकृत करके फाइनल रिपोर्ट/चार्जशीट लगायी गई है, की भी जानकारी चाही गयी है।

मा0 सदस्य द्वारा दी गई उक्त सूचना के सम्बन्ध में सूचनीय है कि शासनादेश दिनांक 11-1-1999 द्वारा समस्त जिला मैजिस्ट्रेट/वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक, उ0प्र0 को निर्देशित किया गया है कि लोक सेवकों द्वारा यदि किसी आपराधिक घटनाओं की जानकारी दी जाती है तो एफ0आई0आ0 को तत्काल दर्ज करना चाहिए एवं तत्परता से कार्यवाही करते हुए नामजद अभियुक्तों को अधिकतम 72 घंटे के अन्दर गिरफ्तार कर लेना चाहिए, यदि किन्हीं कारणों से नामजद अभियुक्तों अथवा बाद में प्रकाश में आये अभियुक्तों की गिरफ्तारी उपरोक्तानुसार सुनिश्चित न हो सकें तो द0प्र0सं0 की धारा 82/83 के अधीन कार्यवाही सुनिश्चित कराना चाहिए। लोक सेवकों द्वारा दर्ज करायी गयी एफ0आई0आर0 की जांच का कार्य अधिकतम दो माह में पूर्ण कर लेना चाहिए ताकि दो माह में ही आरोप पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया जा सके। जिला मैजिस्ट्रेट द्वारा अभियोजन की मासिक बैठक में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक के साथ ऐसे मामलों की समीक्षा/अनुश्रवण सुनिश्चित की जायेगी। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक को लोक सेवकों के विरुद्ध हुए अपराधों के सम्बन्ध में अलग से एक पंजी रखने के निर्देश दिये गये हैं। लोक सेवकों के मनोबल को बनाए रखने के लिए तथा आपराधिक तत्वों को दण्डित कराने के लिए शासन की कटिबद्धता को प्राथमिकता के आधार पर सुनिश्चित किए जाने के भी निर्देश दिये गये हैं।

नोट :- ((यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

प्रदेश में जनवरी, 1998 से अब तक पुलिस व प्रशासनिक अधिकारियों/कर्मचारियों के ऊपर हुई अपराधिक घटनाओं के बावत उत्तर प्रदेश में प्राप्त सूचना के अनुसार लोक सेवकों द्वारा कुल 1817 अपराध पंजीकृत कराए गये हैं, जिनमें से 149 में अन्तिम रिपोर्ट लगायी गई, 364 मामले विवेचनाधीन है तथा 2645 अपराधियों के विरुद्ध 1304 मुकदमों में आरोप पत्र न्यायालय प्रेषित किये गये है।

जनपद सन्त रविदास नगर भदोही के दुर्गा गंज/अमोली में स्वीकृत 33/11 के0वी0 विद्युत उपकेन्द्र का निर्माण प्रारम्भ न होने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में श्री पूर्णमासी पंकज द्वारा नियम 51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर संसदीय कार्य मंत्री का केवल वक्तव्य

(सदन की सहमति से वक्तव्य पढ़ा हुआ माना गया)

संसदीय कार्य मंत्री (श्री हुकुम सिंह)-

(जनपद (भदोही) सन्त रविदास नगर के विकास खण्ड सुरियांवां में दुर्गागंज/अर्मोली पर 5 एम0वी0ए0, 33/11 के0वी0 विद्युत उपस्थान का निर्माण वर्ष 1998-99 की कार्य योजना में सम्मिलित है तथा इस पर रुपया 110.15 लाख की लागत आकंलित की गई है। इस विद्युत उपस्थान के निर्माण के लिये शासन द्वारा आवश्यक धनराशि शासनादेश संख्या 2137 पी-3/98-24, दिनांक 5 सितम्बर, 1998 के द्वारा आवंटित की गई थी तदनुसार सब स्टेशन के निर्माण के आदेश पत्र दिनांक 04-10-98 के द्वारा मुख्य क्षेत्रीय अभियन्ता, वाराणसी को निर्गत कर दिये गये थे।

सिविल तथा इलेक्ट्रिकल कार्यों के लिये निविदायें क्रमशः जनपद मण्डल तथा विद्युत कार्य मण्डल के द्वारा आमंत्रित कर अन्तिम रूप दे दिया गया है तथा कार्य प्रारम्भ करने की तिथि 15 मार्च 1999 दी गई है। उपरोक्त उपस्थान के निर्माण के लिये आवश्यक सामग्री आवंटन हेतु मुख्य अभियन्ता एवं भण्डारण नियंत्रक को निर्देश दे दिये गये हैं तथा मुख्य क्षेत्रीय अभियन्ता के द्वारा पैकेज स्वीकृत करने के उपरान्त आवश्यक सामग्री की मांग स्टोर सेन्टर पर उपलब्ध करा दी गई हैं। सामग्री प्राथमिकता के आधार पर उपलब्ध करायी जा रही है। कार्य प्रारम्भ करने में विलम्ब का मुख्य कारण कुछ व्यक्तियों के द्वारा चयनित भूमि के स्वामित्व पर विवाद खड़ा करना है। यह विवाद अभी समाप्त नहीं हुआ है तथा प्रकरण न्यायालय के विचाराधीन है। न्यायालय से कोई स्थगन आदेश प्राप्त न होने के कारण कार्य प्रारम्भ करने की कार्यवाही प्रारम्भ की जा रही है। विवाद के समाधान के उपरान्त कार्य प्राथमिकता के आधार पर 6 मास में पूर्ण कराने का प्रयास किया जायेगा।)

नोट:- ( ) यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

जनपद गाजियाबाद के सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र सपनावत के परिसर में खाली पड़ी भूमि पर अवैध कब्जेदारी किये जाने के सम्बन्ध में श्री नरेन्द्र सिंह शिशौदिया द्वारा नियम 51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर संसदीय कार्य मंत्री का केवल वक्तव्य
(सदन की सहमति से वक्तव्य पढ़ा हुआ माना गया)

संसदीय कार्य मंत्री (श्री हुकुम सिंह)-

(मा0 सदस्य द्वारा यह अवगत कराते हुए कि जनपद गाजियाबाद के सामुदायिक स्वास्थय केन्द्र सपनावत के परिसर में खाली पड़ी भूमि पर कुछ राजनीतिक व्यक्तियों द्वारा कब्जा किया जा रहा है। उक्त स्वास्थ्य केन्द्र की सरकारी भूमि को खाली कराने तथा दोषी अधिकारी को दण्डित करने का अनुरोध किया गया है।

प्रकरण की जांच जनपद के उप मुख्य चिकित्साधिकारी द्वारा की गयी है। जांच में यह पाया गया है कि सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र सपनावत, जनपद गाजियाबाद के मुख्य द्वार से अन्दर की ओर काफी बड़ा खुला मैदान पड़ा हुआ है। इस मैदान में लगभग 16×16 गज की लगभग 3.5 फिट ऊंची चहारदीवारी बनायी गयी है जिसके दीवाल की मोटाई 4.5 इंच है। इसके बीच-बीच में, 9 इंच के पाये बनाये गये हैं। चहारदीवारी पर प्लास्टर कार्य नहीं हुआ है। उक्त चहारदीवारी में अन्दर जाने के लिए लगभग 3 फुट चौड़ा रास्ता छोड़ा गया है तथा अन्दर लगभग 6×6 गज का 9 इंच मोटी चिनाई की दीवार बनाकर लगभग 3.5 फुट ऊंचा एक चबूतरा बनाया गया है जिसमें मिट्टी भरी गयी है। चबूतरे के अन्दर 7×7 फुट का एक अन्य चबूतरा भी बनाया गया है। उक्त निर्माण कार्य लगभग 2 माह पूर्व प्रारम्भ कराया गया था तथा लगभग एक माह से निर्माण कार्य बन्द है। निर्माण स्थल पर निर्माण सामग्री के रूप में कुछ बालू तथा बदरपुर पड़ा हुआ है।

सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र सपनावत का नामकरण शहीद मेजर महेन्द्र सिंह के नाम पर किया गया है। शहीद मेजर महेन्द्र सिंह सेना में मेजर थे तथा भारत-पाक युद्ध में सन् 1971 में शहीद हो गये थे। शहीद मेजर महेन्द्र सिंह का नाम अमर रखने के उद्देश्य से गांववासियों/क्षेत्रवासियों द्वारा 5 एकड़ भूमि इस उद्देश्य से निः शुल्क दी गयी थी कि उस पर शहीद मेजर महेन्द्र सिंह के नाम से चिकित्सालय का निर्माण किया जाएगा। सामुदयिक स्वास्थ्य केन्द्र सपनावत उसी निःशुल्क दी गयी भूमि पर बना है। प्रश्नगत निर्माण कार्य शहीद मेजर महेन्द्र सिंह के भाई मा0 पूर्व विधायक, श्री सुखवीर सिंह गहलौत द्वारा इस उद्देश्य से कराया गया है कि वहां पर स्व0 मेजर महेन्द्र सिंह की मूर्ति स्थापित की जा सकें। मा0पूर्व विधायक श्री सुखवीर सिंह गहलौत द्वारा चिकित्सालय परिसर में उक्त निर्माण हेतु शासन अथवा जिला प्रशासन से अनुमति प्राप्त नहीं की गयी है। चिकित्सालय परिसर में कोई निर्माण कार्य शासन की पूर्वानुमति तथा शासन के निर्देशानुसार ही कराया जा सकता है पूर्व विधायक, श्री गहलौत द्वारा अब जिलाधिकारी को एक आवेदन-पत्र देकर उक्त निर्माण कार्य एवं

नोट :- ( ) यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

शहीद मेजर महेन्द्र सिंह की मूर्ति स्थापना की अनुमति मांगी गयी है । चिकित्सालय परिसर में बिना अनुमति के उक्त निर्माण कार्य कराये जाने हेतु सम्बन्धित चिकित्सालय के अधीक्षक, डा0 ए0 के0 महेश्वरी को उत्तरदायी पाया गया है । डा0 ए0 के0 महेश्वरी को अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन न किये जाने हेतु प्रतिकूल प्रविष्टि प्रदान कर दी गयी है । जिलाधिकारी, गाजियाबाद द्वारा यह निर्देश दे दिये गये हैं कि जब तक सक्षम स्तर से अनुमति न मिल जाए तब तक किसी भी दशा में कोई निर्माण कार्य न कराया जाए ।

मथुरा जिला महिला चिकित्सालय की मुख्य चिकित्सा अधीक्षिका द्वारा किये जा रहे भ्रष्टाचार तथा समय समाप्ति के उपरान्त इन्जेक्शनों का प्रयोग करने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में श्री अजय कुमार पोइया द्वारा नियम 51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर संसदीय कार्य मंत्री का केवल वक्तव्य
(सदन की सहमति से वक्तव्य पढ़ा हुआ माना गया।)

संसदीय कार्य मंत्री (श्री हुकुम सिंह)-

माo सदस्य द्वारा जिला महिला चिकित्सालय, मथुरा में व्याप्त भ्रष्टाचार व एक्सपायरी डेट के इनजेक्शनों के प्रयोग की ओर ध्यान आकर्षित करते हुये मुख्य रूप से निम्नानुसार शिकायतें की है:-

(।) जब से कार्यवाहक मुख्य चिकित्सा अधीक्षिका डा0 संतोष राजवंशी ने कार्यभार ग्रहण किया है, चिकित्सालय में कोई मेजर आपरेशन नहीं किया गया। एम0टी0 पी0 (मेडिकल टर्मिनल प्रीगनेन्सी) के कोई केस नहीं हुये हैं और कोई भी बच्चा पिछले दो वर्षों में सीजेरियन केस से पैदा नहीं हुआ है ।

(2) वर्ष 1997-98 में मरीजों के आहार हेतु रु0 1.00 लाख आहार मद हेतु आवंटित था परन्तु मरीजों के आहार के लिये इसे व्यय नहीं किया गया।

(3) कार्यवाहक अधीक्षिका चिकित्सालय के परिसर स्थित आवास में नहीं रहती है और अस्पताल से 10 किलोमीटर दूर मोतीकुंज में रहती है ।

(4) दवाओं की खरीद में भारी अनियमिततायें की गयी हैं और "लेखिकस" के स्थान पर "फयूराजिला" एक्सपायरी डेट के इन्जेक्शन का प्रयोग होता रहा है । दूरबीन आपरेशन में "लोगोगोलीन" के स्थान पर "बेनजाना पैनेसिलीन" लगाये जा रहें है ।

(5) स्टाफ नर्स बेनुलता सक्सेना का उत्पीड़न किया जा रहा है ।
उक्त प्रकरण की जांच करायी गयी । जांच में निम्न तथ्य प्रकाश में आये :-

(।) जिला महिला चिकित्सालय, मथुरा में वर्ष 1997-98 में 509 एम0टी0पी0 एवं 702 अन्य माइनर आपरेशन तथा वर्ष 1998-99 में 702 एम0टी0पी0 तथा 930 अन्य माइनर आपरेशन हुये । जिला महिला चिकित्सालय में एनेस्थेटिस्ट न होने के कारण सीजेरियन तथा मेजर आपरेशन के केसेज एस0 एन0 मेडिकल कालेज,

नोट :- यह अंश पढ़ा हुआ माना गया ।

आगरा को संदर्भित कर दिये जाते हैं। कार्यवाहक मुख्य चिकित्सा अधीक्षिका द्वारा स्थानीय जिला अस्पताल (पुरुष) एवं मुख्य चिकित्साधिकारी, मथुरा के समय-समय पर एनेस्थेटिस्ट की मांग की जाती रही है। एनेस्थेटिस्ट उपलब्ध होने पर ही मेजर आपरेशन सम्भव हैं।

(2) जिला महिला चिकित्सालय, मथुरा में आहार के मद में 1997-98 में रु0 86,000 आवंटन हुआ था जिसमें रु0 49,570 की धनराशि खर्च हुयी तथा रु0 36,430 समर्पित किया गया। इसी मद में वर्ष 1998-99 में रु0 1.00 लाख की धनराशि आवंटित हुयी जिसमें रु0 6,804 खर्च हुयी एवं रु0 93,196/- फरवरी 1999 में समर्पित कर दी गयी।

(3) कार्यवाहक अधीक्षिका के लिये चिकित्सालय प्रांगड़ में आवास उपलब्ध न होने के कारण चिकित्सालय के बाहर निवास करती हैं। चिकित्सालय में उपलब्ध आवास मुख्य चिकित्सा अधीक्षिका के नाम "ईअर मार्कड" है उसमें मुख्य चिकित्सा अधीक्षिका के अतिरिक्त और किसी को आवंटित नहीं हो सकता है।

(4) औषधि के मद में दवाओं का क्रय नियम-कानून के अन्तर्गत क्रय समिति से विधिवत् अनुमोदन के उपरान्त किया गया है तथा औषधियां रेट कन्ट्रेक्ट एवं हास्पिटल रेट पर ही खरीदी गयी। इन्जेक्शन फ्रूसामाईड तथा लेसिक्स दोनों एक ही चीज है जिसकी सप्लाई, 1986 में सी0एल0एस0डी0, लखनऊ से हुयी थी तथा इस पर एक्सपायरी डेट अंकित नहीं है। इसका प्रयोग समय-समय पर तत्कालीन तैनात चिकित्सक करते रहे। दिनांक 2-12-98 से इसके वितरण पर रोक लगा दी गई है। जिन दवाओं पर एक्सपायरी डेट अंकित नहीं होता है उसका 5 वर्ष तक प्रयोग किया जा सकता है। इसके पश्चात् धीरे-धीरे दवा के पावर में ह्रास होने की सम्भावना होती है। इन्जेक्शन लोगासिलीन का नाम इन्जेक्शन-बैन्जामिन पैनेसिलीन होता है तथा यह दोनों एक ही चीज है। दिनांक 28-2-99 को स्टाक बुक में 234 वायल्स बैलेन्स में है।

(5) स्टाफ नर्स बेनुलता सक्सेना का उत्पीड़न करने का कोई साक्ष्य प्राप्त नहीं हुआ।

प्रदेश की राजधानी में पीलिया रोग के प्रकोप से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में श्री सुरेश कुमार श्रीवास्तव द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर संसदीय कार्य मंत्री का केवल वक्तव्य

(सदन की सहमति से वक्तव्य पढ़ा हुआ माना गया)

संसदीय कार्य मंत्री (श्री हुकुम सिंह)-

सामान्यतः पीलिया, वायरस से होने वाली बीमारी है। यह ए,बी,सी,डी व ई प्रकार का होता है। 'ए' व 'ई'-प्रकार, मूल प्रदूषित जल के सेवन से होता है, बी,सी,डी प्रकार का पीलिया संक्रमित रक्त अथवा रक्त प्रदार्थों के प्रयोग के कारण होता है।

नोटः- ( ) यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

वर्तमान में लखनऊ में पीलिया का प्रकोप मुख्यतः ई टाईप का है। यह जलजनित होता है मल प्रदूषित जल प्रयोग करने पर यह रोग हो जाता है। रोग का इन्क्यूवेशन पीरिएड 15 दिन से 65 दिन का होता है। संक्रमण होने के 15 दिन से 65 दिनों के अन्दर बीमारी के लक्षण स्पष्ट होते हैं। मृत्युदर 0.5 से 01 प्रतिशत है तथा रोग आराम और साधारण उपचार से ठीक हो जाता है। उचित आराम व उपचार न लेने पर रोग जटिल हो जाता है तथा मृत्युदर बढ़ जाती है।

पेयजल का संक्रमण उचित प्रकार से क्लोरीनेशन न होने के कारण एवम् जर्जर पाइप लाइनों में जगह-जगह लीकेज हो जाने के कारण, गन्दगी पेयजल से मिल जाने के कारण हो जाता है। इस रोग को होने से रोकने और प्रसार को रोकने के लिये क्लोरीनेटेड पेयजल का ही प्रयोग करना एकमात्र उपाय है। लखनऊ नगरीय क्षेत्र में पीलिया रोग के विवरण निम्नवत् है:-

(1) राजाजीपुरम् क्षेत्र में पीलिया के प्रसार का समाचार प्राप्त होने के साथ ही चिकित्सा एवं स्वास्थ्य महानिदेशालय द्वारा दिनांक 24 फरवरी, 1999 को 14 चिकित्सकों एवं पैरामेडिकल के दल सर्वेक्षण पर लगाये गये तथा नगर में विशेषकर राजाजीपुरम् क्षेत्र में पीलिया के प्रसार की रोकथाम एवं नियंत्रण हेतु नगर निगम, मुख्य चिकित्सा अधिकारी, जल संस्थान तथा संचारी रोग शाखा के अधिकारियों द्वारा दिनांक 25 फरवरी 1999 को रोकथाम करने के कड़े निर्देश दिये गये कि राजाजीपुरम् क्षेत्र में एक रोगी वाहन उपलब्ध कराते हुए चिकित्सा शिविर तथा स्वास्थ्य शिविर लगाकर पानी का ओ0 टी0 टेस्ट सफाई तथा क्लोरीन गोलियों का वितरण कार्य कराया जाय।

(2) राजाजीपुरम् के सेक्टर-ई के मकान नं0 ई-2027 के निवासी सैय्यद अख्तर अब्बास के पुत्र श्री अफसर अब्बास की मृत्यू दिनांक 24 फरवरी, 1999 को प्रातः 10.05 बजे पी0 जी0 आई0 में हुयी थी। मृत्यु का कारण हिपेटाईटिस 'ई' पाया गया।

(3) श्री जी0पी0 पाल निवासी एफ-1244 राजाजीपुरम् लगभग डेढ़ माह से बीमार थे, जिन्हें दिनांक 25.2.99 को प्रातः 10.45 बजे के0जी0 मेडिकल कालेज में भर्ती कराया गया था, की मृत्यु उसी दिन अपरान्ह 12.45 बजे हुई थी।

(4) राजाजीपुरम् के सेक्टर-12 के चिकित्सक डा0 राजकुमार तिवारी के चिकित्सालय में दिनांक 8.2.99 से दिनांक 8.3.99 तक कुल 39 रोगी पंजीकृत किये गये हैं, जिसमें से दिनांक 24 फरवरी,25 फरवरी तथा 6 मार्च के अतिरिक्त किसी भी दिन दो से अधिक रोगी नहीं आये हैं सेक्टर-5 के चिकित्सक डा0 आनन्द प्रकाश ने अपने चिकित्सालय में दिनांक 9.3.99 तक कुल 10 पीलिया के रोगियों का उपचार किया है। डा0 हरमोहन दयाल ने अवगत कराया है कि उनके चिकित्सालय में माह फरवरी में प्रतिदिन लगभग आठ से दस रोगी आते थे, अब रोगियों में उत्तरोत्तर कमी हो गयी है एवं अब मात्र एक या दो रोगी ही आते हैं।

(5) राजाजीपुरम् क्षेत्र में अंकुर नर्सिंग होम की डा0 अर्चना भटनागर ने बताया कि उनके चिकित्सालय में फरवरी 1999 से एक-दो रोगी प्रतिदिन आ रहे थे एवं वर्तमान में कोई रोगी उनके नर्सिंग होम में भर्ती नहीं है। एल0डी0ए0 कालोनी स्थित नेशनल नर्सिंग होम में दिनांक 25.2.99 से 8.3.99 तक कुल 11 रोगी भर्ती किये गये, जिसमें से पांच रोगी उपचार के बाद डिस्चार्ज हो चुके हैं तथा छः रोगी उपचारित किये जा रहे है। इस नर्सिंग होम में प्रतिभा, नत्थाराम, बामदेव, संगीता, निर्मा, कुसुम तथा राजेन्द्र नामक मरीज भर्ती नहीं पाये गये।

(6) के0 जी0 एम0 सी0 के इमरजेन्सी से प्राप्त सूची के अनुसार दिनांक 24.2.99 से 9.3.99 तक कुल 19 रोगी लालबत्ती (इमरजेन्सी) द्वारा भर्ती किये गये। इसमें से श्री संतोष कुमार पुत्र श्री राम आधार, ई-3042 राजाजीपुरम्, लखनऊ दिनांक 24.2.99 को भर्ती हुए थे, शेष उल्लिखित रोगियों फिरदौस फातिमा, विन्ध्यवासिनी तथा राजेश को भर्ती नहीं पाया गया। गोमती प्रसाद पाल की मृत्यु दिनांक 25.2.99 को हो गयी थी।

(7) राजाजीपुरम् क्षेत्र में दिनांक 9 मार्च, 1999 को डा0 राजकुमार तिवारी, डा0 आनन्द प्रकाश, डा0 हरमोहन दयाल ने चिकित्सालय तथा नेशनल नर्सिंग होम से प्राप्त सूचनाओं एवं वर्तमान स्थिति के अनुसार राजजीपुरम् क्षेत्र में पीलिया के रोगियों के आने की स्थिति नियंत्रण में है तथा समीपवर्ती क्षेत्र पुराने लखनऊ त्रिवेणी नगर तथा के0जी0एम0सी0 क्षेत्र में जहां छुट-पुट रोगी पाये गये है, में भी स्थिति नियंत्रण में है।

2- जनपद लखनऊ में दिनांक 23 फरवरी 1999 से 18 मार्च, 1999 तक कुल 486 पीलिया के रोगी तथा 15 की मृत्यु की सूचना प्राप्त हुई है इनमें से राजाजीपुरम् क्षेत्र के 107 रोगी तथा 02 मृतक हैं। प्रदेश के अन्य किसी जनपद में पीलिया का प्रकोप नहीं है तथापि प्रदेश के समस्त मण्डलायुक्त, जिलाधिकारी, मण्डलीय अपर निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण तथा मुख्य चिकित्साधिकारियों को पीलिया की रोकथाम एवं नियंत्रण हेतु कड़े निर्देश दिनांक 5.3.99 को दे दिये गये।

3- लखनऊ नगर तथा राजजीपुरम क्षेत्र की समीक्षा प्रतिदिन विभागीय अधिकारियों, नगर निगम, जल संस्थान के अधिकारियों के साथ की जा रही है। पीलिया रोग की रोकथाम एवं नियंत्रण हेतु निरोधात्मक कार्यवाही हेतु आवश्यक आदेश दिये गये हैं। टूटी-फूटी पाइप लाइनों की तत्काल मरम्मत कार्य हेतु जल संस्थान में एक नियंत्रण कक्ष स्थापित कर दिया गया है जिसका दूरभाष नम्बर 260106 तथा 268917 है। इसी प्रकार चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग द्वारा स्थिति पर निरन्तर नियंत्रण रखने के उद्देश्य से नियंत्रण कक्ष स्थापति किया गया है जिसका दूरभाष नम्बर 227542, 387213, 222440 तथा 383019 है। उक्त दोनों नियंत्रण कक्ष सूचना मिलते ही क्रमशः पाइप लाइन का लीकेज ठीक करने तथा रोग फैलने की रोकथाम के उचित उपाय करते हैं। जनपद लखनऊ में रोग की रोकथाम हेतु लखनऊ को छः जोन में बांट कर निरोधात्मक उपाय किये जा रहें हैं।

4- लखनऊ नगर में पीलिया रोग की रोकथाम हेतु की जा रही निरोधात्मक कार्यवाही के अन्तर्गत नगर निगम एवं चिकित्सा विभाग द्वारा विभिन्न स्थानों पर वितरण केन्द्र स्थापित कर क्लोरीन की गोलियों का वितरण किया जा रहा है। दिनांक 18.3.99 तक कुल 4,44,535 क्लोरीन की गोलियां वितरित की जा चुकी हैं। कुल 2306 ओ0टी0 टेस्ट किये गये, जिसमें से 2.58 धनात्मक तथा 248 ऋणात्मक पाये गये। 38। वाटर लाइन के लिकेज की मरम्मत की गयी। इस प्रकार वर्तमान में पीलिया रोग की स्थिति में पर्याप्त सुधार है एवं रोग से पीड़ित व्यक्तियों की मृत्यु में कमी आई है।

5 दिनांक 10 मार्च, 1999 को मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश द्वारा पीलिया से बचाव एवं नियंत्रण के सम्बन्ध में एक आपात बैठक बुलाई जिसमें लिये गये निर्णय के अनुसार पीलिया से बचाव हेतु "क्या करें तथा क्या न करें"के विज्ञापन सभी प्रमुख दैनिक समाचार पत्रों में प्रकाशित कराये जाने,सुपर क्लोरीनेशन के साथ-साथ पाइप लाइन लीकेज मरम्मत युद्ध स्तर पर करने के आदेश निर्गत किये गये।

6- प्रतिदिन नगर निगम, जल संस्थान तथा मुख्य चिकित्सा अधिकारी, लखनऊ के साथ नगर के विभिन्न क्षेत्रों में पानी की जांच मेरे समक्ष की गई तथा जिन स्थानों पर क्लोरीन शून्य पाई गई उसमें सुधार लाया गया। 17 मार्च, 1999 को पुनः मुख्य सचिव, उ0प्र0 द्वारा सभी सम्बन्धित अधिकारियों की बैठक बुलाई जिसमें रेलवे कैन्ट के अधिकारियों के अतिरिक्त प्राचार्य मेडिकल कालेज, लखनऊ ने भी भाग लिया तथा रोग के कारणों का विश्लेषण किया गया। पुनः सुपर क्लोरीनेशन, पाइप लाइन लीकेज तथा प्रचार प्रसार कार्य की समीक्षा की गई तथा इसमें और तेजी लाने के निर्देश दिये गये। बैठक में अवगत कराया गया कि 22 मार्च से राष्ट्रीय संचारी रोग संस्थान, नई दिल्ली का दल, लखनऊ में पीलिया रोग के प्रसार के कारणों की जांच हेतु आ रहा है। मुख्य सचिव द्वारा पुनः 24 मार्च को विभागीय तथा सभी सम्बन्धित विभागों के अधिकारियों के साथ समीक्षा की जायेगी।(

डा0 लक्ष्मीकान्त बाजपेई-

मान्यवर, मुझे मद संख्या-30 के सम्बन्ध में एक स्पष्टीकरण पूछना है।

श्री अधिष्ठाता-

अब आगे का एजेन्डा ले लिया गया है, इस बीच में आप खड़े नहीं हुये। अब इसकी अनुमति नहीं दी जा सकती।

मद संख्या 30 को पुकारे जाने पर आप खड़ें नहीं हुए थे, इसलिए हम आगे बढ़ गये हैं और अब मद संख्या 44 ले रहें हैं। इसलिये कृपया आप बैठ जाये।

नोट :- ( ) यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

शासकीय सचिवालय के प्रमुख सचिव/सचिव के पदों को सृजित करने तथा बिना मानकों के सृजित पदों को समाप्त करने विषयक डा0 लक्ष्मी कान्त बाजपेई आदि की सूचना तथा उत्तर प्रदेश औद्योगिक अधिनियम के अन्गर्गत गठित सभी प्राधिकरणों के बोर्डो में जन प्रतिनिधित्व देने की व्यवस्था विषयक श्री नवाब सिंह नागर की सूचनाओं पर पर नियम 49 के अन्तर्गत निर्धारित चर्चाओं के स्थगन का प्रस्ताव

संसदीय कार्य मंत्री (श्री हुकुम सिंह)-

मान्यवर, आपकी अनुमति से मैं प्रस्ताव करता हूं कि 22 मार्च, 1999 की कार्य सूची की मद संख्या-44 और 45 को स्थगित कर दिया जाये।

श्री अधिष्ठाता-

प्रश्न यह है कि मा0 संसदीय कार्य मंत्री जी ने जो प्रस्ताव, आज की कार्य सूची की मद संख्या-44 एवं 45 के सम्बन्ध में, प्रस्तुत किया है उसे स्थगित कर दिया जाये?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और सर्वसम्मति से स्वीकृत हुआ)

अब हम उठतें हैं और कल दिनांक 23 मार्च, 1999 को फिर 11 बजे (पूर्वाह्न) बैठेगें।

(इसके बाद सदन रात्रि 10 बजकर 45 मिनट पर अगले दिन के 11 बजे तक के लिए स्थगित हो गया)

लखनऊ
22 मार्च, 1999

प्रेम चन्द्र सक्सेना,
सचिव, विधान सभा
उत्तर प्रदेश।

नत्थी (क)

(देखिये तारांकित प्रश्न सं० 17 का उत्तर पीछे पृष्ठ 30 पर)

संलग्नक

सूची

(लाख में)

क्र०सं०	बकायेदार का नाम	वर्ष	बकाया धनराशि	वसूली हेतु की गयी कार्यवाही का विवरण
1	2	3	4	5
1	सर्वश्री कमिश्नर फूड एण्ड सिविल सप्लाई लखनऊ।	79-90 से 94-95 तक	24221.30	यह सरकारी विभाग है, शासन द्वारा एक समिति गठित है, जो फर्म पर देय बकाया को समाप्त करने के प्रस्ताव पर विचार कर रही है। समिति को वर्ष 1999 में दो बैठक भी हो चुकी है।
2	सर्वश्री आई०टी०आई, मनकापुर, गोण्डा, लखनऊ।	88-89 से 95-96 तक	13028.26	समस्त बकाया सदस्य, व्यापार कर अधिकरण के विभिन्न आदेशों द्वारा स्थगित होने के कारण वसूली योग्य नहीं है।
3	सर्वश्री फूड कारपोरेशन आफ इण्डिया, लखनऊ।	68-69 से 90-91 तक	11109.54	केन्द्र सरकार का उपक्रम है, मा० उच्च न्यायालय/सदस्य व्यापार कर अधिकरण/डिप्टी कमिश्नर (अपील) व्यापार-कर के विभिन्न आदेशों द्वारा बकाया स्थगित है। स्थगन आदेश निरस्त कराने के संबंध में प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत किया गया है।
4	सर्वश्री नौवा उद्योग कमलुवागंज, हल्द्वानी	90-91 से 93-94 तक	4231.50	फर्म वर्ष 95-96 से बंद है, वसूली प्रमाण-पत्र जारी है। जमानतदारों रु० 15000/- की धनराशि वसूल की गयी है। अपर जिलाधिकारी, वित्त एवं राजस्व, हल्द्वानी से पुनः सम्पर्क करके वसूली की कार्यवाही करने का अनुरोध किया गया है।

1	2	3	4	5
5	सर्वश्री अपट्रान इण्डिया लि०, लखनऊ	83-84 से 95-96 तक	3758.61	व्यापार-कर अधिकरण/डिप्टी कमिश्नर (अपील), व्यापार-कर के विभिन्न आदेशों से बकाया स्थगित है। 92-93 प्रा०/के० पर बकाया रु० 1190.37 लाख की धनराशि वसूली संबंधी कार्यवाही बी०आई० एफ०आर० के अन्तर्गत विचाराधीन है तथा 95-96 प्रा०/के०/ पर बकाया रु० 134.32 लाख की धनराशि भी उक्त प्रकरण बीमार इकाई के अन्तर्गत विचाराधीन है।
6	सर्वश्री दि प्रीमियर बिनायल फ्लोरिंग लि० सिकन्द्राबाद	91-92 से 97-98 तक	3119.16	दिनांक 9-6-97 को कम्पनी की चल सम्पत्ति कुर्क कर ली गयी। फर्म पर अर्थदण्ड आरोपित किया गया, जिसके विरुद्ध रु० 121553.00 अर्थदण्ड जमा हुआ। बीमार इकाई है एवं मामला बी०आई०एफ०आर० में दर्ज है।
7	सर्वश्री एच०ए०एल० चकेरी, कानपुर	93-94 से 95-96 तक	2244.33	सदस्य, व्यापार कर अधिकरण के विभिन्न आदेशों द्वारा समस्त बकाया स्थगित है।
8	सर्वश्री पूजा कोरचून सी-10, चंद्रनगर, गाजियाबाद (लाटरी से संबंधित)	96-97	2080.00	व्यापारी विभाग में पंजीकृत नहीं है। मामला अन्य प्रान्त से संबंधित है। वसूली प्रमाण-पत्र वसूली हेतु दि० 20-4-97 को दिल्ली भेजे गये हैं।
9	सर्वश्री असिस्टेंट डायरेक्टर मेघालय स्टेट लाटरी सी०-21 सूर्यनगर गाजियाबाद (लाटरी से संबंधित)	96-97	1815.00	व्यापारी विभाग में पंजीकृत नहीं है। मामला अन्य प्रान्त से संबंधित है। वसूली प्रमाण-पत्र वसूली हेतु दिल्ली भेजे गये हैं।
10	सर्वश्री फोरमोस्ट इण्ड० इण्डिया लि०, कैलाशपुर देहरादून रोड, सहारनपुर	89-90 से 97-98 तक	1623.93	सदस्य, व्यापार-कर अधिकरण के आदेश सं०-96/ 27-10-95 के द्वारा वर्ष 94-95 पर बकाया रु० 371.52 लाख, स्थगित है। यह इकाई बी०आई० एफ०आर० के आदेश दिनांक 23-2--95 द्वारा बीमार ईकाई घोषित की गई है।

पी०एस०यू०पी०-ए०पी० 17 विधान सभा-16-3-2000-(2382)-813-(आफसेट)।